

भारत के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण

शक्ति । प्रगति । समृद्धि



55वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

विषय-सूची

02	हमारी विकास गाथा	20	कंपनी का परिचय	21	मिशान और विजन
22	कॉर्पोरेट उद्देश्य	24	निदेशक मण्डल	25	निदेशकों का परिचय
29	वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी	30	पांच वर्षों का प्रदर्शन	33	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश
39	एजोएम की सूचना	51	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	80	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
91	कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट	118	कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	154	स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट
156	एकीकृत रिपोर्टिंग	160	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	163	कॉर्पोरेट सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र
164	संबंधित पक्षकारों के साथ सविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	165	सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट	180	डिबेंचर न्यासियों के विवरण
188	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	294	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	305	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
307	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां				
308	समेकित वित्तीय विवरण				
433	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट				
440	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां				
441	हमारी उपस्थिति				



हमारी विकास गाथा



आरईसी लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी महारत्न उद्यम है और भारत की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक है। वर्तमान में पूरे विद्युत क्षेत्र की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में, आरईसी अपने अभिनव वित्तीय समाधानों के साथ भारत के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की यात्रा के हर चरण में भागीदार रही है। देश के विकास को और गति देते हुए, आरईसी ने अब गैर-विद्युत बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के वित्तपोषण में प्रवेश किया है। आरईसी में, हम सिर्फ बेहतर अवसंरचना का निर्माण नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना रहे हैं।





₹14,019

करोड़

निवल
लाभ



₹68,783

करोड़

निवल
मूल्य



₹5.09

लाख करोड़ से अधिक
ऋण बही



भारत में हर
चौथे बल्ब के
लिए बिजली



आरईसी की गौरवपूर्ण उपलब्धियां

हमारी यात्रा एक नजर में

ग्रामीण क्षेत्रों में
बिजली के बुनियादी ढांचे को
विकसित करने के
लक्ष्य के साथ स्थापना

मिनीरल (श्रेणी -1)
का दर्जा प्रदान
किया गया

नवरत्न का दर्जा दिया गया,
आईपीओ लाया गया जो
27 गुना सब्सक्राइब हुआ

1969

2002

2008

1998

2003

2010

आरबीआई में
एनबीएफसी
के रूप में पंजीकृत

बिजली के समग्र क्षेत्र के
वित्तपोषण के लिए मंडेट का
विस्तार किया गया

आरबीआई द्वारा
आईएफसी का दर्जा
प्रदान किया गया

नोडल एजेंसी के रूप में
100% घरेलू विद्युतीकरण
हासिल किया

सीपीएसई के सर्वोच्च 'महाराज' के
दर्जे से सम्मानित।
इंफ्रास्ट्रक्चर और
लॉजिस्टिक्स सेक्टर में प्रवेश।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए
राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त,
जेपीवाई 61.1 बिलियन का पहला
येन बॉन्ड जारी किया गया

2019

2022

2024

2021

2023

आरडीएसएस के लिए
नोडल एजेंसी के
रूप में नियुक्त

भारत की G20 अध्यक्षता के बाद पहली बार
दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में 750 मिलियन
अमरीकी डालर का सबसे बड़े ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता

असीमित ऊर्जा वाली हमारी दुनिया

आरईसी के
भविष्योन्मुख कार्यालय



अत्याधुनिक कॉर्पोरेट कार्यालय,
गृह 5 स्टार नेट जीरो बिल्डिंग,
10 वर्षों में 19,617 वृक्षों के बराबर
कार्बन कम करना

अत्याधुनिक कार्यस्थल
आरईसी के दूरदर्शी
नवाचारों को प्रदर्शित करता है

1,81,000 वर्ग फुट में
फैला हुआ परंपरा और आधुनिकता के
संगम को दर्शाता परिसर



1 मेगावाट सोलर रूफटॉप
पेर्गोला- प्रतिवर्ष - 16 लाख यूनिट
बिजली पैदा करता है

100% अपशिष्ट जल प्रबंधन,
प्रतिवर्ष लाखों लीटर
वर्षा जल के संग्रहण का कार्य

प्रदूषण को कम करना,
ऊर्जा बचत को अधिकतम करना

प्रमुख कौशल

‘महारत्न’ कंपनी और
भारत के बिजली, बुनियादी ढांचे
और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की
एक महत्वपूर्ण संगठन

01

02

विविध फंडिंग स्रोतों तक
मजबूत पहुंच के साथ
विविध परिसंपत्ति आधार

पर्याप्त प्रोजेक्टिंग कवरेज
रेशियो के साथ परिसंपत्तियों
की बेहतर गुणवत्ता

03

04

विद्युत क्षेत्र की संवृद्धि और विकास में
प्रमुख भूमिका तथा भारत के हरित ऊर्जा
गलियारे के निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा
के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन

मजबूत ऑफ़रों और स्थाई मार्जिन
के साथ लाभदायक व्यवसाय
के बल पर बेहतर लाभप्रदता
की ओर अग्रसर

05

06

“एएए” की उच्चतम घरेलू रेटिंग;
सॉवरैन रेटिंग के समतुल्य बीबीबी- (फिच),
बीएएए3 (मूडीज), बीबीबी+
(जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)
की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग

भारत सरकार के प्रमुख विद्युत
कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी -
आरडीएसएस, सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई,
रूफटॉप सोलर आदि।

07

08

अनुभवी प्रबंधन टीम



हमारा कार्य

विद्युत क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना

- विद्युत क्षेत्र की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति के साथ भारत के विद्युत क्षेत्र की अग्रणी ऋणदाता कंपनी।



उत्पादन



वितरण



पारेषण



कोयला खदानें



नवीकरणीय ऊर्जा एवं नवीन प्रौद्योगिकी

भारत की ऊर्जा क्रांति के उत्प्रेरक के रूप में, आरईसी की वित्तपोषण योजनाएं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर भारत की प्राथमिकता के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं।

भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, आरईसी अपने हरित ऋण को ₹38,971 करोड़ के वर्तमान स्तर से 2030 तक ₹3 लाख करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने हेतु 8 गुना तक बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है।



सौर



पवन



पंप भंडारण



वायो मास



ग्रीन हाइड्रोजन



स्मार्ट मीटर



ई-मोबिलिटी



बीईएसएस



अन्य



बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स जैसे विविध क्षेत्रों में प्रवेश

भारत के विकास को और गति प्रदान करते हुए, आरईसी ने बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए अपने व्यवसाय संबंधी प्रस्तावों का विस्तार किया है।

इन्फ्रा सेक्टर में प्रवेश:

राष्ट्र के त्वरित विकास के लिए, आरईसी ने बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 33% तक के ऋण के मैडेन के साथ अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाई है।



हमारे प्रस्ताव

भारत के निरंतर विकसित होते वित्तीय परिदृश्य में, आरईसी ने अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय समाधान अपने ग्राहकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्मित किए हैं।

हमारे विविध और अभिनव वित्तीय समाधान विशिष्ट रूप से उन उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं जो हमारे द्वारा पूरा किए जाते हैं, और उन्हें सुनिश्चित करते समय हमारे देश के विकास लक्ष्यों को तीव्र गति के साथ कुशलतापूर्वक पूरा किया जाता है।

हमारे उत्पाद

दीर्घकालिक ऋण

हम राज्यों तथा केंद्र और निजी कंपनियों को परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।

लघु अवधि/मध्यम अवधि ऋण

उधारकर्ताओं एवं विद्युत संस्थाओं को उनकी आत्यंतिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण की पेशकश की जाती है, जिसमें विद्युत संग्रह, प्रणालियों और नेटवर्क के रख-रखाव आदि के लिए ईंधन की खरीद शामिल है।

ऋण-पुनर्वित्तीयन

हम उधारकर्ताओं को उनकी ब्याज लागत को कम करने के लिए ऋण-पुनर्वित्तीयन की सुविधा प्रदान करते हैं। यह सुविधा सामान्य तौर पर कमीशंड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

परिक्रामी (रिवॉल्विंग) बिलों के भुगतान (आरबीपीएफ) की सुविधा

यह सुविधा विद्युत खरीद के बकाया तथा उत्पादन कंपनियों, पारेषण कंपनियों, निजी पारेषण कंपनियों, आईपीपी और आरई उत्पादकों के ट्रांसमिशन चार्ज के भुगतान हेतु डिस्कॉम के लिए उपलब्ध है।

उपकरणों के विनिर्माण का वित्तपोषण

हम विद्युत क्षेत्र में उपकरणों या सामग्रियों के विनिर्माताओं को सावधि ऋण प्रदान करते हैं।

अन्य

आरईसी बैंक गारंटी के स्थान पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जैसे अनेक गैर-निधि आधारित उत्पाद भी प्रदान करती है।



भारत सरकार के साथ भागीदार

आरईसी विद्युत क्षेत्र को मजबूत करने और विकास तथा समृद्धि के प्रकाश को राष्ट्र के हर कोने में ले जाने में भारत सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक रही है।

हर गांव और हर घर के विद्युतीकरण से लेकर विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार और रूफ-टॉप सोलर से विद्युतीकरण योजना को लागू करने तक के कार्य में आरईसी ने योजनाओं और नीतियों की विस्तृत श्रृंखला के कार्यान्वयन में सरकार के एक विश्वसनीय अंग के रूप में कार्य किया है।

सरकार का भरोसेमंद अंग



महारत्न का दर्जा प्राप्त करने की यात्रा

2022
महारत्न
का दर्जा दिया गया

2002
मिनीरत्न (श्रेणी -1)
का दर्जा दिया गया

2008
नवरत्न का दर्जा
दिया गया

आरईसी भारत के कुछ प्रतिष्ठित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) में से एक है*

महारत्न	- भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सीपीएसईज के लिए उच्चतम रैंक - कुल 13 सीपीएसईज को यह दर्जा दिया गया है
नवरत्न	- भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सीपीएसईज की दूसरी सबसे उच्चतम रैंक - कुल 20 सीपीएसईज को यह दर्जा दिया गया है
मिनीरत्न I	- भारत में सीपीएसईज की तीसरी सबसे उच्चतम रैंक - कुल 54 सीपीएसईज को यह दर्जा दिया गया है
मिनीरत्न II	- भारत में सीपीएसईज की चौथी सबसे उच्चतम रैंक - कुल 11 सीपीएसईज को यह दर्जा दिया गया है

महारत्न - व्यावसायिक लाभ

अधिक परिचालन और वित्तीय
स्वायत्तता मिलती है।

भारत और विदेशों में संयुक्त उद्यमों,
सहायक कंपनियों और एम एंड ए
गतिविधियों के निगमन द्वारा रणनीतिक
निवेश की अनुमति मिलती है।

विद्युत क्षेत्र से संबंधित सरकार के
विजन में सहयोग करते हुए संवृद्धि
की गति को तेजी प्रदान करना।

प्रमुख बिन्दु



513 समर्पित
कार्मिक



31 मार्च, 2024 तक
₹5.09 लाख करोड़ की
लोन बुक के साथ स्टैंडअलोन
आधार पर सबसे बड़ी एनबीएफसी



परिचालन
संबंधी उत्कृष्टता के
55 वर्ष



भारत में
फॉर्च्यून
500 कंपनी

ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियां
सम्पूर्ण भारत में हैं

राज्य/संयुक्त क्षेत्र
के उधारकर्ता
₹4,54,647 करोड़

निजी क्षेत्र के
उधारकर्ता
₹54,724 करोड़

कुल बकाया
ऋण
₹5,09,371 करोड़



जम्मू और कश्मीर
10,029

पंजाब
8,031

राजस्थान
58,467

गुजरात
413

मध्य प्रदेश
3,265

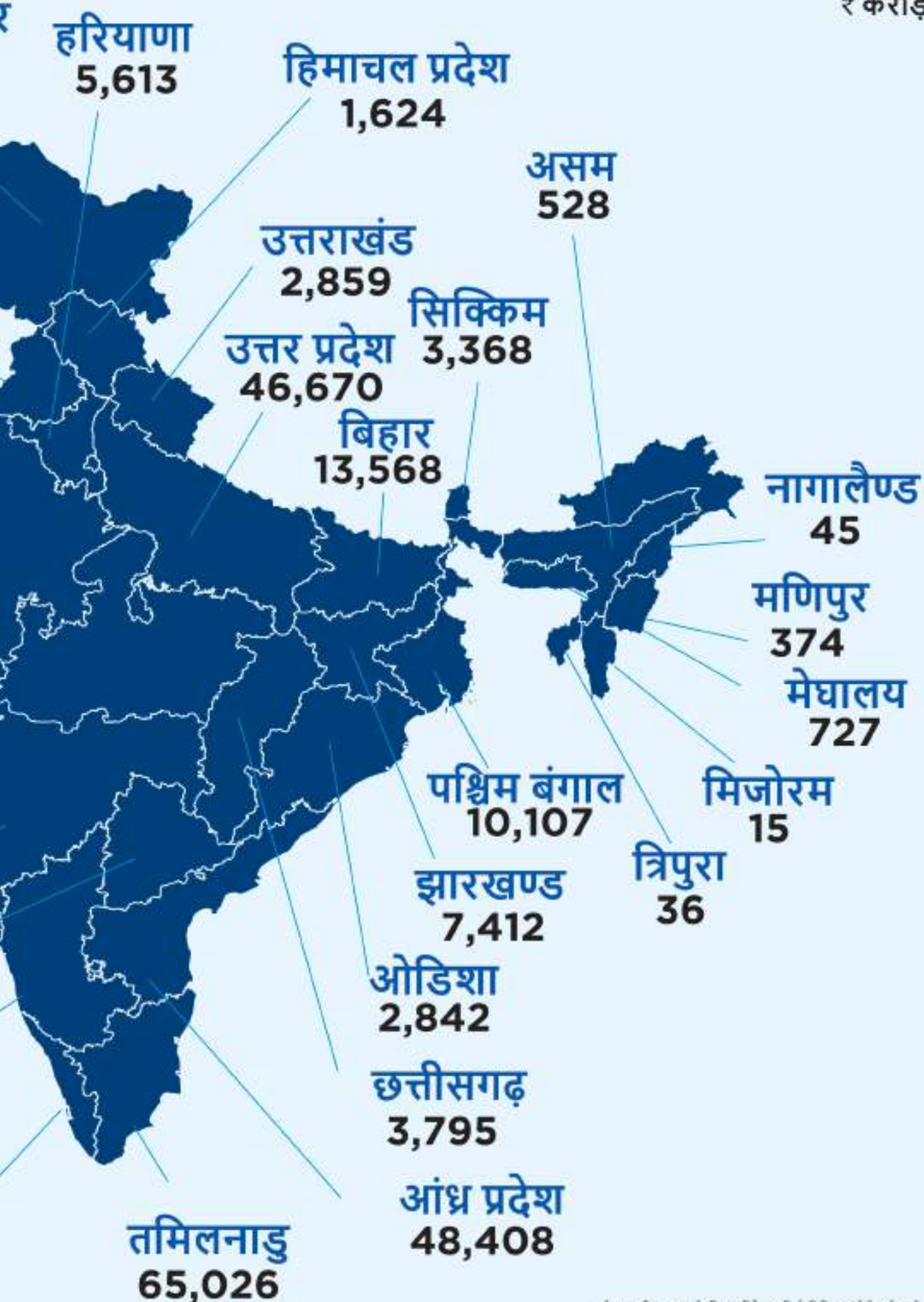
महाराष्ट्र
56,267

तेलंगाना
73,782

कर्नाटक
23,972

केरल
7,404

₹ करोड़ में



नोट: मानचित्र मान्यता के लिए नहीं है, यह सिर्फ चित्रित करने के उद्देश्य के लिए है

उच्चतम घरेलू रेटिंग स्थिर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग



दीर्घावधि उधार के लिए क्रेडिट रेटिंग

दीर्घावधि की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग

MOODY'S

बीएए3 (स्थिर)-मुख्य विन्दु

- ✓ आरईसी लिमिटेड (आरईसी) भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कंपनी बनी हुई है और केंद्र सरकार की नीतिगत पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ✓ आरईसी प्राथमिक विद्युतीकरण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पूरे देश में परीक्षण, वितरण और उत्पादन सुविधाओं को शामिल करते हुए घरेलू विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं के सभी खंडों का वित्तपोषण करती है।

FitchRatings

बीबीबी- (स्थिर) -मुख्य विन्दु

- ✓ आरईसी भारत के विद्युत क्षेत्र को सहयोग करने में अपनी रणनीतिक भूमिका के कारण सरकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण इकाई बनी हुई है। इसलिए, फिच का मानना है कि आवश्यकता पड़ने पर आरईसी को असाधारण सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के पास मजबूत प्रोत्साहन है।

JCR

JAPAN CREDIT RATING AGENCY, LTD.

बीबीबी+ (स्थिर) -मुख्य विन्दु

- ✓ आरईसी भारत सरकार के विद्युत क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेटिंग देश की साख को दृढ़ता से दर्शाती है और भारत गणराज्य की दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग (एफसी: बीबीबी+/स्थिर और एलसी: बीबीबी+/स्थिर) के अनुरूप है। यह आरईसी की मजबूत पूंजी और परिचालन प्रदर्शन पर आधारित है, एक संस्थान के रूप में इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है जो पूरे भारत में विद्युत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय रूप से सहयोग प्रदान करती है, भारत सरकार के साथ इसका मजबूत एकीकरण है क्योंकि भारत में विद्युत संबंधी नीतिगत पहल के लिए इसे नोडल एजेंसी के रूप में सहयोग मिलता है।

दीर्घावधि की घरेलू रेटिंग

CRISIL
An IIFL Group Company

"एएए"



"एएए"

CRISIL Ratings
Financial Group

"एएए"

India Ratings & Research
Credit Rating Agency

"एएए"

परपेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेंट्स को भी केयर रेटिंग्स और क्रिसिल द्वारा "एएए" रेटिंग प्रदान की गई है।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

व्यवसाय

- एसोचैम द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के लिए 6 वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 'इश्यूअर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- राजभाषा के क्रियान्वयन में सभी विद्युत पीएसयूज के बीच प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- अपनी सीएसआर पहलों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महात्मा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया।
- 1 सितंबर, 2023 से प्रतिष्ठित मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में स्थान हासिल किया।
- 'बेस्ट सेंट्रल पीएसयू' - फाइनेंशियल सर्विसेज श्रेणी के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट अवार्ड-2023 से सम्मानित किया गया।
- जोखिम प्रबंधन श्रेणी में निदेशक संस्थान (आईओडी) द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स से सम्मानित किया गया।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस श्रेणी में 13वें पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- उच्चतम एकल मूल्य बोली खरीद में जीईएम द्वारा गोल्डेन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ईएसजी

- भारत के माननीय उपराष्ट्रपति से विशेष संस्थागत श्रेणी (डिजिटलीकरण) में प्रतिष्ठित स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- सतत वित्त (सस्टेनेबल फाइनेंस) के लिए एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉण्ड - कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- आईआईटी मद्रास सीएसआर शिखर सम्मेलन: 'बिल्डिंग इंडिया 2047: टेक्नॉलॉजी फॉर बेटर टुमॉरो' में इनोवेटिव टेक्नॉलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड प्रदान किया गया।



कंपनी का परिचय



श्री विवेक कुमार देवांगन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री विजय कुमार सिंह

निदेशक (परियोजना)

श्री हर्ष बवेजा

निदेशक (वित्त) और
मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री शशांक मिश्रा

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री मनोज शर्मा

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से
नामित निदेशक

डॉ. गंभीर सिंह

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. मनोज मनोहर पांडे

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दुर्गेश नंदिनी

स्वतंत्र निदेशक

श्री नारायणन तिरुपति

स्वतंत्र निदेशक



श्री वीरेंद्र कुमार अधाना



श्री जे.एस. अमिताभ

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L40101DL1969GOI005095



कोर-4,
स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003, भारत।
दूरभाष: + 91-11-4309 1500/1501



आरईसी वैश्विक मुख्यालय,
प्लॉट नंबर आई-4,
सेक्टर 29, गुरुग्राम,
हरियाणा-122001, भारत।
टेलीफोन: +91-124-444 1300



कॉर्पोरेट वेबसाइट और ईमेल : www.recindia.nic.in | contactus@recindia.com

सूचीबद्ध इकिटी शेयर

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
ऑफ इंडिया लिमिटेड
- बीएसई लिमिटेड

डिपॉजिटरी

- नेशनल सिक्योरिटीज
डिपॉजिटरी लिमिटेड
- सेंट्रल डिपॉजिटरी
सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

संविधिक लेखा परीक्षक

- मेसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
- मेसर्स एस सी वी एंड कंपनी एलएलपी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सचिवीय लेखा परीक्षक

- मेसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

बैंकर

- एक्सिस बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- यस बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- एचएसबीसी बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- इंडसइंड बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक

मिशन और विजन

- त्वरित विकास के लिए तथा ग्रामीण और शहरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता के संवर्धन के लिए विद्युत उपलब्धता को सुगम बनाना।



- देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क को कवर करने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण और संवर्धन के लिए एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-अनुकूल और विकास-उन्मुख संगठन के रूप में कार्य करना।



कॉर्पोरेट उद्देश्य

आरईसी में, हमारे कॉर्पोरेट उद्देश्य व्यापक रूप से हमारे राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

उन्नत वित्तीय समाधानों और सुव्यवस्थित परिचालन के साथ, हम हर भारतीय की आकांक्षाओं का समर्थन करने वाले मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए अपने राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विश्वसनीय वातावरण

आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत संस्थाओं/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

6

सुव्यवस्थित संचालन

प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं भरोसे के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

5



1

एकीकृत दृष्टिकोण

समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर जोर के साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं का प्रोत्साहन एवं इनका वित्तपोषण तथा भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्रियान्वयन।

2

अन्य संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण

दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन-जातीय, तटवर्ती और अन्य असुगम/सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण जैसे अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।

3

विद्युत क्षेत्र की संवृद्धि को गति देना

घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत संस्थाओं, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।

4

उन्नत राजकोपीय समाधान

निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात् (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; (ii) बिजली के लोड का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

निदेशक मंडल



श्री विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)



श्री हर्प बवेजा
निदेशक (वित्त) और
मुख्य वित्तीय अधिकारी



श्री यशशंक मिश्रा
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री मनोज शर्मा
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
लिमिटेड से नामित निदेशक



डॉ. गंभीर सिंह
स्वातंत्र निदेशक



डॉ. मनोज मनोहर पांडे
स्वातंत्र निदेशक



डॉ. दुर्गेश नंदिनी
स्वातंत्र निदेशक



श्री नारायणन तिरुपति
स्वातंत्र निदेशक

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय



श्री विवेक कुमार देवांगन

(टीआईएन: 01377212)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री विवेक कुमार देवांगन 17 मई 2022 से आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। आप मणिपुर केहर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आपने एनआईटी, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई और आईआईटी, दिल्ली से ऑटोमोबाइल इंजिनियरिंग और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में पीजी की डिग्री प्राप्त की है। आरईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे।

आईएएस के रूप में अपने उत्कृष्ट सेवाकाल के दौरान आपने वित्त और ऊर्जा, पेट्रोलिएम और प्राकृतिक गैस, चुनाव, विधि और न्याय, वाणिज्य और उद्योग, मंत्री कार्यालय (कॉर्पोरेट मामले), कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, रेशम उत्पादन, कृषि और सहकारिता, आर्थिक मामले, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जिला प्रशासन (छत्तीसगढ़ में सरगुजा और रायपुर जिले और मणिपुर में सेनापति जिले), तथा राजस्व प्रशासन के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। सीएमटी के रूप में, आप आरईसी को अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति संबंधी दृष्टि एवं समग्र मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

आप आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीटीसीएल) के पदेन अध्यक्ष भी हैं।

श्री विवेक कुमार देवांगन के पास आरईसी के शून्य इकिटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कर्मिक से आपका कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



श्री विजय कुमार सिंह

(टीआईएन: 02772733)

निदेशक (परियोजना)

श्री विजय कुमार सिंह 15 जुलाई, 2022 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजना) हैं। पदोन्नति से पूर्व आप कंपनी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। आपने आईआईटी, रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और आपको भारत के विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। आपने 29 मार्च 2007 को आरईसी में कार्यभार ग्रहण किया, इससे पहले आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड में कार्य किया था।

निदेशक (परियोजना) के रूप में, आपके पास आरईसी के सभी तकनीकी कार्यों, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं, विद्युत क्षेत्र की मूल्य भुंखला यानी उपकरण निर्माण, कोयला ब्लॉक का वित्तपोषण आदि परियोजनाएं तथा इकाई मूल्यांकन और बुनियादी अवसंरचना जैसे कि बंदरगाह, हवाई अड्डे, मेट्रो, अस्पताल, रिफाइनरी आदि से संबंधित वित्तपोषण गतिविधियां जिसमें संस्वीकृति, संवितरण एवं परियोजना निगरानी, व्यवस्थापन विकास, स्ट्रेट एसेट्स का प्रबंधन, विविधीकरण एवं कंपनी के समग्र काम-काज का दायित्व है। साथ ही आप कंपनी के क्रय संबंधी कार्यों, विधिक विषयों, आईटी प्रणाली एवं आरईसीआईपीएमटी के माध्यम से कौशल तथा क्षमता निर्माण के कार्यों के परिचालन जैसे प्रमुख क्षेत्रों का दायित्व भी देखते हैं।

आपके पास पारेषण परियोजनाओं के विकास एवं प्रबंधन, टीबीसीबी प्रक्रियाओं, वस्तु एवं सेवाओं की खरीद, ईएचसी उप-केन्द्रों एवं पारेषण लाइनों के निर्माण, बॉन्ड्स जारी करने से संबंधित कार्य, वाणिज्यिक दरतावेजों तथा ईसीबी आदि क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव है।

आप आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीटीसीएल) के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं।

श्री विजय कुमार सिंह के पास कंपनी के शून्य इकिटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक से आपका कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



श्री हर्ष बवेजा
(टीआईएन: 09769272)
निदेशक (वित्त) और
मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री हर्ष बवेजा 14 मई, 2024 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं। एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ-साथ श्री बवेजा के पास कई संस्थानों में वित्तीय कार्यों के प्रबंधन के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं और आईसीएआई से इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट में डिप्लोमाधारक हैं। आपकी अर्हताएँ जटिल वित्तीय स्थितिओं का समाधान करने में आपके बेहतर टैक रिकॉर्ड को दर्शाती हैं।

तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, आरईसी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आपने सरकारी एवं और निजी दोनों क्षेत्रों के वित्तपोषण कार्यों का नेतृत्व करके अपनी निपुणता दिखाई है तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों एवं वित्तीय विभागों के प्रबंधन में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का समाधान करते हुए संगठन के कार्यों के प्रबंधन का दायित्व निभाया है और वित्तपोषण के क्षेत्र में अपनी व्यापक समझ दर्शाई है।

संगठनात्मक और वित्तीय नियोजन, वित्तीय नीतियों का निर्माण, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, उधार संचालन, नकद और निधि प्रबंधन, कर योजना, वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग, वित्तीय संसाधनों का संग्रह एवं अनुकूलन, वित्तीय संस्थानों एवं पूंजी बाजार की संस्थाओं के साथ सामंजस्य तथा सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ समन्वय आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।

प्रमुख स्थानों पर आरईसी के व्यवसाय की देख-रेख के व्यापक अनुभव के साथ, श्री हर्ष बवेजा को ऊर्जा क्षेत्र की अंतरिक जटिल वित्तीय स्थितिओं की गहरी समझ है। निदेशक (वित्त) के रूप में, श्री हर्ष बवेजा आरईसी की वित्तीय रणनीतियों का नेतृत्व कर रहे हैं, निरंतर रूप से कंपनी की वित्तीय सुगमता को सुनिश्चित कर रहे हैं तथा सतत विकास की दिशा में की जा रही पहलों के प्रबंधन का दायित्व संभाल रहे हैं।

आप आरईसी पावर टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीटीसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी हैं, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

श्री हर्ष बवेजा के पास कंपनी में प्रत्येक ₹ 10/- के 6,745 इक्विटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



श्री शशांक मिश्रा
(टीआईएन: 08364288)
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री शशांक मिश्रा 21 अगस्त 2023 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक हैं। आप एक आई.ए.एस. अधिकारी (मध्य प्रदेश: 2007) हैं और आपने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में आप भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में कार्य किया है।

आपने मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है, जिसमें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्य करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं।

श्री शशांक मिश्रा के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक जैसा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई परस्परिक संबंध नहीं है।



श्री मनोज शर्मा
(डीआईएन: 06822395)
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
से नामित निदेशक

श्री मनोज शर्मा को आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में 11 जुलाई, 2023 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप विधि की उपाधि (एलएलबी) धारित करने के साथ एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और वर्तमान में पीएफसी में निदेशक (वाणिज्यिक) के पद पर कार्यरत हैं।

आपको विद्युत क्षेत्र में 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है। पीएफसी में, उन्होंने कई क्षेत्रों एवं डोमेन के दायित्व का निर्वहन किया है जैसे कि संस्थागत मूल्यांकन एवं विकास, इकाई मूल्यांकन, विधि एवं प्रलेखन, कसौती, बजट, लेखा परीक्षा, वित्तीय विवरणों लेखा एवं परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करना वित्तीय विश्लेषण, संसाधन संग्रह, ऋण सिंक्रिशन एवं विद्युत क्षेत्र में वित्तीय/वाणिज्यिक विषयों से संबंधित परामर्शी कार्य के दायित्व का निर्वहन किया है। पिछले 3 दशकों के दौरान, आप पीएफसी की ऋण आस्थियों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम से जुड़े रहे हैं, जिसमें ऋण नीतियों का निर्माण, वित्तीय विश्लेषण के लिए एक संरचित प्रारूप के साथ मूल्यांकन का मार्गदर्शन करने हेतु नीतिगत ढांचा तैयार करना, लागू नियामक एवं वैधानिक ढांचे का अनुपालन, निगरानी की स्थिति, संवितरण को सुविधाजनक बनाने का कार्य तथा स्ट्रेट स्टार्टों का समाधान तंत्र शामिल है। आप पीएफसी की सहायक कंपनी पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, जो स्ट्रेट खरीदों/संपत्तियों के समाधान के लिए पीएफसी द्वारा ऋणदाताओं द्वारा समर्थित समाधान योजना प्रस्तुत करने वाली एस्पपीवी है।

श्री मनोज शर्मा के पास कंपनी के शून्य इकिटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



डॉ. गंभीर सिंह
(डीआईएन 02003319)
स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर डॉ. गंभीर सिंह को दिनांक 15 नवंबर, 2021 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल (मध्य प्रदेश) से मेडिकल ग्रेजुएट (एमबीबीएस) और जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से पोस्ट ग्रेजुएट (मास्टर ऑफ सर्जरी) हैं। आप एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ वेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आजीवन सदस्य हैं।

वर्तमान में, आप रायपुर आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ के संकायप्रमुख (डीन) हैं। आपके पास 24 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव है और आपने जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर और पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर में सेवा प्रदान की है। आप वर्ष 2008 से रायपुर में 50 बेड वाले मांटी स्पेशलिटी अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। यह अस्पताल चिकित्सा विशेषज्ञता के उच्चतम मानकों पर कार्य कर रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को समर्पित है।

आप स्तन कैंसर के विषय में जगुरुक्ता के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों में खासकर गोरिला, पेंडु मारवाही (जीपीएम) जिलों में जरूरतमंद और आदिवासी लोगों के लिए 500 से अधिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर चुके हैं। आप नियमित रूप से जीपीएम जिलों के ग्रामीणों को औषधीय पेड़ लगाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं।

आपने विभिन्न इंडेक्स जर्नल में अपने 10 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र भी प्रकाशित किए हैं तथा आप स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परीक्षक भी रहे हैं।

डॉ. गंभीर सिंह के पास कंपनी के 'शून्य' इकिटी शेयर हैं। इसके अलावा, आपका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



डॉ. मनोज मनोहर पांडे
(डीआईएन 09388430)
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. मनोज मनोहर पांडे को दिनांक 15 नवंबर, 2021 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप वर्तमान में यवतमाल महाराष्ट्र में एक पारिवारिक चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। अमरावती विश्वविद्यालय से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद डॉ. पांडे ने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राकृतिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

आप महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में उपेक्षित और खानाबदोश समुदाय और दूग्धवासीयों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। आपने आत्महत्या से प्रभावित किसान परिवारों के पुनर्वास में मदद की है, और वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी रहे हैं। आप पिछले 16 वर्षों से समाज को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत दो गैर-सरकारी संगठनों के संभालन में भी शामिल हैं।

आप आपसु काढ़ा के उत्पादन और वितरण की शुरुआत के कार्य में अग्रणी रहे, जो कोविड-19 वारिधय के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली औषधि है, जिन्होंने महामारी के प्रकोप को रोकने में मदद की थी। आप नवीन कृषि तकनीकों का उपयोग करने वाले एक जैविक कृषक और कृषिविद भी हैं जिनसे मुदा उर्वरता और कम लागत वाली कृषि पद्धतियों का विकास हुआ है। आप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण सिद्धांतों पर राष्ट्रीय दिश-निर्देशों के क्षेत्र में अग्रिम शोध कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

डॉ. मनोज मनोहर पांडे के पास कंपनी के शून्य इकिटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से आपका कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



डॉ. दुर्गेश नंदिनी
(डीआईएन 09398540)
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दुर्गेश नंदिनी को 30 दिसंबर 2021 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से शिक्षा में स्नातकोत्तर और डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है।

पूर्व में आपने एक प्रतिष्ठित गर्ल्स इंटर-कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम किया था और हरियाणा सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों और प्रशिक्षण मॉड्यूल के संपादन में सहयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको राष्ट्रीय स्तर के एक स्वयंसेवी संगठन "जगृति" के साथ प्रमुख सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

आप स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बात विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय योगदान दे रही हैं। वर्तमान में, आप महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक परियोजना पर काम कर रही हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दों के लिए अपराजिता फाउंडेशन के साथ सहयोग कर रही हैं।

डॉ. दुर्गेश नंदिनी के पास कम्पनी के शून्य इकिटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ उनका कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।



श्री नारायणन तिरुपति
(डीआईएन 10063245)
स्वतंत्र निदेशक

श्री नारायणन तिरुपति को 6 मार्च 2023 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और आप तमिलनाडु के एक लोकप्रिय टेलीविजन डिबेटर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप 36 वर्षों से अधिक समय से गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

श्री नारायणन तिरुपति एक सामाजिक मंच "थीरवु" के संस्थापक हैं, जिसका अर्थ है न्याय, जिसके माध्यम से आपने देश की सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा की है और तमिलनाडु के लोगों के बीच सुशासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है। आपको शांति, सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के निर्माण में अपने असीम योगदान के लिए जाना जाता है।

श्री नारायणन तिरुपति के पास कंपनी के शून्य इकिटी शेयर हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से आपका कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी

27 जुलाई, 2024 के अनुसार



श्री वीरेंद्र कुमार अधाना
मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री टी.एस.सी. बोष
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)
एवं सीईओ-आरईसीपीडीसीएल



श्री जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक (वित्त) एवं
कंपनी सचिव



श्री संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री आर.पी. वैष्णव
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री राहुल द्विवेदी
कार्यपालक निदेशक
(पीएमटी/आईटी/आई एंड एल)



सुश्री मालती सुंदरराजन
कार्यपालक निदेशक
(वित्त) एवं सी.आर.ओ



सुश्री वल्ली नटराजन
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



श्री दलजीत सिंह खत्री
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री राजेश कुमार
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री एन. वेंकटेशन
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



श्री अरुण कुमार त्यागी
कार्यपालक निदेशक
(वित्त) एवं एच.आर



श्री कुलदीप राय
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



सुश्री तरुणा गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
(सीएसआर)



श्री सौरभ रस्तोगी
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



श्री धर्मेन्द्र नागपाल
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)



श्री अजय माधुर
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



श्री प्रभात कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)

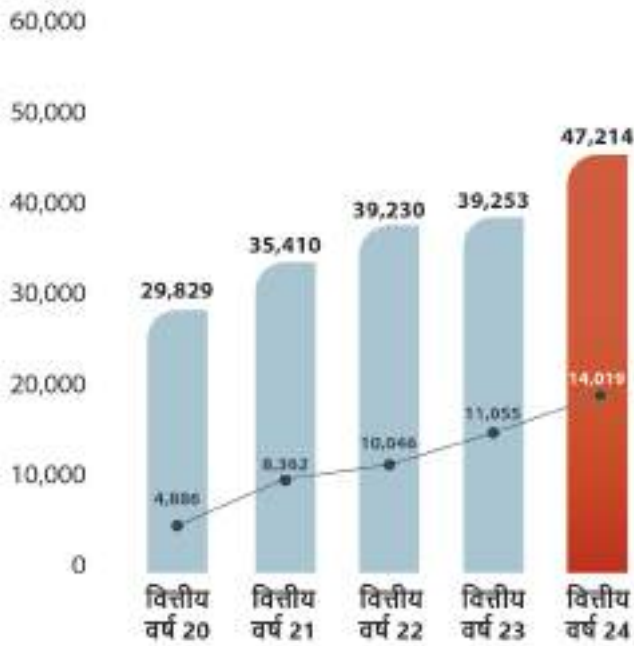


श्री जे.के. नायक
कार्यपालक निदेशक
(वित्त)



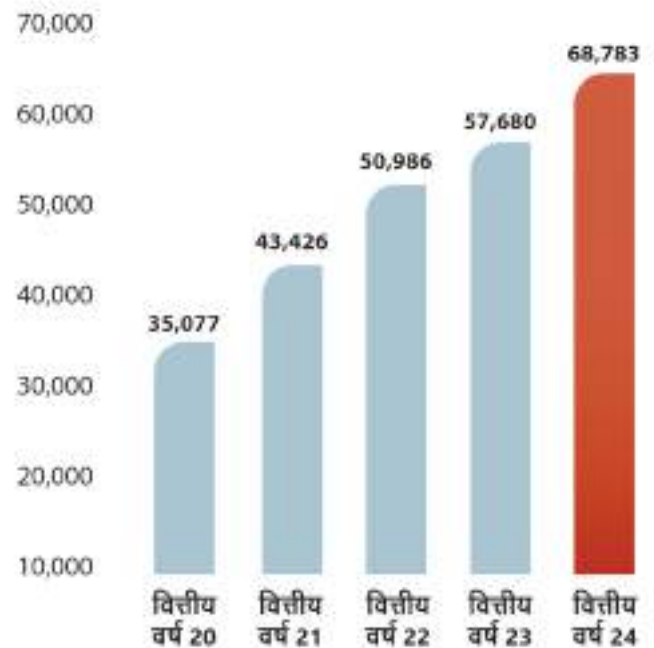
श्री एस.सी. गर्ग
कार्यपालक निदेशक
(तकनीकी)

पांच वर्षों में प्रदर्शन

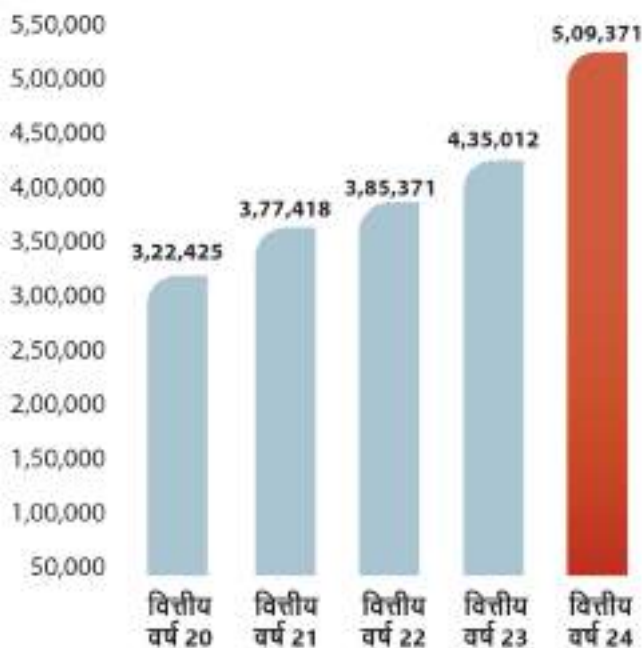


कुल आय एवं कर
के पश्चात लाभ
(₹ करोड़ में)

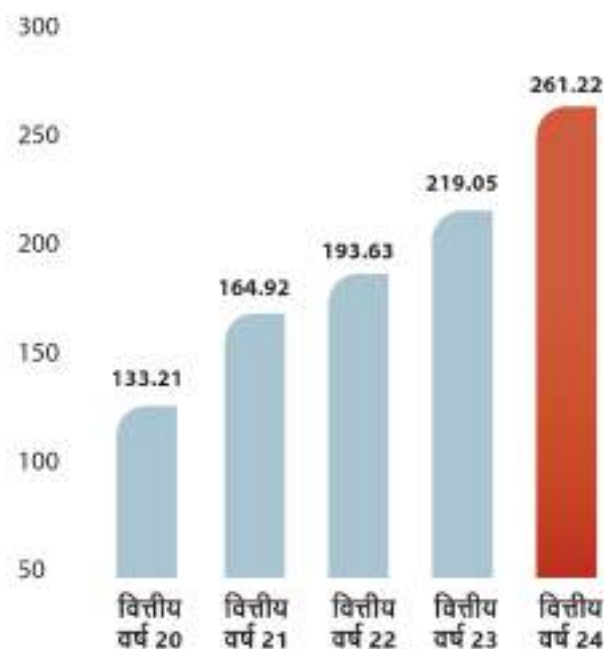
निवल मूल्य
(₹ करोड़ में)



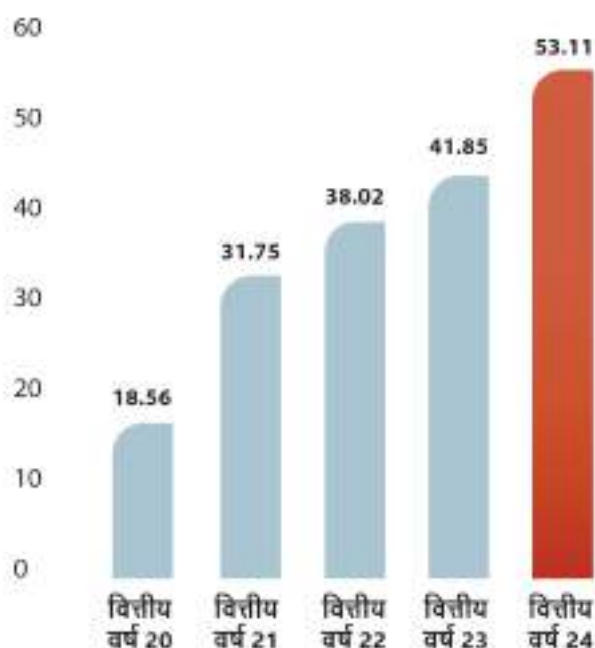
ऋण बही
(₹ करोड़ में)



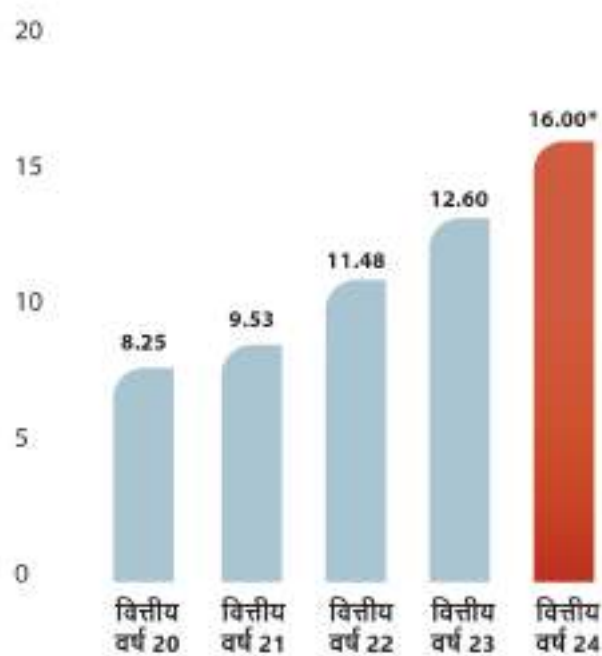
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)



प्रति शेयर कमाई (₹)



प्रति शेयर लाभांश (₹)



इसमें शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन प्रति शेयर ₹5 का अंतिम लाभांश शामिल है।

टिप्पणी: उपर्युक्त तालिका में पिछले वर्षों के कुल वेल्थ, ईपीएस और लाभांश के अंकड़े वित्तीय वर्ष 2022-23 से 1:3 के अनुपात में बेयस शेयर जारी होने के कारण समायोजित किए गए हैं।

पाँच-वर्षों में प्रदर्शन

(करोड़ ₹ में)

विवरण (इंड-एस के अनुसार)	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
शेयरधारकों की निधि (वर्ष के अंत में)					
इक्विटी शेयर कैपिटल	2,633.22	2,633.22	1,974.92	1,974.92	1,974.92
पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के इन्स्ट्रुमेंट्स	558.40	558.40	558.40	558.40	-
अन्य इक्विटी/आरक्षित एवं अधिशेष	65,591.53	54,448.05	48,452.28	40,893.05	33,101.64
निवल मूल्य	68,783.15	57,679.67	50,985.60	43,426.37	35,076.56
उधारियां (वर्ष के अंत में)					
भारत सरकार/एनएसएसएफ से	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
बॉण्ड/डिबेंचर	2,25,589.17	1,98,115.65	1,83,291.97	2,04,119.67	1,88,538.25
वित्तीय संस्थानों से	8,050.00	6,000.00	6,800.00	5,800.00	1,000.00
विदेशी मुद्रा उधार	1,00,169.39	78,440.04	65,957.45	47,486.43	44,378.49
बैंकों से आवधिक ऋण	50,612.28	56,298.20	42,878.32	29,938.58	18,899.78
वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	2,925.00
अल्पावधि/मांग ऋण/अन्य	43,522.75	25,762.53	17,916.55	25,166.32	14,374.33
कुल	4,37,943.59	3,74,616.42	3,26,844.29	3,22,511.00	2,80,115.85
निधियों का संग्रह (वर्ष के दौरान)	1,46,747.00	86,984.00	73,962.93	99,244.53	84,358.12
वित्तपोषण परिचालन (वर्ष के दौरान)					
अनुमोदित परियोजनाएं (संख्या में)	782	562	370	441	727
संस्वीकृत वित्तीय सहायता	3,58,816.34	2,68,460.54	54,421.76	1,54,820.87	1,10,907.99
संवितरण*	1,61,462.28	97,911.86	69,467.87	97,928.11	82,140.83
उधारकर्ताओं द्वारा मूलधन की चुकौती	86,414.33	46,294.55	56,197.10	37,994.03	34,454.15
वर्ष के अंत में बकाया	5,09,370.95	4,35,011.79	3,85,371.26	3,77,418.15	3,22,424.68
कार्यकारी परिणाम (वर्ष के दौरान)					
कुल आय	47,214.15	39,252.73	39,230.45	35,410.44	29,829.13
शुद्ध विनिमय हानि, शुल्क और कमीशन व्यय सहित वित्त लागत	30,140.10	24,867.99	22,868.69	21,829.29	21,380.39
वित्तीय लिखतों पर प्रावधान और आकस्मिकताएं/इंपेयरमेंट	-1,358.39	114.91	3,473.31	2,419.62	889.56
उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि	-	-	-	-	-
अन्य खर्च	628.08	506.97	445.59	395.87	565.89
अवमूल्यन	23.72	24.09	17.96	9.53	10.00
कर से पहले लाभ	17,780.64	13,738.77	12,424.90	10,756.13	6,983.29
कराधान/कर व्यय के लिए प्रावधान	3,761.43	2,684.13	2,378.98	2,394.35	2,097.13
कर के पश्चात लाभ	14,019.21	11,054.64	10,045.92	8,361.78	4,886.16
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	1,044.27	(971.04)	(59.07)	456.52	(549.79)
कुल व्यापक आय	15,063.48	10,083.60	9,986.85	8,818.30	4,336.37
इक्विटी पर लाभांश	4,213.16	3,317.86	3,021.62	2,510.12	2,172.41

*इसमें विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी के साथ-साथ ऋणों का संवितरण भी शामिल है

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय हितधारकों,

आपकी कंपनी की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सम्मान का विषय है, इस रिपोर्ट में कंपनी की उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों के एक और वर्ष के बारे में प्रकाश डाला गया है। निदेशक मण्डल और आरईसी लिमिटेड की पूरी टीम की ओर से, आपकी कंपनी की 55 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका निरंतर सहयोग एवं विश्वास हमें प्रेरित करता है और इससे आरईसी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की हमारी प्रतिबद्धता को बल मिलता है। आपकी कंपनी विद्युत, अधोसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रगति में उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹3,58,816 करोड़ की अब तक की सर्वाधिक संस्वीकृति और ₹1,61,462 करोड़ के अब तक के सर्वाधिक संवितरण के साथ रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त, सभी चार प्रमुख रेटिंग एजेंसियों यानी क्रिसिल, इकरा, केयर, और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च से अपने डेब्ट इंस्ट्रुमेंट्स के लिए हमारी कंपनी की "एएए (AAA)" की उच्चतम घरेलू रेटिंग बरकरार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आरईसी को मूडीज से "बीएए 3", फिच से "बीबीबी-" और जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से "बीबीबी +" के साथ भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य रेटिंग प्राप्त है। ये मजबूत बुनियादी बातें, भविष्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण के साथ मिलकर आने वाले भविष्य के लिए हमें पूरी तरह से तैयार करती हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त विद्युत प्रदान करने की दिशा में रूफटॉप सोलर लगाने के लिए ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को संस्वीकृति प्रदान की है। हमें इस योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किए जाने का गौरव प्राप्त हुआ है।

ऊर्जा क्षेत्र में, हम एक अभूतपूर्व क्रांति का अनुभव कर रहे हैं। विद्युत की मांग बढ़ रही है, जो आर्थिक गतिविधियों के पुनरुत्थान और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हुए विद्युतीकरण से प्रेरित है। हरित ऊर्जा की ओर एक स्पष्ट बदलाव दिख रहा है और सरकार आधुनिकीकरण, दक्षता में सुधार तथा इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू कर रही है। इन पहलों के केंद्र में उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने तथा पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि निहित है।

सरकार ने पिछले नौ वर्षों में 1,94,394 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत क्षेत्र को विद्युत की कमी से विद्युत की अधिकता में बदल दिया है। भारत के पास ऊर्जा क्रांति के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित विद्युत क्षमता है। आरईसी विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में महत्वपूर्ण कार्यनीतिक भूमिका निभाती रही है। विगत समय में, आरईसी ने प्रत्येक इच्छुक परिवार को शामिल करते हुए विद्युत की सर्वत्र पहुंच के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए ब्याज सहायता स्कीम के रूप में राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) स्कीम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया है। इन पहलों ने अंतिम छोर पर वितरण प्रणाली को मजबूत किया है तथा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया है, और देश भर में घरेलू विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान की है। आरईसी को संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है।

आरईसी संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के रूप में उभरी है और यह कोयला ब्लॉकों में पक्का (बैकवर्ड) एवं और अग्र (फॉरवर्ड) लिंकेज सहित उत्पादन (थर्मल, हाइड्रो, नवीकरणीय), पारेषण और वितरण, एफजीडी स्थापना, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आदि जैसे उत्सर्जन दक्षता में सुधार के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों सहित विभिन्न विद्युत



परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करती है। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद सरकार ने आरईसी को लॉजिस्टिक्स और गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्रों को ऋण देने की अनुमति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आरईसी ने इस्पात, रिफाइनरी जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सड़क और राजमार्ग, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्यों सहित गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्रों के लिए ₹40,569 करोड़ संस्वीकृत किए हैं।

आर्थिक अवलोकन

समीक्षावधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से लचीली बनी हुई है तथा संवृद्धि में स्थिरता बरकरार है क्योंकि मुद्रास्फीति लक्ष्य पर आ गई है। हाल के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय विकास हुआ है, आईएमएफ के अनुसार इसने लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को स्थापित किया है, जो व्यापक व्यवसाय सुधारों, तकनीकी प्रगति और उद्यमशीलता के परिदृश्य से प्रेरित है। सरकार द्वारा की गई विविध पहलें व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने और व्यवसाय के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक रही है। सुधारों को लागू करने की दिशा में सरकार के सक्रिय रुख ने व्यवसाय के माहौल में सुधार करने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है, इस प्रकार एक अग्रणी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति पहले से मजबूत हुई है।

महामारी के बाद के रिकवरी चरण में, विद्युत क्षेत्र में तेजी आई है, बढ़ती मांग और ऊर्जा क्रांति पर ध्यान से दिए जाने से सहायता प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल विद्युत उत्पादन 1,738 बीयू तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान स्थापित विद्युत क्षमता में लगभग 26 गीगावॉट की वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल स्थापित क्षमता 442 गीगावॉट हो गई। व्यस्त समय में विद्युत की मांग 240 गीगावॉट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष में 215.9 गीगावॉट थी।

2023 में जी20 प्रेसीडेंसी का नेतृत्व करते हुए भारत ने सतत विकास को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं का समर्थन किया तथा "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की शिखर घोषणा के प्रति अपने समर्पण को रेखांकित किया।

अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) 2023 की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार, भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर चौथे, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। वर्ष 2030 तक 500 जीडब्ल्यू गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के साथ, भारत दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में महत्वाकांक्षी कदम उठा रहा है। इसके अनुरूप, कंपनी सक्रिय रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नए-नए अवसरों की तलाश कर रही है और इसके परिणामस्वरूप, आरईसी की नवीकरणीय ऊर्जा संस्वीकृतियां 2023-24 में बढ़कर ₹1,36,516 करोड़ हो गई हैं, जो 2022-23 में ₹21,371 करोड़ थीं अर्थात् इसमें लगभग 539% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ~26 जीडब्ल्यू क्षमता वृद्धि का लगभग 70% नवीकरणीय स्रोतों से हुआ, जिसमें सौर ऊर्जा से लगभग 15 जीडब्ल्यू और पवन ऊर्जा से ~3.3 जीडब्ल्यू शामिल है। 31 मार्च, 2024 तक, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता ~442 जीडब्ल्यू (थर्मल: ~243 जीडब्ल्यू, परमाणु: ~8 जीडब्ल्यू, और नवीकरणीय: ~191 जीडब्ल्यू) है। अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में ~43% (~11% वृहद जल विद्युत सहित) का योगदान देती है। पिछले तीन वर्षों में, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता (वृहद जल विद्युत सहित) में औसतन 16-17 गीगावॉट सालाना वृद्धि हुई है।

2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा अपनी अधोसंरचना के सुधार पर केन्द्रित है, जो आर्थिक विकास को गति देने वाले जलवायु-अनुकूल तथा रहने योग्य समावेशी शहरों को बढ़ावा देने के लिए एक आधारशिला है। परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 में अधोसंरचना के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% के आवंटन के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

सड़कों और राजमार्गों का हिस्सा सर्वाधिक है, इसके बाद रेलवे और शहरी सार्वजनिक परिवहन का स्थान आता है। सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें वर्ष 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास और हवाई अड्डों की संख्या का 220 तक विस्तार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं में वर्ष 2030 तक 23 जलमार्गों का संचालन और 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करना शामिल है। अधोसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के लिये कुल बजटीय परिव्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग ₹3.7 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹5 लाख करोड़ हो गया, जिससे परिवहन के विभिन्न उप-क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लिए निवेश के अवसर पैदा हुए हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ने विभिन्न अधोसंरचना क्षेत्रों, विशेष रूप से पूरे भारत में हवाई अड्डों, बंदरगाहों, राजमार्गों और लॉजिस्टिक पार्कों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिये एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य किया है, विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार और राज्यों से सहयोग के अलावा, भारत को वर्ष 2025 तक \$ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीपीपी से महत्वपूर्ण सहयोग मिलने की अपेक्षा है।

सरकार के पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) का उद्देश्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत भारतमाला, सागरमाला, यूडीएन जैसी अनेक बुनियादी ढांचा योजनाओं को एक साथ लाना है। इंडिया इन्वेस्टमेंट प्रिड (आईआईजी) डेटाबेस के अनुसार, वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में 2,388.93 बिलियन डॉलर की 15,580 परियोजनाएं हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

31 मार्च, 2024 के अनुसार, देश की स्थापित उत्पादन क्षमता 442 जीडब्ल्यू के उल्लेखनीय स्तर पर है, जिसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार की योजना निहित है। इससे पारेषण और वितरण (टी एंड डी) क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि

का अवसर मिल रहा है। सरकार ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है।

वितरण क्षेत्र को सहायता देने के लिए सरकार के नीतिगत ढांचे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), तरलता निषेचन स्कीम (एलआईएस) और विलंबित भुगतान अधिभार नियम (एलपीएस) जैसी पहलें शामिल हैं। इन पहलों से महत्वपूर्ण अवसरचना का विकास हुआ है और वितरण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष के अंतर को कम करने में सहायता मिली है।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संशोधन नियमों, उपभोक्ता अधिकार नियमों और सब्सिडी मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से कई बड़े सुधार किए हैं, जिन्हें वितरण क्षेत्र में दक्षता संबंधी सुधार करने और उपभोक्ताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है।

कंपनी विभिन्न श्रेणियों की टी एंड डी परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है, जो प्रणाली सुधार एवं वृद्धि, हानि में कमी के उपायों, आईटी-आधारित प्रणाली कार्यान्वयन और उपभोक्ता संतुष्टि पर केंद्रित है। इन प्रयासों के माध्यम से, आरईसी विद्युत क्षेत्र के विकास और स्थायित्व को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और देश की समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसी ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हमारे संस्वीकृत ऋणों में असाधारण वृद्धि हुई है, जो 2022-23 में ₹2,68,461 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹3,58,816 करोड़ हो गई, यह 34% की वृद्धि को दर्शाती है। यह वृद्धि पारंपरिक उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, टी एंड डी (पारेषण और वितरण), ई एंड एम (विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण), तथा एलआईएस (तरलता निषेचन योजना) सहित सभी क्षेत्रों में दिखी है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के मैडेट को विद्युत क्षेत्र से इतर अन्य गैर-विद्युत अधोसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के लिए विस्तारित किया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष के दौरान, हमने ऐसी परियोजनाओं के लिए ₹40,569 करोड़ संस्वीकृत किए हैं, जो हमारी समग्र स्वीकृतियों का 11 प्रतिशत है। मैं वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन के कुछ प्रमुख बिन्दुओं को प्रस्तुत करता हूँ:

- कुल आय ₹39,253 करोड़ की तुलना में ₹47,214 करोड़ हो गई है (^ 20% वर्ष दर वर्ष)।
- निवल ब्याज आय ₹13,714 करोड़ की तुलना में ₹16,167 करोड़ हो गई है (^ 18% वर्ष दर वर्ष)।
- निवल लाभ ₹11,055 करोड़ की तुलना में ₹14,019 करोड़ हो गया है (^ 27% वर्ष दर वर्ष)।
- लोन बुक ₹4.35 लाख करोड़ की तुलना में ₹5.09 लाख करोड़ हो गई है (^ 17% वर्ष दर वर्ष)।
- नेट क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के साथ परिसंपत्तियों की गुणवत्ता वर्ष दर वर्ष सुधर कर 1.01% की तुलना में 0.86% हो गई है।
- निवल मूल्य ₹57,680 करोड़ की तुलना में ₹68,783 करोड़ हो गई है (^ 19% वर्ष दर वर्ष)।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15% की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले 25.82% है (टियर-I: 23.32% एवं टियर-II: 2.50%)।
- परिपक्वता तक कुल विदेशी मुद्रा उधारों का 99% हेज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा उधार 31 मार्च, 2023 को बकाया उधार का के 25% की तुलना में 31 मार्च, 2024 को 29% है।
- पिछली 9 तिमाहियों के दौरान कोई नया एनपीए नहीं हुआ है।

- अब तक का सर्वाधिक वार्षिक संवितरण ₹96,846 करोड़ की तुलना में ₹1,61,462 करोड़ हो गया है (^67% वर्ष दर वर्ष)।
- अब तक की सर्वाधिक वार्षिक संस्वीकृति ₹2,68,461 करोड़ की तुलना में ₹3,58,816 करोड़ हो गई है (^34% वर्ष दर वर्ष)।

अनुमानों के अनुसार देश की स्थापित क्षमता वित्तीय वर्ष 2023-24 के 442 गीगावॉट से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 777 गीगावॉट हो जाएगी, आरईसी की कुल लोन बुक को वित्तीय वर्ष 2029-30 तक ₹5.09 लाख करोड़ के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।

नवाचार एवं दक्षता

आरईसी ने अपनी सेवाओं और दक्षता को बढ़ाने के लिए निरंतर नवाचार को अपनाया है। कंपनी ने ऑनलाइन ऋण आवेदन तथा सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की शुरुआत की है और ऋण संवितरण में तेजी लाने के लिए डिजिटल समाधान अपनाए हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसी स्थायी विद्युत परियोजनाओं को सहयोग करने के लिए ग्रीन बॉण्ड जैसे नए वित्तीय उपकरणों को विकसित करने में सक्रिय रूप से भाग लेती है। आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने और इस क्षेत्र को लागत-प्रभावी वित्तीय उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पूंजी संरचना

मार्च 31, 2024 के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,000 करोड़ है, और पेड-अप शेयर पूंजी ₹2,633.22 करोड़ है। भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63% हिस्सा है, जबकि शेष 47.37% सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है।

निधियों का संग्रह

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने बाजार से ₹1,46,747 करोड़ की धनराशि जुटाई, जिसमें ₹11,421 करोड़ 54ईसी बॉण्ड से, ₹42,437 करोड़ संस्थागत बॉण्ड/अधीनस्थ ऋण से और ₹36,961 करोड़ विदेशी मुद्रा उधार से शामिल हैं। आरईसी को अप्रैल 2023 में 750 मिलियन अमरीकी डालर के ग्रीन बॉण्ड जारी करने के लिए पुरस्कृत किया गया था, जो भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के बाद भारत से जारी होने वाला पहला यूएसडी ग्रीन बॉण्ड था तथा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई जारीकर्ता द्वारा अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन बॉण्ड की किश्त थी। बॉण्ड इश्यू की कीमत 7.5 बीपीएस के न्यूनतम नए इश्यू प्रीमियम पर थी, जो इस क्षेत्र से हाल ही में जारी किसी उच्च रेट वाले बॉण्ड की तुलना में कठिनतर थी। जलवायु परिवर्तन को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाओं के वित्तपोषण में आरईसी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए निवेशकों द्वारा इस इश्यू को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया। यह मान्यता सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को उत्पन्न करने और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने के प्रति आरईसी के समर्पण को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आपकी कंपनी ने अपने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक मध्यम अवधि नोट्स कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए अपने शुरुआती जापानी येन (जेपीवाई) 61.1 बिलियन 5-वर्षीय, 5.25-वर्ष और 10-वर्षीय ग्रीन बॉण्ड भी सफलतापूर्वक जारी किए हैं। बॉण्ड जारी करने से प्राप्त आय कंपनी के ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के अनुसार पात्र ग्रीन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए लागू की जाएगी।

भारत की ऊर्जा क्रान्ति की दिशा में किए जा रहे कार्यों के वित्त पोषण के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा परिदृश्य की दिशा में सतत विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हो। आरईसी इस हरित निर्गम के माध्यम से हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। अंतरराष्ट्रीय ऋण पूंजी बाजारों में एक जारीकर्ता के रूप में, हम निरंतर नए बाजारों को साधने और अपनी फंडिंग के स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमें अपने शुरुआती यूरो-येन ग्रीन बॉण्ड की कीमत सफलतापूर्वक तय करने में प्रसन्नता हो रही है, जो उद्योग मानकों से कम वित्तपोषण की समग्र लागत को बनाए रखते हुए, वैश्विक वित्तपोषण के लिए व्यापक पहुंच के साथ एक सफल इश्यूअर के रूप में आरईसी की स्थिति को मजबूत बनाता है।

लाभांश

आपकी कंपनी ने अपनी समकक्ष कंपनियों के बीच एक उच्चतम लाभांश देने वाली कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की अपनी परंपरा को जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, बोर्ड ने आपके अनुमोदन के अधीन ₹5 प्रति इक्विटी शेयर (चुकता शेयर पूंजी का 50%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह पहले से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है: ₹3.00 प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 30%) पहले अंतरिम लाभांश के रूप में, ₹3.50 प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 35%) दूसरे अंतरिम लाभांश के रूप में और ₹4.50 प्रति शेयर (चुकता शेयर पूंजी का 45%) तीसरे अंतरिम लाभांश के रूप में। प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित वर्ष के लिए कुल लाभांश पिछले वर्ष के लिए ₹12.60 प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 126%) की तुलना में ₹16 प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी का 160%) है। प्रस्तावित वित्तीय लाभांश सहित, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश भुगतान ₹4,213.16 करोड़ होगा।

ईएसजी के क्षेत्र में आरईसी

• पर्यावरण और सामाजिक

आरईसी हमारी पर्यावरण प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारे पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हम सभी लागू पर्यावरण कानूनों और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं। हमारे पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी के लिए, हम अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम करने के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमारी पर्यावरण नीति न केवल हमारे परिचालनों पर बल्कि आपूर्तिकर्ताओं और व्यवसाय भागीदारों के साथ हमारे संबंधों पर भी लागू होती है।

हमें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी को 'आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024' में 'सस्टेनेबिलिटी चैंपियन - एडिटर्स च्वाइस अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्थिरता पहल के लिए आरईसी की अटूट प्रतिबद्धता और एक हरित भविष्य की ओर बढ़ने में हमारे सक्रिय प्रभाव को दर्शाता है।

यह पुरस्कार स्थिरता पहल के लिए निगम के संकल्प को प्रकाशित है, जो एक हरित भविष्य की ओर अग्रसर है। आरईसी भारत की ऊर्जा क्रान्ति को उत्प्रेरित करने में अग्रणी रही है। इसकी योजनाएं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर वैश्विक बल के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं और कंपनी भारत के ऊर्जा क्रान्ति की अग्रणी वित्तपोषक बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा के तहत लगभग ₹38,971 करोड़ के अपने वर्तमान ऋण पोर्टफोलियो में स्थिरता पहलों में महत्वपूर्ण रूप से निवेश करने के लिए तत्पर है, और इसका 2030 तक लगभग ₹10 लाख करोड़ की अनुमानित लोन बुक में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 30% तक करने का दूरदर्शी लक्ष्य है।

आपकी कंपनी को 'अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण' श्रेणी में स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्थायी वित्त के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हरित भविष्य की ओर प्रगति पर बल देती है। यह पुरस्कार स्थायी वित्त पोषण के प्रति आरईसी के समर्पण को रेखांकित करता है तथा हरित भविष्य के लिए किए जा रहे कार्यों और नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्ति के प्रति इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है। आरईसी भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्रान्ति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरी है, जो सक्रिय रूप से देश के सतत भविष्य में योगदान दे रही है। विभिन्न पहलों और उपलब्धियों के माध्यम से, आरईसी ने कई स्थायी परियोजनाओं के लिए सहयोग किया है और हरित परियोजनाओं के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, आरईसी हरित परियोजनाओं के विभिन्न विकासकर्ताओं के साथ कई व्यापक क्षेत्रों जैसे कि सौर, पवन, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी), ई-मोबिलिटी, सौर मॉड्यूल और पवन टरबाइन विनिर्माण, ग्रीन अमोनिया / हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज के

बारे में पारस्परिक विचार-विमर्श में भी निरंतर संलग्न है। भविष्य की राह पर आगे बढ़ते हुए, आरईसी को अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो में एक व्यापक विस्तार का भरोसा है, और अनुमानों के अनुरूप इसके वर्तमान मूल्य में 10 गुना वृद्धि के संकेत हैं।

• कॉर्पोरेट सुशासन

आरईसी कॉर्पोरेट सुशासन के सिद्धांतों और प्रणालियों को बनाए रखने, अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। हमारी स्थायी सफलता को कई प्रमुख कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें मजबूत कॉर्पोरेट सुशासन प्रथाएं, सक्रिय हितधारक जुड़ाव और विकास तथा और समृद्धि के लिए दीर्घकालिक दृष्टि शामिल है।

आरईसी कॉर्पोरेट सुशासन में सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश, 2010 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के तहत सभी आवश्यक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रही है। यह उन्नत क्लाउड-आधारित आईटी प्लेटफॉर्म देश भर में सभी 33/22/11 केवी आउटगोइंग वितरण फीडरों में विद्युत की विश्वसनीयता और गुणवत्ता की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अत्याधुनिक एप्लिकेशन को नेशनल पावर पोर्टल के साथ एकीकृत करके और मशीन-टू-मशीन (एम2एम) डेटा ट्रांसमिशन विधियों का उपयोग करके, एनएफएमएस कुशल और सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करता है, जो मैनुअल प्रक्रियाओं से जुड़ी त्रुटियों को कम करता है। वितरण प्रणाली के भीतर ऊर्जा एक्सचेंजों की सटीक और प्रभावी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पर यह जोर परिचालन त्रुटियों को कम करने और विद्युत वितरण की समग्र विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, एनएफएमएस द्वारा प्रदान किया गया वेब-आधारित विश्लेषणात्मक मंच एक प्रमुख विशेषता है, जो हितधारकों को रिपोर्ट तैयार करने और विभिन्न डिस्कॉम में फीडर डेटा से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायक होता है। यह क्षमता हितधारकों को रुझानों की पहचान करने, विसंगतियों का पता लगाने और वितरण नेटवर्क के भीतर अनुकूलन के अवसरों को सामने लाने में सक्षम बनाकर बेहतर निर्णय लेने में सहयोग करती है।

देश भर में सभी डिस्कॉम में लगभग 2.55 लाख फीडरों को कवर करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में पहले से ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें 1.2 लाख फीडर सिस्टम में एकीकृत हैं। 20 राज्यों में 40 डिस्कॉम सक्रिय रूप से प्रतिदिन डेटा भेज रहे हैं, यह परियोजना वितरण क्षेत्र में निगरानी, विश्लेषण और निर्णयन को बेहतर बनाने के अपने मिशन में अच्छी तरह से कार्य कर रही है। यह पहल एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो भारत को डिजिटल रूप से संचालित नेटवर्क सिस्टम के साथ विद्युत वितरण क्षेत्र की ताकत को एकीकृत करके अपनी नेट-जीरो की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है।

आरईसीपीडीसीएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में देश भर में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है। कंपनी ने पहले ही केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ में 5.07 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं।

वर्तमान में, आरईसीपीडीसीएल जम्मू-कश्मीर में लगभग 5.5 लाख स्मार्ट मीटर और लद्दाख में 0.60 लाख मीटर लगाने की परियोजनाएं शुरू कर रही है। आरडीएसएस योजना के तहत, आरईसीपीडीसीएल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 15 लाख स्मार्ट मीटर और गुजरात डिस्कॉम के लिए 42 लाख स्मार्ट मीटर को शामिल करते हुए एक स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को लागू कर रही है।

आरईसीपीडीसीएल समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करती है। अब तक, बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में 65 पारेषण परियोजनाएं - अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य जिनका मूल्य ₹84,500 करोड़ से अधिक है, हमारी सहायक कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई हैं।

आरईसीपीडीसीएल लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को लागू कर रही है जो भारत की उच्चतम ट्रांसमिशन लाइन है। इस परियोजना में लद्दाख के नुब्रा और जास्कर घाटी में आधुनिक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) का निर्माण भी शामिल है। ये परियोजनाएं लद्दाख को निर्बाध ग्रिड विद्युत आपूर्ति से जोड़ेंगी और इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद करेंगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने ₹149.64 करोड़ के कर पश्चात लाभ के साथ ₹390.64 करोड़ की आय दर्ज की है। 31 मार्च, 2024 तक, आरईसीपीडीसीएल की कुल संपत्ति ₹567.17 करोड़ हो गई है।

गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की योजना बना रही है, जो एक वित्तीय कंपनी के रूप में अनुमेय गतिविधियों में संलग्न होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस उद्यम के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया है। अन्य संबंधित संगठनों और विभागों से अनुमोदन प्रतीक्षित है।

गिफ्ट सिटी में विस्तार करने का यह कदम, भारत में एक तेजी से बढ़ते वित्तीय सेवा केंद्र, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नए विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए आरईसी की रणनीति के अनुरूप है। प्रस्तावित सहायक कंपनी गिफ्ट सिटी के अंदर उधार, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न वित्तीय गतिविधियों का संचालन करेगी।

गिफ्ट सिटी अंतरराष्ट्रीय ऋण गतिविधियों के लिए एक आदर्श वातावरण है, जो विश्व स्तरीय अधोसंरचना द्वारा समर्थित है। हमें विश्वास है कि आरईसी वैश्विक बाजार में मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए इन अवसरों का लाभ उठाएगी। गिफ्ट सिटी की नई इकाई न केवल आरईसी के लिए नए व्यावसायिक अवसर पैदा करेगी, बल्कि देश के ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। हम अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करते हुए भारत के विद्युत और अधोसंरचना के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के आरईसी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस रणनीतिक विस्तार का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

नीतिगत पहल

कंपनी नियमित रूप से व्यावसायिक मूल्यों को बढ़ाने और वैधानिक आवश्यकताओं और संशोधनों का अनुपालन करने के लिए अपने नीतिगत ढांचे की समीक्षा, अद्यतन और संवर्धन करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें स्टॉक एक्सचेंजों में प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचनाओं की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए मानदंड पर नीति में संशोधन करना, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों से संबंधित दावा न की गई राशि को वापस करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करना और आईटी आउटसोर्सिंग नीति को संशोधित करना शामिल है।

बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने के लिए, कंपनी ने कई व्यवसाय-उन्मुख नीतियों को प्रस्तुत एवं संशोधित किया है। इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने की नीति, नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के लिए आरईसी की रिफाइनिंग नीति में संशोधन और ऋणों के तकनीकी राइट-ऑफ के लिए एक नीति की स्थापना उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न मानव संसाधन नीतियों को भी अद्यतन/संशोधित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

आरईसी ने एक मजबूत और लचीले जोखिम प्रबंधन का ढांचा स्थापित किया है जो न केवल विभिन्न नियामकों की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है बल्कि अपने हितधारकों के बीच विश्वास भी पैदा करता है। कंपनी अपनी जोखिम प्रबंधन संस्कृति को और बढ़ाने के लिए समर्पित है, जैसा कि कई प्रमुख पहलों में देखा जा सकता है।

आरईसी अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे की लगातार समीक्षा कर रही है ताकि इसे बाजार की गतिशीलता और सर्वोत्तम उद्योग प्रणालियों के साथ संरेखित किया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरईसी की जोखिम प्रबंधन प्रथाएं सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में वैश्विक मानकों को पूरा करें। वित्तीय वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन के बारे में आरईसी के कार्मिकों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें जोखिम रजिस्टर, परियोजना जोखिम वर्गीकरण और साइबर सुरक्षा जैसे विषय शामिल थे। इसके अतिरिक्त, 'जोखिम शमन चिह्न' पहल की शुरुआत की गई, जो कर्मचारियों को सभी स्तरों पर उनके परिचालन क्षेत्रों में सुधार की पहल करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं में संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इसके लिए हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सतत एवं सुरक्षित संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निर्मित की गई परियोजनाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से हम सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं के लिए सतत विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ वित्तपोषण और समर्थन करते हैं, राष्ट्रीय विकास एजेंडा के रूप में सबसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता देते हैं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अपनी सामाजिक रूप से उत्थान पर केन्द्रित अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को जारी रखा है। राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आरईसी ने लगभग ₹467 करोड़ की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है और वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर ₹255 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक व्यय किया है।

आपकी कंपनी ने स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, उद्यमिता कार्यक्रम जैसी अनेक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया है। समावेशी विकास को अपनाते हुए, आपकी कंपनी ने मिजोरम में मामित, नागालैंड में किफिरे और बिहार में मुजफ्फरपुर जैसे आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग दिया है। आपकी कंपनी की सीएसआर इकाई आरईसी फाउंडेशन ने हितधारकों के साथ एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संगोष्ठी सह परिचर्चा का भी आयोजन किया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के प्रमुख हितधारक एक साथ उपस्थित थे। इस संगोष्ठी ने सामुदायिक कल्याण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों के बारे में विमर्श एवं चर्चा के एक मंच के रूप में कार्य किया। विविध हितधारकों की उपस्थिति के माध्यम से सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहयोगी प्रभाव के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता रेखांकित हुई।

उल्लेखनीय है कि आरईसी ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन और मुक्केबाजी जिसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) भी शामिल है, को कवर करते हुए तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹100 करोड़ की राशि के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) को सहयोग देने का जो भरसा दिया था, वह अब सफल हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सहयोग प्राप्त कर रहे विभिन्न एथलीटों ने विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है और विगत वर्ष में देश का नाम रौशन किया है।

कंपनी ने हाल ही में तीन वर्षों की अवधि के लिए पूरे भारत के विभिन्न जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य देख-भाल सेवाओं हेतु 100 मोबाइल मेडिकल इकाइयों की स्थापना के लिए अपनी प्लैगशिप योजना शुरू की है। ये मोबाइल मेडिकल इकाइयां पूरे भारत में दूर-दराज के क्षेत्रों में वंचित आबादी को निःशुल्क दवा के वितरण सहित घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी।

मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने जन्मजात हृदय रोग वाले 1000 बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सीएसआर वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे बच्चों और उनके परिवार के लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव हुआ है।

आरईसी फाउंडेशन के संचालन के 10 उत्कृष्ट वर्षों के उपलक्ष्य में, कंपनी के बोर्ड के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में जनवरी, 2024 में एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की गई है। यह वेबसाइट कार्यान्वयन एजेंसियों को आसानी से ऑन-बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस वेबसाइट पर कंपनी के सीएसआर कार्यों की सफलता की गाथाएँ, सीएसआर परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव, फोटोग्राफ्स एवं अन्य उपयोगी आंकड़े सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। बहुत जल्द, इच्छुक कार्यान्वयन एजेंसियां सीएसआर फंडिंग के लिए परियोजना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने और प्रक्रिया को ट्रैक करने में सक्षम होंगी।

आरईसी के इन प्रयासों को विभिन्न मंचों एवं मीडिया में सम्मान दिया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आरईसी फाउंडेशन को वर्ष के दौरान कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- आईआईटी मद्रास द्वारा अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार
- 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में सीएसआर लीडरशिप अवार्ड 2023
- 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में सीएसआर और स्थिरता पुरस्कार
- निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सतत सस्टेनेबिलिटी एसईआर एवं ईएसजी सीएसआर के लिए महात्मा पुरस्कार,

हम आने वाले वर्षों में भी इसी तरह के सार्थक और प्रभावशाली पहलों को क्रियान्वित करना जारी रखेंगे।

एमओयू रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कंपनी के प्रदर्शन को डीपीई द्वारा "उत्कृष्ट" रेटिंग दिए जाने की उम्मीद है, जो अंतिम मूल्यांकन के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, कंपनी को "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आरईसी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 'उच्चतम मूल्य एकल बोली खरीद' के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस द्वारा गोल्डन अवार्ड, एसोचैम द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट के लिए छठे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वर्ष के लिए जारीकर्ता पुरस्कार, केंद्र सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए विद्युत क्षेत्र के सभी पीएसयूज के बीच प्रथम पुरस्कार, सीएसआर पहल में उत्कृष्टता के लिए महात्मा पुरस्कार 2023, वित्तीय सेवा श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू' के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट अवार्ड-2023, जोखिम प्रबंधन श्रेणी में निदेशक संस्थान (आईओडी) द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा परिचालन प्रदर्शन उत्कृष्टता के लिए 13वां-पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआईआई पुरस्कार 2022-23, विशेष संस्थागत श्रेणी (डिजिटलीकरण) में स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार, सतत वित्त के लिए एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉण्ड - कॉर्पोरेट पुरस्कार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसी को मॉरीशस में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कांग्रेस में प्रतिष्ठित 'मोस्ट सस्टेनेबल महारत्न लीडर' पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

भविष्य की राह

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.6% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज की है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। यह वृद्धि मजबूत घरेलू मांग, लचीली खपत और निवेश से प्रेरित थी। सरकार की विवेकपूर्ण वित्तीय नीति और पूंजीगत व्यय ने इस सकारात्मक आर्थिक ट्रैजेक्ट्री का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक चिंताओं के बावजूद भारत को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपनी विकास गति बनाए रखने की उम्मीद है। 1.4 बिलियन से अधिक की आबादी द्वारा उत्पन्न 4.3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद के साथ, भारत वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आईएमएफ के अध्ययन के अनुसार 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र देश के आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और ऊर्जा क्रान्ति पहलों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार है जो सतत विकास के लिए हमारी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास द्वारा संचालित विद्युत की बढ़ती मांग के साथ इस क्षेत्र के विकास ट्रेजेक्ट्री को जारी रखने की उम्मीद है।

सरकार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वच्छ और टिकाऊ स्रोतों की ओर ऊर्जा क्रान्ति को सुविधाजनक बनाने के दोहरे उद्देश्यों को कर्मठतापूर्वक संबोधित कर रही है। जबकि नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा पर स्पष्ट रूप से जोर दिया जा रहा है, मांग में वृद्धि को पूरा करने में कोयला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सीईए की इष्टतम उत्पादन मिश्रण रिपोर्ट के अनुरूप अक्षय ऊर्जा क्षमता के अतिरिक्त 303 गीगावाट और परमाणु क्षमता के 7 गीगावाट की उम्मीद है। वर्तमान 240 गीगावाट से 335 गीगावाट तक पीक विद्युत की मांग में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2032 तक अतिरिक्त 94 गीगावाट कोयला क्षमता की आवश्यकता होगी। नवीनतम राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2031-32 के अंत तक संस्थापित क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के 68% हिस्से के साथ 900 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है। देश के विद्युत उत्पादन खंड में यह प्रत्याशित वृद्धि पर्याप्त निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए तैयार है। मौजूदा पारेषण और वितरण अवसंरचना में अपेक्षित वृद्धि और विस्तार भी महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करेगा।

महारत्न सीपीएसई और एक अग्रणी एनबीएफसी के रूप में, आरईसी संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला अर्थात् उत्पादन, पारेषण और वितरण के वित्तपोषण के लिए सरकार के रणनीतिक भागीदार के रूप में कार्य करते हुए, सरकार के नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि आगामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (सौर, पावन, हाइब्रिड, हाइड्रो); पंपड और बैटरी ऊर्जा भंडारण, ईवी/चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मीटरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया आदि का लाभ उठाते हुए देश की ऊर्जा क्रान्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी लोन बुक में 17.1% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। हमारा रणनीतिक उद्देश्य 2030 तक अपनी ऋण बुक को ₹5.09 लाख करोड़ के वर्तमान स्तर से ₹10 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सबसे अग्रणी रहने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, हमने लगभग ₹38,971 करोड़ के वर्तमान स्तर से 2030 तक ₹3 लाख करोड़ के नवीकरणीय ऋण बुक पोर्टफोलियो को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हमारा ध्यान केवल संवृद्धि पर नहीं है बल्कि हमारी ऋण परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने पर भी है। यह हमारे नेट एनपीए में लगातार गिरावट से प्रमाणित है, जो वर्तमान में 0.86% की बेहतर स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, हम पिछली नौ तिमाहियों से कोई नया एनपीए नहीं होने के बेहतर आंकड़ों को निरंतर बनाए रखने में सक्षम हैं।

गैर-विद्युत अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को ऋण देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरईसी को प्राप्त भारत सरकार की अनुमति के साथ, हम सड़क- राजमार्ग, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, बंदरगाह आदि जैसे अधोसंरचना के अनेक उप-क्षेत्रों अपने व्यवसाय के पोर्टफोलियो का विस्तार करने में सक्षम हुए हैं। गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्रों में हमारा

प्रवेश हमारे व्यवसाय को विविध क्षेत्रों से जोड़ता है और यह हमारे प्रमुख ध्यान वाले क्षेत्रों का पूरक है।

आरईसी को हाल ही में 13 फरवरी, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पहल का उद्देश्य 1 करोड़ आवासीय घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है, जिसमें ₹75,021 करोड़ के आवंटित बजट के साथ 30जीडब्ल्यू की कुल क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। आरईसी पूरी तत्परता के साथ विक्रेता पंजीकरण, ग्राहक पंजीकरण, आवेदन प्रसंस्करण और नेट मीटरिंग के साथ रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना की प्रगति की देख-रेख कर रही है। यह योजना देश में ऊर्जा क्रान्ति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और घरों का बिजली बिल कम करने में सहायक होगी, ऐसा अनुमान है।

स्पष्ट दृष्टि और मजबूत रणनीतियों के साथ, हम एक स्वच्छ, हरित और अधिक समृद्ध भविष्य की दिशा में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रणनीतिक रूप से कार्यरत हैं। जैसे-जैसे भारत "विकसित भारत" के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, आरईसी प्रगति और स्थिरता का प्रतीक बनी हुई है।

संस्वीकृतियाँ

पिछले पांच दशकों में आरईसी की उपलब्धियों ने भारत के विद्युत क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण घरों को रोशन करने से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने तक, हमारी विविध पहलों ने विभिन्न समुदायों को सशक्त बनाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और एक सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है।

अपनी बात को विराम देते हुए, मैं माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत) तथा विद्युत मंत्रालय के सभी सम्मानित अधिकारियों को उनके समर्थन और दूरदर्शी मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, हमारी होल्डिंग कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के अधिकारियों के निरंतर समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ।

इसके अतिरिक्त, निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के हमारे प्रयास में, मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हमारे सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, सभी रजिस्ट्रार और कंपनी से जुड़े अन्य सभी व्यावसायिक व्यक्तियों की सराहना करता हूँ।

आरईसी की उल्लेखनीय सफलता हमारे हितधारकों के साथ हमारे द्वारा बनाए गए विश्वास और सद्भावना में निहित है। मैं दूरदर्शी राज्य सरकारों, राज्य विद्युत संस्थाओं एवं कुशल निजी क्षेत्र के उद्यमियों सहित सभी शेरधारकों, डिबेंचर धारकों, निवेशकों, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों को अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सभी सम्मानित सहयोगियों को उनके व्यावहारिक योगदान के लिए और आरईसी के सभी कार्मिकों के प्रति उनके अथक समर्पण के लिए हृदय से आभारी हूँ। आपके अमूल्य समर्थन के बल पर, हम आरईसी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नई रोमांचक यात्रा का शुभारंभ करेंगे। *धन्यवाद! जय हिंद!*

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 29 जुलाई, 2024

आरईसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर आई-4, इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)

टेलीफोन: +91 124 444 1300 | **वेबसाइट:** www.recindia.nic.in | **सीआईएन:** L40101DL1969GOI005095

सूचना

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") (सीआईएन: L40101DL1969GOI005095) की पचपनवीं (55 वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को सुबह 11.00 बजे**, भारतीय समयानुसार (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी / ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय

मद संख्या 1: 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित करना और अपनाना, साथ ही निदेशक मण्डल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी प्राप्त करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंतरिम लाभांश के भुगतान पर ध्यान देना तथा अंतिम लाभांश घोषित करना।

मद संख्या 3: श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष व्यवसाय

मद संख्या 5: श्री हर्ष बवेजा (डीआईएन: 09769272) की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के **साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152, 196 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमन 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपी) द्वारा जारी 14 मई, 2024 के आदेश के अनुसार, श्री हर्ष बवेजा (डीआईएन: 09769272), जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त किया गया था, को 14 मई, 2024 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 जनवरी तक कंपनी के निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 2026 तक या अगले आदेश तक, ₹1,80,000-3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान में और/या उनकी नियुक्ति की शर्तों व नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश के अधीन और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुआ है, उन्हें कंपनी के निदेशक

(वित्त) के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

मद संख्या 6: कंपनी की समग्र उधार सीमा में वृद्धि करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि 6 सितंबर, 2023 को आयोजित 54 वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित पहले के प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (इसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) और अन्य लागू कानूनों और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों की सहमति कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") को दी जाती है कि वह समय-समय पर अपने विवेक से, सुरक्षा के साथ या उसके बिना और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि बोर्ड ठीक समझे, कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से ऐसी धनराशि या धनराशि उधार ले, भले ही उधार ली जाने वाली धनराशि कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (कंपनी के बैंकों से सामान्य व्यवसाय के क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ मिलकर कंपनी की चुकता शेयर पूंजी और उसकी मुक्त आरक्षित निधियों का योग, बशर्ते कि किसी भी समय उधार ली गई और बकाया कुल राशि शेयरधारकों द्वारा पूर्व में अनुमोदित भारतीय रुपए में ₹6,00,000 करोड़ (केवल छह लाख करोड़ रुपए) के समतुल्य राशि से अधिक नहीं होगी और किसी भी विदेशी मुद्रा में 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर (केवल चौबीस बिलियन अमेरिकी डॉलर) के समतुल्य होगी।"

"इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मण्डल (निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत् गठित किसी समिति या निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

मद संख्या 7: कंपनी की सभी या किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर बंधक और/या भार बनाना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि 6 सितंबर, 2023 को आयोजित 54 वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित पहले के प्रस्ताव को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के किसी भी अन्य लागू कानून और प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों की सहमति कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") को दी जाती है कि वह कंपनी की किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर, चाहे वह वर्तमान और भविष्य दोनों में स्थित हो और कंपनी के पूरे या काफी हद तक पूरे उपक्रम या उपक्रमों पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, किराया खरीद/लीज कंपनियों, कॉर्पोरेट निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में ऐसे नियमों और शर्तों पर भार, दृष्टिबंधक, बंधक बनाए। बोर्ड, कंपनी के लाभ

के लिए और बोर्ड तथा ऋणदाता(ओं) के बीच समय-समय पर निधियों के उधार लेने हेतु सुरक्षा के रूप में, शेयरधारकों द्वारा पूर्व में अनुमोदित भारतीय रुपए में ₹6,00,000 करोड़ (केवल छह लाख करोड़ रुपए) से अधिक नहीं और कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर (केवल चौबीस बिलियन अमेरिकी डॉलर) के समतुल्य किसी भी विदेशी मुद्रा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित और इस संबंध में अनुपालन की जाने वाली अन्य वैधानिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को उचित समझ सकता है।"

"इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि कंपनी के निदेशक मण्डल (निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत् गठित किसी समिति या निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

मद संख्या 8: प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए अनुमोदन।

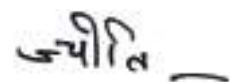
निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना **विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार (इसमें वर्तमान में लागू कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 और उसके किसी संशोधन और अन्य लागू सेबी विनियमों और दिशानिर्देशों सहित किसी भी अन्य लागू कानून, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/निर्देश/दिशानिर्देश, कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के लेखों के प्रावधान और लागू होने वाले आवश्यक अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन और ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध, जो आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें किसी भी मौजूदा उधारदाताओं/डिबेंचर धारकों के ट्रस्टियों का अनुमोदन शामिल है, यदि समझौते/विलेख की शर्तों के तहत ऐसा आवश्यक हो और ऐसी शर्तों और संशोधनों के अधीन जो उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध प्रदान करते समय निर्धारित या लगाए जा सकते हैं, जिन पर सहमति हो सकती है कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") या बोर्ड की किसी विधिवत् गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य

प्राधिकारी द्वारा, इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹1,45,000 करोड़ तक के असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को धन जुटाने के लिए शेयरधारकों की सहमति दी जाती है, जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचर धारक हो भी सकते हैं या नहीं भी, जैसा कि बोर्ड (या बोर्ड की किसी विधिवत् गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकारी) अपने विवेक से तय कर सकता है, जिसमें पात्र निवेशक (चाहे निवासी और/या गैर-निवासी और/या संस्थान/निगमित निकाय और/या व्यक्ति और/या ट्रस्टी और/या बैंक या अन्यथा, घरेलू और/या एक या अधिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में) शामिल हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक शामिल हैं, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थानों, निगमित निकायों, कंपनियों, निजी या सार्वजनिक या अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को एक या एक से अधिक संयोजनों में एक या एक से अधिक चरणों में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से और ग्रीन-शू विकल्प (यदि कोई हो, ₹1,45,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर) का प्रयोग सहित, ऐसी शर्तों पर, जो दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित की जा सकती हैं और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत् गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

"इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि असुरक्षित/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के किसी भी निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") या बोर्ड की कोई विधिवत् गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी, निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है, जिन्हें बॉण्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले बॉण्ड/डिबेंचर की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम की राशि, बॉण्ड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, कोई घोषणा/वचन जारी करना आदि, जिन्हें निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल करना आवश्यक है और ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करना और निष्पादित करना, जैसा कि वर्तमान में लागू किसी अन्य नियामक आवश्यकता के तहत आवश्यक हो सकता है।"

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड



जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

दिनांक : जुलाई 27, 2024

स्थान : वैश्विक मुख्यालय, प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम,
हरियाणा -122001

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार स्पष्टीकरण विवरण, जिसमें संलग्न सूचना के मद संख्या 5 से 8 के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, यहाँ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मण्डल ने 29 जून, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया कि सूचना के क्रमांक 5 से 8 में विशेष व्यवसाय की मदें अपरिहार्य प्रकृति की हैं, इसलिए कंपनी की 55 वीं वार्षिक आम बैठक में उनका संचालन किया जाएगा।
2. 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र को 28 दिसंबर, 2022, 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य आवश्यक परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") और 7 अक्टूबर, 2023, 5 जनवरी, 2023, 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 के परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी अन्य आवश्यक परिपत्रों के साथ पढ़ें और अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 55वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जा रही है। 55 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
3. ऊपर बताए गए एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। हालाँकि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 55वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सदस्यों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जा सकता है।
4. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 55 वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।
5. संयुक्त धारकों के वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की स्थिति में, केवल वही संयुक्त धारक वोट देने का हकदार होगा जो नामों के क्रम में ऊपर होगा।
6. उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुरूप, 55 वीं एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी(यो) के साथ पंजीकृत है। वार्षिक रिपोर्ट और सूचना कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी के अन्य अपडेट प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए थे।
वे शेयरधारक जो अभी तक अपनी ई-मेल आईडी अपडेट नहीं करा पाए हैं, वे इस सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर ई-मेल आईडी के पंजीकरण और ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
• यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 अंकों की डीपी आईडी + क्लाइंट आईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), धारक का नाम, क्लाइंट मास्टर सूची / डीमैट खाता विवरण की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड का उल्लेख करते हुए virenders@alankit.com या complianceofficer@recindia.com पर ई-मेल भेजें।
• यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो कृपया virenders@alankit.com या complianceofficer@recindia.com पर फोलियो नंबर, नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने और पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड का उल्लेख करते हुए ई-मेल भेजें।

7. संस्थागत निवेशकों सहित कंपनी के सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा वार्षिक आम बैठक में निपटाए जाने वाले मदों पर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कॉर्पोरेट सदस्य/संस्थागत निवेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसार अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए नियुक्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति जांचकर्ता को ई-मेल के माध्यम से भेजें। sachins2022@gmail.com पर भेजें, तथा उसकी एक प्रतिलिपि evoting@nsdl.com पर भी भेजें।
8. कंपनी ने 55 वीं एजीएम में निपटाए जाने वाले व्यवसाय के मदों पर मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु **मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 को "कट-ऑफ तिथि"** के रूप में निर्धारित किया है, जैसा कि सूचना में विस्तृत है।
कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अगर वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। कोई भी शेयरधारक जो अपनी शेयरधारिता को इस तरह से समाप्त करता है कि वह कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
9. मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के सीएस सचिन अग्रवाल (एफसीएस नंबर 5774) को 55 वीं एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।
10. ऊपर उल्लिखित एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 55 वीं एजीएम में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 55 वीं एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग **अवधि शनिवार, 17 अगस्त, 2024 (0900 बजे)** से शुरू होगी और **सोमवार, 19 अगस्त, 2024 (1700 बजे)** को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 55 वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे **20 अगस्त, 2024 को सुबह 10:45 बजे** आईएसटी से सदस्यों के लिए खुला रखा जाएगा, यानी निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और कंपनी वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट बाद यानी एजीएम की तारीख को सुबह **11:30 बजे** तक बंद कर सकती है। कृपया रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 55 वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।
सूचीबद्धता विनियमों के अनुपालन में कंपनी एनएसडीएल की वेबसाइट पर एजीएम की कार्यवाही का वेबकास्टिंग करेगी। सदस्य अपने सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लॉग इन करके कार्यवाही देख सकते हैं।
11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, कंपनी

ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तीन बार अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

क्रम सं.	विवरण	प्रति इक्विटी शेयर राशि (₹)	घोषणा की तारीख	भुगतान की तारीख
1.	प्रथम अंतरिम लाभांश	3.00	26 जुलाई, 2023	24 अगस्त, 2023
2.	दूसरा अंतरिम लाभांश	3.50	1 नवंबर, 2023	30 नवंबर, 2023
3.	तीसरा अंतरिम लाभांश	4.50	19 मार्च, 2024	16 अप्रैल, 2024

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹5.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी और यदि उक्त लाभांश को आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो कंपनी की 55 वीं एजीएम की तारीख से तीस दिनों के भीतर सदस्यों को या उनके अधिदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

क) **शुक्रवार, 28 जून 2024 ('रिकॉर्ड तिथि')** को कारोबारी समय को समाप्ति तक, डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में।

ख) **शुक्रवार, 28 जून 2024** को कारोबारी समय की समाप्ति तक कंपनी के पास दर्ज किए गए वैध ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

सेबी ने 16 मार्च, 2023 के अपने परिपत्र के साथ 7 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र और अन्य आवश्यक लागू परिपत्रों के माध्यम से आरटीए द्वारा निवेशक सेवा अनुरोधों को संसाधित करने और पैन, केवाईसी (संपर्क विवरण, बैंक विवरण और नमूना हस्ताक्षर), और नामांकन विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड निर्धारित किए हैं। उक्त परिपत्र के अनुसार, प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखने वाले शेयरधारकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भौतिक फोलियो, जिसमें उक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद ही शिकायत दर्ज करने या कोई सेवा अनुरोध करने के लिए पात्र होंगे। ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश सहित कोई भी भुगतान 1 अप्रैल, 2024 से आवश्यक विवरण दर्ज करने पर केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित आवश्यक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf.

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटना आवश्यक है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आधार पर फॉर्म 15जी/15एच जमा करें और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरएंडटीए के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी के बारे में विवरण अपडेट करें, ताकि भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश भुगतान के संबंध में लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर, यदि कोई हो, काटा जा सके।

12. सूचीबद्धता विनियमनों के विनियमन 36 और सचिवीय मानक-2 के अंतर्गत अपेक्षित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा/प्रोफाइल इसके साथ संलग्न है और यह सूचना का हिस्सा है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएडएजी) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में या कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा।

54वीं वार्षिक आम बैठक में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ धारा 142 के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक

मण्डल को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने और अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹68,00,000/- (केवल अड़सठ लाख रुपये) के पारिश्रमिक के भुगतान को मंजूरी दी, साथ ही लागू करों को सांविधिक लेखा परीक्षकों यानी मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा समान रूप से साझा किया जाना है। बोर्ड ने यह भी मंजूरी दी कि उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, सांविधिक लेखा परीक्षकों को बाहरी लेखापरीक्षा कार्य के लिए वास्तविक उचित यात्रा भत्ता और जेब से किए जाने वाले व्यय का भुगतान किया जा सकता है, जैसा कि सीएमडी/निदेशक (वित्त) द्वारा तय किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी है। इसके अलावा, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मण्डल को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत करें, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उचित समझा जाए।

14. सूचीबद्धता विनियमन के विनियमन 40 के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, संचरण और स्थानांतरण केवल डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में ही किया जाएगा। तदनुसार, हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रखें क्योंकि इससे भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों के नुकसान/खोने और जालसाजी के मामलों की संभावना समाप्त हो जाती है और शेयरों के कागज रहित व्यापार की सुविधा और सुविधा मिलती है। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

क) इसके अलावा, एक से अधिक फोलियो में समान नाम के क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी या अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को ऐसे फोलियो का विवरण शेयर प्रमाणपत्रों के साथ भेजें और साथ ही एक फोलियो में अपनी होल्डिंग को समेकित करने के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज़ भी भेजें। शेयर प्रमाणपत्रों के समेकन के अनुरोधों को डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में संसाधित किया जाएगा।

ख) सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने का आदेश दिया है। जैसे डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना; दावा न किए गए सस्पेंस खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय; समर्थन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन; संचरण और ट्रांसपोज़िशन। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 जमा करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/forms> पर और कंपनी के आरटीए, अलंकित असाइनमेंट की वेबसाइट <https://alankitassignments.com/investor-charter> पर उपलब्ध है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी सेवा अनुरोध को तभी संसाधित किया जा सकता है जब फोलियो केवाईसी अनुपालन करता हो।

ग) सेबी के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार, ऐसे सुरक्षा धारक जिनके फोलियो में पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज कराने या कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने के पात्र होंगे। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी के आरटीए यानी अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को निर्धारित प्रपत्र में पैन, केवाईसी विवरण और अन्य विवरण तुरंत प्रस्तुत करें, जो कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/forms> या आरटीए <https://alankitassignments.com/investor-charter> पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को इस बारे में सूचना भी भेजी है।

15. चूंकि सेबी ने निवेशकों को भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / डायरेक्ट क्रेडिट मैनेज या उसमें बदलाव जमा करें, ताकि कंपनी लाभांश का भुगतान कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध एनईसीएस / एनईएफटी / डायरेक्ट क्रेडिट मैनेज फॉर्म को कंपनी के आर एंड टीए को इस पते पर भेज सकते हैं यानी अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस / एनईएफटी / डायरेक्ट क्रेडिट मैनेज फॉर्म सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को भेज सकते हैं।
16. जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट को वैधता अवधि के भीतर प्राप्त/नकद नहीं किया है, वे वारंट/डिमांड ड्राफ्ट को पुनः वैध करने या ऐसे वारंट/डिमांड ड्राफ्ट के बदले भुगतान के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या कंपनी के आरएंडटीए को लिख सकते हैं।
17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, यदि लाभांश कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि से 7 वर्ष की अवधि तक भुनाया नहीं जाता है, तो उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वे सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि से लगातार 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना दावे के रहा है, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा। इसे देखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें। कंपनी अधिनियम, 2013 और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास पड़ी अवैतनिक और दावा न की गई राशियों का अपेक्षित विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा आईईपीएफ में पहले से ही हस्तांतरित की गई राशियों और शेयरों का निवेशक-वार विवरण कंपनी की वेबसाइट यानी www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।
इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दावा न किए गए अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश को क्रमशः अक्टूबर, 2024 और मार्च, 2025 में आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा।
सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2016-17 और उसके बाद के अंतिम लाभांश के संबंध में अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश राशि, यदि कोई हो, का दावा मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कंपनी के आरएंडटीए, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055 को अनुरोध भेजकर या 91-1142541234 पर कॉल करके या 'virenders@alankit.com' पर ईमेल करके करें। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम लाभांश और पहले के लाभांश से संबंधित लाभांश की अवैतनिक/अदावाकृत राशि पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दी गई है और तदनुसार, ऐसी राशियों के संबंध में कोई भी दावा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण को किया जाना है।
जिन सदस्यों के दावा न किए गए लाभांश और/या शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए हैं, वे कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं और पात्रता पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सदस्य पात्रता पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं और www.iepf.gov.in पर उपलब्ध लाभांश और/या शेयरों का दावा करने के लिए आईईपीएफ-5 फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/iepf-details> देखें।
18. अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म संख्या एसएच-13 जमा करके इसे पंजीकृत करें। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को छोड़ना या रद्द करना चाहता है और नया नामांकन दर्ज करना चाहता है, तो वह फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14 में इसे जमा कर सकता है। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/forms> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पास शेयर डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में हैं, तो वे उक्त विवरण अपने डीपी को जमा करें और यदि शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो कंपनी के आरटीए को जमा करें।
19. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वैधानिक रजिस्टर और सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज, इस सूचना के प्रसारित होने की तारीख से लेकर एजीएम की तारीख यानी 20 अगस्त, 2024 तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को (complianceofficer@recindia.com) पर ई-मेल भेजें।
20. इस बैठक के किसी भी कार्य के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिन पहले (complianceofficer@recindia.com) पर ई-मेल भेजें और कंपनी द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।
21. संवीक्षक वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के समापन के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से बैठक में डाले गए वोटों का मूल्यांकन करेगा, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
22. ई-वोटिंग के परिणाम, जिसमें प्रत्येक संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोट और संकल्प को लागू किया गया है या नहीं, को दर्शाते हुए, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो उसे 55 वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि पर पारित माना जाएगा।
23. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर बताते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपना अनुरोध (complianceofficer@recindia.com) पर शनिवार, 17 अगस्त, 2024 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) तक भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
24. सेबी ने 31 जुलाई, 2023 और 4 अगस्त, 2023 के परिपत्रों के माध्यम से, 31 जुलाई, 2023 के मास्टर परिपत्र (11 अगस्त, 2023 तक अद्यतन) के साथ भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल") की स्थापना की है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, आरटीए/कंपनी के साथ सीधे और मौजूदा एससीओआरईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों को हल करने के विकल्प को समाप्त करने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं और इसे कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/smart-odr-portal> के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण

निम्नलिखित विवरण में सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसायों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं।

मद संख्या 5

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, सूचीबद्धता विनियमन के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, निदेशक मण्डल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में प्राप्त की जानी आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 14 मई, 2024 के अपने आदेश के तहत श्री हर्ष बवेजा (डीआईएन: 09769272), जो पहले कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे, को ₹1,80,000-3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान पर आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 31 जनवरी, 2026 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी। श्री हर्ष बवेजा ने 14 मई, 2024 से निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मण्डल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 14 मई, 2024 से कंपनी के निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त निदेशक के रूप में) के रूप में श्री हर्ष बवेजा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

सूचीबद्धता विनियमन, 2015 और सचिवीय मानक-2 के संदर्भ में श्री हर्ष बवेजा का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, श्री हर्ष बवेजा रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति की शर्तें और नियम 14 मई, 2024 के एमओपी आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी।

श्री हर्ष बवेजा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं किया गया है; और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इसके अलावा, वह कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुआ है।

इस प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज, इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने 14 मई, 2024 से निदेशक (वित्त) के रूप में श्री हर्ष बवेजा की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के आइटम नंबर 5 पर साधारण प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की।

श्री हर्ष बवेजा को छोड़कर, किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा, उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का संबंध या हित नहीं है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण प्रस्ताव पारित करके, कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में श्री हर्ष बवेजा की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी का निदेशक मण्डल, कंपनी की सहमति से एक विशेष प्रस्ताव पारित करके धन उधार लेगा, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार लिए गए धन के साथ मिलकर कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित राशि से अधिक है। इस संबंध में, कंपनी के सदस्यों ने 6 सितंबर, 2023 को आयोजित 54 वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी के निदेशक मण्डल को भारतीय रुपए में कुल ₹6,00,000 करोड़ और 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर किसी भी विदेशी मुद्रा में धन उधार लेने की शक्तियां प्रदान की थीं। 31 मार्च, 2024 तक, भारतीय रुपए में बकाया उधार ₹6,00,000 करोड़ की सीमा के मुकाबले ₹3,12,636 करोड़ था। इसलिए, भारतीय रुपए में उधार लेने के लिए पर्याप्त सीमा उपलब्ध है जो कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, भारतीय रुपए में उधार लेने की सीमा में कोई वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है।

मजबूत ऑर्डर बुक और संवितरण पाइपलाइन को देखते हुए, चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भी अपेक्षित व्यावसायिक वृद्धि को देखते हुए यह उधारी पैटर्न जारी रहने की संभावना है। घरेलू मुद्रा में उधार के वैकल्पिक स्रोत की तुलना में लागत लाभ को ध्यान में रखते हुए, वित्तपोषण आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा उधार से पूरा होने की उम्मीद है और उम्मीद है कि अगले वर्ष अगस्त-सितंबर, 2025 तक 7 बिलियन से अधिक जुटाए जाने की उम्मीद है, जबकि वर्तमान में उपलब्ध सीमा लगभग 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (15 मई, 2024 तक) है। यह देखते हुए कि विदेशी मुद्रा में अनुमानित उधार के साथ मौजूदा बकाया उधार, 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पूर्व स्वीकृत सीमा से अधिक होने की संभावना है, कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से किसी भी समकक्ष विदेशी मुद्रा में उधार सीमा को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत सदस्यों की सहमति मांगी जाती है।

इस व्यवसाय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। व्यवसाय की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 31 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 6 पर विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव के पारित होने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा के, यदि कोई हो।

उपर्युक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव पारित करके उधार सीमा बढ़ाने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 7

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 180(1)(ए) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई कंपनी पोस्टल बालट के जरिए विशेष प्रस्ताव के जरिए कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के बिना कंपनी के पूरे या आंशिक रूप से उपक्रम या उपक्रमों को बेच, पट्टे पर नहीं दे सकती या अन्यथा निपटान नहीं कर सकती है। हालांकि, 9 फरवरी, 2018 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, डाक मतपत्र के जरिए किए जाने वाले कारोबार का कोई भी आइटम कंपनी द्वारा आम बैठक में किया जा सकता है, जिसके लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 2013 के

प्रावधानों और सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, आरईसी अपने सदस्यों को आम बैठक में प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है।

तदनुसार, कंपनी की सभी या किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर बंधक और/या प्रभार के निर्माण के लिए विशेष प्रस्ताव इस वार्षिक आम बैठक में पारित किया जाना प्रस्तावित है। कंपनी के संचालन में काफी वृद्धि हुई है और कंपनी की बढ़ती निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी की अचल/चल संपत्तियों पर सुरक्षा के निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटाने की आवश्यकता है। चूंकि भार/बंधक का सृजन कंपनी के उपक्रमों को अन्यथा निपटाने के समान है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) के तहत एक विशेष प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। इसलिए, कंपनी के निदेशक मण्डल को कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से या अन्यथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) की आवश्यकताओं, इसके तहत बनाए गए नियमों और इस संबंध में पालन की जाने वाली किसी भी अन्य वैधानिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुसार, कंपनी के वर्तमान और भविष्य दोनों में अचल और/या चल संपत्तियों पर भार बंधक/सृजित करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है।

इस व्यवसाय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। व्यवसाय की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 31 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 7 पर विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव के पारित होने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा के, यदि कोई हो।

उपर्युक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 7 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव पारित करके, सभी या किसी भी चल और/या अचल संपत्तियों पर बंधक और/या भार के सृजन के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 8

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ, कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रतिभूतियों के प्रस्तावित प्रस्ताव या प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए आमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव या आमंत्रण के लिए

विशेष संकल्प द्वारा पहले से अनुमोदित नहीं किया गया हो। हालाँकि, "गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर" के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर के लिए सभी प्रस्तावों या आमंत्रणों के लिए वर्ष में केवल एक बार पिछला विशेष संकल्प पारित करती है।

इसलिए, कंपनी को इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, यानी 19 अगस्त, 2025 तक, एक या एक से अधिक किस्तों में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचर धारक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के भीतर, जिसे कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जा सकता है, ₹1,45,000 करोड़ तक के असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, ₹1,45,000 करोड़ की उक्त सीमा समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी, जिसे इस एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

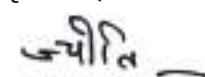
इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मण्डल ("बोर्ड") या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी, निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगा, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है, जिन्हें बॉण्ड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले बॉण्ड/डिबेंचर की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम की राशि, बॉण्ड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, कोई घोषणा/वचन जारी करना आदि, जिन्हें निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल करना आवश्यक है और वर्तमान में लागू किसी अन्य नियामक आवश्यकता के तहत ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करना और निष्पादित करना।

इस व्यवसाय प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। व्यवसाय की अपरिहार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने 31 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 8 पर विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का उक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा के, यदि कोई हो।

उपर्युक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव पारित करके प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड



जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

दिनांक : 27 जुलाई, 2024

स्थान : आरईसी वैश्विक मुख्यालय
प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर 29,
गुरुग्राम, हरियाणा - 122001

आईसीएसआई द्वारा जारी सूचीबद्धता विनियमन और सचिवीय मानक-2 के अनुसार, इस सूचना में निर्धारित अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक(ओं) का संक्षिप्त प्रोफाइल।

निदेशक(ओं) का नाम	श्री हर्ष बवेजा	श्री मनोज शर्मा
डीआईएन	09769272	06822395
जन्मतिथि	8 जनवरी, 1966	10 मार्च, 1966
आयु	58 वर्ष	58 वर्ष
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	14 मई, 2024	11 जुलाई, 2023
योग्यता	चार्टर्ड एकाउंटेंट	विधि में एलएलबी डिग्री के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट
कौशल और क्षमताओं सहित विस्तृत प्रोफाइल/बायोडाटा	श्री हर्ष बवेजा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, जिन्होंने कई संस्थानों में वित्तीय संचालन को संचालित करने में 33 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के फेलो सदस्य और आईसीएआई से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में डिप्लोमा धारक के रूप में, उनकी योग्यता जटिल वित्तीय परिदृश्यों को नेविगेट करने में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाती है। तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, आरईसी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में उनकी पिछली भूमिका ने राज्य और निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का नेतृत्व करने में उनकी कुशलता को प्रदर्शित किया, विविध व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों और वित्तीय पोर्टफोलियो के प्रबंधन में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। आरईसी में वित्त के कार्यपालक निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें विविध वित्तीय चुनौतियों के माध्यम से संगठन का नेतृत्व करते हुए देखा, जो वित्तपोषण क्षेत्र की गहरी समझ का प्रदर्शन करता है। प्रमुख स्थानों पर आरईसी के कारोबार की देखरेख करने के व्यापक अनुभव के साथ, श्री बवेजा को ऊर्जा क्षेत्र के भीतर जटिल वित्तीय गतिशीलता की गहन समझ है। उनकी रणनीतिक अंतर्दृष्टि ने आरईसी के विकास पथ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पिछले कुछ वर्षों में इसके वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत किया है।	श्री मनोज शर्मा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, जिनके पास विधि की डिग्री (एलएलबी) है। वे वर्तमान में पीएफसी में निदेशक (वाणिज्यिक) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें बिजली क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पीएफसी में, उन्होंने संस्थागत मूल्यांकन और विकास, इकाई मूल्यांकन, कानूनी और दस्तावेज़ीकरण, कराधान, बजट, लेखापरीक्षा, वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना, वित्तीय विश्लेषण, संसाधन जुटाना, ऋण सिंडिकेशन और बिजली क्षेत्र में वित्तीय/वाणिज्यिक पहलुओं पर परामर्श कार्य सहित कई क्षेत्रों और डोमेन को संभाला है। पिछले तीन दशकों के दौरान, वे पीएफसी की ऋण परिसंपत्तियों के संपूर्ण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, जिसमें ऋण नीतियों का निर्माण, वित्तीय विश्लेषण के लिए संरचित प्रारूप के साथ मूल्यांकन का मार्गदर्शन करने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करना, लागू नियामक और वैधानिक ढांचे का अनुपालन, शर्तों की निगरानी, संवितरण की सुविधा, तनावग्रस्त खातों के लिए समाधान तंत्र आदि शामिल हैं। वह पीएफसी की सहायक कंपनी पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	उनकी विशेषज्ञता में संगठनात्मक और वित्तीय नियोजन, वित्तीय नीतियों का निर्माण, वित्तीय लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, ऋण परिचालन, नकदी और निधि प्रबंधन, कर नियोजन, वित्तीय संसाधनों का अनुकूलन और उनका जुटाना शामिल है।	श्री मनोज शर्मा वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, कॉर्पोरेट योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रणालियों और शासन, व्यवसाय विकास, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं।
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम तथा भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	₹1,80,000-3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान पर आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) (अपर निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की शर्तें और नियम 14 मई, 2024 के विद्युत मंत्रालय के आदेश और भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगे।	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 11 जुलाई, 2023 को अपने पत्र के माध्यम से श्री मनोज शर्मा को आरईसी के बोर्ड में पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया। वह आरईसी की बोर्ड या समिति की बैठकों के संबंध में बैठने की फीस प्राप्त करने के हकदार हैं, जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के संबंध में हवाई टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, जेब से खर्च, स्थानीय परिवहन आदि के लिए भुगतान / प्रतिपूर्ति आरईसी द्वारा वहन की जाएगी।

सूचना का अनुलग्नक

सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 55 वीं एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निर्देश

क) 55 वीं वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के लिए निर्देश

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 17 अगस्त, 2024 (0900 बजे) से शुरू होकर सोमवार, 19 अगस्त, 2024 (1700 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ के अनुसार सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं। दिनांक यानी 13 अगस्त, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") को मतदान करने वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार उक्त कट-ऑफ तिथि पर उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करना होगा:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

क) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता सही ढंग से अपडेट करें।

(i) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तियों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- मौजूदा आईडीईएस यूजर एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-सेवा होम पेज पर "लॉगिन" के अंतर्गत "लाभकारी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएस' अनुभाग में उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुंच" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम यानी आरईसी लिमिटेड या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। https://www.evoting.nsdl.com/ URL टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम यानी आरईसी लिमिटेड या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें - शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल इजी/इजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इजी/इजीएस्ट लॉगिन करने वाले यूजर से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर अपना मौजूदा माईइजी यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करें। - इजी/इजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद, यूजर उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प भी देख पाएगा, जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि यूजर सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके। - यदि यूजर इजी/इजीएस्ट (Easi/Easiest) के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। - वैकल्पिक रूप से, यूजर होम पेज पर https://www.cdslindia.com लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर यूजर को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, यूजर को संबंधित ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा जहाँ ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, कृपया देखें कि ई-वोटिंग विकल्प उपलब्ध है या नहीं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम यानी आरईसी लिमिटेड या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "यूजर आईडी भूल गए" या "पासवर्ड भूल गए" विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा) और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्युअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/

ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

4. एनएसडीएल ई-वोटिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का विवरण: आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	यूजर आईडी
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अक्षर वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंक वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए: यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी आईएन300***12***** होगी।
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए: यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	सम संख्या के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए: यदि फोलियो संख्या 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगी

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगइन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपके ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) यदि आपने एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट शेयर रखे हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए" विकल्प पर क्लिक करें।

ख) यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड" विकल्प पर क्लिक करें।

ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, पैन, नाम और पंजीकृत पता बताते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए सदस्य ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तें" से सहमत पर टिक करें।

8. अब आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में शामिल हों

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान जिस कंपनी के लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं, उसका "EVEN" चुनें और जनरल मीटिंग के दौरान अपना वोट डालें। वर्युअल मीटिंग में शामिल होने के लिए,

आपको "ज्वाइन जनरल मीटिंग" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।
- उचित विकल्प अर्थात् सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेरों की संख्या सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत मिलने पर "सबमिट" और "पुष्टि करें" पर क्लिक करें।
- पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
- आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट पुष्टि कर देंगे, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बी. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 55 वीं एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुँचने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुँच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "ज्वाइन मीटिंग" मेनू के अंतर्गत "वीसी/ओएवीएम" का लिंक देख सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीएन प्रदर्शित होगी। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा रखने की अनुमति देनी होगी तथा अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए इस तरह की किसी भी तरह की गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

सी. 55 वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

- बैठक में सूचना के सभी मदों पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा। कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को sachincs2022@gmail.com पर भेजें, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com पर मार्क की गई हो।
- वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
- केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही होगा, जैसा कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लेख किया गया है।

डी. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए:

- यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा (complianceofficer@recindia.com) प्रदान करें।
- यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) (complianceofficer@recindia.com) पर उपलब्ध कराएं। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण 1 (ए) में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, अर्थात् ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वचुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि।
- वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड" विकल्प से गुजरना होगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या श्री अमित विशाल, उप उपाध्यक्ष या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, टेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं: evoting@nsdl.com या amitv@nsdl.com या pallavid@nsdl.com पर संपर्क करें। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते (complianceofficer@recindia.com) पर भी लिख सकते हैं।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

1.1 प्रदर्शन का सारांश

पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(करोड़ ₹ में)

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
स्वीकृत ऋण	3,58,816.34	2,68,460.54
संवितरण	1,61,462.28	96,846.30
वसूली (ब्याज सहित)	1,31,041.76	82,910.87
कुल परिचालन आय	47,146.30	39,208.06
कर पूर्व लाभ	17,780.64	13,738.77
कर पश्चात लाभ	14,019.21	11,054.64
कुल व्यापक आय	15,063.48	10,083.60

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹39,208.06 करोड़ की तुलना में ₹47,146.30 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय पिछले वित्तीय वर्ष के 14,019.21 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹11,054.64 करोड़ और ₹10,083.60 करोड़ की तुलना में क्रमशः ₹15,063.48 करोड़ थी।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष के ₹41.85 प्रति शेयर के ईपीएस की तुलना में ₹10/- प्रति शेयर पर ₹53.11 थी। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी का निवल मूल्य बढ़कर ₹68,783.15 करोड़ हो गया, अर्थात् 31 मार्च, 2023 को ₹57,697.67 करोड़ के निवल मूल्य से 19.25% अधिक था।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 31 मार्च, 2023 की ₹4,35,011.79 करोड़ की तुलना में ₹5,09,370.95 करोड़ थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 तक बकाया उधारियां ₹4,37,943.59 करोड़ थीं।

1.3 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने प्रत्येक 10/- रु (प्रदत्त शेयर पूंजी का 50%) के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए 5/- रु प्रति इक्विटी शेयर जो 55वें में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधधीन है। वार्षिक आम बैठक 20 अगस्त, 2024 को आयोजित होने वाली है। प्रथम अंतरिम लाभांश 3/- प्रति इक्विटी शेयर (चुकता शेयर पूंजी का 30%) 24 अगस्त, 2023 को भुगतान किया गया, दूसरा अंतरिम लाभांश ₹3.50/- प्रति इक्विटी शेयर (चुकता शेयर पूंजी का 35%) 30 नवंबर, 2023 को और तीसरा अंतरिम लाभांश ₹4.50/- प्रति इक्विटी शेयर भुगतान किया गया (16 अप्रैल, 2024 को भुगतान की गई चुकता शेयर पूंजी का 45%)।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश, अंतिम लाभांश सहित, राशि प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य के ₹16 प्रति शेयर, जो कंपनी

की प्रदत्त शेयर पूंजी का 160% है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, कंपनी ने प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य के प्रति शेयर ₹12.60 का लाभांश दिया था, जो कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 126% (बोनस के बाद) था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश सहित कुल लाभांश भुगतान, ₹4,213.16 करोड़ था। लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,000 करोड़ थी, जिसमें ₹10/- के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। कंपनी की निर्गमित और प्रदत्त शेयर पूंजी 2,633.22 करोड़ थी, जिसमें प्रत्येक ₹10/- के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), भारत सरकार के उपक्रम, के पास 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63% हिस्सा था, जिसमें प्रत्येक ₹10/- के 1,38,59,93,662 इक्विटी शेयर शामिल थे और शेष 47.37% पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास थी।

1.5 नीतिगत पहल

कंपनी नियमित रूप से व्यावसायिक मूल्य बढ़ाने और वैधानिक आवश्यकताओं और संशोधनों को पूरा करने के लिए अपने नीतिगत ढांचे की समीक्षा, अद्यतन और मजबूत करती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए मानदंड पर नीति में संशोधन करना, सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों से संबंधित दावा न की गई राशि को वापस करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करना और आईटी आउटसोर्सिंग नीति को संशोधित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न मानव संसाधन नीतियों को भी अद्यतन/संशोधित किया गया है।

बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने के लिए, कंपनी ने कई व्यापार-उन्मुख नीतियों को प्रस्तुत और संशोधित किया है। इनमें से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने की नीति, राज्य और निजी क्षेत्र के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट पॉलिसी, अक्षय ऊर्जा और पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के लिए आरईसी की पुनर्वित्त नीति में संशोधन उल्लेखनीय थे। इसके अतिरिक्त, ऋण खातों में महत्वपूर्ण निबंधन

एवं शर्तों अथवा चूक का अनुपालन न करने पर 'आकस्मिक प्रभावों' के लिए एक नीति कार्यान्वित की गई थी।

2. वित्तीय समीक्षा

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
प्रचालन से राजस्व	47,146.30	39,208.06	47,504.75	39,478.26
अन्य आय	67.85	44.67	66.48	41.90
कुल आय	47,214.15	39,252.73	47,571.23	39,520.16
वित्त लागत	29,949.27	23,737.66	29,947.74	23,733.33
निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि	166.57	1,114.04	166.57	1,114.04
शुल्क और कमीशन व्यय	24.26	16.29	24.26	16.29
वित्तीय लिखितों पर हानि	(1,358.39)	114.91	(1,379.58)	142.17
अन्य खर्च	651.80	531.06	852.30	616.66
कुल खर्च	29,433.51	25,513.96	29,611.29	25,622.49
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम के लाभ/ हानि का अंश	-	-	-	-
कर पूर्वलाभ	17,780.64	13,738.77	17,959.94	13,897.67
कर व्यय	3,761.43	2,684.13	3,814.48	2,730.69
कर पश्चात लाभ	14,019.21	11,054.64	14,145.46	11,166.98
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	1,044.27	(971.04)	1,044.27	(971.04)
कुल व्यापक आय	15,063.48	10,083.60	15,189.73	10,195.94
जोड़ें: प्रतिधारित आय का प्रारंभिक शेष और अन्य व्यापक आय	8,719.48	6,675.66	9,102.50	6,946.34
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	23,782.96	16,759.26	24,292.23	17,142.28
घटाएं : विनियोग				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित	(3,066.94)	(2,674.96)	(3,066.94)	(2,674.96)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiia) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित	(687.76)	-	(687.76)	-
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि	(2,803.84)	(2,211.15)	(2,803.84)	(2,211.15)
सामान्य आरक्षित	-	-	-	-
स्थायी ऋण लिखतों पर निर्गम व्यय (करों का शुद्ध)	-	-	-	-
लिखितों पर कूपन भुगतान, प्रकृति में पूर्णतः इक्विटी (स्थायी ऋण लिखत) (करों का निवल)	(33.30)	(33.30)	(33.30)	(33.30)
उप-योग: विनियोग	(6,591.84)	(4,919.41)	(6,591.84)	(4,919.41)
कम: मालिकों को लाभांश भुगतान (संबंधित करों सहित)				
लाभांश	(4,042.00)	(3,120.37)	(4,042.00)	(3,120.37)
प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का समापन शेष	13,149.12	8,719.48	13,658.39	9,102.50

2.2 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने राष्ट्रीय राजकोष में ₹3,346.61 करोड़ की राशि का योगदान दिया, जिसमें प्रत्यक्ष करों के लिए करोड़ ₹3,217.34 और जीएसटी के लिए ₹129.27 करोड़ शामिल थे। पिछले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजकोष में कुल योगदान ₹2,805.76 करोड़ था।

2.3 अनुपात विश्लेषण

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
प्रति शेयर आय (₹)	53.11	41.85
औसत निवल मूल्य पर लाभ (%)	22.17	20.35
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	261.22	219.05
ऋण इकिटी अनुपात (गुना)*	6.37	6.49
मूल्य आय अनुपात (गुना)#	8.49	2.76
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.59	1.58

*निवल ऋण मूलधन बकाया, घटा उपलब्ध नकदी और नकदी समतुल्य को दर्शाता है।

#पीई अनुपात की गणना क्रमशः 28 मार्च, 2024 (अंतिम ट्रेडिंग दिवस) और 31 मार्च, 2023 को एनएसई में आरईसी के इकिटी शेयर के समापन मूल्य के आधार पर की जाती है।

2.4 संसाधन जुटाना

2.4.1 वर्ष के दौरान कुल संसाधन जुटाना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने बाजार से ₹1,46,747 करोड़ की राशि जुटाई। इसमें बाहरी वाणिज्यिक उधारों से विभिन्न मुद्राओं से ₹36,961 करोड़, 2,487.06 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जेपीवाई 2,41,657.05 मिलियन डॉलर, एफसीएनआर (बी) ऋणों से 2,789.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर 25,093 करोड़ और एफसीएनआर (बी) ऋणों से जेपीवाई 34,229 मिलियन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से क्रमशः ₹19,500 करोड़ और ₹3,600 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1 वर्ष के लिए ₹100 करोड़ अल्पकालिक ऋण सहित) के दीर्घकालिक और लघु रुपये के ऋण शामिल हैं, इसमें वाणिज्यिक पत्र के रूप में ₹7,735 करोड़, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्डों से ₹11,421 करोड़ (लंबित आबंटन शामिल हैं) और संस्थागत बॉण्डों से ₹42,437 करोड़ (छूट और प्रीमियम के समायोजन के पश्चात्) शामिल हैं।

2.4.2 विमोचन और पूर्व-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने ₹82,304.55 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया। इसमें संस्थागत बॉण्ड के लिए ₹17,844 करोड़, कर-मुक्त बॉण्ड्स के लिए ₹1,308.37 करोड़, पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड के लिए ₹6,651.31 करोड़, यूएसडी बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए 1799.00 मिलियन के बराबर ₹15,317.14 करोड़, 1800.00 मिलियन यूएसडी और यूरो 69.77 मिलियन तथा रु. 293.89 करोड़ के ओडीए ऋण के बराबर एफसीएनआर ऋणों के लिए ₹15,503.66 करोड़ करोड़ कंपनी ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ₹23,136.17 करोड़ की राशि के दीर्घकालिक ऋणों और ₹2,250 करोड़ के अल्पकालिक ऋणों (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1 वर्ष के लिए रोल ओवर किए गए ₹100 करोड़ अल्पकालिक ऋण सहित) और ₹7,735 करोड़ की राशि के वाणिज्यिक पत्रों को भुनाया।

2.4.3 उधार लेने की लागत

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, समग्र भारित औसत वार्षिक निधि लागत 7.13% थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने सूचीबद्ध बॉण्ड के माध्यम से 7.60% प्रति वर्ष की लागत पर ₹39,066.39 करोड़ (स्थायी ऋण लिखितो के अलावा) की निधियां जुटाई, जो अन्य सीपीएसई/संस्थाओं (रायटर पर मार्जिन) द्वारा जारी किए गए समान रेटेड लिखितों की दरों से 12 बीपीएस कम है।

2.4.4 नकद ऋण सुविधाएं

कंपनी के पास अपने दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से ₹19,621 करोड़ की अनुमोदित नकद ऋण/कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2024 तक 11,142 करोड़ प्राप्त किए गए थे।

2.4.5 स्थायी ऋण लिखत

आपकी कंपनी ने स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) को निम्नानुसार उठाया था:

शृंखला	राशि (करोड़ ₹ में)	फेस वेल्थ	आवंटन की तिथि	ब्याज दर
206	558.40	10,00,000.00	22-01-2021	7.97%
222	2,000.00	1,00,00,000.00	28-04-2023	7.98%
226	1,090.00	1,00,00,000.00	27-09-2023	8.03%

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, उक्त लिखत कंपनी की टियर-I पूंजी का 5.47% है। इन पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और यह केवल 10 वर्षों के बाद ही कंपनी के विकल्प पर कॉल योग्य है और पीडीआई पर संगत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखाओं के लिए प्रदर्शित किया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2.4.6 आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बॉण्ड

कार्बन उत्सर्जन और कार्बन तीव्रता को कम करने के मूल उद्देश्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की जलवायु कार्य योजना के अनुरूप, आरईसी बाजार की स्थितियों पर विचार करते हुए समय-समय पर ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से धन जुटाता है।

ग्रीन बॉण्ड के लिए वार्षिक प्रभाव रिपोर्टिंग - वित्तीय वर्ष 2023-24

REC ने वित्तीय वर्ष 2023-24 तक निम्नलिखित ग्रीन बॉण्ड जुटाए थे:

क्र. सं.	फंड रेज्ड (एफसीवाई)	माह और वर्ष	कार्यकाल
1	450 मिलियन अमरीकी डालर का ग्रीन बॉण्ड	जुलाई 2017	10 वर्ष
2	750 मिलियन अमरीकी डालर का ग्रीन बॉण्ड	अप्रैल 2023	5 वर्ष
3	जेपीवाई 61.1 बिलियन ग्रीन बॉण्ड		
	जेपीवाई 31.00 बिलियन ग्रीन बॉण्ड	जनवरी 2024	5 वर्ष
	जेपीवाई 27.4 बिलियन ग्रीन बॉण्ड	जनवरी 2024	5.25 वर्ष
	जेपीवाई 2.7 बिलियन ग्रीन बॉण्ड	जनवरी 2024	10 वर्ष

आरईसी ने अप्रैल, 2023 में यूएसडी ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से पांच साल की अवधि के लिए 750 मिलियन अमरीकी डालर जुटाए। ये बॉण्ड विशेष रूप से आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंजों, यानी गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में भारत आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी में सूचीबद्ध हैं। बॉण्ड जारी करना भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के बाद एक भारतीय कंपनी द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बॉण्ड था और दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई जारीकर्ता द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉण्ड किश्त था। इन बॉण्डों से प्राप्त आय का उपयोग आरईसी के ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

इसके अलावा, जनवरी 2024 में, आरईसी ने जेपीवाई 61.1 बिलियन जुटाया था जो अंतरराष्ट्रीय बॉण्ड बाजार में आरईसी का ग्यारहवां उद्यम था और येन बॉण्ड जारी करने का उद्घाटन था। यह किसी भी भारतीय पीएसयू द्वारा जारी किया गया पहला येन ग्रीन बॉण्ड भी था। बॉण्ड 5 साल, 5.25 साल और 10 साल के बॉण्ड थे। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक का सबसे बड़ा यूरो-येन जारी किया गया था और भारत से येन-मूल्यवर्ग का सबसे बड़ा निर्गम था। लेनदेन में जापानी और अंतरराष्ट्रीय दोनों खातों से ब्याज देखा गया, जिसमें प्रत्येक से 50% पर ऑर्डर की संख्या थी, अंतरराष्ट्रीय आवंटन किसी भी अन्य भारतीय येन सौदे के लिए सबसे अधिक था। ये बॉण्ड विशेष रूप से आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंजों यानी गिफ्ट सिटी, गांधीनगर,

गुजरात में आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज यानी इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी में सूचीबद्ध हैं।

आय का उपयोग: आय का उपयोग सौर, पवन और नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के वित्त-पोषण के लिए किया गया है, जिसमें आरईसी के ग्रीन बॉण्ड ढांचे में परिभाषित योग्य परियोजनाओं के पुनर्वित्त, सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में योगदान और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है।

केपीएमजी, इंडिया ने आरईसी के ग्रीन बॉण्ड ढांचे के आधार पर अपनी पोस्ट-वेरिफिकेशन स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की है और इसे 17 जुलाई, 2018 को क्लाइमेट बॉण्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

ग्रीन बॉण्ड ढांचे के अनुसार, आरईसी ने एक सुव्यवस्थित आंतरिक टैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित एक 'ग्रीन पोर्टफोलियो' तैयार किया है, जिसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है, ताकि ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए आय के आवंटन की निगरानी, स्थापना और हिसाब लगाया जा सके। ।

आय का प्रबंधन: ग्रीन बॉण्ड से शुद्ध आय 31 मार्च, 2024 तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई थी:

क. 450 मिलियन अमरीकी डालर का ग्रीन बॉण्ड

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी	ऋण स्वीकृति तिथि	मेगावाट में वार्षिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन मार्च 31, 2024	स्वीकृत ऋण	31 मार्च 2024 को बकाया ऋण
						₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
1	करीमनगर, तेलंगाना	15	सौर ऊर्जा	11.11.2016	27,620.28	89.84	53.28
2	जगतियाल, तेलंगाना	30	सौर ऊर्जा	21.09.2016	54,425.88	179.62	112.01
3	सिरसिला, तेलंगाना	30	सौर ऊर्जा	21.09.2016	57,132.72	179.62	112.25
4	वारंगल, तेलंगाना	15	सौर ऊर्जा	11.11.2016	25,557.30	89.84	53.43
5	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	500	सौर ऊर्जा	24.02.2016	7,72,584.00	2,480.00	1,434.40
6	करीमनगर, तेलंगाना	15	सौर ऊर्जा	11.11.2016	28,408.68	89.84	53.26
7	रंगा रेड्डी, तेलंगाना	5	सौर ऊर्जा	27.01.2016	5,909.00	26.90	16.14
8	मेडक, तेलंगाना	7	सौर ऊर्जा	26.11.2015	9,995.16	39.90	23.20
9	करीमनगर, तेलंगाना	15	सौर ऊर्जा	11.11.2016	29,788.38	89.84	53.28
10	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	सौर ऊर्जा	17.04.2017	33,612.12	150.39	92.04
11	कुडलीगी, कर्नाटक	20	सौर ऊर्जा	31.12.2018	42,503.52	84.00	62.18
12	बेलगाम, कर्नाटक	15	सौर ऊर्जा	31.12.2018	31,693.68	63.86	47.38
13	बागलकोट, कर्नाटक	15	सौर ऊर्जा	31.12.2018	31,956.48	64.08	47.55
14	बागलकोट, कर्नाटक	15	सौर ऊर्जा	31.12.2018	32,193.00	66.41	49.57
15	कच्छ, गुजरात	900	सौर ऊर्जा	20.12.2023	निर्माणाधीन परियोजना	2,690.00	2,690.00
16	मंदसौर, मध्य प्रदेश	20	पवन ऊर्जा	28.01.2016	19,272.00	86.63	41.15
कुल					12,02,652.20	6,470.77	4,941.12

ख. 750 मिलियन अमरीकी डालर का ग्रीन बॉण्ड

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी	ऋण स्वीकृति तिथि	मेगावाट में वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 31 मार्च, 2024	स्वीकृत ऋण	31 मार्च, 2024 को बकाया ऋण
						₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
1	मुंबई, महाराष्ट्र	लागू नहीं	कम कार्बन परिवहन	27.05.2022	निर्माणाधीन परियोजना	29,985.32	3,194.41
2	तूतीकोरिन, थूथुकुडी जिला, तमिल नाडु	540	पवन ऊर्जा	28.05.2021	निर्माणाधीन परियोजना	2,564.73	2,411.68
3	धारापुरम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु	270	पवन ऊर्जा	19.07.2021	निर्माणाधीन परियोजना	647.00	500.40
4	गडग, कर्नाटक	560	सौर-पवन हाइब्रिड पावर परियोजना	24.06.2023	निर्माणाधीन परियोजना	3,081.30	2,149.48
5	मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात	2,000	सौर पीवी विनिर्माण सुविधा	05.08.2021	निर्माणाधीन परियोजना	1,121.08	362.11
कुल						37,399.43	8,618.08

ग) जेपीवाई 61.10 बिलियन ग्रीन बॉण्ड प्रोजेक्ट

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी	ऋण स्वीकृति तिथि	मेगावाट में वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 31 मार्च, 2024	स्वीकृत ऋण	31 मार्च, 2024 को बकाया ऋण
						₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
1	गडग, कर्नाटक	560	उत्पादन नवीकरणीय-हाइब्रिड	24.06.2023	निर्माणाधीन परियोजना	3,081.30	278.30
2	बांका, बिहार	50	उत्पादन नवीकरणीय - सौर	26.07.2023	निर्माणाधीन परियोजना	220.52	44.57
3	जैसलमेर, राजस्थान	180	उत्पादन नवीकरणीय - सौर	24.06.2023	निर्माणाधीन परियोजना	945.36	179.26
4	जैसलमेर, राजस्थान	900	उत्पादन नवीकरणीय - सौर	20.12.2023	निर्माणाधीन परियोजना	4,751.50	2,190.00
5	धौलपुर, राजस्थान	300	उत्पादन नवीकरणीय - सौर	10.03.2021	निर्माणाधीन परियोजना	1,519.00	1.35
6	रायसर, राजस्थान	300	उत्पादन नवीकरणीय - सौर	10.03.2021	निर्माणाधीन परियोजना	1,519.00	1.68
7	कच्छ, गुजरात	167	उत्पादन नवीकरणीय - सौर	20.12.2023	निर्माणाधीन परियोजना	845.75	225.00
8	मुंबई, महाराष्ट्र	लागू नहीं	कम कार्बन परिवहन	27.05.2022	निर्माणाधीन परियोजना	29,985.32	607.68
कुल						42,867.75	3,527.84

टिप्पणी: मुंबई, महाराष्ट्र के लिए स्वच्छ परिवहन के लिए ₹29,985.32 करोड़ और ₹3,081.30 करोड़ की ऋण राशि की मंजूरी और गडग, कर्नाटक के लिए हाइब्रिड परियोजनाओं का आंशिक रूप से 750 मिलियन अमरीकी डालर के बॉण्ड और जेपीवाई 61.10 बिलियन बॉण्ड की आय से संवितरण के लिए उपयोग किया गया है जैसा कि तालिका ख और ग में बताया गया है।

आरईसी अपने हरित वित्त ढांचे की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। अपने सतत दायित्वों के अनुसार, आरईसी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के अनुसार बॉण्ड की अवधि के दौरान पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे।

2.4.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी के पास केएफडब्ल्यू जर्मनी के साथ ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) क्रेडिट की 6 लाइनें हैं। जिनमें से पहली चार लाइनें पूरी तरह से खींची जा चुकी हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में, आरईसी ने अभिनव सौर पीवी प्रौद्योगिकी आधारित के आंशिक वित्तपोषण के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार भारत-जर्मन द्विपक्षीय साझेदारी के तहत 169.5 मिलियन अमरीकी डालर के ओडीए सावधि ऋण का लाभ उठाने के लिए केएफडब्ल्यू के साथ पांचवीं लाइन ऑफ क्रेडिट में प्रवेश किया था। इस सुविधा के तहत, 31 मार्च, 2024 तक 123.15 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि निकाली गई है।

इसके अलावा, 2023 में, आरईसी ने 200 मिलियन यूरो के ODA टर्म लोन का लाभ उठाने के लिए केएफडब्ल्यू के साथ छठी लाइन ऑफ

क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए। भारत-जर्मन विकास सहयोग के तहत ऋण की इस लाइन का उपयोग भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के साथ संरेखण में डिस्कॉम के वितरण बुनियादी ढांचे में निवेश को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा। इस सुविधा के तहत 31 मार्च, 2024 तक कोई राशि नहीं निकाली गई है।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी के पास जेआईसीए-1 और II ओडीए ऋणों के तहत जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए क्रेडिट की दो लाइनें थीं जिन्हें पूरी तरह से चुका दिया गया है।

2.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों की "एएए" रेटिंग बरकरार रही, जो कि क्रिसिल, केयर, स्टैंडैक्स एंड रिसर्च और आईसीआरए-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है।

इसके अतिरिक्त, आरईसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज, फिच और जापान क्रेडिट रेटिंग से क्रमश "बीएए3", "बीबीबी-" और "बीबीबी+" की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की सॉवरेन रेटिंग के बराबर है। क्रेडिट रेटिंग का और अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

2.6 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए निवेश

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) पर आरबीआई के परिपत्र के संदर्भ में, कंपनी ने राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) और कॉर्पोरेट बॉण्ड में निवेश किया है।

इसके अलावा, एनएचपीसी एनएचपीसी लिमिटेड में धारित 58,82,025 इक्विटी शेयरों एवं आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड में धारित 3,47,429 इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से मौजूदा बाजार मूल्य पर इसके खरीद मूल्य से अधिक पर बेचा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹52.51 करोड़ का संचयी लाभ हुआ। कंपनी द्वारा किए गए निवेश के अन्य विवरण एकल वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाए गए हैं।

2.7 वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन ₹5,47,440.39 करोड़ थे।

इसमें से, इक्विटी शेयर पूंजी ने ₹2,633.22 करोड़ का योगदान दिया, प्रकृति में पूर्णतः इक्विटी वाले लिखत ₹558.40 करोड़ थे, रिजर्व और अधिशेष सहित अन्य इक्विटी ₹65,591.53 करोड़ थी, उधारियों और अन्य वित्तीय देयताओं सहित वित्तीय देयताओं का योगदान ₹4,78,214.54 करोड़ था और प्रावधानों सहित गैर-वित्तीय देनदारियां ₹442.70 करोड़ थीं।

इन निधियों को ₹5,43,917.60 करोड़ के दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, निवेश आदि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में तैनात किया गया था तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कर संपत्ति आदि सहित गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां ₹3,522.74 करोड़ की थीं, इनके अलावा बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां ₹0.05 करोड़ की राशि की थीं।

3. स्वीकृत ऋण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने ऋण स्वीकृत किए हैं पिछले वित्त वर्ष में ₹2,68,460.54 करोड़ की तुलना में यह ₹3,58,816.34 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत ऋणों में शामिल हैं ₹67,112.15 करोड़ पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं (कोयला खरीद/खनन सहित), ₹1,36,516.17 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (बड़े हाइड्रो सहित), ₹1,01,994.08 करोड़ टीएंडडी परियोजनाओं के लिए जिसमें परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा और देर से भुगतान अधिभार के तहत ऋण शामिल हैं, ₹40,568.92 करोड़ बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं (ई एंड एम कार्यों सहित) और ₹12,625.02 करोड़ अल्पावधि और मध्यम अवधि ऋण के लिए हैं। वर्ष के दौरान श्रेणी-वार स्वीकृतियों का ब्यौरा बाद में इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है।

4. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹96,846.30 करोड़ की तुलना में कुल ₹161,462.28 करोड़ का संवितरण किया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹25,053.77 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए

₹16,024.22 करोड़, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए ₹47,582.22 करोड़, विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ₹9,339.40 करोड़, बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए ₹7,675.84 करोड़ तथा अल्पावधि आरबीपीएफ आदि सहित अन्य ऋणों के लिए ₹55,589.51 करोड़ और आरडीएसएस, डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी घटक सहित) और सौभाग्य योजनाओं के तहत काउंटर-पार्ट फंडिंग के लिए ₹197.32 करोड़ शामिल हैं।

5. वसूली

5.1 वित्तीय वर्ष के दौरान वसूलियां

आपकी कंपनी मूलधन, ब्याज आदि से उत्पन्न होने वाली अपनी बकाया राशि की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹83,138.84 करोड़ की तुलना में ₹1,31,403.85 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) की ओर कुल ₹1,31,041.76 करोड़ की वसूली की, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹82,910.87 करोड़ थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 99.55% की रिकवरी दर हासिल की। 31 मार्च, 2024 तक मानक परिसंपत्तियों (चरण I और II) से संबंधित डिफॉल्ट उधारकर्ताओं से मूल अतिदेय 237.17 करोड़ था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रेडिट प्रभावित संपत्तियों (स्टेज III) से ₹137.09 करोड़ की राशि वसूल की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1,786.72 करोड़ की वसूली की गई थी।

5.2 ऋण बाधित परिसंपत्तियां

आपकी कंपनी की क्रेडिट बाधित परिसंपत्तियां (चरण III) निरंतर निम्न स्तर पर बनी हुई कंपनी ने अपने लाभ में से "हानि रिजर्व" बनाया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

31 मार्च, 2024 तक सकल ऋण बाधित परिसंपत्तियां (चरण III) ₹13,810.33 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 2.71% है और निवल ऋण प्रभावित परिसंपत्तियां (चरण III) ₹4,356.52 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 0.86% है।

5.3 तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आरईसी आरबीआई ढांचे और दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान सहित विभिन्न ढांचे के माध्यम से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की दिशा में निरंतर काम करता है। आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करने में सक्षम है, अर्थात यह विद्युत क्षेत्र में सहयोगी संगठनों में निम्नतम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार तीन तनावग्रस्त बिजली परियोजनाओं का सफलतापूर्वक समाधान और उन्नयन किया है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	आरईसी का एक्सपोजर	टिप्पणियां
1	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	710.84	आईबीसी के अंतर्गत समाधान किया गया।
2	डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	366.88	आईबीसी के बाहर पुनर्गठन के माध्यम से समाधान किया गया
3	क्लासिक ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड	2.91	आईबीसी से इतर ओटीएस के माध्यम से समाधान किया गया।
	कुल	1,080.63	

6. वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

6.1 निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आपकी कंपनी के अपने दिशानिर्देश हैं। प्रमोटर या इकाई का मूल्यांकन वित्तीय प्रदर्शन, साख, प्रबंधन प्रवीणता और प्रमोटर संस्थाओं के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। परियोजना मूल्यांकन सांविधिक मंजूरी, पीपीए, अवसंरचना आदि जैसे विभिन्न तकनीकी मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, कंपनी और परियोजना की संयुक्त रेटिंग के आधार पर परियोजना की एकीकृत रेटिंग तय की जाती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा ढांचा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को सौंपे गए ग्रेड या एकीकृत रेटिंग से जुड़ा हुआ है।

6.2 राज्य विद्युत यूटिलिटियों, संयुक्त उद्यमों, कंपनियों, संस्थाओं आदि की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी के पास राज्य बिजली उपयोगिताओं (राज्य डिस्कॉम, एकीकृत संचालन और बिजली विभागों के साथ राज्य विद्युत बोर्डों / उपयोगिताओं को छोड़कर) की ग्रेडिंग के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित नीति और दिशानिर्देश हैं। राज्य विद्युत यूटिलिटियों (उत्पादन, पारेषण, व्यापार, होल्डिंग कंपनी आदि) की ग्रेडिंग वर्ष के दौरान दो बार की जाती है, जो विशिष्ट पैरामीटरों, परिचालन और वित्तीय निष्पादन, विनियामक अनुपालन, वाषक वित्तीय परिणामों आदि के विरुद्ध यूटिलिटी के निष्पादन के मूल्यांकन पर आधारित होती है। राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों (एकीकृत प्रचालनों और विद्युत विभागों के साथ एसईबी/यूटिलिटियों सहित) के संबंध में, कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ढांचे और रेटिंग के अनुमोदन के बाद, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत रेटिंग को अपनाती है। डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग के लिए रेटिंग ढांचे की समीक्षा की गई है और बाहरी परामर्शदाता द्वारा इसमें संशोधन किया गया है।

वित्त पोषण के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने यूटिलिटियों /संस्थाओं को ए++, ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 180 यूटिलिटियों (राज्य सरकार को छोड़कर) के संबंध में ग्रेडिंग पूरी कर ली है, जिनमें से 21 उपयोगिताओं को ए++ के रूप में, 48 को ए+ के रूप में, 45 को

ए, 31 को बी और 28 उपयोगिताओं को सी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, 7 यूटिलिटियां गैर-अनुक्रियाशील थीं, अतः उनकी ग्रेडिंग नहीं की गई।

6.3 परियोजना की निगरानी

एक अग्रणी वित्तीय संस्थान होने के नाते, आरईसी ने एक विस्तृत और व्यापक परियोजना-निगरानी ढांचा विकसित किया है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, जोखिमों को कम करना और परियोजनाओं में लागत वृद्धि को कम करना सुनिश्चित करना है।

कंपनी द्वारा अपनाए गए परियोजना निगरानी दिशानिर्देशों में निर्माणाधीन और चालू परियोजनाओं की समग्र कड़ी निगरानी के लिए कदमों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। मानीटरिंग की आवृत्ति को विभिन्न कारकों जैसे ऋण क्षेत्र, परियोजना के प्रकार, निर्माण चरण, ऋण के आकार और संवितरण की स्थिति आदि के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

समग्र परियोजना निगरानी गतिविधियों की देखरेख कॉर्पोरेट स्तर पर एक समर्पित समूह द्वारा की जाती है। परियोजना की निगरानी देश भर में स्थित हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों और कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित प्रभागों द्वारा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की कुशल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, स्वतंत्र परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) की भी नियुक्ति की जा रही है। निगरानी के महत्वपूर्ण प्रेक्षकों को नियमित आधार पर समाधान के लिए परियोजना विकासकर्ताओं के साथ उठाया जाता है।

विभिन्न स्तरों पर की गई परियोजना निगरानी के ब्यौरों को शामिल करते हुए एक मासिक एमआईएस आरईसी में सभी संबंधितों के साथ साझा की जाती है।

7. वर्ष के दौरान वित्तीय गतिविधियां

आपकी कंपनी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत और गांवों के विद्युतीकरण सहित विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), पारेषण और वितरण परियोजनाओं, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण सहायता प्रदान करती रही है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख वित्तीय गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार था:



आरईसी द्वारा वित्तपोषित यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट (तेलंगाना) का दृश्य

7.1 उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए 28 ऋण (जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा) स्वीकृत किए जिनमें, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का कार्यान्वयन, कोयले की खरीद आदि के कार्यान्वयन सहित उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल ऋण सहायता की राशि ₹67,112.15 करोड़ थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	27	66,734.15
नए ऋण	23	63,182.85
अतिरिक्त ऋण	4	3,551.30
निजी क्षेत्र	1	378.00
नए ऋण	1	378.00
अतिरिक्त ऋण	-	-
कुल	28	67,112.15

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹1,36,516.17 करोड़ की कुल ऋण सहायता के साथ कुल 17,465 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली सौर पार्क, ई-मोबिलिटी परियोजनाओं के उत्पादन वाली 82 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं सहित) संस्वीकृत कीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ ₹ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	19	52,329.01
नया ऋण	18	51,058.19
अतिरिक्त ऋण	1	1,270.82
निजी क्षेत्र	63	84,187.16
नया ऋण	62	84,134.41
अतिरिक्त ऋण	1	52.75
कुल	82	1,36,516.17

उपर्युक्त ऋणों में 4,876 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 10 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, 4,423 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 33 सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 917 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 15 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 1,775 मेगावाट समग्र क्षमता की 3 सौर+पवन हाइब्रिड परियोजनाएं, 5,450 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 5 पंपड स्टोरेज परियोजनाएं, 24 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 3 लघु पनबिजली परियोजनाएं, 3 सौर मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र, 2 पवन टरबाइन विनिर्माण संयंत्र, 1 सौर इंफ्रा पार्क, 1 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र, 5,750 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 3 ई-मोबिलिटी परियोजनाएं, 2 ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं और हाइड्रोजन परियोजना के लिए 1 आर एंड एम कार्य परियोजनाएं शामिल हैं।

7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने 607 पारेषण और वितरण (टीएंडडी) योजनाएं/परियोजनाएं संस्वीकृत कीं जिनमें कुल ₹1,01,944.08 करोड़ की ऋण सहायता शामिल है, जिसमें भारत सरकार की आरडीएसएस, एलपीएस और आरबीपीएफ योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं शामिल हैं:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (टीएंडडी) श्रेणी के तहत स्वीकृत ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	601	95,849.22
पारेषण ऋण	204	14,888.16
वितरण ऋण	372	49,589.94
एलपीएस के तहत ऋण	7	16,021.12
आरबीपीएफ	18	15,350.00
निजी क्षेत्र	6	6,144.86
पारेषण ऋण	4	4,802.06
वितरण ऋण	2	1,342.80
कुल	607	1,01,994.08

7.4 अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट में 38 ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसमें राजमार्गों/सड़कों के विकास, मेट्रो रेल प्रणालियों, हवाई अड्डों, अस्पतालों आदि जैसे क्षेत्रों में अनेक वृहद अवसंरचना परियोजनाओं में ₹40,568.92 करोड़ की अनुमानित लागत से निवेश किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संस्वीकृत अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ ₹ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	28	30,865.48
राजमार्ग/सड़कें	1	15,537.96
पेयजल/सिंचाई	2	4,903.84
अस्पतालों	2	4,265.25
भूमिगत रेल	1	3,045.00
अन्य	22	3,113.43
निजी क्षेत्र	10	9,703.44
राजमार्ग/सड़कें	7	5,463.44
हवाई अड्डा	2	1,870.00
अन्य- एलओयू सुविधा	1	2,370.00
कुल	38	40,568.92



आरईसी द्वारा वित्तपोषित थेनी/बटलागुंड, तमिलनाडु में 100 एमडब्ल्यूपी (110 एमडब्ल्यूपी) सौर पीवी परियोजना



आरईसी द्वारा वित्तपोषित निपानिया, मंदसौर, मध्य प्रदेश में 20एमडब्ल्यू पवन ऊर्जा परियोजना

7.5 लघु/मध्यम अवधि ऋण और अन्य ऋण सहायता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न विद्युत् यूटिलिटीज को उनकी अल्पकालिक या मध्यम अवधि की निधि की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आदि के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि, विशेष ऋण और अन्य ऋणों के रूप में 27 ऋण भी स्वीकृत किए हैं जिनकी कुल राशि ₹12,625.02 करोड़ है।

7.6 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में आपकी कंपनी द्वारा ₹4,919.29 करोड़ की 2 परियोजनाओं शामिल है।

8. वर्तमान टी एंड डी परिदृश्य और अन्य सुधार

चूंकि देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 442 गीगावॉट (31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार) से अधिक के उच्च स्तर पर है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नियोजित बड़ी क्षमता के साथ पारेषण और वितरण (टीएंडडी) क्षेत्र में वृद्धि देखे जाने की आशा है। तकनीकी रूप से प्राचीन और पुराने होते वितरण ढांचे को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। समय की मांग है कि एक अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय पारेषण और वितरण प्रणाली स्थापित की जाए, जो अधिक भार को संभालने में सक्षम हो। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जैसे नवीकृत वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत बहुत से डिस्कॉम स्तरीय सुधारों के साथ विद्युत क्षेत्र में वितरण सर्वाधिक बल प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र है। इसलिए, टीएंडडी खंड इस क्षेत्र को विश्वसनीय, किफायती और भविष्य के विकास को अवशोषित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आपकी कंपनी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की वित्त व्यवस्था एजेंसी के रूप में, नई अवसंरचना के निर्माण और

मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाने/मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी व्यापक रूप से सिस्टम सुधार और संवर्धन, हानि में कमी के उपायों, आईटी आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि के उद्देश्यों के साथ पारेषण और वितरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं को वित्त-पोषित करती है, और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के विकास और स्थिरता तथा देश की समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और प्रचालन कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। वितरण क्षेत्र का सहयोग करने के लिए सरकार के नीतिगत ढांचे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ), चलनिधि इन्फ्रूजन स्कीम (एलआईएस), विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) आदि जैसी पहले शामिल हैं।

इसके परिणामस्वरूप प्रमुख अवसंरचना सृजन हुआ है और वितरण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष के अंतरों को पाटा गया है। डिस्कॉम को वांछित उपभोक्ता सेवा मानकों को पूरा करने के लिए अपनी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

यह इस उद्देश्य और 24x7 निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ है, कि सुधार-आधारित और परिणाम-लिंकड रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) 2021 में डिस्कॉम को सुधार करने और समयबद्ध तरीके से प्रदर्शन में सुधार करने के लिए समर्थन देने के लिए शुरू की गई थी। भारत सरकार की इस

प्लैगशिप योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी को योजना के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी के लिए 19 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा गया है, अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएफसी को सौंप दिया गया है।

शेष गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा रही है। भारत सरकार ने हाल ही में 15 नवंबर, 2023 को पीएम जनमन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लक्षित विकास का लक्ष्य है। इसके भाग के रूप में, आरडीएसएस के अंतर्गत पीवीटीजी और वीवीपी वासस्थलों/घरों का विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा, वीवीपी (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) के तहत पहचाने गए गांवों में घरों के विद्युतीकरण के प्रस्तावों को भी आरडीएसएस के तहत मंजूरी दी जा रही है।

आपकी कंपनी डिस्कॉम को सुधारों में तेजी लाने और सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें सिस्टम और स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए आईटी-सक्षम सिस्टम और वितरण क्षेत्र के अन्य तकनीकी हस्तक्षेप शामिल हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत संशोधन नियमों, उपभोक्ता अधिकारों के नियमों, सब्सिडी आदि के माध्यम से प्रमुख सुधारों को अधिसूचित किया है जो वितरण क्षेत्र में दक्षता लाएंगे और उपभोक्ता केंद्रित भी हैं। प्रमुख सुधार निम्नलिखित नियमों में संशोधन लाने के माध्यम से लाए जाते हैं:

1) विद्युत नियम, 2005 में संशोधन

क. विद्युत (संशोधन) नियम, 2022; ईंधन और विद्युत प्रापण समायोजन अधिभार (एफपीपीएस) के स्वतः पासथ्रू के लिए फार्मूला और प्रक्रिया के कार्यान्वयन को निर्धारित करता है।

ख. विद्युत (संशोधन) नियम, 2023; (घ) सरकार ने अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच की स्थापना, राज्य आयोगों द्वारा ओम्बड्समैन की नियुक्ति आदि जैसे पहलुओं को शामिल किया है।

ग. विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 2023; सब्सिडी लेखांकन और भुगतान, वित्तीय स्थिरता के लिए फ्रेमवर्क, एटी एंड सी हानि प्रक्षेपवक्र पर राज्यों का मार्गदर्शन करने, हरित ऊर्जा खुली पहुंच आदि के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने को अधिसूचित किया गया।

घ. विद्युत (संशोधन) नियम, 2024; ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार प्रभार, लागत परिवर्तक प्रशुल्क आदि अधिसूचित कवर प्रभारित किए गए हैं।

2) बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020

क. बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023; स्मार्ट मीटरों को पढ़ने के लिए प्रावधानों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टाइम-ऑफ-डे टैरिफ का कार्यान्वयन, टैरिफ में परिवर्तन पर उपभोक्ताओं को समय पर सूचना आदि को शामिल करते हुए अधिसूचित।

ख. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2024; उपभोक्ता आवेदन प्रसंस्करण, ऊर्जा मीटरों के परीक्षण आदि के लिए कम समय-सीमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिसूचना।

3) बिजली (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022

बिजली (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) (दूसरा संशोधन) नियम, 2023; किसी उपभोक्ता की अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार को निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित।

8.2 आरडीएसएस

8.2.1 सिंहावलोकन

आरईसी और पीएफसी भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसियां हैं। 5 वर्षों की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक केंद्र सरकार से ₹3,03,758 करोड़ और अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) ₹97,631 करोड़ है। नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी को स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी और निगरानी के लिए 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा गया है।

निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी डिस्कॉम और विद्युत विभाग इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। यह योजना डिस्कॉम के लिए वैकल्पिक है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (निजी डिस्कॉम को छोड़कर) के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना है। यह स्कीम राज्यों को भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित सुधार उपायों को अपनाने और अवसंरचना कार्यों की योजना बनाने की अनुमति देती है।

8.2.2 उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य हैं:

1. वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना;
2. 2024-25 तक एटी एंड सी हानियों को अखिल भारतीय स्तर 12-15% तक कम करना; और
3. वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना।

प्रत्येक वर्ष एटी एंड सी हानियों/एसीएस-एआरआर राजस्व अंतर को कम करने के राज्य-वार लक्ष्य उनके एटी एंड सी हानियों के वर्तमान स्तरों और एसीएस-एआरआर अंतर पर निर्भर करेंगे।

8.2.3 घटक

पार्ट ए – मीटरिंग और वितरण अवसंरचना कार्य:

घटक-I : प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग

घटक-II : वितरण अवसंरचना की प्रणाली मीटरिंग और उन्नयन

घटक-III : परियोजना प्रबन्धन

पार्ट बी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम और सहायक गतिविधियां:

जिनमें मानव कौशल का उन्नयन, प्रक्रिया में सुधार, नोडल एजेंसी शुल्क, विद्युत मंत्रालय के सक्षमकर्ता घटक (संचार योजना, प्रचार, उपभोक्ता सर्वेक्षण, उपभोक्ता जागरूकता और अन्य संबंधित उपाय

जैसे तृतीय-पक्ष मूल्यांकन आदि), स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का संवर्धन (फील्ड स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में शामिल कर्मियों के लिए एआई, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित), पुरस्कार और मान्यताएं आदि शामिल हैं।

जारी अनुमोदित परियोजनाएं: पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में पीएमडीपी 2015 के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं को आरडीएसएस में समामेलित कर दिया गया है।

8.2.4 फंडिंग पैटर्न

मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निर्धारित परिणामों और सुधारों की उपलब्धि से जुड़ी योजना के अधीन निम्नानुसार निधि जारी की जाएगी:

पार्ट ए – मीटरिंग और वितरण अवसंरचना कार्य

घटक-I : मौजूदा बुनियादी ढांचे के एकीकरण सहित उपभोक्ता, डीटी और फीडर स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग समाधानों को जीबीएस के माध्यम से निम्नानुसार वित्त पोषित किया जाएगा:

- “विशेष श्रेणी के अधिसूचित राज्यों को छोड़कर” डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर ₹900 की एक निश्चित राशि, या पूरी परियोजना के लिए आकलित प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15%, जो भी कम हो।
- “विशेष श्रेणी के अधिसूचित राज्यों” में डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर ₹1,350 की एक निश्चित राशि, या पूरी परियोजना के लिए आकलित प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 22.5%, जो भी कम हो।

दिसंबर 2023 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की संस्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, स्कीम के तहत निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

- “विशेष श्रेणी के अधिसूचित राज्यों को छोड़कर” डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर ₹450 की एक निश्चित राशि, या पूरी परियोजना के लिए आकलित प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 7.5%, जो भी कम हो।
- “विशेष श्रेणी के अधिसूचित राज्यों” में डिस्कॉम के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर ₹675 की एक निश्चित राशि, या पूरी परियोजना के लिए आकलित प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 11.25%, जो भी कम हो।

घटक-II: एससीएडीए, डीएमएस, एबी केबलों, फीडर पृथक्करण सहित वितरण अवसंरचना कार्य जीबीएस के माध्यम से वित्त-पोषित की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता इस प्रकार होगी:

- “विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा” डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 60% तक, और
- “विशेष श्रेणी के राज्यों” में डिस्कॉम के लिए, अनुमोदित परियोजना लागत का 90% तक।

पार्ट बी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षमकारी और समर्थकारी क्रियाकलाप:

- अनुमानित परियोजना लागत का 100% जीबीएस के माध्यम से वित्त-पोषण के लिए पात्र होगा।

जारी अनुमोदित परियोजनाएं : आरडीएसएस में समामेलित पीएमडीपी 2015 के तहत संस्वीकृत परियोजनाएं संस्वीकृति के मौजूदा दिशानिर्देशों और निबंधनों एवं शर्तों के संदर्भ में आरडीएसएस के तहत निधियों का अनुदान प्राप्त करने की पात्र होंगी।

8.2.5 विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रगत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रवर्तित करना

आरडीएसएस प्रणाली मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/प्रचालन प्रौद्योगिकी (ओटी) उपकरणों के

माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रगत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर विशेष बल प्रदान करता है, ताकि साझेदारी और परामर्श का लाभ उठाकर विद्युत वितरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी प्रगत प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करते हुए परिकल्पित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

माननीय केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा “पावरथॉन” नामक प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता (टीएसपी), स्टार्ट अप, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, उपकरण निर्माताओं, राज्य विद्युत यूटिलिटीज तथा अन्य राज्य और केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को जटिल समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे एआई/एमएल, ब्लॉकचैन इत्यादि के आधार पर अपने प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का प्रदर्शन करने के लिए भागीदारी हेतु एक मंच सृजित करना है।

आरईसी ने प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्रों की पहचान करने, प्रतिस्पर्धी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से टीएसपी का चयन करने, प्रायोगिक परियोजना और इसके प्रवर्धन हेतु सुशासन तंत्र स्थापित करने के लिए पावरथॉन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए इनक्यूबेटर के रूप में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे (एसआईएनई आईआईटी-बॉम्बे) के साथ साझेदारी की है।

इस साझेदारी के तहत, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं (टीएसपी) से 275 आवेदन प्राप्त हुए जो 10 प्रमुख समस्या/चुनौती क्षेत्रों में समाधान प्रदान करते हैं। बाद में स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रियाओं के बाद विभिन्न डिस्कॉम में 17 पायलट परियोजनाओं के लिए 16 टीएसपी का चयन किया गया। 7 टीएसपी को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया और उपभोक्ता अनुभव वृद्धि, एटी एंड सी हानि में कमी, ऊर्जा चोरी का पता लगाने, मांग और लोड पूर्वानुमान और वनस्पति प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उनके पायलट प्रोजेक्ट किए गए। इनमें से 5 पायलट परियोजनाओं को स्टार्ट-अप द्वारा और 2 पायलट परियोजनाओं को गैर-स्टार्ट-अप द्वारा निष्पादित किया गया था। ये सफल पायलट परियोजनाएं राज्यों में फैली हुई हैं।

उपर्युक्त के साथ-साथ, कार्यक्रम के तहत कुछ प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं (टीएसपी) को आरईसीपीडीसीएल (आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा बिलिंग दक्षता, संग्रह दक्षता, तकनीकी हानियों में सुधार और मांग और लोड पूर्वानुमान जैसे प्रमुख मॉड्यूल के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है।

8.3 राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ)

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है, जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें ₹8,466 करोड़ (ब्याज सब्सिडी और अन्य आकस्मिक व्ययों के प्रति) का प्रावधान है, जिसे दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान संस्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए ₹23,973 करोड़ के ऋण संवितरण पर प्रदत्त ब्याज के लिए 14 वर्षों में प्रदान किया जाना है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटीज और वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। इस सुधार से जुड़ी योजना में, एनईएफ दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार-आधारित मापदंडों की उपलब्धि पर, डिस्कॉम को 3% से 7% की सीमा में ब्याज सब्सिडी देय है।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की यूटिलिटीएँ पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं जिसमें 31 मार्च, 2024 तक ₹2,462.36 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

8.4 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, डीडीयूजीजेवाई, जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, अपने समापक वित्तीय वर्ष 2021-22 में, अर्थात् 31 मार्च, 2022 को पूर्ण हो गई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों को, उनकी जनसंख्या संबंधी मानदंड पर ध्यान दिए बिना, विद्युतीकरण के लिए कवर किया गया है। सभी पूर्ववर्ती चल रही ग्राम विद्युतीकरण (आरई) स्कीमों को डीडीयूजीजेवाई में समामेलित कर दिया गया था। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, देश के सभी शेष गैर-विद्युतीकृत जनगणना वाले गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत कर दिए गए।

डीडीयूजीजेवाई ने निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए 24x7 बिजली' की उपलब्धि की दिशा में सुविधा प्रदान की है।

- क. गैर-कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना
- ख. उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण और संवर्धन;
- ग. माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;;
- घ. वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और
- ङ. ग्रामीण विद्युतीकरण घटक (पूर्ववर्ती आरई परियोजनाओं सहित)।

योजना के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया था; और निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि होने पर 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) तक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया था।

31 मार्च, 2024 तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयूजीजेवाई (नए और अतिरिक्त एचएच और डीडीजी) के लिए 43,633.23 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें भारत सरकार से ₹26,745.00 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल थी।

8.4.1 पूर्ववर्ती आरई परियोजनाएं, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विलयित

परियोजनाओं की राशि पूर्ववर्ती संशोधित अनुमान परियोजनाओं (अर्थात्, दसवीं योजना, ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना) के तहत 62,062.93 करोड़ का निष्पादन किया गया था, डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी) के अंतर्गत समाहित (डीडीजी) योजना को संघ राज्य क्षेत्रों सहित 29 राज्यों में मिला दिया गया है, भारत सरकार ने 31 मार्च, 2024 तक योजना के तहत ₹54,627.31 करोड़ जारी किए गए हैं।

8.5 सौभाग्य - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना), जिसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी है, पूरी हो चुकी है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- क. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और बिजली कनेक्शन;
- ख. शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से निर्धन गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए अंतिम छोर तक संयोजनता और बिजली कनेक्शन। गैर-निर्धन शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है;
- ग. दूरदराज के और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो-वोल्टिक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या किफायती नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत, 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ₹9,244.22 करोड़ का निष्पादन किया गया, जिसके लिए भारत सरकार का ₹6,330.35 करोड़ का अनुदान 31 मार्च, 2024 तक योजना के तहत जारी किया गया है।

8.5.1 सौभाग्य घरों के विद्युतीकरण को सुकर बनाने के लिए डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त अवसंरचना

सौभाग्य योजना के लिए डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ₹11,373.26 करोड़ निष्पादित किए गए, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2024 तक इस योजना के तहत ₹7,566.49 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है।

8.6 प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015)

तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य, अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण सुदृढीकरण कार्यों के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015) की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 नवंबर, 2015 को की गई थी, जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत ₹2,570.14 करोड़ (भारत सरकार से 90% अनुदान अर्थात् ₹2,301.62 करोड़) थी। इस योजना के तहत शामिल किए गए प्रमुख कार्यों में प्रणाली को मजबूत करना, अलग-थलग पड़े घरों को जोड़ना, कंटीले तारों की बाड़ और पुराने खंभों को बदलना, पर्यटन स्थलों पर भूमिगत केबल बिछाना, उपभोक्ता मीटरिंग करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 33/11 केवी सब-स्टेशनों का निर्माण और धार्मिक तीर्थ-स्थलों पर विद्युत अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है।

उपरोक्त में से ₹1,029.70 करोड़ की परियोजना लागत (भारत सरकार का अनुदान ₹926.73 करोड़) और पीएमए अनुदान ₹5.15 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढीकरण कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय द्वारा पीएमडीपी-2015 के तहत ₹527.55 करोड़ की अतिरिक्त परियोजना लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सुदृढीकरण परियोजनाओं के लिए ₹2.65 करोड़ का पीएमए शुल्क और ₹28.44 करोड़ का पीआईए शुल्क स्वीकृत किया गया है। निधियों को आरईसी के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में पीएमडीपी-2015 के अंतर्गत परियोजनाओं को मौजूदा दिशानिर्देशों और निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार आरडीएसएस में समामेलित कर दिया गया है और ये परियोजनाएं आरडीएसएस के तहत निधियों के अनुदान के लिए पात्र हैं।

31 मार्च, 2024 तक, आरईसी ने पीएमडीपी के प्रारंभ से पीएमडीपी ग्रामीण के तहत ₹831.63 करोड़ का अनुदान जारी किया। इसके अलावा, आरईसी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए टीएसए (ट्रेजरी सिंगल अकाउंट) बनाए जाने के बाद जुलाई, 2022 से पीएमडीपी शहरी (स्मार्ट मीटरिंग सहित) में 441.09 करोड़ जारी किए हैं और आरईसी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था, मार्च 2024 से पीएमडीपी ट्रांसमिशन के तहत ₹266.65 करोड़ जारी किए गए हैं।

8.7 डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग

आरईसी द्वारा उपभोक्ता केंद्रित सेवा और प्रचालन पैरामीटर के संदर्भ में देश भर में डिस्कॉमों (सरकारी/निजी) की ग्रेडिंग के लिए एक कवायद शुरू की गई थी। इसके लिए अंक देने की प्रक्रिया 4 (चार) व्यापक मानकों में विस्तारित है, अर्थात् (1) प्रचालन विश्वसनीयता (2) कनेक्शन और अन्य सेवाएं (3) मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह (4) दोष सुधार और शिकायत निवारण। डिस्कॉम की उपरोक्त सेवा रेटिंग रिपोर्ट का तीसरा संस्करण (वित्तीय वर्ष 2022-23) आरईसी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

<https://recindia.nic.in/consumer-service-rating-of-discoms>

8.8 नियामक पैरामीटर रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरईसी ने विद्युत क्षेत्र में समूचे उत्पादन, पारेषण और वितरण खंड के भीतर विभिन्न हितधारकों के

लाभ के लिए और नीति निर्माण में सहायता के रूप में आवधिक रिपोर्टें प्रकाशित की हैं जिनमें विभिन्न विद्युत क्षेत्र में प्रमुख विनियामक मापदंडों को शामिल किया गया है। प्रकाशित रिपोर्ट को आरईसी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/RegulatoryParameters> पर देखा जा सकता है।

8.9 “डिस्कॉम की संगठनात्मक संरचना और भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन” के संबंध में रिपोर्ट

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने समय-समय पर शुरू किए गए विभिन्न सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम में कुशल संगठन संरचना और उचित जनशक्ति योजना की भूमिका पर प्रमुख जोर देने के साथ मौजूदा विभिन्न संगठनात्मक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए अपर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में 11 अगस्त, 2021 को एक टास्क फोर्स का गठन किया। विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आरईसी ने सुशासन और मानव संसाधन प्रबंधन पहलुओं पर प्रमुख ध्यान देने के साथ मौजूदा संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं और भर्ती चक्र और विभिन्न डिस्कॉम के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर एक विस्तृत अध्ययन किया था और सर्वोत्तम प्रथाओं और सुझाए गए मानक का एक सार-संग्रह विकसित किया और पुरानी संरचनात्मक और जनशक्ति चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानक मार्गदर्शी रूपरेखा का सुझाव दिया। “डिस्कॉम की संगठनात्मक संरचना और भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन” के संबंध में रिपोर्ट विद्युत द्वारा 20 मार्च, 2023 को सभी राज्यों को वितरित की गई थी ताकि राज्य डिस्कॉम में रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जा सके ताकि उन्हें संगठनात्मक रूप से मजबूत किया जा सके और बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य को अग्रसक्रिय रूप से संभाला जा सके।

8.10 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र आपकी कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अंतर्गत वितरण क्षेत्र की एक पहल है और यह अपने ही प्रकार का प्रथम अनुप्रयोग है जिसे उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ऊर्जा मित्र राज्य बिजली वितरण यूटिलिटीज के लिए एक केंद्रीय आउटटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करता है, जो पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, ई-मेल या पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से बिजली आउटटेज की जानकारी प्रसारित करता है। पूरे देश में उपभोक्ताओं को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पावर आउटटेज अपडेट मिलता है। ऊर्जा मित्र, देश के किसी भी हिस्से में वास्तविक समय में बिजली कटौती को देखने और बिजली कटौती की शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, देश में 53 डिस्कॉम के लगभग 23.7 करोड़ उपभोक्ताओं का डेटा ऊर्जामित्र ऐप पर अपलोड कि या गया है और अब तक उपभोक्ताओं को लगभग 705 करोड़ एसएमएस भेजे गए हैं।

8.11 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना

11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य “सभी के लिए 24x7 बिजली” की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए फीडर स्तर पर ग्रामीण बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मानकों की निगरानी करना है। आरएफएमएस के अंतर्गत, मॉडेम/डीसीयू जैसे संचार उपकरणों की संस्थापना के माध्यम से फीडरों को उनके आंकड़े बांटने में सक्षम बनाकर ग्रामीण, कृषि और मिश्रित (कृषि ग्रामीण) 11 केवी फीडरों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित स्वचालित प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई थी। संबंधित हितधारकों को कई आवश्यक फीडर मीटर मापदंडों से प्राप्त डेटा के माध्यम से संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि और उपयोगी एमआईएस के साथ सशक्त बनाया जाता है।

आरएफएमएस ने देश भर में सभी ग्रामीण फीडरों को मजबूत किया है और ग्रामीण भारत के लिए विश्वसनीयता मापदंडों का निष्कर्ष निकालने में काफी योगदान दिया है।

8.12 राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस)

आरईसीपीडीसीएल राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएफएमएस) के कार्यान्वयन की अगुवाई कर रहा है, जो क्लाउड आधारित केंद्रीय आईटी प्लेटफॉर्म है जिसे देश भर में सभी 33/22/11 केवी आउटगोइंग वितरण फीडरों में बिजली की विश्वसनीयता और गुणवत्ता की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अत्याधुनिक एप्लिकेशन को नेशनल पावर पोर्टल से जोड़ना और मशीन-टू-मशीन (एम2एम) डेटा ट्रांसमिशन विधियों को नियोजित करना कुशल और सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करता है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप से जुड़ी त्रुटियों को कम किया जा सकता है। वितरण प्रणाली में ऊर्जा एक्सचेंजों की सटीक और प्रभावी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पर जोर परिचालन त्रुटियों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है जो मानव भागीदारी के कारण हो सकते हैं। डेटा संग्रह और ट्रांसमिशन को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, इस पहल का उद्देश्य बिजली वितरण की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाना है।

उपरोक्त के अलावा, वेब-आधारित विश्लेषणात्मक मंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना उल्लेखनीय है क्योंकि यह हितधारकों को रिपोर्ट तैयार करने और देखने में सक्षम बनाता है, साथ ही विभिन्न डिस्कॉम में फीडर डेटा से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। यह क्षमता सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, जिससे हितधारकों को वितरण नेटवर्क के भीतर अनुकूलन के लिए रुझानों, विसंगतियों और अवसरों की पहचान करने की अनुमति मिलती है।

देश के सभी डिस्कॉम में लगभग 2.5 लाख फीडरों को कवर करना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन ~1 लाख फीडरों का एकीकरण पहले से ही 31 मार्च, 2024 तक महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित करता है, जिसमें 29 डिस्कॉम और 15 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सक्रिय रूप से सिस्टम को डेटा भेज रहे हैं। वितरण क्षेत्र में विश्लेषण और निर्णय लेना।

यह कार्यापलट नए युग की शुरुआत का प्रतीक है ताकि डिजिटल रूप से संचालित नेटवर्क सिस्टम के साथ बिजली वितरण क्षेत्र की ताकत को एकीकृत करके अपनी शुद्ध-शून्य महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में नए भारत का नेतृत्व किया जा सके।

8.13 स्मार्ट ग्रीपेड मीटरिंग

आरईसीपीडीसीएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईई) के रूप में देश भर में उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढांचा (एएमआई) परियोजनाओं को लागू कर रहा है। कंपनी ने पहले ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ में 5.07 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं।

कंपनी जम्मू-कश्मीर में लगभग 5.5 लाख स्मार्ट मीटर और लद्दाख में 0.60 लाख मीटर लगाने की परियोजनाओं को लागू कर रही है।

आरडीएसएस योजना के तहत, आरईसीपीडीसीएल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए 15 लाख स्मार्ट मीटर और गुजरात डिस्कॉम के लिए 42 लाख स्मार्ट मीटर की स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को लागू कर रहा है।

8.14 पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन:

आरईसीपीडीसीएल लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को लागू कर रहा है, जो भारत की सबसे ऊंची ट्रांसमिशन लाइन है। इस परियोजना में लद्दाख के नुब्रा और जांस्कर घाटी में आधुनिक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) का निर्माण भी शामिल है। ये परियोजनाएं लद्दाख को निर्बाध ग्रिड बिजली आपूर्ति से जोड़ेंगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद करेंगी।

8.15 रूफटॉप सोलर योजना

देश में 40 गीगावॉट रूफ टॉप सोलर (आरटीएस) क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 8 मार्च, 2019 को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज- II लॉन्च किया। कार्यक्रम में पिछले वर्ष की संस्थापित क्षमता के अतिरिक्त एक वर्ष में अतिरिक्त आरटीएस क्षमता की प्राप्ति के लिए डिस्कॉम को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और प्रोत्साहन प्रदान करके आवासीय क्षेत्र में 4000 मेगावाट आरटीएस क्षमता की स्थापना की परिकल्पना की गई है। कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क सहित ₹11,814 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे शुरू में वर्ष 2022 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में कार्यक्रम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

30 नवंबर, 2023 तक, चरण- II कार्यक्रम की सब्सिडी योजना के तहत 2,651.10 मेगावाट आरटीएस क्षमता स्थापित की गई। देश में संचयी आरटीएस स्थापित क्षमता 31 मार्च, 2019 को 1.8 गीगावॉट से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक 11.9 गीगावॉट हो गई है।

इस योजना को और गति देने के लिए, सरकार ने हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है और 'रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज- II' को इस योजना में शामिल कर लिया गया है।

8.16 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कुल परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। एक करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर लगाने और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए ₹75,021 करोड़ संस्वीकृत किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया था।

यह योजना 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सीएफए प्रदान करती है। सीएफए को 3 किलोवाट पर कैप किया जाएगा। वर्तमान बैंचमार्क मूल्यों पर, स्कीम के लिए सीएफए निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आवासीय खंड का प्रकार	सीएफए	सीएफए (विशेष श्रेणी राज्य)
1.	आवासीय क्षेत्र (आरटीएस क्षमता का पहला 2 केडब्ल्यूपी या उसका हिस्सा)	₹30,000/ केडब्ल्यूपी	₹33,000/ केडब्ल्यूपी
2.	आवासीय क्षेत्र (1 केडब्ल्यूपी या उसके हिस्से की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ)	₹18,000/ केडब्ल्यूपी	₹19,800/ केडब्ल्यूपी
3.	आवासीय क्षेत्र (3 केडब्ल्यूपी से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4.	500 केडब्ल्यूपी (@3 केडब्ल्यूपी प्रति घर) तक ईवी चार्जिंग सहित सामान्य सुविधाओं के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज/ रेजिडेंशियल वेल्फेयर एसोसिएशन (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि।	₹18,000/ केडब्ल्यूपी	₹19,800/ केडब्ल्यूपी

एक राष्ट्रीय पोर्टल (<https://pmsuryaghar.gov.in>) इस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके माध्यम से परिवार सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और रूफटॉप सोलर संस्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे। परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% के संपार्श्विक-मुक्त, कम ब्याज वाले ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

प्रस्तावित योजना में आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता के अतिरिक्त होने का अनुमान है, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी और इसके परिणामस्वरूप रूफटॉप सिस्टम के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन सीओ₂ समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी।

9. सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन और उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान और संचयी रूप से 31 मार्च, 2024 तक विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

9.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरडीएसएस, डीडीयूजीजेवाई और पीएमडीपी-2015 के तहत प्रदर्शन और उपलब्धियां

क. संस्वीकृति और रिलीज: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसी (नोडल एजेंसी) को सौंपे गए राज्यों में पीएमए सहित स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के लिए किए गए कार्यों हेतु आरडीएसएस के तहत ₹5,275.36 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी।

भारत सरकार की आर्थिक सहायता को आरईसी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान या अपने स्वयं के स्रोतों से ऋण के माध्यम से उसके समान योगदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्यों को ₹6,968.79 करोड़ [जिसमें आरडीएसएस: ₹5,325.43 करोड़, डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा सहित): ₹1,013.26 करोड़, सौभाग्य ₹27.81 करोड़, पीएमडीपी ग्रामीण ₹88.97 करोड़, पीएमडीपी शहरी (स्मार्ट मीटरिंग सहित) ₹246.67 करोड़, पीएमडीपी ट्रांसमिशन ₹266.65 करोड़ की कुल जीबीएस निधियां जारी की गई हैं।

ख. आरडीएसएस के तहत भौतिक प्रगति: आरडीएसएस के तहत 15,50,031 स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए।

9.2 मार्च 31, 2024 तक संचयी प्रदर्शन

क. स्वीकृति और रिलीज: आरडीएसएस के तहत, स्मार्ट मीटरिंग और नुकसान में कमी (वाराणसी के लिए सीमा क्षेत्र, वीवीपी, एलटी सहायक, पीवीटीजी कार्य, अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों सहित) के लिए आरईसी (नोडल एजेंसी) को आवंटित राज्यों को ₹1,42,797.62 करोड़ (पीएमए सहित) मंजूर किए गए थे।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आरई परियोजनाओं और सौभाग्य स्कीमों सहित कुल 1,41,960.99 करोड़ स्वीकृत किए गए थे और परियोजनाओं के पूरा होने पर, कुल निष्पादित लागत 31 मार्च, 2024 तक 1,26,313.64 करोड़ थी।

पीएमडीपी (ग्रामीण) के अंतर्गत ₹1,687.98 करोड़ मंजूर किए गए थे।

योजनाओं के शुभारंभ के बाद से, आरईसी द्वारा 31 मार्च, 2024 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार अनुदान निधि के ₹1,02,703.53 करोड़ वितरित किए गए हैं [जिसमें आरडीएसएस (पीवीटीजी सहित) शामिल है: 5,924.68 करोड़; डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त बुनियादी ढांचे सहित): ₹88,909.13 करोड़; सौभाग्य: 6,330.35 करोड़, पीएमडीपी ग्रामीण: 831.63 करोड़, पीएमडीपी शहरी (स्मार्ट मीटरिंग सहित): जुलाई 2022 से 441.09 करोड़, पीएमडीपी ट्रांसमिशन: मार्च 2024 से ₹266.65 करोड़।

ख. भौतिक प्रगति:

i) **डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना सहित)**
डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त अवसंरचना सहित) स्कीम के आरम्भ से समापन तक, निम्नलिखित कार्यों को संचयी रूप से पूरा किया गया है।

- संवर्धन सहित सब-स्टेशनों को चालू करना : 7,231
- वितरण ट्रांसफार्मर को चालू करना (संवर्धन सहित): 16,57,684
- 11 केवी लाइन (फीडर पृथक्करण): 8,02,181 सीकेएम
- एलटी लाइनें: 13,47,723 सीकेएम
- 33 केवी/66 केवी लाइनें: 41,138 सीकेएम
- उपभोक्ता मीटरिंग की संस्थापना: 1,87,97,312
- डीटीआर और फीडर की मीटरिंग: 2,54,307

ii) आरडीएसएस

आरडीएसएस की स्थापना के बाद से, 31 मार्च, 2024 तक आरडीएसएस के तहत संचयी रूप से निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए हैं:

- आरडीएसएस के तहत स्थापित स्मार्ट उपभोक्ता मीटरिंग की संख्या: 30,47,216

ग) सौभाग्य: सौभाग्य के शुभारम्भ से विभिन्न स्कीमों नामतः सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आरई, पीएमडीपी और राज्यों की अन्य नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं के तहत 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुवीक्षण

आपकी कंपनी ने सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीज को वितरण प्रणाली में नियमित रूप से सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देशों आश्वस्त तकनीकी विवरण (जीटीपी), लेआउट डाइंग, डेटा शीट और निर्माण मानकों का उपयोग राज्य बिजली यूटिलिटीज द्वारा उनके राज्य द्वारा अपनाई प्रणालियों के साथ किया जा रहा है।

कंपनी वितरण क्षेत्र में नई उभरती प्रौद्योगिकियों को अपना रही है, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर सहित प्रीपेड स्मार्ट मीटर, उपभोक्ता और सिस्टम मीटरिंग, एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई, हेड-एंड सिस्टम, मीटरिंग डाटा मैनेजमेंट, बिलिंग सॉफ्टवेयर/सिस्टम और संचार प्रौद्योगिकी), पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अभिग्रहण (स्काडा), वास्तविक समय डाटा अभिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएस), वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), सूचना प्रौद्योगिकी / प्रचालनात्मक प्रौद्योगिकी (आईटी/ओटी) संबंधित कार्य। राज्य विद्युत यूटिलिटीज अपनी प्रचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए इन नई तकनीकों का लाभ उठा रही है।

सरकारी कार्यक्रमों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान साइट और फील्ड कार्यों के लिए आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री और फील्ड कार्य निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर (आरक्यूएम) नियुक्त किए गए हैं। ग्रामीण भारत की सामान्य आजीविका और विकास पर योजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के आकलन के लिए पहले से लागू योजनाओं अर्थात् सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई योजनाओं का अन्य पक्ष की एजेंसियों नामतः क्रमशः मैसर्स आरटीआई-यूसीएलए और मैसर्स ईएंडवाई द्वारा प्रभाव मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

इसके अलावा, आवधिक निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक गुणवत्ता जांच और प्रक्रियाओं के अलावा निगरानी समिति द्वारा व्यापक गुणवत्ता दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया है। नोडल एजेंसी (आरईसी/पीएफसी) डिस्कॉम/विद्युत विभाग में कार्य प्रगति के सभी स्तरों पर अन्य पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) के माध्यम से आरडीएसएस के कार्यों की गुणवत्ता का समवर्ती निरीक्षण करने में सहायता कर रही है, उदाहरण के लिए, विद्युत ट्रांसफार्मरों का पीडीआई, क्षेत्र सामग्री गुणवत्ता निरीक्षण और परीक्षण (एफएमक्यूआईटी), क्षेत्र कार्य गुणवत्ता निरीक्षण (एफडब्ल्यूक्यूआई)।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें क्रेडिट जोखिम, प्रचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम सहित विभिन्न जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें कम करने के लिए लगातार उचित कदम उठा रही है।

प्रमुख जोखिमों और उनके शमनीकरण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

I. क्रेडिट जोखिम: क्रेडिट जोखिम वित्त-पोषण उद्योग में निहित जोखिम है और इसमें हानि होने का जोखिम शामिल है, जो उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न होता है और वह जोखिम कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर चूक करेगा।

इसे कम करने के लिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने के उपाय शामिल होते हैं। इसके अलावा, नियमित आधार पर आरईसी ऋण पुस्तिका को ईसीएल पद्धति के आधार पर परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

II. प्रचालन जोखिम: प्रचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है।

कंपनी के प्रचालन जोखिमों का अध्ययन व्यवसाय, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा, कानूनी, प्रचालन और सामरिक जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है। कंपनी ने एक व्यापक जोखिम रजिस्टर लागू किया है, जिसके माध्यम से सभी प्रचालन जोखिमों को मापा जाता है और उन्हें उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

III. चलनिधि जोखिम: चलनिधि जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों से जुड़ी परिपक्वता के बेमेल के कारण उत्पन्न होता है। देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम शामिल होता है क्योंकि वे देय हो जाते हैं। चलनिधि जोखिम में कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को धन प्रदान करने, वित्त-पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है। कंपनी को चलनिधि जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए प्रतिकूल शर्तों पर धन जुटाने या परिसंपत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। चलनिधि जोखिम को कम करने के लिए, परियोजना संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों का मिश्रण शामिल होता है।

IV. बाजार जोखिम: कंपनी के बाजार जोखिम को कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बाजार की गतिशीलता में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है, जैसे ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतें, विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव।

कंपनी ने बाजार जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएं लागू की हैं। कंपनी ने ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम सहित बाजार जोखिम के घटकों की निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का भी गठन किया है।

V. ब्याज दर जोखिम: ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है।

ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, आपकी कंपनी समय समय पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत की समीक्षा करती है।

(vi) **विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) जोखिम:** विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव शामिल होता है जो विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कंपनी उचित हेजिंग रणनीतियों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है।

(vii) **पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी जोखिम:** ईएसजी संबंधी जोखिम पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन कारकों से उत्पन्न होते हैं जिनका कंपनी के प्रचालन, वित्तीय प्रदर्शन और प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है। विश्व भर में संबंधित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती जलवायु चिंताओं और सरकारों के प्रोत्साहन के कारण, ईएसजी संबंधी जोखिमों पर बहुत महत्व दिया गया।

आरईसी अपने प्रचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी विचारों को शामिल करता है। इस संबंध में, कंपनी ने फोकस क्षेत्रों को कवर करते हुए एक ईएसजी नीति तैयार और कार्यान्वित की है।

11.1 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की स्थापना की है जिसमें कंपनी के एकिकृत जोखिमों की निगरानी के लिए निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक, आरएमसी में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त) और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। संगठन के प्रमुख प्रभागों के कार्यपालक निदेशक, आरएमसी की बैठकों में आमंत्रित हैं।

आरएमसी की प्राथमिक भूमिका विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और कंपनी के संचालन और संबंधित मामलों से संबंधित शमन कार्यों की सिफारिश करना है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई मानदंडों के अनुपालन में, कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है जो आरएमसी के संयोजक के रूप में कार्य करता है, प्रभावी समन्वय और जोखिम निरीक्षण सुनिश्चित करता है।

11.2 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति

बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसमें निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त), कार्यपालक निदेशक और वित्त और परिचालन प्रभागों के प्रमुख इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। एएलसीओ ब्याज दरों, तरलता और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करता है।

12. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

आपकी कंपनी में अप्रैल, 2022 से बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) नीति / मैनुअल है जो संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ता है और निदेशक मण्डल, लेखापरीक्षा समिति और वरिष्ठ प्रबंधन को संगठन के आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और शासन संबंधी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करता है। यह ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमा स्वीकार न करने वाली सभी एनबीएफसी के लिए आरबीआईए कार्यवाही हेतु आरबीआई के अधिदेश के अनुरूप है। आरबीआईए संगठन को जोखिमों की पहचान करने और बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जोखिम प्राथमिकता और दिशा के आधार पर उन पर ध्यान देने में सहायता करेगा। आरबीआईए ढांचे के तहत गतिविधियों में संचालन/ गतिविधियों का स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना तैयार करना और आरबीआईए नीति में परिभाषित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन शामिल है।

13. पसंदीदा ग्राहक नीति

व्यापार संवर्धन रणनीति के एक भाग के रूप में, कंपनी के ग्राहकों को सेवाओं के उन्नत स्तर की पेशकश करने और उनके साथ दीर्घकालिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाए रखने के मूल उद्देश्य के साथ 2008 में एक पसंदीदा ग्राहक नीति तैयार की गई थी। नीति पसंदीदा ग्राहकों को निर्धारित करने तथा उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों, साथ ही आरईसीआईपीएमटी हैदराबाद द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण संबंधी घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित करने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करती है जो बकाया ऋण की राशि, ऋण संबंध की अवधि, उधारकर्ता का पुनर्भुगतान ट्रेक रिकॉर्ड आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

14. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

14.1 **ईआरपी आवेदन:** आरईसी ने 2009 से परिचालन में मौजूदा ई-बिजनेस ईआरपी (ओरेकल ई-बिज़ सूट 11i) को आर12 के उच्च संस्करण में बदल दिया है और ईआरपी हार्डवेयर को आरईसी डेटा सेंटर में निजी क्लाउड वातावरण में स्थानांतरित कर दिया है। नया ईआरपी जीएसटी और नवीनतम लेखा मानक (इंड-एस) का समर्थन करता है और इसमें उन्नत विशेषताएं हैं जिन्होंने कंपनी के व्यवसाय संचालन के आगे स्वचालन की सुविधा प्रदान की है। ईआरपी प्रणाली में आवश्यकताओं के अनुसार लगातार सुधार किया जाता है।

14.2 **एनआईसी ई-ऑफिस:** आरईसी में लागू स्वचालित वर्कफ्लो और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन (केएमएस) सुविधाओं के साथ एनआईसी ई-ऑफिस समाधान। इस प्रणाली ने निगम के कामकाज में बड़े परिवर्तन, बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और कागज रहित वातावरण की हरित पहल की दिशा में एक कदम के रूप में लाया है।

14.3 **कंपनी के नेटवर्क बुनियादी ढांचे का विस्तार:** संचालन की मांग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च उपलब्धता के साथ, नवीनतम नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों सहित आपकी सम्पूर्ण कंपनी में एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क अवसंरचना सुविधा को नया रूप दिया गया है। सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ स्थानों से आरईसी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा प्रदान की है ताकि व्यावसायिक अनुप्रयोगों, जैसे ईआरपी और एनआईसी ई-ऑफिस, तक पहुंच प्राप्त की जा सके और इस प्रकार बिना किसी व्यवधान के निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सकें।

14.4 **प्राथमिक डाटा सेंटर (पीडीसी) और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी):** आरईसी का प्राथमिक डाटा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र आईएसओ/आईसी 27001:2013 प्रमाणित है और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करते हैं।

14.5 **आरबीआई मास्टर निदेश के अनुसार आईटी ढांचे का अनुपालन:** आरईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आईटी ढांचे के मास्टर निदेश के आईटी सुरक्षा निर्देशों को कार्यान्वित किया है। आरईसी एनबीएफसी क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा जारी आईटी फ्रेमवर्क के मास्टर निर्देशों का अनुपालन करता है।

14.6 **डिजिटल पहल की ओर कदम:** आरईसी ने बेहतर ई-शासन प्राप्त करने की दिशा में आईटी पहलों के हिस्से के रूप में कई आंतरिक विकसित प्रणालियों को भी तैनात किया है।

14.7 **केंद्रीकृत मेल / डाक कक्ष:** हरित पहल और कम कागजी वातावरण की दिशा में, कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीकृत स्कैनिंग समाधान लागू किया गया है और भौतिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कंपनी भर में एक सतत प्रक्रिया है।

14.8 **साइबर खतरे की निगरानी और संरक्षण:** आरईसी ने आरईसी वातावरण में विसंगतिपूर्ण गतिविधियों की पहचान करने, उन घटनाओं को रोकने और सामान्य सेवा बहाल करने के लिए वास्तविक समय लॉग और सुरक्षा घटना विश्लेषण के लिए तंत्र के साथ-साथ नवीनतम साइबर सुरक्षा समाधान स्थापित किए हैं।

14.9 कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण और कंप्यूटिंग सुविधा प्रदान करना: कंप्यूटर से कर्मचारी जनसंख्या अनुपात 100% है। आईटी प्रभाग आभासी प्रशिक्षण/वॉलपेपर/एसएमएस/ईमेल/परिपत्र के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदान भी करता है।

15. आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान

आरईसी विद्युत प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (आरईसीआईपीएमटी) आरईसी के तत्वावधान में एक प्रमुख विद्युत क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थान है। हैदराबाद में 1979 में स्थापित, संस्थान विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पिछले चार दशकों के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 3,357 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों, विद्युत विभागों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, विद्युत नियामक आयोगों आदि सहित विद्युत यूटिलिटीज से 74,256 इंजीनियरों/प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया है।

15.1 राष्ट्रीय नियमित कार्यक्रम (एनआरपी)

एनआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न विषयों पर कक्षा मोड में 20 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जैसे "वितरण ट्रांसफार्मर-ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर फेलियर मिनिमाइजेशन", "ईएचवी सबस्टेशन, लाइन्स और गुणवत्ता आश्वासन के ओ एंड एम", "पावर ट्रांसफार्मर-परीक्षण, कमीशनिंग, संरक्षण और रखरखाव", "वितरण क्षेत्र के लिए स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजीज", "वितरण हानि में कमी-बिजली के मुद्दों, चुनौतियों और उपचारों की चोरी", "वितरण पारेषण लाइनों का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण", "सामान्य नेटवर्क एक्सेस (ओपन एक्सेस), पावर ट्रेडिंग और एक्सचेंज", "विद्युत वितरण उपयोगिताओं के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में सर्वोत्तम अभ्यास", "टैरिफ नीति और एआरआर प्रस्तुत करना- नियामक अनुपालन", "वितरण सब-स्टेशनों और लाइनों का संचालन, रखरखाव और संरक्षण", "आरडीएस योजना और स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजीज - सतत डिस्कॉम ऑपरेशन के लिए प्रभावी कार्यान्वयन", "श्रम कानून और श्रम कोड - अदालती मामलों से निपटने में प्रक्रियाएं", "ऊर्जा संक्रमण, हरित ऊर्जा और सर्वश्रेष्ठ को बढ़ावा देना", "ईएचवी सब-स्टेशन और लाइनों का डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण", "ग्रिड प्रबंधन और सुरक्षा मुद्दों में हाल के नियम", "ईएचवी सब-स्टेशनों और लाइनों में सुरक्षा प्रणाली", "डिस्कॉम के तकनीकी वाणिज्यिक सुधार - मुद्दे और चुनौतियां", "भूमिगत केबल-चयन, आकार, बिछाने, निगरानी और गलती का पता लगाने", "बिजली खरीद समझौते और बिजली प्रबंधन में पेचीदगियां" और "सौर ऊर्जा संयंत्रों की कमीशनिंग की अवधारणा - ग्रिड और ऑफ ग्रिड"। इन कार्यक्रमों में कुल 262 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

15.2 भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के तहत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीटी अंतर्राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र संगठनों के कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (एमईए) के साथ एक भागीदार प्रशिक्षण संस्थान भी है। 2005 से अब तक, आरईसीआईपीएमटी ने 113 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 102 देशों के 1,936 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्जीरिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, इक्वाडोर, इथियोपिया, गाम्बिया, घाना, मलावी, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीशिया, वियतनाम और जिम्बाब्वे जैसे अन्य देशों से 97 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

15.3 आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

विद्युत उपयोगिताओं के अधिकारियों के बीच प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और जागरूकता लाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरईसी लिमिटेड के प्रायोजन के तहत आरईसीआईपीएमटी द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और कुल 4,892 प्रतिभागियों ने अखिल भारतीय भागीदारी के साथ भाग लिया:

क. विद्युत सुरक्षा पर आरईसी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुरक्षा देश में विद्युत उपयोगिताओं की प्रमुख चिंता है आरईसी ने "विद्युत सुरक्षा" पर 75 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न उपयोगिताओं के 1,880 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

ख. डिस्कॉम के तकनीकी-वाणिज्यिक सुधार पर आरईसी प्रायोजित वेबिनार

आरईसीआईपीएमटी ने "डिस्कॉम के निष्पादन के तकनीकी-वाणिज्यिक सुधार" पर 2-दिवसीय वेबिनार के 60 बैचों का आयोजन किया, जिसमें एटीएंडसी हानि में कमी की तकनीकों, ओ एंड एम मुद्दे - चुनौतियां, विद्युत अधिनियम संशोधन, एसीआर-एआरआर पहलुओं आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया। उक्त के तहत ही, आरईसीआईपीएमटी ने विद्युत क्षेत्र की कंपनियों अर्थात् जेनकोस, ट्रांसकोस और डिस्कॉम के 1,505 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

ग. विद्युत यूटिलिटीज में सर्वोत्तम परिपाटियों पर आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

आरईसी ने "विद्युत उपयोगिता में सर्वोत्तम व्यवहार" पर 3-दिवसीय कक्षा कार्यक्रम के 60 बैचों को प्रायोजित किया है और जेनकोस, ट्रांसकोस और डिस्कॉम सहित विद्युत क्षेत्र के 1,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

15.4 आरईसी कार्यकारी (इन-हाउस) प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने "सतर्कता पहलुओं, सीडीए नियमों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं पर जागरूकता कार्यक्रम" पर 10 ऑनलाइन वेबिनार और आरईसी के कर्मचारियों के लिए 7 कक्षा सत्रों का भी आयोजन किया, जिसमें 334 कर्मचारियों ने भाग लिया। कवर किए गए विषय "परियोजना मूल्यांकन और ऋण प्रलेखन", "आरडीएस योजना और स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन", "एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)", "गैर-वित्त अधिकारियों के लिए वित्त", "उन्नत एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट", "जीईएम के माध्यम से खरीद प्रक्रिया और खरीद" और "सामान्य प्रबंधन" शामिल थे।

15.5 अनुकूलित कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न विषयों पर 5 अनुकूलित कक्षा मोड कार्यक्रम आयोजित किए हैं जैसे बेसकॉम के लिए "पावर परचेज एग्रीमेंट एंड वैधता", आरवीपीएनएल के लिए "पावर ट्रांसफार्मर-परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव", एचवीपीसीएल के लिए "सौर ऊर्जा परियोजना की कमीशनिंग की अवधारणा", पीएसपीसीएल के लिए "विद्युत वितरण प्रबंधन" और केएसईबीएल के लिए "खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन"। इन कार्यक्रमों से कुल 146 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

15.6 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने कुल 243 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 17,093 प्रशिक्षण-दिनों की उपलब्धि के साथ 5,731 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन कंपनी में पेशेवर कर्मचारियों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिभा को काम पर रखना और बनाए रखना उच्च प्रदर्शन करने वाली कंपनी की नींव है और कंपनी के विकास के लिए आवश्यक है। आपकी कंपनी में विभिन्न विषयों के पेशेवरों को बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से 125 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। 31 मार्च, 2024 को कंपनी की कुल जनशक्ति 513 थी जिसमें 485 कार्यकारी और 28 गैर-कार्यकारी शामिल थे। रोजगार की स्थिति के लिए सक्रिय मानव संसाधन रणनीतियों के रूप में, मानव संसाधन जनशक्ति नियोजन में एक मजबूत भूमिका निभाता है और हमारी एचआर टीम परिश्रमपूर्वक विभिन्न रणनीतिक योजना और प्रेरण के लिए मूल्य जोड़ रही है।

16.1 रोजगार में आरक्षण

विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2024 तक एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का समूहवार विवरण नीचे दिया गया है:

कर्मचारियों की संख्या				
श्रेणी	समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
अनुसूचित जाति	57	1	8	66
अनुसूचित जनजाति	27	0	0	27
ओबीसी	118	1	3	122
सामान्य / अन्य	283	5	10	298
कुल कर्मचारी	485	7	21	513
कुल महिला कर्मचारी	73	0	5	78
पीडब्ल्यूबीडी (दिव्यांग) कर्मचारी	12	1	1	14

16.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

कंपनी कर्मचारियों को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने और उच्च मनोबल की संगठनात्मक संस्कृति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। एक प्राथमिक तरीका एचआर एक कंपनी के लिए मूल्य जोड़ता है कंपनी के नेताओं को कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और विकसित

करने के लिए राजी करना। इस आशय से वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य सभी विभागों के वर्तमान दृष्टिकोण और भविष्य की अपेक्षाओं, संसाधनों की आवश्यकता और कंपनी से संबंधित उभरते अवसरों और खतरों पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना है। बेहतर कर्मचारी प्रदर्शन के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशल और दक्षताओं को परिष्कृत करने के लिए, सभी कर्मचारियों को सभी संभव अवसर और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर्मचारियों को सामाजिक-आर्थिक वातावरण जिसमें कंपनी का व्यवसाय किया जाता है, के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों को व्यावसायिक रूप से सुसज्जित करने के लिए आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया के विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 286 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण, नेतृत्व प्रशिक्षण, कौशल-विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया। इन पहलों ने कंपनी को पूरे वर्ष के दौरान 1,211 प्रशिक्षण मानव-दिवस प्राप्त करने में सक्षम बनाया।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों को प्रसन्न, स्वस्थ और लाभप्रद बनाए रखना आपकी कंपनी का मूल लक्ष्य है। कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाओं को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया था। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए क्रेच/डे केयर सुविधा का भी विस्तार किया है। मनोरंजन और स्वस्थ जीवन की सुविधा के लिए, परिसर में कर्मचारियों के लिए व्यायामशाला भी उपलब्ध है। कंपनी द्वारा कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से विभिन्न योग कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

16.4 खेल गतिविधियाँ

खेल गतिविधियों में कर्मचारियों की भागीदारी - एकता, सद्भाव और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न करते हुए लोगों और देशों को एक साथ लाती है। एक आदर्श परिदृश्य में, व्यक्ति अक्सर एक आदर्श कार्यस्थल की तलाश में रहता है। एक ऐसा स्थान जो सहायक व्यवस्थाएं प्रदान करता है और स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करता है। खेल को कार्यालय कार्यक्रम के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में शामिल करने से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इस दृढ़ता के साथ, आईसी ने वित्तीय वर्ष 2023-



आईसी के कार्मिक को 28 वें सेंट्रल पावर सेक्टर अंडरटेकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक

24 के दौरान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक अंतर-सीपीएसयू शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में विभिन्न विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा आयोजित टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉली बॉल, शतरंज आदि जैसे विभिन्न अंतर-सीपीएसयू खेल टूर्नामेंटों को भी प्रायोजित किया। सभी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, पेपर प्रस्तुतियों और सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

16.5 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

महिला सशक्तिकरण पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है और कंपनी आरईसी और समाज दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे ठोस प्रभाव पैदा करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पहल

की फिर से जांच करें जो नेतृत्व की स्थिति में महिलाओं की उन्नति की सुविधा प्रदान करते हैं। आरईसी में, हम महिला कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी में 78 स्थायी महिला कर्मचारी थीं जो कुल कार्यबल का 15.2% है। लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कंपनी के पास महिला कर्मचारियों के कल्याण और सर्वांगीण विकास की देखरेख के लिए एक महिला प्रकोष्ठ है। आरईसी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आरईसी महिला प्रकोष्ठ ने टीम-निर्माण अभ्यास, मजेदार खेल और इंटरैक्टिव सत्रों सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसमें महिला कर्मचारियों से उत्साही भागीदारी देखी गई। आरईसी लैंगिक समानता में भी विश्वास करती है और अपनी सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्यस्थल प्रदान करती है।



महिला दिवस पर महिला कर्मिकों के लिए आउटबाउंड प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.6 औद्योगिक संबंध

नियोक्ता और कर्मचारी संबंध सभी संगठनों की नींव होते हैं और आपकी कंपनी में सौहार्दपूर्ण संबंध वर्षों तक कायम रहते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। औद्योगिक अशांति के कारण मानव-दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी संघ और आरईसी अधिकारी संघ के साथ नियमित चर्चा की गई। इससे विश्वास और सहयोग का माहौल बनाने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रेरित कार्यबल और निष्पादन में निरंतर सुधार हुआ है।

16.7 शिकायत निवारण

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए स्पष्ट और पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित करने एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के पास व्यापक रूप से जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को लोक शिकायत समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

17. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल का उद्देश्य सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं का समर्थन करना है, ताकि लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से

अधिकतम पहुंच बनाई जा सके और एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में राष्ट्रीय चिंता के विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सुकर बनाने के लिए स्वच्छता और साफसफाई, स्वास्थ्यदेख-रेख सुविधाओं को बढ़ावा देने, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण ढांचागत विकास के क्षेत्र में सीएसआर पहल की गई है।

कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के तहत बनाए गए यथा संशोधित नियमों के अनुरूप है; <https://recindia.nic.in/our-csr-initiatives> और <https://www.recfoundation.in/> पर उपलब्ध है।

वर्ष 2023-24 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट का 60% अधिमानतः आकांक्षी जिलों में "स्वास्थ्य और पोषण विषय पर खर्च करना अपेक्षित था। कंपनी ने भारत भर में फैले विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और संबंधित विषयगत क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण गतिविधियों का समर्थन करने के अपने प्रयासों में तेजी लाई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने पर लक्षित कंपनी की सीएसआर परियोजनाएं ममिठ (मिजोरम), किफिर (नागालैंड) और मुजफ्फरपुर (बिहार) जिलों में कार्यान्वित की गई हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुरूप, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹249.86 करोड़ सीएसआर बजट के तहत मंजूर किए हैं। इस राशि की तुलना में, कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹255.01 करोड़ खर्च किए हैं (पिछले वर्ष से आगे ले जाए गए ₹7.70 करोड़ के अतिरिक्त खर्च सहित)।

कुल व्यय को निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं के लिए चैनलाइज किया गया था:

- बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में जिला अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना।
- देश के विभिन्न जिलों/राज्यों में विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों का वितरण।
- दूरगामी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए भारत भर के विभिन्न जिलों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की खरीद, संचालन और रखरखाव।
- राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन चिकित्सा विभाग का विस्तार और चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में रोगियों और उनके परिचारकों के लिए बहुमंजिला प्रतीक्षालय का निर्माण।
- अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सभागार का नवीनीकरण और उन्नयन।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले जन्मजात

हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की शल्य चिकित्सा के लिए निशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

- 2 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिए रोल मॉडल स्कूल बनाना।
- एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और बैडमिंटन के क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की पहचान और खेल प्रतिभाओं की पहचान।
- मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के परिसर में छात्रों के परिवहन के लिए ई-बसों की खरीद और तैनाती।
- पूरे भारत में स्कूलों में आरईसी-इंटीग्रेटी क्लब को बढ़ावा देना।
- कर्नाटक के हावेरी जिले में ग्रीनफील्ड स्कूल की स्थापना।
- वर्धा जिला, महाराष्ट्र में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का निर्माण।
- पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करना।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट जिसमें विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन के विवरण शामिल हैं, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।



आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में ईवी चार्जिंग स्टेशन

18. सतर्कता गतिविधियां

आरईसी लगातार कर्मचारियों के मध्य शुचिता और अखंडता को इष्टतम करने और सभी प्रचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आरईसी के सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर रहने वाले कर्मचारियों का रोटेशन और स्थानांतरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं की समीक्षा, दी गई निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की समीक्षा, आदि करके 'निवारक सतर्कता' को मूर्त रूप देना है।

इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप किए गए हैं।

- सीवीसी/विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में चिन्हित संवेदनशील पदों से रोटेशनल स्थानांतरण के मामले की लगातार निगरानी की जा रही है।
- सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर विहित आवधिक सांख्यिकीय विवरणों भेजना।

- लेखापरीक्षा रिपोर्टों अर्थात आंतरिक, सांविधिक और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की नियमित समीक्षा।
- प्रदान की गई परियोजनाओं, निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा। जहां-कहीं भी विचलन पाया गया, मामले को संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया, जिससे मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालयों, आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का क्षेत्र निरीक्षण और कार्यपालकों की एपीआर की संवीक्षा।
- ऋण, योजनाओं, निविदाओं, अन्य पक्ष के बिल आदि के लिए आईटी प्रणालियों और ऐप्लीकेशन के उपयोग पर बल।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि निगम की प्रमुख नीतियां और जानकारी नीतियां आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

18.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आरईसी लिमिटेड ने 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक "भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" विषय के साथ

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परिपत्र संख्या 06/08/23 दिनांक 2 अगस्त, 2023 और 08/09/23 दिनांक 11 सितंबर, 2023 के अनुरूप "सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023" मनाया। सप्ताह के दौरान, कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न रोचक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में पैराग्राफ लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर/कोलाज मेकिंग प्रतियोगिता, समूह चर्चा, स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं, कविता लेखन प्रतियोगिताएं, मैराथन आदि शामिल थे।

आपकी कंपनी के सभी कर्मचारियों को 30 अक्टूबर, 2023 को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। पूरे भारत में आरईसी के कार्यालयों में विभिन्न स्थानों पर बैनर और स्टैंडीज़ भी प्रदर्शित किए गए। भ्रष्टाचार से लड़ने और एक विकसित राष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

सभी गतिविधियों में कर्मचारियों की जबरदस्त भागीदारी प्राप्त हुई। आपकी कंपनी के सीएमडी और सीवीओ कर्मचारियों से सप्ताह की सीख को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करने और हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया।

पैराग्राफ लेखन प्रतियोगिता- कर्मचारियों ने उत्साह और जुनून के साथ पैराग्राफ लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी राय, रचनात्मक विचार और विचार व्यक्त किए।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता- क्विज प्रतियोगिता में कर्मचारियों की ऊर्जावान भागीदारी सराहनीय रही। प्रतिभागी कभी-कभी अपने उत्तरों के साथ बहुत तेज होते थे जबकि कुछ सवालोंने उन्हें अचंभित कर दिया था। क्विज मास्टर ने सामयिक पुरस्कारों के साथ सही उत्तरों को स्वीकार किया, जिससे घटना के आकर्षक माहौल में वृद्धि हुई।

पोस्टर/कोलाज मेकिंग- कर्मचारियों ने अपशिष्ट सामग्री के पुनः उपयोग के अपने अभिनव विचारों के साथ सराहनीय पोस्टर और कोलाज बनाए। उनके विचारों को चित्रित करने के लिए कैनवास पर कागज, कपड़े और अन्य सामग्रियों को काटने और चिपकाने की कला ने उनकी छिपी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया।

कविता लेखन प्रतियोगिता- प्रतिभागियों ने पूर्ण समर्पण और सकारात्मकता के साथ भाग लिया और कविताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा को व्यक्त किया जिसने प्रतियोगिता को और अधिक रोचक और मजेदार बना दिया।

परिवार की भागीदारी- कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रविष्टियों ने भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति भागीदारी के उत्साह को दिखाया। भागीदारी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग माता-पिता तक बढ़ी, जो बेहद उत्साहजनक थी।

संगोष्ठी/कार्यशालाएं- संगोष्ठी/ कार्यशालाओं में (i) खरीद दिशा-निर्देश (ii) भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें (iii) सतर्कता पहलू, iv) सीडीए नियम, v) अनुशासनिक प्रक्रियाएं, vi) सीटीई निरीक्षण और (vii) उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) आयोजित किए गए थे। संकाय के ज्ञान और प्रभावी और सरल तरीके से व्याख्यान देने की कला को सभी कर्मचारियों द्वारा सराहा गया। व्याख्यान में शामिल व्यावहारिक उदाहरणों ने इसे बहुत ही रोचक और सुखद बना दिया।

मैराथन- 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन स्मार्ट हॉकी अकादमी के छात्रों और हॉकी खिलाड़ियों और आरईसी कर्मचारियों के साथ सुभाष स्टेडियम रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया था। प्रतिभागियों की ऊर्जा सराहनीय थी।

नुककड़ नाटक- आरईसी ने 2 नुककड़ नाटकों का आयोजन किया; सरकार ने बड़े पैमाने पर जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक नुककड़ नाटक जहांगीरपुरी, दिल्ली के स्लम (अर्ध-शहरी) क्षेत्र में और दूसरा एक नुककड़ सरकारी अस्पताल जहांगीरपुरी के निकट किया है।

इंटीग्रेटी क्लब – आरईसी लिमिटेड छोटे बच्चों के दिमाग में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए स्कूलों में इंटीग्रेटी क्लब को बढ़ावा दे रहा है ताकि वे बड़े होकर देश के सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें और भारत में भ्रष्टाचार के खतरे से लड़ने के लिए उन्हें विकसित कर सकें।

19. राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के संदर्भ में अधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2023 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा हिंदी क्विज, हिंदी स्लोगन लेखन, हिंदी भाषण, हिंदी काव्य पाठ और हिंदी निबंध लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई। कर्मचारियों को अपने दिन-प्रतिदिन के काम में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए, इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। आरईसीआईपीटी सहित कंपनी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 'हिंदी पखवाड़ा' भी आयोजित किया गया था, जिसके दौरान हिंदी में आधिकारिक कार्य करने के लिए प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को सुसज्जित करने और भाषा के उचित प्रयोग हेतु उनका मार्गदर्शन करने के लिए आरईसी कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् विजयवाड़ा, लखनऊ, देहरादून और बेंगलुरु का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों से कर्मचारियों में अपने सरकारी कार्यों में हिंदी को अपनाने के लिए जागरूकता की भावना पैदा हुई। विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने 19 मार्च, 2024 को आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में हिंदी के प्रगति उपयोग की भी समीक्षा की।

17 अगस्त, 2023 को आयोजित विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में तत्कालीन माननीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने आरईसी को वर्ष 2021-22 के लिये प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2022-23 के लिये सांत्वना पुरस्कार राजभाषा कार्यान्वयन के लिये प्रदान किया।

आरईसी एक हिंदी पत्रिका 'उर्जयन' का प्रकाशन करता रहा है जिसमें अपने कर्मचारियों के रोचक और उपयोगी लेखों के साथ-साथ साहित्यिक लेखन भी शामिल है। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, कंपनी ने इन लेखों, कविताओं आदि के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है। कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के उपयोग के लिए प्रेरित करने के लिए, 23 फरवरी, 2024 को आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में द्वारा 'कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया।

हिंदी में 'आज का विचार' को कॉर्पोरेट कार्यालय परिसरों में लगाए गए डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से हिंदी के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन के संबंध में विवरण

20.1 ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण

चूंकि आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है।

गुरुग्राम में स्थित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन को ऊर्जा कुशल अग्रभाग का उपयोग करके डिजाइन और निर्माण किया गया है

ताकि भवन में एचवीएसी लोड की आवश्यकता को कम किया जा सके जिससे ऊर्जा का संरक्षण हो सके। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण के लिए भवन में ऊर्जा कुशल उपकरणों और एलईडी लाइटों का उपयोग किया जा रहा है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए, ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके आरईसी कार्यालय भार आवश्यकता को पूरा करने के लिए भवन के शीर्ष पर 979 केडब्ल्यूपी सौर संयंत्र (सौर पैनल संरचना द्वारा समर्थित) स्थापित किया गया है। सोलर प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 13.50 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है।

20.2 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं थी। इसके अलावा, ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्त प्रभार और अन्य खर्चों के कारण वर्ष के दौरान कुल ₹21,307.57 करोड़ विदेशी मुद्रा बहिर्वाह किया गया।

21. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेन्सी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) [सीआईएन U40101DL2007GOI165779], विद्युत क्षेत्र में परियोजना

कार्यान्वयन और परामर्श सेवाओं के कारोबार में रत है जिसमें वितरण प्रणाली सुदृढीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ ऑफ-ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, अन्य पक्ष निरीक्षण, पूर्व प्रेषण सामग्री निरीक्षण और सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि की कुछ परियोजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल, क्रमशः विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है।

प्रत्येक आबंटित स्वतंत्र अंतर-राज्य/अंतरा-राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना-विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को अधिनिगमित करता है, जो आरईसी की सहायक कंपनी भी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया जाता है।



आरईसी द्वारा वित्त पोषित कुंडाह विद्युत निकासी परियोजना (तमिलनाडु) के करमदई 400 केवी सबस्टेशन बे का विस्तारीकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने 9 परियोजना विशिष्ट एसपीवी को सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किया, अर्थात्

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	एसपीवी के हस्तांतरण की तिथि
1.	केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	20-अप्रैल-2023
2.	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20-सितंबर-2023
3.	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	26-अक्टूबर-2023
4.	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	09-फरवरी-2024
5.	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	09-फरवरी-2024
6.	ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	09-फरवरी-2024
7.	करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	09-फरवरी-2024
8.	धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	09-फरवरी-2024
9.	पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14-फरवरी-2024

31 मार्च, 2024 तक, आरईसीपीडीसीएल के पास विभिन्न अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी थे: -

- 1) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 2) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 3) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 4) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 5) लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 6) खावड़ा II- डी ट्रांसमिशन लिमिटेड#
- 7) मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
- 8) एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
- 9) राजस्थान पार्ट-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 10) राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

- 11) राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 12) राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 13) राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 14) शॉन्गटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 15) कल्लम ट्रांस्को लिमिटेड*
- 16) खावड़ा आईवीए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 17) खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 18) खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
- 19) खावड़ा वी-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 20) तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 21) एनईआरजीएस-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 22) जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
- 23) कांकानी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 24) ईआरईएस-XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

टिप्पणी: क्रम संख्या 9 से 24 में उल्लिखित एसपीवी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शामिल किया गया था।
 * कल्लम ट्रांस्को लिमिटेड और जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 5 अप्रैल, 2024 को स्थानांतरित किया गया और मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 6 अप्रैल, 2024 को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और खावड़ा IV-E2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 30 मई, 2024 को स्थानांतरित कर दिया गया था।
 # खावड़ा II- डी ट्रांसमिशन लिमिटेड को 6 जुलाई, 2024 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से हटा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पश्चात, इन नए एसपीवी को आरईसीपीडीसीएल और आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में अधिनिगमित किया गया है, अर्थात्:

1. भादला-III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. बीकानेर ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
3. बीकानेर बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹307.26 करोड़ की आय की तुलना में ₹390.64 करोड़ की आय दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर पश्चात लाभ ₹149.64 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹139.79 करोड़ था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 को आरईसीपीडीसीएल की निवल संपत्ति ₹567.17 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2023 को इसकी निवल संपत्ति ₹440.93 करोड़ थी।

22. गिफ्ट सिटी

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी ("गिफ्ट"), गांधीनगर, गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में अनुमेय गतिविधियों से निपटने के लिए आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यूओएस) कंपनी के निगमन की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, कंपनी को गिफ्ट सिटी, गुजरात में ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 3 मई, 2024 को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त हुआ है।

23. संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनी

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के पास निवेश के अलावा कोई संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी नहीं है, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में निहित वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, ईईएसएल इंड-एस ढांचे के तहत एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रह गई है।



आरईसीपीडीसीएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही कारगिल, लद्दाख में डबल सर्किट टॉवर पर द्रास से पदुम तक 220 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन

24. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समेकित इंड एस वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात् आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (लेखा परीक्षित) शामिल है। इसे कंपनी के एकल वित्तीय विवरण के साथ आगामी 55वीं वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा।

अधिनियम की धारा 129(3) के अनुपालन में, फॉर्म एओसी-1 में सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों के वित्तीय विवरण, जो आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं हैं क्योंकि ऐसी कंपनियों में निवेश/हित बिक्री के लिए धारित किया जाता है और इसलिए, ऐसे एसपीवी में हित कंपनियों का लेखांकन इंड-एस 105 के अनुसार है।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित इंड-एस वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित इंड-एस वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इन दस्तावेजों को किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारकों के लिए किसी ट्रस्टी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। कंपनी के किसी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर कंपनी ई-मेल के माध्यम से इसकी प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

25. निदेशक, के एमपी और तत्संबंधी नीतिगत ढांचे से संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 2(45) के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड के सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपी) के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और उनके पात्रता मानदंड, योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रिया आदि भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) आदि, के समय-समय पर यथा लागू निर्धारित मानदंडों के अधीन है, जिसका अनुपालन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एक सीपीएसई होने के चलते, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि का निर्धारण समय-समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। गैर-कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार है। सरकारी द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

कंपनी ने बोर्ड की विविधता और कौशल, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के लिए मानदंड और निदेशकों, के एमपी और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में एक नीति अपनाई है, जिसे <https://recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-sebi> पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, एक एनबीएफसी होने के नाते, अन्य बातों के साथ-साथ, आरईसी में निदेशकों की नियुक्ति भी नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा उचित विचार के अधीन है, जो कंपनी की नीति के अनुसार निदेशकों की उपयुक्तता और उचित मानदंड के अनुसार है, जिसे <https://recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-sebi> पर देखा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना) और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

एक सरकार कंपनी होने के चलते कंपनी के सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा अदा की जाती है।

कंपनी के निदेशकों और केएमपी तथा वर्ष के दौरान और बाद में इनमें परिवर्तन का विवरण नीचे दिा गया है:

25.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशक

- श्री अजय चौधुरी (डीआईएन: 06629871), जिन्होंने आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का पद संभाला था, 31 जनवरी, 2024 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं और तदनुसार, 1 फरवरी, 2024 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नहीं रह गए हैं।
- एमओपी के 31 जनवरी, 2024 के आदेश के अनुसार, श्री विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी को 1 जनवरी, 2024 से निदेशक

(वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। 1 फरवरी, 2024 या निदेशक (वित्त) के पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

- 31 मई, 2024 को बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के साथ पठित 14 मई, 2024 के एमओपी पत्र के अनुसरण में, श्री हर्ष बवेजा, (डीआईएन: 09769272) को बोर्ड में निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है जो 14 मई, 2024 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जनवरी, 2026, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक इस पद पर रहेंगे, इसके अतिरिक्त, उन्हें 01 मई, 2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

25.2 नामित निदेशक

- बोर्ड द्वारा 17 जुलाई, 2023 को पारित संकल्प के साथ पठित दिनांक 11 जुलाई, 2023 के एमओपी पत्र के अनुसरण में पीएफसी के निदेशक (वाणिज्यिक) श्री मनोज शर्मा, (डीआईएन: 06822395) को श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) के स्थान पर आरईसी के बोर्ड में पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 23 अगस्त, 2023 को बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के साथ पठित 21 अगस्त, 2023 के एमओपी कार्यालय आदेश के अनुसार, श्री शशांक मिश्रा, (डीआईएन: 08364288) संयुक्त सचिव, एमओपी को आरईसी में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, 21 अगस्त, 2023, को उपाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह (डीआईएन: 07492389), को पूर्व सरकारी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

25.3 आगामी एजीएम में सेवानिवृत्ति हो रहे और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री मनोज शर्मा, पीएफसी नामित निदेशक कंपनी की 55 वीं एजीएम में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के चलते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में निदेशक (वित्त) के रूप में श्री हर्ष बवेजा की नियुक्ति भी अनुमोदन हेतु शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। बोर्ड उनकी नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है।

श्री मनोज शर्मा और हर्ष बवेजा का संक्षिप्त विवरण और अन्य ब्यौरे इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एजीएम की सूचना के साथ संलग्न है।

25.4 कंपनी सचिव

श्री जे.एस. अमिताभ कंपनी के कंपनी सचिव हैं।

26. निदेशक मण्डल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में एक विवरण प्रकट करना होता है जिसमें बोर्ड, उसकी समितियों और पृथक निदेशकों के निष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की रीति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा यथा निर्धारित इसके स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड दिए गए हों।

तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, सरकारी कंपनियों को उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक रूप से प्रभारी केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है तो इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह भी निर्धारित

किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

तदनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, उपरोक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में आरईसी को अन्य बातों के साथ-साथ छूट दी गई है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय और/या लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है। यह ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

इसके अलावा, आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी करती है। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंडों को निर्धारित करता है और कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है।

27. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में, यह पुष्टि की जाती है कि:

- (I) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विपन्न नहीं किया गया है;
- (II) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप में लागू किया गया (सिवाय वित्तीय विवरणों की लेखेकी टिप्पणियों में यथा प्रकट नए प्रभावी भारतीय लेखांकन मानक के अंगीकरण के) तथा ऐसे निर्णय लिए गए व अनुमान तैयार किए गए हैं जोकि उचित और विवेक सम्मत थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत किया जा सके;
- (III) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्डों का अनुरक्षण करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया;
- (IV) चालू प्रतिष्ठानों के वार्षिक आधार पर लेखे तैयार किए गए हैं;
- (V) कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;
- (VI) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित की है और यह व्यवस्था पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

28. एमओयू रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीपीई, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कंपनी के प्रदर्शन को डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन "उत्कृष्ट" के रूप में रेट किए जाने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, कंपनी को "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आरईसी ने निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैं:

- 'सर्वश्रेष्ठ सेंट्रल पीएसयू' के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार-2023 से सम्मानित - वित्तीय सेवा श्रेणी

- जोखिम प्रबंधन श्रेणी में निदेशक संस्थान (आईओडी) द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस श्रेणी में XIII-पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- वित्तीय रिपोर्टिंग 2022-23 में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार से सम्मानित।
- भारत के माननीय उपराष्ट्रपति से विशेष संस्थागत श्रेणी (डिजिटलीकरण) में प्रतिष्ठित स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स में बेस्ट ग्रीन बॉण्ड - कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 1 सितंबर, 2023 से प्रतिष्ठित मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में स्थान प्राप्त हुआ।
- अपनी सीएसआर पहलों में उत्कृष्टता के लिए महात्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
- राजभाषा लागू करने के लिए विद्युत पीएसयू के बीच प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- एसोचैम द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के लिए 6 वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 'इश्यूअर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- जीईएम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में उच्चतम मूल्य एकल बोली खरीद' में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- आईआईटी मद्रास सीएसआर शिखर सम्मेलन में अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार के साथ प्रस्तुत: 'बिल्डिंग इंडिया 2047: बेहतर कल के लिए प्रौद्योगिकी'।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन को मॉरीशस में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कांग्रेस में प्रतिष्ठित 'मोस्ट सस्टेनेबल महारत्न लीडर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

29. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज भेजने की अनुमति देता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की 'हरित पहल' के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन किया है और ईमेल आईडी पंजीकृत होने वाले शेयरधारकों को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को प्रभावी किया ऐसे शेयरधारकों को लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकें। कंपनी इस वर्ष एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से भी आयोजित करेगी। सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार एजीएम में ई-मतदान और इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी के लिए विस्तृत निर्देशों को देख सकते हैं। जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते कंपनी के

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) या अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के साथ पंजीकृत करें और हरित पहल में भाग लें।

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल के अनुरूप, आरईसी ने पहले ही जीवाश्म ईंधन वाहनों से ई-गतिशीलता पर पूर्ण माइग्रेसन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अनुकूल हैं और हरित टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद कर रहे हैं।

30. स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता

आरईसी ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता कार्य योजना के तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन लगाना, कार्यालय परिसरों के आस-पास वृक्षारोपण अभियान, कर्मचारियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता पर परस्पर क्रियात्मक सत्र, क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं पर विशेष सफाई अभियान, विशेष सफाई अभियान और कॉर्पोरेट कार्यालय परिसरों के निकट स्लम क्षेत्रों में धूमन और स्कूलों में सर्वोत्तम अपशिष्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जैसी गतिविधियां शुरू की हैं।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ('आरटीआई अधिनियम') का उद्देश्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने और उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए कंपनी में एक आरटीआई प्रकोष्ठ मौजूद है। कंपनी ने आरटीआई आवेदनों का उत्तर देने के लिए एक मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरटीआई प्रथम अपील पर निर्णय करने के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) को नामित किया है। आरटीआई प्रकोष्ठ में एक सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है। आरटीआई प्रकोष्ठ के पूरे कामकाज और आरईसी में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी पारदर्शिता अधिकारी द्वारा की जाती है।

आरईसी भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (<https://rtionline.gov.in>) से भी जुड़ा है, जो भारत के नागरिकों को भुगतान गेटवे के साथ आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन फाइल करने में सक्षम बनाता है। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त आवेदनों और अपीलों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	आरटीआई का विवरण	संख्या
1.	प्राप्त आवेदन	435
2.	आवेदनों का निस्तारण	435
3.	बाद में निपटाई गई अपीलें	0
4.	अपीलीय अधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त प्रथम अपील	35
5.	अपीलीय अधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई प्रथम अपील	35
6.	बाद में निपटाई गई अपीलें	0
7.	केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त दूसरी अपील	2
8.	केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटान की गई दूसरी अपील	2

इसके अलावा, आरईसी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर रखा है। इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जो किसी अन्य पक्ष द्वारा स्व-प्रेरणा प्रकटीकरण की वार्षिक लेखापरीक्षा का प्रावधान करते हैं, आरटीआई प्रकटीकरण का अन्य-पक्ष ऑडिट किया गया है और रिपोर्ट आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

32. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए लोक खरीद नीति के तहत रिपोर्टिंग

खरीद प्रक्रिया में यथा परिभाषित, एमएसएमई के लिए दिशा-निर्देशों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पहलों को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में और नवंबर 2018 से संशोधित निर्धारित सार्वजनिक खरीद मानदंडों को पार करने के लिए, आरईसी ने पहले ही 100% सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य कर दिया है, जिनका मूल्य 100 प्रतिशत है, सरकार ने उन सभी मामलों के लिए जहां एल-1 मनुकूल स्कीम (एल-1) को एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए 3% आरक्षित है, को निविदा मूल्य के 25% तक खरीद वरीयता की अनुमति देने के लिए भी ₹10 लाख की दर से एमएसई की दर से सब्सिडी दी है। यदि एमएसई बोलीदाताओं ने एल1+15% के बैंड के भीतर मूल्य उद्धृत किया है, जहां विभाजन व्यवहार्य है, तो एमएसई विक्रेताओं को एल1+15% के बैंड के भीतर मूल्य उद्धृत करने की अनुमति देकर एमएसई विक्रेताओं के अलावा विक्रेता अन्य है। यदि विभाजन व्यवहार्य नहीं है, तो एमएसई खरीद वरीयता नीति के अनुसार एमएसई को निविदा मात्रा का 100% दिया जाएगा। इसके अलावा, आरईसी भारत सरकार (जीओआई) के जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस), संबंध, समाधान और टीआरडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टलों पर पंजीकृत है और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित आरईसी के सभी कार्यालय प्रभावी रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं, बयाना धनराशि जमा के भुगतान से छूट, प्रापण कार्यकलापों में पूर्व-कारोबार और पूर्व-अनुभव (चुनिंदा आधार पर) आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद ₹152.97 करोड़ थी और आरईसी ने केवल सरकार द्वारा निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया बल्कि उससे अधिक हासिल की उपलब्धि प्राप्त की थी। जीईएम पोर्टल से खरीद ₹145.66 करोड़ (95% के लक्ष्य के मुकाबले अधिक की प्राप्ति) और एमएसएमई से खरीद ₹56.84 करोड़ (25% के लक्ष्य के मुकाबले अधिक की प्राप्ति) थी, जिसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से खरीद ₹2.74 करोड़ और महिला उद्यमियों से खरीद ₹1.20 करोड़ थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से खरीद, विक्रेताओं द्वारा दर्ज किए गए दावों पर निर्भर करता है, जिस पर आरईसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान भारत सरकार के समाधान पोर्टल पर किसी भी एमएसएमई विक्रेता द्वारा भुगतान में देरी या किसी अन्य शिकायत के संबंध में आरईसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसके अलावा, 1,238 संख्या में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसई से कुल खरीद की गई है, जिसमें से 238 खरीद महिलाओं से की गई है और एमएसई और एससी/एसटी एमएसई से 42 संख्या में खरीद की गई है।

आपकी कंपनी ने अपने सभी अखिल भारतीय कार्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि जीईएम पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद अनिवार्य रूप से केवल जीईएम के माध्यम से की जानी चाहिए; और अपने कर्मचारियों के लिए एक व्यापक जीईएम खरीद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें आरईसीआईपीएमटी द्वारा जीईएम के संकाय सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आयोजित किए गए सत्र शामिल प्रतिभागियों द्वारा उक्त में भाग लिया गया और उनकी अत्यधिक सराहना की

गई। आरईसी ने ऑनलाइन सत्र के माध्यम से अपना वार्षिक विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) भी आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं ने भाग लिया था।

आरईसी की सभी निविदाएं भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' के यथा लागू निदेशों के पूर्ण अनुपालन में हैं इसके अलावा, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, इस तरह के अनुपालन की निगरानी निदेशक मण्डल द्वारा त्रैमासिक रूप से की जा रही है; और ₹ 250 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए उप-समिति द्वारा मामला- दर-मामला आधार पर 'मेक इन इंडिया' पर भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।

एमएसई और मेक इन इंडिया के लिए आरईसी की लोक खरीद नीति कंपनी की वेबसाइट और सीपीपीपी (केन्द्रीय लोक खरीद पोर्टल) पर विधिवत प्रकाशित सभी निविदाओं में शामिल है। सीवीसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर इसकी जांच और निगरानी भी की जा रही है। आईईएम ने पाया है कि सभी खरीद गतिविधियां व्यवस्था के अनुरूप हैं और इसके लिए आरईसी के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की है।

33. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के उपबंधों के अनुरूप, कंपनी में महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। समिति का लक्ष्य महिला कर्मचारियों को जागरूक बनाना और उन्हें कार्य के लिए एक स्वास्थ्यकर और सौहार्द्रपूर्ण परिवेश प्रदान करना है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती हैं और इसमें सदस्य के रूप में से एक किसी एनजीओ का प्रतिनिधि शामिल होता है। कंपनी के लैंगिक उत्पीड़न-रोधी रुख को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमों में भी रेखांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

34. वार्षिक विवरणी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक विवरणी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ दाखिल की गई; और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रारूप वार्षिक विवरणी, कंपनी की वेबसाइट <https://www.recindia.nic.in/annual-returns> पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमसीए के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के बाद, उक्त को उसी वेबलिंग पर वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा।

35. संबंधित पक्षकों के साथ संविदाओं या समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म एओसी-2 में प्रकट किए जाने हेतु अपेक्षित वाले संबंधित पक्ष संव्यवहार के विवरण, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

36. लेखापरीक्षक

36.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 112318W) और मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089) को भारत के नियंत्रक और महालेखा

परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने मार्च 31, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी की जानी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मण्डल को अधिकृत करने हेतु आगामी एजीएम में सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

36.2 सचिवीय लेखापरीक्षा

मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली (वृत्ति का प्रमाण-पत्र संख्या 5910), को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

36.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर प्रबंधन की टिप्पणियां

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है और बिना किसी योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती है।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) (बी) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के परंतुक के अनुसरण में, कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 01 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक की अवधि के दौरान बोर्ड सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम थी।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पास है और इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है और यह कंपनी के नियंत्रण से परे है कि वह अपने स्तर पर बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति करे। कंपनी समय-समय पर अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध और अनुवर्ती संपर्क करती रही है। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) (बी) के प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 का अनुपालन कर रही थी, क्योंकि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में थी।

37. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने 26 जुलाई, 2024 के पत्र (पत्रों) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी दी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को इस वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।

38. डिबेंचर ट्रस्टी

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, समय-समय पर जारी किए गए अपने बॉण्डों/डिबेंचर की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण वाली एक सूची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

39. सांविधिक प्रकटीकरण

- क. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- ख. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है और कंपनी के निदेशक मण्डल ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में अपेक्षित संकल्प पारित किया है।
- ग. नियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था जिससे भविष्य में कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और कंपनी के संचालन प्रभावित होते हो।
- घ. कंपनी आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है, जिसमें विभिन्न लेनदेन की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाएं शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।
- ङ. वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना, विचारार्थ विषय और बैठकों की संख्या, सतर्कता तंत्र/विसल ब्लोअर नीति की स्थापना और निदेशकों के परिचित कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक, संबंधित पार्टि लेनदेन की भौतिकता पर नीति और संबंधित पार्टि लेनदेन से निपटने, सामग्री सहायक कंपनियों का निर्धारण करने के लिए नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को मुआवजा, समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट' में निदेशकों को बैठक शुल्क और आईईपीएफ आदि के बारे में विवरण प्रदान किए गए हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।
- च. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, दिए गए ऋण, दी गई गारंटी प्रदान की गई प्रतिभूतियां या कंपनियों के वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी कंपनी द्वारा किया गया निवेश या अपने व्यवसाय के सामान्य चालन में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना, कंपनी पर लागू नहीं हैं अतः कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, निवेश का विवरण एकल वित्तीय विवरणों के लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10 में दर्शाया गया है।

छ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के उपबंध और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

ज. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च, 2024 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई है।

झ. कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

ञ. संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यथा लागू सतर्कता मामलों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर और आरटीआई मामलों आदि से संबंधित विवरण, इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए गए हैं।

ट. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा विहित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा लागत खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

ठ. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों/सचिवालय लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

ड. कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

ढ. कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी नामित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है। बोर्ड की राय में, वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक, सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं और कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, दक्षता और अनुभव रखते हैं इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से यथा-अपेक्षित आवश्यक घोषणा भी प्राप्त कर ली गई थी।

ण. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।

त. आरईसी के विरुद्ध न तो कोई आईबीसी (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) लंबित है, और न ही हमें कंपनी के विरुद्ध किसी भी आईबीसी कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सूचना प्राप्त हुई है।

थ. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर के संबंध में विवरण की रिपोर्टिंग को उत्पन्न करे।

40. बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के उपबंधों के संदर्भ में, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट कॉर्पोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट

व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट समाविष्ट होने वाले पृथक खंड इस बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और अन्य लागू वैधानिक उपबंधों के संदर्भ में विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट सूचना, प्रमाण पत्र आदि बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नानुसार संलग्न हैं :

विवरण	अनुलग्नक
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	I
कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट	II
कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	III
एकीकृत रिपोर्ट	IV
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कॉर्पोरेट सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	VI
संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	VII
सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट	VIII
डिबेंचर न्यासियों के विवरण	IX

41. आभार

निदेशक विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कंपनी को उनके अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक, धारक कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड का भी उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक कंपनी में विश्वास बनाए रखने के लिए सभी शेयरधारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं और प्रतिभूति धारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं निदेशक, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटीज और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों सहित सभी ग्राहकों और ऋण लेने वालों को उनका विश्वास जताने और कंपनी के साथ अपने सहयोग को जारी रखने के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों के प्रबंधन को दिए गए उनके निरंतर समर्थन के लिए आभारी हैं। अंत में हम, निदेशक मण्डल प्रति उनकी अथक प्रतिबद्धता के लिए कर्मचारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार करते व्यक्त हैं।

कृते निदेशक मण्डल और उनकी ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक : जुलाई 27, 2024

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कारोबार परिवेश और उद्योग परिदृश्य, उद्योग जोखिमों, अवसरों और कंपनी के वित्तीय और प्रचलानात्मक कार्य-निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

कारोबार परिवेश

वैश्विक कारोबार परिवेश

समीक्षा अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से लचीली बनी हुई है, मुद्रास्फीति लक्ष्य पर लौटने के कारण विकास दर वृद्धि स्थिर रही। 2023 की शुरुआत से, यह यात्रा घटनापूर्ण रहा है, जिसकी शुरुआत रूस-यूक्रेन युद्ध से हुई जिसने वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट और मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि को बढ़ावा दिया, इसके बाद वैश्विक स्तर पर समन्वित मौद्रिक नीति को सख्त किया गया और मध्य-पूर्व में तनाव उत्पन्न हुआ। फिर भी, कई निराशाजनक भविष्यवाणियों के बावजूद, विश्व मंदी से बच गया, बैंकिंग प्रणाली काफी हद तक लचीली साबित हुई तथा प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अचानक रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। लचीली वृद्धि और तेज़ अवस्फीति अनुकूल आपूर्ति विकास की ओर इशारा करते हैं, जिसमें पहले के ऊर्जा मूल्य झटकों का कम होना, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत आप्रवासन प्रवाह द्वारा समर्थित श्रम आपूर्ति में आश्चर्यजनक उछाल शामिल है। निर्णायक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों, साथ ही बेहतर मौद्रिक नीति ढांचे, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने में मदद मिली है।

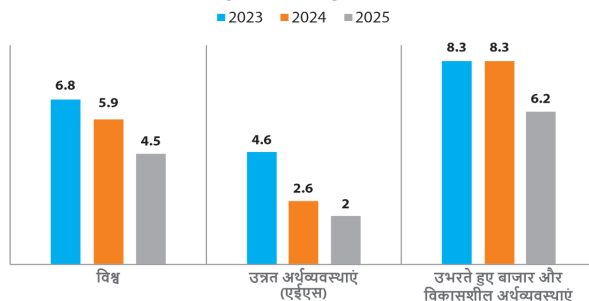
अप्रैल, 2024, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में वैश्विक वृद्धि 3.2% रहने का अनुमान है और 2024 और 2025 तक इसी गति को बनाए रखने का अनुमान है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए, विकास दर 2023 में 1.6% से बढ़कर 2024 में 1.7% और 2025 में 1.8% होने का अनुमान है, जिसमें वृद्धि मुख्य रूप से 2023 में कम विकास से यूरो क्षेत्र में सुधार को दर्शाती है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, वृद्धि के वर्ष 2023 की तुलना में 4.3% से घटकर वर्ष 2024 और 2025 में 4.2% पर स्थिर रहने की आशा है, उभरते और विकासशील एशिया में वृद्धि में कमी मुख्य रूप से मध्य पूर्व और मध्य एशिया तथा उप-सहारा अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के कारण होगी।

आईएमएफ: विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान

वैश्विक वृद्धि	अनुमान		
	2023	2024	2025
विश्व	3.2	3.2	3.2
1. उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (एई)	1.6	1.7	1.8
यूएस	2.5	2.7	2.0
यूरोपीय संघ क्षेत्र	0.4	0.8	1.5
यूके	0.1	0.5	1.5
जापान	1.9	0.9	1.0
2. उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	4.3	4.2	4.2
भारत	7.8	6.8	6.5
चीन	5.2	4.6	4.1
ब्राजील	2.9	2.2	2.1
उप-सहारा अफ्रीका	3.4	3.8	4.0
मध्य पूर्व और मध्य एशिया	1.9	2.8	4.2

वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 में वार्षिक औसत 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% और 2025 में 4.5% होने की आशा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए और अधिक अग्रिम गिरावट की आशा है, जिसमें मुद्रास्फीति 2023 में 4.6% से घटकर 2024 में 2.6% हो जाएगी और 2025 में और घटकर 2% होने की आशा है।

वैश्विक शीर्ष मुद्रास्फीति अनुमान - आईएमएफ



उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, 2024 में मुद्रास्फीति 8.3% पर अपरिवर्तित रहने की संभावना है और 2025 में घटकर 6.2% हो जाने की आशा है। 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट वैश्विक मुख्य मुद्रास्फीति में व्यापक गिरावट को दर्शाती है। मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट के कारक अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं, लेकिन इसमें अभी भी सख्त मौद्रिक नीतियों के प्रभाव, श्रम बाजारों में संबंधित नरमी और सापेक्ष कीमतों में पहले की गिरावट से लुप्त प्रभाव शामिल हैं, विशेष रूप से ऊर्जा में।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी वृद्धि के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनके लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। हालाँकि मुद्रास्फीति में सकारात्मक रुझान हैं, लेकिन प्राथमिक ध्यान इसे लक्ष्य स्तर तक नीचे लाने पर बना हुआ है। मुद्रास्फीति में कमी लाने में अधिकांश प्रगति ऊर्जा की कीमतों में गिरावट और वस्तुओं की मुद्रास्फीति के ऐतिहासिक औसत से नीचे गिरने से हुई है। हालाँकि, आगे कोई भी व्यवधान इस अवस्फीतिकारी ट्रेजेस्टरी से उतार सकता है। इसके अतिरिक्त, हालाँकि मुद्रास्फीति कम हो रही है, वास्तविक ब्याज दरें बढ़ी हैं और संप्रभु ऋण की गतिशीलता कम अनुकूल हो गई है, विशेष रूप से भारी ऋण वाले उभरते बाजारों के लिए। मध्यम-अवधि विकास की संभावनाएं भी ऐतिहासिक रूप से कम बनी हुई हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास एक अन्य महत्वपूर्ण विकास चुनौती है। 2015 के पेरिस समझौते के तहत जिन देशों ने अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया था, उनकी प्रगति कम हुई है, तथा आवश्यक कार्यों और योजनाबद्ध एवं क्रियान्वित कार्रवाई के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। हरित और जलवायु-अनुकूल भविष्य बनाने और विश्व स्तर पर नेट-शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त वैश्विक निवेश की आवश्यकता है। जी20 देश लगभग 76% वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव सबसे गरीब लोगों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं, आपदाओं से प्रभावित 40% लोग निम्न आय वाले देशों में रहते हैं। तदनुसार उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं से वित्तपोषण और निजी पूंजी जुटाने की आवश्यकता होगी। चूंकि उत्सर्जन में वृद्धि जारी है, इसलिए उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि वे अपने हरित निवेश प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकें और जीवाश्म ईंधन निवेश को कम कर सकें। आगे की प्रगति को बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय रुपरेखा और सहयोग महत्वपूर्ण हैं।

दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित सीओपी 28 का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि 130 देशों ने ऊर्जा परिवर्तन के मार्ग पर बने रहने के लिए 2030 तक वैश्विक अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावॉट से अधिक करने की प्रतिबद्धता थी। 2023 में, 473 गीगावॉट की रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी जाएगी और कुल क्षमता 3,870 गीगावॉट तक पहुंच गई। आरई में वर्तमान विकास गति के साथ, यह 2025 तक वैश्विक विद्युत उत्पादन का एक तिहाई से अधिक प्रदान करने के लिए तैयार है, कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी कोयले से आगे निकल जाएगी और 2023 में 30% से बढ़कर 2026 में 37% होने का अनुमान है। बढ़ते

परमाणु ऊर्जा उत्पादन द्वारा समर्थित नवीकरणीय ऊर्जा की तीव्र वृद्धि वैश्विक कोयला आधारित ऊर्जा को विस्थापित करने के लिए तैयार है। एशिया परमाणु ऊर्जा में वृद्धि का मुख्य चालक बना हुआ है, वैश्विक परमाणु उत्पादन में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 2026 तक 30% तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें चीन और भारत अग्रणी होंगे। जैसे ही 2023 में वैश्विक जल विद्युत उत्पादन में गिरावट आई, वैश्विक जल विद्युत क्षमता कारक, 40% से नीचे गिर गया, जो कि कम से कम तीन दशकों में दर्ज किया गया सबसे कम मूल्य है, जो मौसम के प्रभावों जैसे सूखे, औसत से कम वर्षा और कई क्षेत्रों में शुरुआती बर्फबारी के कारण हुआ। चरम मौसमी घटनाओं के कारण कई देशों में बड़े पैमाने पर विद्युत कटौती हुई। इसने लचीलेपन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया क्योंकि विद्युत प्रणालियों पर मौसम का प्रभाव बढ़ रहा है, आपूर्ति और मांग दोनों मौसम पर अधिक निर्भर हो रही हैं।

जबकि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य स्थिर विकास अनुमानों और घटती मुद्रास्फीति के साथ आशावादी प्रतीत होता है, मुद्रास्फीति को और अधिक स्थिर करने, संप्रभु ऋण का प्रबंधन करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसी सतत चुनौतियां निर्णायक और सहयोगात्मक कार्यों के महत्व को रेखांकित करती हैं। जैसे-जैसे हम एक दूसरे से जुड़े विश्व की जटिलताओं से निपट रहे हैं, सतत विकास, समावेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास सर्वोपरि बने हुए हैं। सहयोग को बढ़ावा देकर, नवीन समाधानों का लाभ उठाकर और समान आर्थिक नीतियों को प्राथमिकता देकर, हम सभी के लिए अधिक समृद्ध और लचीले भविष्य की दिशा में मार्ग तैयार कर सकते हैं।

भारतीय कारोबार परिदृश्य

हाल के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, तथा आईएमएफ के अनुसार लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ यह विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो व्यापक व्यापार सुधारों, तकनीकी उन्नति और समृद्ध उद्यमशीलता परिदृश्य के कारण संभव हो पाया है। सरकार की पहल व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने और व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक रही है। सुधारों को लागू करने की दिशा में सरकार का सक्रिय रुख कारोबारी माहौल में सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे एक अग्रणी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, मजबूत समग्र मांग के कारण देश की जीडीपी वृद्धि मजबूत बनी रही। बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सरकार के निरंतर जोर के साथ निश्चित निवेश तेज गति से बढ़ा है। निजी कॉर्पोरेट निवेश में भी तेजी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी में 7.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह 7% थी। आपूर्ति पक्ष पर, वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्माण गतिविधि में वृद्धि जारी रही, जिसे कमोडिटी की कम कीमतों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण रसद लागत में कमी का समर्थन मिला। निर्माण गतिविधि में उछाल ने सेवा क्षेत्र की गति को बढ़ावा दिया। वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती भू-आर्थिक विखंडन, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता और लाल सागर में व्यवधानों में वृद्धि को देखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद लगभग 7% रहने का अनुमान है।

पिछले वित्तीय वर्ष से, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। हाल के दिनों में, मुद्रास्फीति अप्रैल, 2022 में 7.8% के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जो मार्च, 2023 में घटकर 5.7% हो गई तथा इस वित्तीय वर्ष के दौरान मार्च, 2024 में और कम होकर 4.9% हो गई।

वैश्विक चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मजबूत घरेलू मांग से उत्साहित और मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के समर्थन से, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। निवेश चक्र में तेजी, विनिर्माण और

सेवा क्षेत्रों में व्यापक पुनरुद्धार, सरकार के पूंजीगत व्यय से कारोबार और उपभोक्ता भावनाएं उत्साहित हुई हैं तथा मजबूत कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट से भविष्य में विकास की गति को बल मिला है। यद्यपि, मौद्रिक नीति कार्रवाई और रुख का निरंतर प्रभाव मुख्य मुद्रास्फीति को कम कर रहा है, भू-राजनीतिक शत्रुता, अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजार और जलवायु झटके देश के विकास और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए प्रमुख जोखिम हैं।

औद्योगिक संरचना और विकास

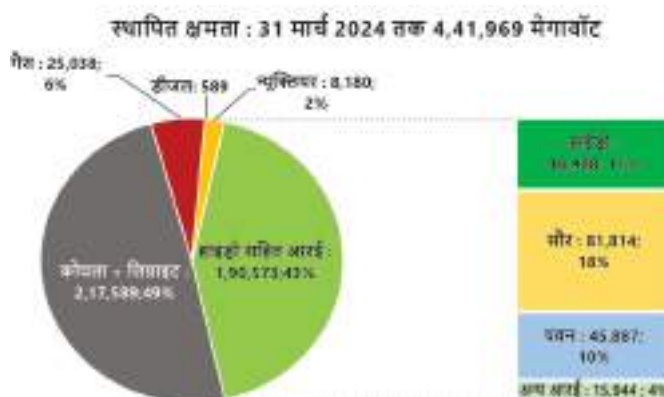
उद्योग अवलोकन

वैश्विक महामारी के बाद के सुधार चरण में, बढ़ती मांग और ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान केंद्रित किए जाने के परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र में उछाल आया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल विद्युत उत्पादन 1,738 बीयू तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जल विद्युत उत्पादन सहित नवीकरणीय ऊर्जा 364 बीयू रही, जो कि वर्ष दर वर्ष 2.2% कम है। यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 10.9% की वृद्धि हुई, फिर भी बड़े जल विद्युत उत्पादन में 17.8% की उल्लेखनीय मंदी आई। गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन कुल मिलाकर 412 बीयू रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.4% की मंदी को दर्शाता है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान स्थापित विद्युत क्षमता में लगभग 26 गीगावॉट की वृद्धि हुई, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल स्थापित क्षमता 442 गीगावॉट हो गई। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त क्षमता में 73% हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा की है। गैर-जीवाश्म क्षमता की हिस्सेदारी भी पिछले वर्ष की तुलना में 43% से बढ़कर 45% हो गई। विद्युत की अधिकतम मांग 240 गीगावॉट की सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह 215.9 गीगावॉट थी।

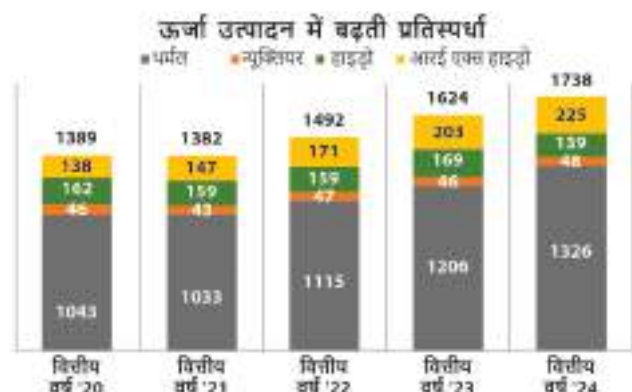
उद्योग संरचना

उत्पादन

31 मार्च, 2024 तक, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 442 गीगावॉट थी, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में 104 गीगावॉट, राज्य क्षेत्र में 108 गीगावॉट, निजी क्षेत्र में 230 गीगावॉट शामिल था। निश्चित प्रकार के अनुसार उत्पादन क्षमता के संदर्भ में, पारंपरिक तापीय/जीवाश्म क्षमता 243 गीगावॉट, जलविद्युत 47 गीगावॉट, परमाणु 8 गीगावॉट, और जलविद्युत को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा 144 गीगावॉट थी। देश भर में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पिछले वर्ष के 63.95% की तुलना में बढ़कर 69.07% हो गया। केंद्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत स्टेशनों ने 75.09% का पीएलएफ हासिल किया, जबकि राज्य क्षेत्र और आईपीपी क्षेत्र ने क्रमशः 64.81% और 67.47% का पीएलएफ हासिल किया।



वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन 1,738 बीयू रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। कुल उत्पादन में इस वृद्धि की पूर्ति के लिए, थर्मल उत्पादन (कोयला + लिग्नाइट + गैस सहित) में 10% वार्षिक वृद्धि देखी गई है। कुल विद्युत उत्पादन में गैर-जीवाश्म उत्पादन की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 26% की तुलना में घटकर 24% हो गई है।



यद्यपि जल विद्युत उत्पादन को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा में 10.9% वार्षिक वृद्धि देखी गई है, लेकिन जल विद्युत उत्पादन में 17.8% वार्षिक कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-जीवाश्म आधारित हिस्सेदारी में गिरावट आई है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वर्ष दर वर्ष आधार पर 4.5% की वृद्धि देखी गई है। सीईए ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1736 बीयू की ऊर्जा आवश्यकता की परिकल्पना की है।

पिछले कुछ वर्षों में विद्युत की अधिकतम मांग में लगातार वृद्धि जारी रही और सितंबर, 2023 में यह 240 गीगावॉट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। सीईए ने आगे अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिकतम मांग 256.5 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी।



कुल विद्युत उत्पादन और अधिकतम मांग दोनों में यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्ध परिदृश्य को दर्शाती है।

कोयला

पिछले एक दशक में, थर्मल पावर, जो मुख्य रूप से कोयले से चलती है, कुल विद्युत उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगातार 70% से अधिक रही

है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में सराहनीय प्रगति के बावजूद, विद्युत की मांग में वृद्धि के कारण ताप विद्युत पर निरंतर निर्भरता आवश्यक हो गई है, अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इसकी हिस्सेदारी 55% और वर्ष 2047 तक 27% हो जाएगी। यह अनुमान है कि वर्ष 2030 में कोयले की मांग संभवतः 1462 मीट्रिक टन और वर्ष 2047 तक 1755 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी।

देश के कोयला उत्पादन में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 11.65% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जो 997.23 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड वार्षिक उत्पादन तक पहुंच गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास उच्चतम उत्पादन हिस्सेदारी (77.6%) है। कुल उत्पादित कोयले में से, 870.55 मीट्रिक टन (यानी 87.3%) अकेले पावर यूटिलिटीज और कैपेक्स पावर प्लांटों को आवंटित किया गया है।

कोयले से उत्पादित विद्युत में सालाना आधार पर 10.04% की वृद्धि हुई है और यह 1261 बीयू तक पहुंच गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन का 72.6% है। भारतीय विद्युत क्षेत्र को वित्त वर्ष के दौरान कुल 864.32 मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ है, जिसमें 798.59 मीट्रिक टन घरेलू कोयला और 65.73 मीट्रिक टन आयातित कोयला शामिल है। विद्युत की बढ़ती मांग और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ, आने वाले कुछ वर्षों में, देश के विद्युत क्षेत्र में कोयले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

निजी कंपनियों/सार्वजनिक उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी, विनियमनों को सुव्यवस्थित करना और कैपेक्स खदानों को अपने उत्पादन का एक हिस्सा बेचने की अनुमति देने जैसी सरकार की पहलों ने कोयला उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। कोयला खनन क्षेत्र देश में कोयला उत्पादक राज्यों की आर्थिक वृद्धि के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ है क्योंकि इसने 2014-2023 की अवधि के दौरान 13.8% की स्वस्थ सीएजीआर के साथ कुल ₹152,696 करोड़ का पर्याप्त राजस्व उत्पन्न किया है। 2020 से अब तक, वाणिज्यिक नीलामी के तहत कुल 91 कोयला खदानों की नीलामी की गई है, जिससे ₹33,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

वैश्विक स्तर पर, भारत नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। 31 मार्च, 2024 तक, भारत की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी पनविद्युत सहित) 191 गीगावॉट थी, जो कुल संस्थापित विद्युत क्षमता का 43.2% है। जिसमें से, सौर ऊर्जा ने 82 गीगावॉट का योगदान दिया, इसके बाद हाइड्रो से 47 गीगावॉट, पवन ऊर्जा से 46 गीगावॉट, जैव-ऊर्जा और अपशिष्ट से 11 गीगावॉट और छोटे हाइड्रो से 5 गीगावॉट का योगदान रहा। वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के संदर्भ में, कुल मिलाकर 19 गीगावॉट क्षमता जोड़ी गई, जिसमें 15 गीगावॉट सौर क्षमता, 3 गीगावॉट पवन और शेष कुल मिलाकर लगभग 1 गीगावॉट क्षमता शामिल है।

पारेषण और वितरण

पारेषण

पारेषण विद्युत वितरण मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य दोनों में उत्पादन स्टेशनों से लोड केंद्रों तक विद्युत के निर्गम की सुविधा प्रदान करता है। घाटे वाले क्षेत्रों में विद्युत के कुशल वितरण के लिए अंतरा-राज्य पारेषण सिस्टम (आईएसटीएस) नेटवर्क को आनुपातिक रूप से सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है; जिसके लिए अंतर-राज्य विद्युत पारेषण प्रणाली का आगे विकास और राष्ट्रीय ग्रिड में वृद्धि का संवर्धन किया जाना शामिल है।

31 मार्च 2024 तक पारेषण की स्थिति	एचवीडीसी			ईएचवी एसी			
	± 800 केवी	± 500 केवी	± 320 केवी	765 केवी	400 केवी	230/220 केवी	कुल
वित्तीय वर्ष 2023-24 में जोड़ी गई लाइनें (सीकेएम में)	शून्य	शून्य	शून्य	2,119	6,088	5,996	14,203
कुल लाइन लंबाई (सीकेएम में)	9,655	9,432	288	54,797	2,03,838	2,07,534	4,85,544
वित्त वर्ष 2023-24 में जोड़ी गई रुपांतरण क्षमता (एमवीए में)	शून्य	शून्य	शून्य	18,000	32,185	20,543	70,728
कुल रुपांतरण क्षमता (एमवीए में)	18,000	13,500	2,000	2,94,700	4,57,933	4,64,947	12,51,080

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 70,728 एमवीए रुपांतरण (उप-स्टेशन) क्षमता के साथ कुल 14,203 सीकेएम पारेषण लाइनें जोड़ी गईं। 31 मार्च, 2024 तक, हमारे देश में विश्व के विशालतम सिंक्रोनस इंटरकन्नेक्टेड विद्युत ग्रिडों में एक है जिसमें 4,85,544 सीकेएम पारेषण लाइनें और 12,51,080 एमवीए रुपांतरण क्षमता है।

जनवरी, 2024 में जारी सीईए के ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, वॉल्यूम II (ट्रांसमिशन) के अनुसार, 2022-27 की अवधि के दौरान लगभग 1,23,577 सीकेएम पारेषण और सबस्टेशनों में 7,10,940 एमवीए रुपांतरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़े जाने का अनुमान है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि कुल अंतर-क्षेत्रीय रुपांतरण क्षमता को वित्तीय वर्ष 2022 में 1,12,250 मेगावाट से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2027 में 1,43,850 मेगावाट किया जाएगा। इसके अलावा बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के बीच ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए रिएक्टिव पावर मुआवजे को प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक माना गया है और तदनुसार विस्तृत योजना बनाई गई है। वित्तीय वर्ष 2022-27 की अवधि के दौरान ₹11,600 करोड़ की अनुमानित लागत से 51,068 एमवीएआर की बस रिएक्टर वृद्धि और ₹14,919 करोड़ की अनुमानित लागत से 57,890 एमवीएआर की लाइन रिएक्टर वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2022-27 की अवधि के दौरान देश में अतिरिक्त रुपांतरण प्रणाली (रुपांतरण लाइनें, सब-स्टेशन, रिएक्टिव कंपनसेशन आदि) के कार्यान्वयन के लिए ₹4,75,804 करोड़ के संचयी अनुमानित व्यय पर विचार किया गया है।

वितरण

विद्युत वितरण विद्युत आपूर्ति मूल्य श्रृंखला की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ी होती है। पूरे इतिहास में, विद्युत वितरण का क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताओं के एकाधिकार के रूप में रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र केवल एक सीमित भूमिका निभाता है। हाल ही में इस स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि बढ़ती संख्या में निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में शामिल हो रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों में वितरण क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि विद्युत आपूर्ति, उच्च एटीएंडसी घाटा, पुराना और ओवरलोडेड नेटवर्क, कम लागत पर वसूली, कम उपभोक्ता संतुष्टि आदि इसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है और वितरण कंपनियां बुनियादी ढांचे के विस्तार में उचित निवेश करने में सक्षम नहीं हैं। हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में, वितरण क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है और वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न सुधार उपाय/नियम अधिसूचित किए गए हैं। देश ने सार्वभौमिक विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है क्योंकि हर गांव, हर बस्ती और हर इच्छुक घर को विद्युत से जोड़ दिया गया है, जिससे सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो गई है। विद्युत की भारी कमी वाले देश से ऐसी स्थिति में जहां हम अपने पड़ोसी देशों को विद्युत निर्यात कर सकते हैं, यह परिवर्तन सरकार और सभी हितधारकों के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। हाल के दिनों में, वितरण प्रणाली को मजबूत करने और सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की गईं। इन पहलों के परिणामस्वरूप, शहरी क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता लगभग 23.8 घंटे है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता वर्तमान में लगभग 20.6 घंटे है।

निश्चित विनियामक ढांचे के भीतर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे को कम करने के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं। हाल ही में, सरकार ने वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से आरडीएसएस योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और एसीएस-एआरआर

अंतर को शून्य करना है। इस योजना में 5 वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय है, जिसमें केंद्र सरकार से ₹97,631 करोड़ का अनुमानित जीबीएस है।

चूंकि इन सभी सुधार उपायों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना था, इससे अंततः पावर जेनरेटिंग कंपनियों (जेनको) पर बकाया राशि में कमी आई। डिस्कॉम पर जेनको का बकाया 3 जून, 2022 को ₹1,39,947 करोड़ से घटकर 31 जनवरी, 2024 को ₹49,452 करोड़ रह गया है, जिससे विद्युत क्षेत्र की समग्र सेहत में सुधार होने की उम्मीद है। विलंबित भुगतान अधिभार नियमों ने उत्पादन और पारेषण कंपनियों को देय राशि में कमी आई। देय दिन घटाकर 126 दिन कर दिए गए और प्राप्य दिवस भी घटाकर 119 दिन कर दिए गए। आरडीएसएस योजना की मदद से, वित्तीय वर्ष 2023 में एटी एंड सी घाटा वित्तीय वर्ष 2022 में 16.5% से बढ़कर 15.4% हो गया है, बिलिंग दक्षता वित्तीय वर्ष 2022 में 86% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 87.0% हो गई है और संग्रहण दक्षता 97.3% के उच्च स्तर पर बनी हुई है।

वर्ष 2030 तक लोड को पूरा करने के लिए वितरण अवसंरचना की आवश्यकता के महत्व को समझते हुए, सीईए ने वितरण उपयोगिताओं के परामर्श से डिस्कॉम से प्राप्त जानकारी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक वितरण परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2029-30 तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए डिस्कॉम द्वारा नियोजित डिस्कॉमवार और अखिल भारतीय स्तर की वितरण अवसंरचना को शामिल किया गया है। वितरण उपयोगिताओं के मार्गदर्शन के लिए स्मार्ट वितरण की शुरुआत के लिए उपलब्ध नई तकनीकों का विवरण और वितरण उपयोगिताओं के लिए क्षमता निर्माण पर एक अध्याय शामिल किया गया है। डीपीपी में देश भर की 71 डिस्कॉम के लिए वर्ष 2030 तक एटीएंडसी लॉस रिडक्शन ट्रेजेक्टरी को भी शामिल किया गया है।

यह अनुमान लगाया गया है कि 2022-2027 की अवधि के दौरान वितरण बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए ₹4.28 लाख करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी, जिसमें से ₹1.89 लाख करोड़ आरडीएसएस सहित विभिन्न स्रोतों से डिस्कॉम के पास उपलब्ध होंगे। 2027-30 की अवधि के लिए ₹2.86 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होने का अनुमान है।

विद्युत क्षेत्र नीतिगत परिवेश

भारत ने सीओपी26 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी ऊर्जा रुपांतरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इन लक्ष्यों में 2030 तक 500 गीगीवाट नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोतों से 50% हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल है। सरकार ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी वादा किया है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने और देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के इसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन और यहां तक कि स्मार्ट मीटरिंग तक - उभरते ऊर्जा संक्रमण प्रवृत्तियों का लाभ उठाने की ओर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2024 ने निम्नानुसार विभिन्न उपायों की घोषणा करके विद्युत क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाया है:

- बजट में 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी; इससे प्रति घर सालाना लगभग ₹15,000 से ₹18,000 की बचत होगी।
- 1 गीगावॉट की प्रारंभिक क्षमता के लिए ऑफ-शोर पवन परियोजना का उपयोग करने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) की घोषणा की गई है।
- प्राकृतिक गैस/मेथेनॉल और अमोनिया पर आयात को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित करने की घोषणा की गई है।
- परिवहन के लिए सीएनजी और पीएनजी के साथ कंप्रेसड बायो-गैस के चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण की घोषणा।

- भारत सरकार विनिर्माण और चार्जिंग इन्फ्रा को समर्थन देने के लिए ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी। भुगतान सुरक्षा तंत्र के माध्यम से ईवी अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार ने देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं :

- भारत सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹24,000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। इस प्रयास से, भारत की पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता वर्ष 2023 में ~38 गीगावॉट से अधिक हो गई और वर्ष 2026 तक ~110 गीगावॉट से अधिक हो जाने की उम्मीद है।
- ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2030-31 तक 4,000 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) विकसित करने के लिए ₹9,400 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी है। नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भंडारण को प्राथमिकता देती हैं, जिसका लक्ष्य चौबीसों घंटे आपूर्ति करना है। वर्ष 2030 तक 50% नवीकरणीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, योजना में 16 गीगावॉट पंप भंडारण परियोजनाएं और 42 गीगावॉट बीईएसएस क्षमता शामिल है।
- भारत सरकार ने डिस्कॉम के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें प्रगतिशील लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025 में 29.91% से लेकर वित्तीय वर्ष 2030 तक 43.33% तक।
- भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली विकसित करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे स्थापित किए हैं। आरई बिजली निकासी के लिए दस आरई समृद्ध राज्यों में ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे की स्थापना का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्तमान में, अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 112 गीगावॉट है, जिसे देश के किसी भी हिस्से में निर्बाध नवीकरणीय ऊर्जा निकासी और हस्तांतरण के लिए वर्ष 2027 तक 144 गीगावॉट तक विस्तारित करने की योजना है।
- सरकार ने सौर ऊर्जा से देश के विकेन्द्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं।
- भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है।

इन योजनाओं और नीतियों के माध्यम से भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

केंद्र सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना को अधिसूचित किया है जो सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध योजना है जिसका वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹3,03,758 करोड़ का परिव्यय है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से संधारणीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर, सभी डिस्कॉम/विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करते हुए एटी एंड सी की हानि को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर पर लाना और एसीएस-एआरआर के अंतर को 2024-25 तक शून्य करना है। डिस्कॉम/विद्युत विभाग, हानि में कमी लाने और आधुनिकीकरण के लिए प्री-पेड स्मार्ट मीटरिंग, सिस्टम मीटरिंग और वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

यह योजना पूर्व-निर्धारित और सहमत प्रदर्शन प्रक्षेप पथ के प्रति डिस्कॉम प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन प्रदान करती है जिसमें एटीएंडसी घाटे, एसीएस-एआरआर खामियों, अवसरचना के उन्नयन प्रदर्शन, उपभोक्ता सेवाओं, आपूर्ति के घंटे, कॉर्पोरेट प्रशासन आदि शामिल है। डिस्कॉम को न्यूनतम 60% अंक स्कोर करना होता है उस वर्ष योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र होने के लिए और कुछ मापदंडों के संबंध में न्यूनतम मानक

की पूर्ति करनी होती है। योजना के कार्यान्वयन से प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ता सशक्तीकरण होगा, जिसे सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोड में लागू किया जाएगा और आईटी/ओटी उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जाएगा जिसमें सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी शामिल है जिससे कि डिस्कॉम को नुकसान में कमी, मांग पूर्वानुमान, दिन के समय (टीओडी) टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और अन्य पूर्वानुमानित विश्लेषण पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके ताकि हर माह प्रणाली जनित ऊर्जा लेखांकन रिपोर्ट तैयार की जा सके।

आरडीएसएस सिस्टम मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित आईटी/ओटी (सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रौद्योगिकी) उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर विशेष जोर देता है, ताकि विद्युत वितरण में भागीदारी और परामर्श का लाभ उठाकर एआई/एमएल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू किया जा सके।

रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II

देश में 40 गीगावॉट रूफटॉप सोलर (आरटीएस) क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 8 मार्च, 2019 को रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II की शुरुआत की है। कार्यक्रम में आवासीय क्षेत्र में 4,000 मेगावाट आरटीएस क्षमता की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। पिछले वर्ष की स्थापित क्षमता से अधिक एक वर्ष में अतिरिक्त आरटीएस क्षमता की उपलब्धि के लिए डिस्कॉम को केंद्रीय वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क सहित कुल ₹11,814 करोड़ की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रारंभ में 2022 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में कार्यक्रम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

30 नवंबर, 2023 तक, चरण-II कार्यक्रम की सब्सिडी योजना के अंतर्गत 2,651.10 मेगावाट आरटीएस क्षमता स्थापित की गई है। देश में संचयी आरटीएस स्थापित क्षमता 31 मार्च, 2019 तक 1.8 गीगावॉट से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक 11.9 गीगावॉट हो गई है।

इस योजना को और गति देने के लिए सरकार ने हाल ही में "प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" की घोषणा की है और 'रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II' को इस योजना में शामिल किया गया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत एक करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाने और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। माननीय प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया था।

इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40% सीएफए प्रदान किया गया है। सीएफए की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट होगी। वर्तमान बेंचमार्क कीमतों पर, योजना के लिए सीएफए इस प्रकार है:

क्र. सं.	आवासीय खंड के प्रकार	सीएफए	सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य)
1.	आवासीय क्षेत्र (आरटीएस क्षमता का प्रथम 2 केडब्ल्यूपी या उसका भाग)	₹30,000/ केडब्ल्यूपी	₹33,000/ केडब्ल्यूपी
2.	आवासीय क्षेत्र (1 केडब्ल्यूपी या उसके भाग की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ)	₹18,000/ केडब्ल्यूपी	₹19,800/ केडब्ल्यूपी
3.	आवासीय क्षेत्र (3 केडब्ल्यूपी से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4.	समूह आवास सोसायटी/आवासीय कल्याण संघ (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि, 500 केडब्ल्यूपी तक ईवी चार्जिंग सहित सामान्य सुविधाओं के लिए (प्रति घर 3 केडब्ल्यूपी की दर से)	₹18,000/ केडब्ल्यूपी	₹19,800/ केडब्ल्यूपी

इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल (<https://pmsuryaghar.gov.in>) विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से परिवार सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे। परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% के कोलैटरल-फ्री-लो-इंटरेस्ट वाले ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

प्रस्तावित योजना से आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी और इसके परिणामस्वरूप रूफटॉप प्रणालियों के 25 वर्ष के जीवनकाल में 720 मिलियन टन सीओ₂ समतुल्य उत्सर्जन में कमी आएगी।

इस योजना के लिए आरईसी लिमिटेड को कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने इससे पहले (जनवरी, 2023 में) ₹19,744 करोड़ के आवंटन के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, इसका उद्देश्य भारत को विश्व में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है। मिशन परिव्यय में हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम (एसआईजीएचटी) के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप हेतु ₹17,490 करोड़, पायलट परियोजनाओं के लिए ₹1,466 करोड़, अनुसंधान एवं विकास के लिए ₹400 करोड़ तथा अन्य मिशन घटकों के लिए ₹388 करोड़ शामिल हैं।

एमएनआरई ने जून, 2023 में एसआईजीएचटी दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ₹13,050 करोड़ और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए ₹4,440 करोड़ शामिल हैं। ग्रीन एच₂ उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 50/केजी, 40/केजी, 30/केजी उत्पादन तक सीमित है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक अधिसूचित किया है। एमएनआरई ने हरित एच₂ की परिभाषा को मानकीकृत किया है, जिसमें वेल्ड-टू-गेट उत्सर्जन (यानी जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस शुद्धिकरण, हाइड्रोजन का सुखाने और संपीड़न सहित) 2 किलोग्राम सीओ₂ समतुल्य / किलोग्राम एच₂ से अधिक नहीं होना चाहिए।

एमएनआरई ने बाद में हरित हाइड्रोजन के लिए ₹400 करोड़ के बजट के साथ आरएंडडी रोडमैप जारी किया था, ताकि ग्रीन एच₂ के व्यावसायीकरण में मदद करने के लिए एक जीवंत अनुसंधान और एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। एमएनआरई ने परिवहन, इस्पात और शिपिंग क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तीन अलग-अलग दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

पीएम-कुसुम योजना दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है, जिसके तहत 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जाएगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फरवरी, 2019 में आयोजित अपनी बैठक में पीएम-कुसुम योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना में तीन घटक शामिल हैं:

- घटक-ए: 10,000 मेगावाट विकेन्द्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र।
- घटक-बी: 20 लाख एकल सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
- घटक-सी: 15 लाख मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण।

पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है और राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमता आवंटित की जाती है। 31 मार्च, 2024 तक, 4,766 मेगावाट के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 166.28 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है और इस योजना के तहत 3.15 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है।

सौर पार्क योजना

बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सुविधा के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 40 गीगावॉट क्षमता के लक्ष्य के साथ "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास" की योजना कार्यान्वित की जा रही है। सौर पार्क सौर ऊर्जा डेवलपर्स को सभी वैधानिक मंजूरीयों के साथ-साथ भूमि, बिजली निकासी सुविधाएं, सड़क संपर्क, जल सुविधा आदि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की सुविधा प्रदान करके प्लग एंड प्ले मॉडल प्रदान करते हैं। योजना के शुभारंभ यानी दिसंबर, 2014 से अब तक देश के 12 राज्यों में 31 दिसंबर, 2023 तक 37,740 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 51 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं और अब तक 20 सौर पार्कों में कुल 10,504 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं चालू की गई हैं।

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने 2 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें अंतर्निहित उप-योजनाएं जैसे अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (बड़े बायोगैस, बायोसीएनजी और बिजली संयंत्रों की स्थापना में सहायता के लिए), बायोमास कार्यक्रम (बिजली उत्पादन और गैर-खोई बिजली उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले छर्छों और ब्रिकेट की स्थापना में सहायता के लिए) शामिल हैं। कार्यक्रम के चरण-1 को ₹858 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

31 जुलाई, 2023 तक राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 जैव-सीएनजी संयंत्र और 11,100 से अधिक छोटे बायोगैस संयंत्र चालू किए गए।

अवसंरचना क्षेत्र

2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा काफी हद तक इसके बुनियादी ढांचे में सुधार पर निर्भर करती है, जो रहने योग्य, जलवायु-लचीले और समावेशी शहरों को बढ़ावा देने के लिए आधारशिला है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। सरकार की प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष 2024 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% आवंटित करने से स्पष्ट है, जिसमें परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सड़क और राजमार्गों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसके बाद रेलवे और शहरी सार्वजनिक परिवहन का स्थान है। सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें वर्ष 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास और हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 220 करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना तथा 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करना भी योजनाओं में शामिल है। बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालयों के लिए कुल बजटीय परिव्यय वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग ₹3.7 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में ₹5 लाख करोड़ हो गया है, जो विभिन्न परिवहन उप-खंडों में निजी क्षेत्र के लिए निवेश की संभावनाएं प्रदान करता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ने विभिन्न बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य किया है, विशेष रूप से पूरे भारत में हवाई अड्डों, बंदरगाहों, राजमार्गों और लॉजिस्टिक्स पार्कों के निर्माण में। विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार और राज्यों से मिलने वाले समर्थन के अलावा, भारत को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीपीपी से भी महत्वपूर्ण प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

वर्ष 2021 में, सरकार ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रमुख परिवहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतमाला, सागरमाला, उड़ान आदि जैसी बुनियादी ढांचा योजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाना है। एनएमपी केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टुक और उपयोगिता अवसंरचना, चल रही और भविष्य की परियोजनाओं का विस्तृत डेटाबेस प्रदान करता है। जीआईएस-सक्षम पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत, यह एक ही पोर्टल पर अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं

की सुव्यवस्थित योजना, डिजाइन और निगरानी की अनुमति देता है। इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी) डेटाबेस के अनुसार, वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में 2,388.93 बिलियन डॉलर मूल्य की 15,580 परियोजनाएं हैं। इसके साथ ही, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, अपनी व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (सीएलएपी) के माध्यम से प्रक्रियाओं और विनियामक ढाँचों सहित सेवाओं में एकीकृत बुनियादी ढाँचे और दक्षता के विकास को संबोधित करती है। साथ में, एनएमपी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति देश के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए डेटा-संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

भारतीय बुनियादी ढाँचे की प्रमुख संभावनाएं

सड़क: भारतमाला परियोजना का पहला चरण 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर केंद्रित है। इसमें कॉरिडोर आधारित विकास पर जोर दिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2027-2028 तक पूरा करने की योजना है, जिसमें 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और 550 से अधिक जिले शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 22 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य बनाया है, जो भारत के परिवहन बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है।

हवाई अड्डा: नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान (उड़ें देश का आम नागरिक) का उद्देश्य छोटे शहरों में क्षेत्रीय हवाई अड्डों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाना है। 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और हवाई संपर्क विकसित करके आम नागरिकों के लिए उड़ान सेवाओं को सुलभ बनाना है। अपने पहले पांच वर्षों में उड़ान योजना ने एक करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की तथा 425 नए मार्गों और 58 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में उड़ान के लिए ₹1,244.07 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के बजट से दोगुना है, जिसमें 22 हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, जल हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंडों के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार की।

रेलवे: भारत का रेलवे क्षेत्र मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, निर्माणाधीन दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज और जम्मू और कश्मीर में चेनाब ब्रिज - विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। दिसंबर, 2023 तक 61,508 किलोमीटर के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ, इस क्षेत्र ने 35 स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू की हैं, जिनमें से छह अति शीघ्र शुरू होने वाली हैं। ये ट्रेनें देशभर के 247 जिलों तक सेवाएं देती हैं। भारतीय रेलवे का लक्ष्य वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनना है, जिसमें अक्टूबर, 2023 तक 211 मेगावाट सौर संयंत्र और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू हो जाएंगे, साथ ही 2,150 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी जुड़ जाएगी।

बंदरगाह: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने कहा कि देश की कुल बंदरगाह क्षमता मौजूदा 2,600 एमटीपीए (प्रति वर्ष मिलियन टन) से बढ़कर 2047 में 10,000 एमटीपीए से अधिक हो जाएगी। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीआई) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय बंदरगाहों का "टर्न अराउंड टाइम" 0.9 दिनों तक पहुँच गया है, जो कि यूएसए (1.5 दिन), ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिन) और सिंगापुर (1.0 दिन) से बेहतर है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना सागरमाला, भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देती है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना भी है।

भारत ने 2020 में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) शुरू की, जिसमें 2020 से 2025 की अवधि में ₹111 लाख करोड़ के निवेश की परिकल्पना की गई है, यानी लगभग ₹22 लाख करोड़ का वार्षिक औसत निवेश। एनआईपी के तहत परिकल्पित अवसंरचना विकास और निवेश को गति देने के लिए पीपीपी को एक मूल्यवान साधन के रूप में पहचाना गया है।

भारत के लिए समग्र राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विकास की प्राथमिकता देना आवश्यक है। अनुमान है कि वर्ष

2030 तक भारत की 40% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी, जो देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हालाँकि, तेजी से हो रहे शहरीकरण से बुनियादी ढाँचे के प्रबंधन और सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने में चुनौतियाँ आती हैं। स्मार्ट सिटी मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य इन चुनौतियों का कुशलतापूर्वक समाधान करना है। फरवरी, 2024 तक, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल 7,991 परियोजनाओं में से 6,753 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो ठोस प्रगति दर्शाती हैं। इसके अलावा, भारत ने डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा नए इंटरनेट उपयोगकर्ता विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है, कुल नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से लगभग 56% ग्रामीण भारत से आएंगे। यह प्रवृत्ति देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी को रेखांकित करती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि और समग्र विकास को गति देने में बुनियादी ढाँचा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे-जैसे देश वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, मजबूत बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता लगातार स्पष्ट होती जा रही है

अवसर और सवल पक्ष

अवसर

- संगठन समय के अवसर का लाभ उठाकर अपने मुख्य व्यवसाय को पूरी तरह से अनुकूलित करने के लिए इन व्यवसाय मॉडलों में भी निवेश करेगा जो बाजार में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, हाइब्रिड आरई उत्पादन आदि जैसे अधिक रिटर्न की पेशकश कर रहे हैं।
- भारतीय विद्युत क्षेत्र में निवेश के अवसर।
- ऊर्जा संचरण और नेट जीरो आधारित निवेश: कम कार्बन, नवीकरणीय और ऊर्जा कुशल बिजली प्रौद्योगिकियों में निवेश (~ ₹35 लाख करोड़)।
- क्रिसिल इंफ्रा ईयर बुक 2023 के अनुसार, भारत का बुनियादी ढाँचा व्यय 2017-2023 की अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 और 2030 के बीच दोगुना होकर ₹143 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इससे इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में निवेश का बड़ा अवसर मिलेगा।
- आरडीएसएस जैसी योजनाओं में काउंटर-पार्ट फंडिंग (लगभग ₹2 लाख करोड़)।

सबल पक्ष

- विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और भारत सरकार की नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आरईसी की भूमिका को देखते हुए, आरईसी की अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति है।
- मजबूत वित्तीय स्थिति और अच्छी पूंजी।
- आरईसी के पास एक वैविध्यपूर्ण एसेट पोर्टफोलियो है, जिसमें कोई भी उधारकर्ता 10% से अधिक एसेट पोर्टफोलियो वाला नहीं है।
- आरईसी के पास अनुभवी प्रतिभाओं का एक समूह और व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल सेट है।
- केंद्र और राज्य सरकार के हितधारकों के साथ मजबूत संबंध और नेटवर्क।

चुनौतियां, जोखिम और चिंताएं

- विद्युत, बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा के लिए उचित दरों पर ऋण देने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मार्जिन स्थिर रहेगा।
- वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय और परिचालन स्थिति चिंता का विषय बना हुआ है।

क्षेत्र-वार या उत्पादन-वार प्रदर्शन

आरईसी एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जिसे आरबीआई द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करती है।

आरईसी के प्रमुख उत्पाद राज्य उपयोगिताओं, निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं आदि के लिए ब्याज पर दिए जाने वाले ऋण हैं। कंपनी के पास अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के लिए ₹3,58,816 करोड़ की कुल ऋण स्वीकृत किए हैं। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹67,112 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा (हाइड्रो सहित) परियोजनाओं के लिए ₹1,36,516 करोड़, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए ₹1,01,994 करोड़, बुनियादी ढांचे और रसद परियोजनाओं के लिए ₹40,569 करोड़ और अन्य ऋणों जैसे अल्पकालिक ऋण, मध्यम अवधि ऋण आदि के लिए ₹12,625 करोड़ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने ₹1,61,462 करोड़ की राशि वितरित की है, जिसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹25,054 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत सहित) परियोजनाओं के लिए ₹16,024 करोड़, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए ₹92,857 करोड़, बुनियादी ढांचा और रसद परियोजनाओं के लिए ₹17,015 करोड़ और अन्य ऋण जैसे अल्पकालिक ऋण, मध्यम अवधि ऋण आदि के लिए ₹10,512 करोड़ शामिल हैं।

दृष्टिकोण

भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वर्तमान में, यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है; और वर्ष 2030 तक यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह तभी संभव होगा जब इस विकास को गति देने के लिए पर्याप्त बिजली होगी। यह आवश्यक है कि उत्पादन क्षमता, पारेषण क्षमता और वितरण क्षमता को मांग में वृद्धि के अनुरूप गति से जोड़ा जाए- और वास्तव में मांग से थोड़ा आगे; ताकि बिजली की कमी से विकास की गति धीमी न हो।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें सभी हितधारकों का प्रदर्शन बेहतर रहा। विद्युत क्षेत्र के अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण बाजार/निवेशक का समर्थन बढ़ा है। विद्युत की मांग में भारी वृद्धि के कारण, जिसके वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी बने रहने की आशा है, ताप उत्पादन क्षेत्र और नवीकरणीय उत्पादन और ट्रांसमिशन के लिए एक स्थिर दृष्टिकोण की भी उम्मीद है। यद्यपि नई उत्पादन क्षमता का अधिकांश भाग नवीकरणीय स्रोतों से आने की उम्मीद है, लेकिन बढ़ती मांग को पूरा करने और निकट भविष्य में देश की आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए ताप विद्युत उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण होगा।

उत्पादन : देश के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों और देश की विकास गति को बनाए रखने के लिए बढ़ती ऊर्जा मांग को ध्यान में रखते हुए, सीईए ने अपनी राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन), 2022-32 में अनुमान लगाया है कि स्थापित क्षमता 2030 तक 900 गीगावॉट तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 284 गीगावॉट तापीय क्षमता, 20 गीगावॉट परमाणु क्षमता और हाइड्रो सहित 596 गीगावॉट आरई क्षमता शामिल है। इसके अलावा, देश की अधिकतम मांग लगातार बढ़ रही है और वर्तमान स्तर 240 गीगावॉट से बढ़कर 2032 तक 366 गीगावॉट तक पहुंचने की संभावना है। देश के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस अनुमानित विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए, 2023-32 की अवधि के बीच निम्नलिखित क्षमता वृद्धि पर तनावग्रस्त परिदृश्य पर विचार करते हुए सीईए द्वारा उत्पादन योजना अध्ययन किया गया है, जो सरकार द्वारा अनुमानित है।

- 27,180 मेगावाट की तापीय क्षमता निर्माणाधीन है और 2031-32 तक कुल प्रत्याशित तापीय क्षमता वृद्धि 87,910 मेगावाट होने की संभावना है। नई कोयला आधारित तापीय क्षमता की स्थापना के लिए अनुमानित पूंजीगत लागत (जैसा कि एनईपी में माना गया है) को ₹8.34 करोड़ प्रति मेगावाट को ध्यान में रखते हुए, इस तापीय क्षमता वृद्धि पर वित्तीय वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम ₹7,33,170 करोड़ का व्यय होने की उम्मीद है।
- 18,033.5 मेगावाट जलविद्युत क्षमता (रुकी हुई परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है और वित्तीय वर्ष 2031-32 तक कुल प्रत्याशित जलविद्युत क्षमता वृद्धि 42,014 मेगावाट होने की संभावना है।

- 8,000 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और 2031-32 तक कुल अनुमानित परमाणु क्षमता वृद्धि 12,200 मेगावाट होने की संभावना है।
- 78,935 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन है और वित्तीय वर्ष 2031-32 तक अनुमानित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि 3,75,279 मेगावाट होगी।

उक्त सभी भारतीय विद्युत क्षेत्र में उत्पादन खंड में भारी निवेश की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं।

भारत सरकार द्वारा देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने और आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने पर जोर दिए जाने के कारण वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक खनन क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो गया है। सुव्यवस्थित नियमों और पारदर्शी वाणिज्यिक नीलामी के जरिए पिछले तीन वर्षों में कुल 91 कोयला खदानें सफलतापूर्वक आवंटित की गई हैं। इन नीलाम की गई कोयला खदानों से जुड़े बुनियादी ढांचे का समर्थन और विकास करने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण आवश्यक है।

पारेषण एवं वितरण: नवीकरणीय-समृद्ध क्षेत्रों से देश के बाकी हिस्सों तक विद्युत पहुंचाने के लिए व्यापक पारेषण योजना और कार्यान्वयन भी प्रगति पर है। सीईए के अनुमान के अनुसार 2022-27 की अवधि के दौरान देश में अतिरिक्त ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए ₹4.76 लाख करोड़ की आवश्यकता होने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में बुनियादी ढांचे, वित्तीय स्थिति और एटीएंडसी हानि टेजेक्टरी में सुधार के साथ वितरण क्षेत्र में भी पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। सीईए ने 2022-2027 की अवधि के दौरान वितरण बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए रु. 4.28 लाख करोड़ की निधि की आवश्यकता का भी अनुमान लगाया है।

नवीन एवं स्वच्छ ऊर्जा खंड : उपयोगिता-स्तरीय ऊर्जा भंडारण और पंपयुक्त जल भंडारण परियोजनाएं प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सीईए ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2030 तक लगभग 14 गीगावॉट पम्प हाइड्रो तथा 41 गीगावॉट बीईएसएस परियोजनाएं स्थापित करने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कुल 4,000 मेगावाट घंटे की बीईएसएस परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना की घोषणा से पूर्व, कैबिनेट ने ₹3,760 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹9,400 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना के साथ, भारत सरकार का लक्ष्य ₹5.50-6.60 प्रति किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) के बीच भंडारण की स्तरीय लागत (एलसीओएस) प्राप्त करना है, जिससे देश भर में विद्युत की अधिकतम मांग के प्रबंधन के लिए संग्रहित अक्षय ऊर्जा एक व्यवहार्य विकल्प बन जाएगी। हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव भारतीय बाजार में गति पकड़ रहे हैं और आगे चलकर यह ऊर्जा, परिवहन, बंदरगाह और भारी औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। तमिलनाडु के तट पर 4 गीगावॉट की कुल क्षमता की अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए उद्घाटन बोली आमंत्रित की गई है, जिससे देश में इसके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

रूझानों और नीतियों के मौजूदा टेजेक्टरी के आधार पर, भारतीय विद्युत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिर वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। आगामी वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति बरकरार रहने का अनुमान है, विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए संभावनाएँ काफी उज्ज्वल हैं। प्रति व्यक्ति कम विद्युत खपत को देखते हुए, दीर्घावधि में विद्युत क्षेत्र की संभावनाएं आशाजनक हैं।

समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन उत्कृष्ट रहने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरईसी की एमओयू रेटिंग को इसके उत्कृष्ट वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन के कारण "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है।

इस अवधि के दौरान, आरईसी को निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- जीईएम द्वारा 'वित्तीय वर्ष 22-23 में उच्चतम मूल्य एकल बोली खरीद' में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित।
- एसोचैम द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के लिए 6 वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 'इश्यूअर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित।
- राजभाषा कार्यान्वयन के लिए विद्युत पीएसयू कंपनियों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित।
- सीएसआर पहलों में उत्कृष्टता के लिए महात्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित।
- 1 सितंबर, 2023 से प्रतिष्ठित मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में स्थान प्राप्त किया।
- 'सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू- वित्तीय सेवा श्रेणी के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट अवॉर्ड -2023 से सम्मानित।
- जोखिम प्रबंधन श्रेणी में निदेशक संस्थान (आईओडी) द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स से सम्मानित।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस श्रेणी में XIII-पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित।
- वित्तीय रिपोर्टिंग 2022-23 में उत्कृष्टता के लिए आईसीआईएआई पुरस्कार से सम्मानित।
- भारत के माननीय उपराष्ट्रपति से विशेष संस्थागत श्रेणी (डिजिटलीकरण) में प्रतिष्ठित स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित।
- सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉण्ड- कॉर्पोरेट पुरस्कार से सम्मानित।
- आईआईटी मद्रास सीएसआर समिट: 'बिल्लिंग इंडिया 2047: टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमोरो' में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन को मॉरीशस में आयोजित विश्व संधारणीयता कांग्रेस में 'मोस्ट सस्टेनेबल मार्हर्न लीडर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी जोखिम

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी का पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीतिगत ढांचा आरईसी द्वारा की गई सभी ईएसजी पहलों और संचालित क्रियाकलापों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। यह ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, नियामकों, व्यावसायिक भागीदारों और समुदाय के सदस्यों सहित आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए स्थिरता, जिम्मेदार व्यावसायिक प्रणालियों और दीर्घकालिक मूल्य सृजन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है।

पर्यावरण :

सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, आरईसी देश के हरित परिवर्तन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में। इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, आरईसी के नवीकरणीय मंजूरीयों में 500% से अधिक की असाधारण वृद्धि देखी गई, साथ ही संवितरण में 59% की वृद्धि हुई। यह प्रक्षेप पथ नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में तेजी से विस्तार का संकेत देता है, जिसके परिणामस्वरूप आरईसी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा।

आरईसी ने अपने कार्बन उत्सर्जन जीएचजी फुटप्रिंट को मापने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्बन तटस्थता और नेट जीरो योजना पर काम कर रही है। गुरुग्राम में आरईसी विश्व मुख्यालय बुनियादी ढांचे के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, जिसमें कई ऊर्जा-कुशल विशेषताओं के साथ 964 किलोवाट की सोलर रूफटॉप शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, निगम कार्यालय

रूफटॉप सोलर सिस्टम ने 13,50,298 यूनिट विद्युत पैदा की, जिससे स्वच्छ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा खपत में एक बड़ा हिस्सा योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने आरईसी निगम कार्यालय में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है और आरईसी कार्यालय को ईवी में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है, जिसमें पूर्ण से रूपांतरण की योजना है। इसके अलावा, आरईसी ने अपने परिसर से एकल-उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। शेयरहोल्डरों को बढ़ाने के लिए, आरईसी ने अपनी खरीद नीति में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) विचार को एकीकृत किया है।

सामाजिक :

आरईसी निष्पक्ष और समावेशी प्रणालियों को कायम रखने में दृढ़ है, तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नीतियों की नियमित समीक्षा और अद्यतनीकरण करती है। आरईसी का "कर्मचारी नैतिकता और आचार संहिता" मैनुअल ईमानदारी और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है, जबकि एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों की चिंताओं का शीघ्र समाधान किया जाए।

आरईसी ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता देता है, सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से फीडबैक मांगता है। आरईसी के पास ग्राहकों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए उचित व्यवहार संहिता के तहत एक शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) है। आरईसी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सीएसआर के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता महात्मा पुरस्कार फाउंडेशन से "महात्मा पुरस्कार '23" और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप से "सीएसआर लीडरशिप अवार्ड 2023" प्राप्त करने के माध्यम से प्रदर्शित होती है।

सुशासन:

आरईसी का मानना है कि नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानक अधिक प्रभावशीलता और दक्षता और बेहतर व्यावसायिक परिणामों की ओर ले जाते हैं। आरईसी विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करता है और सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार स्वेच्छा से डेटा का प्रकटीकरण भी करता है। पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के प्रति कंपनी के समर्पण को इस वर्ष कॉर्पोरेट गवर्नेंस श्रेणी में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरईसी की "व्हिसल ब्लोअर नीति" स्टैकहोल्डर को आरईसी के कर्मचारी आचार संहिता या अनैतिक व्यवहार के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि आरईसी द्वारा सूचना सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी विभिन्न लेनदेन की सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, संचालन की दक्षता और वैधानिक कानूनों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली बनाए रखती है। समान अनुपालन के लिए लेखांकन हेतु शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ आईटी आधारित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आरईसी ने ऑरेकल ईआरपी संचालन और ई-ऑफिस प्रणाली भी स्थापित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन मौजूद है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवस्थित है, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग या बाहरी पेशेवर लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा विभिन्न प्रभागों और कार्यालयों की नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है।

इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों की समीक्षा लेखापरीक्षा भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा उन कार्यालयों के लिए आयोजित की जाती है जहां आंतरिक लेखापरीक्षा प्रति वर्ष बाहरी पेशेवर लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा आयोजित की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पहचाने गए महत्वपूर्ण/जोखिम वाले क्षेत्रों

सहित कंपनी के संचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्धारित है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) ढांचा है और इस ढांचे में संचालन/क्रियाकलापों का स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन, ऑडिट यूनिवर्स की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना तैयार करना और आरबीआईए नीति में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन शामिल है। इसके अलावा, आरईसी आईटी टीम मौजूदा ईआरपी मॉड्यूल को मजबूत करने और अन्य अतिरिक्त आवश्यकताओं के विकास की दिशा में काम कर रही है।

वित्तीय और प्रचालनात्मक निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने प्रभावशाली निष्पादन प्राप्त किया है। एकल आधार पर कंपनी की परिचालन आय ₹47,146.30 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष (₹39,208.06 करोड़) से 20.25 प्रतिशत अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर पूर्व लाभ ₹17,780.64 करोड़ था, जो पिछले वर्ष (₹13,738.77 करोड़) से 29.42 प्रतिशत अधिक था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निवल लाभ ₹14,019.21 करोड़ था, जो पिछले वर्ष (₹11,054.64 करोड़) की तुलना में 26.82 प्रतिशत अधिक था। 31 मार्च, 2024 तक नेटवर्थ ₹68,783.15 करोड़ था, जो पिछले वर्ष (₹57,679.67 करोड़) की तुलना में 19.25 प्रतिशत अधिक था।

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के लिए अपने बकाया की समय पर वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने ₹1,31,403.85 करोड़ की वसूली के लिए बकाया कुल राशि की तुलना में ₹1,31,041.76 करोड़ की वसूली की, जिसमें मानक परिसंपत्तियों (चरण-I और II) के लिए ब्याज शामिल है, जिसमें 99.55% की वसूली दर प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उनसे कोई भौतिक विचलन नहीं किया गया है।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

कंपनी के लिए लागू और विशिष्ट प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:-

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.59	1.58
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	6.37	6.49
प्रचालन लाभ मार्जिन(%)	37.57	34.93
निवल लाभ मार्जिन(%)	29.69	28.16
सकल ऋण बाधित आस्तियां (चरण-III) (%)	2.71	3.42
निवल ऋण बाधित आस्तियां (चरण-III) (%)	0.86	1.01
निवल मूल्य पर प्रतिफल (पीएटी/औसत निवल मूल्य) (%)	22.17	20.35

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में प्रमुख वित्तीय अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी की कुल जनशक्ति 513 कर्मचारी थी, जिसमें 485 कार्यपालक और 28 गैर-कार्यपालक शामिल थे। औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवस का कोई नुकसान नहीं हुआ।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास पर मुख्य ध्यान दिया जाना जारी रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के कुल 286 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वेबिनार आदि में भाग लिया, जिससे कुल 1,211 मानव दिवस प्रशिक्षण प्राप्त हुए।

कर्मचारियों को पेशेवर रूप से लैस करने के लिए 34 कार्यपालकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

सीएसआर

आरईसी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास पहल का क्रियान्वयन समुदाय आधारित, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिए जाने के साथ किया जाता है। आरईसी अपने सीएसआर कार्यकलापों का संचालन 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से करती है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने स्वास्थ्य देखभाल (बुजुर्गों और विशेष सक्षम व्यक्तियों सहित), सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं, रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण विकास परियोजनाओं आदि के क्षेत्र में विभिन्न नई सीएसआर पहलों के लिए कुल ₹467.84 करोड़ की राशि मंजूर की। सीएसआर परियोजनाएं बेसलाइन सर्वेक्षण, विशिष्ट परियोजना अवधि, पहचाने गए लक्ष्यों, आवधिक निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के साथ परियोजना मोड में क्रियान्वित की जाती है।

सीएसआर परियोजनाओं के प्रति संवितरण पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों और व्युत्पन्न की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कुल ₹255.01 करोड़ व्यय किया (पिछले वर्ष से ₹7.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय सहित)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का अनावरण किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विशेष रूप से अखिल भारतीय मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू), जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन परियोजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना और उनके प्रशमन के लिए कार्रवाई का सुझाव देना है। इसके अलावा, कंपनी ने आरबीआई के मानदंडों की आवश्यकता के अनुसार एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है।

आरईसी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों को व्यवस्थित रूप से श्रेणीबद्ध किया गया है और इनकी निगरानी की जाती है। क्रेडिट जोखिम वित्तपोषण उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी और ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान पर उधारकर्ता की चूक से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम शामिल है। दूसरी ओर, प्रचालनात्मक जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम देनदारियों के देय हो जाने पर उन्हें पूरा करने में संभावित अक्षमता; और परिसंपत्तियों में वृद्धि को निधि देने में असमर्थता, वित्त-पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता का जोखिम है। बाजार जोखिम को ब्याज दरों या प्रतिभूतियों के मूल्यों में बदलाव, विदेशी मुद्रा परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। ईएसजी जोखिम कंपनी के प्रचालनों, वित्तीय निष्पादन और प्रबंधन पर पर्यावरणीय, सामाजिक और मूल्यांकन कारकों के कारण होने वाला जोखिम है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी संस्थागत मूल्यांकन और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करती है, जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान, उपयुक्त संरचना और शमन शामिल है। परिचालन जोखिमों को कारोबार, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना

प्रौद्योगिकी, विधि, प्रचालन और रणनीति जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करने वाले एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से 'उच्च', 'मध्यम' या 'निम्न' के रूप में मापा और वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी अनुमानित संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर भविष्योन्मुखी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके अलावा, बाजार जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली एक आस्ति देयता प्रबंधन समिति है, जो नियमित रूप से समीक्षा के लिए बैठक करती है। कंपनी के पास इसकी व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति के एक भाग के रूप में एक परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन नीति और हेजिंग नीति भी है। संगत ईएसजी जोखिमों के प्रशमन के लिए, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन रणनीति, कॉर्पोरेट सुशासन आदि सहित फोकस क्षेत्रों को कवर करने वाली एक ईएसजी नीति बनाई है और उसे कार्यान्वित किया है।

कारोबार रणनीति

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वच्छ, टिकाऊ स्रोतों में बदलाव को सुविधाजनक बनाने पर सरकार के दोहरे

फोकस के साथ, आरईसी दोनों क्षेत्रों में वित्त-पोषित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में विद्युत क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए, आगामी कुछ वर्षों में आरईसी का प्राथमिक ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने पर रहेगा। इसमें सौर, वायु, हाइब्रिड और बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन और उनके चार्जिंग बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण शामिल है। आरईसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए उपकरण का निर्माण, सौर पार्को और सौर एसईजेड के विकास, पंप हाइड्रो परियोजनाओं, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न, सौर पंप-सेट की स्थापना, स्मार्ट मीटिंग आदि को भी वित्त-पोषित करेगा। विद्युत क्षेत्र आरईसी की प्रमुख शक्ति बना हुआ है, कंपनी को गैर-विद्युत अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी उल्लेखनीय व्यावसायिक वृद्धि की आशा है, जिसे हाल ही में इसके पोर्टफोलियो में जोड़ा गया है। कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य अपनी लोन बुक की वृद्धि को बनाए रखना है, लेकिन इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी ऋण परिसंपत्तियों की असाधारण गुणवत्ता को बनाए रखना है।

कृते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक : 27 जुलाई, 2024

सचेतक टिप्पणी :

“प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण” खंड में कुछ कथन अग्रदर्शी हो सकते हैं और लागू विधियों और विनियमों द्वारा अपेक्षानुसार बताए गए हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, भविष्य के निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

राष्ट्र के लिए समर्पित 55 वर्षों की सेवा के साथ, आरईसी हमारे देश की उन्नति का आधार रही है। प्रारंभ में, आरईसी को विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन अब इसने अवसंरचना और लॉजिस्टिक क्षेत्र को वित्तपोषित करने का कार्य शुरू कर दिया है, जो भारत की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। आरईसी की सफलता एक मजबूत कॉर्पोरेट सुशासन व्यवस्था पर आधारित है, जिससे हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ता है। पारदर्शिता, नैतिकता की प्रणालियों और दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता से सभी हितधारकों में इसका महत्व बढ़ जाता है। जिम्मेदार संसाधन उपयोग, पर्यावरणीय संधारणीयता और सामुदायिक भागीदारी पर बल देते हुए, आरईसी अपनी व्यापक सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करती है।

आरईसी शेयरधारकों, अपरिवर्तनीय प्रतिभूतिधारकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, कर्मचारियों, समुदायों और आम जनता सहित अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन का प्रयास करती है। इस कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम"), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश ("कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ("सचिवीय मानक") द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट सुशासन के लिए सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आरईसी इन न्यूनतम आवश्यकताओं से भी आगे जाकर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित अधिकांश गैर-अनिवार्य दिशानिर्देशों को पूरा करती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है, जिसके बाद कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कॉर्पोरेट सुशासन पर एक प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन पर कंपनी का सिद्धांत

आरईसी में, कॉर्पोरेट सुशासन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें नैतिक प्रबंधन को संधारणीयता और पर्यावरण जागरूकता के प्रति

मजबूत प्रतिबद्धता के साथ शामिल किया गया है। कंपनी निरंतर हितधारकों के साथ संधारणीय मूल्य सृजन को प्राथमिकता देती है, जबकि नियामक दिशानिर्देशों में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करती है। कंपनी के निवेश संबंधी निर्णय कार्यनीतिक तौर पर हरिज ऊर्जा और नवीकरणीय संसाधनों के प्रति हमारे समर्पण से प्रेरित होते हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण और दक्षता पर जोर दिया जाता है। परिवर्तनशील व्यावसायिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और उन्नयन किया जाता है।

आरईसी का कॉर्पोरेट सुशासन कार्यवाही निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन;
- अपने सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणालियां और परिपाटियां; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

उपर्युक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं:

- शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और वृद्धि करने में;
- अन्य सभी हितधारकों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करने में;
- संचार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में;



आरईसी लिमिटेड डच बैंक एजी, गिफ्ट सिटी शाखा से 31.96 बिलियन जापानी येन (200 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की हरित ऋण की सुविधा प्राप्त करते हुए

- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में; और
- अन्यो के लिए अनुकरणीय उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करने में।

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने स्वयं के "कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देश" स्थापित किए हैं। ये दिशानिर्देश कॉर्पोरेट सुशासन के प्रति कंपनी के दृष्टिकोण को संहिताबद्ध करते हुए, इसके सिद्धांत, संरचना और रूपरेखा को रेखांकित करते हैं। कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी आंतरिक दिशानिर्देशों को <https://recindia.nic.in/policies> पर देखा जा सकता है।

2. निदेशक मण्डल

आरईसी के संगम-अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम और 15 (पंद्रह) से अधिक नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, आरईसी के निदेशक मण्डल में 8 (आठ) निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), जो; निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्य देख रहे हैं; निदेशक (परियोजना); प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से एक सरकारी द्वारा नामित निदेशक; पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा नामित निदेशक, जो कंपनी की बहुसंख्यक इक्विटी का धारक है; और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित 4 (चार) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के तात्पर्य से एक सीपीएसई और सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की कार्यकारी शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति में निहित है।

(क) बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की संरचना और अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में पद	अन्य कंपनियों में धारित अन्य निदेशक पदों की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद, निदेशक पद की श्रेणी	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या	
						अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक)							
1	श्री विवेक कुमार देवांगन	01377212	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	1	-	-	-
2	श्री विजय कुमार सिंह	02772733	निदेशक (परियोजना)	2	-	-	-
गैर-कार्यपालक निदेशक (नामित निदेशक)							
3	श्री शशांक मिश्रा	08364288	सरकारी द्वारा नामित निदेशक	-	-	-	-
4	श्री मनोज शर्मा	06822395	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्णकालिक निदेशक)	-	-
गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)							
5	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	स्वतंत्र निदेशक	1	-	-	-
6	डॉ. मनोज मनोहर पांडे	09388430	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
7	डॉ. दुर्गेश नंदिनी	09398540	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-
8	श्री नारायणन तिरुपति	10063245	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-

सूचीयन विनियमावली के विनियम 26 के अनुसार, भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी के अलावा) में केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में अध्यक्षता/ सदस्यता को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक ऐसी समितियों का सदस्य नहीं है और न ही ऐसी 5 (पांच) से अधिक समितियों के अध्यक्ष है।

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 1 अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक की अवधि के दौरान बोर्ड सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम थी। तथापि, 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की संरचना सूचीकरण विनियमों के लागू प्रावधानों की अनुपालना के अनुसार थी। तदनुसार, कंपनी में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार लागू सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना हो रही है।

आरईसी के निदेशकों के पास कंपनी के प्रचालनों को एक दक्ष और प्रभावी तरीके से चलाने के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता है। वे सामूहिक रूप से कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यनीतिक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

बोर्ड ने वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति तथा निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक हेतु मानदंडों पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की सिफारिश पर अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की विविधता और कौशल पर एक नीति अंगीकार की है, जिसे आरईसी में निदेशकों के नामांकन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के मामलों में उपयुक्त विचारण के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। यह नीति <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई के मास्टर निर्देशों का पालन करते हुए और एनआरसी की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने "निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड संबंधी नीति" लागू की है। यह नीति निदेशक के रूप में उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए निदेशकों की अहर्ताओं, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य आवश्यक कारकों का आकलन करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है। नीति में निर्दिष्ट "उचित और उपयुक्त" मानदंडों की जांच निदेशकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के दौरान और उसके बाद वार्षिक तौर पर की जाती है। इस नीति को <https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf> पर किया जा सकता है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

- विद्युत मंत्रालय ने बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 17 जुलाई, 2023 के प्रस्ताव के साथ पठित अपने दिनांक 11 जुलाई, 2023 के पत्र के अनुसरण में, श्री मनोज शर्मा, (डीआईएन: 06822395), निदेशक (वाणिज्यिक), पीएफसी को 11 जुलाई 2023 से श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) के स्थान पर आरईसी के बोर्ड में पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
- बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 23 अगस्त, 2023 के प्रस्ताव के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त, 2023 के कार्यालय आदेश के अनुसरण में, श्री शशांक मिश्रा, (डीआईएन 08364288), संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को पूर्ववर्ती सरकारी द्वारा नामित निदेशक, श्री पीयूष सिंह (डीआईएन: 07492389) के स्थान पर 21 अगस्त, 2023 से सरकारी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- श्री अजय चौधरी (डीआईएन: 06629871), जिनके पास निदेशक (वित्त), आरईसी लिमिटेड का पद था, 31 जनवरी, 2024 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए थे, और तदनुसार, वे दिनांक 1 फरवरी, 2024 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नहीं रहे।
- विद्युत मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी, 2024 के आदेश के अनुसरण में, श्री विवेक कुमार देवांगन, सीएमडी को दिनांक 1 फरवरी, 2024 से अथवा निदेशक (वित्त) के पद पर नियमित पदाधिकारी के नियुक्ति होने तक, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

(ग) 31 मार्च, 2024 के बाद बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

बोर्ड द्वारा दिनांक 31 मई, 2024 को पारित प्रस्ताव के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के दिनांक 14 मई, 2024 के पत्र के अनुसरण में, श्री हर्ष बवेजा (डीआईएन: 09769272) को दिनांक 14 मई, 2024 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 31 जनवरी, 2026 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बोर्ड में निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, उन्हें 14 मई, 2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया गया है।

(घ) बोर्ड और उसकी समितियों के संबंध में अन्य प्रावधान

(i) बोर्ड संबंधी प्रक्रियाएं

कंपनी अधिकतम भागीदारी, कागज रहित वातावरण को बढ़ावा देने और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड और समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करती हैं। कंपनी बोर्ड और समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ कार्य करती है। सभी निदेशकों की पूर्ण भागीदारी और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, सभी निदेशकों के साथ परामर्श के माध्यम से बैठक की तारीखों पर पहले ही सहमति बना ली जाती है। निदेशक की प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक तरीकों का उपयोग करके, आवश्यक वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निदेशकों को कार्यसूची टिप्पण भेजे जाते हैं। अतिरिक्त सुविधा के लिए और कागज रहित वातावरण को बढ़ावा देने हेतु, कंपनी निदेशकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्यसूची टिप्पण भेजने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, अप्रत्याशित कीमत संवेदनशील सूचना पासवर्ड (यूपीएसआई) सुरक्षित पीडीएफ फॉर्मेट में निदेशक मण्डल के साथ साझा की जाती है, जिससे सुरक्षित संचार चैनल सुनिश्चित होता है।

व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार यथापेक्षित प्रस्तावों को परिचालित करके पारित किया जाता है, और अगली बोर्ड बैठक में दर्ज किया जाता है। अत्यावश्यक व्यावसायिक आवश्यकताओं के मामलों में, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अल्प सूचना पर बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

कंपनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार ई-ऑफिस

एप्लिकेशन का उपयोग करती है, जिसमें कि अन्य के साथ-साथ यूपीएसआई से संबंधित सभी अनुमोदनों को संबंधित व्यक्तियों के साथ साझा किया जाता है और ऑडिट ट्रेल्स और टाइम स्टैम्प का रख-रखाव किया जाता है। उक्त ई-ऑफिस में केवल संबंधित यूजर ही लॉग इन कर सकता है और इसमें 2 स्तरीय प्रमाणीकरण के साथ उच्चतम सुरक्षा है।

लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड बैठक के कार्यसूची प्रबंधन को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद उसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म/पासवर्ड सुरक्षित फाइलों में निदेशकों/संबंधित अधिकारियों के साथ साझा की जाती है और उसका पासवर्ड अलग से साझा किया जाता है।

बोर्ड या समिति की बैठकों की कार्यसूची में किसी भी मद को शामिल करना एक स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, और इसे सीएमडी द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्यसूची टिप्पण में अनुमोदित किए जाने वाले मसौदा प्रस्ताव के साथ एक मानक प्रारूप में एक कार्यकारी सारांश, साथ ही प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होती है।

बोर्ड और समिति की बैठकें आमतौर पर दिल्ली/गुरुग्राम में पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जब भी आवश्यक हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को उपस्थित होने और प्रस्तुतीकरण देने या किसी कार्यसूची मद पर अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक बैठक के बाद कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के रूप में अनुवर्ती कार्रवाई की एक व्यापक प्रणाली कार्यान्वित की जाती है, जो बोर्ड या समितियों द्वारा पहले के निर्णयों और चर्चाओं के आधार पर उठाए गए कदमों का विवरण देती है। कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का कड़ाई से पालन करती है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मण्डल की कुल 13 (तेरह) बैठकें आयोजित की गईं:

पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
22-अप्रैल-2023	26-जुलाई-2023	27-अक्टूबर-2023	23-जनवरी-2024
17-मई-2023	29-अगस्त-2023	1-नवंबर-2023	19-मार्च-2024
24-जून-2023	6-सितंबर-2023	30-नवंबर-2023	27-मार्च-2024*
	27-सितंबर-2023	20-दिसंबर-2023	(स्थगित)

*27 मार्च, 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक 19 मार्च, 2024 को हुए स्थगित बैठक का भाग थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 4 (चार) दिनों और 55 (पचपन) दिनों का था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम बोर्ड बैठक से वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली बोर्ड बैठक के बीच 22 (बाईस) दिनों का अंतराल था।

(iii) निदेशक मण्डल के समक्ष रखी गई सूचना

निदेशक मण्डल के पास विनियामक अपेक्षाओं से परे व्यापक कंपनी सूचना तक पूर्ण और अप्रतिबंधित पहुंच है। बोर्ड के समक्ष रखी गई सूचना में वार्षिक योजनाएँ, वित्तीय अद्यतन, वित्त व्यवस्था प्रस्ताव, वित्तीय परिणाम, समिति के कार्यवृत्त, अनुषंगी बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें विधिक सूचना, दुर्घटनाएँ, चूक, देयता संबंधी दावे, संयुक्त उद्यम, महत्वपूर्ण लेन-देन, श्रम संबंधी मामले, परिसंपत्तियों की बिक्री, विनियामक अनुपालना और निवेश संबंधी रिपोर्ट शामिल हैं। बोर्ड को विभिन्न पहलुओं जैसे विदेशी विनिमय, अनुपालना, शेयर पूंजी, उधारियों, निवेश और ऋण पोर्टफोलियो पर तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होती है। अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में व्हिसल-ब्लोअर नीति और उचित प्रक्रिया अनुपालना शामिल हैं। आवधिक रिपोर्ट में शक्तियों का प्रत्यायोजन और पिछले निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। अन्य संबंधित सूचना भी बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		22-अप्रैल-2023	17-मई-2023	24-जून-2023	26-जुलाई-2023	29-अगस्त-2023	6-सितंबर-2023	27-सितंबर-2023	27-अक्टूबर-2023
1	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	☑	○	○	○	○	○	○	○
2	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)*	○	○	○	○	○	○	○	○
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त) दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक	○	○	○	○	○	○	○	○
4	श्री शशांक मिश्रा 21-अगस्त-2023 से सरकार द्वारा नामित निदेशक	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	○	एलओए	○	एलओए
5	श्री पीयूष सिंह सरकार द्वारा नामित निदेशक 21 अगस्त, 2023 तक	○	☑	एलओए	एलओए	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
6	श्री मनोज शर्मा 11 जुलाई 2023 से पीएफसी नामित निदेशक	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	○	○	○	☑	○
7	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी नामित निदेशक 11 जुलाई 2023 तक	एलओए	☑	एलओए	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
8	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	☑	○	○	○	○	○	○	○
9	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	☑	○	○	○	○	○	☑	○
10	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	○	○	☑	○	○	○	○	○
11	श्री नारायणन तिरूपाति स्वतंत्र निदेशक	○	○	○	○	○	○	○	○

○ व्यक्तिगत रूप से ☑ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित एन.ए. लागू नहीं एलओए अनुपस्थिति की अनुमति उपस्थित

*विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2023 के पत्र के तहत कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के मौजूदा पद को पुनः नामांकित करके निदेशक (परियोजना) किया।

**27 मार्च, 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक 19 मार्च, 2024 को आयोजित मूल बोर्ड बैठक का भाग थी, अतः उपस्थिति की गणना करने के प्रयोजन से इसे अलग बोर्ड बैठक के रूप में नहीं गिना गया।

(v) आगामी 55 वीं एजीएम में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति

अधिनियम के प्रावधानों और कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री मनोज शर्मा, (डीआईएन: 06822395), नामित निदेशक, पीएफसी कंपनी की आगामी 55 वीं एजीएम में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करते हैं। श्री मनोज शर्मा का संक्षिप्त विवरण, जिसमें विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है, इस वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित 55 वीं एजीएम की सूचना में दर्शाया गया है।

(vi) निदेशक का संक्षिप्त परिचय

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति या पुनः नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशक के संक्षिप्त विवरण को वार्षिक आम बैठक बुलाने वाली सूचना में जोड़ा गया है।

(vii) निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध

कंपनी के निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

(viii) गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट्स (लिखते)

31 मार्च 2024 के अनुसार, किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशकों के पास कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट्स नहीं था।

(ix) स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित सूचना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

आरईसी के सभी स्वतंत्र निदेशक भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान द्वारा सुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबेस में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणा (घोषणाएं) प्रस्तुत की हैं, कि वे अधिनियम की धारा 149 (6) और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16 (1) (बी) के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के पास मजबूत नैतिक चरित्र एवं कंपनी में मूल्यवान योगदान करने और प्रबंधन के साथ किसी भी संबंध या संपर्क से मुक्त होने के लिए आवश्यक आवश्यक कौशल और अनुभव है।

(x) स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

सूचीकरण विनियम एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 16 मार्च, 2024 को आरईसी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग पृथक आयोजित की गई थी, जिसमें कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया था।

(xi) बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताएं और विशेषताएं

आरईसी के निदेशक मण्डल में अत्यधिक अर्हक व्यक्ति शामिल हैं

बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या			6-सितम्बर-23 को हुई 54वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
9	10	11	12	13		कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का %	
1-नवंबर-2023	30-नवंबर-2023	20-दिसंबर-2023	23-जनवरी-2024	19-मार्च-2024	27-मार्च-2024 (स्थगित)**				
○	○	○	○	○	○	13	13	100	○
○	○	○	○	○	○	13	13	100	○
○	○	○	○	एन.ए.	एन.ए.	12	12	100	○
एलओए	○	एलओए	○	○	एलओए	9	5	55.55	○
एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	4	2	50	एन.ए.
☐	○	एलओए	एलओए	○	○	10	8	80	○
एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	3	1	33.33	एन.ए.
○	○	○	○	☐	☐	13	13	100	○
○	○	○	○	☐	○	13	13	100	○
○	○	○	○	☐	☐	13	13	100	○
○	○	○	○	○	○	13	13	100	○

जिनके पास कंपनी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और बोर्ड और इसकी समितियों में मूल्यवान योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता है। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि आरईसी कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों का पालन करता है। आरईसी के व्यवसाय और वृहत्तर विद्युत क्षेत्र की

जटिलताओं के मद्देनजर, बोर्ड ने प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताओं और विशेषताओं की पहचान की है जो इसके प्रभावी कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं:

कौशल या विशेषज्ञता का क्षेत्र	विवरण
वित्तीय प्रबंधन 	वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें निधि जुटाना और उनका उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, चलनिधि और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कोषागार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, कर योजना और वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध आदि शामिल हैं।
विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेत्र विशेषज्ञता 	प्रौद्योगिकी में प्रचुर पृष्ठभूमि और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा भारत और विदेशों में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं/बारीकियों के विभिन्न तत्वों में गहन अंतर्दृष्टि, तकनीकी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने का ज्ञान, विदारी नवाचार उत्पन्न करना और नए व्यवसाय मॉडल का विस्तार या निर्माण करना।
परियोजना मूल्यांकन 	किसी परियोजना के तकनीकी मानकों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं की व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।
कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति 	प्रबंधन गतिविधियाँ, जिनका अनुप्रयोग प्राथमिकताएँ निर्धारित करने, ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रचालन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य हितधारी आशयित परिणामों/नतीजों पर सहमति बनाकर, मूल लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, के लिए किया जाता है; और परिवर्तनशील परिवेश के प्रति संगठन के निर्देशों का मूल्यांकन और समायोजन करना।
जोखिम प्रबंधन 	परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और अन्य वित्तीय जोखिमों के पूर्वानुमान और मूल्यांकन के साथ-साथ उनके प्रभाव से बचने या कम करने के लिए प्रक्रियाओं की पहचान करना। निवेश/वित्तपोषण प्रक्रिया के दौरान हो सकने वाले किसी भी संभावित खतरों की पहचान करना और उनका शमन करना। साइबर सुरक्षा और आईटी परिवेश से संबंधित जोखिमों का शमन।
नेतृत्व 	संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने तथा ऐसे लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्यवाई करने सहित स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और तरीके प्रदान करने के लिए विस्तृत नेतृत्व अनुभव।

कौशल या विशेषज्ञता का क्षेत्र	विवरण
बोर्ड परिपाटियाँ और सुशासन	बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखने, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और उचित सुशासन परिपाटियों का पालन करने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में अनुभव।
कारोबार विकास	ऋणकर्ताओं/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करके कारोबार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, ब्रांड जागरूकता बनाने और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने का अनुभव।
पर्यावरण और समाज	जलवायु संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट में कमी, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, कृषि, सततता, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, लोक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक प्रभाव और सामाजिक विकास परियोजनाओं आदि के क्षेत्र में अनुभव।

निम्नलिखित सारणी में, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड के अलग-अलग सदस्यों और इसके बाद नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्यों के विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख अर्हताएं विशेषज्ञता का क्षेत्र								
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की प्रमुख विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	जोखिम प्रबंधन नेतृत्व	नेतृत्व	बोर्ड परिपाटियाँ और सुशासन	कारोबार विकास	पर्यावरण और समाज
श्री विवेक कुमार देवांगन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विजय कुमार सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री हर्ष बवेजा***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री शशांक मिश्रा*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री मनोज शर्मा**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. गंभीर सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. मनोज मनोहर पांडे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. दुर्गेश नंदिनी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री नारायणन तिरुपति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*21 अगस्त, 2023 से नियुक्त **11 जुलाई, 2023 से नियुक्त ***14 मई, 2024 से नियुक्त

किसी सदस्य के नाम के विरुद्ध टिक मार्क न होने का अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त सदस्य के पास अनुवर्ती कौशल नहीं है।

3. निदेशक मण्डल की समितियाँ

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या व्यवसाय और सुशासन के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक समिति, बोर्ड, जो इनकी संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियाँ निर्धारित करता है, द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है। समिति को प्रत्यायोजित प्राधिकारों के भीतर उन्हें सौंपे गए कार्य क्षेत्रों के तहत सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए इनकी बैठकें नियमित रूप से और आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाती हैं।

27 जुलाई, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित समितियाँ एवं संरचनाएँ थीं:-



कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में, सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचना और टिप्पणियों के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय, इनकी बैठकों, उपस्थिति आदि के ब्यौरे अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने अधिनियम की धारा 177, सूचीयन विनियमावली के विनियम 18 और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षा समिति की गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख) सूचीयन विनियमावली, समय-समय पर यथासंशोधित, में परिकल्पित लेखापरीक्षा समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

ग) डीपीई द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010, समय-समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन; तथा

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों, समय-समय पर संशोधित, का अनुपालन।

लेखापरीक्षा समिति अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट जानकारी की समीक्षा करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 9 (नौ) बैठकें हुईं। लेखापरीक्षा समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति									बैठकों की कुल संख्या		
			17-मई-2023	23-जून-2023	26-जुलाई-2023	28-अगस्त-2023	27-सितंबर-2023	1-नवंबर-2023	30-नवंबर-2023	23-जनवरी-2024	27-मार्च-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का %
1	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	👤	🗨️	👤	👤	👤	👤	👤	👤	🗨️	9	9	100
2	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	👤	🗨️	👤	👤	👤	👤	👤	👤	🗨️	9	9	100
3	श्री मनोज शर्मा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	11 जुलाई, 2023 से सदस्य	एन.ए.	एन.ए.	👤	👤	🗨️	🗨️	👤	एलओए	🗨️	7	6	85.71
4	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	11 जुलाई, 2023 तक सदस्य	🗨️	🗨️	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	2	2	100

○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित □ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित एन.ए. लागू नहीं एलओए अनुपस्थिति की अनुमति

लेखापरीक्षा समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), दो सदस्य या कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकाश्यों के प्रमुख और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी लेखापरीक्षा की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

लेखापरीक्षा समिति के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्य वित्तीय रूप से सुविज्ञ हैं और लेखापरीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता थी। इसके अलावा, दिनांक 6 सितंबर, 2023 पर आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखापरीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष उपस्थित रहे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय, कंपनी के संस्था के

अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

कंपनी ने अधिनियम की धारा 178 के उपबंधों, सूचीयन विनियमावली के विनियम 19 और एनबीएफसी के लिए आरबीआई के मानक, यथा मास्टर अनुदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से और महत्वपूर्ण गैर-जमा कंपनी और जमा लेने वाले कंपनी (रिजर्व बैंक) अनुदेश, 2016 और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय, आरईसी पर लागू सीमा तक, निम्नानुसार है:

क. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख. सूचीयन विनियमावली, समय-समय पर यथासंशोधित, में परिकल्पित नामांकन और पारिश्रमिक समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; और

ग. पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन

का परिमाण और ईएसओपी स्कीम, पेंशन स्कीम के लिए नीति आदि सहित डीपीई द्वारा यथाअधिसूचित और समय-समय पर

यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 5 (पांच) बैठकें हुईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना तथा इसकी आयोजित बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति					बैठकों की कुल संख्या		
			22-अप्रैल-2023	23-जून-2023	27-अक्टूबर-2023	20-दिसंबर-2023	23-जनवरी-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का %
1	डॉ. मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	□	○	○	○	○	5	5	100
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	□	□	○	○	○	5	5	100
3	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	○	□	○	○	○	5	5	100
4	श्री नारायणन तिरूपाति स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	○	○	○	○	○	5	5	100

○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित □ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होती है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यपालक निदेशक (एचआर)/संभाग प्रमुख (एचआर) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता से छूट दी थी। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया था कि अधिनियम की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों और मूल्यांकन तंत्र के प्रदर्शन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी, पीएफसी के साथ वित्तीय वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करती है, जिसके प्रमुख मापदंडों को विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, डीपीई द्वारा जारी समझौता-ज्ञापन संबंधी दिशानिर्देशों

के तहत निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, समझौता-ज्ञापन मानकों की तुलना में किया जाता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, समय-समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और/या भारत सरकार द्वारा जारी वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित), बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अधिनियम के तहत यथानिर्धारित सीमा के भीतर बैठक शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की विविधता और कौशलों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड तथा निदेशकों, मुख्य प्रबंधन कर्मियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर एक नीति अपनाई है, जो <https://recindia.nic.in/uploads/files/Amended---Policy-on-Board-Diversity--Other-matters-dt-150722.pdf> पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	निष्पादन संबंध प्रोत्साहन	अनुलाभ	फॉर्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	कुल
1.	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	39,08,304	-	-	1,27,169	-	-	-	40,35,473
2.	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)	59,57,378	26,69,853	83,508	24,600	-	4,99,184	4,58,717	96,93,240
3.	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त) (31 जनवरी, 2024 तक)	49,64,281	25,09,529	42,242	28,396	25,09,511	4,15,491	3,74,735	1,08,44,185

टिप्पणियाँ:

- श्री अजय चौधरी 31 जनवरी, 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं और तदनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2024 की अवधि के वेतन का ब्यौरा है।
- निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
- फॉर्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभों में वर्दी, मनोरंजन, बिजली, पानी और परिचर प्रभार और चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति में छूट को शामिल नहीं किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में, पेंशन अंशदान को एनपीएस खाते में जमा किया गया था। अतः, नियोक्ता के पेंशन अंशदान, फॉर्म-16 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन का भाग है।
- कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत छूटप्राप्त भत्तों को शामिल किया गया है तथा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, आरईसी के उपदान कोष (ग्रेजुटी फंड) में नियोक्ता के अंशदान को शामिल नहीं किया गया है।
- कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं दिए हैं। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, सूचना अवधि, पृथकीकरण शुल्क आदि, यदि कोई हो, सहित नियुक्ति की शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/- और इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए ₹30,000/- के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो कि अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में संदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार थे:-

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1	श्री मनोज शर्मा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (11 जुलाई, 2023 से नियुक्त)	3,20,000	1,80,000	5,00,000
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	5,20,000	5,40,000	10,60,000
3	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	5,20,000	5,40,000	10,60,000
4	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	5,20,000	5,40,000	10,60,000
5	श्री नारायणन तिरूपाति स्वतंत्र निदेशक	5,20,000	2,70,000	7,90,000
6	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा* पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (11 जुलाई, 2023 तक निदेशक)	-	-	-
	कुल	24,00,000	20,70,000	44,70,000

*पीएफसी द्वारा नामित निदेशक आरईसी के बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार है, जिसका भुगतान पीएफसी को किया जाता है। तथापि, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, पीएफसी द्वारा नामित निदेशक ने सूचित किया है कि आरईसी के बोर्ड या समितियों की बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया है, के संबंध में कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड या इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के संबंध में एयर टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, फुटकर व्यय, स्थानीय परिवहन आदि, यदि लागू हों, को छोड़कर, गैर-कार्यपालक निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या संयोजन नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नामित निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से कोई भी बैठक शुल्क लेने के लिए हकदार नहीं हैं।

वरिष्ठ प्रबंधन

(क) दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों (ईडी) अर्थात् बोर्ड से एक स्तर नीचे और केएमपी (पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार अधाना
2.	श्री टी.एस.सी. बोष
3.	श्री जे.एस.अमिताभ
4.	श्री फुजैल अहमद (1 जून, 2024 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नहीं रहे)
5.	श्री संजय कुमार
6.	श्री रामेश्वर प्रसाद वैष्णव
7.	श्री राहुल द्विवेदी
8.	श्रीमती मालती सुंदरराजन
9.	श्रीमती वल्ली नटराजन
10.	श्री दलजीत सिंह खत्री
11.	श्री हर्ष बवेजा [निदेशक (वित्त) के पद पर पदोन्नत] 14 मई, 2024 से
12.	श्री राजेश कुमार
13.	श्री एन वेंकटेशन
14.	श्री अरुण कुमार त्यागी
15.	श्री कुलदीप राय
16.	श्रीमती तरूणा गुप्ता
17.	श्री सौरभ रस्तोगी
18.	श्री धर्मेन्द्र नागपाल

क्रम सं.	नाम
19.	श्री अजय माथुर
20.	श्री प्रभात कुमार सिंह

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिवर्तन:

पदोन्नति:

क्रम सं.	नाम
1.	श्री राजेश कुमार 1 जुलाई, 2023 से
2.	श्री एन. वेंकटेशन 1 जुलाई, 2023 से
3.	श्री अरुण कुमार त्यागी 1 जुलाई, 2023 से
4.	श्री कुलदीप राय 1 जुलाई, 2023 से
5.	श्रीमती तरूणा गुप्ता 17 अक्टूबर, 2023
6.	श्रीमती स्वाति गुप्ता 1 नवंबर, 2023
7.	श्री सौरभ रस्तोगी 29 दिसंबर, 2023 से
8.	श्री धर्मेन्द्र नागपाल 29 दिसंबर, 2023 से
9.	श्री अजय माथुर 29 दिसंबर, 2023 से
10.	श्री प्रभात कुमार सिंह 31 जनवरी, 2024 से

अधिवर्षिता/पृथकीकरण:

क्रम सं.	नाम
1.	श्री संजय कुलश्रेष्ठ 16 अक्टूबर, 2023 से
2.	श्रीमती स्वाति गुप्ता 1 दिसंबर, 2023 से

3.3 हितधारक संबंध समिति

कंपनी ने अधिनियम की धारा 178, सूचीयन विनियमावली के विनियम 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में एक हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन किया है। हितधारक संबंध समिति विशेष रूप से शेयरधारकों, ऋणपत्रधारकों (डिबेंचर होल्डर) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूति धारकों से प्राप्त अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों जैसे लाभांश क्रेडिट/वारंट का प्राप्त न होना, ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर ब्याज/कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का प्राप्त न होना से संबंधित मामलों के निवारण पर ध्यान देती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति समिति की 2 (दो) बैठकें हुई। हितधारक संबंध समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			16-मई-2023	27-अक्टूबर-2023	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1.	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	○	○	2	2	100
2.	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)	सदस्य	○	○	2	2	100
3.	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य 31 जनवरी, 2024 तक	○	○	2	2	100
4.	श्री मनोज शर्मा पीएफसी द्वारा नामित निदेशक	सदस्य 1 मार्च, 2024 से	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.

○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित एन.ए. लागू नहीं

श्री जे.एस. अमिताभ, कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वह सूचीयन विनियमावली के संदर्भ में कंपनी के अनुपालन अधिकारी भी हैं।

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) के लिए समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य हैं। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शेयरों, ऋणपत्रों (डिबेंचर), बंधपत्रों (बॉण्ड) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता हितधारक संबंध समिति की बैठकों में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। समिति के अध्यक्ष, प्रतिभूति धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 6 सितंबर, 2023 को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

शेयरधारकों/ऋणपत्र-धारकों (डिबेंचर होल्डर) के अनुरोध और शिकायतें

शेयरधारकों और ऋणपत्र-धारकों के अनुरोधों या शिकायतों का तुरंत निवारण करने के लिए, कंपनी ने त्रिस्तरीय तंत्र अर्थात्, संबंधित पंजीयक से सहायता सेवा, अंतःपरिसर निवेशक प्रकोष्ठ और हितधारक संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप सभी शिकायतों को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हुआ।

एनएसई और बीएसई की एक वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है और सेबी का एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नाम एक पृथक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतों के लिए किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को ऑनलाइन देखा जा सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से, निवेशक शिकायतों की स्थिति

की जांच करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि किसके पास शिकायत लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और शिकायत कितने समय से लंबित है। कोई निवेशक जो एससीओआरईएस या एनएसई और बीएसई वेब आधारित प्रणाली से परिचित नहीं है या जिसकी एससीओआरईएस पर एक्सेस नहीं है, भौतिक रूप में शिकायत कर सकता है या वैकल्पिक रूप से कंपनी के आरएंडटीए तथा कंपनी को शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल भेज सकता है।

सेबी ने 31 जुलाई, 2023 के मास्टर परिपत्र (11 अगस्त, 2023 को अद्यतित किया गया) के साथ पठित 31 जुलाई, 2023 और 4 अगस्त, 2023 के परिपत्रों के तहत, भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न हो रहे समस्या के समाधान के लिए एक साझा ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल") स्थापित किया है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, आरटीए/कंपनी के साथ सीधे और मौजूदा एससीओआरईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों के समाधान का विकल्प समाप्त होने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से समस्या समाधान शुरू कर सकते हैं और इसे कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/smart-odr-portal> के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

कंपनी और इसका आरएंडटीए सभी निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों पर निवेशकों की संतुष्टि तक तुरंत और शीघ्रता के आधार पर कार्रवाई करता है। निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों की स्थिति के संबंध में तिमाही रूप से अद्यतन जानकारी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जाती है और बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सूचीयन विनियमावली के विनियम 13(3) के अनुसरण में शेयरधारकों/निवेशकों से प्राप्त शिकायतों और अनुरोधों की स्थिति निम्नानुसार थी:

शिकायतों का विवरण	इक्विटी शेयर	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक की स्थिति के अनुसार लंबित	6	0	6
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	30	494	524
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	36	494	530
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निपटाई न गई शेष शिकायतें	0	0	0

उपर्युक्त शिकायतों के अलावा, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों से 363 अनुरोध/स्पष्टीकरण/प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनका समाधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर दिया गया था, उनमें केवल सात अनुरोध/स्पष्टीकरण/प्रश्नों का समाधान 31 मार्च, 2024 के बाद किया गया था।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के समेकित जोखिम के प्रबंधन के लिए, सूचीयन विनियमावली के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति (आर एमसी) का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. समेकित जोखिम का प्रबंधन करना;

ख. विभिन्न संभावित जोखिमों की पहचान करना, चलनिधि जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करना, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन योजना, नीतियों और प्रणालियों की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा करना;

ग. विभिन्न जोखिमों के शमन की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन संबंधी अन्य सभी प्रकार्यों, जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल हो, का निष्पादन करना; तथा

घ. समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, और/या किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए यथाअपेक्षित किसी भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 3 (तीन) बैठकें हुई।

जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			28-जून-2023	19-अक्टूबर-2023	24-जनवरी-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	○	○	□	3	3	100
2	डॉ. मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	□	□	○	3	3	100
3	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य 27 मार्च, 2024 से	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
4	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)	सदस्य	○	एलओए	○	3	2	66.66
5	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य 31 जनवरी, 2024 तक	○	○	□	3	3	100

○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित □ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

एन.ए. लागू नहीं एलओए अनुपस्थिति की अनुमति

कंपनी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है। सीआरओ आरएमसी के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम में समिति में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं। इसके अलावा, कार्यपालक निदेशक (वित्त-संसाधन), कार्यपालक निदेशक (निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन), कार्यपालक निदेशक (राज्य संचालन) और मुख्य महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) प्रभाग, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की बैठकों में आमंत्रित होते हैं।

3.5 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

अधिनियम की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मण्डल ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर समिति) का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क) अधिनियम की अनुसूची VII में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना;

ख) कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना;

ग) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना;

घ) अधिनियम की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की अनुशंसा/समीक्षा करना ;

ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना ;

च) कंपनी की सीएसआर पहलों पर कार्यनीति तैयार करने के लिए निदेशक मण्डल की सहायता करना;

छ) अन्य बातों के साथ-साथ यह जिम्मेदारी विवरण, कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुरूप है, सहित नियमों में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना;

ज) निदेशक मण्डल की जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए उनके समक्ष समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

झ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के संबंध में समय-समय पर संशोधित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की 9 (नौ) बैठकें हुईं। सीएसआर समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति									बैठकों की कुल संख्या		
			16-मई-2023	23-जून-2023	25-जुलाई-2023	10-अगस्त-2023	28-अगस्त-2023	27-अक्टूबर-2023	30-नवंबर-2023	23-जनवरी-2024	6-मार्च-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	डॉ मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	○	○	○	□	○	○	○	○	○	9	9	100
2	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)	सदस्य	○	□	□	□	○	○	○	○	○	9	9	100
3	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य 1 मार्च, 2024 से	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	○	1	1	100
4	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य 31 जनवरी, 2024 तक	○	□	○	□	○	○	○	○	एन.ए.	8	8	100

○ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित □ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

एन.ए. लागू नहीं

सीएसआर समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) में अध्यक्ष सहित दो सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। कंपनी

की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता नीति <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

3.6 अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति का गठन जमा प्रमाणपत्रों में एक बार में ₹1000 करोड़ और उससे अधिक या म्यूचुअल फंडों एवं सावधि जमाओं में एक बार में ₹2000 करोड़ और उससे अधिक की अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग को अनुमोदित करने के उद्देश्य से किया गया है। समिति में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सदस्यों के रूप में निदेशक (परियोजना) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं। उक्त समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.7 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

एनबीएफसी के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है। एएलसीओ, एएलएम सहायता समूह - जो चलनिधि अंतर विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण और विदेशी मुद्रा संचलन आदि पर विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करता है - की मदद से चलनिधि, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। उपरोक्त जोखिमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एएलसीओ की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाती है। एएलसीओ की अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना) और कंपनी के वित्त और प्रचालन प्रभागों के विभागाध्यक्ष शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एएलसीओ की 3 (तीन) बैठकें हुईं। एएलसीओ की संरचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक/सदस्य का नाम/पद	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			12-जुलाई-2023	11-सितंबर-2023	12-दिसंबर-2023	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक/सदस्य की उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री विवेक कुमार देवांगन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	०	☑	०	3	3	100%
2	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)	सदस्य	०	☑	०	3	3	100%
3	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य 31 जनवरी, 2024 तक	०	☑	०	3	3	100%
4	ईडी (संसाधन)	सदस्य	०	☑	०	3	3	100%
5	ईडी (निजी/राज्य प्रचालन)	सदस्य	०	☑	०	3	3	100%
6	ईडी (एएलएम)	सदस्य	०	☑	०	3	3	100%
7	ईडी एवं सीआरओ	सदस्य	०	☑	एलओए	3	2	67%

० व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ☑ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित एलओए अनुपस्थिति की अनुमति

एएलसीओ की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) सहित तीन सदस्य हैं। कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (एएलएम) एएलसीओ के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवश्यकता के अनुसार एएलसीओ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अपनी अनुपस्थिति में किसी पूर्णकालिक निदेशक को एएलसीओ की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवश्यकता पड़ने पर, प्रत्येक सदस्य और एएलसीओ के संयोजक के लिए किसी बैकअप कार्यकारी को भी प्राधिकृत कर सकते हैं।

समिति (आईटीएससी) का गठन किया है। आईटीएससी की संरचना में एक स्वतंत्र निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) /आईएसएमएस अधिकारी और एक बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। आईटीएससी की भूमिका में कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के तरीकों की निगरानी करना, आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय निदेश प्रदान करना और कंपनी की आईटीएससी और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना तथा आरबीआई के मास्टर अनुदेशों के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रक्रियाएं शामिल हैं।

3.8 आईटी कार्यनीति समिति

एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश के अनुपालन में, आरईसी के निदेशक मण्डल ने एक आईटी कार्यनीति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरईसी की 3 (तीन) बैठकें हुईं। आरईसी की संरचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक/सदस्य का नाम/पद	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			08-मई-2023	07-अगस्त-2023	05-फरवरी-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री नारायणन तिरुपति स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	०	०	०	3	3	100
2	डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	01	०	01	3	3	100
3	कार्यपालक निदेशक (आईटी) (सीआईओ)	सदस्य	०	01	०	3	3	100
4	सीजीएम/एचओडी (आईटी) (सीटीओ)	सदस्य	०	०	०	3	3	100
5	बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य	01	01	०	3	3	100

० व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 01 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.9 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति

आरईसी के बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ, आरईसी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा जब कभी भी ₹250 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के जारी किए जाने पर निविदा सूचना की संवीक्षा/समीक्षा के लिए 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा इसके सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त) और पीएफसी द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त उप-समिति की एक (1) बैठक 24 जून, 2023 को आयोजित की गई थी।

4. अन्य समितियां

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त, विशिष्ट मामलों की निगरानी के लिए निदेशक मण्डल द्वारा कुछ अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 स्थायी ऋण लिखत समिति

बोर्ड द्वारा अनुमोदित "स्थायी ऋण लिखत नीति" के अनुरूप, कंपनी ने जनवरी, 2021 में ₹ 558.40 करोड़ के स्थायी ऋण लिखत जुटाए हैं, जो अप्रतिभूत, अधीनस्थ, असंपरिवर्तनीय लिखत हैं। उक्त नीति के अनुपालन में, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थायी ऋण लिखत पर कूपन के भुगतान/गैर-भुगतान पर निर्णय लेने के लिए सीएमडी, निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना) की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम दो सदस्य है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 3 जनवरी, 2023 को स्थायी ऋण लिखत समिति की 1 (एक) बैठक हुई, जिसमें सीएमडी, निदेशक (परियोजना) और निदेशक (वित्त) ने भाग लिया।

4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति, भौतिक खंड के तहत प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के संप्रेषण, प्रतिस्थापन, विखंडन और समेकन के अनुरोधों और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों पर विचार करती है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, नामतः श्री जे.एस. अमिताभ (कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव) और श्री दलजीत सिंह खत्री (मुख्य महाप्रबंधक-वित्त) सदस्य के रूप में

शामिल थे। तथापि, वित्तीय वर्ष, 2023-24 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कंपनी नामतः आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) है। आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के रूप में शामिल करता है।

ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां (परियोजना विशिष्ट एसपीवी), अधिनियम की धारा 2(87) के अनुसरण में आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां भी होती हैं। प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी अनुषंगी कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

एसपीवी/अनुषंगी कंपनियों के बारे में विस्तृत सूचना बोर्ड की रिपोर्ट में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

सभी अनुषंगी कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आरईसी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों, की समीक्षा की गई थी। आरईसीपीडीसीएल और अन्य अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/recpdcl> पर उपलब्ध हैं।

कंपनी की कोई "महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी" नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त विनियमों के तहत यथाअपेक्षित अनुषंगी कंपनियों के महत्व पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

6. आम सभा बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) और उनमें पारित संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2020-21	24-सितंबर-2021	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से
2021-22	16-सितंबर-2022	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से
2022-23	6-सितंबर-2023	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

एजीएम में प्रस्तुत किए गए सभी संकल्प सदस्यों के अपेक्षित बहुमत से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पारित किए गए थे। पिछली तीन एजीएम में पारित किए गए विशेष प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

एजीएम सं.	पारित किए गए विशेष संकल्प
52 ^{वीं}	1. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन। 2. कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खंड में संशोधन।
53 ^{वीं}	1. कंपनी की समग्र उधारी सीमा में वृद्धि 2. कंपनी की सभी या किसी चल और/अथवा अचल संपत्तियों पर रेहन और/अथवा प्रभार सृजित करना। 3. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।
54 ^{वीं}	1. श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन: 10063245) की गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति। 2. कंपनी की समग्र उधारी सीमा में वृद्धि। 3. कंपनी की सभी या किसी चल और/अथवा अचल संपत्तियों पर रेहन और/अथवा प्रभार सृजित करना। 4. प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

टिप्पणी: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 एवं सामान्य परिपत्र सं. 02/22 दिनांक 5 मई, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/22, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के अनुसार, कोविड-19 वैश्विक महामारी के आलोक में, आरईसी की 52^{वीं}, 53^{वीं} और 54^{वीं} एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने परिपत्र सं. 09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023 जारी किया है और सेबी ने परिपत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 जारी किया है, जिसके अनुसरण में आरईसी की आगामी 55^{वीं} एजीएम 20 अगस्त, 2024 को वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी शेयरधारकों को उक्त एजीएम के लिए इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी, जिसका आवश्यक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होने वाली 55^{वीं} एजीएम की सूचना में दिया गया है।

इसके अलावा, सेबी के 5 जनवरी, 2024 के परिपत्र के साथ पठित उक्त एमसीए सामान्य परिपत्र के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतिधारकों को सॉफ्ट कॉपी में भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/ रजिस्ट्रार/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास दर्ज हैं।

असाधारण आम बैठकें (ईजीएम)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई भी असाधारण आम बैठक नहीं की गई।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों की प्रदायगी

आरईसी वित्तीय वर्ष 2010-11 से ऐसे शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कर रहा है, जिनकी ईमेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) या पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता (आर एंड टीए) के साथ पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारकों, जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश जमा (अंतरिम या अंतिम) और टीडीएस कटौती, यदि कोई हो, की सूचना भी भेजी जा रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की 55^{वीं} वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित किए हुए शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, उन्हें ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अपडेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत या अद्यतन नहीं किया है, वे ई-मेल आईडी के पंजीकरण और आगामी एजीएम में मतदान के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्ति के लिए 55^{वीं} वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

7.1 पोस्टल बैलेट

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई पोस्टल बैलेट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षों के दौरान पोस्टल बैलेट का ब्यौरा निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	संकल्प का संक्षिप्त विवरण	संकल्प का प्रकार	पक्ष में डाले गए मत (%)	विरोध में डाले गए मत (%)	डाक मतदान के लिए प्रक्रिया					पोस्टल बैलेट की कार्यवाही को संचालित करने वाले व्यक्ति का नाम
					पोस्टल बैलेट सूचना की तारीख	अंतिम तारीख	समाचार पत्र जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ	रिमोट ई-वोटिंग अवधि और ई-वोटिंग एजेंसी	परिणाम की तारीख	
2020-21	शून्य									
2021-22	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) की पीएफसी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।	साधारण	85.95	14.05	25 मार्च, 2022	23 मार्च, 2022	बिजनेस स्टैन्डर्ड समाचार पत्र (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) में सोमवार, 28 मार्च 2022 को	मंगलवार, मार्च 29, 2022 (0900 बजे) भारतीय समयानुसार (आईएसटी) से बुधवार, अप्रैल 27, 2022 (1700 बजे) (आईएसटी) ई-वोटिंग एजेंसी: एनएसडीएल	शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022	
	श्री सुधीर कुमार गंगाधर रहाटे (डीआईएन: 05254178) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति।	साधारण	93.70	6.30						
2022-23	श्री विवेक कुमार देवांगन (डीआईएन: 01377212) की सीएमडी के रूप में नियुक्ति।	साधारण	93.68	6.32	8 जुलाई, 2022	5 जुलाई, 2022	बिजनेस स्टैन्डर्ड समाचार पत्र (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) शनिवार, 9 जुलाई, 2022 को	सोमवार, 11 जुलाई, 2022 (0900 बजे) भारतीय समयानुसार (आईएसटी) से मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 (0900 बजे), दोनों दिन शामिल ई-वोटिंग एजेंसी: एनएसडीएल	मंगलवार, 9 अगस्त, 2022	सीएस हेमन्त कुमार सिंह (एफसीएस सं. 6033, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 6370), मैसर्स हेमंत सिंह एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव
	आरक्षितों के पूंजीकरण और कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करना।	साधारण	98.39	1.61						
	कंपनी के संगम ज्ञापन के उद्देश्य खंड में बदलाव करना।	विशेष	99.99	0.01	26 सितंबर, 2022	20 सितंबर, 2022	बिजनेस स्टैन्डर्ड समाचार पत्र (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को	बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (0900 बजे) भारतीय समयानुसार (आईएसटी) से गुरुवार, 27 अक्टूबर, 2022 (1700 घंटे) (आईएसटी) ई-वोटिंग एजेंसी: एनएसडीएल	गुरुवार, 27 अक्टूबर, 2022	
	श्री पीयूष सिंह (डीआईएन: 07492389) की सरकारी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।	साधारण	85.77	14.23						

पोस्टल बैलेट के परिणाम वेबसाइट और कंपनी के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय (कार्यालयों) पर प्रदर्शित किए गए थे और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और रजिस्टार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं को सूचित किया गया। इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संबंध में

अधिक विवरण <https://recindia.nic.in/postalballot>, पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव प्रस्तावित/संभावित नहीं है।

8. सचिवीय लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति हितधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। इसके अलावा, सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में दिया जा रहा है।

9. संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) और संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को संभालने के महत्व के संबंध में एक नीति तैयार की है। उक्त नीति के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ सभी संव्यवहार (लेन-देन) लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक मण्डल या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया गया है। यह नीति [https:// recindia.nic.in/policies](https://recindia.nic.in/policies) पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न एओसी-2 में दिया गया है।

10. प्रकटीकरण

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित ऐसा कोई भी मामला नहीं था जिसमें अनुपालन न किया गया हो। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने सूचीयन विनियम, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों, आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों और समय-समय पर यथासंशोधित, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कॉर्पोरेट सुशासन कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

तथापि, सूचीयन विनियमावली के विनियमन 17(1) के अनुसार, कंपनी के पास 31 जनवरी, 2024 तक एक स्वतंत्र निदेशक की कमी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने विनियम 17(1) के अंतर्गत गैर-अनुपालना के लिए ₹21,53,500/- प्रत्येक (मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाहियों के लिए) का आर्थिक जुर्माना लगाया है, जिसके लिए कंपनी के प्रबंधन ने स्टॉक एक्सचेंजों को 1 मार्च, 2024 के अपने पत्र के तहत माफी का अनुरोध प्रस्तुत किया है और इस संबंध में कंपनी पर लगाए गए और बकाया समस्त जुर्माने को वापस लेने/माफ करने का अनुरोध किया है। यह भी कि एनएसई ने अपने दिनांक 3 मई, 2024 के पत्र के तहत और बीएसई ने दिनांक 25 जून, 2024 के पत्र के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तक के संबंध में कंपनी पर लगाए गए और बकाया समस्त जुर्माने को माफ किया है।

यह उल्लेखनीय है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् विद्युत मंत्रालय से अनुरोध करती रही है और कंपनी की निदेशकों की नियुक्ति या उसके बोर्ड की संरचना को बनाए रखने में कोई भूमिका नहीं है।

2. सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाअपेक्षित, सभी विवरणियां, रिपोर्ट और प्रकटन स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर दाखिल कराए गए थे।

3. कंपनी सूचीयन नियमों के विनियम 17 से 27 की समय-समय पर यथासंशोधित बोर्ड, समितियों और कॉर्पोरेट सुशासन से संबंधित अपेक्षाओं और सूचीयन विनियमावली के विनियम 46

के तहत कंपनी की वेबसाइट का रख-रखाव करने और अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का, जहां कंपनी के पास उपर्युक्त बिन्दु 1 में यथावर्णित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, को छोड़कर अनुपालन किया है।

कंपनी सूचीयन विनियमावली की अनुसूची V के भाग ग के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, सूचीयन विनियमावली के विनियम 46 और विनियम 62 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी वेबसाइट [https:// recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-sebi](https://recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-sebi) पर संगत सूचना का प्रकटन किया है।

4. कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन करती है, जिसमें विदेशी मुद्रा विनियम जोखिम को कम करने के लिए तैयार की गई हेजिंग नीति शामिल है। इस नीति में विनियम दरों में उतार-चढ़ाव के प्रबंधन के लिए एक कार्यवाही स्थापित किया गया है जिससे विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ष की परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विभिन्न हेजिंग तकनीकें इस जोखिम के प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए उपयोग की गई हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिमों के संबंध में उपर्युक्त प्रकटन लेखाओं की टिप्पणियों में दिए गए हैं, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिससे कि किसी भी कमोडिटी कीमत जोखिम में वृद्धि हो सकती है।

5. कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन और शमन के बारे में बोर्ड को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि समेकित जोखिमों को एक उचित निर्धारित फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी मौजूद है।

6. निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनी ने एक 'निदेशक और अधिकारी (डी एंड ओ) देयता बीमा पॉलिसी' प्राप्त की है, जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के प्रति उत्पन्न होने वाली देयताओं को व्यापक रूप से कवर करती है। बीमा पॉलिसी में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा सभी प्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी सहित आरईसी के निदेशक मण्डल को कवर किया जाता है।

7. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

8. कंपनी ने निदेशक (निदेशकों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण, वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार (लेन-देन) नहीं किया है, जिसमें उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदारों के रूप में लाभ मिला हो।

9. वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों ने बोर्ड के समक्ष सभी महत्वपूर्ण, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों (लेन-देन) से संबंधित प्रकटीकरण किया है, जिनमें उनके व्यक्तिगत हित हैं जो संभवतः बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के विरोधाभासी (उदाहरण के लिए, कंपनी के शेयरों में संव्यवहार करना, प्रबंधन और उनके रिश्तेदारों आदि की शेयरधारिता वाले निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार) हो सकते हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विरोधाभास का ऐसा कोई मामला नहीं था।

10. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने उन फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया, जिनमें निदेशकों के हित हैं।

11. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹122.69 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹164.38 करोड़ हो गया है, जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में सामान्य वृद्धि के अनुरूप मामूली परिवर्तन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.56% (पिछले वर्ष 0.48%) थे; और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में 0.55% (पिछले वर्ष 0.52%) थे।
12. कंपनी ने ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया जो प्रकृति में व्यक्तिगत था और निदेशक मण्डल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया था।
13. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एस"), यथासंशोधित, और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
14. वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं की गई है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सूचीयन विनियमावली के प्रावधान के अनुरूप, बिना संशोधित राय के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
15. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प/ईएसओपी जारी नहीं किया है।
16. कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीई के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डीपीई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का ब्यौरा इस प्रकार है:

निम्नलिखित तारीख को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट तिथि	
30 जून, 2023	12 जुलाई, 2023
30 सितंबर, 2023	10 अक्टूबर, 2023
31 दिसंबर, 2023	11 जनवरी, 2024
31 मार्च, 2024	5 अप्रैल, 2024

इसके अतिरिक्त, चार तिमाहियों के स्कोर के आधार पर वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) को सम्मिलित करते हुए, अब डीपीई की वेबसाइट पर स्वचालित रूप से सृजित है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी तिमाहियों के लिए निर्धारित समय के भीतर सूचीयन विनियमावली के विनियम 27(2)(क) के तहत कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की है।

17. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत शिकायतों के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

18. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान और पिछले तीन वर्षों में, कंपनी को कोई राष्ट्रपति के निर्देश नहीं मिले हैं।

19. कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों को समय-समय पर व्यवसाय और प्रचालन की प्रकृति, कंपनी की कार्यनीति और प्रदर्शन, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों और अन्य आवश्यक विषयों से अवगत कराती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसे 3 (तीन) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, कंपनी ने उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और परिपाटियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट, आंतरिक नीतियां आदि भी उपलब्ध कराईं।

इसके अलावा, बोर्ड और समिति की बैठकों में प्रस्तुतीकरणों की सहायता से, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों और कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ नियमित संवाद, स्वतंत्र निदेशकों को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित परिचय कार्यक्रमों का विवरण <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार की है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

20. कंपनी ने सभी अनिवार्य मदों (बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर) को अपनाया है; और कंपनी ने सूचीयन विनियमावली के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट सुशासन पर कुछ गैर-अनिवार्य मदों को भी अपनाया है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:

क) बोर्ड: कंपनी के प्रमुख, एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं;

ख) शेयरधारक के अधिकार: कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों को सभी आवश्यक जानकारी यथासमय उपलब्ध करा रही है, ताकि उन्हें कंपनी के प्रमुख निर्णयों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके;

ग) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय: वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित कोई लेखापरीक्षा आपत्ति/संशोधित राय नहीं है और कंपनी सदैव आपत्तिरहित वित्तीय विवरणों को बनाए रखने का प्रयास करती है;

घ) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकार (सीईओ) के अलग-अलग पद: अध्यक्ष और सीईओ के अलग-अलग पद नहीं हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भूमिका का निर्वहन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है और मुख्य वित्त अधिकारी, सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है;

ड) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग : कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकाय के प्रमुख, सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

21. सूचीयन विनियमावली के विनियम 32(7क) और विनियम 52(7) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बॉण्डों के निजी प्लेसमेंट के निर्गम आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

22. आरईसी की क्रेडिट रेटिंग नीचे दी गई है:

विवरण	क्रेडिट रेटिंग
घरेलू दीर्घावधिक उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, ईड एएए
घरेलू दीर्घावधिक मूलधन संरक्षित बाजारों से जुड़े डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएए, आईसीआरए पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू सतत बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एएए
घरेलू अल्पावधिक उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयर ए1+, ईड ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधिक जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज), बीबीबी+ (जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)
वर्ष के दौरान, घरेलू सतत बॉण्डों की क्रेडिट रेटिंग केयर एए+ से बढ़ाकर केयर एएए पर अपग्रेड की गई है।	

23. वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से अन्य कंपनियों में उनके द्वारा बोर्ड और समिति में धारित पदों और उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, ने यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-क पर दी गई है।
24. विशिष्ट प्रचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने विभिन्न बोर्ड-स्तरीय समितियों का गठन किया है और इन समितियों को कुछ प्रकार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति (समितियां) अपने नियत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और सुविज्ञ निर्णय लेती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर, निदेशक मण्डल द्वारा आगे विचार किए हेतु सिफारिशें करती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी की किसी बोर्ड-स्तरीय समिति की ओर से की गई सिफारिश को स्वीकार न किए जाने का कोई मामला नहीं था।
25. उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूचीयन विनियमावली की अनुसूची-III के भाग क के पैरा क के खंड 5क के अंतर्गत उसमें उल्लिखित पक्षकारों द्वारा कोई करार नहीं किया गया है।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

लागू कानूनों और इनसे संबंधित सांविधिक, नीतिगत एवं प्रक्रियात्मक अनुपालनों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी में एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। कंपनी का निदेशक मण्डल, कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सांविधिक, नीतिगत और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार एवं नीति संहिता

कंपनी में "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार और नीति संहिता" मौजूद है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों पर लागू होती है। उक्त संहिता कंपनी के मिशन/विजन और उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका लक्ष्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

यह संहिता <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों से प्राप्त अभिप्राय के

आधार पर, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त संहिता के अनुपालन के संबंध में की गई घोषणा निम्नानुसार है:

13. विनियमन, निगरानी के लिए आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नीति संहिता के तहत घोषणा

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार और नैतिक संहिता" के अनुपालन की अभिप्राय की है।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 9 मई, 2024

ह./-
विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

नामित व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा कारोबार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता

कंपनी में "नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा कारोबार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता" मौजूद है, जो इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि नामित व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों रिश्तेदार, जैसा कि उक्त संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का भाग है, तक पहुंच और उसके परिग्रह के जरिए कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है; और वह उक्त संहिता के पालन के लिए उत्तरदायी है। उक्त संहिता कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

उक्त संहिता में यूपीएसआई के प्रकटीकरण की रोकथाम के उद्देश्य के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण के पर्याप्त तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यूपीएसआई के उचित प्रकटीकरण और वैध उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली परिपाटियों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अधीन यूपीएसआई को आरईसी के किसी भी हितधारी या व्यवसाय भागीदार के साथ साझा किया जा सकता है। संहिता में कंपनी के इकिटी शेयरों/प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जब भी किसी यूपीएसआई को तिमाही परिणामों पर विचार सहित विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई थी और ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना नामित कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को अग्रिम रूप से जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, जब ट्रेडिंग विंडो बंद की जाती है, तो उन्हें और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार करने से रोकते हुए, कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उचित घोषणाएं की जाती हैं।

14. धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति

कंपनी में धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए, संगठन में पारदर्शी कार्यों और नैतिक आचरण सुनिश्चित

करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करने हेतु एक मजबूत धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति है। इस नीति में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम में प्रबंधन की जिम्मेदारियां तय करना, धोखाधड़ी की गतिविधियों में कर्मचारियों और हितधारकों को शामिल होने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करना और धोखाधड़ी क्रियाकलापों का संदेह होने पर की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करना शामिल है। इसमें किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी क्रियाकलाप की पूरी तरह से जांच करने के साथ-साथ नामित नोडल अधिकारी को धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए समयसीमा और निर्दिष्ट ब्यौरे के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी में कंपनी के विरुद्ध किसी भी रूप में धोखाधड़ी के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण है।

उक्त नीति <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

15. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी में अधिनियम के प्रावधानों, सूचीयन विनियमावली और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक “व्हिसल ब्लोअर नीति” है। व्हिसल ब्लोअर नीति में आरईसी और/या उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी कथित कदाचार या दुराचार, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, के बारे में मामला उठाने के लिए अधिकारी दिया गया है। शिकायत करने के तरीका और सक्षम प्राधिकारी के बारे में नीति में उल्लेख किया गया है। यह नीति <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार, विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक घोषणा, कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है, निम्नानुसार है:

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के संदर्भ में वार्षिक अभिकथन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच बनाने से नहीं रोका गया है और आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई गई है।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 8 अप्रैल, 2024

ह./-

विवेक कुमार देवांगन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तथा निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार

डीआईएन: 01377212

उपरोक्त के अतिरिक्त, आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के तहत जारी किए गए सूचना प्रदाता नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है; और इसे कंपनी की “सतर्कता नियम-पुस्तिका” में सम्मिलित किया गया है।

16. लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क

आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आरईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसके सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग हैं, में सभी संस्थाओं को सभी सेवाओं के

लिए, समेकित आधार पर, भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
क.	सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.68	0.58
(ii)	कराधान मामलों के लिए	0.16	0.15
(iii)	कंपनी विधि के मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.36	0.35
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए:	0.38	0.25
(v)	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.11
	उप जोड़	1.63	1.44
ख.	लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर क्रेडिट	0.13	0.11
	कुल (लेखापरीक्षक शुल्क और व्यय)	1.76	1.55

17. संचार के माध्यम

कंपनी, सभी हितधारकों के साथ आवश्यक सूचनाओं के समयोचित संचार को कंपनी के समग्र कॉर्पोरेट सुशासन फ्रेमवर्क के प्रमुख घटकों के रूप में मान्यता देती है। कंपनी एक व्यापक और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों, बॉण्डधारकों और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न प्लेटफार्मों पर व्याप्त संचार के विभिन्न माध्यमों से संसूचित करती है। परंपरागत विधियों जैसे समाचार-पत्र और पत्रिका विज्ञापनों, आयोजनों और प्रदर्शनियों तथा प्रेस बैठकों से कंपनी की सूचना का व्यापक और प्रभावी प्रचार किया जाता है। कंपनी निवेशक समुदाय में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए मीडिया वार्ताओं और निवेशक बैठकों का भी आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी सोशल मीडिया पर भी नियमित रूप से हितधारकों के साथ जुड़ी है, ताकि अपने हितधारकों के साथ अधिक व्यक्तिगत और शीघ्रता से जुड़ सके। कंपनी अपने सभी हितधारकों के साथ सशक्त और खुली वार्ता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नवीनतम अपडेट और समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों में किए गए आवश्यक कॉर्पोरेट प्रकटीकरण, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता पैटर्न, वार्षिक रिपोर्ट और आधिकारिक समाचार विज्ञापित और संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को किए गए परिणाम प्रस्तुतीकरण सहित अन्य आवश्यक जानकारी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् <https://recindia.nic.in/disclosures-under-regulation-46-of-sebi>, पर निवेशक खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स (हिंदी), हिंदुस्तान टाइम्स (हिंदी) और जनसत्ता (हिंदी) आदि में प्रकाशित किए जाते हैं।

कंपनी ने अपने शेयरधारकों और बॉण्डधारकों के प्रश्नों के समाधान के लिए निर्दिष्ट टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी हैं। ये विवरण <https://recindia.nic.in/investors-contact> पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीयन विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार, बोर्ड के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण के संबंध में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जिनके पास निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार है, द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।

19. शेयरधारकों के संबंध में सामान्य जानकारी

i. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक आम बैठक

शेयरधारकों की आगामी 55वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित दिन, दिनांक और समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाएगी:-

दिन, दिनांक	मंगलवार, 20 अगस्त, 2024
समय	11:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय समयानुसार)

उक्त बैठक में भाग लेने से संबंधित विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, में दर्शाई गई है।

iii. लाभांश

(क) लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन वित्तीय मानकों सहित ऐसे बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारकों लाभांश की उम्मीद कर सकती है या नहीं सकते हैं। यह नीति <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

विवरण	लाभांश भुगतान की तारीख	लाभांश प्रति इक्विटी शेयर (₹ में)
पहला अंतरिम लाभांश	24-अगस्त-2023	3.00/-
दूसरा अंतरिम लाभांश	30 नवंबर, 2023	3.50/-
तीसरा अंतरिम लाभांश	16 अप्रैल, 2024	4.50/-
अंतिम लाभांश*	घोषणा की तिथि से 30 दिन*	5.00/-
कुल		16.00/-

*55वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	रिकॉर्ड तिथि को कुल संदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तिथि	लाभांश प्रति ₹10/- वाले इक्विटी शेयर
2018-19	1,974.92	2,172.41	110.00	19 मार्च, 2019	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2019-20	1,974.92	2,172.41	110.00	24 फरवरी, 2020	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2020-21	1,974.92	2,510.12	127.10	3 दिसम्बर, 2020	पहला अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				30 मार्च, 2021	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				21 अक्टूबर, 2021	अंतिम लाभांश (₹1.71)
2021-22	1,974.92	3,021.63	153.00	2 सितम्बर, 2021	पहला अंतरिम लाभांश (₹2.00)
				25 नवम्बर, 2021	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹2.50)
				3 मार्च, 2022	तीसरा अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				13 अक्टूबर, 2022	अंतिम लाभांश (₹4.80)
2022-23	2,633.22	3,317.86	126.00	24-नवंबर-2022	पहला अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				28-फरवरी-2023	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹3.25)
				05-अक्टूबर-2023	अंतिम लाभांश (₹4.35)

(ग) अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश के संबंध में इक्विटी शेयरों और अप्रदत्त/दावा न किए गए मूलधन/ब्याज के संबंध में डिबेंचर आदि और इक्विटी शेयरों और डिबेंचर के मूलधन और ब्याज को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

आईईपीएफ में अंतरित राशि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण

ii. वित्तीय कैलेंडर (वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए)

पिछले/पूर्ण वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में अगले/आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय कैलेंडर निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
लेखांकन अवधि	1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024	1-अप्रैल-2024 से 31-मार्च-2025
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही 26-जुलाई-2023 दूसरी तिमाही 01-नवंबर-2023 तीसरी तिमाही 23-जनवरी-2024 चौथी तिमाही और वार्षिक 30-अप्रैल-2024	पहली तिमाही तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर दूसरी तिमाही तीसरी तिमाही चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के भीतर
वार्षिक आम बैठक की तिथि	मंगलवार, 20 अगस्त, 2024	अगस्त, 2025

(ख)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश

अधिनियम की धारा 123 और समय-समय पर संशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नानुसार अंतरिम लाभांश का भुगतान किया जिसका विवरण निम्न है:

विवरण	लाभांश भुगतान की तारीख	लाभांश प्रति इक्विटी शेयर (₹ में)
पहला अंतरिम लाभांश	24-अगस्त-2023	3.00/-
दूसरा अंतरिम लाभांश	30 नवंबर, 2023	3.50/-
तीसरा अंतरिम लाभांश	16 अप्रैल, 2024	4.50/-
अंतिम लाभांश*	घोषणा की तिथि से 30 दिन*	5.00/-
कुल		16.00/-

*55वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	रिकॉर्ड तिथि को कुल संदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तिथि	लाभांश प्रति ₹10/- वाले इक्विटी शेयर
2018-19	1,974.92	2,172.41	110.00	19 मार्च, 2019	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2019-20	1,974.92	2,172.41	110.00	24 फरवरी, 2020	अंतरिम लाभांश (₹11.00)
2020-21	1,974.92	2,510.12	127.10	3 दिसम्बर, 2020	पहला अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				30 मार्च, 2021	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				21 अक्टूबर, 2021	अंतिम लाभांश (₹1.71)
2021-22	1,974.92	3,021.63	153.00	2 सितम्बर, 2021	पहला अंतरिम लाभांश (₹2.00)
				25 नवम्बर, 2021	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹2.50)
				3 मार्च, 2022	तीसरा अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				13 अक्टूबर, 2022	अंतिम लाभांश (₹4.80)
2022-23	2,633.22	3,317.86	126.00	24-नवंबर-2022	पहला अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				28-फरवरी-2023	दूसरा अंतरिम लाभांश (₹3.25)
				05-अक्टूबर-2023	अंतिम लाभांश (₹4.35)

में, ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में लाभांश राशि और मूलधन और ब्याज की राशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए प्रदत्त/अदावाकृत हैं, को केंद्रीय सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईईपीएफ में अंतरण के लिए लाभांश की निम्नलिखित राशियां देय हो गईं, जिन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा किया गया था:

विवरण	आईईपीएफ में अंतरण की तिथि	राशि (₹ में)
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम लाभांश	17 नवंबर, 2023	26,07,818
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम लाभांश	02 अप्रैल, 2024	57,54,889
कुल		83,62,707

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 125 के अनुसार, सभी परिपक्व डिबेंचरों को डिबेंचर पर अर्जित ब्याज के साथ, जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और प्रदत्त रहे हैं, आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिबेंचर पर अदावाकृत मूलधन/ ब्याज के संबंध में निम्नलिखित राशि आईईपीएफ में अंतरित कर दी गई है:

विवरण	आईईपीएफ में अंतरण की तिथि	राशि ₹ में
मूलधन और ब्याज 54 ईसी और इफ्रा बॉण्ड	25-04-2023	1,82,60,599
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	10-05-2023	9,32,047
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	07-06-2023	48,000
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	21-07-2023	49,604
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	24-08-2023	56,24,658
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	20-09-2023	3,00,000
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	26-10-2023	1,44,000
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	21-11-2023	1,85,918
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	25-01-2024	36,600
मूलधन एवं ब्याज इन्फ्रा बॉण्ड	12-03-2024	1,09,00,223
ब्याज 54 ईसी बॉण्ड	22-03-2024	29,400
कुल		3,65,11,049

प्रदत्त/अदावाकृत लाभांश के लिए दावों को प्रस्तुत करने के लिए शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित करने हेतु, कंपनी समय-समय पर समाचार पत्रों में सूचना जारी करती रही है। सभी शेयरधारकों को फिर से सलाह दी जाती है कि वे लाभांश से संबंधित अपने वारंटों को तुरंत भुना लें या पुराने वारंटों के स्थान पर पुनर्वैधीकरण या डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए कंपनी के आर एंड टीए को लिखें।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे सभी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निम्नलिखित आईईपीएफ शेयर आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय बन गए, जिन्हें निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अंतरित कर दिया गया है:

विवरण	आईईपीएफ अंतरण की तिथि	राशि (₹)
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम लाभांश	23 नवंबर, 2023	14,991
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम लाभांश	11 अप्रैल, 2024	16,612
कुल		31,603

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में रखे गए आरईसी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की संख्या 2,05,726 थी।

जिन सदस्यों का उपरोक्त लाभांश और/या शेयरों या ब्याज और/या डिबेंचर के मूलधन पर दावा है, वे एक पात्रता पत्र जारी करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए complianceofficer@recindia.com पर एक ई-मेल भेज सकते हैं। पात्रता पत्र में 7 वर्ष पूरे होने पर कंपनी द्वारा आईईपीएफ को हस्तांतरित राशि/लाभांश राशि और/या शेयर की जानकारी होगी। पात्रता पत्र जारी होने के बाद, वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म संख्या आईईपीएफ-5 में एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और फॉर्म, चालान, क्षतिपूर्ति बॉण्ड और अन्य सभी की स्व-सत्यापित भौतिक प्रति दी जाएगी। फॉर्म संख्या आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज, शेयरों और/या लाभांश के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव और डिबेंचर के लिए ब्याज और/या मूलधन के लिए मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) - संसाधन को "आईईपीएफ प्राधिकरण से धनवापसी के लिए दावा" अंकित किए हुए एक लिफाफे में भेजे जाएंगे।

सभी पहलुओं में पूर्ण दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावेदारों के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण और डीमैट खाते में शेयरों के क्रेडिट के माध्यम से धनवापसी (रिफंड) जारी की जाएगी। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जाएगा।

नोडल/उप-नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमों के नियम 7(2क) के अनुपालन में, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को आईईपीएफ मामलों के संबंध में कंपनी के नोडल अधिकारी/ उप नोडल अधिकारी हैं:

विवरण	नाम और पदनाम
नोडल अधिकारी	श्री जे. एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव
डिबेंचर/बॉण्ड के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री अजय माथुर कार्यपालक निदेशक (वित्त) श्री राजकुमार सोनकर वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)
इक्विटी शेयरों के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री दिनेश गर्ग महाप्रबंधक (कंपनी सचिव)

कंपनी, वार्षिक आम बैठक के 60 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट पर नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ में राशि के अंतरण की नियत तारीख जैसी जानकारी के साथ कंपनी के शेयरधारकों/बॉण्डधारकों से संबंधित अदावाकृत/प्रदत्त राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट <https://recindia.nic.in/unpaid-dividend> पर अपलोड करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ में अंतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का शेयरधारक-वार विवरण भी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् <https://recindia.nic.in/iepf-details> पर भी उपलब्ध है। कंपनी ने नाम, पता, आईईपीएफ को अंतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ को राशि के अंतरण की देय तिथि जैसी जानकारी वाली कंपनी के शेयरधारकों/बॉण्डधारकों से संबंधित दावा न की गई/भुगतान न की गई राशियों का विवरण अपनी वेबसाइट <https://recindia.nic.in/iepf-details> पर भी अपलोड किया है। कंपनी द्वारा आईईपीएफ को पहले ही अंतरित की जा चुकी राशियों और शेयरों का निवेशक-वार विवरण आरईसी की वेबसाइट अर्थात् <https://recindia.nic.in/iepf-details> पर भी उपलब्ध है।

iv. इक्विटी शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों का सूचीयन (सूचीबद्धता)

आरईसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

वितरण	एनएसई	बीएसई
स्क्रिप कोड	आरईसीएलटीडी	532955
पता	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	बीएसई लिमिटेड फ़िरोज़ जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई -400001
दूरभाष	+91-22-2659 8100/8114	+91-22-2272 1233/34
ईमेल	cmist@nse.co.in	corp.comm@bseindia.com
वेबसाइट	www.nseindia.com	www.bseindia.com

इसके अतिरिक्त, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

v. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

vi. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) का संपर्क विवरण

इक्विटी शेयर के लिए आरएंडटीए		
पता	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208, अनारकली काम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110055	
टेलीफोन	011 – 42541234	
ई-मेल	rta@alankit.com	
वेबसाइट	www.alankit.com	
विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के लिए आरएंडटीए (31 मार्च, 2024 तक जारी प्रतिभूतियों के लिए)		
पता	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा हैदराबाद-500 032, भारत	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड बीटल हाउस, तीसरा तल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110062
टेलीफ़ोन	+91-800-309-4001	+91-11-29961281-83
ईमेल	einward.ris@kfintech.com gopalakrishna.kvs@kfintech.com	recbonds2@gmail.com spgupta123@gmail.com
वेबसाइट	www.kfintech.com	www.beetalfinancial.com

1 अप्रैल, 2024 को अथवा उसके बाद जारी ऋण प्रतिभूतियों के लिए, कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए अपने आर एंड टीए को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड से बदल कर अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड कर दिया है। इसके अलावा, इस

संबंध में आवश्यक सूचनाएं संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी गईं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गईं। आर एंड टीए का अद्यतन संपर्क विवरण इस प्रकार है:

ऋण प्रतिभूतियों के लिए आर एंड टीए	
पता	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110055
दूरभाष	011 – 42541234
ई-मेल	rta@alankit.com
वेबसाइट	www.alankit.com

vii. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बाजार मूल्य डाटा

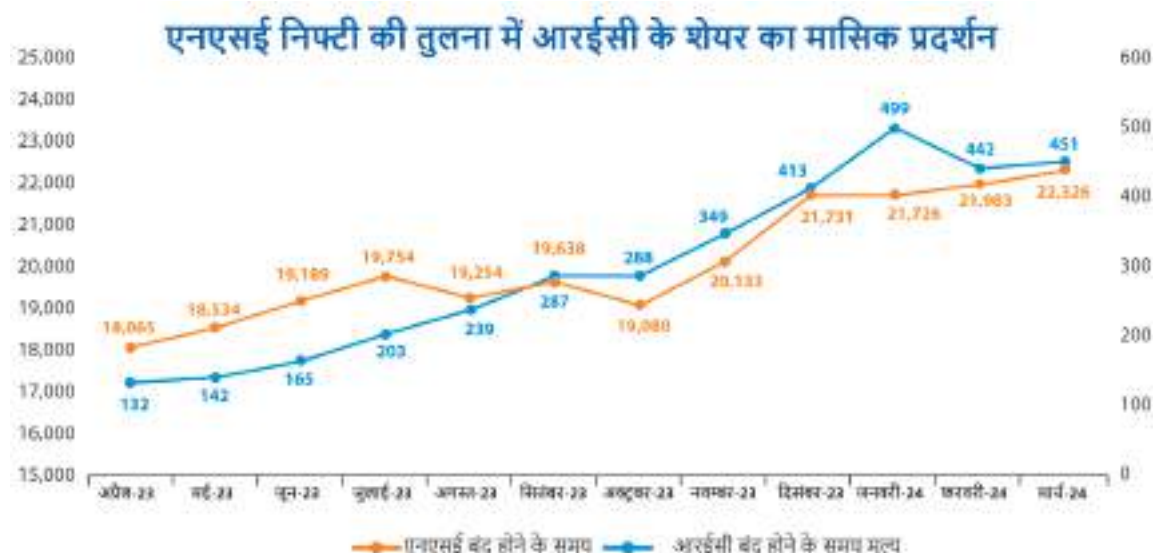
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स

के संचलन की तुलना में आरईसी के इक्विटी शेयर का मासिक प्रदर्शन निम्नानुसार था

माह	एनएसई पर आरईसी शेयर का मूल्य (₹)			एनएसई निफ्टी का संचलन		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल, 2023	132.40	115.65	132.15	18,089.15	17,312.75	18,065.00
मई, 2023	142.65	127.40	141.55	18,662.45	18,042.40	18,534.40
जून, 2023	169.50	140.40	164.65	19,201.70	18,464.55	19,189.05
जुलाई, 2023	203.85	159.15	202.95	19,991.85	19,234.40	19,753.80
अगस्त, 2023	249.25	191.45	238.65	19,795.60	19,223.65	19,253.80
सितंबर, 2023	291.95	230.55	287.40	20,222.45	19,255.70	19,638.30
अक्टूबर, 2023	299.20	259.45	287.60	19,849.75	18,837.85	19,079.60
नवंबर, 2023	352.00	273.15	348.70	20,158.70	18,973.70	20,133.15
दिसंबर, 2023	454.75	351.10	412.85	21,801.45	20,183.70	21,731.40
जनवरी, 2024	511.80	410.70	499.05	22,124.15	21,137.20	21,725.70
फरवरी, 2024	524.00	424.60	442.05	22,297.50	21,530.20	21,982.90
मार्च, 2024	492.10	414.55	451.00	22,526.60	21,710.20	22,326.20

माह	बीएसई पर आरईसी शेयर का मूल्य (₹)			बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल, 2023	132.50	115.50	132.20	61,209.46	58,793.08	61,112.44
मई, 2023	142.60	127.40	141.50	63,036.12	61,002.17	62,622.24
जून, 2023	169.15	140.30	164.60	64,768.58	62,359.14	64,718.56
जुलाई, 2023	203.75	159.15	202.95	67,619.17	64,836.16	66,527.67
अगस्त, 2023	249.20	191.50	238.25	66,658.12	64,723.63	64,831.41
सितंबर, 2023	292.00	230.60	287.55	67,927.23	64,818.37	65,828.41
अक्टूबर, 2023	299.10	259.50	287.55	66,592.16	63,092.98	63,874.93
नवंबर, 2023	352.00	273.40	348.55	67,069.89	63,550.46	66,988.44
दिसंबर, 2023	454.80	351.45	412.70	72,484.34	67,149.07	72,240.26
जनवरी, 2024	511.50	410.95	498.85	73,427.59	70,001.60	71,752.11
फरवरी, 2024	524.00	424.70	442.30	73,413.93	70,809.84	72,500.30
मार्च, 2024	492.00	415.00	450.80	74,245.17	71,674.42	73,651.35

*प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिन की स्थिति के अनुसार अंतिम तिथि की कीमत।



बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन



viii. शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी ने अपने 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के तहत सेवा अनुरोध यथा डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने; प्रतिभूति प्रमाणपत्र के नवीनीकरण/परिवर्तन; पृष्ठांकन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र के उप-विभाजन/पृथक्करण; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो के समेकन; स्थानांतरण और हस्तांतरण पर कार्रवाई करते समय केवल डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही प्रतिभूतियां जारी करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों को अधिदेश दिया है। इसके अलावा सेबी ने अपने 18 मई, 2022 के परिपत्र के तहत, प्रक्रिया को सरल बनाया है और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए दस्तावेजों के प्रारूप मानकीकृत किए हैं। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विधिवत दाखिल और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4

प्रस्तुत करके सेवा अनुरोध करें, जिसका फॉर्म कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/forms> पर और कंपनी के आरटीए अलंकित असाइनमेंट की वेबसाइट पर <https://alankitassignments.com/investor-charter> उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि कोई भी सेवा अनुरोध, तभी आगे किया जा सकता है, जब फोलियो का केवाईसी पूरा हो।

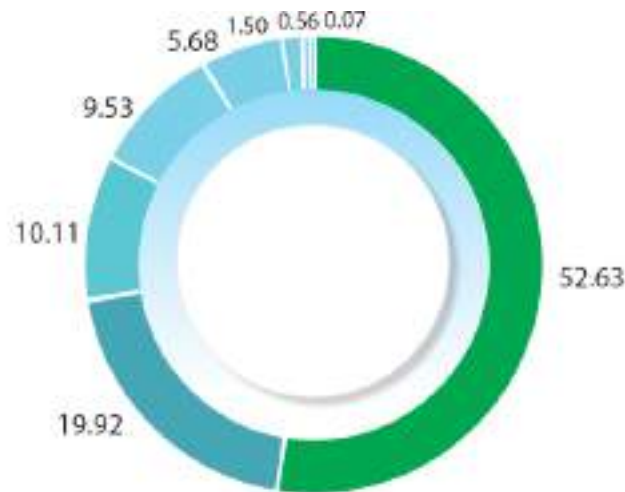
इसके अलावा, सेबी के दिनांक 16 मार्च, 2023 के परिपत्र के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों को सूचना भेजी है, जिनके पास फिजिकल रूप में शेयर हों ताकि पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और नामांकन का ब्योरा प्रस्तुत/अद्यतन हो सके और उक्त सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित करने के लिए भी भेजी गई है।

शेयरधारिता का पैटर्न/शेयरधारिता का विभाजन

(क) स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता पैटर्न

पिछले वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2023 की स्थिति की तुलना में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी का श्रेणी-वार शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार था:

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार		31 मार्च, 2023 के अनुसार	
	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
प्रमोटर और प्रमोटर समूह	1,38,59,93,662	52.63	1,38,59,93,662	52.63
एफपीआई, एफपीसी और एफआईआई	52,44,89,512	19.92	56,65,14,684	21.51
म्यूचुअल फंड्स	24,97,60,921	9.48	19,30,01,898	7.33
निवासी व्यक्ति	25,44,62,707	9.66	29,07,67,284	11.04
बीमा कंपनी	11,76,17,199	4.47	56,52,957	0.21
कॉर्पोरेट निकाय	3,19,34,601	1.21	3,80,56,997	1.45
समाशोधन सदस्य	16,32,232	0.06	3,39,652	0.01
बैंक	1,39,218	0.01	19,97,782	0.08
एचयूएफ	1,13,73,727	0.43	1,65,76,501	0.63
न्यास	12,99,237	0.05	18,88,592	0.07
अनिवासी भारतीय	95,55,526	0.36	1,03,91,386	0.39
भारतीय वित्तीय संस्थान/क्यूआईबी	1,79,26,960	0.68	11,13,75,000	4.24
एनआरआई-अप्रत्यावर्तनीय	51,34,770	0.20	94,19,528	0.36
कर्मचारी	5,19,354	0.02	5,87,291	0.03
अन्य (आईईपीएफ, एआईएफ)	2,13,62,115	0.82	6,47,778	0.02
एनबीएफसी	22,259	नगण्य	13,008	नगण्य
कुल	2,63,32,24,000	100.00	2,63,32,24,000	100.00



- प्रमोटर और प्रमोटर समूह
- एफपीआई, एफपीसी और एफआईआई
- निवासी व्यक्ति, कर्मचारी और एचयूएफ
- म्यूचुअल फंड्स और ट्रस्ट
- कारपोरेट निकाय और बीमा कंपनियाँ
- भारतीय वित्तीय संस्थान, अन्य
- एनआरआई और एनआरआई गैर-प्रत्यावर्तनीय
- बैंक, क्लियरिंग मेम्बर्स और एनबीएफसीज़

(ख) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2024 को धारित शेयरों की संख्या के आधार पर शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार था:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1-5000	7,96,993	98.98	17,27,60,103	6.56
5001 -10000	4,090	0.51	2,92,43,524	1.11
10001-20000	1,865	0.23	2,63,98,716	1.00
20001-30000	557	0.07	1,38,43,506	0.53
30001-40000	271	0.03	95,13,837	0.36
40001-50000	205	0.03	93,19,317	0.35
50001-100000	390	0.05	2,76,66,800	1.05
100001 तथा उससे अधिक	869	0.10	2,34,44,78,197	89.04
कुल	8,05,240	100.00	2,63,32,24,000	100.00

टिप्पणी: शेयरधारकों के पास एक ही पैन् के अंतर्गत कई डीमैट खाते हो सकते हैं जिसके कारण शेयरधारकों की कुल संख्या में अंतर हो सकता है। पैन् के आधार पर समेकित शेयरधारकों की कुल संख्या 7,70,808 है।

ix. चलनिधि

कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैटरियलाइज्ड सेगमेंट में हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

(सीडीएसएल) दोनों डिपॉजिटरी की प्रणाली के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। डिपॉजिटरी के पत्राचार का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	एनएसडीएल	सीडीएसएल
पता	ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा तल कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल, मुंबई 400013	मैराथन फ्यूचरएक्स ए-विंग, 25वां तल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल मुंबई 400013
दूरभाष	+91-20-2721 8080 +91-22-2499 3499	1-800-21-09911
ईमेल	relations@nsdl.com info@nsdl.com	helpdesk@cdslindia.com complaints@cdslindia.com
वेबसाइट	www.nsdl.co.in	www.cdslindia.com

दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीमैटरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
भौतिक	11,005	21,179	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	2,82,522	2,49,25,93,419	94.66 %
सीडीएसएल (डीमैट)	5,11,713	14,06,09,402	5.34%
कुल	8,05,240	2,63,32,24,000	100.00%

X. शेयरपंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान

सेबी (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 के विनियम 76 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रत्येक तिमाही के लिए, मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, कार्यशील कंपनी

विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों और उचित खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या।	32	6,644
वित्तीय वर्ष के दौरान उचित खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें उचित खाते से अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए थे।	शून्य	शून्य
दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और उचित खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	32	6,644

टिप्पणियाँ:

- 31 मार्च, 2024 को उचित खाते में बकाया शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेंगे, जब तक ऐसे शेयरों के असली स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते।
- उपरोक्त सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैं; एफपीओ से संबंधित अदावाकृत शेयरों का कोई मामला नहीं है।

xii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तनीय तिथियां और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

xiii. स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीयन शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xiv. डिपॉजिटरीज को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xv. संयंत्रों की अवस्थिति

आरईसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) है जिसे इंप्रॉस्टक्चर फाइनेंशियल कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका कोई संयंत्र स्थान नहीं है। तथापि, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय और गुरुग्राम, हरियाणा में कॉर्पोरेट कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) हैं, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

xvi. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) L40101DL1969GOI005095 है।

xvii. विधिक निकाय पहचानकर्ता

कंपनी की विधिक निकाय पहचानकर्ता संख्या 335800B4YRYWAMIJZ374 है।

सेक्रेटरी, सिकंदराबाद, ने कंपनी की एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुल स्वीकृत, निर्गत और सूचीबद्ध शेयर पंजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद, शेयर पंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया था। रिपोर्टों में पुष्टि की गई कि कुल निर्गत/प्रदत्त शेयर पंजी, भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। उक्त रिपोर्ट कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की गई थी।

xi. डीमैट उचित खाते का विवरण

सूचीयन विनियमावली के विनियम 34(3) और अनुसूची V के भाग च की अपेक्षाओं के अनुसार, डीमैट उचित खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

xviii. कॉर्पोरेट वेबसाइट

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.nic.in है।

xix. पत्र व्यवहार हेतु पता

कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पते और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

	पंजीकृत कार्यालय	कॉर्पोरेट कार्यालय
पता	कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स, प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा -122001
दूरभाष	+91-11-4309 1500 +91-11-4309 1501	+91-124-271 1000 +91-124-444 1300
ई-मेल	contactus@recindia.com	contactus@recindia.com

xx. अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता

कंपनी के अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता का नाम और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

नाम	श्री जे. एस. अमिताभ कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव
पता	आरईसी लिमिटेड आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स, प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा -122001
दूरभाष	+91-124-444 1331
ई-मेल	complianceofficer@recindia.com jsamitabh@recindia.com

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

(विवेक कुमार देवांगन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 27 जुलाई, 2024

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसार]

सेवा में,
 सदस्यगण
 आरईसी लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय:
 कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
 7, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003

हमने कंपनी द्वारा बनाए गए आवश्यक रजिस्ट्रारों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और आरईसी लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात 'कंपनी' कहा गया है), जिसका सीआईएन: **L40101DL1969GOI005095** है और पंजीकृत कार्यालय कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003 में है, के निदेशकों से प्राप्त हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रकटनों की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन

दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-ग खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से की गई है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापनों [पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित] और कंपनी व उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 की यथास्थिति को कंपनी के बोर्ड के नीचे दिए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका नहीं गया है या अनर्हक नहीं ठहराया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1	श्री विवेक कुमार देवांगन	01377212	17 मई, 2022
2	श्री विजय कुमार सिंह	02772733	15 जुलाई, 2022
3	श्री शशांक मिश्रा	08364288	21 अगस्त, 2023
4	श्री मनोज शर्मा	06822395	11 जुलाई, 2023
5	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	15 नवंबर, 2021
6	डॉ. मनोज मनोहर पांडे	09388430	15 नवंबर, 2021
7	डॉ. (श्रीमती) दुर्गेश नंदिनी	09398540	30 दिसंबर, 2021
8	श्री नारायणन थिरुपति	10063245	6 मार्च, 2023

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन के आधार पर उस पर राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की

व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,
 कंपनी सचिव,

आईसीएसआई यूनिफ कोड: पी2003डीई049100
 सहकर्म समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 2725/2022

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 31 मई, 2024

ह./-
 सीएस सचिन अग्रवाल
 भागीदार
 एफसीएस सं.:5774
 सीपी सं.:5910
 यूडीआईएन: एफ005774एफ000510960

अनुलग्नक-ख

प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

क. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- इन विवरणों में ऐसा कोई मिथ्या विवरण निहित नहीं है अथवा किसी महत्वपूर्ण कारक को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण निहित नहीं है, जो कि भ्रामक हो; और
- ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना करते हैं।

ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण हो, गैर-कानूनी हो अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हों।

ग. हम वित्तीय संसूचना के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और यह कि हमने वित्तीय संसूचना के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की

प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के प्रकार अथवा प्रचालन में कमियाँ, यदि कोई हों, को प्रकट किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों को भी प्रकट किया है।

घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इस बात का उल्लेख किया है:

- वर्ष के दौरान वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; और
- ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी नहीं है और प्रबंधन की उसमें भागीदारी, यदि कोई हो, किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जानकारी है।

ह./-
 (विवेक कुमार देवांगन)
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 तथा निदेशक (वित्त), अतिरिक्त प्रभार
 डीआईएन: 01377212

दिनांक: 30 अप्रैल, 2024

कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग

खंड क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण

1.	सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आरईसी लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1969
4.	पंजीकृत कार्यालय पता	कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	कॉर्पोरेट पता	आरईसी विश्व मुख्यालय, प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम-122001
6.	ई-मेल	Complianceofficer@recindia.com
7.	टेलीफोन	+91-124-444 1300
8.	वेबसाइट	https://recindia.nic.in/
9.	वह वित्त वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
11.	संदत्त पूंजी	₹ 2,633.22 करोड़
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना) (डीआईएन: 02772733) +91-124-271 5517 directorprojects@recindia.com
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात् केवल संस्था के लिए) किए गए हैं या समेकित आधार पर (अर्थात् संस्था और सभी संस्थाओं के लिए, जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिए गए हैं)।	इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण समेकित आधार पर किए गए हैं
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्रम संख्या	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	संस्था के टर्नओवर का %
1	वित्तीय और बीमा सेवा	वित्तीय और ऋण पट्टे गतिविधियाँ	99.86%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान
1	अन्य वित्तीय सेवाएँ और गतिविधियाँ - अन्य ऋण प्रदान करना	64920	99.61%

III. प्रचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	0	35*	35
अंतरराष्ट्रीय	0	0	0

* इसमें देश के विभिन्न भागों में 23 स्थानों पर हमारी सहायक कंपनी और आरईसी क्षेत्रीय कार्यालयों सहित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय शामिल हैं, जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट में अलग से सूचीबद्ध किया गया है और साथ ही देश भर में 12 स्थानों पर हमारी अनुषंगी कंपनी 'आरईसीपीडीसीएल' के कार्यालय भी शामिल हैं।

19. संस्था द्वारा सेवा बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	0

ख. संस्था के कुल टर्नओवर में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंप्रॉस्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के टर्नओवर में निर्यात का योगदान शून्य था।

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

आरईसी के प्रमुख उत्पाद राज्य यूटिलिटीज, निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं आदि को ब्याज पर दिए जाने वाले ऋण हैं। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में परियोजनाओं को वित्तपोषित करना शामिल है, चाहे वह विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ई-मोबिलिटी, विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरण विनिर्माण का वित्तपोषण और विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड / बैकवर्ड लिंकेज वाली गतिविधियाँ हों। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने आरईसी को अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी ऋण देने की अनुमति दी है। इसके परिणामस्वरूप, आरईसी ने

हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, सड़कों और राजमार्गों, ग्रीन हाइड्रोजन / ग्रीन अमोनिया, सिंचाई / जल संसाधन, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड चेन, रेलवे स्टेशन पुनर्विकास, बंदरगाहों, स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना आदि जैसे उप-क्षेत्रों को सक्रिय रूप से वित्तपोषित / अन्वेषण करना शुरू कर दिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, आरईसी ने अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए ₹3,745 करोड़ के ऋण वित्तपोषण की स्वीकृति दी है और ₹7,676 करोड़ रिलीज किया है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में संपूर्ण विद्युत और अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के लिए दीर्घकालिक ऋण, मध्यम अवधि के ऋण, अल्पकालिक ऋण, ऋण पुनर्वित्त, परिक्रामी बिल भुगतान आदि शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों में राज्य सरकारें, केंद्रीय/राज्य यूटिलिटीज, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियाँ, संयुक्त उद्यम, निजी क्षेत्र के उधारकर्ता और विकासक आदि शामिल हैं।

IV. कर्मचारी

20. वित्त वर्ष की समाप्ति पर विवरण:

क. कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	512*	434	85	78	15
2.	स्थायी को छोड़कर (ङ)	468	399	85	69	15
3.	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	980	833	85	147	15
कामगार						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (छ)					
6.	कुल कामगार (च + छ)					

*प्रतिनियुक्ति पर आने वाले एक कर्मचारी को स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	14	13	93	1	7
2.	स्थायी को छोड़कर (ङ)	0	0	0	0	0
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	14	13	93	1	7
दिव्यांग कामगार						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी को छोड़कर (छ)					
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख / क)
निदेशक मण्डल	8	1	12.5
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	0	0

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण)

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23*			वित्त वर्ष 2021-22*		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	6.35%	4.23%	6.03%	10.57%	10.37%	10.54%	7.51%	7.09%	7.44%
स्थायी कामगार	लागू नहीं								

* अभिलेखीकरण और डाटा एकीकरण/सत्यापन पद्धति की समीक्षा की गई और तदनुसार, जहां भी आवश्यक हो, अधिकतम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए जानकारी को अद्यतन किया गया है।

V. धारक, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (क) धारक / अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम संख्या	धारक / अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या यह धारक/अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/ नहीं)
1.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक	52.63	हाँ
2.	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	अनुषंगी	100	हाँ
	आरईसीपीडीसीएल की अनुषंगी कंपनियां			
3.	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
4.	कल्लम ट्रांस्को लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
5.	खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
6.	खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
7.	खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
8.	खावड़ा Vए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
9.	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
10.	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
11.	राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
12.	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
13.	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
14.	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
15.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
16.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
17.	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
18.	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
19.	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
20.	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
21.	राजस्थान पार्ट I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
22.	तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
23.	एनईआरजीएस-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
24.	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
25.	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
26.	ईआरईएस-XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं): हां
 (ii) टर्नओवर (₹ में): ₹ 47,504.75 करोड़*
 (iii) निवल संपत्ति (₹ में): ₹ 69,350.25 करोड़*

*आंकड़े समेकित आधार पर हैं

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह, जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है। हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रस्तुत करें)	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://recindia.nic.in/grievances	88	12	वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित 12 शिकायतों में से 8 मई, 2024 तक केवल 2 शिकायतें लंबित हैं, जबकि शेष को तदोपरांत बंद कर दिया गया है।	59	1	वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित 1 शिकायत को भी तदोपरांत बंद कर दिया गया है।
निवेशक (शेयरधारकों को छोड़कर)	हाँ https://recindia.nic.in/grievances	494	0	-	1,217	0	-
शेयरधारक	हाँ https://recindia.nic.in/investors-contact	30	0	इन शिकायतों के अलावा, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों से 363 अनुरोध/स्पर्ष्टीकरण/प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनका समाधान/उत्तर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया, सिवाय सात अनुरोध/स्पर्ष्टीकरण/प्रश्नों के, जिनका समाधान 31 मार्च, 2024 के बाद किया गया।	2,464	6	लंबित मामलों का समाधान हो चुका है।
कर्मचारी और कामगार	हाँ, इंटरनेट पर उपलब्ध	1	0	-	0	0	-
ग्राहक	हाँ https://recindia.nic.in/policies	0	0	-	0	0	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ https://recindia.nic.in/independentexternal-monitor-iem-for-ruralelectrification-corporation-ltd	3	0	विवाद से विश्वास के तहत 2 दावे, 1 जीईएम (GeM) के स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर द्वारा	0	0	-

26. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन:

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और संधारणीयता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पहचानने का तर्क, जोखिम को कम करने या अनुकूलित करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
1.	जलवायु जोखिम प्रबंधन	जोखिम और अवसर	बाढ़, सूखा, जल की कमी, चक्रवात, तापमान चरम और जंगल की आग जैसे भौतिक जोखिम तथा कार्बन कराधान, नवीकरणीय ऊर्जा विनियमों का अनिवार्य उपयोग, हरित और टिकाऊ विकल्पों के प्रति प्राथमिकता में बदलाव जैसे संक्रमणकालीन जोखिम उधारकर्ताओं के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार, ऋण जोखिम में वृद्धि होती है। यदि आरईसी जलवायु संबंधी प्रकटीकरण पर हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है, तो प्रतिष्ठा जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि जलवायु परिवर्तन एक जोखिम है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती जागरूकता ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी ला दी है, जिससे इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के अवसर का सृजन हुआ है।	आरईसी ने जलवायु परिवर्तन कार्यनीति सहित अन्य फोकस क्षेत्रों को कवर करते हुए एक ईएसजी नीति तैयार और कार्यान्वित की है। इसके अलावा, आरईसी ने परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया में जलवायु जोखिम आकलन को एकीकृत करने और भविष्य में जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर आरबीआई मसौदा प्रकटीकरण ढांचे के अनुरूप जलवायु जोखिम प्रकटीकरण तैयार करने की भी योजना बनाई है। आरईसी यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को तैयार कर रही है कि हरित ऊर्जा में परिवर्तन उसके व्यावसायिक विकास उद्देश्यों के मूल में हो। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, जबकि कंपनी की कुल मंजूरी में वार्षिक आधार पर 34% की वृद्धि हुई है, नवीकरणीय परियोजनाओं में मंजूरी में वार्षिक आधार पर 533% की भारी वृद्धि देखी गई है। आगे बढ़ते हुए आरईसी वित्त वर्ष 2030 तक अपनी ऋण बही में स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी को वर्तमान लगभग 8% से बढ़ाकर 30% करने का प्रयास कर रही है।	नकारात्मक: जलवायु जोखिम के कारण सम्पत्ति के खतरे में पड़ने की सम्भावना। सकारात्मक: हरित बॉण्ड जैसे स्थायी वित्तीय साधनों का उपयोग करने की क्षमता।
2.	ऊर्जा एवं उत्सर्जन प्रबंधन	अवसर	आरईसी न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के महत्व को स्वीकार करता है और इस प्रकार निकट भविष्य में कार्बन तटस्थता की दिशा में काम करने की योजना बना रहा है। कुशल ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन में कमी न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है बल्कि लागत बचत और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है। भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य भी आरईसी के लिए अपने पोर्टफोलियो में हरित परियोजनाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन आदि क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए पहल कर सकता है। चूंकि वैश्विक और राष्ट्रीय नीतियां हरित निवेशों के पक्ष में हैं, इसलिए आरईसी इन रुझानों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित परियोजनाओं के वित्तपोषण में आरईसी का सक्रिय दृष्टिकोण न केवल जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद करता है बल्कि इसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है।	-	सकारात्मक: ऊर्जा के उपयोग में कमी और स्वयं के प्रचालन में दक्षता में वृद्धि के कारण लागत बचत। हरित बॉण्ड जैसे स्थायी वित्तीय साधनों का उपयोग करने की क्षमता।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
3.	सामुदायिक विकास	अवसर	सामुदायिक सहभागिता और विकास कंपनी के प्रचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक संधारणीयता को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर, आरईसी सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है, सामुदायिक चिंताओं को संबोधित करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, परियोजना स्वीकृति में वृद्धि करता है और सामाजिक जोखिमों को कम करता है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास पहलों में निवेश सामाजिक संधारणीयता, प्रतिभा प्रतिधारण और समग्र व्यावसायिक सफलता में योगदान दे सकता है।	-	सकारात्मक : हितधारकों के साथ बेहतर संबंध, कौशल विकास और साझा मूल्य सृजन, बढ़ी हुई ब्रांड प्रतिष्ठा, जोखिम न्यूनीकरण।
4.	ग्राहक संतुष्टि	अवसर	ग्राहक संतुष्टि सीधे कंपनी की प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देकर, आरईसी दीर्घकालिक संबंध बना सकता है जो आरईसी की निरंतर सफलता और विकास के लिए आवश्यक है।	-	सकारात्मक: राजस्व में वृद्धि, ब्रांड छवि में सुधार।
5.	विविधता और समावेशन	अवसर	विविधता और समावेशन संगठन के भीतर सम्मान, समानता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। कार्यबल में विविधता को अपनाने से हम दृष्टिकोण, अनुभव और प्रतिभाओं की व्यापक श्रेणी का लाभ उठा पाते हैं, रचनात्मकता और समस्या-समाधान को बढ़ावा देते हैं। समावेशन सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारी मूल्यवान महसूस करें और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए सशक्त हों, जिससे मनोबल, उत्पादकता और कर्मचारी प्रतिधारण में वृद्धि हो।	-	सकारात्मक: व्यापक प्रतिभा पूल, बढ़ी हुई ब्रांड प्रतिष्ठा, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, कर्मचारी अनुशय में कमी
6.	मानव पूंजी विकास	अवसर	मानव पूंजी, संगठन की सफलता के लिए एक प्रमुख स्तंभ है क्योंकि यह उत्पादकता, प्रतिधारण और संगठनात्मक सफलता को प्रभावित करती है। सकारात्मक कार्य परिवेश को बढ़ावा देने और कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देने से, आरईसी मनोबल, कार्य पर संतुष्टि और सत्यनिष्ठा को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों जैसे कर्मचारी कल्याण पहलों में निवेश करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, अनुपस्थिति कम होती है और समग्र उत्पादकता में सुधार होता है। इसके अलावा, निरंतर प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने से कर्मचारियों को नए कौशल हासिल करने, कार्य की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुकूल होने और आरईसी के मिशन और लक्ष्यों में प्रभावी रूप से योगदान करने का अधिकार मिलता है।	-	सकारात्मक : कर्मचारियों का कौशल उन्नयन, उत्पादकता में सुधार, कर्मचारी अनुशय में कमी

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
7.	सतत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	अवसर	सतत खरीद प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करके, आरईसी यह सुनिश्चित कर सकता है कि खरीदे गए सामान और सेवाओं से पर्यावरण और समाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, अधिमान्य खरीद प्रणालियों एमएसएमई जैसे वंचित व्यावसायिक समूहों को अवसर प्रदान करने में आरईसी की मदद करती हैं, जिससे साझा मूल्य सृजन को बढ़ावा मिलता है।	-	सकारात्मक: जोखिम शमन, लागत बचत
8.	कॉर्पोरेट सुशासन और व्यावसायिक नैतिकता	जोखिम	निवेशक और हितधारक का विश्वास बनाए रखने, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए सुदृढ़ सुशासन और व्यावसायिक नैतिकता महत्वपूर्ण है। अनैतिक व्यवहार और रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के उदाहरण ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुदृढ़ सुशासन प्रणालियों को सुनिश्चित करना और कंपनी में सभी स्तरों पर उनका संचार करना एक ऐसी संस्कृति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जो यह सुनिश्चित करती है कि व्यावसायिक परिणाम सही तरीके से और जिम्मेदारी के साथ दिए जाएं। प्रभावी सुशासन ठोस निर्णय लेने, कानूनों और विनियमों का अनुपालन और हितधारकों के हितों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है, अंततः कंपनी की प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक सफलता की रक्षा करता है। कॉर्पोरेट सुशासन और नैतिकता को प्राथमिकता देना एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में आरईसी की विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है, जो विश्वास को बनाए रखने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।	हमारे पास एक सुपरिभाषित सुशासन ढांचा और आचार संहिता है। प्रबंधन निर्धारित नियमों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करता है। आरईसी प्रबंधन सभी लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता है। इसके अलावा, हम कर्मचारियों को व्यापक नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, पारदर्शी और जिम्मेदार रिपोर्टिंग प्रणालियों को सुनिश्चित करते हैं और नियमित रूप से सुशासन नीतियों की समीक्षा और अद्यतन करते हैं।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/ दंड
9.	डाटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा	जोखिम	डाटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि आरईसी वित्तपोषण अनुरोधों को संसाधित करते समय ग्राहकों की गोपनीय वित्तीय और परियोजना संबंधी जानकारी संभालता है। डाटा की सुरक्षा करना और डाटा गोपनीयता विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना विश्वास बनाए रखने और कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों से बचने के लिए आवश्यक है। डाटा उल्लंघनों और साइबर हमलों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, जो प्रचालन को बाधित कर सकते हैं और हितधारकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डाटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देकर, आरईसी जोखिमों को कम कर सकता है, प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है और हितधारकों की जानकारी की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकता है, जो विश्वास और व्यवसाय निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।	हमने सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपाय, सूचना सुरक्षा और डाटा गोपनीयता के लिए सुदृढ़ सुशासन लागू किया है। हम नियमित लेखापरीक्षा करते हैं और लगातार प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/ दंड

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
10.	डिजिटल परिवर्तन और नवाचार	अवसर	डिजिटल परिवर्तन और नवाचार तेजी से डिजिटल होती दुनिया में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल तकनीकों को अपनाने से आरईसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और नए व्यावसायिक मॉडल विकसित करने में सक्षम है। नवाचार स्फूर्ति और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है, जिससे आरईसी को परिवर्तनशील बाजार की गतिशीलता और ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया में मदद मिलती है। डिजिटल परिवर्तन और नवाचार में निवेश करके, आरईसी नए अवसरों को खोल सकता है, प्रचालन प्रदर्शन में सुधार कर सकता है और तेजी से विकसित हो रही अवसररचना के वित्त परिदृश्य में वक्र से आगे रह सकता है, जो दीर्घकालिक सफलता और संधारणीयता के लिए आवश्यक है।	-	सकारात्मक: प्रचालन लागत में कमी, कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि
11.	आर्थिक विकास	अवसर	अवसररचना वित्त और विकास में अपनी भूमिका को देखते हुए, आर्थिक उतार-चढ़ाव, बाजार में उतार-चढ़ाव और बाहरी अनिश्चितताओं का सामना करने की आरईसी की क्षमता वित्तीय संधारणीयता बनाए रखने और अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है। आर्थिक लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करके, आरईसी सतत विकास, रोजगार सृजन और अवसररचना विकास का समर्थन कर सकता है, अपनी ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा का निर्माण कर सकता है, जबकि समग्र आर्थिक संधारणीयता और समृद्धि में योगदान दे सकता है। इसके अलावा, लचीलापन ग्राहकों को वित्तपोषण समाधान और सहायता प्रदान करने में निरंतरता सुनिश्चित करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और संगठन की आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने की क्षमता में विश्वास का निर्माण करता है।	-	सकारात्मक: राजस्व में वृद्धि
12.	विनियामक अनुपालन	जोखिम	विनियामक अनुपालन, प्रचालन को नियंत्रित करने वाले कानूनों, विनियमों और उद्योग मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करके, आरईसी कानूनी और वित्तीय जोखिमों को कम कर सकता है, हितधारकों के साथ विश्वास बनाए रख सकता है और एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में प्रतिष्ठा बनाए रख सकता है। विनियमों का अनुपालन न करने पर जुर्माना, कानूनी विवाद और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जिससे आरईसी के प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, आरईसी के प्रचालन लाइसेंस को बनाए रखने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास और सफलता का समर्थन करने के लिए विनियामक अनुपालन को प्राथमिकता देना आवश्यक है।	सख्त अनुपालन कार्यक्रम सुनिश्चित करना, विनियामक आवश्यकताओं पर कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना, विनियामक परिवर्तनों की सक्रिय निगरानी करना और अनुपालन लेखापरीक्षा लागू करना।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/ दंड

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
13.	सतत वित्त	अवसर	ग्रीन बॉण्ड और ऋण जैसे सतत वित्त साधनों को बढ़ावा देकर, आरईसी सतत अवसंरचना विकास के लिए पूंजी जुटा सकता है और सकारात्मक प्रभाव वाली परियोजनाओं का सहयोग कर सकता है। आरईसी ग्रीन बॉण्ड रूपरेखा के तहत, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा स्वच्छ परिवहन से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है। आरईसी भविष्य में सतत वित्त साधनों के पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर भी विचार कर सकता है ताकि वित्तीय प्रतिलाभ के साथ-साथ सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने में मदद मिल सके।	-	सकारात्मक: राजस्व में वृद्धि
14.	जिम्मेदार ऋण देना	अवसर	ईएसजी मूल्यांकन निरंतर रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि हितधारक अधिक सतत और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रणालियों की मांग करते हैं। जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं में ईएसजी कारकों को एकीकृत करने से संभावित उधारकर्ताओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यह संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन जोखिमों की पहचान करने में भी मदद करता है। इससे कंपनियों या परियोजनाओं के वित्तपोषण के बारे में अधिक सुविज्ञ निर्णय लेने में मदद मिलती है। निवेश निर्णयों में ईएसजी विचारों को एकीकृत करने से न केवल जोखिम प्रबंधन में सुधार होता है, बल्कि जिम्मेदार निवेशक भी आकर्षित होते हैं, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है और दीर्घकालिक मूल्य सृजन में योगदान मिलता है।	-	सकारात्मक: चूक/ग्रस्त परिसंपत्तियों की संभावना में कमी
15.	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	जोखिम प्रबंधन में उन जोखिमों की पहचान, आकलन और शमन करना शामिल है जो केवल विशिष्ट परियोजनाओं या निवेशों के बजाय पूरे संगठन या उद्योग को प्रभावित करते हैं। जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके, आरईसी वित्तीय संधारणीयता, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक व्यवहार्यता की रक्षा कर सकता है।	सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने से अनिश्चितताओं का सामना करने में लचीलापन सुनिश्चित होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है और हितधारकों का विश्वास बना रहता है। यह वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने और उद्योग में कंपनियों की जटिलता और परस्पर जुड़ाव से संबंधित सख्त नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने की आरईसी की क्षमता को भी दर्शाता है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	कृपया रिपोर्ट का अनुलग्नक देखें								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3. क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4. आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत से मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों के नाम।	आईएसओ 27001: 2013								
5. संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हो, परिभाषित समयसीमा के साथ।	एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरईसी के प्रचालन और वित्तीय लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग (घपीई), भारत सरकार के एमओयू दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किए गए थे। समझौता ज्ञापन की रूपरेखा में 12 मापदंड हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम 100 अंक आवंटित किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में कई अनुपालनों को भी स्पष्ट किया गया है, जिनके गैर-अनुपालन के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। 90 से अधिक अंक प्राप्त करने पर उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त होती है। समझौता ज्ञापन दस्तावेज़ निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है https://recindia.nic.in/mou								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति संस्था का प्रदर्शन तथा इनके पूरा न होने की स्थिति में कारण।	आरईसी ने अपनी धारक कंपनी पीएफसी के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशा-निर्देशों में निर्धारित रूपरेखा के तहत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। एमओयू में कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों को रेखांकित किया गया है, जिन्हें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के आधार पर किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपने उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन के कारण, आरईसी को डीपीई द्वारा "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, कंपनी को फिर से उत्कृष्ट रेटिंग मिलने की उम्मीद है, जो एमओपी/डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अध्यधीन है।								

सुशासन, नेतृत्व और निगरानी

7. कारोबार दायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

आरईसी लिमिटेड में, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण में संधारणीयता के महत्व को समझते हैं। हमारी प्रतिबद्धता केवल स्वीकृति से परे है; यह हमारे लोकाचार का एक मूलभूत हिस्सा है और प्रचालन के हर स्तर पर हमारे कार्यों को संचालित करता है। जैसे-जैसे भारत तेजी से विकास कर रहा है, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हैं। संधारणीयता हमारे मुख्य व्यवसाय प्रचालन के हर पहलू में समावेशित है। हम पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ अधिकतम सकारात्मक सामाजिक प्रभाव डालते हुए अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए समर्पित हैं। हमने अपनी समग्र व्यावसायिक कार्यनीति में ईएसजी विचारों को यह स्वीकार करते हुए एकीकृत किया है कि दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए सतत प्रणालियाँ आवश्यक हैं। ईएसजी कारकों का अब निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है।

हमारी प्रमुख पहलों में से एक में विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना शामिल है। हमने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में 979केडब्ल्यूपी का रूफटॉप सोलर प्लांट और आरईसीआईपीएमटी में 40 केडब्ल्यूपी का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है, ताकि विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सके, जिससे हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने के हमारे प्रयासों को और अधिक स्पष्ट करती है। हमारी सीएसआर पहल के एक हिस्से के रूप में, हमने स्मार्टग्राम परियोजना के तहत सोलर रूफ-टॉप पावर पैनल और माइक्रो ग्रिड स्थापित किए हैं, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हुई है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

आरईसी लिमिटेड में, हम हरित क्रांति के मामले में सबसे आगे हैं, ऊर्जा दक्षता पहलों को आगे बढ़ाते हुए अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा उपक्रमों में निवेश का नेतृत्व कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, जबकि कंपनी की कुल संस्वीकृतियों में वार्षिक आधार पर 34% की वृद्धि हुई है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में संस्वीकृति में वार्षिक आधार पर 533% की भारी वृद्धि देखी गई है। आगे बढ़ते हुए आरईसी वित्त वर्ष 2030 तक अपनी ऋण-बही में स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी को मौजूदा लगभग 8% से बढ़ाकर 30% करने का प्रयास कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के वित्तपोषण के लिए हमारी प्रतिबद्धता पारंपरिक सीमाओं से परे है, जिसमें सौर, पवन और जलविद्युत प्रयास शामिल हैं जो ऊर्जा परिदृश्य को फिर से परिभाषित करते हैं। संधारणीयता की खोज में, हम जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को भी प्राथमिकता देते हैं। हमने अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग प्रणालियों को लागू किया है, जल की बर्बादी को कम किया है और कुशल जल प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया है।

संधारणीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमारे कर्मचारियों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। सुरक्षित, समावेशी और सहयोगी कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास सुदृढ़ मानव संसाधन नीतियाँ हैं। हम हितधारकों के साथ खुले संचार चैनल बनाए रखते हैं और अपने सभी व्यवहारों में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करते हैं। आरईसी लिमिटेड पर्यावरण और वित्तीय संसाधनों का पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने के माध्यम से, हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के भारत के लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी पहल ग्रामीण समुदायों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है, वायु प्रदूषण को कम करती है और सतत प्रणालियों को अपनाने के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करती है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, हमारे सीएसआर प्रयासों ने 7,88,295 लाभार्थियों तक पहुँच बनाई, जो सामाजिक प्रगति के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं, शैक्षिक अवसरचना विकास, खेल सुविधाओं के निर्माण, वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक, हमारी पहल समुदायों में परिवर्तन ला रही है और जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन को उत्प्रेरित कर रही है। खेलों के आधार को व्यापक बनाने और भारत में खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, आरईसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत से तीन वर्षों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) को ₹100 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस निरंतर योगदान में भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) भी शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत के बेहतरीन एथलीटों का समर्थन करना है। आरईसी उन उत्पादों को सोर्स करने के लिए समर्पित है जो सख्त संधारणीयता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें पुनर्चक्रण योग्य, पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा-कुशल और स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पादों का उपयोग शामिल है। हम उन विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी को प्राथमिकता देते हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को साझा करते हैं। हम कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने, अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा सुशासन ढांचा जिम्मेदार निर्णय लेने, जोखिम प्रबंधन और विनियामक अनुपालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे-जैसे हम अपनी संधारणीयता यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, हम सकारात्मक परिवर्तन लाने और सभी हितधारकों के लिए साझा मूल्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं। नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों में अग्रणी होने से लेकर सामाजिक समावेशन और नैतिक सुशासन को बढ़ावा देने तक, हम एक अधिक सतत और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं।		8.	व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक मण्डल
		9.	क्या संस्था में संधारणीयता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें।	हाँ। श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना) (डीआईएन: 02772733) +91-124-271 5517 directorprojects@recindia.com

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के अनुरूप निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	हां, बोर्ड की समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	हां, बोर्ड की समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर								
11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन करवाया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9	सभी नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समय-समय पर निदेशक मण्डल /वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, कंपनी ने हमारी ईएसजी प्रणालियों/नीतियों की समीक्षा के लिए क्रिसिल को ईएसजी सलाहकार नियुक्त किया है और तदनुसार मौजूदा नीतियों में क्रिसिल द्वारा सुझाए गए और हमारी आंतरिक टीम द्वारा इसकी समीक्षाकृत संशोधनों के साथ संशोधित ईएसजी नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। ऐसी सभी नीतियों को आरईसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।								

टिप्पणी: आवश्यक स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित हैं

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत नीतियों के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था, सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)									
संस्था, उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्त वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

खंड ग: सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन संबंधी प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके कार्य-निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण ऐसी प्रत्येक संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है जिसे यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है, नेतृत्व संकेतकों का प्रकटीकरण, ऐसी संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की आकांक्षा रखती हैं।

सिद्धांत 1 - व्यवसायों को सत्यनिष्ठा और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से अपना प्रचालन और सुशासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मण्डल	12	ईएसजी, बीआरएसआर और एनजीआरबीसी सिद्धांतों पर प्रशिक्षण सत्र, स्वतंत्र निदेशकों का परिचय कार्यक्रम ताकि निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन, उद्योग संरचना, प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति से अवगत कराया जा सके।	100%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	4	ईएसजी, बीआरएसआर और एनजीआरबीसी सिद्धांतों पर प्रशिक्षण सत्र	100%
निदेशक मण्डल और केएमपी को छोड़कर अन्य कर्मचारी	77	सिद्धांत 1,3,4,5,6,7,8,9 पर प्रशिक्षण सत्र	88%
कामगार	लागू नहीं		

2. वित्त वर्ष में विनियमकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में संदत्त जुर्माने/अर्थदंड/दंड/एवार्ड/शमन शुल्क/निपटान राशि का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण (टिप्पणी: संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाधताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर उल्लिखित महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थान का नाम	राशि (₹ में)	मामले का सार	क्या कोई अपील की गई है? (हां/ नहीं)
अर्थदंड/जुर्माना	सिद्धांत 1	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	₹43,07,000/- जीएसटी सहित	यह जुर्माना कंपनी के बोर्ड की संरचना से संबंधित अनुपालन से जुड़ा है। बीएसई और एनएसई ने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाहियों के लिए प्रत्येक पर ₹21,53,500 (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया।	हाँ
समझौता	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
शमन शुल्क	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थान का नाम	मामले का सार	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)	
कारावास	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	
दंड	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	

एनएसई और बीएसई ने कंपनी पर लगाए गए सभी दंड और बकाया राशि माफ कर दी थी।

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में, उन मामलों में प्रस्तुत अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है:

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थान का नाम
1 अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2024 की अवधि के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 तक बोर्ड की संरचना सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के लागू प्रावधान के अनुपालन में थी। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय ("एमओपी") के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास है और इस प्रकार कंपनी का अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। कंपनी अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध कर रही है और इस पर अनुवर्ती प्रयास कर रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से इस संबंध में कंपनी पर लगाए गए और बकाया सभी जुर्माने वापस लेने/माफ करने का अनुरोध किया है और एनएसई और बीएसई ने क्रमशः 3 मई, 2024 और 25 जून, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तक कंपनी पर लगाए गए और बकाया सभी जुर्माने माफ कर दिए हैं।	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) 2. बीएसई लिमिटेड (बीएसई)

4. क्या संस्था में भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें और नीति का वेब-लिंक, यदि उपलब्ध हो, प्रस्तुत करें:

आरईसी भ्रष्टाचार और रिश्वत विरोधी के संबंध में सीवीसी की प्रक्रियाओं और मानदंडों तथा भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित पीआईडीपीआई संकल्प (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प), जिसमें सीवीसी नामित एजेंसी है, का पालन करती है। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने एक सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति भी अपनाई है। इसके अलावा, कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली में सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को परिभाषित किया गया है और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कदाचार माना गया है। कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए भी एक नीति प्रचलित है, जो धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व निर्धारित करती है। इन नीति के दस्तावेजों का लिंक <https://recindia.nic.in/policies> है।

5. ऐसे निदेशकगण/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	0	0
कर्मचारी	0	0
कामगार	लागू नहीं	

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।

लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में संदेय लेखाओं के दिनों की संख्या [(संदेय लेखा *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत]:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
संदेय लेखाओं के दिनों की संख्या	9	5

9. कारोबार की पारदर्शिता:

कारोबारिक दुकानों, डीलरों और संबंधित पक्षकारों के साथ खरीद और बिक्री की सघनता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षकारों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	मेट्रिक्स	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खरीद की सघनता	क. कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में कारोबारिक दुकानों से खरीद	0	0
	ख. ऐसे कारोबारिक दुकानों की संख्या, जहां से खरीदारी की जाती है	0	0
	ग. कारोबारिक दुकानों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद	0	0
बिक्री की सघनता	क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलर/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. ऐसे डीलरों / वितरकों की संख्या, जिन्हें बिक्री की गई	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. डीलर/वितरक को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलर/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधी पक्षकारों से खरीद / कुल खरीद)	0	0
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षकारों को बिक्री / कुल बिक्री)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षकारों को दिया गया ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	0.0001%*	0
	घ. निवेश (संबंधित पक्षकारों को निवेश/कुल निवेश)	0	0

* वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संबंधित पक्षकारों को कुल ऋण और अग्रिम ₹30 लाख है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹22 लाख है।

नेतृत्व संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
1	बोली-पूर्व बैठकों के अतिरिक्त, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की क्षमता निर्माण तथा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।	24%*

* आरईसी ने संभावित विक्रेताओं सहित सभी एमएसई विक्रेताओं को आवधिक विक्रेता विकास कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, 24% विक्रेताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया जो आरईसी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

2. क्या संस्था में बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

हां, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आरईसी की व्यवसाय आचरण और नैतिकता संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ हितों के टकराव से निपटने की प्रक्रिया भी शामिल है। आचार संहिता के अनुसार, बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन:

- किसी ऐसे विषय पर निर्णय लेने में शामिल नहीं होगा जिसमें हितों का टकराव उत्पन्न होता हो या उत्पन्न होने की संभावना हो।
- बोर्ड के समक्ष ऐसे सभी भौतिक, वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देनों, यदि कोई हो, से संबंधित प्रकटीकरण करेंगे जहां उनका व्यक्तिगत हित हो, जिसका कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव हो सकता है।
- बोर्ड के समक्ष आने वाले किसी भी मामले पर चर्चा, मतदान या अन्यथा निर्णय को प्रभावित करने से दूर रहेंगे, जिसमें उनका कोई टकराव या संभावित हित टकराव हो सकता है।
- पूर्व अनुमति के बिना किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे (चाहे वह परामर्श सेवा प्रदान करना हो, व्यवसाय करना हो, रोजगार स्वीकार करना हो) जिससे कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों/जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप या टकराव होने की संभावना हो। कंपनी के किसी भी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक के साथ किसी भी अन्य तरीके से निवेश या संबद्धता नहीं करेंगे।

यह संहिता <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

सिद्धांत 2 - व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए जो सतत और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और कैपेक्स निवेश में क्रमशः उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	राशि	प्रतिशत	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	0	0	लागू नहीं
कैपेक्स	₹ 23.5 लाख	1%	प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल जनरेटर को द्वि-ईंधन जनरेटर (70% डीजल और 30% पीएनजी) में परिवर्तित किया गया।

2. क. क्या संस्था में सतत सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

हां, आरईसी में एक सतत खरीद नीति है जो हमारी मूल मान्यताओं के विस्तार के रूप में कार्य करती है। इस खरीद नीति के माध्यम से, हम आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय प्रणालियों में अनुकरणीय मानकों को बढ़ावा देते हैं, हमारी खरीद प्रक्रियाओं में निहित जोखिमों को पहचानते हैं और उन्हें कम करते हैं और अपने आपूर्तिकर्ताओं के बीच ईएसजी जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। हम कौशल वृद्धि और सतत प्रणालियों पर आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रयास करते हैं। हम अपने आपूर्तिकर्ताओं से सतत खरीद नीतियों का अनुपालन करने की अपेक्षा करते हैं। इसके अलावा, हम अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे आपूर्तिकर्ता आचार संहिता का पालन करें और अनुरोध किए जाने पर आरईसी को ईएसजी डाटा प्रस्तुत करें। वरिष्ठ प्रबंधन सक्रिय रूप से इसमें शामिल रहता है और इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

यह नीति <https://recindia.nic.in> पर उपलब्ध है।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट सतत रूप में प्राप्त किए गए?

आरईसी के 90.21% इनपुट्स जिनकी राशि ₹152.96 करोड़ है, उन्हें सतत रूप से प्राप्त किया गया था और संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से ईएसजी घोषणा ली गई। हमारी अनुषंगी कंपनी (आरईसीपीडीसीएल) के मामले में, खरीद में मुख्य रूप से एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में अपने ग्राहकों की ओर से जारी किए गए बहुत उच्च मूल्य की निविदाएं शामिल हैं। ये निविदाएं मूल्य खोज की प्रकृति की हैं और आरईसीपीडीसीएल इन परिसंपत्तियों का स्वामित्व या भुगतान नहीं करता है। उपरोक्त खरीद को अलग करने पर, आरईसीपीडीसीएल की अपनी खरीद वित्त वर्ष 2023-24 में ₹47.71 करोड़ है और यह बड़े पैमाने पर कंसल्टेंसी सेवाओं (₹45.6 करोड़) की हायरिंग से है। आरईसी की तुलना में नगण्य खरीद आंकड़े को देखते हुए, आरईसीपीडीसीएल अब तक आपूर्तिकर्ताओं के ईएसजी प्रदर्शन पर नजर नहीं रख रहा है। हालांकि यह पुष्टि की गई है कि आरईसीपीडीसीएल ने खरीद के इस पहलु को कैप्चर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब इसकी रिपोर्ट की जाएगी। जोएचजी उत्सर्जन और अन्य रिपोर्टिंग के लिए, हमने आरईसीपीडीसीएल की अन्य पक्ष की खरीद को अलग कर दिया है।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के संबंध में अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उपयोगी काल के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनःप्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

अपशिष्ट का प्रकार	तंत्र
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	व्यवसाय और प्रचालन की प्रकृति को देखते हुए, हमारी संस्था में कोई भी भौतिक प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट नहीं होता है। इसके अलावा, प्रचालन से कोई भी खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है।
ई-अपशिष्ट	ई-अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए, हम सतत अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ साझेदारी करते हैं।
खतरनाक अपशिष्ट	इसके अलावा, हमने पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक से बने उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तंत्र शुरू किए हैं और सिरेमिक ग्लास, स्टील की बोतलें, जूट बैग, कपड़े के बैग आदि जैसे विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करके प्लास्टिक के उपयोग को बहुत कम कर दिया है।
अन्य अपशिष्ट	

4. क्या संस्था की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।

नहीं, चूंकि आरईसी एक एनबीएफसी है, इसलिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आरईसी पर लागू नहीं होता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए उपयोगी-काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें:

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	अंशदत्त कुल टर्नओवर का %	वह सीमा जिसके लिए उपयोगी काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम, (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रस्तुत करें।

आरईसी के लिए उपयोगी-काल मूल्यांकन लागू नहीं है। एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते, आरईसी द्वारा पेश किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में विद्युत और अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को रुपया अवधि ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देता है। ऋण उत्पाद, बाजार के मानदंडों, उधारकर्ता आवश्यकताओं और आरबीआई और/या किसी अन्य नियामकों के लागू वैधानिक और नियामक प्रावधानों के अनुरूप विकसित किए जाते हैं। कंपनी द्वारा पेश किए गए ऋण उत्पादों का विवरण वेबसाइट <https://recindia.nic.in/financial-products> पर उपलब्ध है। आरईसी ने आधिकारिक विकास सहायता - केएफडब्ल्यू-III के तहत पर्यावरण सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लागू है। यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सामाजिक मुद्दों के समाधान करने के लिए आरईसी के लिए रोडमैप के रूप में कार्य करती है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकार और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि उपयोगी-काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पाया गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें:

उत्पाद का नाम/सेवा	जोखिम का विवरण/समस्या	कृत कार्रवाई
कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय समस्या/जोखिम की परिकल्पना नहीं की गई है। आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। हालांकि, अपने द्वारा वित्तपोषित सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आरईसी परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करता है। यदि कोई पर्यावरणीय समस्या है, तो उसकी पहचान उचित तत्परता, साइट के दौरे और लागू अनुपालन आदि की समीक्षा के माध्यम से की जाती है। आरईसी सरकार के निर्देशों के अनुरूप थर्मल पावर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना का वित्तपोषण भी कर रहा है। इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) की स्थापना शामिल है, जो हानिकारक उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर को रोकने में योगदान करते हैं।		

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
लागू नहीं। चूंकि प्रचालन की प्रकृति ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है, इसलिए कोई प्रमुख इनपुट सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके अलावा, कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।		

4. उत्पादों और पैकेजिंग के उपयोगी-काल के अंत में पुनःप्राप्त, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में):

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	पुनः उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित निपटान	पुनः उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं, आरईसी किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है; इसलिए, कोई उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री पुनःप्राप्त नहीं की जाती है।					
ई-अपशिष्ट						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

टिप्पणी: यह परिवर्तन हमारी डाटा सत्यापन प्रक्रियाओं में हाल ही में किए गए सुधारों का परिणाम है, जो अधिकतम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनःप्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी	संबंधित श्रेणी में बचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में पुनःप्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं, आरईसी किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है; इसलिए, कोई उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री पुनः प्राप्त नहीं है।	

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	कुल (क)	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएँ	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	434	434	100	434	100	लागू नहीं	लागू नहीं	434	100	434	100
महिला	78	78	100	78	100	78	100	लागू नहीं	लागू नहीं	78	100
कुल	512	512	100	512	100	78	100	434	100	512	100
स्थायी कर्मचारियों को छोड़कर											
पुरुष	399	364	91	361	90	लागू नहीं	लागू नहीं	82	21	1	शून्य
महिला	69	66	96	64	93	69	100	लागू नहीं	लागू नहीं	0	शून्य
कुल	468	430	92	425	91	69	100	82	21	1	शून्य

उपायों की प्रयोज्यता की समीक्षा की गई और उपरोक्त सभी लाभ हमारे सभी स्थायी कर्मचारियों को कवर करते हैं, जिनमें अन्यथा पात्र कर्मचारी भी शामिल हैं। तदनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्टिंग अद्यतन की गई है।

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कामगारों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएँ	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ / क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कामगार											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											
स्थायी कामगारों को छोड़कर											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय का ब्यौरा:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.023%	0.024%

2. सेवानिवृत्ति हितलाभों का विवरण:

हितलाभ	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हां/नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	100	लागू नहीं	हां	100	लागू नहीं	हां
उपदान	100	लागू नहीं	हां	100	लागू नहीं	हां
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य-एनपीएस/पीआरएमएस आदि	100	लागू नहीं	हां	100	लागू नहीं	हां

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े स्थायी कर्मचारियों से संबंधित हैं।

3. कार्यस्थलों पर पहुंच:

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ है? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं:

हां, परिसर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुलभ है, जिसमें लिफ्ट और रैंप, व्हीलचेयर सुलभ शौचालय और विभिन्न बिंदुओं पर ब्रेल में दिशा संकेत की व्यवस्था है। इसके अलावा, आरईसी की कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3ग) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंच सकेंगे। वेबसाइट पर दी गई जानकारी जेएडब्ल्यूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे विभिन्न स्क्रीन रीडर्स के साथ उपलब्ध है। इसके बारे में अधिक जानकारी <https://recindia.nic.in/screen-reader-access> पर देखी जा सकती है।

4. क्या संस्था में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रस्तुत करें:
हां, कंपनी में समान अवसर नीति विद्यमान है। यह नीति <https://recindia.nic.in> पर उपलब्ध है।
5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर:

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें:

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी कामगार	लागू नहीं
स्थायी कामगारों को छोड़कर	
स्थायी कर्मचारी	हां, आरईसी में कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र है। कर्मचारी, रिपोर्टिंग मैनेजर के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। रिपोर्टिंग मैनेजर 7 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा। यदि कर्मचारी निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह 15 दिनों के भीतर संबंधित विभागाध्यक्ष को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। विभागाध्यक्ष 7 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि कर्मचारी अभी भी निर्णय से संतुष्ट नहीं है या निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वह शिकायत निवारण समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। समिति का निर्णय कर्मचारी को 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। असाधारण मामलों में, व्यथित कर्मचारी, जो समिति के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है, उसके पास शिकायत समिति से निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सीएमडी को अपील करने का विकल्प होगा। सीएमडी 30 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे और उसे सूचित करेंगे। सभी प्राप्त शिकायतों पर नियमित अंतराल पर नज़र रखी जाती है और उनकी निगरानी की जाती है। भविष्य के रिकॉर्ड के लिए निर्णय संबंधी नोट भी बनाए रखे जाते हैं।
स्थायी कर्मचारियों को छोड़कर	

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

हां, आरईसी ने अपने गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कर्मचारियों के एक संघ और अपने अधिकारियों के एक संघ को मान्यता दी है। सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी						
पुरुष	434	434	100	353	353	100
महिला	78	78	100	64	64	100
कुल	512	512	100	417	417	100
कुल स्थायी कामगार						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2022-23*				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ड)	% (ड/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	833	799	96	725	87	353	340	96	340	96
महिला	147	142	97	132	90	64	60	94	60	94
कुल	980	941	96	857	87	417	400	96	400	96
कामगार										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

* अभिलेखीकरण और डाटा एकत्रीकरण/सत्यापन पद्धति की समीक्षा की गई और तदनुसार, जहां भी आवश्यक हो, अधिकतम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए जानकारी को अद्यतन किया गया है।

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्य-निष्पादन और करियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
पुरुष [^]	434	434	100%	353	353	100%
महिला [^]	78	78	100%	64	64	100%
कुल	512	512	100%	417	417	100%
कामगार						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

[^] स्थायी कर्मचारी

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज:

आरईसी दुर्घटनाओं, चोटों और स्वास्थ्य जोखिमों के जोखिम को कम करके एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कार्यस्थल पर सुरक्षा के संबंध में लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है। आरईसी के व्यावसायिक प्रचालन की प्रकृति में कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम नहीं है। अग्निशामक यंत्र, अग्नि निकास, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि की नियमित आधार पर निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। कर्मचारियों को समय-समय पर आंतरिक संचार और अलर्ट भेजे जाते हैं और प्राथमिक चिकित्सा, आग लगने की स्थिति में बचाव संबंधी, निकासी अभ्यास सहित सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर जागरूकता सत्र, प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित किए जाते हैं। विद्युत और आग लगने की स्थिति में बचाव संबंधी मापदंडों के संबंध में समय-समय पर जाँच की जाती है और उजागर किए गए मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाता है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों को लागू किया है, जिसमें वार्षिक स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ नियमित संवाद का आयोजन शामिल है। आरईसी ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए एक व्यापक चिकित्सा नीति भी स्थापित की है। इस नीति में चिकित्सा व्यय के लिए कवरेज के साथ-साथ चिकित्सा अवकाश के प्रावधान भी शामिल हैं।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा संबंधी घटना/संख्या	श्रेणी*	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
प्रति दस लाख व्यक्ति कार्य घंटे पर लोस्ट टाइम इंजरी आवर्ती दर (एलटीआईआर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी अभिघात या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

*संविदा कर्मचारियों सहित

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें:

आरईसी अपने सभी कर्मचारियों और संविदाकारों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करता है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय अपनाए हैं कि समय-समय पर विद्युत और आग लगने की स्थिति में बचाव संबंधी मापदंडों की जाँच की जाए और समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सकों की अंशकालिक सेवाएँ ली जाती हैं। हम विशेषज्ञ वक्ताओं के साथ सत्र आयोजित करते हैं और कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मनोरंजन और स्वस्थ जीवन शैली की सुविधा के लिए, परिसर में कर्मचारियों के लिए एक व्यायामशाला (जिम) उपलब्ध है। कर्मचारियों के लिए कंपनी द्वारा नियमित रूप से विभिन्न योग कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	कोई शिकायत नहीं	शून्य	शून्य	कोई शिकायत नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	कोई शिकायत नहीं	शून्य	शून्य	कोई शिकायत नहीं

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके ऐसे संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या अन्य पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणालियां	आरईसी कार्यस्थल के परिवेश को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ रखने का प्रयास करता है, कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखता है। सभी कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से समय-समय पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय के विभिन्न पहलुओं तथा संबंधित कार्य परिस्थितियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है।
काम करने की स्थिति	

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रणालियों और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को संबोधित करने के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं। आरईसी अपने परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणालियों और कार्य स्थितियों के आंतरिक मूल्यांकन से कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता उत्पन्न नहीं हुई है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं); (ख) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

(क) कर्मचारी-हां, कंपनी कर्मचारी और/या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में कर्मचारी द्वारा घोषित पुनर्वास पैकेज प्रदान करती है।

(ख) कामगार - लागू नहीं।

2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का विवरण प्रस्तुत करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है:

एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों की शर्तों और नियमों में उनके वैधानिक बकाये का समय पर जमा करना, वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अन्य समान दायित्वों को पूरा करना आदि जैसी आवश्यक शर्तें शामिल करती है। उधारकर्ताओं को विभिन्न चरणों में कंपनी को इसके अनुपालन की सूचना भी प्रस्तुत करनी होती है।

3. ऐसे कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी अभिघात/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वास प्रदान किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कामगार	लागू नहीं			

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर के प्रबंधन के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)

हाँ। आरईसी एक सीपीएसई है, जो सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के मामलों में डीपीई के रोजगार मानदंडों का पालन करता है। आरईसी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय भी प्रदान करता है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन के संबंध में विवरण:

	ऐसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणालियां	शून्य
काम करने की स्थिति	शून्य

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणालियों और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं।

सिद्धांत 4 - व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:

आरईसी के पास हितधारक सहभागिता नीति है, जो हितधारकों की पहचान, सहभागिता और प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। इस नीति के संदर्भ में, आरईसी की गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों या समूहों के साथ ही आरईसी के व्यावसायिक प्रचालन में निहित स्वार्थ रखने वाले या ऐसे प्रचालन के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को हितधारक माना जाता है। आरईसी के कर्मचारियों, व्यावसायिक सहयोगियों (आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों और सेवा प्रदाताओं), शेयरधारकों/निवेशकों, बैंकिंग संस्थानों, नियामक निकायों, ग्राहकों और निकटवर्ती समुदायों को प्रमुख हितधारकों के रूप में मान्यता देता है। आरईसी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी और स्टाफ शामिल हैं; और बाहरी हितधारकों में व्यावसायिक सहयोगी (आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, भागीदार), शेयरधारक/निवेशक, बॉण्डधारक, लेनदार, उधारकर्ता, बैंकिंग संस्थान, सरकारी निकाय और राज्य सरकार(सरकारें), भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज आदि सहित नियामक प्राधिकरण, ग्राहक और निकटवर्ती समुदाय शामिल हैं। हमारे हितधारकों की पहचान करने की प्रक्रिया एक सतत उपक्रम बनी हुई है, जो हमें उनकी आवश्यकताओं में होने वाले विकास के बारे में अद्यतन बने रहने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। हम अपने हितधारकों की आवश्यकताओं और चिंताओं को समझकर उनकी अपेक्षाओं को सक्रिय रूप से हल करते हैं, संभावित जोखिमों को कम करते हैं और ऐसे स्थायी संबंध बनाते हैं जो हमारी समृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

2. आपकी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति:

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं अधिकारहीन समूह के रूप में अभिचिह्नित है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारक	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन/समाचार पत्र/स्टॉक एक्सचेंज तंत्र आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार	त्रैमासिक	समय-समय पर वित्तीय परिणामों की सूचना, वित्तीय विवरण को अपनाना तथा साधारण एवं विशेष व्यवसाय का प्रचालन करना। समय-समय पर शेयरधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समाधान करना।
बॉण्डधारक	नहीं	ईमेल/वेबसाइट/स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से सूचना का प्रसार	आवश्यकता आधारित	आवंटन, ब्याज सेवा, विमोचन भुगतान, बॉण्ड प्रमाणपत्र/डीमैट क्रेडिट। समय-समय पर बॉण्डधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समाधान करना।
कर्मचारी	नहीं	ईमेल/सूचना बोर्ड/वेबसाइट	आवश्यकता आधारित	कर्मचारियों को संगठन के भीतर प्रमुख विकासों की जानकारी देना, प्रचालन और वित्तीय, दोनों मोर्चों पर कंपनी की प्रगति को साझा करना, ईएसजी पहलुओं, एनजीआरबीसी सिद्धांतों, कर्मचारी कल्याण और विकास, मानवाधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि पर चर्चा करना।
समुदाय	नहीं	सर्वेक्षण/प्रभाव आकलन/ सीएसआर गतिविधियां/ व्यक्तिगत संविदा/परियोजना आधारित चर्चाएं	आवश्यकता आधारित	सामुदायिक विकास और कल्याण, सीएसआर परियोजनाएं
विक्रेता	नहीं	ईमेल/एसएमएस/बैठकें/पत्र/टेलीफोन	आवश्यकता आधारित	निविदा/जीईएम पोर्टल प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद, उनकी शिकायतों का निवारण। समय-समय पर विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहक	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन	आवश्यकता आधारित	ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

जबकि यहाँ सूचीबद्ध अधिकांश हितधारक समूहों को कमजोर या अधिकारहीन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इन समूहों के भीतर ऐसे खंड हैं जिन्हें कमजोर या अधिकारहीन के रूप में माना जाता है। इसमें आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, निम्न आय श्रेणी, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, एमएसएमई उद्यमों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों और महिला उद्यमियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल हैं। आरईसी समाज के इन अधिकारहीन वर्गों को प्रशिक्षण और समान अवसर प्रदान करके उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।

आरईसी, आवश्यक विनियमों की सीमाओं के भीतर, स्पष्ट और खुला संचार सुनिश्चित करता है और आवश्यक हितधारकों को प्रभावित करने वाले अपने निर्णयों के बारे में संगत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। यह गोपनीय प्रतिस्पर्धी कार्यनीतियों और सूचनाओं की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ संतुलित है।

आरईसी के पास अपने व्यवसाय से संबंधित आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों को हल करने के लिए पहले से ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियां हैं। इन नीतियों को संबंधित हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर विकसित किया गया है। इसके अलावा, आरईसी द्वारा की गई सभी ईएसजी पहलों और गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करने के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने आरईसी की पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) नीति अनुमोदित की है।

हितधारकों के साथ सहभागिता आरईसी की व्यावसायिक गतिविधियों में एकीकृत एक सतत प्रक्रिया है। आम तौर पर, व्यावसायिक इकाइयों इस सहभागिता का नेतृत्व करती हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। निदेशक मण्डल को नियमित रूप से इन सहभागिताओं के परिणामों के बारे में जानकारी दी जाती है और संबंधित मामलों पर मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है।

2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रस्तुत करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।

हां, आरईसी ने समाज के प्रति योगदान देने के लिए अपनी पर्यावरण सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) नीति को मंजूरी दे दी है। ईएसजी नीति में सभी हितधारकों से प्राप्त इनपुट शामिल हैं। कंपनी की ईएसजी नीति रूपरेखा में, अन्य बातों के साथ-साथ, इसके प्रचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी विचार शामिल हैं। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा के वित्तपोषण को सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएचएसएस) पहलुओं से संबंधित उपयुक्त शर्तों को ऋण करार/स्वीकृति में शामिल किया जा रहा है।

3. कमजोर/अधिकारहीन हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ सहभागिता के उदाहरणों का विवरण प्रस्तुत करें।

आरईसी भारत सरकार (जीओआई) के जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस), संबंध, समाधान और टीआरडीएस (टेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टलों पर पंजीकृत है और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित आरईसी के सभी कार्यालय प्रभावी रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं और कंपनी एमएसई और महिला उद्यमियों से खरीद को बढ़ावा देती है और पंजीकृत एमएसई को अपनी खरीद प्रक्रियाओं में कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान भारत सरकार के समाधान पोर्टल पर किसी भी एमएसई विक्रेता द्वारा भुगतान में देरी या किसी अन्य शिकायत के बारे में आरईसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। कंपनी उन इक्विटी शेयरधारकों और बॉण्डधारकों तक पहुंचने के लिए नियमित आधार पर प्रयास करती है, जिनके अदावाकृत / अदत्त लाभांश राशि / शेयर या अदावाकृत मोचन राशि कंपनी के पास पड़ी है, ताकि ऐसे निवेशक अपना सही हक पाने से न चूकें। इसके अलावा, हमारी सीएसआर पहल अधिकारहीन, गरीब, जरूरतमंद, अल्पसुविधाप्राप्त, वंचित और दिव्यांगजनों के उत्थान पर भी केंद्रित है।

सिद्धांत 5 - व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारी और कामगार का विवरण, जिन्हें संस्था के मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24				वित्त वर्ष 2022-23#			
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (घ)	% (घ / ग)		
कर्मचारी								
स्थायी	512	467	91.21	417	375	89.92		
स्थायी को छोड़कर	468	414	88.46	2	2	100		
कुल	980	881	89.90	419	377	89.97		
कामगार								
स्थायी								
स्थायी को छोड़कर								
कुल								

#अभिलेखीकरण और डाटा एकत्रीकरण/सत्यापन पद्धति की समीक्षा की गई और तदनुसार, जहां भी आवश्यक हो, अधिकतम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए जानकारी को अद्यतन किया गया है।

2. कर्मचारियों और कामगारों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2022-23				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	%(ख/क)	संख्या (ग)	%(ग/क)		संख्या (ड)	%(ड/घ)	संख्या (च)	%(च/घ)
कर्मचारी*										
स्थायी										
पुरुष	434	शून्य	शून्य	434	100	353	शून्य	शून्य	353	100
महिला	78	शून्य	शून्य	78	100	64	शून्य	शून्य	64	100
स्थायी को छोड़कर										
पुरुष	399	19	4.76	380	95.24	2	शून्य	शून्य	2	100
महिला	69	2	2.90	67	97.10	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कामगार										
स्थायी										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
स्थायी को छोड़कर										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										

*सभी स्थायी कर्मचारियों को डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक है।

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

क. मध्य पारिश्रमिक/मजदूरी:

राशि ₹ में

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मण्डल (बीओडी)	2*	66,04,915.00	शून्य*	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	3	91,94,056.36	शून्य	शून्य
निदेशक मण्डल और केएमपी को छोड़कर अन्य कर्मचारी	433^	27,26,527.80	78^	28,60,655.00
कामगार	लागू नहीं			

* पारिश्रमिक के संबंध में प्रस्तुत विवरण में केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक शामिल है।

^ स्थायी कर्मचारी

ख. संस्था द्वारा संदत्त कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को संदत्त सकल वेतन:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
संस्था द्वारा संदत्त कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को संदत्त सकल वेतन	14.18%	15.20%

4. क्या आपकी संस्था में कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या इसमें हस्तक्षेप करने वाले मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार है?

हाँ।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

आरईसी की एक मानवाधिकार नीति है जो कंपनी से जुड़े सभी हितधारकों पर लागू होती है, जिसमें सभी कर्मचारी (स्थायी या संविदात्मक), संविदाकार/आपूर्तिकर्ता, भागीदार और सलाहकार शामिल हैं। हम सभी हितधारकों से अपेक्षा करते हैं कि वे आरईसी के साथ अपने व्यवहार में मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन करें। आरईसी अपने प्रचालन और मूल्य श्रृंखला के भीतर सभी प्रकार की मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। आरईसी समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक प्रदान करने और भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, क्षतिपूर्ति और बर्खास्तगी सहित रोजगार के सभी पहलुओं में गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लिंग, आयु, धर्म, दिव्यांगता, यौन अभिविन्यास या किसी अन्य संरक्षित विशेषता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।

मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, आरईसी ने सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सुदृढ़, कुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और मुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। इस तंत्र को ऐसी चिंताओं को ट्रैक करने, निगरानी करने और तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे व्यथित पक्षकारों को प्रभावी समाधान मिल सके। कोई भी व्यक्ति जो मानवाधिकार संबंधी शिकायतों की रिपोर्ट करना चाहता है, वह आरईसी हितधारक शिकायत निवारण नीति के अनुसार संबंधित हितधारक शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

शिकायत निवारण तंत्र एक संरचित और न्यायसंगत प्रक्रिया स्थापित करता है जिसके माध्यम से आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारक अपनी शिकायतों, चिंताओं और परिवादों को उठा सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नीति और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, आरईसी अपने स्वयं के प्रचालन के साथ-साथ मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए मानवाधिकार सिद्धांतों के पालन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए नियमित संपरीक्षा और मूल्यांकन कर सकता है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	टिप्पणियां
लैंगिक उत्पीड़न	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
वेतन	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	शून्य	शून्य
महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पॉश के संबंध में शिकायतें	शून्य	शून्य
पॉश के संबंध में ऐसी शिकायतें, जिनका हल नहीं हुआ है	शून्य	शून्य

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र:

आरईसी का मानना है कि एक स्थायी संगठन नैतिकता और मानवाधिकारों के सम्मान की नींव पर टिका होता है। कंपनी कार्यस्थल में विविधता और समान अवसर सुनिश्चित करती है और इस बात पर कायम रहती है कि करियर में उन्नति प्रतिभा और प्रदर्शन पर आधारित हो। आंतरिक और बाहरी सभी हितधारकों को उनके दर्जे, जाति, पंथ, लिंग और धर्म के बावजूद उचित सम्मान और गरिमा प्रदान की जाती है।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मामलों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के दिशानिर्देशों के अनुरूप अत्यंत संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ निपटाया जाता है।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या अन्य पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100%
लैंगिक उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
वेतन	100%
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण:

लागू नहीं। रिपोर्टिंग वर्ष में कोई परिवाद/शिकायत नहीं उठाई गई।

2. किसी भी मानवाधिकार संबंधी जांच के दायरे और कवरेज का विवरण:

यद्यपि, आरईसी में मानवाधिकार नीति विद्यमान है और विक्रेताओं की घोषणाओं में मानवाधिकार आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ष में मानवाधिकारों के संबंध में कोई सम्यक तत्परता नहीं की गई है।

3. क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हां, कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है, जिसमें लिफ्ट और रैंप, व्हीलचेयर सुलभ शौचालय और विभिन्न बिंदुओं पर ब्रेल में दिशा संकेत हैं। इसके अलावा, आरईसी लिमिटेड की कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंच सकेंगे। वेबसाइट पर दी गई जानकारी जेएडब्ल्यूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे विभिन्न स्क्रीन रीडर्स के साथ सुलभ है। इसके बारे में अधिक जानकारी <https://recindia.nic.in/screen-reader-access> पर उपलब्ध है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	ऐसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
लैंगिक उत्पीड़न	आरईसी निविदा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अनिवार्य ईएसजी घोषणाएँ ले रहा है। हालाँकि, मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	
वेतन	

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं।

सिद्धांत 6 व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (गीगाजूल: जीजे) और ऊर्जा गहनता का विवरण:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क) (जीजे)	4,965	4,854
कुल ईंधन खपत (ख) (जीजे)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (ग) (जीजे)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग) (जीजे)	4,965	4,854
गैर नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ) (जीजे)	7,930	6,640
कुल ईंधन खपत (ङ) (जीजे)	2,119	1,474
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (च) (जीजे)	शून्य	शून्य
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (घ+ङ+च) (जीजे)	10,049	8,114
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ङ+च)	15,014	12,968
प्रति करोड़ टर्नओवर ऊर्जा गहनता (कुल ऊर्जा खपत-गीगाजूल में / प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	0.32	0.33
क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर ऊर्जा गहनता (कुल ऊर्जा खपत-गीगाजूल/ पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	7.08	7.52
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा गहनता	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊर्जा गहनता (वैकल्पिक) - आवश्यक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हां, आरईसी ने मैसर्स कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएँ हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की गई है:

लागू नहीं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	शून्य	शून्य
(ii) भूजल	शून्य	शून्य
(iii) अन्य पक्ष जल	38,121.17*	33,634.32
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	शून्य	शून्य
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	38,121.17	33,634.32
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	38,121.17 **	33,634.32
प्रति करोड़ टर्नओवर जल गहनता (कुल जल खपत-किलोलीटर में / प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	0.80	0.85
क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर जल गहनता (कुल जल खपत-किलोग्राम में / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व- करोड़ में)	17.98	19.49
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल गहनता	लागू नहीं	लागू नहीं
जल गहनता (वैकल्पिक) - आवश्यक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। - हाँ, आरईसी ने मैसर्स कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

*कृपया उल्लेखनीय है कि आरईसी एक एनबीएफसी है और विनिर्माण संस्था नहीं है। परिणामतः, हमारी जल खपत न्यूनतम है और रिपोर्ट किए गए डाटा जल के लिए बिलों के अनुसार हैं।

**कृपया उल्लेखनीय है कि आरईसी एक एनबीएफसी है और इसलिए जल निकासी को खपत किए गए जल के बराबर माना जाता है क्योंकि निस्सरित जल नगण्य होता है।

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
गंतव्य और शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	आरईसी एक एनबीएफसी है, जल का निस्सरण बहुत न्यूनतम है, हालांकि आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय को शून्य जल निस्सरण के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वर्षा जल और अन्य पक्ष (हुडा) से एकत्रित जल का पूरी तरह से उपयोग भवन में किया जा रहा है, जिसमें एसटीपी के माध्यम से अपशिष्ट जल (सीवेज वाटर) का पुनर्चक्रण और फिर बागवानी और प्लशिंग में इसका उपयोग शामिल है।	
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(ii) भूजल		
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(iii) समुद्री जल		
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(vi) अन्य पक्ष को प्रेषित		
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(v) अन्य		
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)		

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। - हां, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

5. क्या संस्था ने शून्य तरल निस्सरण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रस्तुत करें:

आरईसी एक वित्तीय सेवा कंपनी है, इसलिए शून्य तरल निर्वहन तंत्र का कार्यान्वयन एक बाधता नहीं है। हालांकि, गुरुग्राम में स्थित आरईसी का कॉर्पोरेट कार्यालय भवन एक शून्य तरल निर्वहन भवन

है, जिसे सोलर क्लीनिंग, एचवीएसी / चिलर, शौचालय और फर्श धोने, जल निकायो आदि के लिए उपयोग हेतु रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) के बाद निकलने वाले अपशिष्ट जल और वर्षा जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, भवन को बागवानी और प्लशिंग उद्देश्यों के लिए एसटीपी के माध्यम से शोधित जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

6. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
नाइट्रोजन ऑक्साइड	टन	0.004833261	
सल्फर ऑक्साइड	टन	0.000670596	
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	टन	0.000856466	
कार्बन मोनोऑक्साइड	टन	0.000766082	

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। - हां, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी गहनता का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23*		
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO ₂ , मीथेन- CH ₄ , नाइट्रस ऑक्साइड-N ₂ O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहेक्साफ्लूरोइड-SF ₆ , नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF ₃ में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	CO ₂ समतुल्य मीट्रिक टन	555.37	281.92		
		tCO ₂	140.03	tCO ₂	98.64
		CH ₄ - tCO ₂ e	0.68	CH ₄ - tCO ₂ e	0.56
		N ₂ O - tCO ₂ e	0.46	N ₂ O - tCO ₂ e	0.42
		HFCs - tCO ₂ e	414.20	HFCs - tCO ₂ e	182.30
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO ₂ , मीथेन- CH ₄ , नाइट्रस ऑक्साइड-N ₂ O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहेक्साफ्लूरोइड-SF ₆ , नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF ₃ में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	CO ₂ समतुल्य मीट्रिक टन	1577.17	1320.59		
		tCO ₂	1577.17	tCO ₂	1320.59
		CH ₄ - tCO ₂ e	0	CH ₄ - tCO ₂ e	0
		N ₂ O - tCO ₂ e	0	N ₂ O - tCO ₂ e	0
		HFCs - tCO ₂ e	0	HFCs - tCO ₂ e	0
प्रति करोड़ टर्नओवर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन-मीट्रिक टन में/ प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	CO ₂ समतुल्य मीट्रिक टन/ भारतीय रुपया	0.045	0.041		
	CO ₂ समतुल्य मीट्रिक टन/ अमरीकी डॉलर	1.005	0.929		
क्रय शक्ति समानता(पीपीपी)के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर उत्सर्जन गहनता कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व करोड़ में)					
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता		लागू नहीं	लागू नहीं		
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता (वैकल्पिक) - आवश्यक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।		लागू नहीं	लागू नहीं		

* अभिलेखीकरण और डाटा एकत्रीकरण/सत्यापन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई तथा उसे और अधिक परिष्कृत किया गया और तदनुसार, जहां भी आवश्यक हो, अधिकतम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए जानकारी को अद्यतन किया गया है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम - हां, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें:

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप आरईसी नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण को बढ़ावा दे रही है। आरईसी ने सौर, पवन, बायोमास परियोजनाओं और ई-मोबिलिटी सहित देश भर में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के लिए विभिन्न नीतियां शुरू की हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल संस्वीकृतियां 82 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹1,36,516.17 करोड़ थीं, जिनकी कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 17,464.8 मेगावाट थी। इसके अलावा, नवीकरणीय परियोजनाओं में कंपनी की संस्वीकृति में वर्ष-दर-वर्ष 533% की आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है, जबकि समग्र संस्वीकृति में वर्ष-दर-वर्ष 34% की वृद्धि हुई है। इस गतिशील क्षेत्र की लगातार विकसित होती आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी की नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी के वित्तपोषण मानदंडों को कॉर्पोरेट वेबसाइट <https://recindia.nic.in/loan-policy-circular> से देखा जा सकता है। आरईसी वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार खंड में सूचीबद्ध ग्रीन बॉण्ड, जिसकी अवधि 10 वर्ष है, के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटाने वाला पहला भारतीय सार्वजनिक उपक्रम भी है, जिसकी आय का उपयोग जलवायु बॉण्ड मानकों के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल जनरेटर को द्वि-ईंधन जनरेटर (70% डीजल और 30% पीएनजी) में परिवर्तित किया गया।

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0.55	शून्य
ई-अपशिष्ट (ख)	0.53*	0.16*
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	शून्य	शून्य
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)	शून्य	शून्य
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	शून्य	शून्य
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (छ)	शून्य	शून्य
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (ज)	35.45*	शून्य
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	36.53*	0.16*
मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
प्रति करोड़ टर्नओवर अपशिष्ट गहनता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट मीट्रिक टन में / राजस्व से प्रचालन करोड़ में)	0.00077	0.000
क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर अपशिष्ट गहनता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट-मीट्रिक टन में / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	0.01723	0.00009
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट गहनता	लागू नहीं	लागू नहीं
अपशिष्ट गहनता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा आवश्यक माप-इकाई का चयन किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी: ई-अपशिष्ट	-	-
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	-	-
कुल	0.53*	0.16*
अपशिष्ट की श्रेणी - अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न		
(i) पुनर्चक्रित	16.2*	-
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य – कम्पोस्टिंग	19.8*	-
कुल	36.00*	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) कूड़ा जलाना	शून्य	शून्य
(ii) लैंडफिलिंग	सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने अपने सभी कार्यालयों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अन्य पक्ष अपशिष्ट प्रबंधन वेंडर को काम पर रखा है।	
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल		

*टिप्पणी: एनबीएफसी के रूप में आरईसी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट केवल कार्यालय अपशिष्ट है और बहुत न्यूनतम है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हां, आरईसी ने मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रणालियों का वर्णन करें:

ई-अपशिष्ट के रूप में अभिचिह्नित पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बोर्ड के तहत पंजीकृत रिसाइकल्स/री-प्रोसेसर्स के माध्यम से,

क्रम संख्या	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालनों का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का ब्योरा क्या है?
लागू नहीं। कोई भी प्रचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में/इनके आसपास नहीं है।			

12. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं)	आवश्यक वेब लिंक
आरईसी एक एनबीएफसी होने के नाते, अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, किंतु किसी भी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करता है। आरईसी द्वारा वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को उधारकर्ताओं की ओर से लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है। हां/नहीं। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	उस कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना/अर्थदंड/कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
आरईसी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में सभी लागू पर्यावरण नियमों का अनुपालन करता है। कंपनी अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की उचित जांच में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी शामिल करती है।				

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निस्सरण (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

- (I) क्षेत्र का नाम: लागू नहीं
(II) प्रचालन की प्रकृति: अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां - अन्य ऋण प्रदान करना
(III) जल निकासी, खपत और निस्सरण: लागू नहीं

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23		
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)				
(i) सतही जल	लागू नहीं			
(ii) भूजल				
(iii) अन्य पक्ष जल				
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल				
(v) अन्य				
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)				
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	लागू नहीं			
प्रति रुपया टर्नओवर में जल गहनता (जल खपत / टर्नओवर)				
जल गहनता (वैकल्पिक) - आवश्यक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।				
गंतव्य और शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)				
(i) सतही जल में				
- कोई शोधन नहीं			लागू नहीं	
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें				
(ii) भूजल में				
- कोई शोधन नहीं				
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें				
(iii) समुद्री जल में				
- कोई शोधन नहीं	लागू नहीं			
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें				
(iv) अन्य पक्ष को प्रेषित				
- कोई शोधन नहीं				
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें				
(v) अन्य				
- कोई शोधन नहीं	लागू नहीं			
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें				
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)				

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हां, आरईसी ने बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन दिया है।

2. कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी गहनता का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	संस्था	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23*
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO ₂ , मीथेन-CH ₄ , नाइट्रस ऑक्साइड-N ₂ O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहेक्साफ्लूरोइड-SF ₆ , नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF ₃ में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य	10,295.23	5,254.77
प्रति करोड़ टर्नओवर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य/ भारतीय रुपया - करोड़ में	0.22	0.22
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन गहनता (वैकल्पिक) - आवश्यक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	-	लागू नहीं	लागू नहीं

* अभिलेखीकरण और डाटा एकत्रीकरण/सत्यापन पद्धति की समीक्षा की गई और उसे और अधिक परिष्कृत किया गया तथा तदनुसार, जहाँ भी आवश्यक हो, अधिकतम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए जानकारी को अद्यतन किया गया है। इसके अलावा, उत्सर्जन की गणना करने के लिए अन्य पक्ष की निविदाओं को आरईसीपीडीसीएल खरीद से अलग कर दिया गया है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। - हां, आरईसी ने मैसर्स कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें, साथ ही रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण भी प्रस्तुत करें:

लागू नहीं।

4. यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निस्सरण / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो सारांश सहित वेब-लिंक उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1.	ऊर्जा कुशल अग्रभाग और विकिरण शीतलन स्लैब का उपयोग	गुरुग्राम स्थित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए लगभग 30% एचवीएसी लोड आवश्यकता को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल अग्रभाग और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित किया गया है।	एचवीएसी लोड आवश्यकता में ~30% की कमी
2.	सौर संयंत्र	स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके आरईसी कार्यालय की लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के शीर्ष पर 979 केडब्ल्यूपी का सौर संयंत्र संस्थापित किया गया है (सौर पेगोला संरचना द्वारा समर्थित)।	नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के कारण उत्सर्जन में 987.43 tCO ₂ e की कमी आई
3.	कागज की खपत कम करना	कागज की खपत को कम करने के लिए, आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में 'ई-ऑफिस' प्रणाली का उपयोग करता है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतते हुए, विशेष रूप से महामारी की शुरुआत के बाद, सुरक्षित आईटी सिस्टम और प्रक्रियाओं के माध्यम से दूरस्थ कार्य पद्धतियों का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।	-
4.	मौजूदा डीजल जनरेटर को द्वि-ईंधन जनरेटर में परिवर्तित करना	जीएचजी उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में मौजूदा 1010 केवीए डीजल जनरेटर सेट को द्वि-ईंधन (70% पीएनजी और 30% डीजल) जनरेटर में परिवर्तित किया गया।	-

5. क्या संस्था में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना विद्यमान है? 100 शब्दों में विवरण / वेब लिंक प्रस्तुत करें:

हां, आरईसी ने व्यवसाय निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना को लागू किया है। संकट की स्थिति में टीमों को तैयार रहने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। योजना में उल्लिखित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर आपदा अभ्यास डिल आयोजित किए जाते हैं। ऐसे अभ्यासों की लेखापरीक्षा बाह्य सीईआरटी-इन प्रमाणित लेखा परीक्षकों के माध्यम से किया जाता है। ऐसे लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियों को निरंतर सुधार का एक हिस्सा माना जाता है। योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन और बोर्ड को बीसीपी में किसी भी विकास या परिवर्तन से अवगत कराया जाता है।

6. संस्था की मूल्य श्रृंखला से पर्यावरण पर उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

आरईसी सरकार के निर्देशों के अनुरूप थर्मल पावर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना के लिए भी वित्तपोषण कर रही है।

इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) की स्थापना शामिल है, जो हानिकारक उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर को रोकने में योगदान करते हैं। वित्त वर्ष के दौरान, आरईसी ने एफजीडी की स्थापना के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसकी कुल ऋण राशि ₹1,658 करोड़ है। आरईसी पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट की तुलना में उच्च तापीय दक्षता वाले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को भी वित्तपोषित कर रही है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आरईसी ने ₹22,719 करोड़ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

7. उन मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया:

आरईसी एक एनबीएफसी है, इसलिए यह परियोजनाओं का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वयन नहीं करती है। आरईसी द्वारा वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को अपने उधारकर्ताओं से लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

सिद्धांत 7 - व्यवसायों को लोक और विनियामक नीति लागू करते समय उत्तरदायी और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मण्डलों/संघों से संबद्धता की संख्या: 6

ख. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मण्डलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्रम संख्या	व्यापार एवं उद्योग मण्डलों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मण्डलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	प्रेस क्लब ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
2.	सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
3.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
4.	केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय
5.	चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट (सीआईएलटी)	राष्ट्रीय
6.	वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्ल्यूईसी), भारत	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
नियामक प्राधिकरणों की ओर से कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित लोक नीति पदों का विवरण:

क्रम संख्या	लोक नीति का पक्ष समर्थन	इस तरह के पक्ष समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/ नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
आरईसी विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) का सदस्य है, जो विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में ऊर्जा मंत्रालयों और ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी संगठनों के सहयोग से कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता विद्युत सचिव करते हैं, जबकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। आरईसी के निदेशक मण्डल और वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों के हिस्से के रूप में विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों के निर्माण में योगदान देते हैं। 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता के आधार पर, आरईसी समय-समय पर अपने व्यावसायिक प्रस्ताव और विभिन्न उद्योग मंचों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देता रहा है और इसका पक्ष-समर्थन करता रहा है। कई वर्षों के समर्पित प्रयासों के साथ, आरईसी ने देश में, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में, गांवों और घरों में बिजली पहुंचाने में योगदान दिया है। कंपनी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (घडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी विद्युत क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी रही है। आरईसी वर्तमान में 19 राज्यों के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभा रही है। आरडीएसएस, ₹97,631 करोड़ की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष के लिए ₹3,03,758 करोड़ परिव्यय वाली एक सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध योजना है। इसका उद्देश्य (i) उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। (ii) 2024-25 तक अखिल भारतीय एटीएंडसी घाटे को 12-15% तक कम करना और (iii) 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग आरडीएसएस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं और आरईसी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लाभों के प्रसार के लिए देश भर में मीडिया अभियान और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने में विद्युत मंत्रालय की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीति निर्माण में विद्युत मंत्रालय को सहायता और सलाह देने के लिए, विनियामक अनुपालन और निगरानी प्रभाग अर्थात् यूटिलिटी सुधार और प्रणाली हस्तक्षेप की स्थापना की गई है, ताकि ऐसे कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटीज को सहायता प्रदान की जा सके और निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं।					

क्रम संख्या	लोक नीति का पक्ष समर्थन	इस तरह के पक्ष समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1.	विद्युत मंत्रालय की ओर से आरईसी द्वारा डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) रिपोर्ट भी प्रकाशित की जा रही है। सीएसआरडी का उद्देश्य डिस्कॉम को मौजूदा कमियों को दूर करने और अन्य डिस्कॉम द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रणालियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के अनुरूप उपभोक्ता संतुष्टि स्तर में वृद्धि होगी और डिस्कॉम के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।				
		सीएसआरडी मूल्यांकन चार मापदंडों पर किया जाता है, जैसे प्रचालन विश्वसनीयता, कनेक्शन और अन्य सेवाएँ, मीटरिंग और बिलिंग और संग्रह और अंत में दोष सुधार और शिकायत निवारण। वित्त वर्ष 2023 में: 4 डिस्कॉम ए+ श्रेणी में हैं, 8 डिस्कॉम ए श्रेणी में हैं।			
		सीएसआरडी रिपोर्ट < https://recindia.nic.in/consumer-service-rating-of-discoms > पर देखी जा सकती है।			
2.	विद्युत वितरण में उन्नत प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने के लिए ढांचा (पावरथॉन): पावरथॉन का शुभारम्भ फरवरी 2022 में किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं (टीएसपी) के मौजूदा नेटवर्क का लाभ उठाना है, ताकि डिस्कॉम में एआई/एमएल के उपयोग के मामलों का परीक्षण और विस्तार किया जा सके, ताकि एटीएंडसी नुकसान, डीटी विफलता, लोड पूर्वानुमान आदि जैसे विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जा सके। विवरण https://recindia.nic.in पर देखा जा सकता है।				
3.	विद्युत यूटिलिटीज के प्रमुख विनियामक मापदंडों पर रिपोर्ट: आरईसी "यूटिलिटीज के प्रमुख विनियामक मापदंडों" का संकलन प्रकाशित कर रहा है और इसे https://recindia.nic.in/RegulatoryParameters पर देखा जा सकता है।				
4.	आरईसी द्वारा विद्युत मंत्रालय की अन्य पहल जैसे ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा की जा रही है।				
	आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) स्मार्ट मीटरिंग, 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनिटरिंग स्कीम और अन्य सरकारी कार्यक्रमों जैसे लद्दाख ट्रांसमिशन कार्य, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के कार्यान्वयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करना है।				
	आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय की प्रमुख राष्ट्रीय फीडर निगरानी योजना आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें सभी आउटगोइंग वितरण फीडरों को उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की विश्वसनीयता और गुणवत्ता की निगरानी के उद्देश्य से यूटिलिटी स्तर पर फीडर निगरानी समाधानों के माध्यम से एनएफएमएस के साथ एकीकृत किया जाएगा।				
	इस वित्त वर्ष में, आरईसी को एमएनआरई के तहत भारत सरकार के एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है, जिसका कुल परिव्यय ₹75,021 करोड़ है, जिसके अंतर्गत रूफटॉप सोलर की स्थापना और एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया।				

सिद्धांत 8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

- चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं)	आवश्यक वेब लिंक
लागू नहीं					

- उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर किया जा रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) की संख्या	आरएंडआर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत	वित्त वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (₹ में)
लागू नहीं						

- समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें:

कंपनी में आम जनता की शिकायतों से निपटने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान है। कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को लोक शिकायत समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जा सके।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	29.51% [^]	55.31% ^{^^}
सीधे भारत के भीतर से	100%	100%

[^] वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसी ने स्टैंडअलोन आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) से 37% खरीद की है। हमारी सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल की खरीद गतिविधियों को शामिल करने पर, समेकित एमएसएमई खरीद 29.51% है। यह उल्लेखनीय है कि इस गणना में केवल आरईसीपीडीसीएल की अपनी खरीद शामिल है, क्योंकि यह मुख्य रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में विद्युत यूटिलिटीज (सुविधाओं) के लिए बड़े पैमाने पर, गैर-एमएसएमई खरीद को संभालती है और इसे बाहर रखा गया है।

^{^^} वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी ने अकेले एमएसएमई से 55% इनपुट प्राप्त किए थे और समेकित स्तर पर एमएसएमई से खरीद 55.31% हुई है, जिसमें आरईसीपीडीसीएल द्वारा अन्य पक्ष के लिए की गई खरीद शामिल नहीं है।

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थान पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या कामगारों सहित) को कुल वेतन लागत के प्रतिशत के रूप में संदत्त वेतन का प्रकटीकरण करें:

स्थान	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
ग्रामीण	0	0
अर्ध शहरी	0	0
शहरी	8.53%	7.88%
महानगर	91.47%	92.12%

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में अभिचिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें (संदर्भ: आवश्यक संकेतकों का उपरोक्त प्रश्न 1):

अभिचिह्नित नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि ₹
1.	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	12,503,012
2.	बिहार	मुजफ्फरपुर	97,620,154
3.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	3,263,645
4.	मध्य प्रदेश	छतरपुर	2,311,990
5.	मध्य प्रदेश	खंडवा	-7,76,944
6.	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	2,560,000
7.	मिजोरम	ममित	15,193,266
8.	नागालैंड	किफिरे	21,473,162

"आकांक्षी जिला" भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक नाम है जिसका उद्देश्य अपेक्षाकृत अविकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास) में सुधार करना है।

3. (क) क्या आपकी संस्था में कोई अधिमन्य खरीद नीति है जिसके तहत आप अधिकारहीन/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)

हां, आरईसी में एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद का समर्थन करने की नीति है। यह नीति <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

(ख) आप कौन-से अधिकारहीन/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

आरईसी ने ₹10 लाख तक मूल्य की कुछ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की 100% खरीद एमएसई वेंडरों से अनिवार्य कर दी है और उन सभी मामलों के लिए, जहां एल 1 विक्रेता एमएसई विक्रेताओं से अन्य हैं, एमएसई विक्रेताओं को एल1 के साथ मूल्य मिलान करने की अनुमति देते हुए, यदि एमएसई बोलीदाताओं ने एल1 + 15% के बैंड के भीतर मूल्य उद्धृत किया है, जहां भी विभाजन संभव है, एमएसई को

निविदा मूल्य के 25% तक खरीद वरीयता की अनुमति भी दी है, जिसमें से 4% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए आरक्षित है और 3% महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए आरक्षित है। कंपनी पंजीकृत एमएसई को अपनी खरीद प्रक्रियाओं में विभिन्न सुविधाएं जैसे कि निविदा सेटों की निःशुल्क आपूर्ति, बयाना राशि के भुगतान से छूट आदि प्रदान करती है।

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

सरकार का अधिदेश सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) से न्यूनतम 25% खरीद करने के लिए है, जिसमें से 4% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वेंडरों से और 3% महिला विक्रेताओं से होनी चाहिए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, आरईसी ने एमएसएमई से 37% खरीद की। यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन वेंडरों द्वारा दर्ज किए गए दावों पर निर्भर करता है, जिस पर आरईसी का कोई नियंत्रण नहीं है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्त वर्ष में) आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

क्रम संख्या	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अर्जित (हां/ नहीं)	लाभ साझा किया गया (हां / नहीं)	हिस्सेदारी की गणना का आधार
			लागू नहीं।	

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो:

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
	बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।	

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	गवर्नमेंट नागार्जुन पीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर में एक इनडोर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण।	100	100%
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा श्रेणी/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	360	100%
3	कोहिमा साइंस कॉलेज, जोत्सोमा, नागालैंड में "आरईसी गर्ल्स हॉस्टल" (जी+2) का निर्माण।	एन.ए.	एन.ए.
4	गुरुग्राम, हरियाणा में 27 सरकारी स्कूलों में पुनर्वर्तन योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट से बने 1,000 स्कूल बैच उपलब्ध कराना तथा 12 महीने की अवधि के लिए 50 स्कूलों में जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	1,750	100%
5	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्नूर में सभागार का निर्माण।	250	100%
6	140 बेड वाले आश्रय-स्थल का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक-ख और भाग ब्लॉक-ग) - बेघर, बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक आश्रय।	140	100%
7	बाराबंकी में समुदायों को सशक्त बनाकर सर्वाधिकार केसर की जांच में सुधार	4,000	100%
8	मैसूर (कर्नाटक) और बरेली (उत्तर प्रदेश) की शहरी झुग्गी बस्तियों में लिंग आधारित हिंसा (जी.बी.वी.) की व्यापकता को कम करना।	200	100%
9	मनोरोग पुनर्वास सेवाओं का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण।	1,000	100%
10	जिला अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद करके जिला अस्पताल, मोन का उन्नयन।	2,000	100%
11	वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के अंतर्गत आरईसी द्वारा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में निर्मित 12,347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत।	4,00,000	100%
12	एसवीए के अंतर्गत आरईसी द्वारा निर्मित शौचालयों की मरम्मत/सुधार का कार्य दो चरणों में किया जाएगा: चरण-2 में 1,681 शौचालय बनाए जाएंगे।	एन.ए.	एन.ए.
13	ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में 1,650 सौर स्ट्रीट लाइटें संस्थापित करना।	10,000	100%
14	केलवाड़ा (कुंभलगढ़) गांव में अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर श्रेणी के लिए हॉस्टल भवन का निर्माण।	100	100%
15	महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की 500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और स्वरोजगार के लिए उपकरण किट का वितरण करना।	500	100%
16	चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर का निर्माण / विस्तार और शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेटेड आवास (क्वार्टर)	10,000	100%
17	स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (स्मार्ट ऑन आईआईटी, कानपुर) के अंतर्गत स्नातकोत्तर छात्रों के लिए फर्नीचर, फिक्सचर, भूनिर्माण, बाहरी प्रकाश व्यवस्था और पहुंच मार्ग के साथ 2 छात्रावास टॉवर (जी+8) का निर्माण और ग्रिड से जुड़े 100 किलोवाट के रूफ टॉप सोलर पीवी पैनल की संस्थापना।	एन.ए.	एन.ए.
18	देश के विभिन्न जिलों में 25 स्थानों पर शिविरों का आयोजन करके लगभग 9,000 दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण।	5,750	100%
19	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दिव्यांगजनों को 4,300 सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए।	3,911	100%
20	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में संचालन हेतु 15 एम्बुलेंस की खरीद।	5,000	100%
21	मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी बालिकाओं के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और लगभग 1541 बच्चों वाले 11 सेवा कुटीरों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना।	1,541	100%
22	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को (रबी मौसम) मुफ्त बीज वितरण।	9,225	100%
23	नर्सिंग प्रशिक्षण प्रदान करके स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा में परिवर्तन, जिला अस्पताल में अवसंरचना के लिए सहयोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अस्पताल कर्मचारियों को सुदृढ़ करना, जनरेटर की खरीद, सरकारी स्कूल भवन में अवसंरचना विकास, शिक्षक प्रशिक्षण आदि।	10,000	100%
24	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक हॉल, पीसीसी सड़क, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइट, आरओ प्लांट आदि की स्थापना।	10,000	100%
25	असुणी पुनानामेई माओ, सेनापति में सामुदायिक भवन का निर्माण।	1,000	100%
26	बिलासपुर जिला अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और संस्थापना।	2,000	100%
27	तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिकों की खरीद, संचालन और अनुरक्षण।	1,23,000	100%
28	उखरुल जिले में याईगंगपोकपी से लाईकोइचिंग तक 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण।	10,000	100%
29	लर्न एंड अर्न (सीखें और कमाएं) - आरईसी फाउंडेशन की एक पहल, जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में 300 युवाओं को परिधान विनिर्माण और उद्यमिता में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।	300	80%
30	बिलासपुर की 6 ग्राम पंचायतों में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) और 5-वर्षीय व्यापक एएमसी के साथ 500 सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (12 वाट) की स्थापना।	3,000	100%
31	गुजरात उद्यमशीलता उत्कृष्टता फाउंडेशन (जीएफईई) के इन्क्यूबेटर्स के कोष में 3 वर्ष की अवधि में ₹20 करोड़ अर्थात प्रति वर्ष ₹6.66 करोड़ का अंशदान।	एन.ए.	एन.ए.

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
32	सुंदर अस्पताल में मरीजों के परिचारकों के लिए 100 बिस्तरों वाले प्रतीक्षालय, बहुउद्देशीय हॉल और इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण तथा जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 25 इन्क्यूबेटर्स की खरीद और स्थापना।	100	80%
33	जिला परिषद हाई स्कूल मोरजमपाडु (वी), मचावरम मण्डल पालनाडु में तीन कक्षाओं, भोजन कक्ष और एक डिजिटल कक्षा का निर्माण।	500	80%
34	पीएम केयर्स फंड में अंशदान।	एन.ए.	एन.ए.
35	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन।	10,000	100%
36	भारत में खेलों का व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।	2,500	100%
37	कैम्पटी कैट बोर्ड अस्पताल, नागपुर में विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की संस्थापना।	500	100%
38	शिक्षण सहायक सामग्री, अवसंरचना विकास आदि प्रदान करके दृष्टि बाधित बच्चों के लिए समग्र शिक्षा एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।	250	100%
39	जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम में रक्त घटकों को अलग करने के लिए रक्त बैंक उपकरण की खरीद।	1,000	100%
40	एम्स, दिल्ली के केंद्रीय स्टेराइल स्प्लाई विभाग (गएसएसडी) संस्था का नवीनीकरण और नए चिकित्सा उपकरणों की खरीद।	1,00,000	80%
41	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों के परिचारकों के लिए 200 बिस्तरों वाले विश्राम कक्ष (एसकेएमसीएच में विश्राम सदन) का निर्माण।	1,000	90%
42	24 सरकारी स्कूलों में परिसर की दीवारों का निर्माण और गेट उपलब्ध कराना।	1,200	100%
43	कृष्णा जिले के पेडयेरुकापडु गांव और एडुरुमुंडी गांव में दो बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल का निर्माण।	7,425	100%
44	स्वच्छ गंगा कोष में अंशदान।	एन.ए.	एन.ए.
45	गुरुग्राम, हरियाणा और हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण मजदूरों के 462 बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिनव मोबाइल स्कूल का संचालन।	462	100%
46	कडप्पा के पुलिवेंदुला ग्रामीण, पुलिवेंदुला शहरी, लिंगाला और थौंडुर मण्डलों में 12 सरकारी उच्च विद्यालयों में रसोईघर, भोजन कक्ष और भंडार कक्ष का निर्माण और रिवर्स ऑस्मोसिस जल शोधन संयंत्र की स्थापना।	3,081	100%
47	एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में आपातकालीन चिकित्सा विभाग का विस्तार और चिकित्सा उपकरणों की खरीद और संस्थापना।	एन.ए.	एन.ए.
48	हीलिंग लिटिल हार्ट्स - जन्मजात हृदय रोग (गएचडी) से पीड़ित 1000 बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आरईसी की एक पहल।	1,000	100%
49	आकांक्षी जिला चंबा में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा अवसंरचना सह प्रशिक्षण घटक को सुदृढ़ करना।	3,000	100%
50	पूर्व सैनिकों (ईएसएम), शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शिक्षा अनुदान प्रदान करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएडी फंड) के लिए अंशदान।	12,500	एन.ए.
51	केदारनाथ शहर और केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में सरस्वती प्लाजा के नीचे प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल का निर्माण, सरस्वती किनारे और मंदिर मार्ग के बीच अवसंरचना का विकास और विभिन्न कुंडों का जीर्णोद्धार और विकास कार्य।	एन.ए.	एन.ए.
52	गढ़चिरोली में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए 2 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की खरीद, संचालन और अनुरक्षण।	2,400	100%
53	देश के विभिन्न जिलों/राज्यों में दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण (25 शिविर)।	1,750	100%
54	एम्स, नई दिल्ली में आरईसी प्रतीक्षा लाउंज "एम्स - आरईसी आश्रय" का निर्माण।	एन.ए.	एन.ए.
55	ममित में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नवीनीकरण एवं निर्माण।	5,000	80%
56	100 स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप "आरईसी फाउंडेशन-रूपांतर रोल मॉडल स्कूल" बनाने के लिए सहायता।	7,000	100%
57	एबीवीआईएमएस और आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली में ऑडिटोरियम का नवीनीकरण और संवर्धन।	एन.ए.	एन.ए.
58	स्वच्छ भारत कोष में अंशदान।	एन.ए.	एन.ए.
59	राज्य विद्युत वृटिलिटीज/शहरी पार्कों, निकटवर्ती क्षेत्रों आदि में आरईसी सीओ/आरओ/एसओ द्वारा 54 पोथों/वृक्षों के रोपण के लिए खरीद।	एन.ए.	एन.ए.
60	वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण निर्माण/सब स्टेशनों पर लगे प्रवासी मजदूरों/परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना।	एन.ए.	एन.ए.
61	आरईसी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आरईसी-इंटीग्रेटी क्लब।	एन.ए.	एन.ए.
62	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत- पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, आरईसी अभियान आदि के संबंध में झुग्गी बस्ती की सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी बस्ती को गोद लेना।	500	100%
63	भोजपुर के आरा (और जगदीशपुर), बरहरा और कोइलवर प्रखंडों के गांवों में विकास कार्य।	2,000	100%
64	बालासोर में एक माह की अवधि के खेल प्रतिभा पहचान एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।	10,000	80%

*यहां एन.ए. का अर्थ है - जिसका पता नहीं लगाया जा सकता।

सिद्धांत 9 - व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक सहभागिता करनी चाहिए और अहमियत देनी चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें:

एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक निष्पक्ष व्यवहार संहिता को अपनाया है। इस संहिता में उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र को विस्तार से शामिल किया गया है, ताकि वे अपनी शिकायतें, यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकें। निदेशक मण्डल समय-समय पर निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन की स्थिति और इसके तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। आरईसी की निष्पक्ष व्यवहार संहिता को <https://recindia.nic.in/policies> पर देखा जा सकता है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी हो:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	टिप्पणियां
डाटा प्राइवैसी	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
विज्ञापन	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापारप्रणालियों	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अनुचित व्यापार प्रथाएं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अन्य	1	1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, सिरसा में शिकायत दर्ज की गई। आरईसी का उत्तर दाखिल कर दिया गया है।	1	शून्य	उक्त मामले का निपटारा कर दिया गया क्योंकि उपभोक्ता ने इसे वापस ले लिया था।

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक रूप से	0	लागू नहीं
अनिवार्य रूप से	0	लागू नहीं

5. क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के संबंध में कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रस्तुत करें:

हां, यह नीति कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/> पर उपलब्ध है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी से संबंधित मुद्दों के संबंध में की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्यवाई / अधिरोपित जुर्माना का विवरण प्रस्तुत करें:

आईटी प्रभाग ने आरईसी की आईसीटी अवसंरचना के संबंध में विभिन्न साइबर सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए सीईआरटी-इन पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया।

7. डाटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

क. डाटा उल्लंघन के मामलों की संख्या: शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डाटा उल्लंघनों का प्रतिशत: शून्य

ग. डाटा उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो: शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो, तो वेब लिंक प्रस्तुत करें):

आरईसी, उत्पादन, परीक्षण और वितरण में विद्युत अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन दक्षता को सुदृढ़ करने और राज्य विद्युत यूटिलिटीज, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के विद्युत विकासकों को वित्तपोषित करके अभिनव प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करने के लिए सम्पूर्ण विद्युत तथा अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। उत्पाद पोर्टफोलियो, ब्याज दरें और ग्राहकों के लिए संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in> पर उपलब्ध है। हमारे व्यवसाय प्रोफाइल का विवरण <https://recindia.nic.in> पर देखा जा सकता है।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम:

आरईसी पूरे देश में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अखिल-भारतीय स्तर पर विद्यमान है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में, वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक (वरिष्ठ सीपीएम)/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक (सीपीएम) राज्य के सभी उधारकर्ताओं के लिए तथा कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित किसी भी समस्या के लिए संपर्क का एकमात्र बिंदु है। क्षेत्रीय कार्यालयों/वरिष्ठ सीपीएम/सीपीएम के संपर्क विवरण <https://recindia.nic.in/contact> पर उपलब्ध हैं।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट <https://recindia.nic.in> पर उपभोक्ता जागरूकता साहित्य भी प्रदर्शित किया है।

आरईसी ने चार प्रमुख आयामों (प्रचालन विश्वसनीयता; कनेक्शन और अन्य सेवाएँ; मीटरिंग, बिलिंग, संग्रह से जुड़ी सेवाएँ; दोष सुधार और शिकायत निवारण) के आधार पर डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग विकसित की है, जो उपभोक्ता सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे डिस्कॉम को विभिन्न सेवा मापदंडों में अपने प्रदर्शन का स्व-निरीक्षण करने, सहकर्मी डिस्कॉम के साथ तुलनात्मक प्रदर्शन मूल्यांकन करने और सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता सेवा सूचकांक के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से संबंधित मापदंडों का एक न्यूनतम सेट बनाना।
- इन पहलुओं पर एक निश्चित समयावधि में डिस्कॉम के प्रदर्शन पर नज़र रखना।
- उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिस्कॉम के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना।
- डिस्कॉम को खामी वाले क्षेत्रों का आकलन करने, सर्वोत्तम प्रणालियों को साझा करने और परस्पर-ज्ञानार्जन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना।

इसके अलावा, आरईसी का एक आंतरिक प्रशिक्षण संस्थान आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जो देश भर में और उसके बाहर विद्युत क्षेत्र के संगठनों के

इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है। आरईसीआईपीएमटी विद्युत सुरक्षा, डिस्कॉम के प्रदर्शन में तकनीकी-वाणिज्यिक सुधार, विद्युत यूटिलिटीज की स्थिरता आदि सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

वितरण क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, आरईसी ने विद्युत वितरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग उपयोग मामलों को सक्षम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। आईआईटी और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रायोगिक परियोजनाओं का सहयोग किया जा रहा है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मौजूद तंत्र:

आरईसी ने अपने डाटा सेंटर और आपदा रिकवरी प्रचालनों के लिए व्यवसाय संधारणीयता और आपदा रिकवरी योजना लागू की है और यह आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित भी है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, अर्थात् आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल") ने ऊर्जा मित्र ऐप कार्यान्वित की है, जो राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीज के लिए एक केंद्रीय आउटेज प्रबंधन और अधिसूचना मंच प्रदान करती है, ताकि एसएमएस, ईमेल या पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आउटेज की जानकारी प्रसारित की जा सके।

4. क्या संस्था उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं)। यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं):

कंपनी वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने वाली एक एनबीएफसी है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसके उधारकर्ताओं/ग्राहकों और इसके निवेशकों को इसके द्वारा पेश किए गए सभी वित्तीय उत्पादों का पर्याप्त प्रकटीकरण कॉर्पोरेट वेबसाइट <https://recindia.nic.in> के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा, ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, हम लागू ऋण के प्रकार की पूरी जानकारी के बारे में घोषणा करते हैं।

एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी आरबीआई द्वारा अनिवार्य निष्पक्ष व्यवहार संहिता का भी पालन करती है, जिसमें ऋण के लिए आवेदन और उनकी प्रक्रिया, ऋण संस्वीकृति, संवितरण, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण और शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों में उधारकर्ताओं के साथ अपनाई जाने वाली निष्पक्ष ऋण प्रणालियों को निर्धारित किया जाता है। निष्पक्ष व्यवहार संहिता <https://recindia.nic.in/policies> पर उपलब्ध है।

हमारा निगम ऋण आवेदन, संस्वीकृति, संवितरण और समापन जैसे ऋण लेनदेन के विभिन्न चरणों में अपने उधारकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने के लिए लगातार ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। इस फीडबैक का उपयोग प्रणाली, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में किया जाता है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

(विवेक कुमार देवांगन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01377212

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 29 जून, 2024

कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी1	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से अपना प्रचालन और सुशासन करना चाहिए। आरईसी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च महत्व देते हुए करता है। इस संबंध में तैयार की गई विभिन्न नीतियों, संहिताओं और नियमों में निम्नलिखित शामिल हैं: -
नीति का नाम	वेब लिंक
कॉर्पोरेट सुशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश	https://recindia.nic.in/policies
धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति	https://recindia.nic.in/policies
सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति	https://recindia.nic.in/policies
व्यावसायिक आचार एवं नैतिकता संहिता	https://recindia.nic.in/policies
निष्पक्ष व्यवहार संहिता	https://recindia.nic.in/policies
संबंधित पक्षकार लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति	https://recindia.nic.in/policies
नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता	https://recindia.nic.in/policies
निदेशकों के 'उचित एवं उपयुक्त' मानदंड पर नीति	https://recindia.nic.in/policies
आरईसी की ईएसजी नीति	https://recindia.nic.in/policies
उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य नीतियां और नियम भी हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और इंटरनेट पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।	
पी2	व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा अपने पूरे उपयोगी-काल में संधारणीयता में योगदान दें। कंपनी, वित्तीय उत्पाद प्रदान करने वाली एक एनबीएफसी है, जिसमें पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण देना शामिल है। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध है। आरईसी में एक सतत खरीद नीति भी विद्यमान है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के लिए ईएसजी दिशा-निर्देश और मानवाधिकार आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। यह नीति https://recindia.nic.in/ पर उपलब्ध है।
पी3	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए। कंपनी ने सामान्य कानूनों और विनियमों तथा सुदृढ़ नैतिक प्रणालियों के अनुरूप विभिन्न कर्मचारी-उन्मुख नीतियों को अपनाया है। ऐसी नीतियों को आम तौर पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इंटरनेट पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुलभ होती हैं। हमारी ईएसजी नीति https://recindia.nic.in/ पर उपलब्ध है।
पी4	व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हैं। कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिनमें वंचित, कमजोर और अधिकारहीन लोग भी शामिल हैं। हमारी हितधारक सहभागिता नीति और हितधारक शिकायत निवारण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://recindia.nic.in/ कंपनी निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध है।
पी5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए। आरईसी हर संभव तरीके से मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता है। आरईसी की मानवाधिकार नीति https://recindia.nic.in/ पर उपलब्ध है। कंपनी में अपने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचार और नैतिकता संहिता विद्यमान है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखने और किसी भी आधार पर भेदभाव से बचने के लिए नैतिक अनिवार्यता अधिरोपित करती है। उक्त संहिता https://recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध है।
पी6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए। विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को लगातार सहयोग दे रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आरईसी के वित्तपोषण मानदंड https://recindia.nic.in/ पर उपलब्ध हैं। हमारी ईएसजी नीति https://recindia.nic.in/ पर उपलब्ध है।
पी7	व्यवसायों को लोक और विनियामक नीति लागू करते समय उत्तरदायी तरीका अपनाना चाहिए। आरईसी सार्वजनिक और विनियामक नीति से संबंधित मामलों में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाता है। इसके अलावा, आरईसी की आम जनता के साथ बातचीत को इसके विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से देखा जा सकता है। हमारी जिम्मेदार पक्ष-समर्थन नीति https://recindia.nic.in/ पर उपलब्ध है।
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए। आरईसी में अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतियां मौजूद हैं, जिनमें एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति https://recindia.nic.in/ , अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर नीति (आरईसी इंटरनेट पर उपलब्ध), हरित-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षक उधार दरें https://recindia.nic.in/ और सीएसआर नीति https://recindia.nic.in/policies शामिल हैं।
पी9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक सहभागिता करनी चाहिए और अहमियत देनी चाहिए। आरईसी में बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'निष्पक्ष व्यवहार संहिता' विद्यमान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी अपने ऋण प्रचालनों में ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवहार का पालन करती है। यह संहिता https://recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध है। हमारी डाटा गोपनीयता नीति https://recindia.nic.in/ पर उपलब्ध है।

सभी नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समय-समय पर निदेशक मण्डल/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।

आरईसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट में बीआरएसआर (9) कोर विशेषताओं के तहत किए गए प्रकटीकरण पर स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मण्डल
आरईसी लिमिटेड
प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,
गुरुग्राम, हरियाणा 122001

परिचय

हमें आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट ("बीआरएसआर") में बीआरएसआर कोर विशेषताओं के तहत कंपनी के प्रकटीकरण का एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है, जैसा कि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 ("वित्त वर्ष 2023-24") की रिपोर्टिंग अवधि के लिए सेबी परिपत्र दिनांक 12 जुलाई, 2023 ("सेबी बीआरएसआर कोर परिपत्र") बीआरएसआर कोर - मूल्य श्रृंखला के लिए आश्वासन और ईएसजी प्रकटीकरण के लिए फ्रेमवर्क द्वारा अधिसूचित किया गया है।

प्रबंधन और हमारा दायित्व

कंपनी का प्रबंधन बीआरएसआर में डेटा और अन्य आवश्यक जानकारी

को एकत्रित करने, विश्लेषण करने, प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने तथा प्रकटीकरण की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है ताकि वे किसी भी भौतिक गलत बयान या चूक से मुक्त हों। प्रबंधन बीआरएसआर तैयार करते समय जिस डेटा और अन्य जानकारी पर निर्भर करता है, उस तक पूरी पहुँच प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

हमारा दायित्व वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में सेबी बीआरएसआर कोर परिपत्र में दिए गए अनुसार बीआरएसआर कोर विशेषताओं के संबंध में किए गए प्रकटीकरण पर उचित आश्वासन व्यक्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं निष्पादित करना और अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त करना है।

दायरा और सीमा

दायरा

हमारी सहभागिता के दायरे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सेबी बीआरएसआर कोर परिपत्र में दिए गए अनुसार निम्नलिखित बीआरएसआर कोर विशेषताओं का एक स्वतंत्र उचित स्तर का आश्वासन शामिल है:

क्र.सं.	विशेषता	सिद्धांत	मुख्य निष्पादन संकेतक
1	ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 7	- कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆, NF₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) - कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी (CO₂e) का CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆, NF₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) - जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (स्कोप 1+2)
2	जल फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 3	- कुल जल खपत मिलियन लीटर या किलोलीटर में - जल उपभोग तीव्रता मिलियन लीटर या किलोलीटर /रुपये में - जल उपभोग तीव्रता मिलियन लीटर/उत्पाद या सेवा में
		सिद्धांत 6, प्रश्न 4	गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन और मिलियन लीटर या किलोलीटर में ट्रीटमेंट का स्तर
3	ऊर्जा फुटप्रिंट	सिद्धांत 6, प्रश्न 1	- जूल या गुणकों में खपत की गई कुल ऊर्जा - नवीकरणीय स्रोतों से खपत ऊर्जा का % - ऊर्जा तीव्रता % के संदर्भ में - ऊर्जा तीव्रता जूल या गुणकों में/ पीपीपी के लिए समायोजित रुपये - ऊर्जा तीव्रता जूल या गुणकों में/ उत्पाद या सेवा
4	अपशिष्ट प्रबंधन	सिद्धांत 6, प्रश्न 9	- इकाई द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित विवरण (श्रेणीवार) - अपशिष्ट तीव्रता - उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट - उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट
5	कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा को बढ़ाना	सिद्धांत 3, प्रश्न 1(ग) सिद्धांत 3, प्रश्न 11	कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय की गई लागत सुरक्षा-संबंधी घटनाओं का विवरण
6	कारोबार में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	सिद्धांत 5, प्रश्न 3(ख) सिद्धांत 5, प्रश्न 7	संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी पॉश (POSH) पर शिकायतें
7	समावेशी विकास को सक्षम बनाना	सिद्धांत 8, प्रश्न 4 सिद्धांत 8, प्रश्न 5	एमएसएमई/लघु उत्पादकों और भारत के भीतर से प्राप्त इनपुट सामग्री कुल खरीद के % के रूप में छोटे शहरों में रोजगार सृजन/छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान की गई मजदूरी (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध पर) कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में
8	ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता	सिद्धांत 9, प्रश्न 7 सिद्धांत 1, प्रश्न 8	कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से संबंधित घटनाएं देय खातों के दिनों की संख्या
9	कारोबार में पारदर्शिता	सिद्धांत 1, प्रश्न 9	- कारोबार की दुकानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेन्द्रण - संबंधित पक्षों के साथ ऋण, अग्रिम और निवेश

आश्वासन पद्धति

आश्वासन प्रक्रिया के भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

प्रेमवर्क

- सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर रिपोर्टिंग दिशानिर्देश परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांक 11 जुलाई, 2023 के माध्यम से।
- सेबी बीआरएसआर कोर आश्वासन परिपत्र।
- ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल पद्धति।

पद्धति

आश्वासन प्रक्रिया के भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बीआरएसआर (9) कोर विशेषताओं के तहत प्रकटीकरण की समीक्षा की गई, जिसमें (9) ईएसजी विशेषताओं के तहत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के एक सेट से युक्त आश्वासन के लिए रूपरेखा शामिल है।
- गणना और रिपोर्टिंग के आधार पर डेटा, दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं की समीक्षा की गई।
- डेटा एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरणीय सामाजिक सुशासन (ईएसजी) और परामर्शदाता और उनकी टीम के लिए जिम्मेदार प्रबंधन के संबंधित कर्मियों का साक्षात्कार लिया गया।
- रिपोर्ट किए जा रहे आंकड़ों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के समेकन की जांच की गई।
- डेटा परीक्षण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में एकरूपता का आकलन करने के लिए ऑन-साइट लेखापरीक्षा आयोजित की गई। इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था।
- कंपनी द्वारा प्रयुक्त विभिन्न मान्यताओं, आकलनों और भौतिकता सीमाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया।
- जहां भी आवश्यक हुआ, हमने डेटा और सूचना की नमूना-आधारित समीक्षा की है।

हमारी राय

हमें प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और हमारे द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, हमारा विचार है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में बताए गए बीआरएसआर कोर विशेषताओं को सेबी बीआरएसआर कोर आश्वासन परिपत्र में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट किया गया है।

स्वतंत्रता का वक्तव्य

सेबी बीआरएसआर कोर आश्वासन परिपत्र के अनुसार, आश्वासन प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाता या उसके सहयोगी सूचीबद्ध इकाई या उसके समूह की संस्थाओं को अपने उत्पाद न बेचें या परामर्श सेवाओं सहित कोई अलेखापरीक्षा / गैर-आश्वासन संबंधी सेवा प्रदान न करें। उपलब्ध जानकारी

के आधार पर, हम वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी अलेखापरीक्षा असाइनमेंट में कंपनी या उसके समूह की संस्थाओं के साथ शामिल नहीं थे, जिससे हितों का टकराव हो।

उपयोग या वितरण पर प्रतिबंध

निष्कर्ष सहित यह आश्वासन कथन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बीआरएसआर में किए गए प्रकटीकरण के संबंध में वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी के अनुरोध पर ही तैयार किया गया है। हमारी रिपोर्ट का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के लिए जिसे हमारी रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकती है, देखभाल या दायित्व का कोई कर्तव्य न तो स्वीकार करते हैं और न ही ग्रहण करते हैं।

सीमाएँ

इस आश्वासन अनुबंध के अंतर्गत हमारा निष्पादन निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है:

- कंपनी के साथ सहमत दायरे के आधार पर, उचित आश्वासन की सीमा कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनी के सभी कार्यालयों में संचालन को शामिल करती है। इसके अलावा, आश्वासन केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बीआरएसआर कोर विशेषताओं के तहत किए गए प्रकटीकरण के लिए दिया जा रहा है।
- आश्वासन अनुबंध के दौरान, हमने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए डेटा और जानकारी पर भरोसा किया है। हमने मान लिया है कि कंपनी ने हमें आश्वासन के निष्पादन के लिए आवश्यक पूर्ण और प्रामाणिक डेटा और अन्य जानकारी प्रदान की है। कुछ मामलों में, कंपनी ने अन्य पक्ष के डेटा स्रोतों पर भरोसा किया है, हमने डेटा स्रोत की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया है।
- गैर-वित्तीय सूचना का मूल्यांकन और मापन करने के लिए स्थापित मानकों के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग लेकिन स्वीकार्य माप तकनीकों की अनुमति देती है, जो संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है।
- बीआरएसआर रिपोर्ट तैयार करना कंपनी की जिम्मेदारी है। हम कंपनी के किसी भी वित्तीय डेटा/प्रदर्शन का मूल्यांकन या आकलन करने में शामिल नहीं हैं। हमने वित्तीय डेटा की सत्यता के लिए पूरी तरह से कंपनी की लेखापरीक्षा की गई वित्तीय रिपोर्ट पर भरोसा किया है।
- आश्वासन में जीएचजी प्रोटोकॉल के अनुसार आकलन/मापन त्रुटियों और चूक के लिए भौतिकता सीमा के आधार पर $\pm 5\%$ की अनिश्चितता पर विचार किया गया है।
- यह आश्वासन कंपनी के उन बयानों को शामिल नहीं करता है जो किसी भी प्रकार की राय, दावे, विश्वास, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, लक्ष्य या भविष्य के इरादे व्यक्त करते हैं।
- इस आश्वासन में बीआरएसआर कोर विशेषता के संबंध में किए गए प्रकटीकरण के संबंध में कानूनी अनुपालन की समीक्षा शामिल नहीं है।

कृते कॉर्पोरेट प्रोफ़ेशनल्स

ह/-

(पवन कुमार विजय)

संस्थापक एवं भागीदार

ह/-

(सुकृति कश्यप)

वरिष्ठ सहयोगी- सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस एंड ईएसजी सर्विसेज

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 18 जुलाई, 2024

एकीकृत रिपोर्टिंग

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IV

एकीकृत रिपोर्टिंग (आईआर) किसी संगठन की कार्यनीति, सुशासन, प्रदर्शन और अपेक्षाओं तथा बाह्य परिवेश के संबंध में संक्षिप्त संचार है। आईआर फ्रेमवर्क का उद्देश्य यह दर्शाना है कि किस प्रकार संगठन अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों और संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करके अल्पावधि, मध्यम-अवधि और दीर्घावधि में मूल्य सृजन करता है। एकीकृत रिपोर्ट वित्तीय पूंजी से किसी संस्था द्वारा सृजित मूल्य के समग्र दृष्टिकोण को उजागर करते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणाली में योगदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करती है। आरईसी ने स्वेच्छा से इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल (आईआईआरसी) के फ्रेमवर्क के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। यह फ्रेमवर्क कारोबारों में दीर्घकालिक निर्णय लेने और योजना बनाने में मार्गदर्शन करने वाली छह पूंजियों के माध्यम से कारोबार प्रकटनों पर निर्भर करता है।



यह कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो नवीकरणीय और साथ ही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी और साथ ही निजी क्षेत्र में भी विभिन्न गतिविधियों के लिए उधार देती है। इसके अलावा, आरईसी ने अपने ऋण के क्षेत्र में विस्तार किया है और इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है:



आरईसी राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक नोडल एजेंसी और परियोजना कार्यान्वयन/प्रबंधन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से, कंपनी की अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के पास है। आरईसी के वार्षिक लक्ष्य पीएफसी (पहले विद्युत मंत्रालय के साथ) के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, जिनका मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्थापित एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीपीई, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन "उत्कृष्ट" होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरईसी की एमओयू रेटिंग "उत्कृष्ट" है।

आरईसी का सुशासन फ्रेमवर्क संवत्तर निदेशकों की नियुक्ति में कमी को छोड़कर, लागू कानूनों और विनियमों की सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करता है, जिसे कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है। एनबीएफसी होने के नाते कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के विभिन्न दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करता है। कॉर्पोरेट सुशासन पर आरईसी के आंतरिक दिशानिर्देश, जो इसके गवर्नंस फिलॉसोफी और फ्रेमवर्क को <https://recindia.nic.in/policies> पर देखा जा सकता है।

आरईसी का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो के हिस्से को मार्च 2030 तक बढ़ाकर अपनी लोन बुक का लगभग 30% करना है और इसे छह पूंजियों, नामतः वित्तीय पूंजी, विनिर्मित पूंजी, बौद्धिक पूंजी, सामाजिक और संबंध पूंजी, मानव पूंजी और प्राकृतिक पूंजी में निवेश के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसे निम्न वर्णित किया गया है।

वित्तीय पूंजी



आरईसी के संबंध में वित्तीय पूंजी का संबंध इसकी सेवाओं के प्रावधान में उपयोग के लिए उपलब्ध निधियों के भाग से है, अर्थात, विद्युत तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को ऋण देना।



वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय विशेषताएँ इस प्रकार हैं:



कंपनी के कारोबार की प्रकृति को देखते हुए संस्थागत बॉण्ड, विदेशी मुद्रा उधार, एफसीएनआर (बी) ऋण, पूंजीगत लाभ बॉण्ड, कर मुक्त बॉण्ड, इन्फ्रा बॉण्ड, कमर्शियल पेपर तथा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय एजेंसियों से लिए गए ऋण सहित उधार निधि का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाना, कारोबार के वित्तपोषण में लाभप्रदता का आधार होता है और आरईसी लगातार प्रतिस्पर्धी दरों पर निधि जुटा रही है। 31 मार्च, 2024 को बकाया उधार के लिए समग्र भारत औसत वार्षिक निधि लागत 7.13% थी। इसके अलावा, रेटिंग विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	क्रेडिट रेटिंग
घरेलू दीर्घकालिक उधार	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घकालिक मूलधन संरक्षित बाजार से जुड़े डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएए, आईसीआरए पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एएए
घरेलू अल्पावधि उधार	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयर ए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीए3 (मुडीज), बीबीबी+ (जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)
वर्ष के दौरान, घरेलू स्थायी बॉण्ड की क्रेडिट रेटिंग को केयर एए+ से बढ़ाकर केयर एएए कर दिया गया है।	

31 मार्च, 2024 तक आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:



इन संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से कंपनी द्वारा विद्युत तथा अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋणों के रूप में किया जाता है।



आरईसी की गैर-प्रदर्शित परिसंपत्तियों (एनपीए) उद्योग में सबसे कम है। अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से, आरईसी न केवल अपने शेयरधारकों और निवेशकों के लिए मूल्य सृजन करने में मूल्य सृजन करने में बल्कि देश के समग्र विकास के लिए भी सक्षम रहा है। आरईसी ने अपनी लाभप्रदता को बनाए रखा है और पूंजी पुनर्गठन पर डीआईपीएम दिशानिर्देशों के अनुपालन में अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है।

विनिर्मित पूंजी



एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी के पास कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। तथापि, कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। इसके अलावा, इसने इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी वित्तपोषण करना शुरू कर दिया है और कंपनी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए ₹40,568.92 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है। विद्युत औद्योगिक गतिविधि, सेवा क्षेत्र के साथ-साथ आम आदमी के दैनिक जीवन में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण इनपुट होने के कारण, आरईसी का योगदान देश भर में विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण निर्माण में निहित है।

इसकी प्रकृति के कारण, आरईसी की परिसंपत्तियों का उपयोग आईटी और संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर और कार्यालय आपूर्ति तक सीमित है। इसके अलावा, सभी भौतिक आवश्यकताएं कंपनी के खरीद दिशानिर्देशों के अनुसार गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाता है।

कंपनी उन्नत विशेषताओं वाले उन्नत कारोबारी ईआरपी का उपयोग करती है और ईआरपी प्रणाली को कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार लगातार बेहतर किया जाता है। ईआरपी हार्डवेयर को आरईसी डेटासेंटर में निजी क्लाउड वातावरण में माइग्रेट किया गया है। कंपनी ने परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों को नया रूप दिया है। सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क के निर्बाध परिचालन के लिए महत्वपूर्ण कारोबारी एप्लिकेशनों के लिए रिमोट लोकेशन एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। आरईसी का प्राइमरी डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन करता है। आरईसी ने एनबीएफसी के लिए निर्धारित भारतीय रिज़र्व बैंक के आईटी सुरक्षा निर्देशों को भी लागू किया है। एनआईसी ई-ऑफिस समाधान से कंपनी के कामकाज में बदलाव आया, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार हुआ और पेपरलेस वातावरण की हरित पहल की दिशा में एक कदम बढ़ा। इसके अलावा, भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए केंद्रीकृत स्कैनिंग समाधान लागू किया गया है। इसके अलावा, आरईसी ने आरईसी कार्य वातावरण में असामान्य गतिविधियों की पहचान करने के लिए नवीनतम साइबर सुरक्षा समाधान लागू किए हैं।

बौद्धिक पूंजी



कंपनी ने बेहतर ई-गवर्नेंस प्राप्त करने के लिए अपनी आईटी पहलों के हिस्से के रूप में कई आंतरिक विकसित प्रणालियों का उपयोग किया है। इसके अलावा, कंपनी ने कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से रोकने के लिए डेटा सेंटर और डिजिस्टर रिकवरी सेंटर में डेटा लीकेज एंड प्रिवेंशन (डीएलपी) सिस्टम लागू किया है। 1979 से, आरईसी का अपना एक प्रशिक्षण संस्थान है, अर्थात् आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), जो तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में ऊर्जा क्षेत्र के मानव संसाधनों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विद्युत मंत्रालय और विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र संगठनों द्वारा आरईसीआईपीएमटी की सेवाएं ली गई हैं। आरईसीआईपीएमटी, विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीसी) योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी क्लासरूम और वेबिनार (ऑनलाइन) मोड के माध्यम से 5,731 कार्मिकों के लिए 17,093 मानव दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

मानव पूंजी



मानव पूंजी में कंपनी के कर्मचारियों की योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के साथ-साथ उनकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा भी शामिल होती है, जो उनकी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

संगठन में पेशेवर कार्यबल को शामिल करने में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिभा को नियुक्त और उन्हें बनाए रखना उच्च प्रदर्शन करने वाली कंपनी की नींव है जो कंपनी के विकास के लिए आवश्यक है। आरईसी के पास अनुकूल संस्कृति और सहायक परिवेश के साथ पेशेवर रूप से योग्य, अनुभवी और कुशल कार्यबल है, जो न केवल इसकी मानव पूंजी को प्रेरित करता है बल्कि इसे कंपनी के साथ बनाए रखने में मदद करता है। कर्मचारियों को शुरू से ही कंपनी के मिशन और नीति ढांचे की जानकारी दी जाती है, तथा विविध प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास और व्यावसायिक कौशल पर निरंतर जोर दिया जाता है। आरईसी विभिन्न पहलों और नीतियों के माध्यम से अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है; और एक लाभकारी कार्य परिवेश, जो इसे अपने कर्मचारियों को पेशेवरों और विशिष्ट-व्यक्तियों के रूप में विकसित होने के लिए अनुकूल बनाता है, को बढ़ावा देते हुए, लैंगिक समानता की दिशा में प्रयास करता है। कल्याण उन्मुख नीतियों के माध्यम से कार्य जीवन संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा निगमित कार्यालय में कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, निवारक स्वास्थ्य मुद्दों पर समय-समय पर वार्ता आयोजित की जाती है। कर्मचारियों के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक सुसज्जित व्यायामशाला है। कंपनी हमेशा कर्मचारियों को विभिन्न खेल,

सांस्कृतिक और साहित्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे उनका समग्र विकास होता है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 125 कार्मिकों को नियुक्त किया है।

मानव पूंजी में वृद्धि विभिन्न कार्य स्थलों पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर निर्भर करती है, जिसे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आरईसी इस पहलू को प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को प्रमुख सुविधाएं मिल सकें। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम में कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित टाउनशिप के निर्माण का उद्घाटन किया गया।

सामाजिक और संबंध पूंजी



सामाजिक और संबंध पूंजी में कंपनी का ग्राहकों, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदायों, सरकार और नियामकों सहित बाहरी हितधारक समूहों के साथ संपर्क और संपर्क शामिल होता है।

आरईसी एक वित्तीय संस्थान है, जो भारत के विद्युत क्षेत्र और समग्र रूप से राष्ट्र के व्यापक विकास के लिए समर्पित है। आरईसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है। भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) तथा अन्य योजनाओं की नोडल एजेंसी होने के नाते कंपनी विद्युत क्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार की विश्वसनीय भागीदार बनी रहेंगी।



युवाओं को परिधान निर्माण और उद्यमिता पर व्यावसायिक प्रशिक्षण

आरईसी अपनी सीएसआर शाखा यानी आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक कार्यों का भी सहयोग कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं पर ₹255 करोड़ से अधिक खर्च किए, जिनमें दिव्यांगजन को सहायता उपकरण वितरित करना; चिकित्सा उपकरण, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की खरीद और स्थापना, मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती; एम्स-नई दिल्ली में मरीजों और उनके परिचारकों के लिए बहुमंजिला प्रतीक्षालय का निर्माण; ऑडिटोरियम का नवीनीकरण और उन्नयन; जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की सर्जरी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करना; पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करना और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का निर्माण शामिल है।

आरईसी मुक्केबाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएंगे, साथ ही उन्हें तकनीकी, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा।

इसके अलावा, आरईसी स्कूलों में सत्यनिष्ठा क्लब को बढ़ावा दे रहा है ताकि युवा बच्चों के मन में नैतिक मूल्यों का संचार हो सके, ताकि वे बड़े होकर देश के सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें और साथ ही उनमें भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने की क्षमता विकसित हो सके।



प्राकृतिक पूंजी



प्राकृतिक पूंजी में किसी कंपनी के संचालन द्वारा उपयोग किए जाने वाले और इसके विपरीत, उनसे प्रभावित होने वाले सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं।

आरईसी प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग और उसकी न्यूनतम बर्बादी को कम करके पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। विद्युत क्षेत्र में अग्रणी वित्तपोषण संगठन के रूप में, आरईसी ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में लगातार बढ़ा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ 17,465 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली 82 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल ₹1,36,516.17 करोड़ के ऋण मंजूर किए।

आरईसी ने आधिकारिक विकास सहायता - केएफडब्ल्यू-III के तहत पर्यावरण सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की है जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर लागू होती है। यह रिपोर्ट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए आरईसी के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करती है।

सरकार के निर्देशों के अनुरूप, आरईसी ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए भी वित्तपोषण कर रही है। इसमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की संस्थापना (एफजीडी), सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स (ईएसपी) की संस्थापना शामिल है, जो हानिकारक उत्सर्जन और विभिन्न पदार्थ को रोकने में योगदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आरईसी ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के कार्यान्वयन, कोयला खनन परियोजनाओं, कोयले की खरीद आदि सहित

उत्पादन परियोजनाओं (जलविद्युत परियोजनाओं के अलावा) के लिए 28 ऋण स्वीकृत किए हैं और कुल ₹67,112.15 करोड़ की ऋण राशि संस्वीकृत की है।

आरईसी के ईएसजी नीतिगत प्रेमवर्क में परिचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णय में पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार शामिल है। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा का वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए, ऋण करार/स्वीकृति/दस्तावेजों में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएचएसएस) पहलुओं से संबंधित उपयुक्त शर्तों को शामिल किया गया है।

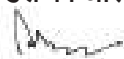
गुरुग्राम में स्थित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन को ऊर्जा संरक्षण के लिए भवन में एचवीएसी लोड आवश्यकता को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल अग्रभाग का उपयोग करके डिजाइन और निर्माण किया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण के लिए भवन में ऊर्जा कुशल उपकरणों और एलईडी लाइटों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके आरईसी कार्यालय की लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए भवन के शीर्ष पर 979 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) सौर संयंत्र (सौर पैनल संरचना द्वारा समर्थित) स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सोलर प्लांट से 13.50 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है।

आरईसी का कॉर्पोरेट कार्यालय भवन शून्य तरल निर्वहन भवन है जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस, सौर सफाई, शौचालय, फर्श धुलाई और जल निकायों आदि के बाद निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपयोग एचवीएसी / चिलर्स में करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, भवन को बागवानी प्रयोजन के लिए एसटीपी के माध्यम से उपचारित पानी का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्यालय भवन में अपने कार्मिकों के वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग सुविधा भी है और यह कारों और अन्य वाहनों को ईवी वाहन में परिवर्तित कर रहा है। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण के लिए भवन में ऊर्जा कुशल उपकरणों और एलईडी लाइटों का उपयोग किया जा रहा है।



आरईसी वैश्विक मुख्यालय, गुरुग्राम (कॉर्पोरेट कार्यालय)

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 27, जुलाई 2024

प्रपत्र संख्या एमआर-3 सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में

सदस्य गण,

आरईसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स 7,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने आरईसी लिमिटेड जिसका सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 (इसके बाद "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अपनाई जा रही उचित कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, व्याख्या और स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व अधिपत्रित पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:-
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (परोक्ष लेन-देन का निषेध) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कार्मिक हितलाभ और श्रम-जन्य इकिटी) विनियम, 2021 (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

(छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और प्रतिभूतियों के निर्गमन तक क्लाइंट के साथ सम्मान के साथ व्यवहार संबंधी; (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (इकिटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2021; (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) तथा

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018

(vi) कंपनी को अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (उद्योग पर यथा लागू) के अंतर्गत अनुपालन/प्रक्रियाओं/प्रणालियों को कंपनी के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत आवधिक प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रमाणित किया जा रहा है।

हमने निम्नलिखित के लिए अनुपालना की भी जांच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सचिवीय मानक, जैसा लागू हो।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") के बीच दर्ज किया गया सूचीबद्धता समझौता।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के लिए जारी किए गए नियम, विनियम, दिशानिर्देश एवं अनुदेश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (बी) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के परंतुक के अनुसरण में, कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 01 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी, 2024 की अवधि के दौरान बोर्ड सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस

पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना में हुए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी गयी थी। बैठक से पहले कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी और बैठक से पूर्व कार्यसूची मंदां पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित अपेक्षित निदेशकों/सदस्यों की सहमति से लिए गए थे और असहमति, यदि कोई हो, को संबंधित कार्यवृत्त में विधिवत रिकॉर्ड/शामिल किया गया है, जहां भी लागू हो।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने प्रत्येक ₹21,53,500/- के विनियमन 17 (1) के तहत गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है (मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाहियों के लिए)। कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 01 मार्च, 2024 के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को लगाए गए और बकाया जुर्माने के खिलाफ छूट अनुरोध प्रस्तुत किया है कि आरईसी एक सरकारी कंपनी है, इसके बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और इस प्रकार कंपनी का अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने सूचित किया है कि एनएसई और बीएसई ने क्रमशः 3 मई, 2024 और 25 जून, 2024 के अपने संचार के माध्यम से, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तक कंपनी पर लगाए गए और बकाया सभी जुर्माने माफ कर दिए हैं। इसके अलावा, संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) द्वारा कंपनी को एक एडवाइजरी जारी की गई है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्यवाहियां हुईं, जिनका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा:

- I. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के अनुसरण में, भारतीय रुपये में कंपनी की समग्र उधार सीमा को बढ़ाने के लिए शेयरधारकों की सहमति ली गई थी। (कम्पनी) 4,50,000 करोड़ रु से 6,00,000 करोड़ रु तक और 16 बिलियन अमरीकी डालर से 20 बिलियन अमरीकी डालर तक के समतुल्य किसी विदेशी मुद्रा में और ऐसी धनराशि या धनराशि को समय-समय पर अपने विवेक से, प्रतिभूति के साथ या उसके बिना और ऐसे निबंधन और शर्तों पर उधार लेना जो बोर्ड कम्पनी के कारोबार के प्रयोजन के लिए ठीक समझे, इस बात के होते हुए भी कि कंपनी द्वारा पहले से उधार लिए गए धन के साथ उधार लिया जाने वाला धन (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋणों के अलावा), कंपनी की चुकता पूंजी और उसके मुक्त भंडार के कुल योग से अधिक होगा, बशर्ते कि किसी भी समय उधार ली गई और बकाया कुल राशि कंपनी की अनुमोदित उधार सीमा से अधिक न हो।
- II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ए) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में, शेयरधारकों की सहमति कंपनी की किसी भी चल और/या अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर प्रभार,

हाइपोथिकेशन, बंधक बनाने के लिए ली गई थी, जो वर्तमान और भविष्य दोनों में स्थित है और किसी भी बैंक के पक्ष में कंपनी के पूरे उपक्रम या उपक्रम पर पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से पूरा है, वित्तीय संस्थानों, किराया खरीद / पट्टा कंपनियों, निकाय कॉर्पोरेट या किसी अन्य व्यक्तियों को ऐसे नियमों और शर्तों पर जो बोर्ड उचित समझे, कंपनी के लाभ के लिए और समय-समय पर निधियों के उधार के लिए सुरक्षा के लिए बोर्ड और ऋणदाता (ओं) के बीच सहमति के अनुसार, अधिक से अधिक नहीं अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के कारोबार के प्रयोजन के लिए अथवा अन्यथा भारतीय रुपए में ₹6,00,000 करोड़ (छह लाख करोड़ रुपए मात्र) और 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस बिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) के समतुल्य किसी विदेशी मुद्रा में।

- III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में, अन्य लागू कानून, अनुमोदन, अनुमतियां और प्रतिबंधों की प्राप्ति, जैसा भी आवश्यक हो, जिसमें डिबेंचर धारकों के किसी मौजूदा उधारदाताओं/न्यासियों के अनुमोदन शामिल हैं, यदि कारर/विलेख की शर्तों के तहत ऐसा आवश्यक हो, तो शेयरधारकों की सहमति असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों के निजी नियोजन के माध्यम से जुटाने के लिए ली गई थी। ₹1,05,000 करोड़ का प्रस्ताव पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान यानी 6 सितंबर, 2023, एक या एक से अधिक किशतों में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कंपनी के बॉण्ड/डिबेंचर धारक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जैसा कि बोर्ड (या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा अन्य प्राधिकरण) अपने विवेकाधिकार पर निर्णय ले सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यथा लागू होने वाले निबंधनों और बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति अथवा ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित अन्य प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित ग्रीन शू विकल्प (₹1,05,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर, जैसा कि ऊपर कहा गया है) के प्रयोग सहित (घरेलू और/अथवा एक अथवा एक अथवा अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पात्र निवेशकों सहित) के लिए ग्रीन शू विकल्प, यदि कोई हो, का प्रयोग शामिल है।

- IV. कंपनी ने नीचे सूचीबद्ध विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण इंस्ट्रूमेंट को जारी करके दीर्घकालिक/अल्पावधि निधियां जुटाई हैं:

क्र. सं.	ऋण इंस्ट्रूमेंट के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	दीर्घकालिक उधारियां	
1.	54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड्स	11,421.00
2.	संस्थागत बॉण्ड्स/अधीनस्थ बॉण्ड्स	42,447.00
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण	19,500.00
4.	विदेशी मुद्रा उधारियां	36,961.00
(ख)	अल्पकालिक उधारियां	
5.	एफसीएनआर (बी) ऋण	25,093.00
6.	बैंकों से ऋण (6 महीने की अवधि से अधिक)	3,600.00
7.	वाणिज्यिक पत्र	7,735.00
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	1,46,757.00

कृते अग्रवाल एस. एवं एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव,

आईसीएसआई यूनिफ कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू प्रमाण पत्र संख्या: 2725/2022

ह/-

सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार

एफसीएस नं. : 5774

सीपी नं. : 5910

यूडीआईएन: F005774F000632389

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: जून 28, 2024

इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में
सदस्य गण,
आरईसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के लिए हमारे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड के हमारे निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा
4. परीक्षकों द्वारा पहले से बताई गई टिप्पणियों/टिप्पणियों/ कमियों को शामिल नहीं किया गया है।
5. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी और हमारी राय देने के लिए कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है या नहीं।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते अग्रवाल एस. एवं एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनिफ कोड: P2003DE049100
पीयर रिव्यू प्रमाण पत्र संख्या: 2725/2022

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जून 28, 2024

ह/-
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नं. : 5774
सीपी नं. : 5910
यूडीआईएन: F005774F000632389

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
 सदस्यगण
 आरईसी लिमिटेड
 कोर-4, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 लोधी रोड
 नई दिल्ली-110003

- यह प्रमाणपत्र हमारे अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है।
- हम, कैलाश चंद जैन एंड कंपनी और एससीवी एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार, को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पत्र संख्या/सी.ए.वी./सी.ओ.वाई./केंद्रीय सरकार, आरईसी(2)/18 दिनांक 12.09.2023 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आरईसी लिमिटेड के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची वी के पैरा सी और डी में निर्दिष्ट है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("सूचीबद्ध विनियम") और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश ("डीपीई दिशानिर्देश")।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन की है, जिसमें सभी आवश्यक सहायक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की तैयारी और रखरखाव शामिल है। इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, ताकि सूचीबद्धता विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट सुशासन की अनुपालन शर्तों को सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारी जिम्मेदारी निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।
- सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक उचित आश्वासन प्रदान करें कि क्या कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सूचीबद्धता विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
- हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी निगमित सुशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों, जो इस प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए लागू हैं, और आईसीएआई द्वारा जारी विशेष प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी के आवश्यक

रिकॉर्डों की जांच की है, जिसके अनुसार हमें आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

- हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, उन फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों का लेखापरीक्षा और समीक्षा करते हैं, की आवश्यक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

राय

- आवश्यक रिकॉर्डों की हमारी जांच और हमें दिए गए जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग ("डीपीई दिशानिर्देश") द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर सूचीबद्धता विनियमों और दिशानिर्देशों की अनुसूची V के पैरा-सी और डी और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आई) में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित हैं: क.कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की आवश्यकता के संबंध में 1 अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियमन 17(1)(बी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ख.30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान दर्ज किए गए संबंधित पक्ष लेनदेन के मामले में लेखापरीक्षा समिति की कार्योत्तर अनुमोदन ली गई। इस संबंध में, कंपनी को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 23(2) के अनुपालन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) से एक सलाह प्राप्त हुई है।

अन्य मामले एवं उपयोग पर प्रतिबंध

- यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता का, जिसके अनुसार प्रबंधन वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।
- यह प्रमाणपत्र कंपनी के सदस्यों को संबोधित है और केवल निगमित सुशासन के आवश्यक नियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनियमों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है और इसका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम कोई भी दायित्व या देखभाल के किसी भी कर्तव्य को या किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष को, जिसे यह दिखाया गया है या हमारी लिखित पूर्व सहमति के बिना किसी के पास उपलब्ध हो, स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट की तिथि के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस रिपोर्ट को अद्यतन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

कृते मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार,
 आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

ह/-
 नाम : सौरभ चौहान
 पदनाम: भागीदार
 सदस्यता संख्या: 167453
 यूडीआईएन: 24167453BKBFYB9975
 दिनांक : 03 जुलाई, 2024

कृते एससीवी एंड कं एलएलपी
 सनदी लेखाकार,
 आईसीएआई फर्म पंजीकरण : 000235N/N500089

ह/-
 नाम : अभिनव खोसला
 पदनाम : भागीदार
 सदस्यता संख्या : 087010
 यूडीआईएन : 24087010BKBOES7422

प्रपत्र सं. एओसी - 2

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन-देन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण आर्मलेंथ के आधार पर नहीं।

संगत पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन की अवधि	अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन, जिनमें कीमत शामिल है, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	दिनांक जिस पर धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया

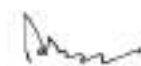
समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के लागू प्रावधानों को लागू करने वाला कोई लेनदेन नहीं था।

2. वास्तविक संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेनों का विवरण आर्मलेंथ आधार पर विवरण।

संगत पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन की अवधि	अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन, जिनमें कीमत शामिल है, की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पक्षकार के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार नहीं किया गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: जुलाई 27, 2024

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक -VIII

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों ("अधिनियम") के अनुरूप अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार की है। कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमों में संशोधनों के अनुपालन में आरईसी की सीएसआर नीति में समय-समय पर संशोधन किया गया है। सीएसआर नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट <https://recindia.nic.in/csr-sustainability-policy> और आरईसी फाउंडेशन (आरईसी की एक सीएसआर शाखा) की वेबसाइट <https://www.recfoundation.in> पर भी देख सकते हैं।

अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करना आवश्यक है।

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजनाएं अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों और इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अनुरूप संचालित की जाएं।

आरईसी अपनी सीएसआर गतिविधियों को पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से संचालित करता है, जिसमें 'आरईसी फाउंडेशन' भी शामिल है, जो एक पंजीकृत सोसायटी है। फाउंडेशन का संचालन आरईसी लिमिटेड के नामित अधिकारियों वाली शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

सीएसआर परियोजनाएं:

सीएसआर परियोजनाओं का चयन समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों में किया जाता है, जिसमें चुने गए/फोकस क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 467.84 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 34 सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और सीएसआर परियोजनाओं पर ₹ 255.01 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष से कैरी फॉरवर्ड किए गए ₹ 7.70 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित) खर्च की गई।

वर्ष के दौरान, सीएसआर सहायता मुख्य तौर पर निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं के लिए चैनलाइज की गई है:

- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना।
- देश के विभिन्न जिलों/राज्यों में दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण।
- देश भर में महिलाओं के लिए सरकारी आवासीय विद्यालयों/कॉलेजों में तीन वर्षों के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की खरीद, स्थापना, रखरखाव और संचालन।
- दूर-दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए भारत भर के विभिन्न जिलों में मोबाइल मेडिकल इकाइयों की खरीद, संचालन और रखरखाव।
- राजस्थान में आपातकालीन चिकित्सा विभाग का विस्तार और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मरीजों और उनके परिचारकों के लिए बहुमंजिला प्रतीक्षालय का निर्माण।
- अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लाल अस्पताल, नई दिल्ली में सभागार का नवीनीकरण और उन्नयन।



सामुदायिक कल्याण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों पर चर्चा के लिए हितधारकों के साथ सीएसआर संगोष्ठी सह परिचर्चा का आयोजन



श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, रायपुर में आरईसी की सीएसआर सहायता के तहत बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा के लिए समर्पित "आरईसी गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्डियक वार्ड"

- viii. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की सर्जरी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- ix. 2 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप रोल मॉडल स्कूल बनाना।
- x. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के परिसर में छात्रों के परिवहन के लिए ई-बसों की खरीद और तैनाती।

- xi. पूरे भारत के स्कूलों में आरईसी-इंटीग्रेटी क्लब को बढ़ावा देना।
- xii. कर्नाटक के हावेरी जिले के हंगल तालुका के मल्लिगर गांव में ग्रीनफील्ड स्कूल की स्थापना।
- xiii. महाराष्ट्र के वर्धा के हिंगणघाट में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का निर्माण।
- xiv. पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करना।



शीर्ष भारतीय एथलीटों द्वारा ओलंपिक की तैयारियों में तथा टैलेंट खोज और प्रशिक्षण शिविरों में सहयोग करके उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतिभाओं को सहयोग

2. सीएसआर समिति की संरचना:

अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इसकी संरचना और बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	डॉ. मनोज मनोहर पांडे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	9	9
2.	श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)	सदस्य	9	9
3.	श्री अजय चौधरी निदेशक (वित्त)	सदस्य 31 जनवरी 2024 तक	8	8
4.	डॉ. दुर्गेश नंदिनी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य 1 मार्च 2024 से प्रभावी	1	1

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं के विवरण हेतु वेब-लिंक:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives> पर निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है।

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन का विवरण:

22 जनवरी, 2021 से प्रभावी सीएसआर संशोधन नियमों के अनुसार उन परियोजनाओं का प्रभावी आकलन किया गया, जिनका परिव्यय एक करोड़ रुपये या उससे अधिक है और जो प्रभावी अध्ययन शुरू होने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं।

मैसर्स नांगिया एंड कंपनी एलएलपी ने प्रभावी आकलन अध्ययन किया। नीचे दी गई तालिकाओं में परियोजनाओं के नाम और परियोजनाओं के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं:

क्र. सं.	परियोजना विवरण	परियोजना के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष
1	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी (डीएच एंड एफडब्ल्यूएस), फरीदाबाद द्वारा बी.के. सिविल अस्पताल, फरीदाबाद में स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए ₹ 1.23 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. ऑपरेशन थियेटर, रेडियोलॉजी, नेत्र ओपीडी, स्त्री रोग, नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) और दंत चिकित्सा विभाग के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए। ख. विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों का उपचार किया गया। ग. स्वास्थ्य सेवा सुविधा में नए उपकरणों से रोगी देखभाल और निदान में सुधार हुआ है, जिससे रोगी की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। घ. अनुकूलित निदान प्रक्रिया से लागत में कमी आई है, प्रतीक्षा समय कम हुआ है तथा सुविधा की देखभाल क्षमता में वृद्धि हुई है।
2	महर्षि शिक्षण प्रसारक मण्डल (एमएसपीएम) द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹ 4.36 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. प्रशिक्षण के दौरान सॉफ्ट स्किल सत्र और विशेषज्ञ वार्ता ने प्रशिक्षुओं के कौशल को बढ़ाने में योगदान दिया। ख. प्रशिक्षण से लाभार्थियों के जीवन स्तर और आय के स्रोतों में वृद्धि हुई। ग. लाभार्थियों को सुरक्षित रोजगार के अवसर दिलाने में सहायता की गई।
3	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में खादी कताई, बुनाई और परिधान इकाई की संस्थापना/स्थापना के लिए ₹ 3.71 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. इस परियोजना से लगभग 500 व्यक्तियों को रोजगार मिला, जिससे वाराणसी जिले और आसपास के क्षेत्र में बेरोजगारी कम करने में मदद मिली। ख. वाराणसी जिले और आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान की गई। ग. महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें अपने परिवार और समुदाय में आर्थिक रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
4	परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एटीडीसी) द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचित वर्ग के 1100 बेरोजगार युवकों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹ 2.57 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. कौशल विकास कार्यक्रम से रोजगार सृजन, आर्थिक सशक्तिकरण तथा लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। ख. प्रशिक्षण से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ।
5	स्वामी शिवानंद मैमोरियल इंस्टीट्यूट (एसएसएमआई) द्वारा पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्वामी शिवानंद मैमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स (एसएसएमआई) स्कूल के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए ₹ 2.50 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए अधिक अनुकूल और संलग्न शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया गया। ख. बुनियादी ढांचे के विस्तार से विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई। ग. शिक्षण विधियों में सुधार, एकाग्रता स्तर में वृद्धि और पाठ्येतर गतिविधियों में अधिक भागीदारी से शैक्षिक वातावरण में सुधार हुआ।
6	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय (एमकेयू) द्वारा तमिलनाडु के मदुरै जिले में कामराज विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर 1 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) प्रणाली की स्थापना के लिए ₹ 7.76 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. इस परियोजना ने ग्रिड बिजली पर विश्वविद्यालय की निर्भरता को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। ख. विश्वविद्यालय में छतों पर सौर पैनल लगाने से छात्रों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा संस्थान की लागत में भी पर्याप्त बचत हुई। ग. गैर-नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता में कमी।
7	टाटा मैमोरियल सेंटर (टीएमसी), नवी मुंबई द्वारा टाटा मैमोरियल सेंटर, खारघर, नवी मुंबई में एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी) में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए ₹ 9.99 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. इस परियोजना के परिणामस्वरूप एसीटीआरईसी में सार्वजनिक वितरण जल के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई। ख. केंद्र में अधिक टिकाऊ जल उपयोगी प्रणालियों में योगदान दिया।

क्र. सं.	परियोजना विवरण	परियोजना के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष
8	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर, राजस्थान द्वारा देश भर में 5 स्थानों पर विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को 3400 सहायक उपकरण वितरित करने के लिए ₹1.46 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. गतिशीलता और स्वतंत्रता को बढ़ाकर लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ख. लाभार्थियों में निर्भरता कम हुई तथा आत्मनिर्भरता बढ़ी।
9	मध्य प्रदेश के रीवा जिले में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मेमोरियल अस्पताल के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज (एसएसएमसी), रीवा, मध्य प्रदेश द्वारा ₹9.14 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और हाशिए पर पड़े समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ख. कोविड-19 महामारी के दौरान, नवनिर्मित मनोचिकित्सा वार्ड ने टीकाकरण केंद्र में परिवर्तित होकर अपनी अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया। ग. गंभीर मनोरोग स्थितियों वाले मरीजों को अब अस्पताल के बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नियंत्रित वातावरण में वैयक्तिकृत देखभाल हेतु योगदान।
10	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी (आरएमआरएस), एसएमएस अस्पताल, जयपुर, राजस्थान द्वारा एसएमएस अस्पताल, जयपुर में न्यूरोसर्जरी विभाग में न्यूरो नेविगेशन (क्रेनियल+स्पाइनल) मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹2.46 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. अस्पताल प्रति सप्ताह 2-3 रोगियों को उपचार प्रदान करने में सक्षम है, जो कि प्रतिवर्ष लगभग 500 रोगियों के बराबर है, तथा शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में इसकी सफलता दर भी उच्च है। ख. मरीजों को तेजी से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और इससे ऑपरेशन के बाद की परेशानी को कम करने में मदद मिली है। ग. न्यूरो नेविगेशन मशीन व्यक्तिगत रोगी की जरूरतों के अनुरूप वैयक्तिकृत उपचार योजना की सुविधा प्रदान करती है, तथा गंभीर मामलों में सफल परिणाम प्राप्त करने में सहायता करती है।
11	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी (आरएमआरएस), एसएमएस अस्पताल, जयपुर, राजस्थान द्वारा एसएमएस अस्पताल जयपुर में डिजिटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी (डीएसए) मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹5.33 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. डीएसए मशीन की उच्च-रिजॉल्यूशन इमेजिंग क्षमताओं ने गंभीर मामलों के उपचार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। ख. अब मरीजों को ठीक होने में काफी कम समय लगता है, जिससे वे अपनी नियमित दिनचर्या में बहुत तेजी से वापस आ सकते हैं। प्रक्रियाओं के बाद आराम में यह वृद्धि रोगी की संतुष्टि और समग्र कल्याण को काफी हद तक बढ़ाती है। ग. पहले जिन मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी बढ़ते खतरों के कारण पारंपरिक सर्जरी के लिए अनुपयुक्त माना जाता था, वे अब डीएसए मशीन द्वारा संभव बनाए गए न्यूनतम आक्रामक आईआर उपचारों से लाभान्वित हो सकते हैं। घ. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान डीएसए मशीन से 450 से अधिक मरीज ठीक हुए।
12	उखरुल जिला सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी (यूडीसीआरएमएस) द्वारा मणिपुर के उखरुल जिले के सोमदल गांव में बहुउद्देशीय हॉल सह इनडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए ₹3.99 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. बहुउद्देशीय हॉल सह इनडोर स्टेडियम का उपयोग कार्यक्रमों और खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए किया जाता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि होती है। ख. सोमदल गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
13	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 1500 लोगों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹2.07 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. प्रशिक्षण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों की सीखने की यात्रा को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है तथा उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद की है। ख. इस परियोजना से लाभार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं तथा आजीविका कमाने में मदद मिली है।
14	मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज (एमएसएसएस) द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ₹1.38 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. प्रशिक्षण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों की रोजगार स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है, तथा उनमें से अधिकांश अब आय-उत्पादक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। ख. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिकांश लाभार्थियों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
15	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (एससीजीजे), नई दिल्ली द्वारा स्मार्ट ग्राम परियोजना के तहत हरियाणा के गुडगांव और मेवात जिले के 5 गांवों में सौर रूफ-टॉप पावर पैनल और माइक्रो ग्रिड की स्थापना के लिए ₹1.80 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. इससे लागत में उल्लेखनीय बचत हुई है और ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हुई है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिला है।
16	हेल्पएज इंडिया (एचएआई), नई दिल्ली द्वारा शेय गांव, लेह - लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए कल्याण सुविधा (60 सीटर) के साथ आश्रय गृह के निर्माण और संचालन के लिए ₹3.50 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और इस प्रकार उनके समग्र कल्याण को बढ़ाना। ख. परियोजना ने अलगाव की भावना को कम किया है और सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित किया है, जिससे सार्थक संबंधों को बढ़ावा मिला है और भावनात्मक सहयोग मिला है।

क्र. सं.	परियोजना विवरण	परियोजना के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष
17	टाटा मैमोरियल कैंसर अस्पताल (टीएमसीएच), बिहार द्वारा बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए ₹ 4.18 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. यह कार्यक्रम प्रतिभागियों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में प्रभावी रहा। ख. इसने प्रतिभागियों के एक बड़े हिस्से को अपने स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय कदम उठाने के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया है।
18	आरोग्य रक्षा समिति जिला अस्पताल (एआरएसडीएच), यादगिरी द्वारा कर्नाटक के नए जिला अस्पताल, यादगिरी में 32 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹ 2.18 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. इससे अस्पताल के कार्यप्रवाह में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो अब 17 से 25 रोगियों तक हो गई है। ख. सीटी स्कैन मशीन से अस्पताल की कार्यक्षमता और क्षमता में सुधार हुआ है। ग. मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रक्रियाओं के लिए प्रतीक्षा अवधि संभवतः कम हो गई है।
19	संबलपुर विश्वविद्यालय (एसयू), ओडिशा द्वारा संबलपुर, ओडिशा में संबलपुर विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर 245 किलोवाट एसपीवी प्रणाली और एलईडी लाइट की स्थापना के लिए ₹ 3.34 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. ऊर्जा बिल में 25% - 30% की कमी आई है जो कि वार्षिक रूप से काफी बचत के बराबर है। ख. एलईडी लाइटें कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
20	वनवासी कल्याण परिषद (आर.वी.के.पी.), उदयपुर द्वारा राजस्थान के 3 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुओं को गहरा करने, चेक डैमों के जीर्णोद्धार और निर्माण तथा चिकित्सा शिविरों के आयोजन के लिए ₹ 1.21 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. घरेलू और कृषि प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ख. एक लाभार्थी ने बताया कि कुएं से मिट्टी साफ करने की जरूरत न होने के कारण उसे हर साल ₹ 2000 की बचत होती है। इससे पता चलता है कि इस परियोजना से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि वित्तीय बचत भी हुई है। ग. गेहूं, मक्का, मसूर, चना, कपास और अन्य सब्जियों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
21	द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया (एलएमटीआई), नई दिल्ली द्वारा चंपा, छत्तीसगढ़, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश और वडाथोरासलूर, तमिलनाडु के लेप्रोसी मिशन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और मेटरनिटी ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुष्ठ रोग से प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ₹ 5.19 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, आंतरिक रोगी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है, रोगी सुविधाओं में सुधार हुआ है तथा भर्ती मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ख. बुनियादी ढांचे में वृद्धि, जैसे कि मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण और ऑपरेटिंग कमरों का विस्तार, ने उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की अस्पताल की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।
22	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) द्वारा तेलंगाना के वारंगल जिले में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड बैंक उपकरण/वस्तुओं की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹ 1.43 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. नए उपकरणों के जुड़ने से रक्त बैंक की भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। ख. तकनीकी प्रगति ने रक्त बैंक की परिचालन दक्षता और सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ा दिया है।
23	सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेजर्स एम्पावरमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल (सवेरा) द्वारा बिहार के पूर्णिया जिले के 200 आंगनवाड़ी केंद्रों/प्राथमिक विद्यालयों में 500 लीटर के ओवरहेड स्टोरेज टैंक और 1 एचपी विद्युत पंप के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ 1.01 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. इस पहल से सफलतापूर्वक जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों के कल्याण में सुधार हुआ है। ख. रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) स्थापना परियोजना ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (डब्ल्यूएसएच) के बारे में छात्रों और कर्मचारियों की जागरूकता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
24	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) द्वारा ओडिशा के कटक में स्थित स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) में 'विकृति सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में संस्थान की स्थापना के लिए एसवीएनआईआरटीएआर में भवन निर्माण के लिए ₹ 15.16 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. नए एनेक्स भवन के अनावरण के परिणामस्वरूप मरीजों की प्रतीक्षा सूची में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके बाद औसत दैनिक मरीज पंजीकरण बढ़कर 250 से अधिक हो गया है। ख. इस विस्तार से न केवल पिछली समस्याएं हल हो गई हैं, बल्कि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं शीघ्रता से उपलब्ध कराने की क्षमता भी बढ़ गई है। ग. इस क्षमता से कई रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
25	तेलंगाना के महबूबनगर जिले के 24 सरकारी स्कूलों में कंपाउंड की दीवारों के निर्माण और गेट लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), महबूबनगर द्वारा ₹ 2.91 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई।	क. स्कूल में छात्रों की सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार लाने में मदद मिली। ख. स्कूलों ने गली के कुत्तों और अन्य जानवरों को रोकने के लिए सफलतापूर्वक उपाय लागू किए हैं, जो पहले सुरक्षा के लिए खतरा और व्यवधान का स्रोत थे। स्थानीय लोगों के अनधिकृत प्रवेश में कमी के परिणामस्वरूप स्कूल परिसर अधिक साफ हो गया है, जिससे सीखने का अधिक उपयुक्त माहौल बना है। ग. नये परिसर की दीवारों और गेटों के निर्माण से स्कूल की सौंदर्यात्मक सुंदरता बढ़ गई है।

विस्तृत प्रभावी आकलन रिपोर्ट <https://recindia.nic.in/impact-assessment-reports> पर उपलब्ध है।

नीचे दी गई तालिका में विभिन्न मापदंडों पर 25 परियोजनाओं की रेटिंग दी गई है, जैसे (i) आवश्यकता (ii) क्षमता (iii) प्रभावशीलता (iv) प्रभाव और (v) वहनीयता। अंतिम कॉलम सभी मापदंडों का सारांश प्रदान करता है। प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन उपरोक्त प्रमुख मापदंडों पर किया गया है और 6-बिंदु पैमाने पर भारित औसत अंकों के आधार पर संतोषजनक और असंतोषजनक स्तर में वर्गीकृत किया गया है :

85-100% → अत्यंत संतोषजनक (ईएस)

70-84% → संतोषजनक (एस)

55-69% → मध्यम रूप से संतोषजनक (एमएस)

40-54% → सीमांत रूप से संतोषजनक (एमएस)

20-39% → असंतोषजनक (यूएस)

< 20% → अत्यंत असंतोषजनक (ईयूएस)

क्र.सं.	क्रियान्वयन एजेंसी	आवश्यकता	क्षमता	प्रभावशीलता	प्रभाव	वहनीयता	कुल मिलाकर
1	डीएच और एफडब्ल्यूएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
2	एमएसपीएम	ईएस	एस	एमएस	ईएस	ईएस	एस
3	केवीआईसी	एस	ईएस	ईएस	एस	ईएस	ईएस
4	एटीडीसी	ईएस	ईएस	ईएस	एस	एस	ईएस
5	एसएसएमआई	ईएस	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
6	एमकेयू	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
7	टीएमसी	ईएस	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
8	बीएमवीएसएस	एमएस	एस	ईएस	एस	एस	ईएस
9	एसएसएमसी	ईएस	एमएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
10	आरएमआरएस - न्यूरो	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	एमएस	ईएस
11	आरएमआरएस - एसएमएस	ईएस	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
12	यूडीसीआरएमएस	एमएस	एस	ईएस	ईएस	एस	ईएस
13	सीआईआई	एस	एस	ईएस	ईएस	एस	एस
14	एमएसएसएस	ईएस	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
15	एससीजीजे	एमएस	एस	एमएस	एस	एस	एस
16	एचएआई	एमएस	एस	ईएस	ईएस	ईएस	एस
17	टीएमसीएच	एमएस	एस	ईएस	ईएस	ईएस	एस
18	एआरएसडीएच	एस	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
19	संबलपुर विश्वविद्यालय	एस	एस	ईएस	एस	ईएस	ईएस
20	आरवीकेपी	एस	एस	ईएस	एस	ईएस	एस
21	टीएलएमटीआई	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस	एस
22	आईआरसीएस	एस	ईएस	ईएस	एस	ईएस	एस
23	सवेरा	एमएस	एस	ईएस	एस	एस	एस
24	एसवीएनआईआरटीएआर	एस	एस	ईएस	ईएस	ईएस	ईएस
25	डीएम, महबूबनगर	एमएस	ईएस	ईएस	एस	ईएस	एस



आंध्र प्रदेश के कडप्पा के वाईएसआर जिले में 12 सरकारी उच्च विद्यालयों में आरईसी की सीएसआर सहायता से आरओ संयंत्र के साथ रसोई और भोजन कक्ष का निर्माण



फरीदाबाद, हरियाणा में आरईसी की सीएसआर सहायता से सामुदायिक शौचालय परिसर का नवीनीकरण

5. **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर आवंटन:** (₹ करोड़ में)
- (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : ₹12,493.09
- (ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : ₹249.86
- (ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : ₹7.70
- (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) - (घ)] : ₹242.16
6. **वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर व्यय:** (₹ करोड़ में)
- (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा दोनों) : ₹ 239.22
- जैसा कि अनुलग्नक-क में विस्तृत है
- (ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : ₹ 7.96
- (ग) प्रभावी आकलन पर व्यय राशि : ₹ 0.13
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क) + (ख) + (ग)] : ₹247.31
- (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अप्रयुक्त सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
₹ 247.31	शून्य	एनए	शून्य	एनए	एनए

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	₹249.86
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (पिछले वर्ष के ₹7.70 करोड़ के अप्रेषित अधिशेष के समायोजन सहित)	₹255.01
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii) - (i)]	₹5.15
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	₹5.15

7. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:**

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित की गई राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ करोड़ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वित्तीय वर्ष 2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वित्तीय वर्ष 2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है? शून्य।
9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना सीएसआर बजट पूरी तरह खर्च कर दिया है।

ह/-
 (विजय कुमार सिंह)
 निदेशक (परियोजना)
 डीआईएन : 02772733

ह /-
 (डॉ. मनोज मनोहर पांडे)
 स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर
 समिति के अध्यक्ष
 डीआईएन : 09388430

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 27 जुलाई, 2024

अनुलग्नक-क: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मर्दे	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
1	140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक-बी और पार्ट ब्लॉक-सी) - बेघर बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	अलवर	राजस्थान
2	समुदायों को सशक्त बनाकर गर्दन से संबंधित कैंसर की जांच में सुधार	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
3	शहरी मलिन बस्तियों में लिंग आधारित हिंसा (जी.बी.वी.) की व्यापकता को कम करना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मैसूर और बरेली	कर्नाटक और उत्तर प्रदेश
4	मनोरोग पुनर्वास सेवाओं का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बेंगलुरु	कर्नाटक
5	जिला अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद द्वारा जिला अस्पताल, मोन का उन्नयन	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मोन	नागालैंड
6	चिकित्सा विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टर का निर्माण / विस्तार और शिक्षकों के लिए मॉड्यूलर प्रीफैब्रिकेटेड आवास (क्वार्टर)	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	किफिरे	नागालैंड
7	आरईसी द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के तहत 2014-15 के दौरान निर्मित 12,347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	विभिन्न जिले	उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश
8	एसवीए के अंतर्गत आरईसी द्वारा निर्मित शौचालयों की दो चरणों में मरम्मत/सुधार; चरण-2 में 1,681 शौचालय बनाए गए	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	विभिन्न जिले	उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश
9	देश के विभिन्न जिलों में 25 स्थानों पर शिविरों का आयोजन करके लगभग 9,000 दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
10	विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को 4,300 सहायक उपकरण प्रदान किए गए	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	सोनितपुर, वैशाली, बिलासपुर, बोकारो, चंद्रपुर, दौसा, एटा, थूथकुडी	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु
11	जनजातीय क्षेत्रों में चलाने के लिए 15 एम्बुलेंस की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	अनुपपुर, बड़वानी, बैतूल, धार, हरदा, खंडवा, खरगौन, सिवनी, शहडोल, सीधी, विदिशा	मध्य प्रदेश
12	नर्सिंग प्रशिक्षण प्रदान करके स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा में परिवर्तन, जिला अस्पताल में बुनियादी ढांचे का समर्थन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अस्पताल कर्मचारियों को मजबूत करना, जनरेटर की खरीद, सरकारी स्कूल भवन में बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण आदि	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	किफिरे	नागालैंड
13	चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	बिलासपुर	छत्तीसगढ़
14	तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों की खरीद, संचालन और रखरखाव	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	भोजपुर	बिहार
15	याइंगंगपोकपी से लाईकोइचिंग तक 12 किलोमीटर की सड़क का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	उखरूल	मणिपुर

परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन / नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	
0.15	नहीं	सपना	CSR00000235
0.14	नहीं	प्रगतिशील फाउंडेशन	CSR00013216
0.90	नहीं	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (पीएचआरआईआई), मैसूर और आरईसी फाउंडेशन	CSR00011722
0.09	नहीं	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) के मनोरोग पुनर्वास सेवा विभाग (पीआरएस)	CSR00006218
0.32	नहीं	डिप्टी कमिश्नर, मोन	CSR00006825
0.80	नहीं	डिप्टी कमिश्नर, किफिरे	लागू नहीं
1.00	नहीं	भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस)	CSR00000812
11.85	नहीं	भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस)	CSR00000812
1.09	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	CSR00000532
1.38	नहीं	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस)	CSR00001480
0.26	नहीं	परिवार एजुकेशन सोसाइटी (पीईएस)	CSR00000052
1.35	नहीं	डिप्टी कमिश्नर, किफिरे	लागू नहीं
3.87	नहीं	सिविल सर्जन, बिलासपुर	CSR00005901
3.11	नहीं	डॉक्टर्स फॉर यू	CSR00000608
1.55	नहीं	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी (एनईआरसीआरएमएस)	CSR00040556

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मर्दाने	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
16	सदर अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए 100 बिस्तरों वाले प्रतीक्षालय, बहुउद्देशीय हॉल और इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 25 इन्क्यूबेटर्स की खरीद और स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मुजफ्फरपुर	बिहार
17	कैम्पटी कैट बोर्ड अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नागपुर	महाराष्ट्र
18	रक्त घटकों को अलग करने के लिए रक्त बैंक उपकरणों की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	कृष्णा	आंध्र प्रदेश
19	एम्स, दिल्ली के सेंट्रल स्टेराइल सप्लाय डिपार्टमेंट (सीएसएसडी) इकाई का नवीनीकरण और नए चिकित्सा उपकरणों की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नई दिल्ली	नई दिल्ली
20	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों के परिचारकों के लिए 200 बिस्तरों वाले विश्राम कक्ष (एसकेएमसीएच में विश्राम सदन) का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मुजफ्फरपुर	बिहार
21	12 सरकारी हाई स्कूलों में रसोई, भोजन कक्ष और स्टोर रूम का निर्माण और रिवर्स ऑस्मोसिस जल उपचार संयंत्र की स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	कड़प्पा	आंध्र प्रदेश
22	एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन चिकित्सा विभाग का विस्तार और चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	जयपुर	राजस्थान
23	हीलिंग लिटिल हार्ट्स - जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) से पीड़ित 1,000 बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आरईसी की पहल	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र	छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र
24	गढ़चिरौली में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए 2 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की खरीद, संचालन और रखरखाव	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	गढ़चिरौली	महाराष्ट्र
25	देश के विभिन्न जिलों/राज्यों में दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण (25 शिविर)	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
26	आरईसी प्रतीक्षालय "एम्स - आरईसी आश्रय " का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नई दिल्ली	नई दिल्ली
27	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नवीनीकरण एवं निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	ममित	मिजोरम
28	एबीवीआईएमएस और डॉ. आरएमएल अस्पताल में सभागार का नवीनीकरण और संवर्धन	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	नई दिल्ली	नई दिल्ली
29	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
30	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत मलिन बस्ती की सफाई, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, आरईसी अभियान आदि सुनिश्चित करने के लिए एक मलिन बस्ती को गोद लेना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	आरईसी लिमिटेड के सीओ और 19 आरओ में,	पूरे भारत में
31	आरईसी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आरईसी-इंटीग्रेटी क्लब	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
32	वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण निर्माण/सब स्टेशनों पर कार्यरत प्रवासी मजदूरों /परिवार के सदस्यों, गरीब लोगों, दिहाड़ी मजदूरों आदि को भोजन उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
33	पीएम केयर्स फंड में योगदान	पीएम केयर्स	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
34	पीएम केयर्स फंड में योगदान	पीएम केयर्स	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में

परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन / नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	
3.24	नहीं	डीसी मुजफ्फरपुर /टीसीआईएल	लागू नहीं
0.45	नहीं	छावनी बोर्ड कैम्पटी (कैंट बोर्ड), नागपुर, महाराष्ट्र	CSR00018641
0.03	नहीं	जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम	लागू नहीं
(0.24)	नहीं	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	CSR00028135
6.52	नहीं	डीसी, मुजफ्फरपुर	लागू नहीं
1.25	नहीं	जिला कलेक्टर, कडप्पा	लागू नहीं
1.82	नहीं	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, एसएमएस	CSR00009060
10.50	नहीं	श्री सत्य साईं स्वास्थ्य एवं शिक्षा ट्रस्ट (एसएसएसएचईटी)	CSR00001048
0.26	नहीं	सीए एवं एफओ, गढ़चिरौली	CSR00041612
2.23	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	CSR00000532
5.93	नहीं	अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	CSR00028135
1.52	नहीं	उपायुक्त, ममित	लागू नहीं
3.18	नहीं	एबीवीआईएमएस और आरएमएल अस्पताल	CSR00061565
3.00	हाँ	भारत सरकार	लागू नहीं
(0.02)	हाँ	संबंधित सीपीएम, आरओ और प्रशासन विभाग, आरईसी लिमिटेड	CSR00005016
0.00	हाँ	आरईसी फाउंडेशन	CSR00005016
(0.11)	हाँ	आरईसी स्वयंसेवक/ विद्युत संस्थान/ स्थानीय प्रशासन/ पुलिस	CSR00005016
50.00	हाँ	भारत सरकार	लागू नहीं
35.00	हाँ	भारत सरकार	लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मर्दाने	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
35	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	छतरपुर	मध्य प्रदेश
36	कोहिमा साइंस कॉलेज में "आरईसी गर्ल्स हॉस्टल" (जी+2) का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	कोहिमा	नागालैंड
37	27 सरकारी स्कूलों में पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे से बनी 1,000 स्कूल बैच उपलब्ध कराना तथा 12 महीने की अवधि के लिए 50 स्कूलों में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना	शिक्षा	लागू नहीं	गुरुग्राम	हरियाणा
38	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभागार का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	कन्नूर	केरल
39	समाज के अनुसूचित जनजाति/असुरक्षित/कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	राजसमंद	राजस्थान
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्वरोजगार के लिए उपकरण किट का वितरण करना	शिक्षा	लागू नहीं	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
41	स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (स्मार्ट ऑन आईआईटी) के अंतर्गत फर्नीचर, फिक्सचर, लैंडस्केपिंग, एक्सटर्न लाइटिंग और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए पहुंच मार्ग के साथ 2 छात्रावास टावर (जी+8) का निर्माण और ग्रीड से जुड़े 100 किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर पीवी पैनल की स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	कानपुर	उत्तर प्रदेश
42	150 आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और 11 सेवा कुटीरों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना। सेवा कुटीरों में लगभग 1,541 बच्चे शामिल हैं	शिक्षा	लागू नहीं	खंडवा	मध्य प्रदेश
43	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को (रबी मौसम) मुफ्त बीज वितरण	शिक्षा	लागू नहीं	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
44	सीखें और कमाएँ (लर्न एंड अर्न)- आरईसी फाउंडेशन की एक पहल जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में 300 युवाओं को परिधान निर्माण और उद्यमिता में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी	शिक्षा	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
45	जिला परिषद उच्च विद्यालय में तीन क्लासरूम, भोजन कक्ष एवं एक डिजिटल क्लासरूम का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	पलनाडु	आंध्र प्रदेश
46	शिक्षण सहायता, ढांचागत विकास आदि प्रदान करके दृष्टिबाधित बच्चों के लिए समग्र शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	नई दिल्ली	नई दिल्ली
47	24 सरकारी स्कूलों में कंपाउंड की दीवारों का निर्माण और गेट उपलब्ध कराना	शिक्षा	लागू नहीं	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश
48	प्रवासी निर्माण श्रमिकों के 462 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु इनोवेटिव मोबाइल स्कूल का संचालन	शिक्षा	लागू नहीं	गुरुग्राम और हरदोई	हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश
49	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा के बुनियादी ढांचे सह प्रशिक्षण घटक को मजबूत करना	शिक्षा	लागू नहीं	चंबा	हिमाचल प्रदेश
50	100 स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप "आरईसी फाउंडेशन-रूपांतर रोल मॉडल स्कूल " बनाने के लिए सहायता	शिक्षा	लागू नहीं	जम्मू-कश्मीर, असम और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में	जम्मू-कश्मीर, असम और छत्तीसगढ़

परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन / नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	
0.23	नहीं	भारतीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट (आईआईएचईआरटी)	CSR00003571
1.06	नहीं	नागालैंड निवेश एवं विकास प्राधिकरण	CSR00024598
0.75	नहीं	डीआरआईआईवी फाउंडेशन	CSR00021129
(0.01)	नहीं	जिला पंचायत, कन्नूर	लागू नहीं
0.26	नहीं	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद (आरवीकेपी)	CSR00008067
0.28	नहीं	राजुरेश्वर गणेश बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था (आरजीबीएसएस)	CSR00001405
4.00	नहीं	आईआईटी कानपुर	CSR00004774
(0.08)	नहीं	परिवार एजुकेशन सोसाइटी	CSR00009060
0.66	नहीं	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ)	लागू नहीं
1.34	नहीं	परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एटीडीसी)	CSR00000938
0.19	नहीं	कनेक्ट टू आंध्र	CSR0000366
(0.03)	नहीं	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, आर.के.पुरम परिसर, नई दिल्ली	लागू नहीं
0	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, महबूबनगर	लागू नहीं
0.13	नहीं	ऑल इंडिया सिटिज़न्स अलायन्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट (एआईसीएपीडी)	CSR00002627
0.33	नहीं	डीसी चंबा	लागू नहीं
1.00	नहीं	श्री अरबिंदो सोसाइटी	CSR00000200

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मर्दाने	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
51	ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में 1,650 सौर स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	नासिक	महाराष्ट्र
52	रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) और 5 साल की व्यापक एएमसी के साथ 500 सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (12 वॉट) की स्थापना	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश
53	स्वच्छ गंगा कोष में योगदान	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
54	राज्य विद्युत संस्थानों/शहरी पार्कों, निकटवर्ती क्षेत्रों आदि में आरईसी सीओ/आरओ/एसओ द्वारा 54 पौधों/वृक्षों के रोपण के लिए खरीद।	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
55	गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेनोरियल एक्सीलेंस (जीएफईई) इनक्यूबेटर्स के कोष में 3 साल की अवधि के लिए ₹ 20 करोड़ का योगदान यानी प्रति वर्ष ₹ 6.66 करोड़ का योगदान	इन्क्यूबेटर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	गुजरात
56	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक हॉल, पीसीसी सड़क, नाली, यात्री शेड का निर्माण, एलईडी लाइट, आरओ प्लांट आदि की स्थापना	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	भोजपुर	बिहार
57	सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	सेनापति	मणिपुर
58	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	महबूबनगर और अनंतपुर	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
59	दो बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल का निर्माण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	कृष्णा	आंध्र प्रदेश
60	सरस्वती प्लाजा के नीचे प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल का निर्माण , सरस्वती एज और मंदिर मार्ग के बीच बुनियादी ढांचे का विकास और विभिन्न कुंडों का जीर्णोद्धार और विकास कार्य	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	केदारनाथ	उत्तराखंड
61	गांवों में विकास कार्य	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	भोजपुर	बिहार
62	गवर्नमेंट नागार्जुन पीजी कॉलेज ऑफ साइंस में एक इनडोर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	खेल-कूद	लागू नहीं	रायपुर	छत्तीसगढ़
63	भारत में खेलों का व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना	खेल-कूद	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में
64	एक माह तक चलने वाले खेल प्रतिभा पहचान एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	खेल-कूद	लागू नहीं	बालासोर	ओड़िशा
65	भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम), शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शिक्षा अनुदान प्रदान करने के लिए सशस्त्र सेना इंडा दिवस निधि (एएफएफडी फंड) में योगदान	सशस्त्र बलों के लाभ	लागू नहीं	पूरे भारत में	पूरे भारत में

सीएसआर परियोजनाओं में कुल संवितरण

प्रभावी मूल्यांकन लागत

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशासनिक व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल सीएसआर व्यय

परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन / नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	
0.64	नहीं	डीसी नासिक और आरईआईएल	लागू नहीं
0.29	नहीं	हिमऊर्जा	CSR00020953
20.00	नहीं	भारत सरकार	लागू नहीं
0.25	हाँ	आरईसी फाउंडेशन	CSR00005016
6.66	नहीं	गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस (जीएफईई)	CSR00018338
0.40	नहीं	एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी), नई दिल्ली	लागू नहीं
1.11	नहीं	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मणिपुर	CSR00031715
0.35	नहीं	इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसएटी), पटनचैरु, तेलंगाना	लागू नहीं
0.31	नहीं	कनेक्ट टू आंध्र	CSR00003666
11.32	नहीं	श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट (एसकेयूसीटी)	CSR00009855
0.05	नहीं	आरईसी फाउंडेशन	CSR00005016
0.25	नहीं	जीएनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़	CSR00048721
21.00	नहीं	राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ), युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएस), भारत सरकार	CSR00016457
0.57	हाँ	आरईसी फाउंडेशन	CSR00005016
13.50	नहीं	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड	CSR00011199
239.22			
0.13			
7.96			
247.31			

31 मार्च, 2024 तक विभिन्न बॉण्ड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों के विवरण

सेबी (एलओडीआर) विनियामवली, 2015 के विनियम 53 के अनुसार

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
1	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल, सर पीएम रोड, फोर्ट, मुंबई-400001	श्री सुमित पंजाबी फोन: +91-22-40807178 ईमेल: sumit@idbitrustee.com वेबसाइट: www.idbitrustee.com	आईएनई020बी08427	94
			आईएनई020बी08443	95-II
			आईएनई020बी07आईजेड5	123-III-10 वर्ष
			आईएनई020बी08880	128
			आईएनई020बी08898	129
			आईएनई020बी08906	130
			आईएनई020बी08914	131
2	बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, 7ए एंड बी, सिद्धिविनायक चैम्बर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	श्री कौस्तुभ कुलकर्णी फोन: +91-22-26558759 ईमेल: compliance@beacontrustee.co.in वेबसाइट: www.beacontrustee.co.in	आईएनई020बी08बीए1	162
			आईएनई020बी08बीबी9	163
			आईएनई020बी08बीजी8	168
			आईएनई020बी08बीएच6	169
			आईएनई020बी08बीपी9	175
			आईएनई020बी08बीक्यू7	176
			आईएनई020बी08बीएस3	178
			आईएनई020बी08बीवी7	180-ए
			आईएनई020बी08बीयू9	180-बी
			आईएनई020बी08बीडब्ल्यू5	182
			आईएनई020बी08बीएक्स3	183
			आईएनई020बी08ईएन8	184-ए
			आईएनई020बी08सीएफ8	186-बी
			आईएनई020बी08सीआई2	188-बी
			आईएनई020बी08सीजे0	189
			आईएनई020बी08सीके8	190-ए
			आईएनई020बी08सीएम4	191-बी
			आईएनई020बी08सीपी7	192
			आईएनई020बी08सीयू7	197
			आईएनई020बी08सीडब्ल्यू3	198-बी
			आईएनई020बी08सीएक्स1	199
			आईएनई020बी08सीजेड6	201-ए
			आईएनई020बी08डीए7	201-बी
			आईएनई020बी08डीबी5	202-ए
			आईएनई020बी08डीई9	203-ए
			आईएनई020बी08डीएफ6	203-बी
			आईएनई020बी08डीजी4	204-ए
			आईएनई020बी08डीएच2	204-बी
			आईएनई020बी08डीके6	205-बी
			आईएनई020बी08डीएल4	206-पीडीआई
			आईएनई020बी08डीएम2	207

प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
अप्रतिभूतित	9-जून-2025	8.75%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगौर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली-110062 संपर्क व्यक्ति: श्री संजय रस्तोगी फोन: +91-11-2996 1281-83 ईमेल: recbonds1@gmail.com, beetalrta@gmail.com वेबसाइट: https://www.beetalfinancial.com/
अप्रतिभूतित	14-जुलाई-2025	8.75%	हाँ	नहीं	
प्रतिभूतित	23-अगस्त-2024	9.34%	हाँ	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 एंड 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मण्डल, हैदराबाद-500032 संपर्क व्यक्ति: श्री गोपाल कृष्ण फोन: 1-800-309-4001 ईमेल: einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com/
अप्रतिभूतित	21-दिसंबर-2024	8.57%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	23-जनवरी-2025	8.23%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	6-फरवरी-2025	8.27%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	21-फरवरी-2025	8.35%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	9-अगस्त-2028	8.55%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	25-अगस्त-2028	8.63%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	29-नवंबर-2028	8.56%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-दिसंबर-2028	8.37%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-मार्च-2029	8.97%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	16-अप्रैल-2029	8.85%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	14-मई-2029	8.80%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	25-जून-2024	8.10%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	25-जून-2029	8.30%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	22-अगस्त-2034	8.18%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	16-सितंबर-2034	8.29%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-सितंबर-2029	8.25%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-नवंबर-2024	7.40%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2030	7.89%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2030	7.92%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20-मार्च-2025	6.88%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-सितंबर-2024	6.99%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-फरवरी-2030	7.50%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	11-मई-2030	7.55%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	21-मई-2030	7.79%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	15-जून-2030	7.96%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2025	5.90%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2031	6.90%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-सितंबर-2030	7.25%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20-दिसंबर-2030	6.80%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20-दिसंबर-2025	5.85%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2031	6.90%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-दिसंबर-2025	5.81%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2026	5.94%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	लागू नहीं*	7.97%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2036	7.02%	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
			आईएनई020बी08डीओ8	208
			आईएनई020बी08डीआर1	210
			आईएनई020बी08डीटी7	211
			आईएनई020बी08डीयू5	212
			आईएनई020बी08डीवी3	213
			आईएनई020बी08डीडब्ल्यू1	214-ए
			आईएनई020बी08डीएक्स9	214-बी
			आईएनई020बी08डीएक्स9	214-बी(पुनर्निर्गम)
			आईएनई020बी08डीजेड4	215
			आईएनई020बी08ईए5	216-ए
			आईएनई020बी08ईबी3	216-बी
			आईएनई020बी08ईसी1	217
			आईएनई020बी08ईडी9	218-ए
			आईएनई020बी08ईई7	218-बी
			आईएनई020बी08ईएफ4	219
			आईएनई020बी08ईएच0	220-ए
			आईएनई020बी08ईजी2	220-बी
			आईएनई020बी08ईआई8	221
			आईएनई020बी08ईजे6	222-पीडीआई
			आईएनई020बी08सीआई2	188-बी (पुनर्निर्गम)
			आईएनई020बी08डीवी3	213 (पुनर्निर्गम)
			आईएनई020बी08ईएल2	223-ए
			आईएनई020बी08ईके4	223-बी
			आईएनई020बी08ईएम0	225
			आईएनई020बी08ईओ6	226 -पीडीआई
			आईएनई020बी08EP3	227-ए
			आईएनई020बी08ईक्यू1	227-बी
			आईएनई020बी08ईएस7	228-ए
			आईएनई020बी08ईआर9	228-बी
			आईएनई020बी08ईटी5	229-ए
			आईएनई020बी08ईयू3	229-बी
			आईएनई020बी08ईडब्ल्यू9	230-ए
			आईएनई020बी08ईवी1	230-बी
			आईएनई020बी08ईएक्स7	231-ए
			आईएनई020बी08ईवाई5	231-बी
			आईएनई020बी08बीसी7	जीओआई-IV
			आईएनई020बी08बीई3	जीओआई-V
			आईएनई020बी08बीजे2	जीओआई-VI
			आईएनई020बी08बीएल8	जीओआई-VII
			आईएनई020बी08बीओ2	जीओआई-VIII
			आईएनई020बी08सीओ0	जीओआई-IX
			आईएनई020बी08सीआर3	जीओआई-X
			आईएनई020बी08सीएस1	जीओआई-XI
			आईएनई020बी08डीआई0	जीओआई-XII
			आईएनई020बी08डीएन0	जीओआई-XIII
			आईएनई020बी08डीक्यू3	जीओआई-XIV
3	विस्टा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड, द आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर जी ब्लॉक, प्लॉट सी-22, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	आईटीसीएल अनुपालन अधिकारी, फोन: - +91-22-26593644, ईमेल: itclcomplianceofficer@vistra.com वेबसाइट: www.vistraitcl.com	आईएनई020बी08724	इंफ्रा बॉण्ड श्रृंखला-II (2011-12)
			आईएनई020बी08732	

प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
अप्रतिभूतित	15-मार्च-2036	7.40%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20-जून-2024	5.74%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2031	6.23%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2024	फ्लोटिंग (7.62%)	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20-मार्च-2032	6.92%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-फरवरी-2026	7.32%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-फरवरी-2033	7.50%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-फरवरी-2033	7.50%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-नवंबर-2037	7.65%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2028	7.55%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-नवंबर-2037	7.67%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2033	7.53%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-जून-2026	7.56%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2033	7.69%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-फरवरी-2026	7.60%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2028	7.77%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2033	7.69%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-जुलाई-2026	7.51%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	लागू नहीं*	7.98%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2030	7.89%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	20-मार्च-2032	6.92%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-अप्रैल-2026	7.44%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-जून-2028	7.46%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-जून-2026	7.64%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	लागू नहीं*	8.03%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-सितंबर-2026	7.77%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2033	7.71%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-मई-2026	7.80%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-नवंबर-2033	7.71%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	29-नवंबर-2025	7.79%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-नवंबर-2038	7.67%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-फरवरी-2027	7.71%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-जनवरी-2034	7.64%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-अप्रैल-2027	7.64%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-फरवरी-2034	7.47%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-सितंबर-2028	8.70%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	15-नवंबर-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	22-जनवरी-2029	8.80%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	8-मार्च-2029	8.60%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	25-मार्च-2029	8.30%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	2-मार्च-2030	7.14%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-मार्च-2030	8.25%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	31-मार्च-2030	7.20%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-जनवरी-2031	6.45%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	28-जनवरी-2031	6.63%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	26-मार्च-2031	6.50%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	15-फरवरी-2027	9.15%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड , बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली- 110062 संपर्क व्यक्ति: श्री संजय रस्तोगी फोन: +91-11-2996 1281-83 ईमेल: recbonds3@gmail.com वेबसाइट: https://www.beetalfinancial.com/

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्यौरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
			आईएनई020बी07जीएच7	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग -1
4	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122 दिनशां वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020	श्री अर्धेदु मुखोपाध्याय फोन: +91-22-4302 5566 ईमेल: corporate@sbicaptrustee.com वेबसाइट: www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07जीवी8	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट
			आईएनई020बी07जीएक्स4	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07जीजेड9	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग -2
			आईएनई020बी07एचएन3	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1
			आईएनई020बी07एचपी8	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1
			आईएनई020बी07एचएस2	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07एचक्यू6	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07एचटी0	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07एचवी6	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2
			आईएनई020बी 07आईडी2	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग -2
			आईएनई020बी 07आईजी5	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग -2
			आईएनई020बी07आईई0	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग -2
			आईएनई020बी07आईएच3	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग -2
			आईएनई020बी07जेओ7	2015-16 प्राइवेट प्लेसमेंट
			आईएनई020बी07जेपी4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07जेक्यू2	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07जेआर0	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07जे.एस.8	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07जेटी6	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07जेयू4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग -1
			आईएनई020बी07एलजी9	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएच7	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलआई5	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलजे3	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलके1	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएल9	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएम7	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएन5	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलओ3	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलपी0	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलक्यू8	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलआर6	54ईसी श्रृंखला XIII (2019-20)
			आईएनई020बी07एलएस4	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलटी2	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलयू0	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलवी8	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलडब्ल्यू6	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलएक्स4	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलवाई2	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एलजेड9	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमए0	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमबी8	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमसी6	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)

प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
प्रतिभूतित	29-मार्च-2027	8.12% / 8.32%	नहीं	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एंड 32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मण्डल, हैदराबाद-500032 संपर्क व्यक्ति: श्री गोपाल कृष्ण फोन: 1-800-309-4001 ईमेल: einward.ris@kfintech.com, gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com/
प्रतिभूतित	22-नवंबर-2027	7.38%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	19-दिसंबर-2027	7.38% / 7.88%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	25-मार्च-2028	7.04% / 7.54%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	29-अगस्त-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-सितंबर-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-सितंबर-2028	8.46% / 8.71%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-सितंबर-2033	8.37%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-सितंबर-2033	8.37% / 8.62%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	11-अक्टूबर-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-मार्च-2029	8.63%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-मार्च-2029	8.63% / 8.88%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-मार्च-2034	8.61%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	24-मार्च-2034	8.61% / 8.86%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	23-जुलाई-2025	7.17%	हाँ	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2025	6.89%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2025	6.89% / 7.14%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2030	7.09%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2030	7.09% / 7.34%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2035	7.18%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	5-नवंबर-2035	7.18% / 7.43%	नहीं	हाँ	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2024	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28-फरवरी-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2025	5.75%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2025	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28-फरवरी-2026	5.00%	नहीं	नहीं	

क्र. सं.	डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क ब्योरा	आईएसआईएन	श्रृंखला संख्या
			आईएनई020बी07एमडी4	54ईसी श्रृंखला XIV (2020-21)
			आईएनई020बी07एमई2	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएफ9	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमजी7	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएच5	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमआई3	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमजे1	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमके9	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएल7	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएम5	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमएन3	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमओ1	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमपी8	54ईसी श्रृंखला XV (2021-22)
			आईएनई020बी07एमक्यू6	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमआर4	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमएस2	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमटी0	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमयू8	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमवी6	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमडब्ल्यू4	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमएक्स2	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमवाई0	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एमजेड7	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एनए8	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एनबी6	54ईसी श्रृंखला XVI (2022-23)
			आईएनई020बी07एनसी4	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनके7	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनएल5	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनजे9	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनजी5	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनआई1	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनएच3	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनएफ7	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनडी2	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनई0	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनएन1	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी07एनएम3	54ईसी श्रृंखला XVII (2023-24)
			आईएनई020बी08930	133
			आईएनई020बी08963	136
			आईएनई020बी08एए3	140
			आईएनई020बी08एसी9	142
			आईएनई020बी08एच8	147
			आईएनई020बी08एक्यू9	156
			आईएनई020बी08एएक्स5	जीओआई-I
			आईएनई020बी08एवाई3	जीओआई-II
			आईएनई020बी08एजेड0	जीओआई-III

*स्थायी ऋण इस्टीमेट्स

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक : 27 जुलाई, 2024

प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित	विमोचन की तारीख	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
			एनएसई	बीएसई	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28-फरवरी-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	29-फरवरी-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-अप्रैल-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मई-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-जून-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जुलाई-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अगस्त-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-सितंबर-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-अक्टूबर-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	30-नवंबर-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-दिसंबर-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-जनवरी-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	28-फरवरी-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
प्रतिभूतित	31-मार्च-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
अप्रतिभूतित	10-अप्रैल-2025	8.30%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-अक्टूबर-2025	8.11%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	7-नवंबर-2026	7.52%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	30-दिसंबर-2026	7.54%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	12-मार्च-2027	7.95%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	10-दिसंबर-2027	7.70%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	21-मार्च-2028	8.09%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	24-मार्च-2028	8.01%	हाँ	हाँ	
अप्रतिभूतित	27-मार्च-2028	8.06%	हाँ	हाँ	

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से



विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01377212)

31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
	परिसंपत्तियां			
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	46.26	39.00
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	2,452.44	1,948.34
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	8	12,482.02	8,981.61
(घ)	ऋण	9	4,99,192.05	4,22,083.91
(ङ)	निवेश	10	5,320.31	3,137.98
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,424.52	24,400.28
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		5,43,917.60	4,60,591.12
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां(निवल)	12	294.42	295.78
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	2,485.46	3,276.99
(ग)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	14	630.21	638.91
(घ)	पूँजीगत चालू- कार्य	14	23.59	2.72
(ङ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	14	0.52	1.62
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	15	88.54	69.65
	कुल- गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		3,522.74	4,285.67
(3)	विक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	16	0.05	0.34
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		5,47,440.39	4,64,877.13
	देयताएं और इकिटी			
	देयताएं			
(1)	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	8	759.70	976.95
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	17	2,66,109.92	2,36,948.99
(ग)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	1,72,092.05	1,37,114.13
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	19	7,412.21	6,773.30
(ङ)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	31,840.66	25,174.58
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		4,78,214.54	4,06,987.95
(2)	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	21	66.51	-
(ख)	प्रावधान	22	136.57	110.94
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	23	239.62	98.57
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)		442.70	209.51
(3)	इकिटी			
(क)	इकिटी शेयर पूंजी	24	2,633.22	2,633.22
(ख)	इन्स्ट्रुमेंट्स पूर्णतया इकिटी प्रकृति के हैं	25	558.40	558.40
(ग)	अन्य इकिटी	26	65,591.53	54,488.05
	कुल - इकिटी (3)		68,783.15	57,679.67
	कुल - देयताएं और इकिटी (1+2+3)		5,47,440.39	4,64,877.13
	कंपनी सिंहावलोकन और आवश्यक लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

1 से 67

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं. : 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं. : 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	27	46,410.11	38,836.24
(ii)	लाभांश आय	28	25.68	39.34
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	29	236.03	287.17
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	34	474.48	45.31
I.	प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iii)		47,146.30	39,208.06
II.	अन्य आय	30	67.85	44.67
III.	कुल आय (I+II)		47,214.15	39,252.73
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागत	31	29,949.27	23,737.66
(ii)	निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय हानि	32	166.57	1,114.04
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	33	24.26	16.29
(iv)	वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स संबंधी इम्पेयरमेंट	35	(1,358.39)	114.91
(v)	कार्मिक हितलाभ व्यय	36	213.84	181.63
(vi)	मूल्यहास एवं परिशोधन	37	23.72	24.09
(vii)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय	38	249.86	202.65
(viii)	अन्य व्यय	39	164.38	122.69
IV.	कुल व्यय (i से viii)		29,433.51	25,513.96
V.	कर पूर्व लाभ (III-IV)		17,780.64	13,738.77
VI.	कर व्यय	40		
(i)	वर्तमान कर			
- चालू वर्ष			3,293.00	2,668.58
- पूर्व वर्ष			2.09	(147.29)
(ii)	आस्थगित कर		466.34	162.84
	कुल कर व्यय (i+ii)		3,761.43	2,684.13
VII.	अवधि के लिए लाभ (V-VI)		14,019.21	11,054.64
	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		(0.99)	(5.99)
- उपरोक्त पर कर प्रभाव			0.25	1.51
(ख)	अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापित इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन		96.34	(58.16)
- उपरोक्त पर कर प्रभाव			(4.86)	(0.32)
	उप-जोड़ (i)		90.74	(62.96)
(ii)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाएगा			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स पर लाभ और हानि का प्रभावी हिस्सा		(3,269.97)	542.33
- उपरोक्त पर कर प्रभाव			822.99	(136.49)
(ख)	हेजिंग आरक्षित निधि की लागत		4,544.19	(1,755.82)
- उपरोक्त पर कर प्रभाव			(1,143.68)	441.90
	उप-जोड़ (ii)		953.53	(908.08)
VIII.	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		1,044.27	(971.04)
IX.	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)		15,063.48	10,083.60
X.	प्रत्येक ₹ 10 प्रति इकिटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (₹ में)	41		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		53.11	41.85
(2)	बंद प्रचालनों के लिए		-	-
(3)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए		53.11	41.85
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

1 से 67

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

 जे.एस. अमिताभ
 कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

 विजय कुमार सिंह
 निदेशक (परियोजना)
 डीआईएन-02772733

 विवेक कुमार देवांगन
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

 कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

 सौरभ चौहान
 भागीदार
 सदस्यता सं.: 167453

 कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

 अभिनव खोसला
 भागीदार
 सदस्यता सं.: 087010

 स्थान : मुंबई
 दिनांक : 30 अप्रैल 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व निवल लाभ	17,780.64	13,738.77
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	5.56	6.64
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	(1.32)	(4.08)
3. मूल्यहास एवं परिशोधन	23.72	24.09
4. वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर इम्पेयरमेंट संबंधित हानि	(1,358.39)	114.91
5. उचित मूल्य परिवर्तन (निवल) पर हानि/(लाभ)	(471.88)	(43.76)
6. ऋण परिसंपत्तियों और उधारियों के मामले में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	(34.51)	(15.58)
7. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	135.64	-
8. अवास्तविक विदेशी मुद्रा अंतरण हानि/(लाभ)	(993.07)	963.93
9. निवेश पर ब्याज	(42.65)	(39.53)
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	15,043.74	14,745.39
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :		
1. ऋण परिसंपत्तियां	(75,017.32)	(50,424.82)
2. व्युत्पन्न	(343.67)	790.33
3. अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	(1,544.16)	193.95
4. अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताओं और प्रावधान	7,194.23	(151.53)
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(54,667.18)	(34,846.68)
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(3,218.04)	(2,734.77)
2. आयकर वापसी	-	99.79
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(57,885.22)	(37,481.66)
ख. निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.07	0.02
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों की बिक्री	1.61	4.60
3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(32.81)	(17.62)
4. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास और पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	-	(0.01)
5. पूंजीकृत वित्त लागत	(0.53)	(0.03)
6. इकिटी शेयरों में बिक्री/(निवेश)	67.39	10.13
7. उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) (निवल) में विमोचन/(निवेश)	(997.94)	(457.82)
8. एचक्यूएलए (निवल) के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में विमोचन/(निवेश)	(912.98)	(343.14)
निवेशात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(1,875.19)	(803.87)
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
1. रूपे ऋण प्रतिभूतियां(निवल) का निर्गम / (विमोचन)	27,473.52	14,823.67
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/ (विमोचन)	(135.64)	-
3. बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रूपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (पुनर्भुगतान)	3,640.02	14,808.94
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधारियां (निवल) प्राप्त करना / (पुनर्भुगतान)	30,921.49	11,643.52
5. बोनस इकिटी शेयर निर्गम करने पर व्यय	-	(0.71)
6. अधीनस्थ देयताएं प्राप्त करना/(विमोचन) (निवल)	590.00	-
7. स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स पर कूपन भुगतान पूर्णतया इकिटी प्रकृति के है	(44.50)	(44.50)
8. इकिटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,857.05)	(3,120.37)
9. पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान	(0.02)	(0.01)
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	59,587.82	38,110.54
नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि(कमी)	(172.59)	(174.99)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	(48.59)	126.40
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	(221.18)	(48.59)

वर्ष के दौरान, कंपनी को ₹ 25.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.34 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹ 247.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 209.95 करोड़) की राशि का भुगतान किया है।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
- हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	0.02	-
- बैंको में शेष राशि	46.24	31.31
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	-	7.69
- बैंक ओवरड्राफ्ट	(267.44)	(87.59)
कुल नकदी एवं नकदी के समतुल्य	(221.18)	(48.59)

वित्त संबंधी क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	इंडएएस समायोजन	
31-03-2024 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	2,04,258.45	27,473.52	1,541.71	-	(11.22)	2,33,262.46
कमर्शियल पेपर	-	(135.64)	-	-	135.64	-
रुपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल / ओवरड्राफ्ट्स	76,422.96	3,819.87	(74.45)	-	-	80,168.38
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	93,381.71	30,921.49	162.66	528.18	(222.91)	1,24,771.13
अधीनस्थ देयताएं	6,773.30	590.00	24.27	-	24.64	7,412.21
कुल	3,80,836.42	62,669.24	1,654.19	528.18	(73.85)	4,45,614.18
31-03-2023 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	1,89,606.42	14,823.67	(33.08)	-	(138.56)	2,04,258.45
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-
रुपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल / ओवरड्राफ्ट्स	61,460.56	14,896.53	65.87	-	-	76,422.96
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	75,218.18	11,643.52	199.88	6,328.39	(8.26)	93,381.71
अधीनस्थ देयताएं	6,816.47	-	(0.01)	-	(43.16)	6,773.30
कुल	3,33,101.63	41,363.72	232.66	6,328.39	(189.98)	3,80,836.42

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचार किया गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं.: 167453

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं.: 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेय		
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन*	2,633.22	1,974.92
	-	658.30
वर्ष के अंत में शेय	2,633.22	2,633.22

विवरण के लिए टिप्पणी 24 देखें

* पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने रिफॉर्ड तिथि अर्थात 18 अगस्त 2022 को बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के अनुपात में पूर्ण भुगतान बोनस शेयरों के रूप में ₹ 10 प्रत्येक के 65,83,06,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

ख. इन्स्ट्रुमेंट्स की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेय		
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन*	558.40	558.40
	-	-
वर्ष के अंत में शेय	558.40	558.40

विवरण के लिए टिप्पणी 25 देखें

ग. अन्य इक्विटी

विवरण	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार शेष	22,302.93	196.82	5,814.00	2,236.54	(555.29)	11,781.62	6,915.38	(37.98)	194.21	(395.95)	48,452.28
वर्ष के लिए लाभ							11,054.64				11,054.64
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन (करों का निवल)							(4.48)				(4.48)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता								(58.48)	405.84	(1,313.92)	(966.56)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	11,050.16	(58.48)	405.84	(1,313.92)	10,083.60

ग. अन्य इकिटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष						एफवीओसीआई-इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के तहत अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय			
वर्ष के लिए कुल व्यापक आयप्रतिधारित आय में/ (सी) अंतरण	2,674.96	-	2,211.15			-	(4,886.11)			-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		(196.82)				196.82	-			-
एफवीओसीआई इकिटी इन्स्ट्रुमेंट (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण					(487.03)		5.01	(5.01)		-
वर्ष के दौरान दीर्घवधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण हानि										(487.03)
वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन					251.88					251.88
इन्स्ट्रुमेंट कूपन भुगतान की प्रकृति पूर्णतया इकिटी है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स) (करों का निवल)							(33.30)			(33.30)
उप - जोड़	2,674.96	(196.82)	2,211.15	-	(235.15)	196.82	(4,914.40)	(5.01)	-	(268.45)
बोनस इकिटी शेयर जारी करने के लिए प्रयुक्त				(658.30)			-			(658.30)
बोनस इकिटी शेयर जारी करने पर हुआ व्यय				(0.71)						(0.71)
लाभांश							(3,120.37)			(3,120.37)
उप- जोड़ - स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	(659.01)	-	-	(3,120.37)	-	-	(3,779.38)
31 मार्च 2023 के अनुसार शेष	24,977.89	-	8,025.15	1,577.53	(790.44)	11,978.44	9,930.77	(101.47)	(1,709.87)	54,488.05

ग. अन्य इकिटी (जारी)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष						एफवीओसीआई-इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vi) के तहत अशोध और संचित ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय			
31 मार्च 2023 के अनुसार शेष	24,977.89	-	8,025.15	1,577.53	(790.44)	11,978.44	9,930.77	600.05	(1,709.87)	54,488.05
वर्ष के लिए लाभ							14,019.21			14,019.21
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन (करों का निवल)							(0.74)			(0.74)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता								(2,446.98)	3,400.51	1,045.01
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	14,018.47	(2,446.98)	3,400.51	15,063.48
प्रतिधारित आय में/(से) अंतरण	3,066.94	687.76	2,803.84			-	(6,558.54)			-
सामान्य आरक्षित निधि से अंतरण	-	-				-	-			-
एफवीओसीआई इकिटी इन्स्ट्रुमेंट (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण							48.00	(48.00)		-
वर्ष के दौरान दीर्घवधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण हानि					(85.73)					(85.73)
वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन					201.03					201.03

ग. अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष						एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय			
इन्स्ट्रुमेंट कूपन भुगतान की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स) (करों का निवल)							(33.30)			(33.30)
उप- जोड़	3,066.94	687.76	2,803.84	-	115.30	-	(6,543.84)	-	-	82.00
लाभांश							(4,042.00)			(4,042.00)
उप- जोड़ - स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	-	-	-	(4,042.00)	-	-	(4,042.00)
31 मार्च 2024 के अनुसार शेष	28,044.83	687.76	10,828.99	1,577.53	(675.14)	11,978.44	13,363.40	(1,846.93)	1,690.64	65,591.53

आरक्षित निधि से आहरण/अंतरण से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 26.1 देखें
वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां 1 से 67

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इस तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं.: 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2024

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कांफ्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित निगम कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर में, मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।

यह कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला में वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन- डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। एनबीएफसी होने के नाते कंपनी का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

कंपनी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग द्वारा 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई ईम एम) कार्यों सहित गैर-विद्युत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी विविधता लाया है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य लागू / दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित इंड एसएस का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा 30 अप्रैल, 2024 को अधिकृत एवं स्वीकृत किया गया।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोद्धवन प्रणाली के बाद गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ("आईएनआर"), जोकि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है: (i) आरईसी की लागत और खर्च (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दंडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट इम्पेयरमेंट ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

विवेक के मामले के रूप में क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर आय को प्राप्त होने पर या संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुसूची ब्याज आय के समक्ष निवल आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय प्रदान की गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत शुल्क की राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्धवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचार जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें कंपनी निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियों अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.4 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इकिटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाईल्यूटेड आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इकिटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इकिटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेन-देन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा लेन-देन को, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनः अंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेन-देन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए संबंधित वहन की राशि को परिशोधित नहीं किया जाता है।

भूमि में वित्तीय पट्टे के तहत रखी गई भूमि भी शामिल है, जिसका पट्टे की अवधि में परिशोधित होता है।

अन्य मूल परिसंपत्तियां

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या

एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और इम्पेयरमेंट)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यहास लागत और इम्पेयरमेंट हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास 5,000 / - रुपये तक @100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का इम्पेयरमेंट के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन प्रारंभ में लागत पर किया जाता है। जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ कंपनी में प्रवाहित होंगे।

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को इम्पेयरमेंट होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया है 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.8 पट्टा लेखांकन:

अल्पकालिक या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

अनुबंध की शुरूआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई अनुबंध पट्टा अनुबंध है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी अनुबंध, या एक अनुबंध के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।

इस परिभाषा को लागू करने के लिए मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों के द्वारा अनुबंध का आकलन किया जाता है, जो कि हैं:

- अनुबंध में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियां शामिल होती है, जिसे या तो अनुबंध में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि परिसंपत्तियां उपलब्ध कराई गई है।
- अनुबंध की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- यह अधिकार है कि इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे और क्या उसे यह निदेशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति का उपयोग 'कैसे और किस उद्देश्य के लिए' किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को तुलन पत्र में राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति और पट्टा देयता को मान्यता दी जाती है। राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा की अवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

राइट-ऑफ-यूज पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों का मूल्यहास करता है। ऐसे संकेतक मौजूद होने पर इम्पेयरमेंट के लिए राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन-यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों में और यदि राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.9 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को कंपनी द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियों को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.10 वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटीटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटीटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)
- अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश (इंड एस 27 के अनुसार लागत पर किया गया)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में इम्पेयरमेंट हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का इम्पेयरमेंट हो। इम्पेयरमेंट का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेत्रीय हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

इंफेयरमेंट भत्ता (अपेक्षित ऋण हानि) परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर निर्धारित किया जाता है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निर्धारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रुमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रुमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार लेन-देन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड इंस्ट्रुमेंट का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न होस्ट अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त इंस्ट्रुमेंट के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी होस्ट अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं और जोखिम होस्ट अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर होस्ट अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, जब तक कि प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रुमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेन-देन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी इम्पेयरमेंट हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक कंपनी का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् कंपनी के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है। सभी होस्ट अनुबंध जो वित्तीय दायित्व की प्रकृति के हैं और एम्बेडेड डेरिवेटिव से अलग हैं, उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है :

- हेज की गई मद और हेजिंग इंस्ट्रुमेंट के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग इंस्ट्रुमेंट की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स के रूप में निर्धारित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इकिटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इकिटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में कंपनी हेज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग इंस्ट्रुमेंट, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए आइटम की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग इंस्ट्रुमेंट बाहर निकलना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं। यदि हेज किए गए आइटम की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.11 वित्तीय परिसंपत्तियों का इम्पेयरमेंट

ऋण परिसंपत्तियां

यह कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित ऋण घाटा (ईसीएल) के रूप में हानि के लिए एक 'तीन-स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें इम्पेयरमेंट के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में इम्पेयरमेंट के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाइफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाइफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी डिफॉल्ट होने पर कंपनी के नुकसान की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से डिफॉल्ट हो जाएगा।

एक्सपोजर ऐट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी का चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाइफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, कंपनी यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो कंपनी 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाइफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलना-पत्र की तिथि से करता है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। कंपनी मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलना-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे-खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब कंपनी ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण ने आदेश दिया हो।

3.12 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.13 लाभांश और इकिटी के रूप में वर्गीकृत इंस्ट्रुमेंट्स के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों और निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इकिटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। इंस्ट्रुमेंट धारकों को इकिटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब कंपनी द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

3.14 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देयताओं और इक्विटी को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

3.15 पूर्व प्रदत्त व्यय

1,00,000/- रुपये तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.16 कराधान

लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कर व्यय के अंतर्गत स्थगित कर और वर्तमान कर का योग शामिल होता है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुसूची कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है। अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश से जुड़े अस्थायी मतभेदों पर आस्थगित कर प्रदान नहीं किया जाता है यदि इन अस्थायी मतभेदों को उलटने को कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभव है कि निकट भविष्य में उलटफेर नहीं होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देयताओं में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.17 कार्मिक हितलाभ

अल्पकालिक कार्मिक हितलाभ

अल्पकालिक कार्मिक हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहाँ ऐसी अवधि, जिसमें

कार्मिकों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कार्मिकों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कार्मिकों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निधि में कार्मिक के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। कंपनी पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष कंपनी द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कार्मिकों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कार्मिक को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कार्मिक के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति कंपनी के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियाँ अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कार्मिक हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित इम्पेयरमेंट अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कार्मिक को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कार्मिक लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन

लेखा संबंधी टिप्पणियां

के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं है या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित अन्य पक्ष से एकत्र करने के लिए कंपनी को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.19 उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेन-देन में होता है:

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

कंपनी द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्तियों या देनदारी के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, जिनका मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम

उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचारणीय है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.20 वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निवल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है।

3.21 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियां उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।
- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देयताओं को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।
- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनर्कथित किया जाता है जैसे कि वित्तीय विवरणों में कारोबार कॉम्बिनेशन पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही कॉम्बिनेशन की वास्तविक तिथि कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिज़र्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिज़र्व बन जाते हैं।

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेषर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ-साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेषर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिज़र्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.22 शेषरों के निर्गम पर व्यय

शेषरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभाषित किया जाता है।

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। कंपनी ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, एमसीए ने कंपनी पर लागू होने वाला कोई नया इंड-एएस जारी नहीं किया है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित हैं और इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन - इस प्रकार के परिवर्तनों, यदि कोई हो, को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जब संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि और यदि यह वर्तमान और भविष्य दोनों अवधियों को प्रभावित करता है तो उसे संशोधित किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं को मान्यता - वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी का प्रबंधन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिज़र्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिज़र्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, कंपनी उक्त रिज़र्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट के लिए संकेतकों का मूल्यांकन

- परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

क्रेडिट इम्पेयरमेंट ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - विवेक के मामले के रूप में क्रेडिट इम्पेयरमेंट ऋण परिसंपत्तियों पर आय को प्राप्त होने पर या संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

महत्वपूर्ण आकलन

मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि

- प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फूर्ति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय इंस्ट्रुमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रुमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, कंपनी बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6. नकदी एवं नकदी के समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	0.02	-
बैंकों में शेष राशि		
चालू खातों में	46.24	31.31
3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	-	7.69
कुल	46.26	39.00

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
बैंकों में चिन्हित शेष		
अप्रदत्त लाभांश के लिए	1,192.72	6.79
अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	13.64	24.22
चिन्हित सावधिक जमा राशि		
न्यायालय आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.67	0.62
सावधिक जमा राशि-डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि	-	196.35
54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के लंबित आवंटन के लिए बैंकों के पास शेष राशि उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है	1,245.41	1,720.36
कुल	2,452.44	1,948.34

7.1 नकदी और नकदी के समतुल्य एवं बैंकों में शेष राशि के संबंध में 31 मार्च 2024 तक (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा) कोई रिपैट्रिशन प्रतिबंध नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

8 व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने के लिए व्युत्पन्न में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे हेजेज शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देयताओं के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए टिप्पणी 47 देखें।

(भाग I)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
- मुद्रा स्वैप्स	3,126.52	43.34	38.13	3,083.13	47.50	58.13
- अन्य						
- कॉल स्प्रेड	-	-	-	2,055.42	208.14	-
- सीगुल विकल्प	1,21,107.24	11,070.97	411.82	80,362.47	8,007.42	87.89
उप-जोड़ (i)	1,24,233.76	11,114.31	449.95	85,501.02	8,263.06	146.02
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	72,128.13	1,367.71	309.75	46,278.27	718.55	300.82
उप-जोड़ (ii)	72,128.13	1,367.71	309.75	46,278.27	718.55	300.82
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
- रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	4,947.00	-	530.11
कुल-व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स (i + ii + iii)	1,96,361.89	12,482.02	759.70	1,36,726.29	8,981.61	976.95

लेखा संबंधी टिप्पणियां

भाग II

भाग- I में शामिल व्युत्पन्न ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) नकदी प्रवाह हेजिंग						
- ब्याज दर व्युत्पन्न						
- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	15,950.70	-	297.73	15,950.70	10.32	289.34
उप-जोड़ (i)	15,950.70	-	297.73	15,950.70	10.32	289.34
(ii) नकदी प्रवाह हेजिंग						
- मुद्रा व्युत्पन्न						
- मुद्रा स्वैप्स	3,126.52	43.34	38.13	3,083.13	38.85	-
- अन्य						
- कॉल स्प्रेड	-	-	-	2,055.42	208.14	-
- सीगुल विकल्प	1,21,107.24	11,070.96	411.82	80,362.47	7,979.02	85.76
- ब्याजदर व्युत्पन्न						
- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	49,477.43	905.30	12.02	23,627.57	337.69	11.48
उप-जोड़ (ii)	1,73,711.19	12,019.60	461.97	1,09,128.59	8,563.70	97.24
(iii) गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	6,700.00	462.42	-	11,647.00	407.59	590.37
कुल - व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स (i+ii+iii)	1,96,361.89	12,482.02	759.70	1,36,726.29	8,981.61	976.95

व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेजेज में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। उचित मूल्य हेजेज के मामले में, हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ-साथ हेज्ड वस्तुओं की वहन राशि में उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। गैर- नामोदिष्ट डेरिवेटिव के लिए, उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

9. ऋण

कंपनी ने भारतीय-लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) ऋण				
(i) सावधिक ऋण	4,62,090.27	4,63,975.61	4,08,463.40	4,09,638.42
(ii) कार्यशील पूंजीगत ऋण	47,280.68	47,596.96	26,548.39	26,709.24
कुल (क)- सकल ऋण	5,09,370.95	5,11,572.57	4,35,011.79	4,36,347.66
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(12,380.52)	(12,380.52)	(14,263.75)	(14,263.75)
कुल (क)- निवल ऋण	4,96,990.43	4,99,192.05	4,20,748.04	4,22,083.91
(ख) प्रतिभूति का ब्यौरा				
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,47,650.53	2,48,205.98	2,42,310.94	2,42,633.17
(ii) सरकारी गारंटी के अंतर्गत	2,24,500.49	2,25,967.86	1,72,069.58	1,73,004.21
(iii) अप्रतिभूत	37,219.92	37,398.72	20,631.27	20,710.28
कुल(ख)- सकल ऋण	5,09,370.95	5,11,572.57	4,35,011.79	4,36,347.66
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(12,380.52)	(12,380.52)	(14,263.75)	(14,263.75)
कुल(ख) - निवल ऋण	4,96,990.43	4,99,192.05	4,20,748.04	4,22,083.91

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(ग)(I) भारत में ऋण				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	4,54,647.08	4,56,894.28	3,93,225.23	3,94,571.78
(ii) निजी क्षेत्र	54,723.87	54,678.29	41,786.56	41,775.88
कुल (ग) (I) - सकल ऋण	5,09,370.95	5,11,572.57	4,35,011.79	4,36,347.66
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(12,380.52)	(12,380.52)	(14,263.75)	(14,263.75)
कुल (ग) (I) - निवल ऋण	4,96,990.43	4,99,192.05	4,20,748.04	4,22,083.91
(ग)(II) भारत से बाहर ऋण	-	-	-	-
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	-	-	-
कुल (ग) (II) - निवल ऋण	-	-	-	-
कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	4,96,990.43	4,99,192.05	4,20,748.04	4,22,083.91

9.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
निवल ऋण	4,99,192.05	4,22,083.91
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(300.36)	(60.23)
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(2,201.98)	(1,436.81)
जोड़ें: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए भत्ता	12,380.52	14,263.75
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	300.72	161.17
सकल ऋण	5,09,370.95	4,35,011.79

9.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ता का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
प्रारम्भिक शेष	14,263.75	14,704.66
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 35 देखें)	(1,383.21)	110.17
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ हेतु प्रयुक्त भत्ते	(500.02)	(551.08)
अंतिम शेष	12,380.52	14,263.75

9.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही / वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹ 500.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 551.08 करोड़) की राशि के ऋणों को रिटन-ऑफ किया है। चालू वर्ष के लिए राइट-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

- (क) आरबीआई परिपत्र "दवाबग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा" दिनांक 07-06-2019 के तहत डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 21 दिसंबर 2023 को निष्पादित पुनर्गठन समझौते के अनुसार, कंपनी को ₹ 415.99 करोड़ (सावधिक ऋण ₹ 415.99 करोड़ और वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य) की वसूली के विनियोजन के बाद ₹ 366.88 करोड़ का पूरा बकाया ₹ 40.17 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ प्राप्त हुआ है।
- (ख) मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 10 अगस्त 2023 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने ₹ 211.23 करोड़ (₹ 50.90 करोड़ नकद और ₹ 160.33 करोड़ के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) की वसूली के बाद ₹ 488.42 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 499.61 करोड़ की राशि को रिटन ऑफ किया है।
- (ग) क्लासिक ग्लोबल लिमिटेड के संबंध में 20 नवंबर 2023 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार, कंपनी ने ₹ 2.91 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 2.50 करोड़ की नकद वसूली को विनियमित करने के बाद ₹ 0.41 करोड़ की राशि को रिटन ऑफ किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) पिछले वर्ष के दौरान

- (क) झाबुआ पावर लिमिटेड के संबंध में 5 सितंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने ₹ 310.63 करोड़ (नकद ₹ 77.41 करोड़, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) की वसूली के बाद ₹ 51.48 करोड़ और इक्विटी ₹ 181.74 करोड़) ₹ 197.09 करोड़ के ईसीएल के कॉरैस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 10.41 करोड़ की राशि राइट ऑफ किया है।
- (ख) दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में 16 सितंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, कंपनी ने ₹ 922.09 करोड़ का संपूर्ण बकाया ऋण और ₹ 1,055.00 करोड़ की नकद वसूली के बाद ₹ 461.05 करोड़ के ईसीएल में कॉरैस्पोंडिंग रिवर्सल के बाद अतिदेय ब्याज ₹ 132.91 करोड़ की वसूली की है।
- (ग) इंड बाराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड के संबंध में 27 दिसंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने इक्विटी और ₹ 624.01 करोड़ की ईसीएल की कॉरैस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ नकद वसूली के कुल ₹ 240.84 करोड़ के विनियोजन के बाद ₹ 536.16 करोड़ की राशि को राइट ऑफ किया है।
- (घ) एटीएन इंटरनेशनल लिमिटेड के संबंध में 2 दिसंबर 2022 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6.00 करोड़ की कुल वसूली के बाद ₹ 9.45 करोड़ के ईसीएल के कॉरैस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 3.45 करोड़ की राशि राइट ऑफ कर दी है (जिसमें से ₹ 4.15 करोड़ वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुए थे)
- (ङ) सिलिकॉन वैली इन्फोटेक लिमिटेड के संबंध में 2 दिसंबर 2022 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार, कंपनी ने ₹ 1.85 करोड़ की कुल वसूली के बाद ₹ 2.91 करोड़ के ईसीएल के कॉरैस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 1.06 करोड़ की राशि राइट ऑफ कर दी है (जिसमें से ₹ 1.35 करोड़ वित्त वर्ष 2023 में प्राप्त होंगे) -24)।

- 9.4 कंपनी तुलन पत्र की तिथि के अनुसार शेष राशि के लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करती है। उधारकर्ताओं से प्राप्त शेष राशि की पुष्टि का सारांश इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी की सकल ऋण बही		5,09,370.95		4,35,011.79
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है	94%	4,76,725.31	93%	4,06,179.64
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसमें से,	6%	32,645.64	7%	28,832.15
मूर्त परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऋण	47%	15,457.53	54%	15,630.88
सरकारी गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋण/सरकार को दिए जाने वाले ऋण	34%	11,149.39	25%	7,065.14
अप्रतिभूत ऋण	19%	6,038.73	21%	6,136.12

- 9.5 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(यों) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से)। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इनके जैसा कुछ प्रदान करें।

10 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7= 5+6)
31 मार्च, 2024 तक							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,624.08	-	-	-	1,624.08	-	1,624.08
ऋण प्रतिभूतियां	2,144.09	-	1,065.03	-	3,209.12	-	3,209.12
इक्विटी दस्तावेज	-	410.64	76.37		487.01	0.10	487.11

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
अधिमानित शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल - सकल (क)	3,796.89	410.64	1,141.40	-	5,348.93	0.10	5,349.03
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	3,796.89	410.64	1,141.40	-	5,348.93	0.10	5,349.03
कुल - सकल (ख)	3,796.89	410.64	1,141.40	-	5,348.93	0.10	5,349.03
कुल निवेश	3,796.89	410.64	1,141.40	-	5,348.93	0.10	5,349.03
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
कुल - निवल (घ=क-ग)	3,768.17	410.64	1,141.40	-	5,320.21	0.10	5,320.31
31 मार्च, 2023 तक							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,431.74	-	-	-	1,431.74	-	1,431.74
ऋण प्रतिभूतियां	734.78	-	562.34	-	1,297.12	-	1,297.12
इक्विटी दस्तावेज	-	381.71	27.31	-	409.02	0.10	409.12
अधिमानित शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल - सकल (क)	2,195.24	381.71	589.65	-	3,166.60	0.10	3,166.70
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	2,195.24	381.71	589.65	-	3,166.60	0.10	3,166.70
कुल - सकल (ख)	2,195.24	381.71	589.65	-	3,166.60	0.10	3,166.70
कुल निवेश	2,195.24	381.71	589.65	-	3,166.60	0.10	3,166.70
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
कुल - निवल (घ=क-ग)	2,166.52	381.71	589.65	-	3,137.88	0.10	3,137.98

10.1 निवेशों के बारे में

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क) कुल-केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-उद्धृत (एचक्यूएलए)*	परिशोधित लागत	15,86,33,000	1,624.08	13,97,12,800	1,431.74
(ख) ऋण प्रतिभूतियां					
(i) कॉर्पोरेट बॉण्ड - उद्धृत (एचक्यूएलए)*			1,436.83		629.04
- 9.95% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	परिशोधित लागत	3,700	373.32	3,000	300.00
- 9.62% आंध्र प्रदेश स्टेट बेवेरेज्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल)	परिशोधित लागत	1,235	127.86	-	-
- 9.70% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	परिशोधित लागत	550	56.85	-	-
- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के 8.49% ग्रीन बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	4,998	49.98	-	-
- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) का 9.10% घरेलू बॉण्ड्स श्रृंखला II	परिशोधित लागत	49,994	500.56	-	-
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 8% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	1,000	102.98	1,000	102.97

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 7.05% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	850	88.09	850	88.12
- भारतीय खाद्य निगम के 6.65% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	20.61	200	20.61
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 7.19% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	250	26.30	250	26.31
- दामोदर घाटी निगम के 8.69% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	21.06	200	21.35
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7.30% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	21.98	200	22.22
- चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5.78% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	150	15.62	150	15.62
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6.11% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	100	10.47	100	10.49
- एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के 7.30% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	21.15	200	21.35
(ii) ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलए के अलावा)					
- जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीजीआईएल) के 10% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर उद्धृत	परिशोधित लागत	49,488	493.20	-	-
- केनरा बैंक के 7.99% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	200	208.49	200	208.47
- यूको बैंक के 9.50% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228	228.80	228	228.79
- पंजाब नेशनल बैंक के 8.55% सतत बॉण्ड्स उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	500	510.65	-	-
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ख - गैर-उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	15,22,63,003	81.30	16,54,03,256	86.85
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ख - गैर-उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	6,70,35,820	35.79	7,28,21,001	38.23
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ग - गैर-उद्धृत**	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,86,35,162	-	1,86,35,162	-
- फेरो अलॉयज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - गैर-उद्धृत	परिशोधित लागत	-	-	2,55,19,173	56.40
- मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - गैर-उद्धृत	परिशोधित लागत	2,50,95,356	169.01	-	-
- झाबुआ पावर लिमिटेड के 8.50% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - गैर-उद्धृत	परिशोधित लागत	45,04,532	45.05	49,33,536	49.34
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला क - गैर-उद्धृत**	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	21,38,03,170	-	21,38,03,170	-
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला ख - गैर-उद्धृत**	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	63,03,032	-	63,03,032	-
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला एआई- गैर-उद्धृत**	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,74,150	-	1,04,74,150	-
- डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) - गैर-उद्धृत**	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	2,13,75,000	-	-	-
कुल (ख) - ऋण प्रतिभूतियां (i+ii)			3,209.12		1,297.12
(ग) इक्विटी इन्स्ट्रमेंट्स					
(i) अनुषंगी (टिप्पणी संख्या 10.2 देखें)					
- आरईसी पावर डेवलपमेंट एवं कंसल्टेंसी लिमिटेड	अन्य (लागत पर)	85,500	0.10	85,500	0.10
कुल-अनुषंगी			0.10		0.10

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
(ii) अन्य					
- एनएचपीसी लिमिटेड- उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,69,555	93.91	1,63,51,580	65.73
- हुडको लिमिटेड- उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	3,47,429	1.50
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	21,81,00,000	136.50	21,81,00,000	140.43
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,60,00,000	-	1,60,00,000	-
- झाबुआ पावर लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	2,78,85,211	177.72	2,78,85,211	173.42
- इंड बाराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	127	2.51	127	0.63
- रतन इंडिया पावर लिमिटेड- उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9,25,68,105	76.37	9,25,68,105	27.31
- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड- गैर-उद्धृत **	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,17,90,667	-	18,17,90,667	-
कुल - अन्य			487.01		409.02
कुल (ग) - इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स (i+ii)			487.11		409.12
(घ) अधिमानित शेयर - गैर-उद्धृत					
- प्रतिदेय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी	परिशोधित लागत	2,87,20,978	28.72	2,87,20,978	28.72
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	4,33,03,616		4,33,03,616	-
कुल (घ) - अधिमानित शेयर			28.72		28.72
(ङ) कुल - अन्य			-		-
कुल निवेश (च= क से ङ)			5,349.03		3,166.70
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (छ)			(28.72)		(28.72)
कुल - निवल (ज=च-छ)			5,320.31		3,137.98

उचित मूल्य पर दिखाए गए निवेश की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 51.1 देखें

* आरबीआई परिपत्र दिनांक 4 नवंबर, 2019 के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) बनाए रखी गई है।

** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के लिए प्राप्त।

10.2 अनुषंगी कंपनी में निवेश का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	कारोबार का मुख्य स्थान / इसके निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात यथावत	
		31-03-2024	31-03-2023
अनुषंगी कंपनी:			
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%

अनुषंगी कंपनी में निवेश को इंड एस 27 'पृथक वित्तीय विवरण' के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापा जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.3 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	(28.72)	(28.72)
जोड़ें: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	-
घटाएँ: निवेश को राइट ऑफ करने के लिए उपयोग किया जाने वाला भत्ता	-	-
अंतिम शेष	(28.72)	(28.72)

10.4 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) चालू वर्ष के दौरान

- (क) डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन समझौते के अनुसार, कंपनी को 2,13,75,000, 0.01% वैकल्पिक-परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आवंटित किए गए हैं जिनका अंकित मूल्य ₹ 100/- है।
- (ख) मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी को 2,50,95,356, 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आवंटित किए गए हैं जिनका अंकित मूल्य ₹ 100/- है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

- (क) झाबुआ पावर लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी को ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले 2,78,85,211 इक्विटी शेयर और 8.50% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में प्रत्येक ₹ 100/- के अंकित मूल्य वाले के 51,48,038 शेयर आवंटित किए गए हैं।
- (ख) इंड बाराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी को ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले 127 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 9.3 देखें।

10.5 कंपनी ने कुछ इक्विटी इस्टीमेट्स को एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) में नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी के संचालन में केवल एक व्यावसायिक क्षेत्र शामिल है जैसे विद्युत, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस प्रकार, इन इस्टीमेट्स के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण को अलग करने के लिए, प्रबंधन का मानना है कि यह उन्हें एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) में वर्गीकृत करने के बजाय अधिक सार्थक प्रेजेंटेशन प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य किए गए एफवीओसीआई निवेशों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	अमान्य शेयरों की संख्या	मान्यता रद्द होने के समय उचित मूल्य	मान्यता रद्द होने के समय संचयी लाभ/ (हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	मान्यता रद्द होने के समय उचित मूल्य	मान्यता रद्द होने के समय संचयी लाभ/ (हानि)
एनएचपीसी लिमिटेड	58,82,025	60.94	48.14	24,91,604	10.13	4.70
हुडको लिमिटेड	3,47,429	6.45	4.37	-	-	-

वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, कंपनी ने बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्रमशः ₹ 60.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.13 करोड़) और ₹ 6.45 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) एनएचपीसी लिमिटेड के 58,82,025 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष शेयरों की संख्या 24,91,604) और हुडको लिमिटेड (पिछले वर्ष शून्य) के पूरे 3,47,429 इक्विटी शेयर बेचे हैं। इस प्रकार शेयरों की मान्यता रद्द कर दी गई है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

10.6 कंपनी के निदेशक मण्डल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी ("जीआईएफटी"), गांधीनगर, गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में अनुमेय गतिविधियों से निपटने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (डब्ल्यूओएस) के निगमन को मंजूरी दे दी है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है। वित्त कंपनी को मौजूदा एफईएमए नियमों के तहत एक अनिवासी इकाई के रूप में समझा जाएगा और एकीकृत नियामक यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा शासित किया जाएगा। कंपनी ने 8 फरवरी, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक को एक आवेदन देकर ऐसी इकाई स्थापित करने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" (एनओसी) मांगा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 11.1 देखें)	57.99	44.56
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.89	0.49
(ग) धारक /अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	7.47	10.24
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	1.44	1.03
(ङ) भारत सरकार से वसूली योग्य		
भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 20.5 देखें)	24,319.40	24,318.29
(च) अन्य वसूली योग्य राशि	104.63	120.39
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (टिप्पणी 11.2 के संदर्भ में)	(67.30)	(94.72)
अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	37.33	25.67
कुल (क से च)	24,424.52	24,400.28

11.1 कार्मिकों को दिए गए ऋणों का विवरण (शोध समझे गए)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत में वर्गीकृत निर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान शेड्यूल के साथ कार्मिकों को ऋण दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) प्रतिभूत ऋण		
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.06	0.12
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	37.38	28.28
उप - जोड़ (क)	37.44	28.40
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.24	0.10
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	20.31	16.06
उप - जोड़ (ख)	20.55	16.16
जोड़ (क + ख)	57.99	44.56

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹10.3 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.27 करोड़) है, शामिल है

11.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारम्भिक शेष	94.72	90.68
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	8.68	9.77
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(36.10)	(5.73)
अंतिम शेष	67.30	94.72

12 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	289.47	2,946.71
आय कर हेतु प्रावधान	-	(2,655.88)
उप- जोड़	289.47	290.83
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.20	5.20
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(0.25)
उप- जोड़	4.95	4.95
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	294.42	295.78

लेखा संबंधी टिप्पणियां
13 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,485.46	3,276.99

13.1 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	3,346.46	(514.99)	-	-	2,831.47
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	6.92	1.50	-	-	8.42
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.19	0.23	-	-	5.42
निवेशों का उचित मूल्यांकन	14.49	(11.66)	(4.50)	-	(1.67)
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	446.46	35.48	(320.69)	-	161.25
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,819.52	(489.44)	(325.19)	-	3,004.89
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यहास और परिशोधन	26.93	6.03	-	-	32.96
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव	218.30	(30.87)	-	-	187.43
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	232.11	11.25	-	-	243.36
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	65.19	(9.51)	-	-	55.68
कुल आस्थगित कर देयताएं	542.53	(23.10)	-	-	519.43
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,276.99	(466.34)	(325.19)	-	2,485.46

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	3,457.90	(111.44)	-	-	3,346.46
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	6.34	0.58	-	-	6.92
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.41	(0.22)	-	-	5.19
निवेशों का उचित मूल्यांकन	8.41	6.40	(0.32)	-	14.49
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	446.66	35.48	(320.69)	-	161.25
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,543.13	(28.70)	305.09	-	3,819.52
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यहास और परिशोधन	12.93	14.00	-	-	26.93
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव	151.05	67.25	-	-	218.30
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	216.24	15.87	-	-	232.11
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	28.17	37.02	-	-	65.19
कुल आस्थगित कर देयताएं	408.39	134.14	-	-	542.53
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,134.74	(162.84)	305.09	-	3,276.99

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां								पूँजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि के उपयोग का अधिकार	भवन	संयंत्र एवं उपस्कर	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल		
सकल धारित मूल्य											
31.03.2022 तक	110.39	1.59	430.83	19.90	67.41	24.06	23.38	0.40	677.96	6.07	14.66
परिवर्धन	-	-	26.07	0.20	3.63	5.45	7.76	0.14	43.25	22.69	0.01
पूँजीगत लागत उधारियां										0.03	
निपटान	-	-	-	0.04	3.69	5.53	6.35	-	15.61	26.07	-
31.03.2023 तक	110.39	1.59	456.90	20.06	67.35	23.98	24.79	0.54	705.60	2.72	14.67
31.03.2023 तक	110.39	1.59	456.90	20.06	67.35	23.98	24.79	0.54	705.60	2.72	14.67
परिवर्धन	-	-	-	0.39	2.61	8.49	7.89	0.18	19.56	20.34	-
पूँजीगत लागत उधारियां									-	0.53	
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	3.01	2.85	6.52	0.01	12.39	-	0.01
31.03.2024 तक	110.39	1.59	456.90	20.45	66.95	29.62	26.16	0.71	712.77	23.59	14.66
सचयी मूल्यहास/परिशोधन											
31.03.2022 तक	-	0.37	13.51	0.95	10.64	16.81	11.64	0.37	54.29	-	10.41
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	7.10	1.28	6.04	3.52	3.47	0.02	21.45	-	2.64
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	1.28	4.06	3.70	0.01	9.05	-	-
31.03.2023 तक	-	0.39	20.61	2.23	15.40	16.27	11.41	0.38	66.69	-	13.05
31.03.2023 तक	-	0.39	20.61	2.23	15.40	16.27	11.41	0.38	66.69	-	13.05
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	7.21	1.29	6.09	4.29	3.68	0.04	22.62	-	1.10
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	1.50	1.85	3.40	-	6.75	-	0.01
31.03.2024 तक	-	0.41	27.82	3.52	19.99	18.71	11.69	0.42	82.56	-	14.14
31.03.2023 तक निवल ब्लॉक	110.39	1.20	436.29	17.83	51.95	7.71	13.38	0.16	638.91	2.72	1.62
31.03.2024 तक निवल ब्लॉक	110.39	1.18	429.08	16.93	46.96	10.91	14.47	0.29	630.21	23.59	0.52

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14.1 कंपनी द्वारा अर्जित अचल संपत्ति के संबंध में टाइटल विलेख के पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताओं को निष्पादित किया जाना बाकी है। विवरण इस प्रकार हैं:

(क) 31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण	सकल वहन मूल्य	निवल वहन मूल्य	टाइटल विलेख के नाम पर रखा गया	क्या टाइटल विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कार्मिक है	से संपत्ति आयोजित की गई	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन- कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में कार्यालय	4.59	1.89	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी की औपचारिकताओं के लंबित रहने तक, स्कोप कॉम्प्लेक्स में कंपनी को आवंटित कार्यालय स्थान कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) 31 मार्च 2023 तक

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण	सकल वहन मूल्य	निवल वहन मूल्य	टाइटल विलेख के नाम पर रखा गया	क्या टाइटल विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कार्मिक है	से संपत्ति आयोजित की गई	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन- कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में कार्यालय	4.59	1.95	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी की औपचारिकताओं के लंबित रहने तक, स्कोप कॉम्प्लेक्स में कंपनी को आवंटित कार्यालय स्थान कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

14.2 31 मार्च 2024 तक, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के प्रतिभूत उधार के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
सकल वहन मूल्य	3.48	3.48
निवल वहन मूल्य	2.31	2.36

14.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक				31 मार्च 2023 तक					
	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं										
- गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	20.87	1.24	0.08	1.40	23.59	1.24	0.08	-	1.40	2.72
कुल	20.87	1.24	0.08	1.40	23.59	1.24	0.08	-	1.40	2.72

रिपोर्टिंग वर्ष जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है, वहां कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) सीडब्ल्यूआईपी कम्पलीशन शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक				कुल	31 मार्च 2023 तक				कुल
	में पूरा किया जाना है					में पूरा किया जाना है				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं										
- गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	-	23.59	-	-	23.59	-	-	2.72	-	2.72
कुल	-	23.59	-	-	23.59	-	-	2.72	-	2.72

14.4 वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

14.5 प्रबंधन की राय में, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियां नहीं हैं जो इंड एस 36 "परिसंपत्तियों के इम्पेयरमेंट" के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के इम्पेयरमेंट को दर्शाती हो। तदनुसार, इम्पेयरमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14.6 यद्यपि कंपनी ने अर्हताप्राप्त परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, तथापि कंपनी ने इंड एस 23 'उधार लागत' के अनुसार कंपनी के लिए 7.28% (पिछले वर्ष 7.00 %) की औसत उधार दर पर सामान्य उधार लागत के कारण ₹ 0.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़) की उधार लागत पूंजीकृत की है।

14.7 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर

20 % (100 % परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में ₹ 5,000 या उससे कम)

15 अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
अप्रतिभूत, (शोध समझे गए)		
(क) पूंजीगत अग्रिम	0.17	7.26
(ख) अन्य अग्रिम	7.97	4.50
(ग) सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष	37.47	26.11
(घ) पूर्व-व्यय निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	5.15	7.70
(ङ) प्रीपेड खर्च	21.96	13.23
(च) आस्थगित कार्मिक लागत	15.81	10.84
(छ) अन्य परिसंपत्तियां	0.01	0.01
कुल (क से छ)	88.54	69.65

16 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण-भवन	0.05	0.34
कुल	0.05	0.34

31.03.2024 को बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों में ₹0.01 करोड़ के मुकदमे के तहत की परिसंपत्ति का परिणाम लंबित होने तक, परिसंपत्ति की दोबारा नीलामी नहीं की जा सकती (पिछले वर्ष शून्य)।

16.1 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने की दृष्टि से, वर्ष के दौरान इंडस्ट्रीज़-एस 105 के तहत आवश्यक "बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्ति" के तहत वर्गीकृत धारित मूल्य ₹ 0.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.52 करोड़) के साथ, कंपनी ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कुछ आवासीय भवन इकाइयों का निपटान किया है। इस तरह की बिक्री से चालू वर्ष के दौरान ₹ 1.32 करोड़ का लाभ हुआ है (पिछले वर्ष ₹ 4.08 करोड़) (टिप्पणी 30 देखें)। इसके अलावा, धारित मूल्य ₹ 0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.34 करोड़) मूल्य वाली आवासीय भवन इकाइयों को "बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्ति" के लिए वर्गीकृत किया गया है जो 31 मार्च 2024 तक निपटान के लिए लंबित हैं। उनके निपटान की प्रक्रिया ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां
17 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,052.46	1,955.00	2,029.81
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	41,110.80	42,535.71	35,866.55	37,124.32
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	8,998.71	9,326.50	10,307.08	10,671.07
(iv) आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	1,245.41	1,244.57	1,720.36	1,719.42
उप-जोड़ (क)	53,309.92	55,159.24	49,848.99	51,544.62
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	1,72,275.29	1,78,093.90	1,48,262.70	1,52,705.20
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	3.96	9.32	3.96	8.63
(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,963.75	32,847.46	32,886.78	32,690.54
उप - जोड़ (ख)	2,05,243.00	2,10,950.68	1,81,153.44	1,85,404.37
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) कमर्शियल पेपर	-	-	-	-
उप - जोड़ (ग)	-	-	-	-
कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख+ग)	2,58,552.92	2,66,109.92	2,31,002.43	2,36,948.99
भारत में/ से बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां				
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	2,25,589.17	2,33,262.46	1,98,115.65	2,04,258.45
(ii) विदेशों में ऋण प्रतिभूतियां	32,963.75	32,847.46	32,886.78	32,690.54
कुल-ऋण प्रतिभूतियां	2,58,552.92	2,66,109.92	2,31,002.43	2,36,948.99

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 19.2 देखें

17.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण - प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 18.6 का संदर्भ ले
(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
123-III बी शृंखला - 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,052.46	1,955.00	2,029.81
कुल-संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,052.46	1,955.00	2,029.81

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला XII (2018-19) -5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विमोचनीय	-	-	6,651.31	6,938.31
शृंखला XIII (2019-20) -5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विमोचनीय	6,157.82	6,422.49	6,157.82	6,419.74
शृंखला XIV (2020-21) -5.75% और 5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विमोचनीय	5,312.07	5,515.87	5,312.07	5,513.14

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला XV (2021-22) -5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विमोचनीय	7,312.80	7,580.06	7,312.80	7,576.90
शृंखला XVI (2022-23) -5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2027-28 के दौरान विमोचनीय	12,152.39	12,594.18	10,432.55	10,676.23
शृंखला XVII (2023-24) -5.25 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2028-29 के दौरान विमोचनीय	10,175.72	10,423.11	-	-
कुल - 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	41,110.80	42,535.71	35,866.55	37,124.32

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला 2015-16 शृंखला 5 ए	300.00	306.50	300.00	306.39
7.17% वार्षिक देय, 23.07.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय				
शृंखला 2011-12	2,160.33	2,289.60	2,160.33	2,288.71
वार्षिक रूप से 8.12% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय				
शृंखला 2012-13 शृंखला 2ए और 2बी	245.00	251.22	245.00	251.12
वार्षिक रूप से 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
शृंखला 2012-13 भाग 1	852.04	872.59	852.04	872.22
वार्षिक रूप से 7.38% से 7.88 % की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय				
शृंखला 2012-13 भाग 2	49.71	50.88	49.71	50.86
वार्षिक रूप से 7.04% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय				
शृंखला 2013-14 शृंखला 3ए एवं 3बी	1,141.00	1,195.48	1,350.00	1,413.90
वार्षिक रूप से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				
शृंखला 2013-14 शृंखला 4ए एवं 4बी	45.00	46.72	150.00	155.54
वार्षिक रूप से 8.54% की ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोचनीय				
शृंखला 2013-14 भाग 1	2,865.55	2,940.91	3,440.60	3,530.10
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और ₹55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय				
शृंखला 2013-14 भाग 2	640.08	657.37	1,059.40	1,087.25
वार्षिक रूप से 8.61% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोचनीय और ₹109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला 2015-16 भाग 1	700.00	715.24	700.00	714.98
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोचनीय, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोचनीय और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोचनीय				
कुल - कर-मुक्त बॉण्ड	8,998.71	9,326.50	10,307.08	10,671.07

(iv) आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	1,245.41	1,244.57	1,720.36	1,719.42
5% आवंटन की डीमड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर विमोचनीय				
कुल: आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	1,245.41	1,244.57	1,720.36	1,719.42

17.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण
(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
114वीं शृंखला - 8.82% 12.04.2023 को विमोचन	-	-	4,300.00	4,667.81
195वीं शृंखला - 6.92% 22.04.2023 को विमोचन	-	-	2,985.00	3,179.66
191ए शृंखला - 6.80% 30.06.2023 को विमोचन	-	-	1,100.00	1,106.52
200वीं शृंखला पीपी-एमएलडी - 5.36% 30.06.2023 को विमोचन *	-	-	500.00	573.12
184बी शृंखला एसटीआरपीपी-डी - 7.55% 26.09.2023 को विमोचन **	-	-	300.00	311.59
202बी शृंखला - 5.69% 30.09.2023 को विमोचन	-	-	2,474.00	2,544.42
205ए शृंखला - 4.99% 31.01.2024 को विमोचन	-	-	2,135.00	2,151.85
209वीं शृंखला - 5.79% 20.03.2024 को विमोचन	-	-	1,550.00	1,552.48
210वीं शृंखला - 5.74% 20.06.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,000.00	4,179.33	4,000.00	4,178.81
180ए शृंखला - 8.10% 25.06.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,018.00	1,080.60	1,018.00	1,077.71
191बी शृंखला - 6.99% 30.09.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,100.00	1,106.69	1,100.00	1,106.58
212वीं शृंखला - फ्लोटिंग (टी-बिल से जुड़ी) 31.10.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,579.54	2,500.00	2,573.36
186बी शृंखला - 8.30% 26.11.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,500.00	1,538.41	1,500.00	1,538.06
128वीं शृंखला - 8.57% 21.12.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,250.00	2,419.44	2,250.00	2,418.06
129वीं शृंखला - 8.23% 23.01.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,925.00	2,064.19	1,925.00	2,063.05
130वीं शृंखला - 8.27% 06.02.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,325.00	2,493.92	2,325.00	2,492.55
131वीं शृंखला - 8.35% 21.02.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,285.00	2,304.78	2,285.00	2,304.28
190ए शृंखला - 6.88% 20.03.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,515.30	2,500.00	2,514.67
201ए शृंखला - 5.90% 31.03.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	900.00	935.51	900.00	935.42
133वीं शृंखला - 8.30% 10.04.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,396.00	2,454.39	2,396.00	2,453.74
94वीं शृंखला - 8.75% 09.06.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,250.00	1,339.30	1,250.00	1,339.00

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
95-II शृंखला - 8.75% 14.07.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,800.00	1,913.92	1,800.00	1,913.49
136वीं शृंखला - 8.11% 07.10.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,585.00	2,672.18	2,585.00	2,671.58
229ए शृंखला - 7.79% 29.11.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,033.00	1,057.19	-	-
203बी शृंखला - 5.85% 20.12.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,777.00	2,821.52	2,777.00	2,821.05
204बी शृंखला - 5.81% 31.12.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,082.00	2,111.81	2,082.00	2,111.49
205बी शृंखला - 5.94% 31.01.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,010.05	2,000.00	2,014.64
214ए शृंखला - 7.32% 28.02.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	500.00	503.26	500.00	503.15
219 शृंखला - 7.60% 28.02.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,148.70	3,170.07	3,148.70	3,186.42
220बी शृंखला - 7.69% 31.03.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय और पुट विकल्प 31.03.2026 को प्रयोग योग्य	1,600.10	1,728.53	1,600.10	1,605.47
223ए शृंखला - 7.44% 30.04.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,177.84	-	-
228ए शृंखला - 7.80% 30.05.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,679.00	1,723.22	-	-
218ए शृंखला - 7.56% 30.06.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,170.45	3,000.00	3,048.29
225वीं शृंखला - 7.64% 30.06.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,210.00	2,314.55	-	-
221 शृंखला - 7.51% 31.07.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,848.00	2,990.53	-	-
227ए शृंखला - 7.77% 30.09.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,670.00	2,750.77	-	-
211वीं शृंखला - 6.23% 31.10.2031 को सममूल्य पर विमोचन, पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग योग्य	1,200.00	1,230.74	1,200.00	1,230.57
140वीं शृंखला - 7.52% 07.11.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,100.00	2,153.26	2,100.00	2,161.97
142वीं शृंखला - 7.54% 30.12.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,023.86	3,000.00	3,025.73
230-ए शृंखला - 7.71% 26-02-2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,000.00	1,015.57	-	-
147वीं शृंखला - 7.95% 12.03.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,745.00	2,721.28	2,745.00	2,717.93
231-ए शृंखला - 7.64% 30-04-2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,875.00	2,896.70	-	-
156वीं शृंखला - 7.70% 10.12.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,533.00	3,615.03	3,533.00	3,614.40
216ए शृंखला - 7.55% 31.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,701.50	1,829.71	1,701.50	1,701.13
220ए शृंखला - 7.77% 31.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,162.07	2,000.00	2,006.58
223बी शृंखला - 7.46% 30.06.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,993.60	3,170.48	-	-
162वीं शृंखला - 8.55% 09.08.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,637.66	2,500.00	2,637.42
163वीं शृंखला - 8.63% 25.08.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,628.32	2,500.00	2,628.04
168वीं शृंखला - 8.56% 29.11.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,552.40	2,626.17	2,552.40	2,625.73
169वीं शृंखला - 8.37% 07.12.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,554.00	2,621.46	2,554.00	2,621.02
176वीं शृंखला - 8.85% 16.04.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,600.70	1,735.93	1,600.70	1,735.82
178वीं शृंखला - 8.80% 14.05.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,097.00	1,172.67	1,097.00	1,171.24
180बी शृंखला - 8.30% 25.06.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,070.90	2,176.90	2,070.90	2,173.02
184ए शृंखला - 8.25% आंशिक रूप से भुगतान किए गए डिबेंचर 26.09.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,451.00	1,512.37	1,160.80	1,209.72
192वीं शृंखला - 7.50% 28.02.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,382.00	2,396.62	2,382.00	2,396.48
188बी शृंखला - 7.89% 31.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,100.00	3,368.55	1,100.00	1,100.10
189वीं शृंखला - 7.92% 31.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,054.90	3,296.98	3,054.90	3,054.97
189वीं शृंखला - 7.92% 31.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,740.00	3,990.27	3,740.00	3,990.03

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
197वीं शृंखला - 7.55% 11.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,569.00	1,673.94	1,569.00	1,673.83
198वीं शृंखला - 7.79% 21.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,500.00	3,627.41	3,500.00	3,627.05
202ए शृंखला - 7.25% 30.09.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,000.00	5,094.78	5,000.00	5,094.07
203ए शृंखला - 6.80% 20.12.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,528.21	2,500.00	2,527.79
204ए शृंखला - 6.90% 31.01.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,300.00	1,359.90	1,300.00	1,359.80
201बी शृंखला - 6.90% 31.03.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,380.00	3,329.95	1,380.00	1,382.88
213वीं शृंखला - 6.92% 20.03.2032 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,004.40	2,029.20	2,004.40	2,036.80
218बी शृंखला - 7.69% 31.01.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,947.60	4,948.08	4,947.60	4,944.67
214बी शृंखला - 7.50% 28.02.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	500.00	548.48	500.00	510.86
217वीं शृंखला - 7.53% 31.03.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,818.70	2,901.21	-	-
227बी शृंखला - 7.71% 31.10.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,899.69	2,974.14	-	-
228बी शृंखला - 7.71% 30.11.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,045.87	-	-
230-बी शृंखला - 7.64% 31-01-2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,517.73	-	-
231-बी शृंखला - 7.47% 28-02-2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,063.00	5,315.13	5,063.00	5,314.68
182वीं शृंखला - 8.18% 22.08.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,028.00	3,163.58	3,028.00	3,163.26
183वीं शृंखला - 8.29% 16.09.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,589.90	4,642.55	4,589.90	4,641.76
207वीं शृंखला - 7.02% 31.01.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,613.80	3,625.52	3,613.80	3,625.49
215वीं शृंखला - 7.65% 30.11.2033, 30.11.2034, 30.11.2035, 30.11.2036 और 30.11.2037 को 5 समान किश्तों में विमोचनीय	3,889.00	3,988.60	3,889.00	3,992.12
216बी शृंखला - 7.67% 30.11.2037 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,051.06	2,000.00	2,049.92
229बी शृंखला - 7.67% 30.11.2038 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,539.40	3,618.67	-	-
कुल - संस्थागत बॉण्ड	1,72,275.29	1,78,093.90	1,48,262.70	1,52,705.20

* पीपी-एमएलडी- प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंकड डिबेंचर्स

** एसटीआरपीपी-सेपरेटली ट्रांसफेरेबल रिडीमेबल प्रिंसिपल पार्ट्स

(ii) अवसरचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	9.32	3.96	8.63
कुल : अवसरचना बॉण्ड	3.96	9.32	3.96	8.63

जारी किए गए अवसरचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:
15.02.2012 को आबंटित शृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	2.83	2.83	आवंटन की तारीख से 15 साल बाद की तारीख पर विमोचन
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
कुल	3.96	3.96	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
4.75% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - 19.05.2023 को विमोचन	-	-	4,110.85	4,181.61
5.250% यूएस \$700 मिलियन बॉण्ड - 13.11.2023 को विमोचन	-	-	5,755.18	5,858.35
3.375% यूएस \$650 मिलियन बॉण्ड - 25.07.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,419.30	5,450.24	5,344.10	5,366.61
3.50% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - 12.12.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,168.70	4,210.34	4,110.85	4,148.36
2.25% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - 01.09.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,168.70	4,168.48	4,110.85	4,107.36
2.75% यूएस \$400 मिलियन बॉण्ड - 13.01.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,334.96	3,350.67	3,288.68	3,302.69
3.875% यूएस \$450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड - 07.07.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,751.83	3,547.96	3,699.76	3,425.80
4.625% यूएस \$300 मिलियन बॉण्ड - 22.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,501.22	2,366.73	2,466.51	2,299.76
5.625% यूएस \$750 मिलियन बॉण्ड - 11.04.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	6,253.04	6,406.68	-	-
1.76% जेपीवाई 31000 मिलियन बॉण्ड - 19.01.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,707.79	1,712.28	-	-
1.41% जेपीवाई 27400 मिलियन बॉण्ड - 19.04.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,509.47	1,484.82	-	-
2.20% जेपीवाई 2700 मिलियन बॉण्ड - 19.01.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	148.74	149.26	-	-
कुल - विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,963.75	32,847.46	32,886.78	32,690.54

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स-एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज - सिक्योरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई-आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज - इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	यूएसडी 1.17 बिलियन	शून्य
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 5.57 बिलियन	यूएसडी 4.4 बिलियन
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 3.97 बिलियन	यूएसडी 4.0 बिलियन

वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग ऑफरिंग सर्कुलर में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तिथि को कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों, चाहे मूलधन या ब्याज, को पूरा किया है। इसके अलावा, तुलन पत्र की तिथि को ऋण करारों के अंतर्गत वित्तीय प्रसंविदाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

18 उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां				
(i) बैंकों से सावधिक ऋण	50,612.28	50,620.49	56,298.20	56,402.09
(ii) वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण	8,050.00	8,072.29	6,000.00	6,000.64
(iii) विदेशी मुद्रा में सावधिक ऋण	67,205.64	66,772.38	45,553.26	45,263.52
(iv) भारत सरकार (एनएसएसएफ) से सावधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(v) पट्टा देयता	-	-	0.02	0.02
उप-जोड़ (क)	1,35,867.92	1,35,790.28	1,17,851.48	1,17,991.39
(ख) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	25,138.67	25,151.29	15,424.22	15,427.63
(ii) बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण / ऋण प्रतिदेय	10,875.94	10,883.04	3,600.00	3,607.52
(iii) बैंकों से मांग पर ओवरड्राफ्ट्स / नकदी ऋण प्रतिदेय	267.44	267.44	87.59	87.59
उप-जोड़ (ख)	36,282.05	36,301.77	19,111.81	19,122.74
कुल- उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) (क से ख)	1,72,149.97	1,72,092.05	1,36,963.29	1,37,114.13
भारत में / से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)				
(i) भारत में उधारियाँ	1,04,944.33	1,05,319.67	91,410.03	91,850.61
(ii) भारत से बाहर उधारियाँ	67,205.64	66,772.38	45,553.26	45,263.52
कुल - उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,72,149.97	1,72,092.05	1,36,963.29	1,37,114.13

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 19.2 देखें

18.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण
(i) बैंकों से सावधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- कर्नाटक बैंक	499.98	499.98	499.99	499.99
₹ 499.98 करोड़ 15.05.2025 को प्रतिदेय				
- पंजाब एंड सिंध बैंक	499.91	499.91	700.00	700.00
₹ 499.91 करोड़ 09.12.2025 को प्रतिदेय				
- जम्मू एवं कश्मीर बैंक	299.94	300.01	299.95	299.95
₹ 299.94 करोड़ 28.10.2026 को प्रतिदेय				
- करूर वैश्य बैंक	-	-	250.00	250.05
25.10.2023 को ₹ 250 करोड़ चुकाए गए				
- डच बैंक	500.00	500.22	1,000.00	1,000.22
₹ 500 करोड़ 15.06.2027 को प्रतिदेय				
- साउथ इंडियन बैंक	499.89	500.00	500.00	500.00
₹ 299.93 करोड़ 08.11.2026 को प्रतिदेय और ₹ 199.96 करोड़ 04.08.2027 को प्रतिदेय				
- एचडीएफसी बैंक	17,850.00	17,853.86	16,350.00	16,449.77
17.11.2026 को ₹ 850 करोड़ प्रतिदेय, 31.03.2027 को ₹ 2,000 करोड़ प्रतिदेय, 07.09.2027 को ₹ 2,000 करोड़ प्रतिदेय, 29.12.2027 को ₹ 2,500 करोड़ प्रतिदेय, 27.02.2028 को ₹ 2,500 करोड़ प्रतिदेय, 27.06.2028 को ₹ 1,500 करोड़ प्रतिदेय, 29.06.2028 को ₹ 1,500 करोड़ प्रतिदेय, 30.09.2028 को ₹ 4,000 करोड़ प्रतिदेय, और 28.12.2028 को ₹ 1,500 करोड़ प्रतिदेय				
- इंडियन बैंक	-	-	1,500.00	1,500.00

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
02.06.2023 को ₹ 500 करोड़ चुकाए गए, 30.09.2023 को ₹ 500 करोड़ चुकाए गए और 23.02.2024 को ₹ 500 करोड़ चुकाए गए				
- बैंक ऑफ बड़ौदा	4,749.92	4,750.97	5,000.00	5,001.08
₹ 4,749.92 करोड़ 30.09.2024 से शुरू होने वाली 6 वार्षिक किस्तों में को प्रतिदेय और अंतिम किस्त 29.09.2029 को प्रतिदेय				
- आईसीआईसीआई बैंक	5,533.00	5,534.17	4,000.00	4,000.85
₹ 4,000 करोड़ 23.01.2030 को को प्रतिदेय और ₹ 1,533 करोड़ 15.05.2028 को को प्रतिदेय				
- एचएसबीसी बैंक	-	-	3,402.49	3,403.23
21.08.2023 को ₹ 750 करोड़ चुकाए गए, 20.09.2023 को ₹ 1,900 करोड़ चुकाए गए और 30.09.2023 को ₹ 753 करोड़ चुकाए गए				
- बैंक ऑफ इंडिया	-	-	1,499.87	1,500.18
13.06.2023 को ₹ 749.87 करोड़ और 17.08.2023 को ₹ 750 करोड़ चुकाए गए				
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,999.42	4,000.27	2,999.68	3,000.33
₹ 1,999.42 करोड़ का ऋण 31.03.2027 से शुरू होकर ₹400 करोड़ की 5 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और अंतिम किस्त 31.03.2031 को और ₹1,000 करोड़ 04.01.2026 को प्रतिदेय, ₹ 500 करोड़ का ऋण 29.09.2028 को चुकाया जाएगा और ₹ 500 करोड़ का ऋण होगा 05.11.2028 को प्रतिदेय				
- भारतीय स्टेट बैंक	7,750.94	7,750.94	10,900.26	10,900.26
₹ 2,139.92 करोड़ 3 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और अंतिम किस्त 15.07.2025 को चुकानी होगी, ₹ 3,899.84 करोड़ संरचित किस्तों में प्रतिदेय और आखिरी किस्त 29.10.2031 को चुकानी होगी और ₹ 1,711.18 करोड़ 12.12.2027 को प्रतिदेय				
- पंजाब नेशनल बैंक	7,529.29	7,530.17	4,995.97	4,996.19
₹ 1,329.99 करोड़ 2 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और अंतिम किस्त 31.08.2025 को प्रतिदेय, ₹ 1,999.66 करोड़ 11.11.2026 को प्रतिदेय, ₹ 999.66 करोड़ 29.03.2028 से शुरू होने वाली 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और ₹ 200 करोड़ की अंतिम किस्त 29.12.2031 को प्रतिदेय, ₹1,199.99 करोड़ 03.11.2028 को प्रतिदेय, ₹ 1,999.99 करोड़ 26.12.2028 को प्रतिदेय				
- सेंट्रल बैंक	899.99	899.99	2,399.99	2,399.99
₹ 499.99 करोड़ 28.03.2026 से शुरू होने वाली 7 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और अंतिम किस्त 28.03.2032 को और ₹ 400 करोड़ 17.11.2025 को प्रतिदेय				
कुल - बैंकों से अप्रतिभूत सावधिक ऋण	50,612.28	50,620.49	56,298.20	56,402.09

(ii) अन्य से सावधिक ऋण - वित्तीय संस्थान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	4,550.00	4,549.46	5,500.00	5,500.53
29.03.2026 को ₹ 750 करोड़ प्रतिदेय, 09.08.2026 को ₹1,000 करोड़ प्रतिदेय, 29.07.2027 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 30.06.2028 को ₹ 800 करोड़ प्रतिदेय और 11.12.2028 को ₹ 1,500 करोड़ प्रतिदेय				
- नेशनल बैंक फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)	3,500.00	3,522.83	500.00	500.11

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
31.03.2027 से शुरू होने वाली 7 समान वार्षिक किस्तों में ₹ 3,500 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किस्त 31.03.2033 को				
	8,050.00	8,072.29	6,000.00	6,000.64

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
1.86% केएफडब्ल्यू-III ऋण - प्रतिदेय €5.26 मिलियन की समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में, अंतिम किस्त 30.06.2024 को देय होगी	47.49	47.72	141.51	142.17
उप-जोड़ (1)	47.49	47.72	141.51	142.17
(2) ओडीए ऋण - सरकारी गारंटी के बिना				
केएफडब्ल्यू-IV ऋण - 15.11.2030 तक €12.00 मिलियन की समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 15.05.2024 को देय होगी	1,400.68	1,432.92	1,578.56	1,609.90
केएफडब्ल्यू-V ऋण - 15.05.2034 तक \$ 8.921 मिलियन की समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त 15.05.2025 को देय होगी	1,026.78	1,050.41	-	-
उप-जोड़ (2)	2,427.46	2,483.33	1,578.56	1,609.90
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेटेड ऋण				
¥ 10,327.12 मिलियन - 08.08.2023 को चुकाए गए	-	-	638.22	635.36
यूएस \$250 मिलियन - 29.08.2023 को चुकाए गए	-	-	2,055.42	2,064.76
यूएस \$250 मिलियन - 27.03.2024 को चुकाए गए	-	-	2,055.42	2,036.56
यूएस \$150 मिलियन - \$75 मिलियन 29.03.2024 को चुकाए गए और \$75 मिलियन 14.05.2024 को प्रतिदेय	625.30	625.00	1,233.25	1,224.65
यूएस \$100 मिलियन - 01.07.2024 को प्रतिदेय	833.74	847.51	822.17	830.83
एसजी \$72.07 मिलियन - 30.03.2025 को प्रतिदेय	444.93	442.68	445.48	440.55
यूएस \$75 मिलियन - 30.03.2025 को प्रतिदेय	625.30	620.58	616.63	606.46
¥ 10,519 मिलियन - 25.09.2025 को प्रतिदेय	579.49	575.93	650.07	643.21
यूएस \$170 मिलियन - \$100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय और \$ 70 मिलियन 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,417.36	1,421.43	1,397.69	1,400.67
यूएस \$425 मिलियन - 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,543.39	3,528.67	3,494.22	3,467.48
यूएस \$600 मिलियन - 25.08.2026 को प्रतिदेय	5,002.43	4,991.65	4,933.01	4,899.73
यूएस \$75 मिलियन - 07.10.2026 को प्रतिदेय	625.30	640.98	616.63	626.45
यूएस \$1175 मिलियन - 29.12.2026 को प्रतिदेय	9,796.43	9,680.47	9,660.49	9,500.21
¥ 37,506.63 मिलियन - 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,066.24	2,045.33	2,317.91	2,285.95
यूएस \$100 मिलियन - 13.06.2027 को प्रतिदेय	833.74	829.15	822.17	815.24
यूएस \$200 मिलियन - 28.07.2027 को प्रतिदेय	1,667.48	1,671.47	1,644.34	1,640.92
यूएस \$150 मिलियन - 13.09.2027 को प्रतिदेय	1,250.61	1,242.95	1,233.25	1,221.79
एसजीडी 213.21 मिलियन - 27.10.2027 को प्रतिदेय	1,316.19	1,309.63	1,317.80	1,306.89

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
₹ 254.19 मिलियन - 31.10.2027 को प्रतिदेय	2,293.28	2,286.52	2,277.77	2,258.06
₹ 349.83 मिलियन - 27.03.2028 को प्रतिदेय	3,156.09	3,117.13	3,134.74	3,085.56
₹ 38624.35 मिलियन - 20.04.2028 को प्रतिदेय	2,127.82	2,107.82	-	-
जेपीवाई 10,495.125 मिलियन - 26.06.2028 को प्रतिदेय	578.18	571.55	-	-
यूएस \$505 मिलियन - 03.08.2028 को प्रतिदेय	4,210.38	4,173.93	-	-
यूएस \$645 मिलियन - 31.08.2028 को प्रतिदेय	5,377.62	5,305.50	-	-
यूएस \$100 मिलियन - 14.09.2028 को प्रतिदेय	833.74	822.89	-	-
₹ 68485.2 बिलियन - 21.09.2028 को प्रतिदेय	3,772.85	3,694.73	-	-
यूएस \$100 मिलियन - 25.09.2028 को प्रतिदेय	833.74	818.56	-	-
₹ 14358.5 मिलियन - 09.01.2029 को प्रतिदेय	791.01	793.01	-	-
यूएस \$100 मिलियन - 06.02.2029 को प्रतिदेय	833.74	827.74	-	-
₹ 22101 मिलियन - 15.02.2029 को प्रतिदेय	1,217.54	1,199.30	-	-
यूएस \$200 मिलियन - 07.03.2029 को प्रतिदेय	1,667.48	1,639.25	-	-
₹ 22041 मिलियन - 19.03.2029 को प्रतिदेय	1,214.24	1,194.77	-	-
₹ 14847 मिलियन - 21.03.2029 को प्रतिदेय	817.92	809.35	-	-
यूएस \$225 मिलियन - 27.03.2029 को प्रतिदेय	1,875.91	1,836.80	-	-
यूएस \$300 मिलियन - 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,501.22	2,569.05	2,466.51	2,520.12
उप- जोड़ (3)	64,730.69	64,241.33	43,833.19	43,511.45
कुल- विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	67,205.64	66,772.38	45,553.26	45,263.52

(iv) भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- एनएसएसएफ से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय				
कुल - सरकार से सावधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12

18.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां

(i) एफसीएनआर (बी) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस\$200 मिलियन - 24.05.2023 को चुकाए गए	-	-	1,644.34	1,644.34
यूएस\$150 मिलियन - 26.05.2023 को चुकाए गए	-	-	1,233.25	1,233.44
यूएस\$200 मिलियन - 03.06.2023 को चुकाए गए	-	-	1,644.34	1,644.58
यूएस\$75 मिलियन - 07.06.2023 को चुकाए गए	-	-	616.63	616.63
यूएस\$150 मिलियन - 21.06.2023 को चुकाए गए	-	-	1,233.25	1,233.44
यूएस\$200 मिलियन - 08.12.2023 को चुकाए गए	-	-	1,644.34	1,644.34

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस\$300 मिलियन - 13.12.2023 को चुकाए गए	-	-	2,466.51	2,466.51
यूएस\$75 मिलियन - 14.12.2023 को चुकाए गए	-	-	616.63	616.63
यूएस\$100 मिलियन - 15.12.2023 को चुकाए गए	-	-	822.17	822.17
यूएस\$200 मिलियन - 29.12.2023 को चुकाए गए	-	-	1,644.34	1,644.60
€ 69.77 मिलियन - 16.01.2024 को चुकाए गए	-	-	625.17	627.48
यूएस\$150 मिलियन - 15.02.2024 को चुकाए गए	-	-	1,233.25	1,233.47
यूएस\$150 मिलियन - 03.04.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,251.45	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 19.04.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,251.46	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 19.04.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,251.50	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 10.05.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,250.82	-	-
यूएस\$200 मिलियन - 14.05.2024 को प्रतिदेय	1,667.48	1,667.76	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 16.05.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,250.82	-	-
यूएस\$124.85 मिलियन - 24.05.2024 को प्रतिदेय	1,040.92	1,041.62	-	-
यूएस\$75.15 मिलियन - 24.05.2024 को प्रतिदेय	626.55	626.98	-	-
यूएस\$75 मिलियन - 07.06.2024 को प्रतिदेय	625.30	625.73	-	-
यूएस\$44 मिलियन - 12.06.2024 को प्रतिदेय	366.85	367.10	-	-
यूएस\$125 मिलियन - 05.07.2024 को प्रतिदेय	1,042.17	1,042.37	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 09.08.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,250.85	-	-
यूएस\$100 मिलियन - 20.09.2024 को प्रतिदेय	833.74	833.90	-	-
यूएस\$200 मिलियन - 06.12.2024 को प्रतिदेय	1,667.48	1,668.61	-	-
यूएस\$250 मिलियन - 12.12.2024 को प्रतिदेय	2,084.35	2,085.79	-	-
यूएस\$100 मिलियन - 12.12.2024 को प्रतिदेय	833.74	834.30	-	-
यूएस\$75 मिलियन - 13.12.2024 को प्रतिदेय	625.30	625.74	-	-
यूएस\$200 मिलियन - 27.12.2024 को प्रतिदेय	1,667.48	1,667.80	-	-
₹ 34228.99 मिलियन - 27.12.2024 को प्रतिदेय	1,885.68	1,885.96	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 14.02.2025 को प्रतिदेय	1,250.61	1,250.84	-	-
यूएस\$70 मिलियन - 14.02.2025 को प्रतिदेय	583.62	584.04	-	-
यूएस\$100 मिलियन - 18.03.2025 को प्रतिदेय	833.74	835.85	-	-
कुल-एफसीएनआर (बी) ऋण	25,138.67	25,151.29	15,424.22	15,427.63

- 18.3** टिप्पणी संख्या 18.1 (i), (ii) तथा (iv) में उल्लिखित है कि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / सरकार से सावधिक ऋण 7.50% से 8.29% (पिछले वर्ष 5.38 % से 8.29%) मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर देय है।
- 18.4** टिप्पणी संख्या 18.1 (iii) में विदेशी मुद्रा उधारियां ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर) सहित बाहरी बेंचमार्क पर 13 बीपीएस से 210 बीपीएस (पिछले वर्ष 13 बीपीएस से 210) बीपीएस के दायरे में परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बढ़ाया गया है जिसमें 3/6 महीने का टर्म एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), 3/6 महीने का ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर रेट) शामिल है और क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड (सीएएस) जो नई बेंचमार्क दरों के ऋण के संचरण पर लागू होता है, उन मामलों को छोड़कर जहां दर का उल्लेख किया गया है।
- 18.5** कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कोई निधि उधार नहीं लिया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.6 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का सुरक्षा विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूत बॉण्ड और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाया गया है। संस्थागत बॉण्ड्स की बॉण्ड श्रृंखला 123-IIIबी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के ऋण परिसंपत्तियां जो अन्य ऋणदाता / ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड दुकान नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई के परिसर में प्रथम पैरी पासु चार्ज और एमएसईडीसीएल की चुनिंदा ऋण संपत्तियों को विस्तार आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) के पक्ष में बंधक बनाकर सुरक्षित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी की ऋण परिसंपत्तियों (विशेष रूप से उधारदाताओं / अन्य ट्रस्टियों को चार्ज / निर्धारित किए गए के अलावा) पर पहले पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी किए गए 54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड और कर मुक्त बॉण्ड की बॉण्ड श्रृंखला XIII को (क) परिसर के बंधक पर उप प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584पी, ग्राम सुभानपुरा, जिला वडोदरा में स्थित प्रथम पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किया गया है और (ख) एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जो ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टियों को विशेष रूप से चार्ज/निर्धारित की गई हैं) का बंधक।

54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड की बॉण्ड श्रृंखला XIII, XIV, XV, XVI और XVII को एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जो विशेष रूप से उधारदाताओं / अन्य ट्रस्टियों के लिए चार्ज / निर्धारित किए गए हैं) के बंधक पर पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अग्रणी मूल्य के लिए टिप्पणी संख्या 9 और 14.2 देखें।

18.7 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

19 अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) 115वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स - 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,668.34
(ii) 175वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स - 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,091.95	2,151.20	2,079.90
(iii) 199वीं श्रृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स - 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,041.60	1,999.50	2,025.06
(iv) 222वीं श्रृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स- 30.04.2033 को कॉल विकल्प के साथ 7.98% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	2,000.00	2,145.28	-	-
(v) 226वीं श्रृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स- 30.09.2033 को कॉल विकल्प के साथ 8.03% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	1,090.00	1,133.38	-	-
कुल - अधीनस्थ देयताएं	7,240.70	7,412.21	6,650.70	6,773.30
भारत में / बाहर अधीनस्थ देयताएं				
(i) भारत में उधारियां	7,240.70	7,412.21	6,650.70	6,773.30
(ii) भारत के बाहर उधारियां	-	-	-	-
कुल - अधीनस्थ देयताएं	7,240.70	7,412.21	6,650.70	6,773.30

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच समाधान के लिए टिप्पणी संख्या 19.2 देखें।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ-अवधि उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएए, आईसीआरए पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एएए+
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज), बीबीबी+ (जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)

वर्ष के दौरान, घरेलू स्थायी बॉण्ड पर क्रेडिट रेटिंग को केयर एए+ से केयर एएए में अपग्रेड किया गया है

19.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदात्मक राशि के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतिया	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2024 तक				
इंड-एस के तहत कुल राशि	2,66,109.92	1,72,092.05	7,412.21	4,45,614.18
घटाएं: इंड-एस के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(8,264.50)	(766.66)	(321.21)	(9,352.37)
जोड़ें: ईआईआर सहित इंड-एस समायोजन	707.50	824.58	149.70	1,681.78
कुल बकाया उधारियां	2,58,552.92	1,72,149.97	7,240.70	3,37,943.59
31 मार्च 2023 तक				
इंड-एस के तहत कुल राशि	2,36,948.99	1,37,114.13	6,773.30	3,80,836.42
घटाएं: इंड-एस के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,730.41)	(670.87)	(296.95)	(7,698.23)
जोड़ें: ईआईआर सहित इंड-एस समायोजन	783.85	520.03	174.35	1,478.23
कुल बकाया उधारियां	2,31,002.43	1,36,963.29	6,650.70	3,74,616.42

19.3 कंपनी बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकारी एजेंसियों से सावधिक ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव लिखत / सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देयताओं के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों तथा ऋण प्रतिभूतियों संबंधी प्रसविदा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

20 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) अप्रदत्त लाभांश (टिप्पणी 20.1 देखें)	1,192.72	6.79
(ख) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्ड पर ब्याज (टिप्पणी 20.1 देखें)		
- परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	22.42	25.66
- बॉण्ड पर ब्याज	10.52	11.17
उप-जोड़ (ख)	32.94	36.83
(ग) वेरिफेशन मार्जिन के लिए प्राप्त अग्रिम	4,638.80	-
(घ) सब्सिडी/अनुदान (संचयी) के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां	96,282.52	96,263.30
जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	3.56	3.12
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(96,269.71)	(96,238.70)
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	16.37	27.72
(ङ) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सर्विसड प्रदत्त बॉण्ड हेतु देय	24,382.40	24,318.29
(च) अन्य देयताएं	1,577.43	784.95
कुल (क से च तक)	31,840.66	25,174.58

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20.1 अप्रदत्त लाभांश, अप्रदत्त मूलधन और बॉण्ड पर ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जिनका या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या निवेशकों के दावों आदि के कारण औपचारिकताओं के लिए लंबित हैं। यह राशि 31 मार्च 2024 तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईपीएफ) में स्थानांतरित की जानी है, जिसकी राशि ₹ 0.58 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹ 2.68 करोड़) है जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, अप्रदत्त लाभांश में मार्च 2024 में कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹ 1,184.95 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि भी शामिल है, जिसके लिए शेष राशि निर्धारित बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है लेकिन अभी तक शेयरधारकों को भुगतान नहीं किया गया है।

20.2 सब्सिडी अंडर एक्सेलरेटेड जनरेशन एंड स्प्लाइ प्रोग्राम (एजीएंडएसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज सब्सिडी निधि खाते को बनाए रखती है और उसे भारत सरकार द्वारा डी.ओ.सं. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003, पात्र योजनाओं का वास्तविक पुनर्भुगतान शेड्यूल, अधिस्थगन वर्ष और पुनर्भुगतान की अवधि के बावजूद के तहत भारत सरकार के पत्र के अनुसार सांकेतिक दरों और वर्ष पर गणना की गई निवल वर्तमान मूल्य पर एजी एंड एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण के लिए) दी गई थी। आहरण के समय सांकेतिक दर और वर्ष के बीच अंतर का वास्तविक प्रभाव संबंधित योजनाओं की समाप्ति के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

31 मार्च 2024 को निवल राशि ₹ 0.77 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹ 0.75 करोड़) ब्याज सब्सिडी फंड की शेष राशि को दर्शाती है, जिसे एक्सेलरेटेड जनरेशन एंड स्प्लाइ प्रोग्राम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयताओं के लिए पारित किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.75	0.73
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.02
घटाएं : उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	0.77	0.75

20.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य वित्तीय देयताएं" के अंतर्गत "सब्सिडी/अनुदान के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

20.4 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	3.12	3.95
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.65	4.21
घटाएं : वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	(0.21)	(5.04)
अंतिम शेष	3.56	3.12

20.5 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए भारत सरकार की फंडिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) की कुल राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के 2 दिसंबर, 2020 और 3 मार्च, 2021 के पत्र के अनुसार, उपरोक्त बॉण्ड के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तदनुसार, ब्याज सहित ऐसे बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य प्रतीत हो रही है (टिप्पणी 11)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

ब्याज की आवृत्ति	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन की तिथि	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
भारत सरकार-I शृंखला	8.09%	अर्ध वार्षिक	21-03-2028	1,837.00	1,837.00
भारत सरकार-II शृंखला	8.01%	अर्ध वार्षिक	24-03-2028	1,410.00	1,410.00
भारत सरकार-III शृंखला	8.06%	अर्ध वार्षिक	27-03-2028	753.00	753.00
भारत सरकार-IV शृंखला	8.70%	अर्ध वार्षिक	28-09-2028	3,000.00	3,000.00
भारत सरकार-V शृंखला	8.54%	अर्ध वार्षिक	15-11-2028	3,600.00	3,600.00
भारत सरकार-VI शृंखला	8.80%	अर्ध वार्षिक	22-01-2029	2,027.00	2,027.00
भारत सरकार-VII शृंखला	8.60%	अर्ध वार्षिक	08-03-2029	1,200.00	1,200.00
भारत सरकार-VIII शृंखला	8.30%	अर्ध वार्षिक	25-03-2029	4,000.00	4,000.00
भारत सरकार- IX शृंखला	7.14%	अर्ध वार्षिक	02-03-2030	1,500.00	1,500.00
भारत सरकार- X शृंखला	8.25%	अर्ध वार्षिक	26-03-2030	532.30	532.30
भारत सरकार- XI शृंखला	7.20%	अर्ध वार्षिक	31-03-2030	1,750.00	1,750.00
भारत सरकार- XII शृंखला	6.45%	अर्ध वार्षिक	07-01-2031	1,000.00	1,000.00
भारत सरकार- XIII शृंखला	6.63%	अर्ध वार्षिक	28-01-2031	1,000.00	1,000.00
भारत सरकार- XIV शृंखला	6.50%	अर्ध वार्षिक	26-03-2031	500.00	500.00
कुल				24,109.30	24,109.30

21. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
आयकर के लिए प्रावधान	3,283.85	-
घटाएं : अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(3,217.34)	-
चालू कर देयताएं (निवल)	66.51	-

22. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
उपदान	0.13	2.68
अर्जित अवकाश देयता	33.45	27.49
चिकित्सा अवकाश देयता	21.52	20.61
निपटान भत्ता	2.40	1.76
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.92	4.17
दीर्घ सेवा अवार्ड	4.51	2.89
प्रोत्साहन	36.55	33.47
अन्य	1.07	2.00
उप-जोड़ (क)	104.55	95.07
(ख) अन्य		
सुविधा पत्रों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	32.02	15.87
उप-जोड़ (ख)	32.02	15.87
कुल (क + ख)	136.57	110.94

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
आरंभिक शेष	15.87	20.90
जोड़े: वर्ष के दौरान सृजित	25.97	5.48
घटाएं: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(9.82)	(10.51)
अंतिम शेष	32.02	15.87

22.2 कंपनी के पास उधारकर्ताओं की ओर से वित्तीय गारंटी के रूप में बैंकों को जारी किए गए सुविधा पत्र से संबंधित अधिकतम क्रेडिट जोखिम ₹ 5,961.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,082.47 करोड़) (इम्पेयरमेंट हानि भत्ते का निवल) है।

23. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) सनड्राई देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	47.80	2.80
(ख) पूंजी खाते के प्रति देय देयता	48.38	48.38
(ग) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	85.38	12.45
(घ) सांविधिक देय	58.06	34.94
कुल (क से घ)	239.62	98.57

24. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,000.00	5,00,00,00,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22
कुल	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22

24.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों की संख्या	2,63,32,24,000	2,633.22	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	65,83,06,000	658.30
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयर	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22

24.2 पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में जमा राशि में से ₹ 658.30 करोड़ का पूंजीकरण करके रिकॉर्ड तिथि अर्थात 18 अगस्त 2022 पर बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में ₹ 10 के 65,83,06,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे।

24.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना संविदा के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बॉय-बैक की है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

24.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, अधिमानित और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

24.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

शेयरधारक का नाम	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	1,38,59,93,662	52.63%

24.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	1,38,59,93,662	52.63%

24.7 प्रमोटर्स द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

प्रमोटर का नाम	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	शेयरों की सं.	प्रतिशत	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	-	-	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	-	1,38,59,93,662	52.63%	-

25 इन्स्ट्रुमेंट्स की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹ 10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	5,584	558.40	5,584	558.40
कुल	5,584	558.40	5,584	558.40

25.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया स्थायी प्रतिभूतियों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,584	558.40	5,584	558.40
वर्ष के दौरान जोड़े/(घटाएँ)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	5,584	558.40	5,584	558.40

25.2 तुलन पत्र की तिथि को इन्स्ट्रुमेंट धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स को धारित करते:

शेयरधारक का नाम	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

25.3 कंपनी ने ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के स्थायी ऋण इन्स्टमेंट्स जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद कॉल नहीं किए जाने पर इन्स्टमेंट्स में एक स्टेप अप का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियाँ स्थायी प्रकृति की हैं और कंपनी के पास कूपन के भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेकाधिकार नहीं है, इसलिए इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, सावधिक कूपन भुगतान तदनुसार बरकरार रखी गई प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किए जाते हैं।

26. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) अन्य आरक्षित निधि		
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	28,044.83	24,977.89
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	687.76	-
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अधीन आरक्षित निधि	10,828.99	8,025.15
(iv) प्रतिभूति प्रीमियम	1,577.53	1,577.53
(v) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(675.14)	(790.44)
(vi) सामान्य आरक्षित निधि	11,978.44	11,978.44
(ख) प्रतिधारित आय	13,363.40	9,930.77
(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	(57.99)	(101.47)
- नकदी प्रवाह हेजेज़ का प्रभावी भाग	(1,846.93)	600.05
- हेजिंग आरक्षित निधि की लागत	1,690.64	(1,709.87)
कुल - अन्य इक्विटी	65,591.53	54,488.05

अन्य इक्विटी के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

26.1 आरक्षित निधि से निकासी/स्थानांतरण: विनियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियां स्थानांतरित की हैं:

- (i) **वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान**
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरक्षित निधि से कोई राशि नहीं निकाली गई है
- (ii) **वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान**
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii)(सी) के तहत ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य वस्तुओं पर वास्तविक राइट ऑफ में डालने के कारण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ₹ 196.82 करोड़।

26.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घवधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष आरक्षित निधि खाते में अंकित किया गया हो।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	24,977.89	22,302.93
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	3,066.94	2,674.96
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	28,044.83	24,977.89

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध और संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षित निधि, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/आरक्षित निधि के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए आरक्षित निधि का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	196.82
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	687.76	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(196.82)
वर्ष के अंत में शेष	687.76	-

26.4 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यक आरक्षित निधि का सृजन कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ का कम से कम 20% स्थानान्तरण करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई भी विनियोग करने की अनुमति नहीं है, ऐसे किसी भी विनियोग की सूचना ऐसी वापसी की तारीख से 21 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को देनी होगी।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	8,025.15	5,814.00
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,803.84	2,211.15
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	10,828.99	8,025.15

26.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,577.53	2,236.54
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू के लिए उपयोग किया जाता है	-	(658.30)
घटाएं: इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू पर होने वाला खर्च	-	(0.71)
वर्ष के अंत में शेष	1,577.53	1,577.53

26.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के विमोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) को दर्शाती है, जिन्हें पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(790.44)	(555.29)
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा परिवर्तन लाभ/हानि(-)	(85.73)	(487.03)
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	201.03	251.88
वर्ष के अंत में शेष	(675.14)	(790.44)

26.7 सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	11,978.44	11,781.62
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
जोड़ें: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से हस्तांतरित	-	196.82
वर्ष के अंत में शेष	11,978.44	11,978.44

26.8 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इकिटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में बदलाव को मान्यता देने का चुनाव किया है। ये परिवर्तन इकिटी के भीतर ओसीआई आरक्षित निधि में जमा होते हैं। जब संबंधित इकिटी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो कंपनी इस आरक्षित निधि से राशि को बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरित कर देता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(101.47)	(37.98)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	91.48	(58.48)
जोड़ें: एफवीओसीआई इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनर्वर्गीकरण (करों का निवल)	(48.00)	(5.01)
वर्ष के अंत में शेष	(57.99)	(101.47)

26.9 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न इन्स्ट्रुमेंट्स का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	600.05	194.21
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	(2,446.98)	405.84
वर्ष के अंत में शेष	(1,846.93)	600.05

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

26.10 हेजिंग आरक्षित निधि की लागत

कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों के आंतरिक मूल्य को 'कैश फ्लो हेज' संबंधों में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के रूप में नामित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(1,709.87)	(395.95)
जोड़े: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	3,400.51	(1,313.92)
वर्ष के अंत में शेष	1,690.64	(1,709.87)

26.11 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	9,930.77	6,915.38
जोड़े: वर्ष के लिए लाभ	14,019.21	11,054.64
जोड़े: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	(0.74)	(4.48)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(3,066.94)	(2,674.96)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	(687.76)	-
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि निधि में हस्तांतरित	(2,803.84)	(2,211.15)
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनःवर्गीकरण	48.00	5.01
घटाएं: इन्स्ट्रुमेंट पर कूपन भुगतान, पूर्णतया इक्विटी प्रकृति के हैं (स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट) (करों का निवल)	(33.30)	(33.30)
घटाएं: वर्ष के दौरान लाभांश	(4,042.00)	(3,120.37)
वर्ष के अंत में शेष	13,363.40	9,930.77

26.12 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर की संख्या	2,63,32,24,000		2,63,32,24,000	
अंतरिम लाभांश	11.00	2,896.55	8.25	2,172.41
अंतिम/प्रस्तावित लाभांश	5.00	987.46	4.35	859.09
कुल लाभांश	16.00	3,884.01	12.60	3,031.50

निदेशक मण्डल ने 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 5/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। वित्तीय वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹ 16/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य पर) है।

इंड-एस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद के घटनाक्रम' की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विनियोग अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष			31-03-2023 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण		42,491.50	-	-	37,679.56	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण		2,717.24	-	-	680.35	-
उप-जोड़ (क)	-	45,658.74	-	-	38,359.91	-
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	187.89	69.16	-	152.68	31.69
उप-जोड़ (ख)	-	187.89	69.16	-	152.68	31.69
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) जमाओं पर ब्याज	-	315.22	-	-	111.28	-
उप-जोड़ (ग)	-	315.22	-	-	111.28	-
(घ) अन्य ब्याज आय						
(i) उधारकर्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	173.80	-	-	176.76	-
(ii) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	5.06	-	-	3.65	-
(iii) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.24	-	-	0.27	-
उप-जोड़ (घ)	-	179.10	-	-	180.68	-
कुल - ब्याज आय (क से घ)	-	46,340.95	69.16	-	38,804.55	31.69

28 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- अनुषंगी कंपनी से लाभांश	23.40	27.45
- अन्य निवेशों से लाभांश	2.28	11.89
कुल - लाभांश आय	25.68	39.34

28.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
- वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	1.94	11.81
- वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	0.34	0.08
कुल	2.28	11.89

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ
29 शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	70.80	117.80
पूर्व अदायगी प्रीमियम	50.74	47.16
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क/अन्य आय	114.49	122.21
कुल - शुल्क एवं कमीशन आय	236.03	287.17

30 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ/	1.32	4.08
किराए से आय	17.85	17.16
देयताएं / प्रावधान रिटन बैक	21.69	-
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	12.33	7.73
विविध आय	14.66	15.70
कुल - अन्य आय	67.85	44.67

31 वित्तीय लागत

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) उधारियों पर ब्याज		
- भारत सरकार से ऋण (एनएसएसएफ)	8.22.50	822.50
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	5,461	3,934.76
- बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ	4,774.11	1,881.41
उप-जोड़ (i)	11,058.23	6,638.67
(ii) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज		
- घरेलू ऋण प्रतिभूतियाँ	15,090.00	13,316.68
- विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियाँ	1,553.60	1,442.43
- कमर्शियल पेपर	135.64	-
उप-जोड़ (ii)	16,779.24	14,759.11
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
- अधीनस्थ बॉण्ड	631.89	551.65
उप-जोड़ (iii)	631.89	551.65
(iv) अन्य ब्याज व्यय		
- स्वैप प्रीमियम	1,368.64	1,784.82
- वेरिफेशन मार्जिन पर ब्याज	114.70	-
- अग्रिम आयकर पर ब्याज	1.94	-
- कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	(4.84)	3.44
उप-जोड़ (iv)	1,480.44	1,788.26
कुल - वित्तीय लागत	29,949.80	23,737.69
घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(0.53)	(0.03)
कुल - वित्तीय लागत (निवल)	29,949.27	23,737.66

लेखा संबंधी टिप्पणियां

32 निवल अंतरण / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
निवल अंतरण / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	166.57	1,114.04
कुल	166.57	1,114.04

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 201.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 251.88 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का विमोचन शामिल है।

32.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भित दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दर	यूएसडी / आईएनआर	जेपीवाई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	एसजीडी/ आईएनआर
31 मार्च 2024 तक*	83.3739	0.5509	90.2178	61.7319
31 मार्च 2023 तक	82.2169	0.6180	89.6076	61.8074

* 28 मार्च 2024 को अंतिम कार्य दिवस है।

33 शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	1.71	2.92
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.06	0.05
(iii) एजेंसी शुल्क	1.42	1.76
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	4.08	3.55
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	16.99	8.01
कुल (i से v)	24.26	16.29

34 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर		
(ii) अन्य		
- व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	425.55	69.21
- दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	46.33	(25.45)
- अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	2.60	1.55
उप-जोड़ (ii)	474.48	45.31
कुल (क)	474.48	45.31
उचित मूल्य के परिवर्तनों का विवरण		
- वसूली की गयी	(217.04)	336.35
- वसूली नहीं की गयी	691.52	(291.04)
कुल-उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)	474.48	45.31

इस शेड्यूल में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज़ के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों को दर्शाते हैं जो हेज लेखांकन और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते हैं

लेखा संबंधी टिप्पणियां
35 वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर इम्पेयरमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष		31-03-2023 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर
(i) - ऋण*	-	(1,367.07)	-	105.14
(ii) - अन्य	-	8.68	-	9.77
कुल (i+ii)	-	(1,358.39)	-	114.91

*सुविधा पत्र पर इम्पेयरमेंट भत्ते के मद में ₹ 16.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ -5.03 करोड़) की राशि शामिल है।

36 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते*	132.59	136.33
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	32.44	8.20
- कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	6.65	5.31
- कार्मिक कल्याण व्यय	42.16	31.79
कुल	213.84	181.63

*इसमें अन्य सीपीएसई के समतुल्य बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में पहले अपनाए गए वेतनमान 1997 को नियमित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में उपगत शून्य (पिछले वर्ष ₹ 20.54 करोड़) शामिल है।

37 मूल्यहास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर मूल्यहास	22.62	21.45
- अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	1.10	2.64
कुल	23.72	24.09

38 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	241.77	197.01
- ओवरहेड्स	8.09	5.64
कुल	249.86	202.65

38.1 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 को समय-समय पर संशोधित किया है। इन नियमों में अपेक्षा की गई है कि चालू परियोजना को छोड़कर अन्य किसी भी व्यय न की गई सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है तो उसे अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर देना चाहिए। तथापि, यदि तीन वित्तीय वर्षों के भीतर ऐसी राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में, तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रभाव आकलन करने वाली कंपनियां उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के लिए व्यय दर्ज कर सकती हैं, जो कुल सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

38.2 कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

- (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 249.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 202.65 करोड़)
- (ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹ 249.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 202.65 करोड़)
- (ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए टिप्पणी सं. 53 को देखें।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(क) प्रारंभिक शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि	7.70	0.40
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	249.86	202.65
(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि*	247.31	209.95
(घ) अंतिम शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि** (क-ख+ग)	5.15	7.70

* आरईसी फाउंडेशन (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा अस्थायी रूप से रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज से सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.98 करोड़) को शामिल नहीं किया गया है।

** अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र

38.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष			31-03-2023 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	67.41	-	67.41	73.59	-	73.59
शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	10.09	-	10.09	23.12	-	23.12
पर्यावरणीय संधारणीयता	21.18	-	21.18	23.79	-	23.79
खेल-कूद	21.83	-	21.83	30.50	-	30.50
पीएम केयर फंड में योगदान	85.00	-	85.00	50.00	-	50.00
अन्य (ग्रामीण विकास, सशस्त्र बलों/इन्क्यूबेटर्स के लाभ)	33.72	-	33.72	3.31	-	3.31
प्रभावी आकलन	0.13	-	0.13	0.34	-	0.34
प्रशिक्षण आदि सहित प्रशासनिक ओवरहेड्स	7.95	-	7.95	5.30	-	5.30
कुल (i+ii)	247.31	-	247.31	209.95	-	209.95

39. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- यात्रा एवं वाहन सुविधा	20.51	15.61
- प्रचार एवं पदोन्नति व्यय	31.74	9.87
- मरम्मत और अनुरक्षण	23.40	21.07
- किराया, दरें एवं बिजली की लागत	5.57	5.80
- बीमा प्रभार	0.16	0.15
- संप्रेषण लागत	2.32	2.33
- प्रिंटिंग और स्टेशनरी	1.62	1.11
- निदेशकों के बैठक शुल्क	0.49	0.42
- लेखापरीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.76	1.55
- विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	11.64	13.62
- परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	5.56	6.64
- प्रशिक्षण और सम्मेलन व्यय	13.76	10.80
- सरकारी योजना निगरानी व्यय	11.88	9.60
- अन्य व्यय	33.97	24.12
कुल	164.38	122.69

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

39.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
- लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	0.68	0.58
- कराधान मामलों के लिए	0.16	0.15
- कंपनी के कानूनी मामलों/सीमित समीक्षा शुल्क के लिए	0.36	0.35
- अन्य सेवाओं के लिए	0.38	0.25
- व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.11
उप-जोड़	1.63	1.44
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.13	0.11
कुल - लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	1.76	1.55

40. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- चालू कर व्यय	3,293.00	2,668.58
- पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/ (लाभ)	2.09	(147.29)
उप-जोड़ - चालू कर	3,295.09	2,521.29
- आस्थगित कर व्यय / (क्रेडिट)	466.34	162.84
कुल	3,761.43	2,684.13

40.1 प्रभावी कर दर का समाधान

लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित किए गए आयकर व्यय की सांविधिक आयकर दर पर अनुमानित आयकर व्यय का समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	17,780.64	13,738.77
सांविधिक आयकर दर	25.168%	25.168%
प्रत्याशित आय कर व्यय	4,475.03	3,457.77
आयकर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(771.89)	(673.23)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजन	63.47	51.00
अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	(1.30)	5.78
अग्रिम आयकर पर ब्याज की अनुमति नहीं	0.49	-
गैर कर योग्य आय	(6.46)	(9.90)
पिछले वर्षों के कर व्यय	2.09	(147.29)
कर व्यय	3,761.43	2,684.13

41. आय प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
न्यूमेरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	13,985.91	11,021.34

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	-	-
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	13,985.91	11,021.34
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,63,32,24,000	2,63,32,24,000
प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत संचालन के लिए)	53.11	41.85
प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (बंद परिचालन के लिए)	-	-
प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत और बंद परिचालन के लिए)	53.11	41.85

* लाभ स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स पर ₹ 33.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33.30 करोड़) के कूपन व्यय (करों का निवल) को घटाकर कर पश्चात लाभ को दर्शाता है, जो प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी है।

42. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं :

42.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	0.85	0.78
(ख) करायान मांग		
(i) - आयकर विभाग द्वारा की गई मांग	212.84	197.78
(ii) - कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	0.90	0.90
(iii) - जीएसटी के संबंध में की गई मांग	17.89	17.89
(ग) गारंटी		7.50
(घ) अन्य		
(i) - परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही (₹ 33.23 करोड़ का प्रतिदावा)	352.94	315.30
(ii) - सुविधा पत्र	5,961.13	3,082.47

ऊपर 'क' में उल्लिखित राशि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के संबंध में है और अदालत के फैसले पर निर्भर है।

ऊपर ख (i) में उल्लिखित राशि आयकर विभाग द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा।

ऊपर ख (ii) में उल्लिखित राशि आईटीएटी स्तर पर कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील के खिलाफ है।

ऊपर ख (iii) में उल्लिखित राशि कंपनी द्वारा दायर जीएसटी रिफंड अपील के खिलाफ है।

ऊपर ग में उल्लिखित राशि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड की अनुषंगी) की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी के विरुद्ध है।

ऊपर घ (i) में उल्लिखित राशि कंपनी द्वारा नियुक्त कंन्ट्रैक्टर और पीएमसी के बीच मध्यस्थता मामलों को दर्शाती है। दावे का पीएमसी द्वारा विरोध किया जा रहा है और कंपनी का मानना है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। इस राशि में दावा राशि पर 12% वार्षिक ब्याज शामिल है।

42.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
- पूंजीगत लेखों में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	94.85	124.73
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	418.81	252.44

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

43. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv) पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्क्योरिटीसेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्क्योरिटी इंटरैस्ट ऑफ़ इंडिया (सीईआरएसएआई)	L0012

44. भारत सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन

44.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 के दौरान देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपये था। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात् 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

44.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना नवंबर 2014 को शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाले कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;
- माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

इस योजना ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 63,027 करोड़ के बजटीय सहयोग सहित ₹ 75,893 करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त इन्फ्रा को ₹ 7,069 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था, जिसमें ₹ 5,302 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात् 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

44.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटीयों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांकनों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संचालित करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

44.4 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने डिस्कॉम को परिणाम से संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) अनुमोदित की है ताकि पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके। इस स्कीम के लिए 5 वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ₹ 3,03,758 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है, जिसमें ₹ 97,631 करोड़ की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है।

योजना के मुख्य उद्देश्य में निम्न लक्ष्य शामिल हैं:

- वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों को कम करके 12-15% तक करना।
- वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को कम करके शून्य करना।
- वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।

स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं:

भाग क – प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियाँ।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

44.5 रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (आरटीएस)

पीएम-सूर्य घर: भारत सरकार द्वारा 13.02.2024 को ₹ 75,021 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) की स्थापना के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी और आरटीएस के चरण- II को इसके तहत शामिल किया जाएगा। इस योजना को 2026 तक आरटीएस परियोजनाओं से 40 गीगावॉट की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत ग्रिड से जुड़े आरटीएस कार्यक्रम का चरण-II कार्यान्वित किया जा रहा है।

45 पूंजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घवधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं। प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों का बॉय बैक आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
निवल ऋण	4,37,897.33	3,74,577.42
निवल मूल्य	68,783.15	57,679.67
ऋण - इक्विटी अनुपात	6.37	6.49

निवल ऋण बकाया मूल कम नकदी और उपलब्ध नकदी समतुल्य को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मण्डल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की निगरानी करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर केंद्रित है, जिनमें वर्तमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर), वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और लागू कर, यदि कोई हो शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं और कंपनी की निवल संपत्ति, समय-समय पर लागू आरबीआई, डीआईपीएएम आदि द्वारा जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अधीन है।

भारत सरकार के डीआईपीएएम द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को न्यूनतम वार्षिक लाभांश पीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि कंपनी इन दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, कंपनी विभिन्न वित्तीय मापदंडों, नकदी प्रवाह की स्थिति और भविष्य के विकास के लिए आवश्यक धन के विश्लेषण के बाद कम लाभांश का प्रस्ताव कर सकती है।

अन्य नीतियां

कंपनी ने कंपनी के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति एवं व्हिसिल ब्लोअर नीति, नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता, उचित व्यवहार संहिता, कॉर्पोरेट प्रशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश, निदेशकों के 'फिट और उचित' मानदंडों पर नीति आदि शामिल हैं।

46 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी समय-समय पर संशोधित आरबीआई द्वारा निर्धारित मास्टर निर्देशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एक एनबीएफसी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात या पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 15% (न्यूनतम टियर I पूंजी 10% के साथ) बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसकी गणना जोखिम भारित परिसंपत्तियों द्वारा कंपनी की टियर-I और टियर-II पूंजी को विभाजित करके की जाती है।

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक			% विभिन्नता
	न्यूमेरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	%	न्यूमेरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	%	
(i) सीआरएआर	73,859.00	2,86,046.00	25.82%	63,240.41	2,45,300.73	25.78%	0.15%
(ii) सीआरएआर- टियर I पूंजी	66,716.00	2,86,046.00	23.32%	56,023.45	2,45,300.73	22.84%	2.12%
(iii) सीआरएआर- टियर II पूंजी	7,143.00	2,86,046.00	2.50%	7,216.96	2,45,300.73	2.94%	-15.12%

टियर-I पूंजी के स्थाई ऋण इन्स्ट्रमेंट की राशि 0.84 % (पिछले वर्ष 1%) है।

* टियर-I और टियर-II पूंजी के अंश में मुख्य रूप से इक्विटी शामिल है (टिप्पणी संख्या 24,25 और 26 देखें) और जोखिम भारित परिसंपत्ति होने के कारण न्यूमेरेटर मुख्य रूप से कंपनी के क्रेडिट एक्सपोजर (जैसे ऋण) के भारित योग को दर्शाता है (टिप्पणी संख्या 9 देखें) और निवेश (टिप्पणी संख्या 10 देखें), समय-समय पर इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना की जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
टियर-I पूंजी के रूप में जुटाई गई स्थाई ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स की राशि	3,090.00	-

47 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक मण्डल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यवाहों की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम निगरानी और आवधिक निगरानी के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना तथा उन्हें कम करने के लिए अपेक्षित सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी एवं नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा), ऋण, वित्तीय परिसंपत्ति, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और अधिमानित शेयर	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्ष्विक
तरलता जोखिम	उधारियां, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न अनुबंध
बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	परिवर्तनीय ब्याज दरों पर उधारियां, ऋण प्रतिभूतियां और अधीनस्थ देयताएं	सर्वेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न अनुबंध
बाजार जोखिम - इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	सर्वेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदनुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./099/03.10.001/2018-19 के उद्देश्य से निदेशक मण्डल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

आरबीआई ने सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रणाली पर अपने मास्टर निर्देश के तहत अपने निर्देश आरबीआई/2023-24/107 डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24 दिनांक 07 नवंबर, 2023 के तहत मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार कंपनी ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में 16.01.2024 से सीआईएसओ नियुक्त किया है।

47.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्यतः नकदी और नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकदी और नकदी के समतुल्य को छोड़कर), निवेश, ऋण परिसंपत्तियों, कारोबार प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर आकलित करने से प्रभावित होता है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर निगरानी करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटीटी को ऋण जोखिम में दर्शाती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम		
नकद और नकद समतुल्य	46.26	39.00
बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)	2,452.44	1,948.34
ऋण *	4,82,554.12	4,12,304.47
निवेश (इक्विटी निवेशों को छोड़कर)	4,833.20	2,728.86
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,424.52	24,400.28
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण *	18,999.65	10,913.58
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण *	13,810.33	14,892.08
अधिमामित शेयर में निवेश **	28.72	28.72
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	67.30	94.72

* अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूल (सुविधा पत्र के लिए असंवितरित राशि के साथ) को दर्शाता है

** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के विमोचनीय अधिमामित शेयरों में निवेश के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए कटौती के बिना बकाया मूल को दर्शाता है।

नकदी एवं नकदी के समतुल्य तथा बैंक शेष

नकदी एवं नकदी के समतुल्य और बैंक शेष से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड इन्स्ट्रमेंट्स तथा अल्पकालिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न इन्स्ट्रमेंट्स/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के दृष्टि बंधक द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूति में निवेश

उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) में निवेश से संबंधित क्रेडिट जोखिम को सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉण्ड में अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य के साथ निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है।

ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण निपटान / समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश

आरईसी को कंपनी या ऋणदाताओं के संघ द्वारा यथालागू अनुमोदित निपटान/समाधान योजना के हिस्से के रूप में उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी की गई विभिन्न प्रतिभूतियां और ऋणदाताओं की समिति और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित दिवाला और अशोधन क्षमता संहिता 2016 के तहत संकल्प के मामले में प्राप्त हुई। इन प्रतिभूतियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूली करने की क्षमता का निरंतर निगरानी कर प्रबंधन किया जाता है।

47.1.2 ऋणों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी प्रकार की ऋण हानि की संभावना के लिए व्यक्तिगत वित्तीय इन्स्ट्रमेंट्स का आकलन करके ऋणों को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है:

- **नकदी एवं नकदी के समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकदी एवं नकदी के समतुल्यों के अलावा)** - चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकदी एवं नकदी के समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

- **सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूति में निवेश के लिए** - यह देखते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटेड सरकारी/निजी कंपनियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में हैं, क्रेडिट जोखिम को कम माना जाता है।
- **ऋण निपटान/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** - ऐसी प्रतिभूतियों की पुनर्प्राप्ति के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जहां भी ऐसे निवेशों पर मध्यम या उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, उपयुक्त ईसीएल भत्ता प्रदान किया जाता है।
- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** - क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन उन पार्टियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए हानि भत्ता मापा जाता है और क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि पर जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान की जाती है।

ऋणों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का विवरण निम्नानुसार प्रकटन किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	46.26	-	46.26	39.00	-	39.00
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	2,452.44	-	2,452.44	1,948.34	-	1,948.34
निवेश* (इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स के अलावा)	4,861.92	28.72	4,833.20	2,757.58	28.72	2,728.86
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ **	24,491.82	67.30	24,424.52	24,495.00	94.72	24,400.28

* क्रेडिट-इम्पेयर्ड माने जाने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'विमोचनीय अधिमानित शेयरों में निवेश' पर हानि भत्ता पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है।

** क्रेडिट-इम्पेयर्ड मानी जाने वाली 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' पर हानि भत्ता पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है।

47.1.3 ऋणों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और उन्हें समेकित करती है:

क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम: देनदार द्वारा अपने ऋण दायित्वों का पूरा भुगतान करने की संभावना नहीं होने या देनदार द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण क्रेडिट दायित्व के कारण 90 दिन से अधिक समय बीत जाने से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम; डिफॉल्ट जोखिम ऋण और प्रतिभूतियों सहित सभी क्रेडिट-संवेदनशील लेन-देन को प्रभावित कर सकता है।

संकेंद्रण जोखिम: किसी एक एक्सपोजर या एक्सपोजर के समूह से जुड़ा जोखिम जिसमें कंपनी के मुख्य संचालन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त बड़े नुकसान उत्पन्न करने की क्षमता हो।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।
- सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक इन्स्ट्रुमेंट्स की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय-समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को अग्रणी ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई / परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईई के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी / गैर-ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख-रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन-रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेके दार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की वास्तविकता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आईसी / उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी / नकदी प्रवाह निगरानी एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों / एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

- (iii) कंपनी में क्रेडिट सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार अवसंरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक समिति / ऋण समिति / निदेशक मण्डल के चरण पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।
- (iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निपटानों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।
- (v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जोकि की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की मांग कर सकता है।
- (vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।
- (vii) अलग-अलग और समूह ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्वधीन होती है।
- (viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और / या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्यवाही (कार्यवाहियां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैं, आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), क्रेडिट रिपोर्टिंग ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इकिटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोजर की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/ गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाता है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)

ब्याज कवरेज (25% भार)

गियरिंग (ऋण / इकिटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ

वास्तविक चूक की तिथि

परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक “तीन चरण” वाले मॉडल की रूपरेखा दी गई है :

- एक वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण “चरण 1” के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट को “चरण 2” में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ है, तो इसे “चरण 3” में ले जाया जाता है।
- चरण 1 में वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित डिफॉल्ट की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में इन्स्ट्रुमेंट का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(घ) ऋण जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) डिफॉल्ट तथा क्रेडिट-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी डिफॉल्ट के रूप में वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक हो या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमानित तकनीकों की व्याख्या

अपेक्षित क्रेडिट हानि डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), डिफॉल्ट पर एक्सपोज़र (ईएडी) और डिफॉल्ट रूप से दी गई हानि (एलजीडी) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- पीडी अगले 12 महीनों में या इन्स्ट्रुमेंट के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की डिफॉल्ट की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र (एलओसी) शामिल होते हैं, जो कंपनी डिफॉल्ट के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद को दर्शाता है कि कोई डिफॉल्ट हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में डिफॉल्ट के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि / मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी जीवनपर्यंत पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेट किया गया। हालांकि, राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए, कंपनी जब भी अद्यतन होती है, विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग को अपनाती है।

लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में, एलजीडी का पता लगाने के लिए परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का पता लगाने हेतु कंपनी द्वारा की गई मूल्यांकन रिपोर्टों, समाधान प्रक्रिया के परिणाम आदि सहित उचित अनुमानों का उपयोग किया गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य / केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की संस्थानों (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) ईसीएल के मापन में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ

- कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तिथि को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।
- ईएडी उन राशियों को दर्शाता है, जिनमें बकाया मूल, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल हैं, जो कंपनी को डिफॉल्ट के समय बकाया होने की उम्मीद करता है।

(ज) क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र

विभिन्न क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम श्रेणी (आंतरिक/ मैप की गई रेटिंग)	31-03-2024 तक				31-03-2023 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
प्रदर्शन करने वाले								
बहुत अच्छा (एएए एए ए सरकारी ऋण)	2,03,407.58	18,161.39	-	2,21,568.97	1,92,836.82	276.33	-	1,93,113.15
अच्छा (बीबीबी बीबी बी)	2,22,710.25	445.30	-	2,23,155.55	1,47,389.05	9,128.03	-	1,56,517.08
औसत (सी)	56,025.85	-	-	56,025.85	70,282.47	1,345.98	-	71,628.45
उचित (डी)	410.44	-	-	410.44	1,796.13	157.74	-	1,953.87
प्रदर्शन न करने वाले (डी)	-	392.96	13,810.33	14,203.29	-	5.50	14,892.08	14,897.58
सकल एक्सपोज़र	4,82,554.12	18,999.65	13,810.33	5,15,364.10	4,12,304.47	10,913.58	14,892.08	4,38,110.13
हानि भत्ता (एलओसी सहित)	2,767.04	191.70	9,453.80	12,412.54	3,521.81	238.30	10,519.51	14,279.62
निवल एक्सपोज़र	4,79,787.08	18,807.95	4,356.53	5,02,951.56	4,08,782.66	10,675.28	4,372.57	4,23,830.51

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(झ) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और प्रणालियों का उपयोग करती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक प्रकार निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का बंधक
- चल संपत्ति का दृष्टि बंधक
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- इन्स्ट्रुमेंट्स का संकल्प जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता का संकल्प
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(य) हानि भत्ता

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- चरण 1 और चरण 2 या 3 के बीच वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स में क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (या कमी) का अनुभव होने या अवधि में क्रेडिट-इम्पेयर्ड होने के कारण स्थानांतरण, और परिणामस्वरूप 12- माह के बीच "स्टेप अप" (या "स्टेप डाउन") और जीवनपर्यंत ईसीएल
- अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त नए वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स के लिए अतिरिक्त भत्ते, साथ ही अवधि में गैर-मान्यता प्राप्त वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स के लिए रिलीज़
- मॉडल में इनपुट के नियमित रिफ्रेशिंग से उत्पन्न होने वाली अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तन के कारण ईसीएल की माप पर प्रभाव
- अवधि के दौरान अमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान रीटन ऑफ में डाली गई संपत्तियों से संबंधित भत्तों को राइट ऑफ में डालना

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्वृषी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	4,12,304.47	3,521.81	10,913.58	238.30	14,892.08	10,519.51	4,38,110.13	14,279.62
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	9,954.90	(194.96)	(9,954.90)	194.96	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं	(18,708.02)	(75.05)	19,077.40	191.51	(369.38)	(116.46)	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(723.10)	-	(426.85)	-	(448.16)	-	(1,598.11)
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	1,66,140.76	916.02	90.95	0.73	-	-	1,66,231.71	916.75
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(87,137.99)	(677.68)	(1,127.38)	(6.95)	(212.35)	(1.07)	(88,477.72)	(685.70)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(500.02)	(500.02)	(500.02)	(500.02)
अंतिम शेष	4,82,554.12	2,767.04	18,999.65	191.70	13,810.33	9,453.80	5,15,364.10	12,412.54

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	3,35,876.99	2,790.22	36,424.23	369.61	17,159.89	11,565.73	3,89,461.11	14,725.56
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	34,393.77	(353.01)	(34,393.77)	353.01	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं	(2,798.11)	(11.28)	2,988.10	83.95	(189.99)	(72.67)	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	715.77	-	(673.24)	-	(370.93)	-	(328.40)
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियाँ (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	91,644.92	684.49	6,338.03	118.42	-	-	97,982.95	802.91
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(46,813.10)	(304.38)	(443.01)	(13.45)	(1,526.74)	(51.54)	(48,782.85)	(369.37)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(551.08)	(551.08)	(551.08)	(551.08)
अंतिम शेष	4,12,304.47	3,521.81	10,913.58	238.30	14,892.08	10,519.51	4,38,110.13	14,279.62

(ट) चरण वार एक्सपोज़र और इम्पेयरमेंट हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक				31-03-2023 तक			
	चरण I	चरण II	चरण III	कुल	चरण I	चरण II	चरण III	कुल
कुल एक्सपोज़र	4,82,554.12	18,999.65	13,810.33	5,15,364.10	12,304.47	10,913.58	14,892.08	4,38,110.13
इम्पेयरमेंट भत्ता	2,767.04	191.70	9,453.80	12,412.54	3,521.81	238.30	10,519.51	14,279.63
ईसीएल %	0.57%	1.01%	68.45%	2.41%	0.85%	2.18%	70.64%	3.26%

(ठ) क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा क्रेडिट जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियाँ) के संकेंद्रण की निगरानी करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह राज्तीय हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,45,871.05	9,871.35	1,69,432.41	11,694.33
नवीकरणीय ऊर्जा	42,312.34	567.57	30,503.46	306.33
ट्रांसकोस	48,701.40	47.77	48,332.23	251.72
डिस्कॉम्स	2,19,983.23	1,732.67	1,85,085.13	2,008.12
पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर	45,875.48	170.51	1,453.29	5.85
इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स	9,727.33	22.61	-	-
सरकारी ऋण	2,893.27	0.06	3,303.61	13.27
कुल	5,15,364.10	12,412.54	4,38,110.13	14,279.62
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	4,54,702.64	2,598.19	3,93,244.56	3,276.83
निजी	60,661.46	9,814.35	44,865.57	11,002.79
कुल	5,15,364.10	12,412.54	4,38,110.13	14,279.62

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ड) क्षेत्र-वार क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III परिसंपत्तियों का प्रतिशत

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र	2.71%	3.42%
- विद्युत	2.71%	3.42%

(ढ) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	2.71%	3.42%
(ii) सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	0.86%	1.01%
(iii) निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	0.88%	1.04%
(iv) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क) प्रारम्भिक शेष	14,892.08	17,159.89
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	-	-
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	(581.73)	(1716.73)
(घ) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ	(500.02)	(551.08)
(ङ) अंतिम शेष	13,810.33	14,892.08
(v) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क) प्रारम्भिक शेष	4,372.57	5,594.16
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	448.16	370.93
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	(464.20)	(1,592.52)
(घ) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ	-	-
(ङ) अंतिम शेष	4,356.53	4,372.57
(vi) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन		
(क) प्रारम्भिक शेष	10,519.51	11,565.73
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(448.16)	(370.93)
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट-बैक	(117.53)	(124.21)
(घ) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों पर रिटन ऑफ का प्रावधान	(500.02)	(551.08)
(ङ) अंतिम शेष	9,453.80	10,519.51

(न) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड-एस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, ऋण को क्या अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था जैसे आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार माना जाता है, 31 मार्च 2024 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 3% (पिछले वर्ष 4.77%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.16 % (पिछले वर्ष 2.41 %) रहा था।

(त) राइट ऑफ नीति

कंपनी न्यायिक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार या जब उसने सभी व्यावहारिक पुनर्प्राप्ति प्रयासों को समाप्त कर लिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से राइट ऑफ में डाल देती है। जिन संकेतकों में वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है, उनमें प्रवर्तन गतिविधि को रोकना शामिल है या जहां कंपनी की वसूली विधि संपार्श्विक पर फौजदारी कर रही है और संपार्श्विक का मूल्य ऐसा है कि पूरी तरह से वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है।

(थ) कारोबार मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने कारोबार को उस चरण पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के कारोबार मॉडल का मूल्यांकन इंस्ट्रूमेंट-बाई-इंस्ट्रूमेंट आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च चरण पर किया जाता है।

कंपनी विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

अतः कंपनी का कारोबार मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "होल्ड टू कलेक्ट" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(द) परिशोधित लागत कारोबार से बाहर बिक्री के लिए नीति

कंपनी अपने सामान्य कारोबार में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं करती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार ऋण-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप, ऋण अशोध्य ऋण को या तो आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में पुनर्गठित/फिर से बातचीत की जा सकती है या अन्यथा निपटारा जा सकता है और इंड एस 109-वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मान्यता के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(ध) ऐसा कोई खाता नहीं है जिसमें 90 दिनों से अधिक की अतिदेयता हो, लेकिन उसे क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं माना जाएगा (पिछले वर्ष शून्य)

(न) मास्टर दिशानिर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का स्थानांतरण) दिशानिर्देश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के तहत वित्त वर्ष 2023-24 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋण का कोई रिपोर्ट करने योग्य मामला नहीं है।

(प) आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और इंड-एस के अनुसार इम्पेयरमेंट भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शन करने वाले							
मानक	चरण 1	4,75,471.73	4,77,502.34	2,712.85	4,74,789.49	2,470.03	242.82
	चरण 2	18,606.69	18,777.30	149.69	18,627.61	74.43	75.26
उप जोड़ (1)		4,94,078.42	4,96,279.64	2,862.54	4,93,417.10	2,544.46	318.08
प्रदर्शन न करने वाले							
उपमानक परिसंपत्तियां	चरण 1	1,029.43	1,029.73	20.94	1,008.79	102.94	(82.00)
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 1	59.81	59.81	1.23	58.58	11.96	(10.73)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	1,545.70	1,545.70	757.81	787.89	510.56	247.25
	चरण 2	392.16	392.27	41.21	351.06	172.93	(131.72)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,262.67	12,262.66	8,694.03	3,568.63	9,039.67	(345.64)
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए उप-जोड़		14,260.34	14,260.44	9,494.28	4,766.16	9,735.12	(240.84)
हानि परिसंपत्तियां	चरण 2	0.80	0.80	0.80	-	0.80	-
	चरण 3	1.96	1.96	1.96	-	1.96	-
		2.76	2.76	2.76	-	2.76	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		15,292.53	15,292.93	9,517.98	5,774.95	9,840.82	(322.84)
कुल ऋण परिसंपत्तियां		5,09,370.95	5,11,572.57	12,380.52	4,99,192.05	12,385.28	(4.76)
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं							
- सुविधा पत्र*	चरण 1	5,993.15	5,993.15	32.02	5,961.13	-	32.02
उप-जोड़ (3)		5,993.15	5,993.15	32.02	5,961.13	-	32.02
कुल	चरण 1	4,82,554.12	4,84,585.03	2,767.04	4,81,817.99	2,584.93	182.11
	चरण 2	18,999.65	19,170.37	191.70	18,978.67	248.16	(56.46)
	चरण 3	13,810.33	13,810.32	9,453.80	4,356.52	9,552.19	(98.39)
	कुल	5,15,364.10	5,17,565.72	12,412.54	5,05,153.18	12,385.28	27.26

* इंडएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती हैं।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शन करने वाले							
मानक	चरण 1	4,03,366.73	4,04,567.80	3,423.13	4,01,144.67	2,089.93	1333.20
	चरण 2	10,908.08	11,016.14	232.80	10,783.34	43.63	189.17
उप जोड़ (1)		4,14,274.81	4,15,583.94	3,655.93	4,11,928.01	2,133.56	1522.37
प्रदर्शन न करने वाले							
उपमानक परिसंपत्तियां	चरण 1	5,839.39	5,866.14	82.81	5,783.33	583.94	(501.13)
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 3	1,512.48	1,512.48	754.15	758.33	350.72	403.43
1 से 3 वर्ष	चरण 3	594.27	594.27	452.12	142.14	344.21	107.91
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,780.46	12,780.46	9,308.37	3,472.09	9,488.51	(180.14)
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए उप जोड़		14,887.21	14,887.21	10,514.64	4,372.56	10,183.44	331.20
हानि परिसंपत्तियां	चरण 2	5.50	5.50	5.50	-	5.50	-
	चरण 3	4.87	4.87	4.87	-	4.87	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		20,736.97	20,763.72	10,607.82	10,155.89	10,777.75	(169.93)
कुल ऋण परिसंपत्तियां		4,35,011.78	4,36,347.66	14,263.75	4,22,083.90	12,911.31	1352.44
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं							
- ऋण प्रतिबद्धताएं		-	-	-	-	-	-
- सुविधा पत्र*	चरण 1	3,098.35	3,098.35	15.87	3,082.48	-	15.87
उप-जोड़ (3)		3,098.35	3,098.35	15.87	3,082.48	-	15.87
कुल	चरण 1	4,12,304.47	4,13,532.29	3,521.81	4,10,010.48	2,673.87	847.94
	चरण 2	10,913.58	11,021.64	238.30	10,783.34	49.13	189.17
	चरण 3	14,892.08	14,892.08	10,519.51	4,372.56	10,188.31	331.20
	कुल	4,38,110.13	4,39,446.01	14,279.62	4,25,166.38	12,911.31	1368.31

* इंडएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती हैं।

(फ) जैसा कि कंपनी द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई द्वारा किए गए पिछले वार्षिक निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में कोई भिन्नता नहीं है (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शून्य)

47.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की निगरानी करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

47.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

वित्तीय देयताओं की मदों के लिए नकदी प्रवाह को (भविष्य में अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शति हुए) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं :											
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	391.12	459.10	5,431.49	4,646.73	19,487.39	60,218.77	52,456.46	82,498.11	2,25,589.17
- ब्याज	-	0.24	201.16	1,182.57	4,371.36	2,362.72	7,915.89	26,486.87	18,680.23	25,792.46	86,993.50
अन्य उधारियां											
- मूलधन	567.41	-	1,000.00	1,524.94	8,051.00	1,505.69	914.29	13,638.99	34,712.06	17,891.28	79,805.66
- ब्याज	309.37	-	183.90	479.74	482.01	1,397.56	2,706.54	10,007.92	6,407.24	1,766.55	23,740.83
अधीनस्थ देयताएं											
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	-	2,151.20	5,089.50	7,240.70
- ब्याज	-	-	160.91	-	186.03	88.49	283.53	1,432.10	1,434.06	1,696.36	5,281.48
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	-	-	-	5,419.30	4,168.69	7,503.65	14,213.88	1,658.23	32,963.75
- ब्याज	-	176.35	-	-	73.15	269.76	427.14	1,368.56	753.32	16.34	3,084.62
अन्य उधारियां											
- मूलधन	1,250.61	-	2,501.22	6,561.53	1,039.64	3,960.26	13,436.01	22,894.62	37,367.25	3,333.17	92,344.31
- ब्याज	11.75	9.81	115.87	170.38	351.10	907.69	1,383.53	4,286.13	1,734.24	284.06	9,254.56
व्युत्पन्न देयताएं :											
ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	31.56	-	100.53	72.96	104.70	309.75
मुद्रा व्युत्पन्न	8.03	-	38.56	36.65	8.44	153.45	61.40	12.08	93.21	38.13	449.95

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं :											
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	4,300.00	2,985.00	-	1,600.00	2,774.00	11,679.49	55,952.14	39,135.88	9,689.14	1,98,115.65
- ब्याज	-	379.26	361.56	1,110.62	2,715.12	2,347.00	7,051.00	23,022.00	16,309.00	4,176.16	77,471.72
अन्य उधारियां											
- मूलधन	4,386.43	-	-	-	3,500.14	666.56	9,451.45	11,820.15	16,672.28	29,488.81	75,985.81
- ब्याज	395.00	-	150.00	392.00	685.00	1,150.00	2,437.00	8,310.00	5,703.00	3,103.00	22,325.00
अधीनस्थ देयताएं											
- मूलधन	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	4,150.70	6,650.70
- ब्याज	-	-	-	202.00	164.00	-	188.00	705.00	705.00	2,646.00	4,610.00
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	-	4,110.85	-	-	5,755.18	9,454.94	13,565.81	-	32,886.78
- ब्याज	-	-	-	252.00	72.00	310.00	536.00	1,116.00	580.00	-	2,866.00
अन्य उधारियां											
- मूलधन	-	-	-	3,074.91	3,588.54	2,693.64	12,341.08	7,473.44	27,958.11	3,847.77	60,977.48
- ब्याज	17.00	21.00	61.00	106.00	503.00	571.00	1,138.00	3,441.00	2,072.00	658.00	8,588.00
व्युत्पन्न देयताएं :											
ब्याज दर स्वेप्स	-	-	-	-	-	-	0.60	50.07	71.98	178.16	300.81
मुद्रा स्वेप्स	-	-	-	-	-	60.38	-	-	83.52	-	143.90
रिवर्स क्रॉस मुद्रा व्युत्पन्न											
	-	-	-	-	-	-	-	104.61	-	427.63	532.24

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न संविदा के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न संविदा के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का विस्तार निम्नलिखित रूप में ऋणों से अनडिस्काउंटेड नकद प्रवाहों (मूलधन तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 तक											
- मूलधन											
- ब्याज	3,582.21	214.74	2,023.71	4,928.26	7,024.12	22,172.19	2,402.16	1,03,565.04	3,801.98	2,17,276.02	4,96,990.43
31 मार्च 2023 तक											
- मूलधन	1,900.52	54.05	932.74	2,820.67	6,586.41	1,918.26	21,848.61	73,716.25	53,333.52	92,143.18	2,65,254.20
- ब्याज	822.91	-	1,707.32	3,878.16	5,350.60	22,097.85	0,180.20	81,757.04	85,313.12	1,89,640.84	4,20,748.04
	1,137.01	-	926.30	2,106.65	6,071.24	10,044.89	18,662.94	63,776.14	7,148.86	76,238.57	2,26,112.62

चरण III परिसंपत्तियों से संबंधित मुख्य नकदी प्रवाह, अपेक्षित क्रेडिट हानि के निवल को घटाकर, परिपक्वता तिथि की परवाह किए बिना 5 वर्षों से अधिक की अवधि में विचार किया गया है।

47.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 तक											
ऋण परिसंपत्तियां											
निवेश	5,409.37	222.11	2,363.18	4,928.26	7,352.45	22,172.19	2,401.51	1,03,557.69	93,798.08	2,16,987.21	4,99,192.05
रूपे उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,320.31
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	884.86	1,667.72	7,831.36	6,140.16	21,814.25	60,134.86	52,397.78	82,391.47	2,33,262.46
अन्य उधारियां	793.01	-	1,015.31	1,524.94	8,172.84	1,505.61	916.07	13,717.14	34,862.06	17,661.40	80,168.38
अधीनस्थ देयताएं	-	-	147.83	-	126.55	44.72	2.11	-	2,089.83	5,001.17	7,412.21
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	166.10	-	-	44.18	5,526.47	4,166.17	7,491.45	13,823.91	1,629.18	32,847.46
अन्य उधारियां	1,330.43	3.34	2,508.38	6,595.15	1,042.01	4,130.55	13,533.74	22,672.34	36,779.75	3,327.98	91,923.67

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	822.91	-	1,707.32	3,878.16	6,686.47	22,097.85	30,180.20	81,757.04	85,313.12	1,89,640.84	4,22,083.91
निवेश					4.73	4.73	36.77	157.38	259.03	2,675.35	3,137.98
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	261.99	4,667.81	3,315.50	831.94	3,488.89	4,136.02	12,997.04	55,891.49	39,047.68	79,620.08	2,04,258.45
अन्य उधारियां	4,620.32	-	-	-	3,703.42	666.56	9,451.45	11,820.15	16,672.28	29,488.81	76,422.98
अधीनस्थ देयताएं	2.11	-	-	2,668.34	126.46	-	-	-	-	3,976.40	6,773.30
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	4,297.43	43.56	96.67	5,742.53	9,438.34	13,072.00	-	32,690.54
अन्य उधारियां	129.70	-	2.53	3,106.25	3,658.67	2,688.69	2,311.25	7,409.95	27,542.82	3,841.28	60,691.15

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनआहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही		
- स्थाई दर	-	-
- अस्थायी दर	11,813.99	13,364.88
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही		
- स्थाई दर	-	-
- अस्थायी दर	386.44	1,393.58

47.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण (उधारियां)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	14	14
राशि (₹ करोड़ में)	2,12,903.39	1,78,043.46
कुल देयताओं का %	44.48%	43.72%

(ii) शीर्ष 10 उधारियां

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
31-03-2024 तक		
1 एचडीएफसी बैंक से सावधिक ऋण	17,850.00	4.08%
2 54ईसी-शृंखला XVI (2022-23)	12,152.39	2.77%
3 54ईसी- शृंखला XVII (2023-24)	10,175.72	2.32%
4 भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.28%
5 विदेशी मुद्रा उधार-यूएस \$ 1175 मिलियन	9,796.43	2.24%
6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सावधिक ऋण	7,750.94	1.77%
7 पंजाब नेशनल बैंक से सावधिक ऋण	7,529.29	1.72%
8 54 ईसी -शृंखला XV (2021-22)	7,312.80	1.67%
9 विदेशी मुद्रा बॉण्ड- यूएस \$ 750 मिलियन	6,253.04	1.43%
10 54 ईसी - शृंखला XIII (2019-20)	6,157.82	1.41%
कुल	94,978.43	21.69%
31-03-2023 तक		
1 एचडीएफसी बैंक से सावधिक ऋण	16,350.00	4.36%
2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सावधिक ऋण	10,900.26	2.91%
3 54ईसी-शृंखला XVI (2022-23)	10,432.55	2.78%
4 भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.67%
5 विदेशी मुद्रा उधार-यूएस \$ 1175 मिलियन	9,660.49	2.58%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
6 54 ईसी - शृंखला XV (2021-22)	7,312.80	1.95%
7 54 ईसी - शृंखला XII (2018-19)	6,651.31	1.78%
8 54 ईसी - शृंखला XIII (2019-20)	6,157.82	1.64%
9 टैक्स फ्री बॉण्ड (2013-14 शृंखला)	6,000.00	1.60%
10 विदेशी मुद्रा बॉण्ड- यूएस \$ 700 मिलियन	5,755.18	1.54%
कुल	89,220.41	23.82%

(iii) महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पाद के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पाद का नाम*	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1 ऋण प्रतिभूतियां				
संस्थागत बॉण्ड	1,74,230.29	36.40%	1,50,217.70	36.89%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,963.75	6.89%	32,886.78	8.08%
54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	42,356.21	8.85%	37,586.91	9.23%
टैक्स फ्री बॉण्ड	8,998.71	1.88%	10,307.08	2.53%
उप-जोड़ (1)	2,58,548.96	54.02%	2,30,998.47	56.73%
2 उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)				
बैंकों से सावधिक ऋण	50,612.28	10.57%	56,298.20	13.83%
विदेशी मुद्रा उधारियां	67,205.64	14.04%	45,553.26	11.19%
एफसीएनआर (बी) ऋण	25,138.67	5.25%	15,424.22	3.79%
बैंकों से मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	10,875.94	2.27%	3,600.00	0.88%
भारत सरकार से सावधिक ऋण (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.09%	10,000.00	2.46%
वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण	8,050.00	1.68%	6,000.00	1.47%
उप-जोड़ (2)	1,71,882.53	35.90%	1,36,875.68	33.61%
3 अधीनस्थ देयताएं	7,240.70	1.51%	6,650.70	1.63%
कुल (1+2+3)	4,37,672.19	91.43%	3,74,524.85	91.98%

*महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पाद को कंपनी के कुल देयताओं के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल इन्स्ट्रुमेंट / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(iv) स्टॉक अनुपात

विवरण	31-03-2024 तक				31-03-2023 तक			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	44,305.04	10.12%	9.26%	8.09%	20,286.94	5.42%	4.98%	4.36%

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(v) परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिसमापन ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर परिसमापन दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के होरिज़न के लिए अपनी परिसमापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है:

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का स्टॉक
 अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह

जहां,

- (i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।
- (ii) उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) का अर्थ है ऐसी तरल परिसंपत्ति जिसे आसानी से बेचा जा सकता है या बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या विभिन्न दबाव परिदृश्यों में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक चरण तक पहुंच जाना चाहिए।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और मुख्य रूप से एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड के रूप में भारतीय रुपये में रखा जाता है। प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के पास भविष्य की संभावित अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियां एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड और ऑटो स्वेप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2024 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

एचक्यूएलए मर्दाने	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
	समग्र का %	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	57.23%	72.81%
- जी-सेक एवं एसडीएल	57.23%	72.81%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	42.40%	27.19%
- कारपोरेट बॉण्ड	42.40%	27.19%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	0.37%	-
- कारपोरेट बॉण्ड	0.37%	-
कुल	100%	100%

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त तिमाही		31-12-2023 को समाप्त तिमाही				30-09-2023 को समाप्त तिमाही		30-06-2023 को समाप्त तिमाही		31-03-2023 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	01-10-2023 से 30-11-2023 तक		01-12-2023 से 31-12-2023 तक		कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
			कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*						
उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां												
कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	2,907.45	2,762.42										
- एए/एएए कारपोरेट बॉण्ड	918.21	773.18	692.33	581.29	796.86	670.14	626.36	525.22	626.00	532.10	624.47	530.80
- जी-सेक बॉण्ड/राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	1,618.28	1,618.28	1,458.59	1,458.59	1,619.94	1,619.94	1,430.66	1,430.66	1,428.00	1,428.00	1,429.73	1,429.73
- नकदी एवं नकदी के समतुल्य	370.96	370.96	222.64	222.64	126.15	126.15	273.23	273.23	182.00	182.00	56.01	56.01
नकदी बहिर्प्रवाह	10,559.67											
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	11,800.70	12,144.00	10,314.44	11,862.00	7,297.52	8,392.00	9,601.00	11,041.00	9,449.00	10,866.00	6,369.18	7,324.56
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	335.00	385.00	188.33	217.00	358.51	412.00	190.00	219.00	46.00	53.00	295.35	339.65
कुल नकदी बहिर्प्रवाह	10,894.67	12,529.00	10,502.77	12,079.00	7,656.03	8,804.00	9,791.00	11,260.00	9,495.00	10,919.00	6,664.53	7,664.21
नकदी अंतर्प्रवाह												
पूर्ण रूप से निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह	11,800.70	8,851.00	10,108.41	7,581.00	12,486.21	9,365.00	10,559.00	7,919.00	8,212.00	6,159.00	7,305.09	5,478.82
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	10,652.37	7,989.00	10,563.45	7,923.00	10,418.68	7,814.00	11,125.00	8,344.00	11,373.00	8,530.00	9,892.26	7,419.19
कुल नकद अंतर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्प्रवाह के 75% तक सीमित)	22,453.07	9,396.75	20,671.86	9,059.25	22,904.89	6,603.00	21,684.00	8,445.00	19,585.00	8,189.25	17,197.34	5,748.16
कुल समायोजित मूल्य												
कुल एचक्यूएलए (ए)		2,762.42		2,262.52		2,416.23		2,229.11		2,142.10		2,016.54
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह बी)		3,132.25		3,019.75		2,201.00		2,815.00		2,729.75		1,916.05
तरलता कवरेज अनुपात (ए/बी)		88.19%		74.92%		109.78%		79.19%		78.47%		105.24%
% विभिन्नता (पिछली अवधि से)		1.91%		9.29%		9.29%		0.92%		-25.44% **		-

* संबंधित तिमाही के दौरान औसत दैनिक अवलोकन पर विचार किया गया है।

** 31.03.2023 को समाप्त तिमाही के लिए एचक्यूएलए की औसत होलिंग 105.24% थी जो उस तारीख तक 70% की नियामक आवश्यकता से ऊपर थी। 30.06.2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, निवल नकदी में वृद्धि के कारण अनुपात 78.47% रहा है हालांकि बहिर्प्रवाह 70% की नियामक आवश्यकता के भीतर है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

47.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी को मुख्य रूप से यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में मूल्यवर्गित विभिन्न विदेशी मुद्रा उधारों से विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में उधार लिए गए विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा अनुबंधों और क्रॉस करेंसी स्वेप के संयोजन का उपयोग करती है।

एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) वर्तमान में सीएमडी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जिसमें वित्त और परिचालन प्रभागों के कार्यात्मक निदेशक, कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं। एएलसीओ विभिन्न डेरिवेटिव उपकरणों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी करता है। 'कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, मुद्रा विकल्प, मूलधन केवल स्वेप और वायदा दर समझौतों जैसे विभिन्न इन्स्ट्रुमेंट्स के माध्यम से विनिमय दर को कवर करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करती है। ये व्युत्पन्न लेनदेन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या काल्पनिक उद्देश्य के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के संबंध में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए क्रॉस करेंसी स्वेप (मूलधन और/या ब्याज भी निष्पादित किया है। 31 मार्च 2024 तक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, आईएनआर (भारतीय रुपये) समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोजर
यूएसडी \$	11,950.15	11,827.00	123.15	10,012.00	9,012.00	1,000.00
आईएनआर के समतुल्य	99,633.09	98,606.31	1,026.78	82,315.60	74,093.87	8,221.73
जेपीवाई ¥	3,34,306.77	3,34,306.77	-	58,352.75	58,352.75	-
आईएनआर के समतुल्य	18,416.96	18,416.96	-	3,606.20	3,606.20	-
यूरो €	609.29	604.02	5.26	689.58	673.79	15.79
आईएनआर के समतुल्य	5,496.88	5,449.37	47.51	6,179.19	6,037.68	141.51
एसजीडी \$	285.29	285.29	-	285.28	285.28	-
आईएनआर के समतुल्य	1,761.13	1,761.13	-	1,763.27	1,763.27	-
कुल	1,25,308.06	1,24,233.77	1,074.29	93,864.26	85,501.02	8,363.24

संवेदनशील विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका हेज न किए गए एक्सपोजर पर आईएनआर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
यूएसडी/आईएनआर	38.42	(38.42)	307.62	(307.62)
जेपीवाई/आईएनआर	-	-	-	-
यूरो/आईएनआर	1.78	(1.78)	5.29	(5.29)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

47.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी-सेक यील्ड/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी के कुछ उधार ब्याज दर जोखिम के संपर्क में हैं, जिसमें फ्लोटिंग ब्याज दरें एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), मीयादी एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), टी-बिल, रेपो रेट आदि से जुड़ी हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वेप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस-करेंसी ब्याज दर स्वेप का भी उपयोग करती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2024 को अस्थिर ब्याज दरों से जुड़ी देयताओं के लिए कंपनी के समग्र एक्सपोजर को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, आईएनआर (भारतीय रुपये) समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोजर	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोजर
आईएनआर उधारियां	61,162.28	-	61,162.28	62,798.20	-	62,798.20
यूएसडी \$	5,611.15	5,218.00	393.15	5,062.00	1,892.00	3,170.00
आईएनआर के समतुल्य	46,782.38	43,504.51	3,277.87	41,618.19	15,555.43	26,062.76
जेपीवाई ¥	2,73,206.75	-	2,73,206.75	58,352.75	10,327.17	48,025.58
आईएनआर के समतुल्य	15,050.96	-	15,050.96	3,606.20	638.22	2,967.98
यूरो €	604.02	-	604.02	604.02	-	604.02
आईएनआर के समतुल्य	5,449.37	-	5,449.37	5,412.51	-	5,412.51
एसजीडी \$	285.29	72.08	213.21	285.28	72.07	213.21
आईएनआर के समतुल्य	1,761.13	444.93	1,316.20	1,763.27	445.47	1,317.80
कुल आईएनआर के समतुल्य	1,30,206.12	43,949.44	86,256.68	1,15,198.37	16,639.12	98,559.25

ब्याज दर संवेदनशील बेमेल को कम करने के लिए कंपनी ब्याज दर उधार पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वेप का भी उपयोग करती है। इस तरह के स्वेप के माध्यम से, 31 मार्च 2024 (पिछले वर्ष ₹ 15,950.70 करोड़) की स्थिति के अनुसार ₹ 15,950.70 करोड़ की निश्चित दर उधार को एमआईबीओआर से जुड़े ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वेप के उपयोग के माध्यम से अस्थिर दर उधार में परिवर्तित कर दिया गया है।

कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो में अर्ध-निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है यानी उधारकर्ता के साथ 1/3/6/12/36/30/120 महीने के रीसेट विकल्प के साथ निश्चित ब्याज दर। कंपनी मौजूदा बाजार स्थितियों, उधार लेने की लागत, यील्ड, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरी और संवितरण आदि के आधार पर समय-समय पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है। पूर्व-भुगतान जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी उधारकर्ताओं से पूर्व-भुगतान प्रीमियम लेती है। ऋण का पूर्व भुगतान, ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशील अंतर विवरण के विश्लेषण और निश्चित और अस्थिर ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देयताओं के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
रुपे ऋण	4,96,192.74	4,31,992.47

संवेदनशील विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा हेज न किए गए एक्सपोजर की स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि लाभ/ (हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(322.74)	322.74	(368.77)	368.77
ब्याज दर स्वेप्स	(59.68)	59.68	(59.68)	59.68
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,856.55	(1856.55)	1,616.34	(1616.34)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपर्युक्त 'संवेदनशील विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

47.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास विभिन्न बेंचमार्क से संबद्ध ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए ऐसे ब्याज दर बेंचमार्क में 3/6 माह का अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), 3/6 माह का ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), 3/6 माह का आवधिक एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), 3/6 माह का सावधिक एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट एवरेज रेट), टीओएनएआर (टोकियो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) आदि शामिल हैं। अनुबंधित ब्याज दर बेंचमार्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को ऐसी उधारियों का सारांश निम्नानुसार है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

बेंचमार्क	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (यूएसडी मिलियन के समतुल्य)	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (यूएसडी मिलियन के समतुल्य)
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर*	-	-	1,233.26	150.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर*	-	-	29,080.13	3,537.00
3 मिलियन सावधिक एसओएफआर	3,084.83	370.00	6,988.44	850.00
6 मिलियन सावधिक एसओएफआर	2,427.46	291.15	822.17	100.00
ओवरनाइट एसओएफआर	41,270.08	4,950.00	3,494.22	425.00
3 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	2,293.28	275.06	3,595.53	437.32
6 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	3,156.10	378.55	3,134.74	381.28
ओवरनाइट टीओएनए	15,050.96	1,805.24	3,606.20	438.62
ओवरनाइट एसओआरए	1,761.12	211.23	445.48	54.18
कुल	69,043.83	8,281.23	52,400.17	6,373.40

* यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च 2024 को घोषित की गई 30 जून 2023 के बाद 3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर और 6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर का प्रकाशन बंद हो गया है।

(i) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षतः प्रभावित एक्सपोज़र

हालांकि कंपनी की कुछ अस्थायी दर उधारियां पहले से ही नए बेंचमार्क के तहत हैं, कुछ उधारियां एलआईबीओआर बेंचमार्क दरों यानी 3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर और 6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर से जुड़ी हुई थीं, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशित होना बंद हो गई हैं। 31 मार्च, 2023 को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोज़र की कुल राशि ₹ 28,159.29 करोड़ (यूएसडी 3.425 बिलियन) थी और व्युत्पन्न एक्सपोज़र की नाममात्र राशि ऐसी देयताओं से जुड़ी हुई थी और हेज लेखांकन के तहत ₹ 4,110.85 करोड़ (यूएसडी 0.500 बिलियन) थी। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, एलआईबीओआर बेंचमार्क दरों से जुड़ी कोई उधारी नहीं है जिसका प्रकाशन बंद हो गया है।

(ii) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसरण में, एलआईबीओआर को वैकल्पिक जोखिम-मुक्त दरों (आरएफआर) से बदल दिया गया है। एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) यूएसडी एलआईबीओआर का प्रतिस्थापन है, जबकि टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट) ने जेपीवाई एलआईबीओआर का स्थान ले लिया है। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वेप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), वैश्विक व्युत्पन्न व्यापारों को नियंत्रित करने वाली विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वैधानिक संस्था, सभी पुराने अनुबंधों को नए बेंचमार्क में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फ्रॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फ्रॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है) के साथ आई थी। कंपनी ने फ्रॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया था जिसके तहत विभिन्न एलआईबीओआर बेंचमार्क के लिए फ्रॉलबैक स्वचालित रूप से सभी समकक्षों के साथ मौजूदा व्युत्पन्न व्यापारों पर लागू हो गए।

सावधिक ऋणों के संबंध में, आईसीसी पहले ही संबंधित उधारदाताओं के साथ चर्चा में नई बेंचमार्क दरों पर बदलाव कर चुका है और रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, एलआईबीओआर बेंचमार्क दरों के साथ कोई स्थायी दर उधार नहीं जुड़ा है, जो प्रकाशित होना बंद हो गया है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोज़र के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान

इंड एस 109 ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित होने वाले सभी हेजिंग संबंधों को अस्थायी अपवाद प्रदान करता है। तदनुसार, अंतर्निहित ऋणों और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेंचमार्क दरों में बदलाव से ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप हेज प्रभावशीलता में कोई बदलाव नहीं आया है।

47.5 हेज लेखांकन

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज मद के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरक्षित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग आरक्षित निधि की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए मद और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वेप और ब्याज दर स्वेप के लिए, जो कि हेज की गई मदों की शर्तों से पूरी तरह मेल खाता है, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण टर्म मिलान विधि का उपयोग करते हुए गुणात्मक कारकों पर आधारित है।
- अन्य ब्याज दर स्वेप के लिए (देर से नामित के मामलों में), कंपनी काल्पनिक व्युत्पन्न का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है, डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की तुलना हेज जोखिम के कारण हेज की गई मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन से की जाती है।
- विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और हेज की गई मदों के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का अंतर्निहित जोखिम और अनुमानित राशि हेजिंग मदों के समान है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

हेज लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक हेज़ एवं जोखिम के प्रकार	कल्पित राशि (मिलियन में)	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि		परिपक्कता की तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज़ प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज़ मदों के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्तियां	देयताएं					
नकदी प्रवाह हेज़								
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं								
- सिंगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 11,452.00	7,137.02	269.59	अप्रैल 2024 - नवंबर 2030	1:1	79.66	111.47	(111.47)
	ईयूआर 604.02	679.46	-	अक्टूबर 2027-मार्च 2028	1:1	85.93	16.20	(16.20)
	एसजीडी 285.29	311.62	93.21	मार्च 2025-अक्टूबर- 2027	1:1	60.28	(3.51)	3.51
	जेपीवाई 3,34,306.79	2,942.85	49.01	दिसंबर 2024 - जनवरी 2034	1:1	0.58	(872.94)	872.94
- कॉल स्प्रेड	यूएसडी 0	-	-	वर्ष के दौरान परिपक्क हुआ	1:1		3.68	(3.68)
(ii) केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375	43.34	38.13	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(155.79)	155.79
(iii) ब्याज दर स्वैप्स	यूएसडी 5218	834.11	12.02	मई 2023 - मार्च 2025	1:1	3.12%	1,237.36	(1,237.36)
	यूएसडी -	-	-	वर्ष के दौरान परिपक्क हुआ			(0.05)	0.05
	यूएसडी 72.075	18.08	-	अगस्त 2023	1:1	1.18%	(4.44)	4.44
	आईएनआर 55,280.00	53.11	-	मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	8.44%	53.11	(53.11)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक हेज़ एवं जोखिम के प्रकार	कल्पित राशि (मिलियन में)	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि		परिपक्वता की तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्तियां	देयताएं					
नकदी प्रवाह हेज़								
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं								
- सिंगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 8,387	6,970.98	2.25	मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	76.34	1,594.19	(1,594.19)
	यूरो 673.79	403.91	-	दिसंबर 2023 - मार्च 2028	1:1	86.12	210.89	(210.89)
	एसजीडी 285.29	32.00	83.52	मार्च 2025- अक्टूबर- 2027	1:1	60.28	(65.66)	65.66
	जेपीवाई 58,352.74	572.12	-	अगस्त 2023 - मार्च 2027	1:1	0.61	(52.15)	52.15
- कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	208.14	-	मार्च 2024	1:1	57.52	58.14	(58.14)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक हेज एवं जोखिम के प्रकार	कल्पित राशि (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि		परिपक्वता की तिथि	हेज अनुपात	भारत औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
		परिसंपत्तियां	देयताएं					
(ii) क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वेप्स	यूएसडी 800	85.92	-	मई 2023 - मार्च 2025	1:1	3.52% और 72.79	98.24	(98.24)
	जेपीवाई 10,327.12	-	0.60	अगस्त 2023	1.1	4.31% और 0.62	(0.33)	0.33
(iii) केवल मूल स्वेप्स	यूएसडी 375	38.85	-	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(35.15)	35.15
(iv) ब्याज दर स्वेप्स	यूएसडी 1992	251.77	-	मई 2023 - नवम्बर 2030	1:1	75.41	(35.15)	35.15

(ख) लाभ और हानि के विवरण पर नकदी प्रवाह हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन मद
31-03-2024 को समाप्त वर्ष				
- मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	385.09	-	(479.51)	विदेशी मुद्रा अंतरण पर लाभ/हानि
			(1,166.31)	वित्तीय लागत
31-03-2023 को समाप्त वर्ष				
- मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	1,997.43	-	(4,995.73)	विदेशी मुद्रा अंतरण पर लाभ/हानि
			(158.91)	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग आरक्षित निधि और हेजिंग आरक्षित निधि की लागत में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजेज के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	600.05	194.21
मुद्रा व्युत्पन्न के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन	(2899.59)	5507.71
ब्याज दर स्वेप्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	1275.44	189.27
लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत राशियां	(1645.82)	(5154.64)
उपरोक्त से संबंधित आस्थगित कर (निवल)	822.99	(136.49)
अंतिम शेष	(1,846.93)	600.05
हेजिंग आरक्षित निधि की लागत		
प्रारम्भिक शेष	(1709.87)	(395.95)
विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	2009.23	(3699.55)
समय मूल्य का परिशोधन	2534.96	1943.73
उपरोक्त (निवल) से संबंधित आस्थगित कर	(1143.68)	441.90
अंतिम शेष	1,690.64	(1,709.87)

(घ) उचित मूल्य हेजेज

31 मार्च 2024 को, कंपनी के पास ₹ 15,950.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 15,950.70 करोड़) के बकाया ब्याज दर स्वेप करार हैं, जिसमें कंपनी ब्याज की एक नियत दर प्राप्त करती है और कल्पित राशि पर एक परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान करती है। ऐसे करारों का उपयोग नियत दर वाली उधारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए किया जा रहा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

हेज की गई मद और हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि ब्याज दर स्वेप की शर्तें, नियत दर ऋण (अर्थात, कल्पित राशि, परिपक्वता, भुगतान और रीसेट तिथियां) की शर्तों से मेल खाती हैं। इस प्रकार, हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया गया है क्योंकि ब्याज दर स्वेप का अंतर्निहित जोखिम, हेज जोखिम घटक के समान है।

तुलन पत्र पर हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि	धारित राशि*	तुलन पत्र में लाइन मद जहां हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स का प्रकटन किया है	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
31-03-2024 तक	- ब्याज दर स्वेप	15,950.70	(221.33)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	57.69
31-03-2023 तक	- ब्याज दर स्वेप	15,950.70	(279.02)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	(167.10)

* यहां धारित राशि रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऐसे व्युत्पन्न संविदा के तहत प्राप्य ब्याज को छोड़कर है।

तुलन पत्र पर हेजिंग मद का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि*	संचयी उचित मूल्य समायोजन	तुलन पत्र में लाइन मद जिसमें हेज की गई मद शामिल है	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए प्रयुक्त मूल्य में परिवर्तन
31-03-2024 तक	- अधीनस्थ देयताएं	2,091.95	(143.77)	अधीनस्थ देयताएं	34.39
	- संस्थागत बॉण्ड	11,960.91	(77.56)	ऋण प्रतिभूतियां - संस्थागत बॉण्ड	23.30
31-03-2023 तक	- अधीनस्थ देयताएं	4,748.24	(178.16)	अधीनस्थ देयताएं	(49.83)
	- संस्थागत बॉण्ड	11,950.08	(100.86)	ऋण प्रतिभूतियां - संस्थागत बॉण्ड	(117.27)

ब्याज दर स्वेप के उचित मूल्य में ₹ 57.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (167.10 करोड़) की वृद्धि की भरपाई संबंधित अधीनस्थ देयताओं और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ के साथ की गई है।

47.6 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी का निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय रणनीतिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है।

संवेदनशील विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका सकल घरेलू उत्पाद के बाहर, कंपनी के इक्विटी निवेश पर संबंधित कीमतों में 5% की वृद्धि या कमी के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) पर प्रभाव	4.70	(4.70)	3.36	(3.36)
लाभ एवं हानि लेखा (पीएल) पर प्रभाव	3.82	(3.82)	1.37	(1.37)

48 व्युत्पन्न से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

48.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वेप्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) स्वेप अनुबंधों का कल्पित मूल	72,128.13	46,278.27
(ii) हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	1,367.71	718.55
(iii) स्वेप्स में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
(iv) स्वेप्स के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	निम्न नोट का संदर्भ	निम्न नोट का संदर्भ
(v) स्वेप बही का उचित मूल	1057.96	417.73

आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वेप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वेप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में हिस्सा नहीं लिया है।

48.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न *		ब्याज दर व्युत्पन्न **		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वेप)***	
	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
हेजिंग के लिए	1,24,233.76	85,501.02	72,128.13	46,278.27	-	4,947.00
(ii) मार्केट टू मार्केट स्थितियां						
क) परिसंपत्ति (+)	11,114.31	8,263.06	1,367.71	718.55	-	-
ख) देयता (-)	449.95	146.02	309.75	300.82	-	530.11
(iii) क्रेडिट एक्सपोज़र	9,156.47	6,250.55	973.15	608.40	-	662.05
(iv) अनहेज्ड एक्सपोज़र	1,074.29	8,363.24	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वेप और कॉल स्प्रेड एवं सिंगल ऑप्शन शामिल हैं।

**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।

***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वेप शामिल हैं।

49 एनबीएफसी के लिए आरबीआई स्केल आधारित फ्रेमवर्क (एसबीआर)

आरबीआई ने 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित फ्रेमवर्क (एसबीआर) पेश किया है, जिसमें एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार लेयर में वर्गीकृत किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आरबीआई ने 19 अक्टूबर, 2023 को "मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023 जारी किया है। कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसे एनबीएफसी - मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के लिए मास्टर निर्देश में उल्लिखित दिशानिर्देशों/विनियमों के अधीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

50 एक्सपोज़र संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 17 सितंबर, 2010 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सी. सी. नं. 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। एक आईएफसी के रूप में, किसी एक उधारकर्ता के मामले में उधार देने और निवेश करने के लिए कुल अनुमत एक्सपोज़र टियर-1 पूंजी का क्रमशः 30% और उधारकर्ताओं के एक समूह के मामले में 50% है।

आरबीआई ने आरईसी को केंद्र/राज्य सरकार संस्थानों के संबंध में 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई के क्रेडिट/निवेश मानदंडों की प्रयोज्यता से छूट दी थी। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई ने आगे छूट की अनुमति नहीं देते हुए कंपनी को मानदंडों का पालन करने की सलाह दी थी। कंपनी ने बाद में आवश्यक कदम उठाए हैं, जैसे कि कुछ उधारकर्ताओं के एक्सपोज़र को फिर से व्यवस्थित करना, स्थायी बॉण्ड जारी करना आदि और इसके परिणामस्वरूप, आज की तारीख में अपने उधारकर्ताओं को बकाया ऋण के संबंध में एक्सपोज़र निर्धारित मानदंडों के भीतर है।

50.1 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोज़र

31 मार्च, 2024 को कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र नहीं है (31 मार्च, 2023 को शून्य)।

50.2 पूंजीगत बाजार के लिए एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) इकिटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इकिटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही निवेश नहीं किया जाता है (इसमें वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश शामिल है)	604.20	534.20
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इकिटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए शेयरों/बॉण्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ या व्यक्तियों को पारदर्शिता के आधार पर अग्रिम	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचर या इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, यानी जहां शेयर / परिवर्तनीय बॉण्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा होती है अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(v) स्टॉकब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी	-	-
(vi) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉण्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या पारदर्शिता के आधार पर कॉर्पोरेट्स को ऋण स्वीकृत किया गया	-	-
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को ऋण प्रदान करना	-	-
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए सभी एक्सपोजर	-	-
पूँजीगत बाजार के लिए कुल एक्सपोजर	604.20	534.20

50.3 क्षेत्रीय एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	31-03-2024 तक						31-03-2023 तक				
	बकाया मूल (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोजर (ईएडी)	सकल एनपीए	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत	मूल बकाया (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोजर (ईएडी)	सकल एनपीए	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत	
उद्योग											
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को उधार											
- विद्युत	5,05,636.77	2,449.98	5,08,086.75	13,810.33	2.72%	4,38,110.13	1,497.05	4,39,607.18	14,892.08	3.39%	
- इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स	9,727.33	52.36	9,779.69	-	-	-	-	-	-	-	
कुल एक्सपोजर	5,15,364.10	2,502.34	5,17,866.44	13,810.33	2.67%	4,38,110.13	1,497.05	4,39,607.18	14,892.08	3.39%	

उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से किया गया एक्सपोजर बकाया मूल, उपचित ब्याज और बकाया आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है

50.4 इंटर-ग्रुप एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) इंटर-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि		
- अनुषंगी कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश	0.10	0.10
(ii) शीर्ष 20 इंटर-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	0.10	0.10
(iii) कुल एक्सपोजर में इंटर-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	-	-

50.5 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

50.6 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	3,08,299.02	2,67,729.20
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	60.53%	61.55%
(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण*		
बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	3,10,056.72	2,68,700.56
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	59.87%	61.12%
(iii) क्रेडिट-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण		
शीर्ष चार क्रेडिट - इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,645.97	8,645.97

* उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से एक्सपोजर बकाया मूल, उपचित ब्याज और बकाया आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51 उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधन लागत और श्रेणी के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स की धारित राशि इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	12,019.60	8,574.02
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	462.42	407.59
पर मापित निवेश*			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	10	410.64	381.71
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	10	1,141.40	589.65
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	46.26	39.00
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	7	2,452.44	1,948.34
ऋण परिसंपत्तियां	9	4,99,192.05	4,22,083.91
निवेश**	10	3,768.17	2,166.52
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	24,424.52	24,400.28
कुल		5,43,917.50	4,60,591.02
वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य पर मापन			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	759.70	386.58
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	-	590.37
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
ऋण प्रतिभूतियां	17	2,66,109.92	2,36,948.99
उधारियां (ऋण प्रतिभूति के अलावा)	18	1,72,092.05	1,37,114.13
अधीनस्थ देयताएं	19	7,412.21	6,773.30
अन्य वित्तीय देयताएं	20	31,840.66	25,174.58
कुल		4,78,214.54	4,06,987.95

* अनुषंगी कंपनी में निवेश को इंडस्ट्रीज़ एस 27, 'पृथक वित्तीय विवरण' के अनुसार लागत पर मापा जाता है और इसलिए, यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

राशि में इंपेयरमेंट हानि के बिना रतन इंडिया पावर लिमिटेड के प्रतिदेय अधिमानित शेयरों में निवेश शामिल है।

51.1 उचित मूल्य पदानुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह पदानुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के उदधृत मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उच्चतम प्राथमिकता देता है।

[चरण-1 मापन] के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट [चरण-3 मापन] को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान इंस्ट्रुमेंट्स के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट; और

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति, घटना की तारीख या स्थानांतरण का कारण बनने वाली परिस्थितियों में बदलाव के समय उचित मूल्य पदानुक्रम में अंतरण को मान्यता देना और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक				31-03-2023 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश*	93.91	-	316.73	410.64	67.23	-	314.48	381.71
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	76.37	-	-	76.37	27.31	-	-	27.31
स्थाई बॉण्ड	-	-	947.94	947.94	-	-	437.26	437.26
डिबेंचर	-	-	117.09	117.09	-	-	125.08	125.08
अधिमानित शेयर**	-	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	-	12,019.60	-	12,019.60	-	8,574.02	-	8,574.02
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	-	462.42	-	462.42	-	407.59	-	407.59
एफवीओसीआई पर देयता								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	-	759.70	-	759.70	-	386.58	-	386.58
एफवीटीपीएल पर देयता								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	-	-	-	-	-	590.37	-	590.37

*इसमें युनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड में ₹ 16.00 करोड़ के निवेश, उचित मूल्य शून्य पर किए गए निवेश शामिल हैं।

** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संयोजी विमोचनीय अधिमानित शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में ₹ 43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

- (क) **उद्धृत इक्विटी निवेश में निवेश - चरण 1** - एनएचपीसी लिमिटेड, हुडको लिमिटेड और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के सूचीबद्ध इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स में निवेश को बाजार में उनके आसानी से उपलब्ध उद्धृत मूल्य पर मापा जाता है।
- (ख) **व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स - चरण 2** - उचित मूल्य उन बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है जिन्होंने अंतर्निहित जोखिम से बचाव के लिए अनुबंध किया है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना आगे की विनिमय दरों, अनुबंध की परिपक्वता के अनुरूप ब्याज दरों और निहित अस्थिरता सहित बाजार अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके की जाती है।
- (ग) **स्थाई बॉण्ड में निवेश - चरण 3** - कंपनी ने केनरा बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के स्थाई बॉण्ड में निवेश किया था जो एनएसई/बीएसई पर उद्धृत हैं। कंपनी ने इन बॉण्ड के लिए सक्रिय बाजार लेन-देन की जांच की थी। हालांकि, कंपनी द्वारा रखे गए इन बॉण्ड में किसी भी बाजार गतिविधि का कोई इतिहास नहीं था, और इसलिए, ऐसे बॉण्ड के लिए उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं था। कंपनी ने निवेशित बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की जांच की थी, और यदि कोई बदलाव नहीं देखा गया है, तो रियायती नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना के लिए कूपन दर पर विचार किया जाता है।
- (घ) **युनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - यूसीएक्स के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर रखा गया है। यूसीएक्स को 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे एक चालू संस्था के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।
- (ङ) **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - ईईएसएल के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईईएसएल 01 सितंबर, 2021 से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नहीं रहेगा। उचित मूल्य निवेशित कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण में बताए गए निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर गणना की गई है।
- (च) **झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) और इंड भारत एनर्जी उत्कल लिमिटेड (आईबीईयूएल) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - जेपीएल और आईबीईयूएल के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनकी संबंधित समाधान योजनाओं के अनुसार कंपनी को उधारकर्ता कंपनियों के इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। उनके संबंधित उचित मूल्य की गणना निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर की गई है, जैसा कि इन निवेशित कंपनियों के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण में बताया गया है।
- (छ) **गैर उद्धृत अधिमानित शेयरों में निवेश - चरण 3** - रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर उद्धृत ओसीसीआरपीएस में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुसार उधारकर्ता कंपनी का ओसीसीआरपीएस आवंटित किया गया है। उचित मूल्य शून्य माना गया है क्योंकि ऐसे इन्स्ट्रुमेंट्स में भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।
- (ज) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3** - एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा प्राप्त किया गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (झ) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3** - आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य शून्य माना गया है क्योंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।
- (ञ) **डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3** - गैर-उद्धृत में निवेश - डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य शून्य माना गया है क्योंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

51.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स का समाधान

निम्न तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की शुरुआती और समापन मात्रा का समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)	कुल
	स्थायी बॉण्ड में निवेश	अधिमानित शेयर में निवेश*	ओसीडी में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	437.26	-	125.08	314.48	876.82
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	-
निवेश / समायोजन	500.00	-	(18.92)	-	481.08
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	-
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय (i)	10.68	2.73	10.93	-	24.34
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(2.73)	-	2.25	(0.48)
अंतिम शेष	947.94	-	117.09	316.73	1,381.76
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	19.94	0.00	10.94	(13.75)	17.13

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए				
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)	कुल
	स्थायी बॉण्ड में निवेश	अधिमानित शेयर में निवेश*	ओसीडी में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	-	-	132.55	214.74	347.29
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 9.3 का संदर्भ लें)	-	-	-	182.36	182.36
निवेश / समायोजन	428.00	-	(26.66)	-	401.34
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	-
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय (i)	9.26	3.24	19.19	-	31.69
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(3.24)	-	(82.62)	(85.86)
अंतिम शेष	437.26	-	125.08	314.48	876.82
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	9.26	-	11.46	(98.62)	(77.90)

वर्ष के दौरान गैर-मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 10.5 देखें

* रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'विमोचनीय अधिमानित शेयर' में ₹ 43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है।

(i) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'ब्याज आय' का हिस्सा है।

(ii) एफवीटीपीएल में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)' का हिस्सा है।

(iii) एफवीओसीआई में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स' के उचित मूल्य में परिवर्तन का हिस्सा है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.3 वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ

51.4 परिशोधित लागत पर मापे गए इन्स्ट्रुमेंट्स का उचित मूल्य

परिशोधन लागत पर मापे गए इन्स्ट्रुमेंट्स का उचित मूल्य, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है, इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	46.26	46.26	39.00	39.00
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	2,452.44	2,452.44	1,948.34	1,948.34
ऋण	4,99,192.05	4,99,309.15	4,22,083.91	4,21,931.84
निवेश	3,768.17	3,731.74	2,166.52	2,166.26
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,424.52	24,424.22	24,400.28	24,397.87
कुल	5,29,883.44	5,29,963.82	4,50,638.05	4,50,483.31
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	2,66,109.92	2,62,207.61	2,36,948.99	2,30,605.86
उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,72,092.05	1,72,017.85	1,37,114.13	1,37,862.23
अधीनस्थ देयताएं	7,412.21	7,475.35	6,773.30	6,963.79
अन्य वित्तीय देयताएं	31,840.66	31,840.66	25,174.58	25,174.58
कुल	4,77,454.84	4,73,541.48	4,06,011.00	4,00,606.47

वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स की मूल्यांकन पद्धतियों को उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है

उपरोक्त वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां और धारणाएं नीचे दी गई हैं, जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर दर्ज और मापा नहीं जाता है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए की गई थी। नीचे दी गई पद्धतियां और धारणाएं केवल उपरोक्त तालिकाओं के इन्स्ट्रुमेंट्स से संबंधित हैं:

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए जिनकी अल्पकालिक परिपक्वता (बारह माह से कम) है, वहन राशि, जो इंपेयरमेंट के निवल हैं, उनके उचित मूल्य का एक उचित अनुमान है। ऐसे इन्स्ट्रुमेंट्स में शामिल हैं: नकदी एवं नकदी के समतुल्य, नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा बैंक शेष, विशिष्ट परिपक्वता के बिना अनुबंध परिसंपत्ति और अनुबंध देयता।

ग्राहकों को ऋण और अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों की गणना पोर्टफोलियो-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके की जाती है, जहाँ तक संभव हो ऋणों को समान विशेषताओं के आधार पर समरूप समूहों में समूहित किया जाता है। इसके बाद कंपनी रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करके पूरे पोर्टफोलियो के लिए उचित मूल्य की गणना और एक्सट्रपोलेशन करती है, जिसमें ऋण की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करते हुए ब्याज दर अनुमान शामिल होते हैं। जहाँ ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी अपने सामूहिक इंपेयरमेंट मॉडल में उपयोग किए गए ऐतिहासिक अनुभव और अन्य जानकारी का उपयोग करती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधन लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्यों का अनुमान वास्तविक या अनुमानित यील्ड का उपयोग करके संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करके किया जाता है और समतुल्य के क्रेडिट जोखिम को शामिल करते हुए यील्ड में छूट दी जाती है।

जारी ऋण

कंपनी की निश्चित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और अधीनस्थ देयताओं का उचित मूल्य डिस्काउंटेड कैश फ्लो ('डीसीएफ') पद्धति को लागू करके, छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर को दर्शाता है। 31 मार्च 2024 को स्वयं का गैर-निष्पादन जोखिम नगण्य आंका गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी-सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से रिपोर्टिंग तिथि तक अर्जित ब्याज को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

पीएसयू बॉण्ड्स में निवेश

कंपनी ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति बनाए रखने के लिए पीएसयू बॉण्ड्स में निवेश किया है। कंपनी ने बाजार इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना की है अर्थात् औद्योगिक प्रणाली के अनुसार शेष परिपक्वता के लिए पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता के लिए जी-सेक की यील्ड या शेष परिपक्वता के लिए क्रेडिट रेटिंग के अनुसार प्रसार।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋण समायोजन/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

उचित मूल्य उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा प्राप्त किया गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्तनीय दर सुविधाएं हैं जो अंतर्निहित ब्याज दर सूचकांकों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, इन सुविधाओं पर क्रेडिट का प्रसार कंपनी की साख में बदलाव के साथ परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का मानना है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों के करीब है। इसलिए, प्रबंधन का अनुमान है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित मूल्यों के करीब है।

52 ऐसा कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिस पर कंपनी का बकाया हो, जो 31 मार्च 2024 (पिछले वर्ष शून्य) तक 45 दिनों से अधिक समय से बकाया हो। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यह जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचाने गए ऐसे दलों की स्थिति की सीमा तक निर्धारित की गई है।

53 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

53.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1)	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	श्री विवेक कुमार देवांगन	निदेशक (वित्त) (1 फरवरी, 2024 से सेवा समाप्त)
	श्री अजय चौधुरी	निदेशक (परियोजना)
	श्री वी.के. सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक (21 अगस्त, 2023 से सेवा समाप्त)
	श्री पीयूष सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक (21 अगस्त, 2023 से नियुक्त)
	श्री शशांक मिश्रा	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (11 जुलाई, 2023 से सेवा समाप्त)
	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (11 जुलाई 2023 से नियुक्त)
	श्री मनोज शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
	डॉ. गंभीर सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
	डॉ. मनोज एम. पांडे	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
	डॉ. दुर्गेश नंदिनी	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
	श्री नारायणन तिरुपति	कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव
	श्री जे.एस. अमिताभ	
(2)	मुख्य धारक कंपनी	
	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	
(3)	अनुषंगी कंपनी	
	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	
(4)	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की अनुषंगी कंपनियां	
	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	कल्लम ट्रांसको लिमिटेड
	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान भाग I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	खावड़ा आईवीए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	खावड़ा वी-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनईआरजीएस-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	ईआरईएस-XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
	पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (5) **नियोजन हितलाभ न्यास / निधि**
 आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास
 आरईसी उपदान निधि
 आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास
 आरईसी कर्मचारी हितैषी निधि
 आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास
- (6) **सीएसआर पहल करने के लिए पंजीकृत सोसायटी**
 आरईसी फाउंडेशन
- (7) **वे कंपनियाँ जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक है**
 समर्पण अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड
- (8) **प्रमुख धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते हैं:**
- (क) **प्रमुख धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**
 श्री रविंदर सिंह ढिल्लों
 श्रीमती परमिंदर चोपड़ा
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 जून, 2023 से सेवा समाप्त)
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (14 अगस्त, 2023 से) और डी(एफ) (13 अगस्त, 2023 तक)
 निदेशक (परियोजना)
 निदेशक (वाणिज्यिक)
 सरकार द्वारा नामित निदेशक
 अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
 अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
 अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
 कंपनी सचिव (1 मई, 2023 से नियुक्त)
- श्री राजीव रंजन झा
 श्री मनोज शर्मा
 श्री अजय तिवारी
 सलाह. भास्कर भट्टाचार्य
 श्रीमती उषा संजीव नायर
 श्री प्रसन्न तंत्री
 श्री मनीष कुमार अग्रवाल
- (ख) **प्रमुख धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी**
 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)
 पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड)
- (ग) **प्रमुख धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी**
 बिहार मेगा पावर लिमिटेड
 ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
 झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
 कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
 बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
 देवघर इंफ्रा लिमिटेड
 सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
 घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
 ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
 देवघर मेगा पावर लिमिटेड
 चेयूर इंफ्रा लिमिटेड
 बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड
 अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
 छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड
 फ़तेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
 फ़तेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड
 भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड
 फ़तेहगढ़ IV ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड
 बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड
 नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड
 जोडा बाबिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
 जेवर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 कोप्पल II गडग II ट्रांसमिशन लिमिटेड
 गोला बी-रामगढ़ बी ट्रांसमिशन लिमिटेड
 हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड
 खावड़ा पीएस1 और 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड
 पारादीप ट्रांसमिशन लिमिटेड
 रामकनली बी-पानागढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
 सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 वेटमैन ट्रांसमिशन लिमिटेड
 अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
 बाड़मेर I ट्रांसमिशन लिमिटेड
 ब्यावर-मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 भादला-III और बीकानेर-III ट्रांसमिशन लिमिटेड
 भुज II ट्रांसमिशन लिमिटेड
 जामनगर ट्रांसमिशन लिमिटेड
 केपीएस III एचवीडीसी ट्रांसमिशन लिमिटेड
 पुणे- III ट्रांसमिशन लिमिटेड
 सिरोंही ट्रांसमिशन लिमिटेड
 साउथ ओलपैड ट्रांसमिशन लिमिटेड

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ
53.2 संबंधित पक्षकारों से / को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.51	3.54
अन्य वित्तीय देयताएं- अप्रदत्त लाभांश	623.70	-
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियाँ	45.44	45.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6.96	6.70
अन्य वित्तीय देयताएं	1.16	1.43
नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियाँ	5.70	3.70
अन्य वित्तीय देयताएं- भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
प्रावधान	0.13	2.68
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	23.55	15.11
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	0.05	0.05
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.30	0.22
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी - पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	0.15	0.17
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1.25	-

53.3 वर्ष के दौरान बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3.83	3.54
अन्य वित्तीय देयताएं- अप्रदत्त लाभांश	623.70	-
आरईसीपीडीसीएल		
ऋण प्रतिभूतियाँ	57.44	57.44
अनुषंगी को ऋण एवं अग्रिम	8.34	6.70
निवेश	0.10	0.10
नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियाँ	8.70	8.70
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	0.16	0.16
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.55	0.39
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी - पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	0.17	0.17
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	35.47	6.85

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
प्रदत्त लाभांश	1,503.80	1,642.40
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.05	-
अन्य व्ययों का वितरण	0.29	3.54
अन्य प्रशासनिक व्यय	0.40	-
आरईसीपीडीसीएल		
सरकारी धन वितरित किया गया	-	0.18
कंपनी के बॉण्ड का विमोचन	-	12.00
कर्मचारी लाभ और अन्य खर्चों का बंटवारा	18.39	18.37
लाभांश आय	23.40	27.45
किराए से आय	3.89	4.34
अन्य आय	3.00	2.58
वित्त लागत - भुगतान किया गया ब्याज	3.71	4.51
अन्य व्यय	2.56	3.54
रोजगार लाभ न्यास/निधि		
कंपनी द्वारा किया गया योगदान	21.29	31.25
कंपनी के बॉण्ड्स का विमोचन	-	5.00
वित्तीय लागत - भुगतान किया गया ब्याज	2.87	3.28
कंपनी के बॉण्ड्स की सदस्यता	2.00	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.23	0.12
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	0.35	-
ऋण प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान/वसूली	-	0.10
कर्मचारी ऋण पर ब्याज आय	0.03	0.03
वित्त लागत - भुगतान किया गया ब्याज	-	0.06
कर्मचारी लाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.51	2.84
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.40	0.38
मुख्य धारक (केएमपी-पीएफसी) के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए भुगतान	243.00	151.95

53.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन और शर्त

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षों को भुगतान की गई वित्त लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई इंपेयरमेंट दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभ	3.24	2.65
(ii) रोजगार पश्चात लाभ	0.27	0.19
कुल	3.51	2.84

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, उपरोक्त तालिका के आधार पर संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल हैं।

53.7 उसी सरकार (सरकार से संबंधित संस्थान) के नियंत्रणाधीन संस्थानों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित संस्थानों की सूची

समूह के संस्थान/कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) हैं। समूह ने जिन सरकारी संबंधित संस्थानों के साथ संव्यवहार किया है, उनकी सूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया है परंतु उन तक सीमित नहीं है:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड

दामोदर घाटी निगम

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड

नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

टस्को लिमिटेड

एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड

पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

सरकार से संबंधित संस्थानों से सकल लेन-देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	5,443.35	3,857.30
ब्याज आय को मान्यता	2,039.94	1,709.48
अन्य व्यय-पावर फाउंडेशन में आरईसी का योगदान	5.00	8.00

सरकार से संबंधित ऐसे संस्थानों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
ऋण परिसंपत्तियां	25,554.99	20,902.65
उपचित ब्याज	48.72	12.99

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 11,18,20,31 और 44 देखें।

सरकार से संबंधित संस्थानों के साथ उपरोक्त लेन-देन में वे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। समूह ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेन-देन जैसे प्रशासनिक व्यय, सरकारी कार्यक्रमों पर खर्च आदि भी किए हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाज़ार की शर्तों पर किए जाते हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.8 संबंधित पार्टी लेन-देन जहां अंतिम लाभार्थी अनुषंगी कंपनी है अर्थात आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड

क) एएनवीआईएल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
वचन पत्र की स्वीकृति	19.80	-
ऋण की स्वीकृति	119.71	-
ऋण का संवितरण	83.79	-
ऋण का पुनर्भुगतान	18.31	-

ख) आरएस इफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
ऋण की स्वीकृति	57.96	-
ऋण का संवितरण	38.67	-
ऋण का पुनर्भुगतान	38.67	-

ग) टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
ऋण की स्वीकृति	48.06	-

घ) लुमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
ऋण की स्वीकृति	28.37	-

ड) ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
ऋण की स्वीकृति	53.00	-

54 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पकालिक पट्टों से संबंधित खर्च ₹ 8.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.96 करोड़) है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्प्रवाह ₹ 8.25 करोड़ है। (पिछले वर्ष ₹ 6.96 करोड़)।

पट्टे की देयताओं की अग्रणीत राशि (उधार के अंतर्गत शामिल) और वर्ष के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	0.02	0.03
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	-	-
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.02)	(0.01)
अंतिम शेष	-	0.02

नीचे दी गई तालिका बिना छूट वाली पट्टे की देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
1 वर्ष तक	-	0.02
1-5 वर्ष	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55 भारतीय लेखांकन मानक 19 “कर्मचारी लाभ” के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन:

55.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना

कंपनी एनपीएस ट्रस्ट को पूर्व-निर्धारित दरों पर सेवानिवृत्ति योजना के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। एनपीएस ट्रस्ट/अलग ट्रस्ट के पास शेष राशि में संचित रिटर्न के साथ सदस्यों के खाते में मासिक योगदान शामिल है। जब सदस्य को पेंशन देय हो जाती है, तो सदस्य के खाते में जमा राशि को सदस्य के संचय और वार्षिकी के लिए विनियोजित किया जाता है, जैसा कि सदस्य द्वारा चुना गया है, आवंटित किया जाता है।

कंपनी ने परिभाषित योगदान योजना के लिए ₹18.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.4 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है

55.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. भविष्य निधि

कंपनी एक अलग पंजीकृत ट्रस्ट को पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के निश्चित योगदान का भुगतान करती है जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। ट्रस्ट वर्ष के दौरान अपने निवेश पर अर्जित रिटर्न के आधार पर सदस्यों के योगदान पर ब्याज दर की घोषणा करता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के अधीन है। सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए निर्दिष्ट ब्याज दर और ट्रस्ट के निवेश पर अर्जित रिटर्न में किसी भी कमी की भरपाई कंपनी द्वारा की जाएगी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से अपने कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान को अब तक अपनाई जाने वाली परिभाषित अंशदान योजना के बजाय एक परिभाषित लाभ योजना के रूप में मानना शुरू किया। ऐसे में कंपनी के मुनाफे पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। भविष्य निधि के प्रति कंपनी का दायित्व कर्मचारी लाभ पर आईएनडी एस 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित और प्रदान किया जाता है। योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	297.79	276.16
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	298.03	280.99
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	(0.24)	(4.83)

ख. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित उपदान योजना है जिसे एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर ग्रेच्युटी का हकदार है, जो कि प्रावधानों पर विचार करते हुए सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर उपदान भुगतान अधिनियम, 1972, यथासंशोधित अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये है। ग्रेच्युटी की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	27.31	29.23
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	27.18	26.55
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	0.13	2.68

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	29.23	30.43	26.55	30.09	2.68	0.34
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.08	1.42	-	-	1.08	1.42
पूर्व सेवा लागत	-	2.16	-	-	-	2.16

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज लागत/आय	1.99	2.07	1.94	2.22	0.05	(0.15)
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	3.07	5.65	1.94	2.22	1.13	3.43
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक	0.40	0.10	-	-	0.40	0.10
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.89)	(1.09)	-	-	(0.89)	(1.09)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	0.51	(0.29)	(0.51)	0.29
ओसीआई में मान्य कुल राशि	(0.49)	(0.99)	0.51	(0.29)	(1.00)	(0.70)
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	2.68	0.39	(2.68)	(0.39)
प्रदत्त हितलाभ	(4.50)	(5.86)	(4.50)	(5.86)	-	-
अंतिम शेष	27.31	29.23	27.18	26.55	0.13	2.68

ग. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	171.28	164.67
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	194.83	179.78
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	(23.55)	(15.11)

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	164.67	165.51	179.78	164.80	(15.11)	0.71
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	5.10	3.64	-	-	5.10	3.64
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/आय	11.73	11.83	13.14	12.15	(1.41)	(0.32)
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	16.83	15.47	13.14	12.15	3.69	3.32
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(5.30)	1.45	-	-	(5.30)	1.45

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-	-	-	-	-
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	8.28	(5.71)	-	-	8.28	(5.70)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	1.85	2.04	(1.85)	(2.04)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	2.98	(4.26)	1.85	2.04	1.13	(6.29)
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	0.06	0.11	0.06	0.10	-	0.01
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	-	0.69	-	(0.70)
प्रदत्त हितलाभ	(13.26)	(12.16)	-	-	(13.26)	(12.16)
अंतिम शेष	171.28	164.67	194.83	179.78	(23.55)	(15.11)

घ. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
- ईआरएस	4.92	4.17

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	4.17	4.15
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.30	0.25
ब्याज लागत/आय	0.28	0.28
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	0.58	0.53
ओसीआई में शामिल		
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.12	0.07
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.74	0.33
ओसीआई में मान्य कुल राशि	0.86	0.40
प्रदत्त हितलाभ	(0.69)	(0.91)
अंतिम शेष	4.92	4.17

55.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्यूचुअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार यील्ड के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान और बाद में मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(v) कर्मचारी के टर्नओवर/आहरण जोखिम

परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में अपेक्षित आहरण दर के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, यदि भविष्य में वास्तविक आहरण दर अपेक्षा से अधिक या कम हो जाती है तो इससे योजना की देयता बढ़ सकती है।

55.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	0.07	0.06	3.94	0.20
उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स	0.99	0.99		
राज्य सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	10.22	10.28	41.63	40.80
कारपोरेट बॉण्ड/ डिबेंचर	9.35	9.35	149.25	138.78
उप-जोड़ - उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	20.56	20.62	190.88	179.58
गैर उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
अन्य - बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड और टी-बिल्स	6.55	5.87	-	-
उप जोड़ - गैर उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	6.55	5.87	-	-
कुल	27.18	26.55	194.82	179.78

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹ 17.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 16.12 करोड़) है।

55.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2024 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति (पीयूसीएम) का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:-

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
उपयोग की गई पद्धति	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर छूट की दर और प्रत्याशित रिटर्न, यदि वित्तीय पोषित है	7.09%	7.31%	7.09%	7.31%	7.09%	7.31%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	5.50%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	20.07	17.72	20.07	17.72	20.07	17.72

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

मुख्य अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बॉण्ड पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

55.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

आवश्यक बीमांकिक मान्यताओं में से एक में रिपोर्टिंग तिथि पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन, अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व को प्रभावित करेंगे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
- उपदान	(0.89)	0.97	(0.84)	0.91
- पीआरएमएस	(9.23)	9.86	(12.10)	12.60
- ईआरएस	(0.20)	0.22	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
- उपदान	0.17	(0.17)	0.21	(0.18)
- पीआरएमएस	-	-	-	-
- ईआरएस	0.18	(0.16)	0.15	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
- पीआरएमएस	9.92	(9.06)	11.62	(10.52)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
- पीआरएमएस	17.24	(17.08)	16.89	(16.19)

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिरूप नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से निगरानी करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित यील्ड कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र चरण पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

55.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
एक वर्ष से कम	5.15	6.43	15.20	13.98	0.95	1.12
1 से 5 वर्ष तक	12.52	16.12	84.88	78.64	2.61	2.33
5 वर्ष से अधिक	37.67	35.29	329.93	306.56	5.21	3.11
कुल	55.34	57.84	430.01	399.18	8.77	6.56

55.2.6 वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	1.48	3.77	-	-	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारत औसत अवधि 11.78 वर्ष है (31.03.2023 को 11.18 वर्ष)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

55.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

कंपनी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹ 8.58 करोड़ की व्यय राशि (पिछली अवधि ₹ 4.77 करोड़) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में जमा की गई है।

55.3.2 अन्य कर्मचारी हितलाभ

दीर्घ सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹ 2.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.47 करोड़) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में जमा किया गया है।

55.4 कंपनी के पूर्णस्वामित्व वाली अनुषंगी में प्रतिनियुक्ति/द्वितीयक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी, पीआरएमएफ, टर्मिनल लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों सहित कर्मचारी लाभों को प्रतिनियुक्ति/द्वितीयक आधार पर कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जाता है।

56 राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पूर्व में नए एंटीटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नए संस्थानों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत संस्थानों को अंतरित किया जाना है

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनः स्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।
- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित संस्थानों से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित संस्थानों के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित संस्थानों को संवितरण कर दिया गया है।
- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, इसके अलावा इन योजनाओं के लिए प्रलेखीकरण राजपत्र अधिसूचना में किया जाएगा।
- एक बार सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना अधिसूचित हो जाने के बाद, बिजली संस्थानों के बीच परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण का विधिवत संकेत देते हुए, परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित संस्थानों के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं के निष्पादन के लिए कार्रवाई की जाएगी। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान की मांग को संस्थानों द्वारा अलग किया जा रहा है और संबंधित हिस्से का भुगतान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

57 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में संशोधन

इंड-एस संशोधनों के साथ संरेखित करने और कंपनी की प्रणालियों के अनुरूप अधिक स्पष्टता लाने के लिए कुछ लेखांकन नीतियों को फिर से तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे पुनर्लेखन/संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

58 प्रावधान, आकस्मिकताएं और इंपेयरमेंट हानि भत्ते को लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में जमा किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता*	(1,367.07)	105.14
(ii) निवेश के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	-
(iii) अन्य प्राप्य के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	8.68	9.77
(iv) आयकर के लिए किए गए प्रावधान	3,761.43	2,684.13

* सुविधा पत्र पर इंपेयरमेंट भत्ते के लिए ₹ 16.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ -5.03 करोड़) शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

59. कंपनी के संचालन में केवल एक बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत, लॉजिस्टिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण देना। इसलिए, भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संदर्भ में कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट नहीं है। इंड-एएस 108 में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता एक बिजनेस सेगमेंट के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

59.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	45,954.08	38,701.63
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	114.49	122.21
(ग) ट्रेजरी प्रचालनों से आय	572.27	295.65
कुल	46,640.84	39,119.49

59.2 इस कंपनी में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के मुख्य प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

59.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के दौरान समूह के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

60 परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक शृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
परिसंपत्तियां				
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	46.26	-	39.00	-
(ख) उपरोक्त (ए) के अलावा बैंक शेष	2,452.44	-	1,948.34	-
(ग) व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	1,995.61	10,486.41	2,331.97	6,649.64
(घ) ऋण	84,849.07	4,14,342.98	65,372.90	3,56,711.01
(ङ) निवेश	113.21	5,207.10	46.23	3,091.75
(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	270.20	24,154.32	257.00	24,143.28
कुल - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	89,726.79	4,54,190.81	69,995.44	3,90,595.68
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	294.42	-	295.78
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2,485.46	-	3,276.99
(ग) निवेश संपत्ति	-	-	-	-
(घ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	-	630.21	-	638.91
(ङ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	-	23.59	-	2.72
(च) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.52	-	1.62
(छ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	88.54	-	62.39	7.26
कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	88.54	3,434.20	62.39	4,223.28
(3) बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां	0.05	-	0.34	-
कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	89,815.38	4,57,625.01	70,058.17	3,94,818.96
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	338.08	421.62	63.11	913.84
(ख) ऋण प्रतिभूतियां	48,241.27	2,17,868.65	39,879.40	1,97,069.59
(ग) उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	43,071.37	1,29,020.68	40,338.84	96,775.29

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
(घ) अधीनस्थ देयताएं	321.21	7,091.00	2,796.90	3,976.40
(ङ) अन्य वित्तीय देयताएं	7,731.36	24,109.30	1,065.28	24,109.30
कुल - वित्तीय देयताएं (1)	99,703.29	3,78,511.25	84,143.53	3,22,844.42
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	66.51	-	-	-
(ख) प्रावधान	79.57	57.00	60.64	50.30
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	145.55	94.07	49.21	49.36
कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)	291.63	151.07	109.85	99.66
कुल देयताएं (1+2)	99,994.92	3,78,662.32	84,253.38	3,22,944.08

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/ पुनः समूहित किया गया है।

61. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।
62. कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
63. मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 3, 8, 9, 10, 19.1, 25, 26.1, 43, 46, 47.1.3 (एम), 47.1.3 (एन), 47.1.3 (ओ), 47.1.3 (पी), 47.1.3 (क्यू), 47.1.3 (आर), 47.1.3 (एस), 47.1.3 (टी), 47.1.3 (यू), 47.1.3 (वी), 47.2.2, 47.2.4, 47.3, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66 में किए गए हैं।
64. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान किसी भी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।
हालाँकि, वर्ष के दौरान, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम आवश्यकताओं के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन न होने के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से कुल ₹ 0.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.43 करोड़) (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाने का नोटिस मिला है।
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और निदेशक मण्डल या कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी को उम्मीद है कि बीएसई द्वारा इसी तरह के कारणों से पहले जुर्माने में छूट के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंजों से किए गए उसके अनुरोध और आवश्यकता के अनुपालन के बाद छूट पर विचार करने के लिए एनएसई से प्राप्त संचार के अनुकूल परिणाम होंगे।
65. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31-03-2024 (31-03-2023- पांच नंबरों तक) को बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है, जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए रिपोर्ट नहीं किया गया है।
66. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी को ग्राहकों या लोकपाल के कार्यालयों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
67. जब तक स्पष्ट रूप से न कहा गया हो, रुपये में आंकड़ों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W
सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089
अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं.: 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल 2024

आरईसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुलग्नक
(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(आरबीआई (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) दिशा-निर्देश दिनांक 19.10.2023 के अनुलग्नक-VIII में दिए गए विवरण, समय-समय पर अद्यतन किए गए हैं, जहां तक वे कंपनी पर लागू होते हैं)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम				
जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क) डिबेंचर/बॉण्ड:				
- प्रतिभूत	55,244.21	-	51,646.17	-
- अप्रतिभूत	2,19,135.12	-	1,93,034.32	-
(ख) सावधिक ऋण				
- एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12	-	10,325.12	-
- बैंको से अप्रतिभूत ऋण	50,620.49	-	56,402.09	-
- वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	8,072.29	-	6,000.64	-
(ग) कमर्शियल पेपर	-	-	-	-
(घ) अन्य ऋण				
- विदेशी मुद्रा उधारियां	67,597.00	-	45,783.55	-
- एफसीएनआर (बी) ऋण	25,151.29	-	15,427.63	-
- बैंक से ओवरड्राफ्ट्स	267.44	-	87.59	-
- अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	10,883.04		3,607.52	
- पट्टा दायित्व				
परिसंपत्ति पक्ष:				
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग ब्योरा				
(क) प्रतिभूत		2,47,650.53		2,42,310.94
(ख) अप्रतिभूत		2,61,720.42		1,92,700.85
(ग) घटाएं: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता		(12,380.52)		(14,263.75)
ऋण और अग्रिम (प्रावधान का निवल)		4,96,990.43		4,20,748.04
(3) निवेश :				
लागत/परिशोधित लागत पर किया गया निवेश:				
उद्धृत:				
(i) शेयर: इक्विटी		-		-
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		1,930.03		629.04
(iii) सरकारी प्रतिभूतियां		1,624.08		1,431.74
गैर-उद्धृत :				
(i) शेयर:इक्विटी		0.10		0.10
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड्स		214.06		105.74

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
(iii) सरकारी प्रतिभूतियां		-		-
(iv) अधिमानित शेयर		28.72		28.72
घटाएं: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता		(28.72)		(28.72)
गैर-उद्धृत अधिमानित शेयर (प्रावधान का निवल)		-		-
उचित मूल्य पर मापित निवेश				
उद्धृत :				
(i) शेयर: इक्विटी		170.28		94.54
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		947.94		437.26
गैर-उद्धृत:				
(i) शेयर:इक्विटी		316.73		314.48
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड		117.09		125.08

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि			
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	प्रावधान	कुल
31.03.2024 तक				
1. संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,47,650.53	2,61,720.42	(12,380.52)	4,96,990.43
कुल	2,47,650.53	2,61,720.42	(12,380.52)	4,96,990.43
31.03.2023 तक				
1. संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,42,310.94	1,92,700.85	(14,263.75)	4,20,748.04
कुल	2,42,310.94	1,92,700.85	(14,263.75)	4,20,748.04

(5) शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं गैर-उद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10	0.10	0.10
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	5,283.78	5,320.21	3,137.62	3,137.88
कुल	5,283.88	5,320.31	3,137.72	3,137.98

(6) अन्य जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(i) सकल क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	13,810.33	14,892.08
(ii) निवल क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्षकार	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	4,356.53	4,372.57
(iii) ऋण की संतुष्टि हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां	394.18	233.85

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं. : 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं. : 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल 2024

संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

आरईसी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

आरईसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण पर यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमारे पहले स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 30 अप्रैल 2024 के अधिग्रहण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की दिनांक 06 जुलाई 2024 की टिप्पणी "कुंजी" के अनुपालन में जारी की गई है। व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा मामला, जो किसी भी तरीके से पहले व्यक्त किए गए स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण और हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है। संशोधित रिपोर्ट उपरोक्त प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को जोड़ते हुए जारी की गई है, जैसा कि भारत के सीएंडएजी द्वारा हमारी पिछली स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में बताया गया था। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2024 तक कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण में किसी भी आंकड़े में कोई बदलाव नहीं आया है।

राय

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का विवरण, इकिटी में परिवर्तन का विवरण और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देते हैं और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इकिटी में स्टैंडअलोन परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके स्टैंडअलोन नकद प्रवाह तथा इसके सार की स्टैंडअलोन स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिंदु का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आरईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले ("केएएम") वे मामले हैं जो हमारे कारोबारिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऋण परिसंपत्तियों का हानि भत्ता – (लेखांकन नीति सं. 3.11 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 47.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, हानि के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/ रूपरेखा पर आधारित हानि के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। हानि भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा हानि भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। हानि भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा हानि प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है क) ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा। ख) हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और हानि भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/ढाँचे का सत्यापन कर लिया है। ग) वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन। घ) वसूली के स्तर का पता लगाने के लिए मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए वसूली सत्यापित की जाती है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। ड) ऋण परिसंपत्तियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर हानि का आकलन हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेख पर संबंधित साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। च) हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है।

2.	व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स का उचित मूल्यांकन (टिप्पणी संख्या 8 को लेखांकन नीति संख्या 3.10 के साथ पठित स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण देखें) कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव अनुबंध में प्रवेश करती है। व्युत्पन्न अनुबंधों को या तो पीएंडएल (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर या नकदी प्रवाह बचाव (हेज अकाउंटिंग) के तहत वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल में वर्गीकृत व्युत्पन्न पर मार्क टू मार्केट लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है और नकदी प्रवाह हेज को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। वित्तीय विवरणों के महत्व और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमने व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्यांकन को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है।	हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया लागू की है: क) प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना और जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना। ख) इंडस्ट्रीज़ एस 109 की अवधि में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन। ग) व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। घ) कंपनी प्रतिपक्ष बैंकों से व्युत्पन्न का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में 31 मार्च, 2024 तक बकाया विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के विवरण और उस पर उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। ङ) इसके अतिरिक्त, हमने नकदी प्रवाह हेज के तहत व्युत्पन्न अनुबंधों के मामले में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में व्युत्पन्न अनुबंधों के मार्क टू मार्केट आधार पर लाभ या हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। च) इंडएस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की गई।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक से भिन्न सूचना

कंपनी के निदेशक मण्डल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

यदि, हमने जो कार्य किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों के दायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी ("भारतीय लेखांकन मानक") नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इकिटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुरक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका प्रकटीकरण करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रूप से उन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम कारोबारिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान कारोबारिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिज़ाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में किया गया प्रकटीकरण तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का प्रकटीकरण हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का वह परिमाण, जिससे एकल या सामूहिक रूप से, यह संभावना उत्पन्न होती है कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण होता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में किसी भी अभिचिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ-साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक झुकाव होने की आशा होगी।

अन्य मामले

इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को एस.के.मिन्टल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और ओ.पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संयुक्त रूप से लेखापरीक्षा की है। जिनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 17 मई 2023 ने तुलनात्मक स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान अनुलग्नक-क में प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमने अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों पर अनुलग्नक-ख के रूप में अपनी रिपोर्ट संलग्न की है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:
 - (क) हमने उन समस्त जानकारीयों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।
 - (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इकिटी और नकद प्रवाह का विवरण में परिवर्तन के विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
 - (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध

- में अधिनियम की धारा 164(2), कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
- (च) कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;
- (छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
- (ज) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 42 के संदर्भ में;
 - हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि हो;
 - कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।
 - (क) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 9.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है;
- (ख) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 9.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्तपोषक पक्षकार") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि कंपनी, वित्तपोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है;
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार संगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत यथासंशोधित और उपरोक्त (क) और (ख) के तहत उपलब्ध कराए गए अभ्यावेदनों में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है
- (व) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में हैं
- (vi) हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला है।
- जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 (छ) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रतिधारण लागू नहीं है।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

आईसीआईएफ फर्म पंजीकरण सं.: 112318W

सौरभ चौहान

भागीदार

सदस्यता संख्या: 167453

यूडीआईएन: 24167453BKBFYQ7823

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 16 जुलाई 2024

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

आईसीआईएफ फर्म पंजीकरण सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला

भागीदार

सदस्यता संख्या: 087010

यूडीआईएन: 24087010BKBOFA3815

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर आरईसी लिमिटेड को उसी तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों तथा सामान्य लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा जांची गई लेखा बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:

- i. कंपनी की परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, संपत्ति के उपयोग का अधिकार और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - (क) कंपनी के पास उचित रिकॉर्ड है जिसमें संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के मात्रात्मक विवरण और स्थिति तथा उपयोग योग्य परिसंपत्ति के संबंधित विवरण सहित पूर्ण विवरण दिए गए हैं।
 - (ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।
 - (ख) कंपनी का संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है ताकि सभी परिसंपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।
 - (ग) कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के अंतर्गत शामिल वित्तीय विवरण में यथा-प्रकट सभी अचल संपत्तियों (ऐसी संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करारों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	जिस अवधि से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन	4.59	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताओं के कारण स्कोप (केंद्र सरकार का परिसर) में कंपनी को आबंटित कार्यालय भवन कंपनी के नाम से पंजीकृत नहीं है।

- (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के विरुद्ध बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 2016 में संशोधित) और इसके अधीन बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ii. (क) कंपनी की कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थान से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की अप्रतिभूत कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। चूंकि, सीमाओं को अप्रतिभूत के रूप में स्वीकृत किया गया है, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी फर्मों या किसी अन्य पक्षकार में/को प्रतिभूत/ अप्रतिभूत, निवेश किया है, गारंटी प्रदान की है और ऋण की प्रकृति में ऋण/अग्रिम प्रदान किया है। इस संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
 - (क) कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक पंजीकृत एनबीएफसी है, जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, इसलिए आदेश का खंड 3 (iii) (क) लागू नहीं है।
 - (ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी तथा ऋण और गारंटी की प्रकृति में प्रदान किए गए सभी ऋणों और अग्रिमों की निबंधन और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।
 - (ग) एक पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, कंपनी मूलधन और ब्याज की चुकौती के लिए निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर अपने ऋण की अदायगी करती है। ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों को छोड़कर, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्ति आमतौर पर नियमानुसार नियमित हैं।
 - (घ) ऋणों की प्रकृति में ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय कुल राशि इस प्रकार है। कंपनी अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए जो कदम उठाती है, जो हमारी राय में उचित है।

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अतिदेय मूल राशि	अतिदेय ब्याज*	कुल अतिदेय	टिप्पणी (यदि कोई हो)
16	8128.48	24841.13	32969.60	-

(ड) आदेश के खंड 3 (iii) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुख्य कारोबार के लिए ऋण प्रदान करना है।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में और अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, एक एनबीएफसी होने के नाते, अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा ऋण और गारंटी के संबंध में संगत नियमों से छूट प्राप्त है। निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 186(1) के उपबंधों का अनुपालन किया है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या के अन्य प्रासंगिक उपबंध और इसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

vi. एक एनबीएफसी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेख बनाए रखने के संबंध में आदेश का खंड 3 (vi) लागू नहीं होता है।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाता बही की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देयताएं उपयुक्त प्राधिकारियों पर लागू सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित रही है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया 31 मार्च, 2024 तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे, के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाता बही की हमारी जांच के आधार पर, 31 मार्च 2024 तक आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर का बकाया है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	विवादित राशि	समायोजित भुगतान की गई राशि / धनवापसी	अदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जिसमें विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.30	0.30	-	2008-09	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.32	0.32	-	2012-13	सीआईटी (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.83	0.83	-	2012-13	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	87.68	87.68	-	2018-19	सीआईटी (ए) एनएफएसी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	87.96	58.74	29.22	2019-20	सीआईटी (ए) एनएफएसी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	20.13	20.13	-	2020-21	सीआईटी (ए) एनएफएसी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	1.66	1.66	-	2021-22	सीआईटी (ए) एनएफएसी दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	0.03	-	0.03		सीपीसी, टीडीएस (टीआरएसीईएस के अनुसार)
वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017	वस्तु और सेवा कर का भुगतान	17.89	17.89	-	2017-18	आयुक्त (अपील), सीजीएसटी दिल्ली अपील
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	15.06	-	15.06	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी दिल्ली
वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017	वस्तु और सेवा कर	0.01	-	0.01	2017-18	आयुक्त (अपील), एसजीएसटी दिल्ली अपील
	कुल	231.87	187.55	44.32		

viii हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई विगत अलेखबद्ध आय के संबंध में कोई लेन-देन नहीं था।

ix. (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि कंपनी ने ऋण अथवा अन्य उधारियों की चुकौती अथवा किसी उधारदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
- (घ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा समग्र आधार पर दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि प्राप्त नहीं की है।
- (च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों के रेहन पर कोई ऋण नहीं जुटाया है।
- x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है। हमें सूचित किया गया है और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारा यह मत है कि कंपनी द्वारा ऋण लिखतों के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए इसे जुटाया गया है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- xi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई खाता बही और रिकॉर्ड के अनुसार, हम कहते हैं कि
- (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है। हालाँकि, लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधारकर्ता द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को आरबीआई को 33.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की एक सूचना दी है। उक्त धोखाधड़ी वित्तीय वर्ष 2018-19 में हुई थी, हालाँकि माननीय न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी की घोषणा पर रोक और बाद में रोक हटने के कारण, कंपनी ने आरबीआई को उक्त धोखाधड़ी की सूचना दी है।
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में दायर नहीं की गई है।
- (ग) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी को किसी व्हिसल ब्लोअर (सूचना प्रदाता) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) (क) से (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार, अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं और स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण आदि में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा-अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।
- xiv. (क) हमारी राय में कंपनी में व्यापक तौर पर अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है।
- (ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और इस तारीख तक, कंपनी को लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
- xv. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- xvi. (क) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी को जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासन वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (घ) हमारी राय में, समूह में कोई मुख्य निवेश कंपनी (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- xvii. कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।
- xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।
- xix. वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान की पुरानी तथा अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तथा निदेशक मण्डल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलनपत्र में मौजूद अपनी देयताओं, जब वे देय हों, को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो ऐसी कोई गारंटी देते हैं और न ही ऐसा कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं, जब वे देय होती हैं, को कंपनी द्वारा अदा कर दिया जाएगा।

- xx. हमें सूचित किया गया है कि चल रही परियोजनाओं या चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- xxi. आदेश का खंड 3 (xxi) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 112318W

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 000235N/N500089

सौरभ चौहान
 भागीदार
 सदस्यता संख्या: 167453
 यूडीआईएन: 24167453BKBFYQ7823

अभिनव खोसला
 भागीदार
 सदस्यता संख्या: 087010
 यूडीआईएन: 24087010BKBOFA3815

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में।

अनुलग्नक-1

क्र. सं.	दिशानिर्देश	कृत कार्यवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	दिशानिर्देश		
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रियाओं के प्रभाव बताए जाएं।	आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास ऑडिट टेल सुविधा सहित ओरेकल ईआरपी आर12 संस्करण है। विभिन्न कार्यालयों में संगठन का सारा लेखा-जोखा केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए मौजूदा ऋण/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निर्धारण है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखाबद्ध किया जाता है? (अगर, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो क्या यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऐसा कोई मामला नहीं था और कंपनी लगातार अपने ऋण तथा उधार के दायित्वों को पूरा करती आ रही है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/ सब्सिडी आदि)का समुचित रूप से हिसाब रखा गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि (अनुदान/सब्सिडी) नहीं मिली है। हालाँकि, कंपनी को संबंधित योजनाओं के तहत विभिन्न एजेंसियों को आगे संवितरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से निधि प्राप्त होती है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 112318W

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 000235N/N500089

सौरभ चौहान

भागीदार

सदस्यता संख्या: 167453

यूडीआईएन: 24167453BKBFYQ7823

अभिनव खोसला

भागीदार

सदस्यता संख्या: 087010

यूडीआईएन: 24087010BKBOFA3815

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 16 जुलाई 2024

अनुलग्नक-II

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार हमने **आरईसी लिमिटेड** के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 112318W

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 000235N/N500089

सौरभ चौहान

भागीदार

सदस्यता संख्या: 167453

यूडीआईएन: 24167453BKBFYQ7823

अभिनव खोसला

भागीदार

सदस्यता संख्या: 087010

यूडीआईएन: 24087010BKBOFA3815

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 16 जुलाई 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गई हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2024 के अनुसार आरईसी लिमिटेड कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इस अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

- (क) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
- (ख) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्ति और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और
- (ग) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, कंपनी के सभी वास्तविक पहलुओं को छोड़कर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 112318W

सौरभ चौहान

भागीदार
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 24167453BKBFYQ7823

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 16 जुलाई 2024

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.

चार्टर्ड अकाउंटेंट,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला

भागीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 24087010BKBOFA3815

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मण्डल,

आरईसी लिमिटेड कोर-4,

स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

- यह रिपोर्ट कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के अध्याय- II के पैरा 3 (क) और 3 (ग) में निर्दिष्ट मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.पीपीडी.03/66.15.001/2016-17 दिनांक 29 सितंबर 2016 को जारी "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016" के अनुसार जारी की गई है।
- हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र, लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण और नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- कंपनी का निदेशक मण्डल भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) सहित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियम), 2015, संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी के इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में वित्तीय स्थिति का उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के लिए जिम्मेदार है इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त और डिज़ाइन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और वास्तविक गलत विवरण से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, भी शामिल है।
- प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक (इसके बाद आरबीआई या बैंक) अधिनियम, 1934 और समय-समय पर संशोधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू अन्य प्रासंगिक आरबीआई परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुपालन और सभी आवश्यक जानकारी आरबीआई को प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

- आरबीआई मास्टर परिपत्र ("निर्देश") में समेकित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित बुक और रिकॉर्ड तथा कंपनी पर लागू सीमा तक निर्देशों में निर्दिष्ट मामले पर हमारी रिपोर्ट की जांच करना हमारी जिम्मेदारी है।
- हमने अपनी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2016) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार आयोजित की है, जो कि इस प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए लागू है। इस मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की प्रासंगिक लागू आवश्यकता का अनुपालन किया है। इसके अलावा हमारी जांच कानूनी या मालिकाना प्रकृति के किसी अन्य भाग और पहलू तक विस्तारित नहीं हुई।

राय

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित बुक और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि –
 - क. कंपनी का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आईए के तहत दिनांक 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 14.000011 के तहत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व के प्रमाणपत्र के एवज में दिनांक 17 सितंबर, 2010 को नया प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें आरईसी को दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई के परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुरोधों के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया। कंपनी का नाम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से आरईसी लिमिटेड हो जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी लिमिटेड के नाम से दिनांक 28 नवंबर, 2018 को पंजीकरण सं. 14.000011 के तहत नया प्रमाणपत्र जारी किया है।
 - ख. कंपनी, 31 मार्च, 2024 के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय प्रतिरूप के संदर्भ में ऐसे पंजीकरण को नियमित रूप से धारित करने के पात्र हैं।
 - ग. कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी पर लागू निवल स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है, जैसा कि मास्टर निर्देश- भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 में निर्धारित किया गया है।

- घ. कंपनी के निदेशक मण्डल ने 09 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किसी सार्वजनिक जमा राशि को स्वीकार न करने के संबंध में एक संकल्प पारित किया है।
- ङ. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- च. वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और इसके तहत जारी संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के मान्य एवं माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। तदनुसार, अपनी ऋण परिसंपत्तियों और उनके वर्गीकरण के प्रावधानीकरण के समक्ष इम्पेयरमेंट भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन कर रही है। कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कोई प्रणाली को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के नियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए मास्टर निर्देश 2016 के निर्देश के संदर्भ में अशोध और संदिग्ध ऋण के लिए आय मान्यता, लेखांकन मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी मानदंड) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन नहीं कर सकी। फिर भी कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के तहत इस संबंध में कंपनी के आईआरएसीपी मानदंड और ईसीएल कार्यप्रणाली के बीच प्रावधान में अंतर के पालन के निर्देशों का पालन कर रही है।
- छ. क) हमारी राय में, फॉर्म एनबीएस-7 (डीएनबीएस03) में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में प्रकट किया गया पूंजी पर्याप्तता अंतिम अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर उचित प्रकार से प्राप्त हुआ है और ऐसा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्ति/जोखिम ऋण और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (एनबीएस-3 रिटर्न) के वार्षिक विवरण को कंपनी द्वारा अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर 20 अप्रैल, 2024 को जमा कर दिया गया है।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 112318W

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 000235N/N500089

नाम-सौरभ चौहान
पदनाम: भागीदार
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 24167453BKBFG6021

नाम-अभिनव खोसला
पदनाम: भागीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 24087010BKBODR2623

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल 2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2024 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछ-ताछ तथा कुछ लेखाकरण दस्तावेजों की चयनित जांच तक सीमित है। लेखापरीक्षा के बाद, सीएंडएजी की टिप्पणी 06 जुलाई 2024 को जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 30 अप्रैल 2024 की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में "व्युत्पन्न लेखांकन के उचित मूल्यांकन" पर प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को शामिल नहीं किया गया है। टिप्पणी के अनुपालन में, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 30 अप्रैल 2024 की अपनी पिछली स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अधिक्रमण करते हुए 16 जुलाई 2024 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है और अपनी संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट दिनांक 16 जुलाई 2024 में व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्यांकन पर अपनी टिप्पणियों को शामिल किया है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत संशोधित सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(एस. अह्लादिनी पांडा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (एनर्जी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2024

31 मार्च, 2024 तक समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
	परिसंपत्तियां			
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	262.75	48.70
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	2,699.75	2,346.91
(ग)	ट्रेड प्राप्त	8	153.82	113.00
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	9	12,482.02	8,981.61
(ङ)	ऋण	10	4,99,192.05	4,22,083.91
(च)	निवेश	11	5,352.32	3,170.00
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,445.42	24,422.54
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		5,44,588.13	4,61,166.67
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां(निवल)	13	309.68	305.95
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	14	2,500.96	3,307.56
(ग)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	15	630.98	639.17
(घ)	पूँजीगत चालू- कार्य	15	23.59	2.72
(ङ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	15	0.52	1.63
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	16	117.03	74.40
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		3,582.76	4,331.43
(3)	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	17	20.20	4.65
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		5,48,191.09	4,65,502.75
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	वित्तीय देयताएं		759.70	976.95
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	9		
(ख)	ट्रेड प्राप्त			
	(i) एमएसएमई का कुल बकाया देय	18	-	-
	(ii) एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय	18	90.51	41.68
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	19	2,66,063.24	2,36,902.33
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	20	1,72,092.05	1,37,114.13
(ङ)	अधीनस्थ देयताएं	21	7,412.21	6,773.30
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	22	31,959.49	25,345.11
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		4,78,377.20	4,07,153.50
(2)	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	23	66.51	10.65
(ख)	प्रावधान	24	137.34	111.62
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	25	259.79	106.45
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)		463.64	228.72
(3)	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे तौर पर जुड़ी देयताएं	17	-	0.02
(4)	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	26	2,633.22	2,633.22
(ख)	इन्स्ट्रुमेंट्स पूर्णतया इक्विटी प्रकृति के हैं	27	558.40	558.40
(ग)	अन्य इक्विटी	28	66,158.63	54,928.89
	कुल - इक्विटी (4)		69,350.25	58,120.51
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		5,48,191.09	4,65,502.75
	कंपनी सिंहावलोकन और आवश्यक लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

1 से 73

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं. : 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं. : 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	29	46,431.44	38,846.34
(ii)	लाभांश आय	30	2.28	11.89
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	31	236.03	287.17
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	37	474.48	45.31
(v)	सेवाओं की बिक्री	32	360.52	287.55
I.	प्रचालनों से कुल राजस्व (i से v)		47,504.75	39,478.26
II.	अन्य आय	33	66.48	41.90
III.	कुल आय (I+II)		47,571.23	39,520.16
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागत	34	29,947.74	23,733.33
(ii)	निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय हानि	35	166.57	1,114.04
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	36	24.26	16.29
(iv)	वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स संबंधी इम्पेयरमेंट	38	(1379.58)	142.17
(v)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	39	168.06	54.06
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	40	238.03	204.10
(vii)	मूल्यहास एवं परिशोधन	41	23.99	24.26
(viii)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय	42	251.78	203.91
(ix)	अन्य व्यय	43	170.44	130.33
IV.	कुल व्यय (i से ix)		29,611.29	25,622.49
V.	कर पूर्व लाभ (III-IV)		17,959.94	13,897.67
VI.	कर व्यय	44		
(i)	वर्तमान कर			
	- चालू वर्ष		3,329.10	2,720.50
	- पूर्व वर्ष		3.97	(147.45)
(ii)	आस्थगित कर		481.41	157.64
	कुल कर व्यय (i+ii)		3,814.48	2,730.69
VII.	अवधि के लिए लाभ (V-VI)		14,145.46	11,166.98
VIII.	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		(0.99)	(5.99)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		0.25	1.51
(ख)	एफवीओसीआई इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स के अंकित मूल्य में परिवर्तन		96.34	(58.16)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(4.86)	(0.32)
	उप-जोड़ (i)		90.74	(62.96)
(ii)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाएगा			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(3269.97)	542.33
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		822.99	(136.49)
(ख)	हेजिंग आरक्षित निधि की लागत		4,544.19	(1755.82)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(1143.68)	441.90
(ग)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	उप-जोड़ (ii)		953.53	(908.08)
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		1,044.27	(971.04)
IX.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)		15,189.73	10,195.94
X.	प्रत्येक ₹10 प्रति इकिटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (₹ में)	45		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		53.59	42.28
(2)	बंद प्रचालनों के लिए		-	-
(3)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए		53.59	42.28
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

1 से 73

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

 जे.एस. अमिताभ
 कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

 विजय कुमार सिंह
 निदेशक (परियोजना)
 डीआईएन-02772733

 विवेक कुमार देवांगन
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

 कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

 सौरभ चौहान
 भागीदार
 सदस्यता सं.: 167453

 कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

 अभिनव खोसला
 भागीदार
 सदस्यता सं.: 087010

 स्थान : मुंबई
 दिनांक : 30 अप्रैल 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व निवल लाभ	17,959.94	13,897.67
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	5.58	6.65
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	(1.32)	(4.08)
3. मूल्यहास एवं परिशोधन	23.09	24.26
4. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर इम्पेयरमेंट भत्ता	(0.09)	0.03
5. वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर इम्पेयरमेंट संबंधित हानि	(1,379.58)	142.17
6. उचित मूल्य परिवर्तन (निवल) पर हानि/(लाभ)	(471.88)	(43.76)
7. ऋण परिसंपत्तियों और उधारियों के मामले में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	(34.51)	(15.58)
8. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	135.64	-
9. अवास्तविक विदेशी मुद्रा अंतरण हानि/ (लाभ)	(993.07)	963.93
10. निवेश पर ब्याज	(42.65)	(39.53)
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	15,202.05	14,931.76
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :		
1. ऋण परिसंपत्तियां	(75,017.32)	(50,424.82)
2. व्युत्पन्न	(343.67)	790.33
3. अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	(1,495.78)	125.99
4. अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताओं और प्रावधान	7,203.83	(108.70)
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(54,450.89)	(34,685.44)
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(3,271.76)	(2,774.13)
2. आयकर वापसी		99.79
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(57,722.64)	(37,359.77)
ख. निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.11	0.02
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों की बिक्री	1.61	4.60
3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(33.63)	(17.67)
4. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास और पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	-	(0.01)
5. पूंजीकृत वित्त लागत	(0.53)	(0.03)
6. इकिटी शेयरों में बिक्री/(निवेश)	67.39	10.13
7. उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) (निवल) में विमोचन/(निवेश)	(997.94)	(457.82)
8. एचक्यूएलए (निवल) के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में विमोचन/(निवेश)	(912.98)	(343.44)
9. सहयोगी कंपनियों के शेयरों की बिक्री/(निवेश) (निवल)	(15.75)	(0.82)
10. निगम और सावधिक जमा की परिपक्वता/(निवेश)	60.75	(137.91)
निवेशात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(1830.96)	(942.95)
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
1. रूपे ऋण प्रतिभूतियां(निवल) का निर्गम / (विमोचन)	27,473.52	14,835.97
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/ (विमोचन)	(135.64)	-
3. बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रूपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (पुनर्भुगतान)	3,640.02	14,808.94
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधारियां (निवल) प्राप्त करना / (पुनर्भुगतान)	30,921.49	11,643.52
5. बोनस इकिटी शेयर निर्गम करने पर व्यय	-	(0.71)
6. अधीनस्थ देयताएं प्राप्त करना/(विमोचन) (निवल)	590.00	-
7. स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स पर कूपन भुगतान पूर्णतया इकिटी प्रकृति के है	(44.50)	(44.50)
8. इकिटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,857.05)	(3,120.37)
9. पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान	(0.02)	(0.01)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	59,587.82	38,122.84
नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	34.21	(179.88)
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	(38.89)	140.99
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	(4.69)	(38.89)

वर्ष के दौरान, समूह को ₹2.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.89 करोड़) का लाभार्श प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, समूह ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹ 249.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹211.13 करोड़) की राशि का भुगतान किया है।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	0.02	0.00
- बैंकों में शेष राशि	67.65	41.01
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	195.08	7.69
- बैंक ओवरड्राफ्ट	(267.44)	(87.59)
कुल नकदी एवं नकदी के समतुल्य	(4.69)	(38.89)

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	इंडएएस समायोजन	
31-03-2024 को समाप्त वर्ष						
रूपये ऋण प्रतिभूतियां	2,04,211.79	27,473.52	1,541.71	-	(11.24)	2,33,215.78
कमर्शियल पेपर	-	(135.64)	-	-	135.64	-
रूपये आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल	76,422.96	3,819.87	(74.45)	-	-	80,168.38
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	93,381.71	30,921.49	162.66	528.18	(222.91)	1,24,771.13
अधीनस्थ देयताएं	6,773.30	590.00	24.27	-	24.64	7,412.21
कुल	3,80,789.76	62,669.24	1,654.19	528.18	(73.87)	4,45,567.50
31-03-2023 को समाप्त वर्ष						
रूपये ऋण प्रतिभूतियां	1,89,547.46	14,835.97	(33.08)	-	(138.56)	2,04,211.79
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-
रूपे आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल	61,460.56	14,896.53	65.87	-	-	76,422.96
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	75,218.18	11,643.52	199.88	6,328.39	(8.26)	93,381.71
अधीनस्थ देयताएं	6,816.47	-	(0.01)	-	(43.16)	6,773.30
कुल	3,33,042.67	41,376.02	232.66	6,328.39	(189.98)	3,80,789.76

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचार किया गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं.: 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
अवधि के आरंभ में शेष		
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन*	2,633.22	1,974.92
अवधि के अंत में शेष	-	658.30
	2,633.22	2,633.22

विवरण के लिए टिप्पणी 26 देखें

* पिछली अवधि के दौरान, कंपनी ने रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 18 अगस्त 2022 को बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में पूर्ण भुगतान बोनस शेयरों के रूप में 10 प्रत्येक के 65,83,06,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

ख इन्स्ट्रूमेंट्स की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
अवधि के आरंभ में शेष		
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	558.40	558.40
अवधि के अंत में शेष	-	-
	558.40	558.40

ग अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत संचित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत अशोध्य और संदिग्ध विधेय आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	सामान्य आरक्षित निधि	इम्यूरमेंट आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संचुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसी आई- इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
31 मार्च 2022 के अनुसार शेष	22,302.93	196.82	5,814.00	2,236.54	(555.29)	11,839.45	-	7,186.05	-	(37.98)	194.21	(395.95)	48,780.78
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	11,166.98	-	-	-	-	11,166.98
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-	-	-	(4.48)	-	-	-	-	(4.48)
अन्य व्यापक आय (करोड़ों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58.48)	405.84	(1,313.92)	(966.56)

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष						इकिटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम की आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसी आई- इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (iii) के तहत संचित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत अशोध और संचित विशेष आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत संचित विशेष आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	इम्पेयरमेंट आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय			
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	1,162.50	405.84	(1,313.92)	10,195.94
प्रतिधारित आय में/से) अंतरण	-	-	2,211.15	-	-	-	-	(4,886.11)	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	(196.82)	-	-	-	196.82	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इकिटी इन्स्ट्रुमेंट (करों का निवल) की बिक्री/ उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	5.01	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घवधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	-	-	-	-	(487.03)	-	-	-	-	-	(487.03)
वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन	-	-	-	-	251.88	-	-	-	-	-	251.88
इन्स्ट्रुमेंट कूपन भुगतान की प्रकृति पूर्णतया इकिटी है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	(33.30)	-	-	(33.30)
उप - जोड़	2,674.96	(196.82)	2,211.15	-	(235.15)	196.82	-	(4,914.40)	-	-	(268.45)
बेनस इकिटी शेयर जारी करने के लिए प्रयुक्त	-	-	-	(658.30)	-	-	-	-	-	-	(658.30)
बेनस इकिटी शेयर जारी करने पर हुआ व्यय	-	-	-	(0.71)	-	-	-	-	-	-	(0.71)
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(3,120.37)	-	-	(3,120.37)
उप- जोड़ - स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	(659.01)	-	-	-	(3,120.37)	-	-	(3,779.38)
31 मार्च 2023 के अनुसार शेष	24,977.89	-	8,025.15	1,577.53	(790.44)	12,036.27	-	10,313.78	600.05	(1,709.87)	54,928.89

विवरण	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (iii) के तहत संचित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	इम्यूरमेंट आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	इकिटी पद्धति का उपयोग करते हुए संचुक्त उद्यम की आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसी आई- इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
31 मार्च 2023 के अनुसार शेष	24,977.89	-	8,025.15	1,577.53	(790.44)	12,036.27	-	10,313.78	-	(101.47)	600.05	(1,709.87)	54,928.89
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	14,145.46	-	-	-	-	14,145.46
परिभाषित लाभ	-	-	-	-	-	-	-	(0.74)	-	-	-	-	(0.74)
योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.48	(2,446.98)	3,400.51	1,045.01
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	14,144.72	-	91.48	(2,446.98)	3,400.51	15,189.73
प्रतिधारित आय में/(से) अंतरण	3,066.94	687.76	2,803.84	-	-	-	-	(6,558.54)	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इकिटी इन्स्ट्रुमेंट (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	48.00	-	(48.00)	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	-	-	-	-	(85.73)	-	-	-	-	-	-	-	(85.73)
वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन	-	-	-	-	201.03	-	-	-	-	-	-	-	201.03
इन्स्ट्रुमेंट कूपन भुगतान की प्रकृति पूर्णतया इकिटी है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	(33.30)	-	-	-	-	(33.30)
उप- जोड़	3,066.94	687.76	2,803.84	-	115.30	-	-	(6,543.84)	-	(48.00)	-	-	82.00

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष					इकिटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसी आई- इकिटी इन्स्ट्रुमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	(₹ करोड़ में)
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत संचित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा सौदिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	इम्पेयरमेंट आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय		
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,042.00)
उप- जोड़ - स्वामियों के साथ लेन-देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,042.00)
31 मार्च 2024 के अनुसार शेष	28,044.83	687.76	10,828.99	1,577.53	(675.14)	12,036.27	-	13,872.66	(57.99)	(1,846.93)
										1,690.64
										(4,042.00)
										66,158.63

आरक्षित निधि से आहरण/अंतरण से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 28.1 देखें

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां

1 से 73

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं.: 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अप्रैल 2024

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी" या "धारक कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कंप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित निगम कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर में, मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।

यह कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला में वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन- डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। एनबीएफसी होने के नाते कंपनी का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

कंपनी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग द्वारा 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्यों सहित गैर-विद्युत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी विविधता लाया है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य लागू / दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित इंड एस का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा 30 अप्रैल, 2024 को अधिकृत एवं स्वीकृत किया गया।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी कंपनी

अनुषंगी कंपनी ऐसा निकाय है, जो समूह द्वारा होता है। समूह किसी निकाय अथवा इकाई को तब नियंत्रित करता है जब उसके पास निवेशकर्ता पर अधिकार (शक्ति) होती है, वह उस निकाय के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील (चर) लाभ रिटर्न के बारे में परिचित होता है या उसका अधिकार उसके पास होता है और इकाई पर अपनी अधिकार के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है जिससे उस पर उसका नियंत्रण शुरू होता है और जिससे उस पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समूह धारक कंपनी और अपनी

अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इकिटी, आय और व्यय की समान मदों को लाइन बाई लाइन जोड़ कर समेकित करता है।

इकिटी खाते में निवेशकर्ता

इकिटी में समूह के हितों की गणना ऐसे निवेशकर्ताओं के लिए की जाती है, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम में जिनके हित शामिल होते हैं।

एक सहयोगी कंपनी, जिसमें एक गैर-निगमित इकाई भी शामिल है, एक ऐसी इकाई अथवा निकाय है, जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह न तो एक अनुषंगी कंपनी है और न ही किसी संयुक्त उद्यम में उसका कोई हित निहित होता है। सहयोगी कंपनियों में हितों की गणना इकिटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इन हितों को शुरू में ऐसी लागत में मान्यता दी जाती है, जिसमें लेन-देन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इकिटी-अकाउंटेंट निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, अगर यह आकलन किया जाता है कि सहयोगी कंपनियों में निवेश / हित बिक्री के लिए रखा गया है, तो ऐसे मामलों में सहयोगी कंपनियों में हित की गणना भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 105 के तहत की जाएगी।

एक संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देयताओं के लिए अपनी परिसंपत्तियों और अपनी देयताओं की दायित्वों के अधिकारों के ब्याज व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यम में हितों की गणना इकिटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हे शुरू में ऐसी लागत के रूप में मान्यता दी जाती हैं जिसमें लेन-देन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इकिटी-अकाउंटेंट निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

3.2 समेकन पर समाप्त किए गए संयवहार

समूह के भीतर बकाया राशियों और लेन-देन और समूह के भीतर लेन-देन से होने वाली किसी भी अघोषित आय और खर्च को समाप्त कर दिया जाता है। इकिटी अकाउंटेंट निवेशकर्ताओं के साथ लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अघोषित लाभ को निवेशकर्ता में समूह के हित की सीमा तक निवेश के लिए समाप्त कर दिया जाता है। अघोषित लाभ की तरह ही अघोषित हानि को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल इस हद तक कि यहां इम्पेयरमेंट का कोई सबूत नहीं है।

3.3 तैयारी और मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोन्नत प्रणाली के बाद गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये ("आईएनआर"), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.4 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है : (i) आरईसी की लागत और खर्च (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट इम्पेयरमेंट ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभावों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात् वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है।

विवेक के मामले के रूप में क्रेडिट इम्पेयरमेंट ऋण परिसंपत्तियों पर आय को प्राप्त होने पर या संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुसूची ब्याज आय के समक्ष निवल आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय प्रदान की गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत शुल्क की राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्भवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभावों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में समूह द्वारा किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने (बिक्री) से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना बनी रहे है कि समूह को आर्थिक लाभ प्रवाहित होते रहेंगे और राजस्व को विश्वसनीय के साथ मापा जा सकता है।

समूह भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को कितनी और कब मान्यता दी जानी है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय अनुसूची और अनिश्चितता आदि क्या है। उसी के अनुसार, राजस्व को पाँच चरण वाले दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता दी जाती है:

- (i) ग्राहक के साथ अनुबंध (अनुबंधों) की पहचान करना;
- (ii) अनुबंध में अलग-अलग कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान करना;
- (iii) लेन-देन का मूल्य निर्धारित करना;
- (iv) कार्यनिष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन की कीमत आवंटित करना; तथा
- (v) कार्यनिष्पादन दायित्वों से संतुष्ट होने पर राजस्व को मान्यता देना।

राजस्वों का मापन प्राप्त या प्राप्य विचारण, छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों के निवल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

कॉस्ट प्लस अनुबंधों में - राजस्व को मान्यता अनुबंध के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक मार्जिन को शामिल कर दी जाती है;

निर्धारित मूल्य अनुबंधों में - राजस्व को मान्यता अनुबंध के पूरा होने के चरण के आधार पर दी जाती है। समूह ने आकलन किया है कि अनुबंध के पूरा होने के चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो भारतीय लेखांकन मानक (एस) 115 के अंतर्गत इन कार्यनिष्पादन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति का एक उपयुक्त मापक है।

यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो राजस्व, लागत या पूर्ण होने की दिशा में प्रगति के अनुमानों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ प्रबंधन द्वारा ज्ञात हो जाती हैं।

टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं/डेवलपर्स से लिए जाने वाले व्यावसायिक प्रभावों की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि व्यावसायिक प्रभावों का अंतिम संग्रहण किया जाएगा।

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया जाता है और अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय समूह द्वारा अपने पास रखी जाती है और इसकी गणना समूह की आय के रूप में की जाती है।

3.5 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियों अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभावित हैं।

3.6 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.7 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेन-देन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेन-देन को, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनः अंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेन-देन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए संबंधित वहन की राशि को परिशोधित नहीं किया जाता है।

भूमि में वित्तीय पट्टे के तहत रखी गई भूमि भी शामिल है, जिसका पट्टे की अवधि में परिशोधित होता है।

अन्य मूल्य परिसंपत्तियां

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे समूह के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक समूह में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यहास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और इम्पेयरमेंट)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यहास लागत और इम्पेयरमेंट हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभावित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास 5,000 / - रुपये तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का इम्पेयरमेंट के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूँजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूँजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूँजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूँजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.9 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन प्रारंभ में लागत पर किया जाता है। जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य) परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को इम्पेयरमेंट होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूँजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं 'उन्हें अग्रिम पूँजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.10 पट्टा लेखांकन:

समूह अल्पकालिक या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

समूह अनुबंध की शुरूआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई अनुबंध पट्टा अनुबंध है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी अनुबंध, या एक अनुबंध के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या अनुबंध मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करती है या नहीं, जोकि है :

- अनुबंध में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियां शामिल होती है, जिसे या तो अनुबंध में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियां उपलब्ध कराई गई है।
- समूह को अनुबंध की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निर्देशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति का उपयोग "कैसे और किस उद्देश्य के लिए" किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा अवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमैटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों का मूल्यहास करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर इम्पेयरमेंट के लिए राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिम्बित करने के लिए या यदि इन-यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों में और यदि राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.11 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को समूह द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या

कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जहां समूह किसी इकाई के नियंत्रण के नुकसान से युक्त बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह निकाय में निवेश (अर्थात उस निकाय की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं) को बिक्री के रखी गई परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।

3.12 वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स

वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटीटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटीटी की वित्तीय देयता या इकिटी इंस्ट्रुमेंट को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रुमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में इम्पेयरमेंट हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का इम्पेयरमेंट हो। इम्पेयरमेंट का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

मूल्यहास भत्ता (अपेक्षित ऋण हानि) परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर निर्धारित किया जाता है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो समूह वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतों या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार लेन-देन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न होस्ट अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त इंस्ट्रूमेंट के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी होस्ट अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं और जोखिम होस्ट अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर होस्ट अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, जब तक कि प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेन-देन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

समूह एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी इम्पेयरमेंट हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक

अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य है :

- हेज की गई मद और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में निर्धारित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में समूह हेज संबंधों को समूह के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए आइटम की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग इंस्ट्रुमेंट बाहर निकालना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं। यदि हेज किए गए आइटम की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.13 वित्तीय परिसंपत्तियों का इम्पेयरमेंट

ऋण परिसंपत्तियाँ

यह समूह प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित ऋण घाटा (ईसीएल) के रूप में हानि के लिए एक 'तीन-स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें इम्पेयरमेंट के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में इम्पेयरमेंट के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाइफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाइफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी डिफॉल्ट होने पर कंपनी के नुकसान की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से डिफॉल्ट हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी के चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाइफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाइफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने

वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलना-पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलना-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण ने आदेश दिया हो।

3.14 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.15 लाभांश और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत इंस्ट्रुमेंट्स के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। इंस्ट्रुमेंट धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब समूह द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.16 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देयताओं और इक्विटी को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

3.17 पूर्व प्रदत्त व्यय

1,00,000/- रुपये तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.18 करधान

लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कर व्यय के अंतर्गत स्थगित कर और वर्तमान कर का योग शामिल होता है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुसूची कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं ऑफसेट

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देयताओं में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इकिटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इकिटी में दी जाती है।

3.19 कार्मिक हितलाभ

अल्पकालिक कार्मिक हितलाभ

अल्पकालिक कार्मिक हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कार्मिकों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कार्मिकों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कार्मिकों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कार्मिक के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कार्मिकों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कार्मिक को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कार्मिक के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांकिकों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/

हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कार्मिक हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित इम्पेयरमेंट अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कार्मिक को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कार्मिक लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.20 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तों के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पृष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित अन्य पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.21 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय इंस्ट्रुमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्न को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में देयता को अंतरित करने के लिए

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेन-देन में होता है:

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए। किसी परिसंपत्तियों या देनदारी के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, जिनका मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1** – समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2** – मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचारणीय है।
- स्तर 3** – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.22 वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निवल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है।

3.23 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग

करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियाँ उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।
- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देयताओं को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।
- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनर्कथित किया जाता है जैसे कि वित्तीय विवरणों में कारोबार कॉम्बिनेशन पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही कॉम्बिनेशन की वास्तविक तिथि कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिज़र्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिज़र्व बन जाते हैं।

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ-साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिज़र्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.24 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभाषित किया जाता है।

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। समूह ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, एमसीए ने कंपनी पर लागू होने वाला कोई नया इंड-एएस जारी नहीं किया है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित हैं और इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन - इस प्रकार के परिवर्तनों, यदि कोई हो, को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जब संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि और यदि यह वर्तमान और भविष्य दोनों अवधियों को प्रभावित करता है तो उसे संशोधित किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं को मान्यता - वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिज़र्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिज़र्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिज़र्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर देयता की मान्यता - वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए घोषित लाभांश की सीमा तक इक्विटी निवेशों से लाभांश आय के संबंध में लागू कर कानूनों में प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई कर देयता की उम्मीद तब नहीं करती है जब इस तरह के रिजर्व वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए, कंपनी समूह कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

एसपीवी में निवेश - पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार से आदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को एक तरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले सहयोगी कंपनियों के रूप में मानता है, जबकि उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कंपनी की शेयरधारिता 100% होती है।

क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - विवेक के मामले के रूप में क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर आय को प्राप्त होने पर या संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

महत्वपूर्ण आकलन

मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर

आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय इंस्ट्रुमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रुमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
6. नकदी एवं नकदी के समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
- हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	0.02	-
- बैंकों में शेष राशि		
- चालू खातों में	67.65	41.01
- 3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	195.08	7.69
कुल	262.75	48.70

7. बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
- बैंकों में चिन्हित शेष		
- अप्रदत्त लाभांश के लिए	1,192.72	6.79
- अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	69.55	170.63
- चिन्हित सावधिक जमा राशि		
- न्यायालय आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.67	0.62
- सावधिक जमा राशि-डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि	-	196.35
- 54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के लंबित आवंटन के लिए बैंकों के पास शेष राशि उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है	1,245.41	1,720.36
- अन्य सावधिक राशि	191.40	252.16
कुल	2,699.75	2,346.91
- 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सावधिक जमा	168.39	181.30
- 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधिक जमा	23.01	70.86

7.1 नकदी और नकदी के समतुल्य एवं बैंकों में शेष राशि के संबंध में 31 मार्च 2024 तक (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा) कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

8. ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	115.13	128.73
घटाएं: प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(8.83)	(25.67)
	106.30	103.06
(ख) ट्रेड प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	58.90	37.62
घटाएं: प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(16.58)	(28.07)
	42.32	9.55
(ग) क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्य	39.46	56.35
घटाएं: प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(34.26)	(55.96)
	5.20	0.39
कुल ट्रेड प्राप्य (क+ख+ग)	153.82	113.00

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

8.1. ट्रेड प्राप्य एंजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक बकाया राशि					
	6 माह से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) - निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
- शोध समझे गए	85.37	29.76	-	-	-	115.13
- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	50.10	8.80	-	58.90
- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	39.46	39.46
उप-जोड़ (i)	85.37	29.76	50.10	8.80	39.46	213.49
(ii) - निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
- शोध समझे गए	-	-	-	-	-	-
- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (ii)	-	-	-	-	-	-
कुल (i+ii)	85.37	29.76	50.10	8.80	39.46	213.49

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि					
	6 माह से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) - निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
- शोध समझे गए	97.52	31.21	-	-	-	128.73
- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	21.32	16.30	-	37.62
- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	56.35	56.35
उप-जोड़ (i)	97.52	31.21	21.32	16.30	56.35	222.70
(ii) - निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
- शोध समझे गए	-	-	-	-	-	-
- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (ii)	-	-	-	-	-	-
कुल (i+ii)	97.52	31.21	21.32	16.30	56.35	222.70

9. व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने के लिए व्युत्पन्न में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे हेजेज शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देयताओं के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए टिप्पणी 51 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
- मुद्रा स्वैप्स	3,126.52	43.34	38.13	3,083.13	47.50	58.13
- अन्य						
- कॉल स्प्रेड	-	-	-	2,055.42	208.14	-
- सीगुल विकल्प	1,21,107.24	11,070.97	411.82	80,362.47	8,007.42	87.89
उप-जोड़ (i)	1,24,233.76	11,114.31	449.95	85,501.02	8,263.06	146.02
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	72,128.13	1,367.71	309.75	46,278.27	718.55	300.82
उप-जोड़ (ii)	72,128.13	1,367.71	309.75	46,278.27	718.55	300.82
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
- रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	4,947.00	-	530.11
कुल-व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स (i+ii+iii)	1,96,361.89	12,482.02	759.70	1,36,726.29	8,981.61	976.95

भाग II

भाग- I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) नकदी प्रवाह हेजिंग						
- ब्याज दर व्युत्पन्न						
- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	15,950.70	-	297.73	15,950.70	10.32	289.34
उप-जोड़ (i)	15,950.70	-	297.73	15,950.70	10.32	289.34
(ii) नकदी प्रवाह हेजिंग						
- मुद्रा व्युत्पन्न						
- मुद्रा स्वैप्स	3,126.52	43.34	38.13	3,083.13	38.85	-
- अन्य						
- कॉल स्प्रेड	-	-	-	2,055.42	208.14	-
- सीगुल विकल्प	1,21,107.24	11,070.96	411.82	80,362.47	7,979.02	85.76
- ब्याज दर व्युत्पन्न						
- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	49,477.43	905.30	12.02	23,627.57	337.69	11.48
उप-जोड़ (ii)	1,73,711.19	12,019.60	461.97	1,09,128.59	8,563.70	97.24
(iii) गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	6,700.00	462.42	-	11,647.00	407.59	590.37
कुल - व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स (i+ii+iii)	1,96,361.89	12,482.02	759.70	1,36,726.29	8,981.61	976.95

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेजेज में हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। उचित मूल्य हेजेज के मामले में, हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ-साथ हेज्ड वस्तुओं की वहन राशि में उचित मूल्य परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। गैर- नामोदित डेरिवेटिव के लिए, उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

10 ऋण

कंपनी ने भारतीय-लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) ऋण				
(i) सावधिक ऋण	4,62,090.27	4,63,975.61	4,08,463.40	4,09,638.42
(ii) कार्यशील पूंजीगत ऋण	47,280.68	47,596.96	26,548.39	26,709.24
कुल (क)- सकल ऋण	5,09,370.95	5,11,572.57	4,35,011.79	4,36,347.66
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(12,380.52)	(12,380.52)	(14,263.75)	(14,263.75)
कुल (क)- निवल ऋण	4,96,990.43	4,99,192.05	4,20,748.04	4,22,083.91
(ख) प्रतिभूति का ब्यौरा				
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,47,650.53	2,48,205.98	2,42,310.94	2,42,633.17
(ii) सरकारी गारंटी के अंतर्गत	2,24,500.49	2,25,967.86	1,72,069.58	1,73,004.21
(iii) अप्रतिभूत	37,219.92	37,398.72	20,631.27	20,710.28
कुल(ख)- सकल ऋण	5,09,370.95	5,11,572.57	4,35,011.79	4,36,347.66
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(12,380.52)	(12,380.52)	(14,263.75)	(14,263.75)
कुल(ख) - निवल ऋण	4,96,990.43	4,99,192.05	4,20,748.04	4,22,083.91
(ग)(II) भारत में ऋण				
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	4,54,647.08	4,56,894.28	3,93,225.23	3,94,571.78
(ii) निजी क्षेत्र	54,723.87	54,678.29	41,786.56	41,775.88
कुल (ग) (I) - सकल ऋण	5,09,370.95	5,11,572.57	4,35,011.79	4,36,347.66
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(12,380.52)	(12,380.52)	(14,263.75)	(14,263.75)
कुल (ग) (I)- निवल ऋण	4,96,990.43	4,99,192.05	4,20,748.04	4,22,083.91
(ग)(II) भारत से बाहर ऋण	-	-	-	-
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	-	-	-
कुल (ग) (II) - निवल ऋण	-	-	-	-
कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	4,96,990.43	4,99,192.05	4,20,748.04	4,22,083.91

10.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
निवल ऋण	4,99,192.05	4,22,083.91
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(300.36)	(60.23)
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(2,201.98)	(1,436.81)
जोड़ें: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए भत्ता	12,380.52	14,263.75
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	300.72	161.17
सकल ऋण	5,09,370.95	4,35,011.79

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
10.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
प्रारम्भिक शेष	14,263.75	14,704.66
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 38 देखें)	(1,383.21)	110.17
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ हेतु प्रयुक्त भत्ते	(500.02)	(551.08)
अंतिम शेष	12,380.52	14,263.75

10.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही / वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹ 500.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 551.08 करोड़) की राशि के ऋणों को रिटन-ऑफ किया है। चालू वर्ष के लिए राइट-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

- (क)** आरबीआई परिपत्र "दवाबग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा" दिनांक 07-06-2019 के तहत डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 21 दिसंबर 2023 को निष्पादित पुनर्गठन समझौते के अनुसार, कंपनी को ₹ 415.99 करोड़ (सावधिक ऋण ₹ 415.99 करोड़ और वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य) की वसूली के विनियोजन के बाद ₹ 366.88 करोड़ का पूरा बकाया ₹ 40.17 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ प्राप्त हुआ है।
- (ख)** मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 10 अगस्त 2023 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने ₹ 211.23 करोड़ (₹ 50.90 करोड़ नकद और ₹ 160.33 करोड़ के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) की वसूली के बाद ₹ 488.42 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 499.61 करोड़ की राशि को रिटन ऑफ किया है।
- (ग)** क्लासिक ग्लोबल लिमिटेड के संबंध में 20 नवंबर 2023 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार, कंपनी ने ₹ 2.91 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 2.50 करोड़ की नकद वसूली को विनियमित करने के बाद ₹ 0.41 करोड़ की राशि को रिटन ऑफ किया है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

- (क)** झाबुआ पावर लिमिटेड के संबंध में 5 सितंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने ₹ 310.63 करोड़ (नकद ₹ 77.41 करोड़, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) की वसूली के बाद ₹ 51.48 करोड़ और इक्विटी ₹ 181.74 करोड़) ₹ 197.09 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 10.41 करोड़ की राशि राइट ऑफ किया है।
- (ख)** दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में 16 सितंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, कंपनी ने ₹ 922.09 करोड़ का संपूर्ण बकाया ऋण और ₹ 1,055.00 करोड़ की नकद वसूली के बाद ₹ 461.05 करोड़ के ईसीएल में कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के बाद अतिदेय ब्याज ₹ 132.91 करोड़ की वसूली की है।
- (ग)** "इंड बाराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड के संबंध में 27 दिसंबर 2022 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने इक्विटी और ₹ 624.01 करोड़ की ईसीएल की कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ नकद वसूली के कुल ₹ 240.84 करोड़ के विनियोजन के बाद ₹ 536.16 करोड़ की राशि को राइट ऑफ किया है।
- (घ)** एटीएन इंटरनेशनल लिमिटेड के संबंध में 2 दिसंबर 2022 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार, कंपनी ने ₹ 6.00 करोड़ की कुल वसूली के बाद ₹ 9.45 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 3.45 करोड़ की राशि राइट ऑफ कर दी है (जिसमें से ₹ 4.15 करोड़ वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुए थे)
- (ङ)** सिलिकॉन वैली इन्फोटेक लिमिटेड के संबंध में 2 दिसंबर 2022 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार, कंपनी ने ₹ 1.85 करोड़ की कुल वसूली के बाद ₹ 2.91 करोड़ के ईसीएल के कॉरिस्पोंडिंग रिवर्सल के साथ ₹ 1.06 करोड़ की राशि राइट ऑफ कर दी है (जिसमें से ₹ 1.35 करोड़ वित्त वर्ष 2023 में प्राप्त होंगे)-24)।

10.4 कंपनी तुलन पत्र की तिथि के अनुसार शेष राशि के लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करती है। उधारकर्ताओं से प्राप्त शेष राशि की पुष्टि का सारांश इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी की सकल ऋण बही		5,09,370.95		4,35,011.79
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है	94%	4,76,725.31	93%	4,06,179.64

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	%	राशि	%	राशि
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसमें से,	6%	32,645.64	7%	28,832.15
मूर्त परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऋण	47%	15,457.53	54%	15,630.88
सरकारी गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋण/सरकार को दिए जाने वाले ऋण	34%	11,149.39	25%	7,065.14
अप्रतिभूत ऋण	19%	6,038.73	21%	6,136.12

- 10.5 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(यों) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इनके जैसा कुछ प्रदान करें।

11. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7= 5+6)
31 मार्च, 2024 तक							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,624.08	-	-	-	1,624.08	-	1,624.08
ऋण प्रतिभूतियां	2,176.20	-	1,065.03	-	3,241.23	-	3,241.23
इक्विटी दस्तावेज	-	410.64	76.37	-	487.01	-	487.01
अधिमानित शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
कुल - सकल (क)	3,829.00	410.64	1,141.40	-	5,381.04	-	5,381.04
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	3,829.00	410.64	1,141.40	-	5,381.04	-	5,381.04
कुल - सकल (ख)	3,829.00	410.64	1,141.40	-	5,381.04	-	5,381.04
कुल निवेश	3,829.00	410.64	1,141.40	-	5,381.04	-	5,381.04
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
कुल - निवल (घ=क-ग)	3,800.28	410.64	1,141.40	-	5,352.32	-	5,352.32
31 मार्च, 2023 तक							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,431.74	-	-	-	1,431.74	-	1,431.74
ऋण प्रतिभूतियां	766.90	-	562.34	-	1,329.24	-	1,329.24
इक्विटी दस्तावेज	-	381.71	27.31	-	409.02	-	409.02
अधिमानित शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
कुल - सकल (क)	2,227.36	381.71	589.65	-	3,198.72	-	3,198.72

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्ट			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7= 5+6)
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	2,227.36	381.71	589.65	-	3,198.72	-	3,198.72
कुल - सकल (ख)	2,227.36	381.71	589.65	-	3,198.72	-	3,198.72
कुल निवेश	2,227.36	381.71	589.65	-	3,198.72	-	3,198.72
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(28.72)	-	-	-	(28.72)	-	(28.72)
कुल - निवल (घ=क-ग)	2,198.64	381.71	589.65	-	3,170.00	-	3,170.00

11.1 निवेशों के ब्योरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क) कुल-केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-उद्धृत (एचक्यूएलए)*	परिशोधित लागत	15,86,33,000	1,624.08	13,97,12,800	1,431.74
(ख) ऋण प्रतिभूतियां					
(i) कॉर्पोरेट बॉण्ड - उद्धृत (एचक्यूएलए)*					
- 9.95% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	परिशोधित लागत	3,700	373.32	3,000	300.00
- 9.62% आंध्र प्रदेश स्टेट बेवेरेज्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल)	परिशोधित लागत	1,235	127.86	-	-
- 9.70% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	परिशोधित लागत	550	56.85	-	-
- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के 8.49% ग्रीन बॉण्ड्स - उद्धृत	परिशोधित लागत	4,998	49.98	-	-
- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) का 9.10% घरेलू बॉण्ड्स श्रृंखला II - उद्धृत	परिशोधित लागत	49,994	500.56	-	-
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 8% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	1,000	102.98	1,000	102.97
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 7.05% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	850	88.09	850	88.12
- भारतीय खाद्य निगम के 6.65% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	20.61	200	20.61
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 7.19% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	250	26.30	250	26.31
- दामोदर घाटी निगम के 8.69% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	21.06	200	21.35
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7.30% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	21.98	200	22.22
- चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5.78% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	150	15.62	150	15.62

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6.11% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	100	10.47	100	10.49
- एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के 7.30% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	21.15	200	21.35
(ii) ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलए के अलावा)					
- जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीजीआईएल) के 10% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर - उद्धृत	परिशोधित लागत	49,488	493.20	-	-
- केनरा बैंक के 7.99% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	200	208.49	200	208.47
- यूको बैंक के 9.50% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228	228.80	228	228.79
- पंजाब नेशनल बैंक के 8.55% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	500	510.65	-	-
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की शृंखला क - गैर-उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	15,22,63,003	81.30	16,54,03,256	86.85
- 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की शृंखला ख - गैर-उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	6,70,35,820	35.79	7,28,21,001	38.23
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की शृंखला ग - गैर-उद्धृत**	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,86,35,162	-	1,86,35,162	-
- फेरो अलॉयज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - गैर-उद्धृत	परिशोधित लागत	-	-	2,55,19,173	56.40
- मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - गैर-उद्धृत	परिशोधित लागत	2,50,95,356	169.01	-	-
- झाबुआ पावर लिमिटेड के 8.50% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - गैर-उद्धृत	परिशोधित लागत	45,04,532	45.05	49,33,536	49.34
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला क - गैर-उद्धृत **	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	21,38,03,170	-	21,38,03,170	-
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला ख - गैर-उद्धृत**	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	63,03,032	-	63,03,032	-
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला एआई- गैर-उद्धृत**	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,74,150	-	1,04,74,150	-
- डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) - गैर-उद्धृत **	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	2,13,75,000	-	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
- आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के 15 वर्ष के प्रतिभूत प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय पर 7.39% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	86,798	8.82	86,798	8.81
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	42,855	4.60	42,855	4.60
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) का 7.39% कर मुक्त	परिशोधित लागत	35,463	3.68	35,463	3.68
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरडीए) के 7.49% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	61,308	6.21	61,308	6.22
- भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	22,338	2.31	22,338	2.31
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	14,028	1.40	14,028	1.41
- आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 8.76% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	50,000	5.09	50,000	5.09
कुल (ख) - ऋण प्रतिभूतियाँ (i+ii)			3,241.23		1,329.24
(ग) इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स			-		-
(i) कुल - अनुषंगी					
(ii) अन्य					
- एनएचपीसी लिमिटेड- उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,69,555	93.91	1,63,51,580	65.73
- हुडको लिमिटेड- उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	3,47,429	1.50
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	21,81,00,000	136.50	21,81,00,000	140.43
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,60,00,000	-	1,60,00,000	-
- झाबुआ पावर लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	2,78,85,211	177.72	2,78,85,211	173.42
- इंड बाराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	127	2.51	127	0.63
- रतन इंडिया पावर लिमिटेड- उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9,25,68,105	76.37	9,25,68,105	27.31

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड- गैर-उद्धृत **	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,17,90,667	-	18,17,90,667	-
कुल - अन्य			487.01		409.02
कुल (ग) - इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स (i+ii)			487.01		409.02
अधिमानित शेयर - गैर-उद्धृत					
- प्रतिदेय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी	परिशोधित लागत	2,87,20,978	28.72	2,87,20,978	28.72
- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	4,33,03,616	-	4,33,03,616	-
(घ) कुल - अधिमानित शेयर			28.72		28.72
अन्य					
(ङ) कुल - अन्य			-		-
कुल निवेश (च= क से ङ)			5,381.04		3,198.72
घटाएँ: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (छ)			(28.72)		(28.72)
कुल - निवल (ज=च-छ)			5,352.32		3,170.00

उचित मूल्य पर दिखाए गए निवेश की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 55.1 देखें

* आरबीआई परिपत्र दिनांक 4 नवंबर, 2019 के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) बनाए रखी गई है।

** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के लिए प्राप्त।

11.2 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	28.72	28.72
जोड़ें: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	-
घटाएँ: निवेश को राइट ऑफ करने के लिए उपयोग किया जाने वाला भत्ता	-	-
अंतिम शेष	28.72	28.72

11.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही/वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) चालू वर्ष के दौरान:

- (क) डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन समझौते के अनुसार, कंपनी को 2,13,75,000, 0.01% वैकल्पिक-परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आवंटित किए गए हैं जिनका अंकित मूल्य ₹ 100/- है।
- (ख) मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी को 2,50,95,356, 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आवंटित किए गए हैं जिनका अंकित मूल्य ₹100/- है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान:

- (क) झाबुआ पावर लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी को ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले 2,78,85,211 इक्विटी शेयर और 8.50% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में प्रत्येक ₹100/- के अंकित मूल्य वाले के 51,48,038 शेयर आवंटित किए गए हैं।
- (ख) इंड बाराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी को ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले 127 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

11.4 कंपनी ने कुछ इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स को एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) में नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी के संचालन में केवल एक व्यावसायिक क्षेत्र शामिल है जैसे विद्युत, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस प्रकार, इन इन्स्ट्रुमेंट्स के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण को अलग करने के लिए, प्रबंधन का मानना है कि यह उन्हें एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) में वर्गीकृत करने के बजाय अधिक सार्थक प्रेजेंटेशन प्रदान करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
वर्ष के दौरान अमान्य किए गए एफवीओसीआई निवेशों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	अमान्य शेयरों की संख्या	मान्यता रद्द होने के समय उचित मूल्य	मान्यता रद्द होने के समय संचयी लाभ/ (हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	मान्यता रद्द होने के समय उचित मूल्य	मान्यता रद्द होने के समय संचयी लाभ/ (हानि)
एनएचपीसी लिमिटेड	58,82,025	60.94	48.14	24,91,604	10.13	4.70
हुडको लिमिटेड	3,47,429	6.45	4.37	0.00	0.00	0.00

वित्त वर्ष 23-24 के दौरान, कंपनी ने बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्रमशः ₹ 60.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.13 करोड़) और ₹ 6.45 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) एनएचपीसी लिमिटेड के 58,82,025 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष शेयरों की संख्या 24,91,604) और हुडको लिमिटेड (पिछले वर्ष शून्य) के पूरे 3,47,429 इक्विटी शेयर बेचे हैं। इस प्रकार शेयरों की मान्यता रद्द कर दी गई है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

- 11.5** कंपनी के निदेशक मण्डल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी ("जीआईएफटी"), गांधीनगर, गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में अनुमेय गतिविधियों से निपटने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (डब्ल्यूओएस) के निगमन को मंजूरी दे दी है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है। वित्त कंपनी को मौजूदा एफईएमए नियमों के तहत एक अनिवासी इकाई के रूप में समझा जाएगा और एकीकृत नियामक यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा शासित किया जाएगा। कंपनी ने 8 फरवरी, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक को एक आवेदन देकर ऐसी इकाई स्थापित करने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" (एनओसी) मांगा है।

12 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 12.1 देखें)	57.99	44.56
(ख) कार्मिकों को अग्रिम	0.90	0.49
(ग) धारक /अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	0.51	3.54
(घ) प्रतिभूति जमा राशि	1.55	1.52
(ङ) भारत सरकार से वसूली योग्य		
भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 22.5 देखें)	24,319.40	24,318.29
(च) अन्य वसूली योग्य राशि	132.86	149.35
घटाएं : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (टिप्पणी 12.2 के संदर्भ में)	(67.79)	(95.21)
अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	65.07	54.14
कुल (क से च)	24,445.42	24,422.54

12.1 कार्मिकों को दिए गए ऋणों का विवरण (शोध समझे गए)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत में वर्गीकृत निर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान शेड्यूल के साथ कार्मिकों को ऋण दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) प्रतिभूत ऋण		
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.06	0.12
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	37.38	28.28
उप - जोड़ (क)	37.44	28.40
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.24	0.10

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	20.31	16.06
उप - जोड़ (ख)	20.55	16.16
जोड़ (क + ख)	57.99	44.56

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹10.3 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.27 करोड़) है, शामिल है।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
प्रारम्भिक शेष	95.21	91.17
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	8.68	9.77
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(36.10)	(5.73)
अंतिम शेष	67.79	95.21

13. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	305.47	2,956.82
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	(0.80)	(2,655.88)
उप- जोड़ (1)	304.67	300.94
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.26	5.26
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(0.25)
उप- जोड़ (2)	5.01	5.01
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	309.68	305.95

14. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2,500.96	3,307.56

14.1 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	3,376.59	(529.97)	-	-	2,846.62
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	6.80	1.71	-	-	8.51
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.19	0.23	-	-	5.42
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	0.12	(0.19)	-	-	(0.07)
निवेशों का उचित मूल्यांकन	14.49	(11.66)	(4.50)	-	(1.67)
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	446.46	35.48	(320.69)	-	161.25
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,849.65	(504.40)	(325.19)	-	3,020.06

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यहास और परिशोधन	26.49	6.14	-	-	32.63
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव	218.30	(30.87)	-	-	187.43
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	232.11	11.25	-	-	243.36
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	65.19	(9.51)	-	-	55.68
कुल आस्थगित कर देयताएं	542.09	(22.99)	-	-	519.10
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,307.56	(481.41)	(325.19)	-	2,500.96

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	3,481.30	(104.71)	-	-	3,376.59
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	6.63	0.17	-	-	6.80
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.41	(0.22)	-	-	5.19
निवेशों का उचित मूल्यांकन	8.41	6.40	(0.32)	-	14.49
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	1.22	(1.10)	-	-	0.12
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	65.07	75.98	305.41	-	446.46
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	-	-	-	-	-
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	3,568.04	(23.48)	305.09	-	3,849.65
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यहास और परिशोधन	12.46	14.03	-	-	26.49
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव	151.05	67.25	-	-	218.30
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	216.24	15.87	-	-	232.11
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	28.17	37.02	-	-	65.19
कुल आस्थगित कर देयताएं	407.92	134.17	-	-	542.09
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,160.12	(157.66)	305.09	-	3,307.56

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
15. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां										पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासार्थीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि के उपयोग का अधिकार	भवन	संयंत्र एवं उपस्कर	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	कुल				
सकल धारित मूल्य													
31.03.2022 तक	110.39	1.59	430.83	19.90	67.75	26.71	24.15	0.40	681.72	6.07	-	-	14.81
परिवर्धन	-	-	26.07	0.20	3.64	5.49	7.76	0.14	43.30	22.69	-	-	0.01
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-
निपटान	-	-	-	0.04	3.70	5.62	6.39	-	15.75	26.07	-	-	0.10
31.03.2023 तक	110.39	1.59	456.90	20.06	67.69	26.58	25.52	0.54	709.27	2.72	-	-	14.72
31.03.2023 तक	110.39	1.59	456.90	20.06	67.69	26.58	25.52	0.54	709.27	2.72	-	-	14.72
परिवर्धन	-	-	-	0.39	2.68	9.19	7.95	0.18	20.39	20.34	-	-	-
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.53	-	-	-
निपटान/ समायोजन	-	-	-	-	3.10	3.60	6.73	0.01	13.44	-	-	-	0.01
31.03.2024 तक	110.39	1.59	456.90	20.45	67.27	32.17	26.74	0.71	716.22	23.59	-	-	14.71
संचयी मूल्यहास/ परिशोधन													
31.03.2022 तक	-	0.37	13.51	0.95	10.94	19.23	12.32	0.37	57.69	-	-	-	10.53
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	7.10	1.28	6.05	3.62	3.51	0.02	21.60	-	-	-	2.66
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	1.28	4.15	3.75	0.01	9.19	-	-	-	0.10
31.03.2023 तक	-	0.39	20.61	2.23	15.71	18.70	12.08	0.38	70.10	-	-	-	13.09
31.03.2023 तक	-	0.39	20.61	2.23	15.71	18.70	12.08	0.38	70.10	-	-	-	13.09
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.02	7.21	1.29	6.13	4.49	3.70	0.04	22.88	-	-	-	1.11
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	1.59	2.55	3.60	-	7.74	-	-	-	0.01
31.03.2024 तक	-	0.41	27.82	3.52	20.25	20.64	12.18	0.42	85.24	-	-	-	14.19
31.03.2023 तक निवल ब्लॉक	110.39	1.20	436.29	17.83	51.98	7.88	13.44	0.16	639.17	2.72	-	-	1.63
31.03.2024 तक निवल ब्लॉक	110.39	1.18	429.08	16.93	47.02	11.53	14.56	0.29	630.98	23.59	-	-	0.52

(₹ करोड़ में)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.1. कंपनी द्वारा अर्जित अचल संपत्ति के संबंध में टाइटल विलेख के पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताओं को निष्पादित किया जाना बाकी है। विवरण इस प्रकार हैं:

(क) 31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण	सकल वहन मूल्य	निवल वहन मूल्य	टाइटल विलेख के नाम पर रखा गया	क्या टाइटल विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कार्मिक है	से संपत्ति आयोजित की गई	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन- कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में कार्यालय	4.59	1.89	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी की औपचारिकताओं के लंबित रहने तक, स्कोप कॉम्प्लेक्स में कंपनी को आवंटित कार्यालय स्थान कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) 31 मार्च 2023 तक

(₹ करोड़ में)

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का विवरण	सकल वहन मूल्य	निवल वहन मूल्य	टाइटल विलेख के नाम पर रखा गया	क्या टाइटल विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कार्मिक है	से संपत्ति आयोजित की गई	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन- कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में कार्यालय	4.59	1.95	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी की औपचारिकताओं के लंबित रहने तक, स्कोप कॉम्प्लेक्स में कंपनी को आवंटित कार्यालय स्थान कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

15.2 31 मार्च 2024 तक, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के प्रतिभूत उधार के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
सकल वहन मूल्य	3.48	3.48
निवल वहन मूल्य	2.31	2.36

15.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक					31.03.2023 तक				
	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं										
- गुरुग्राम में आरईसी विश्व मुख्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	20.87	1.24	0.08	1.40	23.59	1.24	0.08	-	1.40	2.72
कुल	20.87	1.24	0.08	1.40	23.59	1.24	0.08	-	1.40	2.72

रिपोर्टिंग वर्ष जहां गतिविधि को निलंबित कर दिया गया है, वहां कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) सीडब्ल्यूआईपी कम्पलीशन शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक					31 मार्च 2023 तक				
	में पूरा किया जाना है				कुल	में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं										
- गुरुग्राम में आरईसी विश्व मुख्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	-	23.59	-	-	23.59	-	-	2.72	-	2.72
कुल	-	23.59	-	-	23.59	-	-	2.72	-	2.72

- 15.4 वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- 15.5 प्रबंधन की राय में, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियां नहीं हैं जो इंड एस 36 परिसंपत्तियों के इम्पेयरमेंट के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के इम्पेयरमेंट को दर्शाती हो। तदनुसार, इम्पेयरमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 15.6 यद्यपि कंपनी ने अर्हताप्राप्त परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, तथापि कंपनी ने इंड एस 23 'उधार लागत' के अनुसार कंपनी के लिए 7.28% (पिछले वर्ष 7.00 %) की औसत उधार दर पर सामान्य उधार लागत के कारण ₹ 0.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.03 करोड़) की उधार लागत पूंजीकृत की है।
- 15.7 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन
परिशोधन दर 20 % (100 % परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में ₹5,000 या उससे कम)
- 16 अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		
(क) पूंजीगत अग्रिम	0.17	7.26
(ख) अन्य अग्रिम	31.33	4.50
(ग) सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष	42.36	30.81
(घ) पूर्व-व्यय निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	5.34	7.70
(ङ) प्रीपेड खर्चे	22.01	13.28
(च) आस्थगित कार्मिक लागत	15.81	10.84
(छ) अन्य परिसंपत्तियां	0.01	0.01
कुल (क से छ)	117.03	74.40

17. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) निपटान समूह		
(i) सहयोगी कंपनियों में निवेश	0.90	0.65
(ii) सहयोगी कंपनियों को ऋण	19.25	13.39
(iii) बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों पर इम्पेयरमेंट का प्रावधान	-	(9.73)
उप-जोड़ (i+ii+iii)	20.15	4.31

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(ख) बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण-भवन	0.05	0.34
कुल (ख)	0.05	0.34
कुल योग (क+ख)	20.20	4.65
बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे तौर पर जुड़ी देयताएं		
(ग) सहयोगी कंपनियों को देय	-	0.02
कुल (ग)	-	0.02
बिक्री के लिए धारित निवल परिसंपत्ति (क+ख-ग)	20.20	4.63

31.03.2024 को बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों में ₹ 0.01 करोड़ के मुकदमे के तहत की परिसंपत्ति का परिणाम लंबित होने तक, परिसंपत्ति की दोबारा नीलामी नहीं की जा सकती (पिछले वर्ष शून्य)।

17.1 सहयोगी कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
सहयोगी कंपनियों (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स में निवेश		
प्रत्येक ₹10 के प्रति इक्विटी शेयर		
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
केपीएस 1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
एनईआरएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
राजस्थान भाग 1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	
कल्लम ट्रांसको लिमिटेड	0.05	
खावड़ा IV सी पावर लिमिटेड	0.05	
खावड़ा आईवीए पावर लिमिटेड	0.05	
खावड़ा IV-ई2 पावर लिमिटेड	0.05	
खावड़ा वी ए पावर लिमिटेड	0.05	
राजस्थान IV ए पावर लिमिटेड	0.05	
राजस्थान IV सी पावर लिमिटेड	0.05	
राजस्थान IV ई पावर लिमिटेड	0.05	
राजस्थान IV एच1 पावर लिमिटेड	0.05	
कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	
एनईआरजीएस-आई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	
तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	
कुल	0.90	0.65

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

17.2 सहयोगी कंपनियों को ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.54
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.48
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.23
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.28
एसपीवी से प्राप्य-निगमन के अधीन	0.05	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.10
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.67
केपीएस 1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.58
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.70
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.71
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.85	0.43
एनईआरएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.91	0.19
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.07	0.48
जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.83	-
राजस्थान भाग 1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.67	-
शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.56	
खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.54	
खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.41	
खावड़ा IV ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.33	
खावड़ा वी-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.43	
राजस्थान आईवीए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.41	
राजस्थान आईवीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.34	
राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.38	
राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.51	
कल्लम ट्रांसो लिमिटेड	6.41	
एनईआरजीएस-1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.35	
तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.20	
कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	
कुल	19.25	13.39

17.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे तौर पर जुड़ी देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड		2.59
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड		2.53
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड		2.28
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड		2.33
कुल	-	9.73

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ
17.4 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे तौर पर जुड़ी देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.02
कुल	-	0.02

17.5 प्रबंधन ने इन संस्थाओं को विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से बेचने के उद्देश्य से शामिल किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन को इन संस्थाओं को बेचने के अलावा उनसे कोई लाभ होगा, इसलिए इन सभी निवेशों (संबंधित परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ) को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

17.6 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मुद्राकरण करने की दृष्टि से, वर्ष के दौरान कंपनी ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से जैसा कि इंड-एस 105 के तहत आवश्यक है कुछ आवासीय भवन इकाइयों का निपटान किया है, जिसका मूल्य ₹0.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.52 करोड़) है, जिसे "बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस तरह की बिक्री से चालू वर्ष के दौरान ₹1.32 करोड़ का लाभ हुआ है (पिछले वर्ष ₹4.08 करोड़) (टिप्पणी 30 देखें)।

इसके अलावा, ₹0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.34 करोड़) मूल्य वाली आवासीय भवन इकाइयों को "बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों" के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो 31 मार्च 2024 तक निपटान के लिए लंबित हैं। ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान उनके निपटान की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।

18 देय ट्रेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
देय ट्रेड		
एमएसएमई का कुल बकाया	-	-
एमएसएमई से भिन्न जमाकर्ताओं का कुल बकाया	90.51	41.68
कुल	90.51	41.68

18.1 देय ट्रेड एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई					
- विवादित	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (i)	-	-	-	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा					
- विवादित	-	-	-	-	-
- अन्य	74.20	12.84	3.45	0.02	90.51
उप-जोड़ (ii)	74.20	12.84	3.45	0.02	90.51
जोड़ (i+ii)	74.20	12.84	3.45	0.02	90.51

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई					
- विवादित	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (i)	-	-	-	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा					
- विवादित	-	-	-	-	-
- अन्य	16.31	12.64	0.33	12.40	41.68
उप-जोड़ (ii)	16.31	12.64	0.33	12.40	41.68
जोड़ (i+ii)	16.31	12.64	0.33	12.40	41.68

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

19. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024		31-03-2023	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,052.46	1,955.00	2,029.81
(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	41,110.80	42,535.71	35,866.55	37,124.32
(iii) कर मुक्त बॉण्ड	8,953.27	9,279.82	10,261.64	10,624.41
(iv) आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	1,245.41	1,244.57	1,720.36	1,719.42
उप-जोड़ (क)	53,264.48	55,112.56	49,803.55	51,497.96
(ख) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) संस्थागत बॉण्ड	1,72,275.29	1,78,093.90	1,48,262.70	1,52,705.20
(ii) अवसंरचना बॉण्ड	3.96	9.32	3.96	8.63
(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,963.75	32,847.46	32,886.78	32,690.54
उप - जोड़ (ख)	2,05,243.00	2,10,950.68	1,81,153.44	1,85,404.37
(ग) अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां				
(i) कमर्शियल पेपर	-	-	-	-
उप - जोड़ (ग)	-	-	-	-
कुल - ऋण प्रतिभूतियां (क+ख+ग)	2,58,507.48	2,66,063.24	2,30,956.99	2,36,902.33
भारत में/ से बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां				
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	2,25,543.73	2,33,215.78	1,98,070.21	2,04,211.79
(ii) विदेशों में ऋण प्रतिभूतियां	32,963.75	32,847.46	32,886.78	32,690.54
कुल-ऋण प्रतिभूतियां	2,58,507.48	2,66,063.24	2,30,956.99	2,36,902.33

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 21.2 देखें

19.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 20.6 का संदर्भ ले

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
"123-III ख श्रृंखला - 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय"	1,955.00	2,052.46	1,955.00	2,029.81
कुल-संस्थागत बॉण्ड	1,955.00	2,052.46	1,955.00	2,029.81

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XII (2018-19) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विमोचनीय	-	-	6,651.31	6,938.31
श्रृंखला XIII (2019-20) 5.75% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विमोचनीय	6,157.82	6,422.49	6,157.82	6,419.74
श्रृंखला XIV (2020-21) 5.75% और 5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विमोचनीय	5,312.07	5,515.87	5,312.07	5,513.14

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला XV (2021-22) 5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विमोचनीय	7,312.80	7,580.06	7,312.80	7,576.90
शृंखला XVI (2022-23) 5 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2027-28 के दौरान विमोचनीय	12,152.39	12,594.18	10,432.55	10,676.23
शृंखला XVII (2023-24) 5.25 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2028-29 के दौरान विमोचनीय	10,175.72	10,423.11	-	-
कुल - 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	41,110.80	42,535.71	35,866.55	37,124.32

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला 2015-16 शृंखला 5 ए	300.00	306.50	300.00	306.39
7.17% वार्षिक देय, 23.07.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय				
शृंखला 2011-12	2,160.33	2,289.60	2,160.33	2,288.71
वार्षिक रूप से 8.12% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय				
शृंखला 2012-13 शृंखला 2ए और 2बी	245.00	251.22	245.00	251.12
वार्षिक रूप से 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
शृंखला 2012-13 भाग 1	842.04	862.34	842.04	861.98
वार्षिक रूप से 7.38% से 7.88 % की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय				
शृंखला 2012-13 भाग 2	49.71	50.88	49.71	50.86
वार्षिक रूप से 7.04% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय				
शृंखला 2013-14 शृंखला 3ए एवं 3बी	1,141.00	1,195.48	1,350.00	1,413.90
वार्षिक रूप से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				
शृंखला 2013-14 शृंखला 4ए एवं 4बी	45.00	46.72	150.00	155.54
वार्षिक रूप से 8.54% की ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोचनीय				
शृंखला 2013-14 भाग 1	2,835.55	2,910.06	3,410.60	3,499.26
वार्षिक रूप से 8.37% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय				

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला 2013-14 भाग 2	638.08	655.31	1,057.40	1,085.19
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोचनीय और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोचनीय				
शृंखला 2015-16 भाग 1	696.56	711.72	696.56	711.46
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोचनीय, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोचनीय और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोचनीय				
कुल - कर मुक्त बॉण्ड	8,953.27	9,279.82	10,261.64	10,624.41

(iv) आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	1,245.41	1,244.57	1,720.36	1,719.42
5% आवंटन की डीमड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर विमोचनीय				
कुल: आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	1,245.41	1,244.57	1,720.36	1,719.42

19.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(1) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
114वीं शृंखला - 8.82% 12.04.2023 को विमोचन	-	-	4,300.00	4,667.81
195वीं शृंखला - 6.92% 22.04.2023 को विमोचन	-	-	2,985.00	3,179.66
191ए शृंखला - 6.80% 30.06.2023 को विमोचन	-	-	1,100.00	1,106.52
200वीं शृंखला पीपी-एमएलडी - 5.36% 30.06.2023 को विमोचन *	-	-	500.00	573.12
184बी शृंखला एसटीआरपीपी-डी - 7.55% 26.09.2023 को विमोचन **	-	-	300.00	311.59
202बी शृंखला - 5.69% 30.09.2023 को विमोचन	-	-	2,474.00	2,544.42
205ए शृंखला - 4.99% 31.01.2024 को विमोचन	-	-	2,135.00	2,151.85
209वीं शृंखला - 5.79% 20.03.2024 को विमोचन	-	-	1,550.00	1,552.48
210वीं शृंखला - 5.74% 20.06.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,000.00	4,179.33	4,000.00	4,178.81
180ए शृंखला - 8.10% 25.06.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,018.00	1,080.60	1,018.00	1,077.71
191बी शृंखला - 6.99% 30.09.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,100.00	1,106.69	1,100.00	1,106.58
212वीं शृंखला - फ्लोटिंग (टी-बिल से जुड़ी) 31.10.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,579.54	2,500.00	2,573.36
186बी शृंखला - 7.40% 26.11.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,500.00	1,538.41	1,500.00	1,538.06
128वीं शृंखला - 8.57% 21.12.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,250.00	2,419.44	2,250.00	2,418.06

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
129वीं शृंखला - 8.23% 23.01.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,925.00	2,064.19	1,925.00	2,063.05
130वीं शृंखला - 8.27% 06.02.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,325.00	2,493.92	2,325.00	2,492.55
131वीं शृंखला - 8.35% 21.02.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,285.00	2,304.78	2,285.00	2,304.28
190ए शृंखला - 6.88% 20.03.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,515.30	2,500.00	2,514.67
201ए शृंखला - 5.90% 31.03.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	900.00	935.51	900.00	935.42
133वीं शृंखला - 8.30% 10.04.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,396.00	2,454.39	2,396.00	2,453.74
94वीं शृंखला - 8.75% 09.06.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,250.00	1,339.30	1,250.00	1,339.00
95-II शृंखला - 8.75% 14.07.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,800.00	1,913.92	1,800.00	1,913.49
136वीं शृंखला - 8.11% 07.10.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,585.00	2,672.18	2,585.00	2,671.58
229ए शृंखला - 7.79% 29.11.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,033.00	1,057.19	-	-
203बी शृंखला - 5.85% 20.12.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,777.00	2,821.52	2,777.00	2,821.05
204बी शृंखला - 5.81% 31.12.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,082.00	2,111.81	2,082.00	2,111.49
205बी शृंखला - 5.94% 31.01.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,010.05	2,000.00	2,014.64
214ए शृंखला - 7.32% 28.02.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	500.00	503.26	500.00	503.15
219 शृंखला - 7.60% 28.02.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,148.70	3,170.07	3,148.70	3,186.42
220बी शृंखला - 7.69% 31.03.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय और पुट विकल्प 31.03.2026 को प्रयोग योग्य	1,600.10	1,728.53	1,600.10	1,605.47
223ए शृंखला - 7.44% 30.04.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,177.84	-	-
228ए शृंखला - 7.80% 30.05.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,679.00	1,723.22	-	-
218ए शृंखला - 7.56% 30.06.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,170.45	3,000.00	3,048.29
225वीं शृंखला - 7.64% 30.06.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,210.00	2,314.55	-	-
221 शृंखला - 7.51% 31.07.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,848.00	2,990.53	-	-
227ए शृंखला - 7.77% 30.09.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,670.00	2,750.77	-	-
211वीं शृंखला - 6.23% 31.10.2031 को सममूल्य पर विमोचन, पुट/ कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग योग्य	1,200.00	1,230.74	1,200.00	1,230.57
140वीं शृंखला - 7.52% 07.11.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,100.00	2,153.26	2,100.00	2,161.97
142वीं शृंखला - 7.54% 30.12.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,023.86	3,000.00	3,025.73
230-ए शृंखला- 7.71% 26-02-2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,000.00	1,015.57	-	-
147वीं शृंखला - 7.95% 12.03.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,745.00	2,721.28	2,745.00	2,717.93
231-ए शृंखला- 7.64% 30-04-2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,875.00	2,896.70	-	-
156वीं शृंखला - 7.70% 10.12.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,533.00	3,615.03	3,533.00	3,614.40
216ए शृंखला - 7.55% 31.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,701.50	1,829.71	1,701.50	1,701.13
220ए शृंखला - 7.77% 31.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,162.07	2,000.00	2,006.58
223बी शृंखला - 7.46% 30.06.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,993.60	3,170.48	-	-
162वीं शृंखला - 8.55% 09.08.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,637.66	2,500.00	2,637.42
163वीं शृंखला - 8.63% 25.08.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,628.32	2,500.00	2,628.04
168वीं शृंखला - 8.56% 29.11.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,552.40	2,626.17	2,552.40	2,625.73
169वीं शृंखला - 8.37% 07.12.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,554.00	2,621.46	2,554.00	2,621.02
176वीं शृंखला - 8.85% 16.04.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,600.70	1,735.93	1,600.70	1,735.82

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
178वीं शृंखला - 8.80% 14.05.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,097.00	1,172.67	1,097.00	1,171.24
180बी शृंखला - 8.30% 25.06.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,070.90	2,176.90	2,070.90	2,173.02
184ए शृंखला - 8.25% आंशिक रूप से भुगतान किए गए डिबेंचर 26.09.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,451.00	1,512.37	1,160.80	1,209.72
192वीं शृंखला - 7.50% 28.02.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,382.00	2,396.62	2,382.00	2,396.48
188बी शृंखला - 7.89% 31.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,100.00	3,368.55	1,100.00	1,100.10
189वीं शृंखला - 7.92% 31.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,054.90	3,296.98	3,054.90	3,054.97
197वीं शृंखला - 7.55% 11.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,740.00	3,990.27	3,740.00	3,990.03
198बी शृंखला - 7.79% 21.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,569.00	1,673.94	1,569.00	1,673.83
202ए शृंखला - 7.25% 30.09.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,500.00	3,627.41	3,500.00	3,627.05
203ए शृंखला - 6.80% 20.12.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,000.00	5,094.78	5,000.00	5,094.07
204ए शृंखला - 6.90% 31.01.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,528.21	2,500.00	2,527.79
201बी शृंखला - 6.90% 31.03.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,300.00	1,359.90	1,300.00	1,359.80
213वीं शृंखला - 6.92% 20.03.2032 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,380.00	3,329.95	1,380.00	1,382.88
218बी शृंखला - 7.69% 31.01.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,004.40	2,029.20	2,004.40	2,036.80
214बी शृंखला - 7.50% 28.02.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,947.60	4,948.08	4,947.60	4,944.67
217वीं शृंखला - 7.53% 31.03.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	500.00	548.48	500.00	510.86
227बी शृंखला - 7.71% 31.10.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,818.70	2,901.21	-	-
228बी शृंखला - 7.71% 30.11.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,899.69	2,974.14	-	-
230-बी शृंखला - 7.64% 31-01-2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,045.87	-	-
231-बी शृंखला - 7.47% 28-02-2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,517.73	-	-
182वीं शृंखला - 8.18% 22.08.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,063.00	5,315.13	5,063.00	5,314.68
183वीं शृंखला - 8.29% 16.09.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,028.00	3,163.58	3,028.00	3,163.26
207वीं शृंखला - 7.02% 31.01.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,589.90	4,642.55	4,589.90	4,641.76
208वीं शृंखला - 7.40% 15.03.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,613.80	3,625.52	3,613.80	3,625.49
215वीं शृंखला - 7.65% 30.11.2033, 30.11.2034, 30.11.2035, 30.11.2036 और 30.11.2037 को 5 समान किश्तों में विमोचनीय	3,889.00	3,988.60	3,889.00	3,992.12
216बी शृंखला - 7.67% 30.11.2037 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,051.06	2,000.00	2,049.92
229बी शृंखला - 7.67% 30.11.2038 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,539.40	3,618.67	-	-
कुल - संस्थागत बॉण्ड	1,72,275.29	1,78,093.90	1,48,262.70	1,52,705.20

* पीपी-एमएलडी- प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स

** एसटीआरपीपी-सेपरेटली ट्रांस्फरेबल रिडीमेबल प्रिंसिपल पार्ट्स

(ii) अवसरचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला-II (2011-12) - सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	9.32	3.96	8.63
कुल : अवसरचना बॉण्ड	3.96	9.32	3.96	8.63

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
जारी किए गए अवसरचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:
15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	2.83	2.83	आवंटन की तारीख से 15 साल बाद की तारीख पर विमोचन
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
कुल	3.96	3.96	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
4.75% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - 19.05.2023 को विमोचन	-	-	4,110.85	4,181.61
5.250% यूएस \$700 मिलियन बॉण्ड - 13.11.2023 को विमोचन	-	-	5,755.18	5,858.35
3.375% यूएस \$650 मिलियन बॉण्ड - 25.07.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,419.30	5,450.24	5,344.10	5,366.61
3.50% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - 12.12.2024 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,168.70	4,210.34	4,110.85	4,148.36
2.25% यूएस \$500 मिलियन बॉण्ड - 01.09.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,168.70	4,168.48	4,110.85	4,107.36
2.75% यूएस \$400 मिलियन बॉण्ड - 13.01.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,334.96	3,350.67	3,288.68	3,302.69
3.875% यूएस \$450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड - 07.07.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,751.83	3,547.96	3,699.76	3,425.80
4.625% यूएस \$300 मिलियन बॉण्ड - 22.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,501.22	2,366.73	2,466.51	2,299.76
5.625% यूएस \$750 मिलियन बॉण्ड - 11.04.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	6,253.04	6,406.68	-	-
1.76% जेपीवाई 31000 मिलियन बॉण्ड - 19.01.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,707.79	1,712.28	-	-
1.41% जेपीवाई 27400 मिलियन बॉण्ड - 19.04.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,509.47	1,484.82	-	-
2.20% जेपीवाई 2700 मिलियन बॉण्ड - 19.01.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	148.74	149.26	-	-
कुल - विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,963.75	32,847.46	32,886.78	32,690.54

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स-एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज - सिक्योरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई-आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज - इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	यूएसडी 1.17 बिलियन	शून्य
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 5.57 बिलियन	यूएसडी 4.4 बिलियन
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 3.97 बिलियन	यूएसडी 4.0 बिलियन

वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग ऑफरिंग सर्कुलर में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तिथि को कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों, चाहे मूलधन या ब्याज, को पूरा किया है। इसके अलावा, तुलन पत्र की तिथि को ऋण करारों के अंतर्गत वित्तीय प्रसविदाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क) अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां				
(i) बैंकों से सावधिक ऋण	50,612.28	50,620.49	56,298.20	56,402.09
(ii) वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण	8,050.00	8,072.29	6,000.00	6,000.64
(iii) विदेशी मुद्रा में सावधिक ऋण	67,205.64	66,772.38	45,553.26	45,263.52
(iv) भारत सरकार (एनएसएसएफ) से सावधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
(v) पट्टा देयताएं	-	-	0.02	0.02
उप-जोड़ (क)	1,35,867.92	1,35,790.28	1,17,851.48	1,17,991.39
(ख) अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां				
(i) एफसीएनआर (बी) ऋण	25,138.67	25,151.29	15,424.22	15,427.63
(ii) बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण / ऋण प्रतिदेय	10,875.94	10,883.04	3,600.00	3,607.52
(iii) बैंकों से मांग पर ओवरड्राफ्ट्स / नकदी ऋण प्रतिदेय	267.44	267.44	87.59	87.59
उप-जोड़ (ख)	36,282.05	36,301.77	19,111.81	19,122.74
कुल-उधारियां(ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) (क से ख)	1,72,149.97	1,72,092.05	1,36,963.29	1,37,114.13
भारत में / से बाहर उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)				
(i) भारत में उधारियां	1,04,944.33	1,05,319.67	91,410.03	91,850.61
(ii) भारत से बाहर उधारियां	67,205.64	66,772.38	45,553.26	45,263.52
कुल - उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,72,149.97	1,72,092.05	1,36,963.29	1,37,114.13

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकड़ों और परिशोधित लागत के आंकड़ों के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 21.2 देखें

20.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से सावधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
-कर्नाटक बैंक	499.98	499.98	499.99	499.99
₹499.98 करोड़ 15.05.2025 को प्रतिदेय				
- पंजाब एंड सिंध बैंक	499.91	499.91	700.00	700.00
₹499.91 करोड़ 09.12.2025 को प्रतिदेय				
- जम्मू एवं कश्मीर बैंक	299.94	300.01	299.95	299.95
₹299.94 करोड़ 28.10.2026 को प्रतिदेय				
- कर्नूर वैश्य बैंक	-	-	250.00	250.05
25.10.2023 को ₹250 करोड़ चुकाए गए				
- ऊयूश बैंक	500.00	500.22	1,000.00	1,000.22
₹500 करोड़ 15.06.2027 को प्रतिदेय				
- साउथ इंडियन बैंक	499.89	500.00	500.00	500.00

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
₹299.93 करोड़ 08.11.2026 को प्रतिदेय और ₹199.96 करोड़ 04.08.2027 को प्रतिदेय			-	-
- एचडीएफसी बैंक	17,850.00	17,853.86	16,350.00	16,449.77
17.11.2026 को ₹850 करोड़ प्रतिदेय, 31.03.2027 को ₹2,000 करोड़ प्रतिदेय, 07.09.2027 को ₹2,000 करोड़ प्रतिदेय, 29.12.2027 को ₹2,500 करोड़ प्रतिदेय, 27.02.2028 को ₹2,500 करोड़ प्रतिदेय, 27.06.2028 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय, 29.06.2028 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय, 30.09.2028 को ₹4,000 करोड़ प्रतिदेय, और 28.12.2028 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय				
- इंडियन बैंक	-	-	1,500.00	1,500.00
02.06.2023 को ₹500 करोड़ चुकाए गए, 30.09.2023 को ₹500 करोड़ चुकाए गए और 23.02.2024 को ₹500 करोड़ चुकाए गए				
- बैंक ऑफ बड़ौदा	4,749.92	4,750.97	5,000.00	5,001.08
₹4,749.92 करोड़ 30.09.2024 से शुरू होने वाली 6 वार्षिक किस्तों में को प्रतिदेय और अंतिम किस्त 29.09.2029 को प्रतिदेय				
- आईसीआईसीआई बैंक	5,533.00	5,534.17	4,000.00	4,000.85
₹4,000 करोड़ 23.01.2030 को को प्रतिदेय और ₹1,533 करोड़ 15.05.2028 को को प्रतिदेय				
- एचएसबीसी बैंक	-	-	3,402.49	3,403.23
21.08.2023 को ₹750 करोड़ चुकाए गए, 20.09.2023 को ₹1,900 करोड़ चुकाए गए और 30.09.2023 को ₹753 करोड़ चुकाए गए				
- बैंक ऑफ इंडिया	-	-	1,499.87	1,500.18
13.06.2023 को ₹749.87 करोड़ और 17.08.2023 को ₹750 करोड़ चुकाए गए				
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,999.42	4,000.27	2,999.68	3,000.33
₹1,999.42 करोड़ का ऋण 31.03.2027 से शुरू होकर ₹400 करोड़ की 5 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और अंतिम किस्त 31.03.2031 को और ₹1,000 करोड़ 04.01.2026 को प्रतिदेय, ₹500 करोड़ का ऋण 29.09.2028 को चुकाया जाएगा और ₹500 करोड़ का ऋण होगा 05.11.2028 को प्रतिदेय				
- भारतीय स्टेट बैंक	7,750.94	7,750.94	10,900.26	10,900.26
₹2,139.92 करोड़ 3 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और अंतिम किस्त 15.07.2025 को चुकानी होगी, ₹3,899.84 करोड़ संरचित किस्तों में प्रतिदेय और आखिरी किस्त 29.10.2031 को चुकानी होगी और ₹1,711.18 करोड़ 12.12.2027 को प्रतिदेय				
- पंजाब नेशनल बैंक	7,529.29	7,530.17	4,995.97	4,996.19
₹1,329.99 करोड़ 2 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और अंतिम किस्त 31.08.2025 को प्रतिदेय, ₹1,999.66 करोड़ 11.11.2026 को प्रतिदेय, ₹ 999.66 करोड़ 29.03.2028 से शुरू होने वाली 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और ₹200 करोड़ की अंतिम किस्त 29.12.2031 को प्रतिदेय, ₹1,199.99 करोड़ 03.11.2028 को प्रतिदेय, ₹1,999.99 करोड़ 26.12.2028 को प्रतिदेय				
- सेंट्रल बैंक	899.99	899.99	2,399.99	2,399.99
₹499.99 करोड़ 28.03.2026 से शुरू होने वाली 7 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और अंतिम किस्त 28.03.2032 को और ₹400 करोड़ 17.11.2025 को प्रतिदेय				
कुल - बैंकों से अप्रतिभूत सावधिक ऋण	50,612.28	50,620.49	56,298.20	56,402.09

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) अन्य से सावधिक ऋण - वित्तीय संस्थान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	4,550.00	4,549.46	5,500.00	5,500.53
29.03.2026 को ₹750 करोड़ प्रतिदेय, 09.08.2026 को ₹1,000 करोड़ प्रतिदेय, 29.07.2027 को ₹ 500 करोड़ प्रतिदेय, 30.06.2028 को ₹ 800 करोड़ प्रतिदेय और 11.12.2028 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय				
- नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी)	3,500.00	3,522.83	500.00	500.11
31.03.2027 से शुरू होने वाली 7 समान वार्षिक किस्तों में ₹ 3,500 करोड़ प्रतिदेय और अंतिम किस्त 31.03.2033 को				
कुल - अन्य से सावधिक ऋण - वित्तीय संस्थान	8,050.00	8,072.29	6,000.00	6,000.64

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण - भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
1.86% केएफडब्ल्यू-III ऋण - प्रतिदेय €5.26 मिलियन की समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में, अंतिम किस्त 30.06.2024 को देय होगी	47.49	47.72	141.51	142.17
उप-जोड़ (1)	47.49	47.72	141.51	142.17
(2) ओडीए ऋण - सरकारी गारंटी के बिना				
केएफडब्ल्यू-IV ऋण - 15.11.2030 तक €12.00 मिलियन की समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 15.05.2024 को देय होगी	1,400.68	1,432.92	1,578.56	1,609.90
केएफडब्ल्यू-V ऋण - 15.05.2034 तक \$ 8.921 मिलियन की समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त 15.05.2025 को देय होगी	1,026.78	1,050.41	-	-
उप-जोड़ (2)	2,427.46	2,483.33	1,578.56	1,609.90
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेटेड ऋण				
₹ 10,327.12 मिलियन - 08.08.2023 को चुकाए गए	-	-	638.22	635.36
यूएस \$250 मिलियन - 29.08.2023 को चुकाए गए	-	-	2,055.42	2,064.76
यूएस \$250 मिलियन - 27.03.2024 को चुकाए गए	-	-	2,055.42	2,036.56
यूएस \$150 मिलियन - \$75 मिलियन 29.03.2024 को चुकाए गए और \$75 मिलियन 14.05.2024 को प्रतिदेय	625.30	625.00	1,233.25	1,224.65
यूएस \$100 मिलियन - 01.07.2024 को प्रतिदेय	833.74	847.51	822.17	830.83
एसजी \$72.07 मिलियन - 30.03.2025 को प्रतिदेय	444.93	442.68	445.48	440.55
यूएस \$75 मिलियन - 30.03.2025 को प्रतिदेय	625.30	620.58	616.63	606.46
₹ 10,519 मिलियन - 25.09.2025 को प्रतिदेय	579.49	575.93	650.07	643.21

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस \$170 मिलियन - \$100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय और \$ 70 मिलियन 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,417.36	1,421.43	1,397.69	1,400.67
यूएस \$425 मिलियन - 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,543.39	3,528.67	3,494.22	3,467.48
यूएस \$600 मिलियन - 25.08.2026 को प्रतिदेय	5,002.43	4,991.65	4,933.01	4,899.73
यूएस \$75 मिलियन - 07.10.2026 को प्रतिदेय	625.30	640.98	616.63	626.45
यूएस \$1175 मिलियन - 29.12.2026 को प्रतिदेय	9,796.43	9,680.47	9,660.49	9,500.21
₹ 37,506.63 मिलियन - 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,066.24	2,045.33	2,317.91	2,285.95
यूएस \$100 मिलियन - 13.06.2027 को प्रतिदेय	833.74	829.15	822.17	815.24
यूएस \$200 मिलियन - 28.07.2027 को प्रतिदेय	1,667.48	1,671.47	1,644.34	1,640.92
यूएस \$150 मिलियन - 13.09.2027 को प्रतिदेय	1,250.61	1,242.95	1,233.25	1,221.79
एसजीडी 213.21 मिलियन - 27.10.2027 को प्रतिदेय	1,316.19	1,309.63	1,317.80	1,306.89
€ 254.19 मिलियन - 31.10.2027 को प्रतिदेय	2,293.28	2,286.52	2,277.77	2,258.06
€ 349.83 मिलियन - 27.03.2028 को प्रतिदेय	3,156.09	3,117.13	3,134.74	3,085.56
₹ 38624.35 मिलियन - 20.04.2028 को प्रतिदेय	2,127.82	2,107.82	-	-
जेपीवाई 10,495.125 मिलियन - 26.06.2028 को प्रतिदेय	578.18	571.55	-	-
यूएस \$505 मिलियन - 03.08.2028 को प्रतिदेय	4,210.38	4,173.93	-	-
यूएस \$645 मिलियन - 31.08.2028 को प्रतिदेय	5,377.62	5,305.50	-	-
यूएस \$100 मिलियन - 14.09.2028 को प्रतिदेय	833.74	822.89	-	-
₹ 68485.2 बिलियन - 21.09.2028 को प्रतिदेय	3,772.85	3,694.73	-	-
यूएस \$100 मिलियन - 25.09.2028 को प्रतिदेय	833.74	818.56	-	-
₹ 14358.5 मिलियन - 09.01.2029 को प्रतिदेय	791.01	793.01	-	-
यूएस \$100 मिलियन - 06.02.2029 को प्रतिदेय	833.74	827.74	-	-
₹ 22101 मिलियन - 15.02.2029 को प्रतिदेय	1,217.54	1,199.30	-	-
यूएस \$200 मिलियन - 07.03.2029 को प्रतिदेय	1,667.48	1,639.25	-	-
₹ 22041 मिलियन - 19.03.2029 को प्रतिदेय	1,214.24	1,194.77	-	-
₹ 14847 मिलियन - 21.03.2029 को प्रतिदेय	817.92	809.35	-	-
यूएस \$225 मिलियन - 27.03.2029 को प्रतिदेय	1,875.91	1,836.80	-	-
यूएस \$300 मिलियन - 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,501.22	2,569.05	2,466.51	2,520.12
उप- जोड़ - (3)	64,730.69	64,241.33	43,833.19	43,511.45
कुल- विदेशी मुद्रा उधारियाँ (1+2+3)	67,205.64	66,772.38	45,553.26	45,263.52

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iv) भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
- एनएसएसएफ से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय				
कुल - सरकार से सावधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12

20.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां

(i) एफसीएनआर (बी) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस\$200 मिलियन - 24.05.2023 को चुकाए गए	-	-	1,644.34	1,644.34
यूएस\$150 मिलियन - 26.05.2023 को चुकाए गए	-	-	1,233.25	1,233.44
यूएस\$200 मिलियन - 03.06.2023 को चुकाए गए	-	-	1,644.34	1,644.58
यूएस\$75 मिलियन - 07.06.2023 को चुकाए गए	-	-	616.63	616.63
यूएस\$150 मिलियन - 21.06.2023 को चुकाए गए	-	-	1,233.25	1,233.44
यूएस\$200 मिलियन - 08.12.2023 को चुकाए गए	-	-	1,644.34	1,644.34
यूएस\$300 मिलियन - 13.12.2023 को चुकाए गए	-	-	2,466.51	2,466.51
यूएस\$75 मिलियन - 14.12.2023 को चुकाए गए	-	-	616.63	616.63
यूएस\$100 मिलियन - 15.12.2023 को चुकाए गए	-	-	822.17	822.17
यूएस\$200 मिलियन - 29.12.2023 को चुकाए गए	-	-	1,644.34	1,644.60
€ 69.77 मिलियन - 16.01.2024 को चुकाए गए	-	-	625.17	627.48
यूएस\$150 मिलियन - 15.02.2024 को चुकाए गए	-	-	1,233.25	1,233.47
यूएस\$150 मिलियन - 03.04.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,251.45	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 19.04.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,251.46	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 19.04.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,251.50	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 10.05.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,250.82	-	-
यूएस\$200 मिलियन - 14.05.2024 को प्रतिदेय	1,667.48	1,667.76	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 16.05.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,250.82	-	-
यूएस\$124.85 मिलियन - 24.05.2024 को प्रतिदेय	1,040.92	1,041.62	-	-
यूएस\$75.15 मिलियन - 24.05.2024 को प्रतिदेय	626.55	626.98	-	-
यूएस\$75 मिलियन - 07.06.2024 को प्रतिदेय	625.30	625.73	-	-
यूएस\$44 मिलियन - 12.06.2024 को प्रतिदेय	366.85	367.10	-	-
यूएस\$125 मिलियन - 05.07.2024 को प्रतिदेय	1,042.17	1,042.37	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 09.08.2024 को प्रतिदेय	1,250.61	1,250.85	-	-
यूएस\$100 मिलियन - 20.09.2024 को प्रतिदेय	833.74	833.90	-	-
यूएस\$200 मिलियन - 06.12.2024 को प्रतिदेय	1,667.48	1,668.61	-	-
यूएस\$250 मिलियन - 12.12.2024 को प्रतिदेय	2,084.35	2,085.79	-	-
यूएस\$100 मिलियन - 12.12.2024 को प्रतिदेय	833.74	834.30	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस\$75 मिलियन - 13.12.2024 को प्रतिदेय	625.30	625.74	-	-
यूएस\$200 मिलियन - 27.12.2024 को प्रतिदेय	1,667.48	1,667.80	-	-
₹ 34228.99 मिलियन - 27.12.2024 को प्रतिदेय	1,885.68	1,885.96	-	-
यूएस\$150 मिलियन - 14.02.2025 को प्रतिदेय	1,250.61	1,250.84	-	-
यूएस\$70 मिलियन - 14.02.2025 को प्रतिदेय	583.62	584.04	-	-
यूएस\$100 मिलियन - 18.03.2025 को प्रतिदेय	833.74	835.85	-	-
कुल-एफसीएनआर (बी) ऋण	25,138.67	25,151.29	15,424.22	15,427.63

20.3 टिप्पणी संख्या 20.1 (i), (ii) तथा (iv) में उल्लिखित है कि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / सरकार से सावधिक ऋण 7.50% से 8.29% (पिछले वर्ष 5.38% से 8.29%) मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर देय है।

20.4 टिप्पणी संख्या 20.1(iii) में विदेशी मुद्रा उधारियाँ ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर) सहित बाहरी बेंचमार्क पर 13 बीपीएस से 210 बीपीएस (पिछले वर्ष 13 बीपीएस से 210) बीपीएस के दायरे में परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बढ़ाया गया है जिसमें 3/6 महीने का टर्म एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), 3/6 महीने का ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर रेट) शामिल है और क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड (सीएएस) जो नई बेंचमार्क दरों के ऋण के संचरण पर लागू होता है, उन मामलों को छोड़कर जहाँ दर का उल्लेख किया गया है।

20.5 कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कोई निधि उधार नहीं ली है।

20.6 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का सुरक्षा विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है और/या कंपनी की प्राप्ति पर शुल्क लगाया गया है।

संस्थागत बॉण्ड्स की बॉण्ड श्रृंखला 123-IIIबी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के ऋण परिसंपत्तियाँ जो अन्य ऋणदाता / ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्य के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड दुकान नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई के परिसर में प्रथम पैरी पासु चार्ज और एमएसईडीसीएल की चुनिंदा ऋण संपत्तियों को विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) के पक्ष में बंधक बनाकर सुरक्षित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी की ऋण परिसंपत्तियों (विशेष रूप से उधारदाताओं / अन्य ट्रस्टियों को चार्ज / निर्धारित किए गए के अलावा) पर पहले पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी किए गए 54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड और कर मुक्त बॉण्ड की बॉण्ड श्रृंखला XIII को (ए) परिसर के बंधक पर उप प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584पी, ग्राम सुभानपुरा, जिला वडोदरा में स्थित प्रथम पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किया गया है और (बी) एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जो ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टियों को विशेष रूप से चार्ज/निर्धारित की गई हैं) का बंधक।

54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड की बॉण्ड श्रृंखला XIII, XIV, XV, XVI और XVII को एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जो विशेष रूप से उधारदाताओं / अन्य ट्रस्टियों के लिए चार्ज / निर्धारित किए गए हैं) के बंधक पर पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्ति और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अग्रणी मूल्य के लिए टिप्पणी संख्या 10 और 15.2 देखें।

20.7 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

21 अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) 115वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	-	-	2,500.00	2,668.34
(ii) 175वीं श्रृंखला – अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,091.95	2,151.20	2,079.90

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)				
विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(iii) 199वीं शृंखला - अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड्स - 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,041.60	1,999.50	2,025.06
(iv) 222वीं शृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स- 30.04.2033 को कॉल विकल्प के साथ 7.98% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	2,000.00	2,145.28	-	-
(v) 226वीं शृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स- 30.09.2033 को कॉल विकल्प के साथ 8.03% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर"	1,090.00	1,133.38	-	-
कुल - अधीनस्थ देयताएं	7,240.70	7,412.21	6,650.70	6,773.30
भारत में / बाहर अधीनस्थ देयताएं				
(i) भारत में उधारियां	7,240.70	7,412.21	6,650.70	6,773.30
(ii) भारत के बाहर उधारियां	-	-	-	-
कुल - अधीनस्थ देयताएं	7,240.70	7,412.21	6,650.70	6,773.30

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच समाधान के लिए टिप्पणी संख्या 21.2 देखें।

21.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ-अवधि उधारिया	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएए, आईसीआरए पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एएए+
घरेलू अल्पावधि उधारिया	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज), बीबीबी+ (जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)

वर्ष के दौरान, घरेलू स्थायी बॉण्ड पर क्रेडिट रेटिंग को केयर एए+ से केयर एएए में अपग्रेड किया गया है

21.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदात्मक राशि के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)				
विवरण	ऋण प्रतिभूतिया	अन्य उधारिया	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2024 तक				
इंड-एस के तहत कुल राशि	2,66,063.24	1,72,092.05	7,412.21	4,45,567.50
घटाएं: इंड-एस के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(8,263.26)	(766.66)	(321.21)	(9,351.13)
जोड़ें: ईआईआर सहित इंड-एस समायोजन	707.50	824.58	149.70	1,681.78
कुल बकाया उधारियां	2,58,507.48	1,72,149.97	7,240.70	4,37,898.15
31 मार्च 2023 तक				
इंड-एस के तहत कुल राशि	2,36,902.33	1,37,114.13	6,773.30	3,80,789.76
घटाएं: इंड-एस के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,729.19)	(670.87)	(296.95)	(7,697.01)
जोड़ें: ईआईआर सहित इंड-एस समायोजन	783.85	520.03	174.35	1,478.23
कुल बकाया उधारियां	2,30,956.99	1,36,963.29	6,650.70	3,74,570.98

21.3 कंपनी बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकारी एजेंसियों से सावधिक ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव लिखत / सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देयताओं के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों तथा ऋण प्रतिभूतियों संबंधी प्रसंविदा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) अप्रदत्त लाभांश (टिप्पणी 22.1 देखें)	1,192.72	6.79
(ख) अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्ड पर ब्याज (टिप्पणी 22.1 देखें)		
-परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	22.42	25.66
- बॉण्ड पर ब्याज	10.52	11.17
उप-जोड़ (ख)	32.94	36.83
(ग) वेरिफेशन मार्जिन के लिए प्राप्त अग्रिम	4,638.80	-
(घ) सस्विडी/अनुदान (संचयी) के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां	98,759.76	98,232.51
जोड़ें: सस्विडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	31.68	24.17
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(98,717.49)	(98,095.33)
सस्विडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	73.95	161.35
(ङ) भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सर्विसड प्रदत्त बॉण्ड हेतु देय	24,382.40	24,318.29
(च) अन्य देयताएं	1,638.68	821.85
कुल (क से च तक)	31,959.49	25,345.11

22.1 अप्रदत्त लाभांश, अप्रदत्त मूलधन और बॉण्ड पर ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जिनका या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या निवेशकों के दावों आदि के कारण औपचारिकताओं के लिए लंबित हैं। यह राशि 31 मार्च 2024 तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित की जानी है, जिसकी राशि ₹ 0.58 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹ 2.68 करोड़) है जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, अप्रदत्त लाभांश में मार्च 2024 में कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹1,184.95 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि भी शामिल है, जिसके लिए शेष राशि निर्धारित बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है लेकिन अभी तक शेयरधारकों को भुगतान नहीं किया गया है।

22.2 सस्विडी अंडर एक्सेलरेटेड जनरेशन एंड सप्लाई प्रोग्राम (एजीएंडएसपी) के तहत सस्विडी:

कंपनी एक ब्याज सस्विडी निधि खाते को बनाए रखती है और उसे भारत सरकार द्वारा डी.ओ.सं. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003, पात्र योजनाओं का वास्तविक पुनर्भुगतान शेड्यूल, अधिस्थगन वर्ष और पुनर्भुगतान की अवधि के बावजूद के तहत भारत सरकार के पत्र के अनुसार सांकेतिक दरों और वर्ष पर गणना की गई निवल वर्तमान मूल्य पर एजी एंड एसपी सस्विडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण के लिए) दी गई थी। आहरण के समय सांकेतिक दर और वर्ष के बीच अंतर का वास्तविक प्रभाव संबंधित योजनाओं की समाप्ति के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

31 मार्च 2024 को निवल राशि ₹ 0.77 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹ 0.75 करोड़) ब्याज सस्विडी फंड की शेष राशि को दर्शाती है, जिसे एक्सेलरेटेड जनरेशन एंड सप्लाई प्रोग्राम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयताओं के लिए पारित किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज सस्विडी निधि का आरंभिक शेष	0.75	0.73
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.02
घटाएं : उधारकर्ता को दी गई ब्याज सस्विडी	-	-
ब्याज सस्विडी निधि का अंतिम शेष	0.77	0.75

22.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य वित्तीय देयताएं" के अंतर्गत "सस्विडी/अनुदान के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.4 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	24.17	20.87
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित/समायोजित ब्याज	9.93	16.65
घटाएं : वर्ष के दौरान सरकार को वापस/समायोजित की गई राशि	(2.42)	(13.35)
अंतिम शेष	31.68	24.17

22.5 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए भारत सरकार की फंडिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) की कुल राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के 2 दिसंबर, 2020 और 3 मार्च, 2021 के पत्र के अनुसार, उपरोक्त बॉण्ड के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तदनुसार, ब्याज सहित ऐसे बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य प्रतीत हो रही है (टिप्पणी 12)।

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

Particulars	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन की तिथि	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
भारत सरकार-I श्रृंखला	8.09%	अर्ध-वार्षिक	21-03-2028	1,837.00	1,837.00
भारत सरकार-II श्रृंखला	8.01%	अर्ध-वार्षिक	24-03-2028	1,410.00	1,410.00
भारत सरकार-III श्रृंखला	8.06%	अर्ध-वार्षिक	27-03-2028	753.00	753.00
भारत सरकार-IV श्रृंखला	8.70%	अर्ध-वार्षिक	28-09-2028	3,000.00	3,000.00
भारत सरकार-V श्रृंखला	8.54%	अर्ध-वार्षिक	15-11-2028	3,600.00	3,600.00
भारत सरकार-VI श्रृंखला	8.80%	अर्ध-वार्षिक	22-01-2029	2,027.00	2,027.00
भारत सरकार-VII श्रृंखला	8.60%	अर्ध-वार्षिक	08-03-2029	1,200.00	1,200.00
भारत सरकार-VIII श्रृंखला	8.30%	अर्ध-वार्षिक	25-03-2029	4,000.00	4,000.00
भारत सरकार-IX श्रृंखला	7.14%	अर्ध-वार्षिक	02-03-2030	1,500.00	1,500.00
भारत सरकार-X श्रृंखला	8.25%	अर्ध-वार्षिक	26-03-2030	532.30	532.30
भारत सरकार-XI श्रृंखला	7.20%	अर्ध-वार्षिक	31-03-2030	1,750.00	1,750.00
भारत सरकार-XII श्रृंखला	6.45%	अर्ध-वार्षिक	07-01-2031	1,000.00	1,000.00
भारत सरकार-XIII श्रृंखला	6.63%	अर्ध-वार्षिक	28-01-2031	1,000.00	1,000.00
भारत सरकार-XIV श्रृंखला	6.50%	अर्ध-वार्षिक	26-03-2031	500.00	500.00
कुल				24,109.30	24,109.30

23. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
आयकर के लिए प्रावधान	3,283.85	51.92
घटाएं : अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(3,217.34)	(41.27)
चालू कर देयताएं (निवल)	66.51	10.65

24. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
उपदान	0.13	2.68

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
अर्जित अवकाश देयता	33.81	27.75
चिकित्सा अवकाश देयता	21.52	20.61
निपटान भत्ता	2.40	1.76
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.92	4.17
दीर्घ सेवा अवार्ड	4.51	2.89
प्रोत्साहन	36.96	33.89
अन्य	1.07	2.00
उप-जोड़ (क)	105.32	95.75
(ख) अन्य		
सुविधा पत्रों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	32.02	15.87
उप-जोड़ (ख)	32.02	15.87
कुल (क + ख)	137.34	111.62

24.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	15.87	20.90
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	25.97	5.48
घटाएं: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(9.82)	(10.51)
अंतिम शेष	32.02	15.87

24.2 कंपनी के पास उधारकर्ताओं की ओर से वित्तीय गारंटी के रूप में बैंकों को जारी किए गए सुविधा पत्र से संबंधित अधिकतम क्रेडिट जोखिम ₹ 5,961.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,082.47 करोड़) (इम्पेयरमेंट हानि भत्ते का निवल) है।

25. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(क) सनड्राई देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	47.80	2.80
(ख) पूंजी खाते के प्रति देय देयता	48.38	48.38
(ग) असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	85.38	12.45
(घ) भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	-	0.10
(ङ) सांविधिक देय	78.23	42.72
कुल (क से ङ)	259.79	106.45

26. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत:				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,000.00	5,00,00,00,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22
कुल	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों की संख्या	2,63,32,24,000	2,633.22	1,97,49,18,000	1,974.92
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	65,83,06,000	658
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयर	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22

26.2 पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में जमा राशि में से ₹ 658.30 करोड़ का पूंजीकरण करके रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 18 अगस्त 2022 पर बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में ₹ 10 के 65,83,06,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे।

26.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना संविदा के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बॉयबैक की है।

26.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, अधिमानित और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

26.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	1,38,59,93,662	52.63%

26.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
पावर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	1,38,59,93,662	52.63%

26.7 प्रमोटर्स द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	शेयरों की सं.	प्रतिशत	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	-	-	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	-	1,38,59,93,662	52.63%	-

27. इन्स्ट्रुमेंट्स की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹ 10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट की प्रकृति पूरी तरह से	5,584	558.40	5,584	558.40
कुल	5,584	558.40	5,584	558.40

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया स्थायी प्रतिभूतियों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,584	558.40	5,584	558.40
वर्ष के दौरान जोड़े/(घटाएँ)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	5,584	558.40	5,584	558.40

27.2 तुलन पत्र की तिथि को इन्स्ट्रुमेंट धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स को धारित करते हैं :

(₹ करोड़ में)

शेयरधारक का नाम	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

- 27.3** कंपनी ने ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर इन्स्ट्रुमेंट्स में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है। चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में स्थायी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, सावधिक कूपन भुगतानों को तदनुसार प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया जाता है।

28. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) अन्य आरक्षित निधि		
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	28,044.83	24,977.89
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	687.76	-
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अधीन आरक्षित निधि	10,828.99	8,025.15
(iv) प्रतिभूति प्रीमियम	1,577.53	1,577.53
(v) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(675.14)	(790.44)
(vi) सामान्य आरक्षित निधि	12,036.27	12,036.27
(ख) प्रतिधारित आय	13,872.66	10,313.78
(ग) अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	(57.99)	(101.47)
नकदी प्रवाह हेजेज़ का प्रभावी भाग	(1,846.93)	600.05
हेजिंग आरक्षित निधि की लागत	1,690.64	(1,709.87)
कुल - अन्य इक्विटी (क+ख+ग)	66,158.63	54,928.89

अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

- 28.1** आरक्षित निधि से निकासी/स्थानांतरण: विनियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियां स्थानांतरित की हैं:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरक्षित निधि से कोई राशि नहीं निकाली गई है

(ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(सी) के तहत ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य वस्तुओं पर वास्तविक राइट ऑफ में डालने के कारण अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ₹ 196.82 करोड़।

28.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष आरक्षित निधि खाते में अंकित किया गया हो

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	24,977.89	22,302.93
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	3,066.94	2,674.96
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	28,044.83	24,977.89

28.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध और संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षित निधि, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/आरक्षित निधि के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए आरक्षित निधि का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	196.82
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	687.76	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(196.82)
वर्ष के अंत में शेष	687.76	-

28.4 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यक आरक्षित निधि का सृजन कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ का कम से कम 20% स्थानान्तरण करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई भी विनियोग करने की अनुमति नहीं है, ऐसे किसी भी विनियोग की सूचना ऐसी वापसी की तारीख से 21 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को देनी होगी।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	8,025.15	5,814.00
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,803.84	2,211.15
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	10,828.99	8,025.15

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

28.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,577.53	2,236.54
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
घटाएँ: इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू के लिए उपयोग किया जाता है	-	(658.30)
घटाएँ: इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू पर होने वाला खर्च	-	(0.71)
वर्ष के अंत में शेष	1,577.53	1,577.53

28.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46 के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के विमोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) को दर्शाती है, जिन्हें पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(790.44)	(555.29)
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा परिवर्तन लाभ/हानि(-)	(85.73)	(487.03)
घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन	201.03	251.88
वर्ष के अंत में शेष	(675.14)	(790.44)

28.7 सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	12,036.27	11,839.45
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
जोड़े: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से हस्तांतरित	-	196.82
जोड़े: डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित निधि से हस्तांतरित	-	-
जोड़े: इम्पेयरमेंट आरक्षित निधि से हस्तांतरित	-	-
जोड़े: पूंजीगत आरक्षित निधि से हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	12,036.27	12,036.27

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

28.8 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में बदलाव को मान्यता देने का चुनाव किया है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई आरक्षित निधि में जमा होते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से राशि को बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरित कर देता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(101.47)	(37.98)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	91.48	(58.48)
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनर्वर्गीकरण (करों का निवल)	(48.00)	(5.01)
वर्ष के अंत में शेष	(57.99)	(101.47)

28.9 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न इन्स्ट्रुमेंट्स का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	600.05	194.21
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	(2,446.98)	405.84
वर्ष के अंत में शेष	(1,846.93)	600.05

28.10 हेजिंग आरक्षित निधि की लागत

कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों के आंतरिक मूल्य को 'कैश फ्लो हेज' संबंधों में हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के रूप में नामित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(1,709.87)	(395.95)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	3,400.51	(1,313.92)
वर्ष के अंत में शेष	1,690.64	(1,709.87)

28.11 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	10,313.78	7,186.05
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	14,145.46	11,166.98

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
जोड़े: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	(0.74)	(4.48)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(3,066.94)	(2,674.96)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	(687.76)	-
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि निधि में हस्तांतरित	(2,803.84)	(2,211.15)
जोड़े: एफवीओसीआई इकिटी दस्तावेज(करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	48.00	5.01
घटाएं: इन्स्ट्रूमेंट पर कूपन भुगतान, पूर्णतया इकिटी प्रकृति के है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट) (करों का निवल)	(33.30)	(33.30)
घटाएं: वर्ष के दौरान लाभांश	(4,042.00)	(3,120.37)
वर्ष के अंत में शेष	13,872.66	10,313.78

28.12 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹ 10/- के इकिटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इकिटी शेयर पर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इकिटी शेयर पर लाभांश	लाभांश राशि
वर्ष के अंत में इकिटी शेयर की संख्या	2,63,32,24,000		2,63,32,24,000	
अंतरिम लाभांश	11	2,896.55	8.25	2,172.41
अंतिम/प्रस्तावित लाभांश	5.00	987.46	4.35	859.09
कुल लाभांश	16.00	3,884.01	12.60	3,031.50

निदेशक मण्डल ने 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹5/- प्रति इकिटी शेयर (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। वित्तीय वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹16/- प्रति इकिटी शेयर (प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्य पर) है।

इंड-एस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद के घटनाक्रम' की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विनियोग अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद किया जाता है।

29. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष			31-03-2023 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	42,941.50	-	-	37,679.56	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	2,717.24	-	-	680.35	-
उप-जोड़ (क)	-	45,658.74	-	-	38,359.91	-
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष			31-03-2023 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन
(i) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	190.29	69.16	-	154.82	31.69
उप-जोड़ (ख)	-	190.29	69.16	-	154.82	31.69
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) जमाओं पर ब्याज	-	331.51	-	-	118.51	-
उप-जोड़ (ग)	-	331.51	-	-	118.51	-
(घ) अन्य ब्याज आय						
(i) उधारकर्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	173.80	-	-	176.76	-
(ii) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	5.06	-	-	3.65	-
(iii) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.24	-	-	0.27	-
(iv) अनविडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ सिक्क्योरिटी डिपॉजिट्स	-	0.10	-	-	0.16	-
(v) एसपीवी से ब्याज	-	0.71	-	-	0.57	-
(vi) पक्षकारों को अग्रिमों पर ब्याज	-	1.83	-	-	-	-
उप-जोड़ (घ)		181.74	-	-	181.41	-
कुल - ब्याज आय (क से घ)	-	46,362.28	69.16	-	38,814.65	31.69

30. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
-दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	2.28	11.89
कुल - लाभांश आय	2.28	11.89

30.1 अन्य निवेशों पर मान्य लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
एफवीओसीआई इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
- वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	1.94	11.81
- वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	0.34	0.08
कुल	2.28	11.89

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ
31. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	70.80	117.80
पूर्व अदायगी प्रीमियम	50.74	47.16
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	114.49	122.21
कुल - शुल्क एवं कमीशन आय	236.03	287.17

32. सेवाओं की बिक्री

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज	360.52	287.55
कुल	360.52	287.55

33. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ/(हानि)	1.32	4.08
किराए से आय	13.96	12.82
देयताएं/प्रावधान रिटन बैक	23.90	1.57
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	12.33	7.73
आयकर वापसी से ब्याज	0.28	-
विविध आय	14.69	15.70
कुल - अन्य आय	66.48	41.90

34. वित्तीय लागत

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) उधारियों पर ब्याज		
- भारत सरकार से ऋण (एनएसएसएफ)	822.50	822.50
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	5,461.62	3,934.76
- बाह्य वाणिज्यिक उधारियां	4,774.11	1,881.41
उप-जोड़ (i)	11,058.23	6,638.67
(ii) ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज		
- घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	15,086.29	13,312.17
- विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,553.60	1,442.43
- कमर्शियल पेपर	135.64	-
उप-जोड़ (ii)	16,775.53	14,754.60
(iii) अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज		
- अधीनस्थ बॉण्ड	631.89	551.65
उप-जोड़ (iii)	631.89	551.65

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(IV) अन्य ब्याज व्यय		
- स्वेप प्रीमियम	1,368.64	1,784.82
- वेरिऐशन मार्जिन पर ब्याज	114.70	-
- अग्रिम आयकर पर ब्याज	4.01	-
- कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	(4.84)	3.44
- विविध ब्याज व्यय	0.11	0.18
उप-जोड़ (iv)	1,482.62	1,788.44
कुल - वित्तीय लागत	29,948.27	23,733.36
घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(0.53)	(0.03)
कुल - वित्तीय लागत (निवल)	29,947.74	23,733.33

35. निवल अंतरण / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
निवल अंतरण / लेन-देन विनिमय हानि / (लाभ)	166.57	1,114.04
कुल	166.57	1,114.04

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 201.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 251.88 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का विमोचन शामिल है।

35.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बैचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भित दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दर	यूएसडी /आईएनआर	जेपीवाई/आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	एसजीडी/ आईएनआर
31 मार्च 2024 तक*	83.3739	0.5509	90.2178	61.7319
31 मार्च 2023 तक	82.2169	0.6180	89.6076	61.8074

* 28 मार्च 2024 को अंतिम कार्य दिवस है।

36. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	1.71	2.92
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.06	0.05
(iii) एजेंसी शुल्क	1.42	1.76
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	4.08	3.55
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	16.99	8.01
कुल (i से v)	24.26	16.29

37. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर		
(ii) अन्य		
- व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	425.55	69.21
- दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	46.33	(25.45)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	2.60	1.55
उप-जोड़ (ii)	474.48	45.31
कुल (क)	474.48	45.31
उचित मूल्य के परिवर्तनों का विवरण		
- वसूली की गयी	(217.04)	336.35
- वसूली नहीं की गयी	691.52	(291.04)
कुल-उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)	474.48	45.31

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्थिक हेजेज को हेज लेखांकन और अप्रभावी हेज के अंतर्गत निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

38 वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर इम्पेयरमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष		31-03-2023 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स पर
(i) - ऋण*	-	(1,367.07)	-	105.14
(ii) - अन्य	-	(12.51)	-	37.03
कुल (i+ii)	-	(1,379.58)	-	142.17

*सुविधा पत्र पर इम्पेयरमेंट भत्ते के मद में ₹16.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹-5.03 करोड़) की राशि शामिल है।

39. प्रदान की गई सेवाओं की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	168.06	54.06
कुल	168.06	54.06

40. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	157.24	157.43
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	32.87	8.57
- कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	6.65	5.31
- कार्मिक कल्याण व्यय	41.27	32.79
कुल	238.03	204.10

*इसमें अन्य सीपीएसई के समतुल्य बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में पहले अपनाए गए वेतनमान 1997 को नियमित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में उपगत शून्य (पिछले वर्ष ₹20.54 करोड़) शामिल है।

41. मूल्यहास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर मूल्यहास	22.88	21.60
- अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	1.11	2.66
कुल	23.99	24.26

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

42. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	243.69	198.27
- ओवरहेड्स	8.09	5.64
कुल	251.78	203.91

42.1 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 को समय-समय पर संशोधित किया है। इन नियमों में अपेक्षा की गई है कि चालू परियोजना को छोड़कर अन्य किसी भी व्यय न की गई सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है तो उसे अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर देना चाहिए। तथापि, यदि तीन वित्तीय वर्षों के भीतर ऐसी राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में, तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रभाव आकलन करने वाली कंपनियां उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के लिए व्यय दर्ज कर सकती हैं, जो कुल सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

42.2 समूह द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 251.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 203.91 करोड़)

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹ 251.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 203.91 करोड़)

(ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए टिप्पणी सं. 57 को देखें।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(क) प्रारंभिक शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि	7.70	0.48
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	251.78	203.91
(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि*	249.42	211.13
(घ) अंतिम शेष-खर्च की गई अतिरिक्त राशि** (क-ख+ग)	5.34	7.70

* आरईसी फाउंडेशन (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा अस्थायी रूप से रखी गई निधियों पर अर्जित ब्याज से सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.98 करोड़) को शामिल नहीं किया गया है।

** अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र

42.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष			31-03-2023 को समाप्त वर्ष		
	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	68.55	-	68.55	73.98	-	73.98
शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	10.72	-	10.72	23.12	-	23.12
पर्यावरणीय संधारणीयता	21.32	-	21.32	23.79	-	23.79
खेल-कूद	21.83	-	21.83	30.50	-	30.50
पीएम केयर फंड में योगदान	85.00	-	85.00	50.13	-	50.13
अन्य (ग्रामीण विकास, सशस्त्र बलों/इन्क्यूबेटरों के लाभ)	33.92	-	33.92	3.97	-	3.97
प्रभावी आकलन	0.13	-	0.13	0.34	-	0.34
प्रशिक्षण आदि सहित प्रशासनिक ओवरहेड्स	7.95	-	7.95	5.30	-	5.30
कुल (i+ii)	249.42	-	249.42	211.13	-	211.13

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

43. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- यात्रा एवं वाहन सुविधा	23.01	18.26
- प्रचार एवं पदोन्नति व्यय	32.28	10.78
- मरम्मत और अनुरक्षण	26.55	22.93
- किराया, दरें एवं बिजली की लागत	7.74	7.92
- बीमा प्रभार	0.16	0.15
- संप्रेषण लागत	2.38	2.39
- प्रिंटिंग और स्टेशनरी	1.74	1.26
- निदेशकों के बैठक	0.49	0.42
- लेखापरीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.84	1.62
- विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	13.76	16.35
- परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	5.56	6.64
- प्रशिक्षण और सम्मेलन व्यय	13.76	10.80
- सरकारी योजना निगरानी व्यय	9.32	8.42
- अन्य व्यय	31.85	22.39
कुल	170.44	130.33

43.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्क:		
- लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	0.75	0.63
- कराधान मामलों के लिए*	0.18	0.17
- कंपनी के कानूनी मामलों/सीमित समीक्षा शुल्क के लिए	0.36	0.35
- अन्य सेवाओं के लिए	0.38	0.25
- व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.11
उप-जोड़	1.71	1.51
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	0.13	0.11
कुल - लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	1.84	1.62

* पिछले वर्षों से संबंधित कराधान मामलों के लिए शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शुल्क शामिल है।

44. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
- चालू कर व्यय	3,329.10	2,720.50
- पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/ (लाभ)	3.97	(147.45)
उप-जोड़ - चालू कर	3,333.07	2,573.05
- आस्थगित कर व्यय /(क्रेडिट)	481.41	157.64
कुल	3,814.48	2,730.69

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

44.1 प्रभावी कर दर का मिलान

लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित किए गए आयकर व्यय की सांविधिक आयकर दर पर अनुमानित आयकर व्यय का मिलान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	17,959.94	13,897.67
सांविधिक आयकर दर	25.168%	25.168%
प्रत्याशित आय कर व्यय	4,520.16	3,497.77
आयकर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(771.89)	(673.23)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजन	63.47	51.00
अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	(1.15)	5.60
अग्रिम आयकर पर ब्याज की अनुमति नहीं	0.49	-
गैर कर योग्य आय	(0.57)	(3.00)
पिछले वर्षों के कर व्यय	3.97	(147.45)
कर व्यय	3,814.48	2,730.69

45. आय प्रति शेयर

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
न्यूमेरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	14,112.16	11,133.68
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	-	-
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	14,112.16	11,133.68
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,63,32,24,000	2,63,32,24,000
प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत संचालन के लिए)	53.59	42.28
प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (बंद परिचालन के लिए)	-	-
प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (सतत और बंद परिचालन के लिए)	53.59	42.28

* लाभ स्थायी ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स पर ₹ 33.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33.30 करोड़) के कूपन व्यय (करों का निवल) को घटाकर कर पश्चात लाभ को दर्शाता है, जो प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी है।

46. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

46.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	28.17	27.49
(ख) कराधान मांग		
(i) - आयकर विभाग द्वारा की गई मांग	213.14	212.70
(ii) - कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	0.90	0.90

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(iii) - जीएसटी के संबंध में की गई मांग	17.97	17.89
(ग) गारंटी	-	7.50
(घ) अन्य		
(i) - परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही (₹ 33.23 करोड़ का प्रतिदावा)	352.94	315.30
(ii) - सुविधा पत्र	5,961.13	3,082.47
(iii) - बैंक गारंटी	15.21	29.79

ऊपर 'क' में उल्लिखित राशि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के संबंध में है और अदालत के फैसले पर निर्भर है।

ऊपर ख(i) में उल्लिखित राशि आयकर विभाग द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा।

ऊपर ख(ii) में उल्लिखित राशि आईटीएटी स्तर पर कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील के खिलाफ है।

ऊपर ख(iii) में उल्लिखित राशि कंपनी द्वारा दायर जीएसटी रिफंड अपील के खिलाफ है।

ऊपर सी में उल्लिखित राशि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड की अनुषंगी) की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी के विरुद्ध है।

ऊपर घ(i) में उल्लिखित राशि कंपनी द्वारा नियुक्त कॉन्ट्रैक्टर और पीएमसी के बीच मध्यस्थता मामलों को दर्शाती है। दावे का पीएमसी द्वारा विरोध किया जा रहा है और कंपनी का मानना है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। इस राशि में दावा राशि पर 12% वार्षिक ब्याज शामिल है।

46.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
- पूंजीगत लेखों में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	94.85	124.73
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	-	-
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	418.89	254.10

47. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक	14.000011
(iii) लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv) पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिविलीटीसेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिविलीटी इंटरैक्ट ऑफ़ इंडिया (सीईआरएसएआई)	L0012

48. भारत सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन

48.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 के दौरान देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपये

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपये था। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात् 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

48.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना नवंबर 2014 को शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्तिकी सुविधा प्रदान करने वाले कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना;
- वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;
- माइक्रो-ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क;
- डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

इस योजना ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 63,027 करोड़ के बजटीय सहयोग सहित ₹ 75,893 करोड़ के परिव्यय का अनुमान लगाया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त इन्फ्रा को ₹ 7,069 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया था, जिसमें ₹ 5,302 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। यह स्कीम अपने अंतिम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात् 31.03.2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और बंद कर दी गई है।

48.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटीयों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को सक्रियतात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

48.4 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने डिस्कॉम को परिणाम से संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) अनुमोदित की है ताकि पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके। इस स्कीम के लिए 5 वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ₹ 3,03,758 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है, जिसमें ₹ 97,631 करोड़ की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है।

योजना के मुख्य उद्देश्य में निम्न लक्ष्य शामिल हैं:

- वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों को कम करके 12-15% तक करना।
- वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को कम करके शून्य करना।
- वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।

स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं:

भाग क - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थकारी और सहायक गतिविधियाँ।

48.5 रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (आरटीएस)

पीएम-सूर्य घर: भारत सरकार द्वारा 13.02.2024 को ₹ 75,021 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) की स्थापना के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी और आरटीएस के चरण- II को इसके तहत शामिल किया जाएगा। इस योजना को 2026 तक आरटीएस परियोजनाओं से 40 गीगावॉट की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत ग्रिड से जुड़े आरटीएस कार्यक्रम का चरण-II कार्यान्वित किया जा रहा है।

48.6 जम्मू-कश्मीर प्रधान मंत्री विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू और कश्मीर सरकार, बिजली विकास विभाग ने पारेषण के निष्पादन के लिए किए जाने वाले सभी सामग्रियों और सेवाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आरईसीपीडीसीएल को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पता लगाई गई वास्तविक लागत के अनुसार, नामांकन के आधार पर जम्मू-कश्मीर राज्य और लद्दाख में पीएमडीपी के तहत परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

48.7 11 केवी फीडर निगरानी योजना

विद्युत मंत्रालय ने 11 केवी फीडर निगरानी योजना को लागू करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है। इस योजना का उद्देश्य बिजली आपूर्ति निगरानी, अलर्ट, मीटर डेटा विश्लेषण, सूचना प्रसार और ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पोर्टल सहित विभिन्न हितधारकों के लिए 66, 33/11 केवी सब स्टेशनों से सभी आउटगोइंग 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न आवश्यक मापदंडों के डेटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी प्रणाली के लिए एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली विकसित करना और जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।

49. पूंजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक गॉइंग कंसर्न संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों का बॉय बैक आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा-निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का ऋण-इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
निवल ऋण	4,37,635.40	3,74,522.28
निवल मूल्य	69,350.25	58,120.51
ऋण - इक्विटी अनुपात	6.31	6.44

निवल ऋण बकाया मूल कम नकदी और उपलब्ध नकदी समतुल्य को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मण्डल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की निगरानी करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर केंद्रित है, जिनमें वर्तमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर), वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और लागू कर, यदि कोई हो शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं और कंपनी की निवल संपत्ति, समय-समय पर लागू आरबीआई, डीआईपीएएम आदि द्वारा जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अधीन है।

भारत सरकार के डीआईपीएएम द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को न्यूनतम वार्षिक लाभांश पीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि कंपनी इन दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, कंपनी विभिन्न वित्तीय मापदंडों, नकदी प्रवाह की स्थिति और भविष्य के विकास के लिए आवश्यक धन के विश्लेषण के बाद कम लाभांश का प्रस्ताव कर सकती है।

अन्य नीतियां

कंपनी ने कंपनी के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति एवं व्हिसिल ब्लोअर नीति, नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता, उचित व्यवहार संहिता, कॉर्पोरेट प्रशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश, निदेशकों के 'सही और उचित' मानदंडों पर नीति आदि शामिल हैं।

50. जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी समय-समय पर संशोधित आरबीआई द्वारा निर्धारित मास्टर निर्देशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एक एनबीएफसी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात या पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 15% (न्यूनतम टियर I पूंजी 10% के साथ) बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसकी गणना जोखिम भारित परिसंपत्तियों द्वारा कंपनी की टियर- I और टियर- II पूंजी को विभाजित करके की जाती है।

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक			% विभिन्नता
	न्यूमेरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	%	न्यूमेरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	%	
(i) सीआरएआर	73,859.00	2,86,046.00	25.82%	63,240.41	2,45,300.73	25.78%	0.15%
(ii) सीआरएआर- टियर I पूंजी	66,716.00	2,86,046.00	23.32%	56,023.45	2,45,300.73	22.84%	2.12%
(iii) सीआरएआर- टियर II पूंजी	7,143.00	2,86,046.00	2.50%	7,216.96	2,45,300.73	2.94%	-15.12%

टियर- I पूंजी के स्थाई ऋण इन्स्ट्रूमेंट की राशि 0.84 % (पिछले वर्ष 1%) है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

* टियर-I और टियर-II पूंजी के अंश में मुख्य रूप से इकिटी शामिल है (टिप्पणी संख्या 26, 27 और 28 देखें) और जोखिम भारत परिसंपत्ति होने के कारण न्यूमरेटर मुख्य रूप से कंपनी के क्रेडिट एक्सपोजर (जैसे ऋण) के भारत योग को दर्शाता है (टिप्पणी संख्या 10 देखें) और निवेश (टिप्पणी संख्या 11 देखें), समय-समय पर इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना की जाती है।

वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर II पूंजी और स्थाई ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
टियर-I पूंजी के रूप में जुटाई गई स्थाई ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स की राशि	3,090.00	-

51. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक मण्डल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यवाहों की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम निगरानी और आवधिक निगरानी के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना तथा उन्हें कम करने के लिए अपेक्षित सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी एवं नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा), ऋण, वित्तीय परिसंपत्ति, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और अधिमानित शेयर	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न अनुबंध
बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर सहायक देयताएं	सर्वेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न अनुबंध
बाजार जोखिम - इकिटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इकिटी प्रतिभूतियों में निवेश	सर्वेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदनुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./099/03.10.001/2018-19 के उद्देश्य से निदेशक मण्डल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

आरबीआई ने सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रणाली पर अपने मास्टर निर्देश के तहत अपने निर्देश आरबीआई/2023-24/107 डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24 दिनांक 07 नवंबर, 2023 के तहत मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार कंपनी ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में 16.01.2024 से सीआईएसओ नियुक्त किया है।

51.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्यतः नकदी और नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकदी और नकदी के समतुल्य को छोड़कर), निवेश, ऋण परिसंपत्तियों, कारोबार प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर आकलित करने से प्रभावित होता है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर निगरानी करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटीटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर निम्न ऋण जोखिम		
नकद और नकद समतुल्य	262.75	48.70
बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)	2,699.75	2,346.91
ऋण *	4,82,554.12	4,12,304.47
ट्रेड प्राप्य	106.30	103.06
निवेश (इक्विटी निवेशों को छोड़कर)	4,865.31	2,760.98
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,445.41	24,422.54
(ii) मध्यम ऋण जोखिम		
ऋण *	18,999.65	10,913.58
ट्रेड प्राप्य	42.32	9.55
(iii) उच्च ऋण जोखिम		
ऋण *	13,810.33	14,892.08
अधिमानित शेयर में निवेश **	28.72	28.72
ट्रेड प्राप्य	5.20	0.39
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	67.79	95.21

* अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूल (सुविधा पत्र के लिए असंवितरित राशि के साथ) को दर्शाता है

** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के विमोचनीय अधिमानित शेयरों में निवेश के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए कटौती के बिना बकाया मूल को दर्शाता है।

नकदी एवं नकदी के समतुल्य तथा बैंक शेष

नकदी एवं नकदी के समतुल्य और बैंक शेष से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड इन्स्ट्रुमेंट्स तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न इन्स्ट्रुमेंट्स/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के दृष्टि बंधक द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्य

ट्रेड प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम देयताओं की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर निगरानी कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) में निवेश से संबंधित क्रेडिट जोखिम को सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉण्ड में अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य के साथ निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है।

ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण निपटान / समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश

आरईसी को कंपनी या ऋणदाताओं के संघ द्वारा यथालागु अनुमोदित निपटान/समाधान योजना के हिस्से के रूप में उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी की गई विभिन्न प्रतिभूतियां और ऋणदाताओं की समिति और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित दिवाला और अशोधन क्षमता संहिता 2016 के तहत संकल्प के मामले में प्राप्त हुई। इन प्रतिभूतियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूली करने की क्षमता का निरंतर निगरानी कर प्रबंधन किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.1.2 ऋणों एवं ट्रेड प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी प्रकार की ऋण हानि की संभावना के लिए व्यक्तिगत वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का आकलन करके ऋण और ट्रेड प्राप्य राशियों को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है:

- नकदी एवं नकदी के समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकदी एवं नकदी के समतुल्यों के अलावा)
- चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकदी एवं नकदी के समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।
- सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए
- यह देखते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटेड सरकारी/निजी कंपनियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में हैं, क्रेडिट जोखिम को निम्न माना जाता है।
- ऋण निपटान/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए
- ऐसी प्रतिभूतियों की पुनर्प्राप्ति के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जहां भी ऐसे निवेशों पर मध्यम या उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, उपयुक्त ईसीएल भत्ता प्रदान किया जाता है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए
- क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन उन पार्टियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए हानि भत्ता मापा जाता है और क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि पर जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान की जाती है।

ऋण और ट्रेड प्राप्य के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का विवरण निम्नानुसार प्रकटन किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि	सकल धारित राशि	ईसीएल	निवल धारित राशि
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	262.75	-	262.75	48.70	-	48.70
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	2,699.75	-	2,699.75	2,346.91	-	2,346.91
निवेश* (इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स के अलावा)	4,922.75	28.72	4,894.03	2,818.42	28.72	2,789.70
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **	24,513.20	67.79	24,445.41	24,517.75	95.21	24,422.54

* क्रेडिट-इम्पेयर्ड माने जाने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'विमोचनीय अधिमानित शेयरों में निवेश' पर हानि भत्ता पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है।

** क्रेडिट-इम्पेयर्ड मानी जाने वाली 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' पर हानि भत्ता पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है।

51.1.3 ऋणों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, कंपनी क्रेडिट जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और उन्हें समेकित करती है:

क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम: देनदार द्वारा अपने ऋण दायित्वों का पूरा भुगतान करने की संभावना नहीं होने या देनदार द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण क्रेडिट दायित्व के कारण 90 दिन से अधिक समय बीत जाने से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम; डिफॉल्ट जोखिम ऋण और प्रतिभूतियों सहित सभी क्रेडिट-संवेदनशील लेन-देन को प्रभावित कर सकता है।

संकेंद्रण जोखिम: किसी एक एक्सपोजर या एक्सपोजर के समूह से जुड़ा जोखिम जिसमें कंपनी के मुख्य संचालन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त बड़े नुकसान उत्पन्न करने की क्षमता हो।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

- (ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक इंस्ट्रुमेंट्स की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय-समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को अग्रणी ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई / परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी / गैर-ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख-रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन-रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की वास्तविकता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी / उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी / नकदी प्रवाह निगरानी एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों / एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

- (iii) कंपनी में क्रेडिट सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार अवसंरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक समिति / ऋण समिति / निदेशक मण्डल के चरण पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।
- (iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निपटानों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।
- (v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जोकि की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की मांग कर सकता है।
- (vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ-साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा-निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाहरी एजेंसियाँ नियुक्त की जाती हैं।
- (vii) अलग-अलग और समूह ऋण एक्सपोज़र का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्वधीन होती है।
- (viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और / या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्यवाही (कार्यवाहियाँ) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैं, आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), क्रेडिट रिपोर्टिंजी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इकिटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोज़र की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/ गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाता है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी जोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)

ब्याज कवरेज (25% भार)

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)

गिरिंग (ऋण / इकिटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

तिमाही-वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ

वास्तविक चूक की तिथि

परियोजना की स्थिति

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण" वाले मॉडल की रूपरेखा दी गई है :

- एक वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण " चरण 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट को " चरण 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ है, तो इसे "चरण 3" में ले जाया जाता है।
- चरण 1 में वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में इन्स्ट्रुमेंट का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) ऋण जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) डिफॉल्ट तथा क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी डिफॉल्ट के रूप में वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक हो या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमानित तकनीकों की व्याख्या

अपेक्षित क्रेडिट हानि डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), डिफॉल्ट पर एक्सपोज़र (ईएडी) और डिफॉल्ट रूप से दी गई हानि (एलजीडी) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- पीडी अगले 12 महीनों में या इन्स्ट्रुमेंट के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की डिफॉल्ट की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र (एलओसी) शामिल होते हैं, जो कंपनी डिफॉल्ट के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद को दर्शाता है कि कोई डिफॉल्ट हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में डिफॉल्ट के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि / मैट्रिक्स प्रोफाइल यानी जीवनपर्यंत पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया। हालांकि, राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए, कंपनी जब भी अद्यतन होती है, विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग अपनाती है।

लॉस गिवन डिफॉल्ट (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में, एलजीडी का पता लगाने के लिए परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का पता लगाने हेतु कंपनी द्वारा की गई मूल्यांकन रिपोर्टों, समाधान प्रक्रिया के परिणाम आदि सहित उचित अनुमानों का उपयोग किया गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य / केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की संस्थानों (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) ईसीएल के मापन में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ

- कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तिथि को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।
- ईएडी उन राशियों को दर्शाता है, जिनमें बकाया मूल, अर्जित ब्याज और बकाया सुविधा पत्र शामिल हैं, जो कंपनी को डिफॉल्ट के समय बकाया होने की उम्मीद करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
(ज) क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र

विभिन्न क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम श्रेणी (आंतरिक/मैप की गई रेटिंग)	31-03-2024 तक				31-03-2023 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
प्रदर्शन करने वाले								
बहुत अच्छा (एए ए एए सरकारी ऋण)	2,03,407.58	18,161.39	-	2,21,568.97	1,92,836.82	276.33	-	1,93,113.15
अच्छा (बीबीबी बीबी बी)	2,22,710.25	445.30	-	2,23,155.55	1,47,389.05	9,128.03	-	1,56,517.08
औसत (सी)	56,025.85	-	-	56,025.85	70,282.47	1,345.98	-	71,628.45
उचित (डी)	410.44	-	-	410.44	1,796.13	157.74	-	1,953.87
प्रदर्शन न करने वाले (डी)	-	392.96	13,810.33	14,203.29	-	5.50	14,892.08	14,897.58
सकल एक्सपोज़र	4,82,554.12	18,999.65	13,810.33	5,15,364.10	4,12,304.47	10,913.58	14,892.08	4,38,110.13
हानि भत्ता (एलओसी सहित)	2,767.04	191.70	9,453.80	12,412.54	3,521.81	238.30	10,519.51	14,279.63
निवल एक्सपोज़र	4,79,787.08	18,807.95	4,356.53	5,02,951.56	4,08,782.66	10,675.28	4,372.57	4,23,830.51

(झ) समपांशिक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपांशिक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपांशिक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपांशिक प्रकार निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का बंधक
- चल संपत्ति का दृष्टि बंधक
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- इन्स्ट्रूमेंट्स का संकल्प जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता का संकल्प
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ञ) हानि भत्ता

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- चरण 1 और चरण 2 या 3 के बीच वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (या कमी) का अनुभव होने या अवधि में क्रेडिट-इम्पेयर्ड होने के कारण स्थानांतरण, और परिणामस्वरूप 12- माह के बीच "स्टेप अप" (या "स्टेप डाउन") और जीवनपर्यंत ईसीएल
- अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त नए वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए अतिरिक्त भत्ते, साथ ही अवधि में गैर-मान्यता प्राप्त वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए रिलीज़
- मॉडल में इनपुट के नियमित रिफ्रेशिंग से उत्पन्न होने वाली अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तन के कारण ईसीएल की माप पर प्रभाव
- अवधि के दौरान अमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान रिटन ऑफ में डाली गई संपत्तियों से संबंधित भत्तों को राइट ऑफ में डालना

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्रूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	4,12,304.47	3,521.81	10,913.58	238.30	14,892.08	10,519.51	4,38,110.13	14,279.62
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	9,954.90	(194.96)	(9,954.90)	194.96	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं	(18,708.02)	(75.05)	19,077.40	191.51	(369.38)	(116.46)	0.00	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(723.10)	-	(426.85)	-	(448.16)	-	(1,598.11)
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	1,66,140.76	916.02	90.95	0.73	-	-	1,66,231.71	916.75
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(87,137.99)	(677.68)	(1,127.38)	(6.95)	(212.35)	(1.07)	(88,477.72)	(685.70)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(500.02)	(500.02)	(500.02)	(500.02)
अंतिम शेष	4,82,554.12	2,767.04	18,999.65	191.70	13,810.33	9,453.80	5,15,364.10	12,412.54

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	3,35,876.99	2,790.22	36,424.23	369.61	17,159.89	11,565.73	3,89,461.11	14,725.56
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	34,393.77	(353.01)	(34,393.77)	353.01	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं	(2,798.11)	(11.28)	2,988.10	83.95	(189.99)	(72.67)	(0.00)	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	715.77	-	(673.24)	-	(370.93)	-	(328.40)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	91,644.92	684.49	6,338.03	118.42	-	-	97,982.95	802.91
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(46,813.10)	(304.38)	(443.01)	(13.45)	(1,526.74)	(51.54)	(48,782.85)	(369.37)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(551.08)	(551.08)	(551.08)	(551.08)
अंतिम शेष	4,12,304.47	3,521.81	10,913.58	238.30	14,892.08	10,519.51	4,38,110.13	14,279.62

(ट) चरण वार एक्सपोजर और इंपेयरमेंट हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक				31-03-2023 तक			
	चरण I	चरण II	चरण III	कुल	चरण I	चरण II	चरण III	कुल
कुल एक्सपोजर	4,82,554.12	18,999.65	13,810.33	5,15,364.10	4,12,304.47	10,913.58	14,892.08	4,38,110.13
इंपेयरमेंट भत्ता	2,767.04	191.70	9,453.80	12,412.54	3,521.81	238.30	10,519.51	14,279.63
ईसीएल %	0.57%	1.01%	68.45%	2.41%	0.85%	2.18%	70.64%	3.26%

(ठ) क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा क्रेडिट जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की निगरानी करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह राज्याय हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,45,871.05	9,871.35	1,69,432.41	11,694.33
नवीकरणीय ऊर्जा	42,312.34	567.57	30,503.46	306.33
ट्रांस्कोस	48,701.40	47.77	48,332.23	251.72
डिस्कॉम्स	2,19,983.23	1,732.67	1,85,085.13	2,008.12
पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर	45,875.48	170.51	1,453.29	5.85
इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स	9,727.33	22.61	-	-
सरकारी ऋण	2,893.27	0.06	3,303.61	13.27
कुल	5,15,364.10	12,412.54	4,38,110.13	14,279.62

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
स्वामित्व द्वारा संकेद्रण				
राज्य	4,54,702.64	2,598.19	3,93,244.56	3,276.83
निजी	60,661.46	9,814.35	44,865.57	11,002.79
कुल	5,15,364.10	12,412.54	4,38,110.13	14,279.62

(ड) क्षेत्र-वार क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण-III परिसंपत्तियों का प्रतिशत

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र	2.71%	3.42%
- विद्युत	2.71%	3.42%

(ढ) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	2.71%	3.42%
(ii) सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	0.86%	1.01%
(iii) निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)	0.88%	1.04%
(iv) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क) प्रारम्भिक शेष	14,892.08	17,159.89
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	-	-
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	(581.73)	(1,716.73)
(घ) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ	(500.02)	(551.08)
(ङ) अंतिम शेष	13,810.33	14,892.08
(v) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क) प्रारम्भिक शेष	4,372.57	5,594.16
(ख) वर्ष के दौरान जुड़ाव	448.16	370.93
(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	(464.20)	(1,592.52)
(घ) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ	-	-
(ङ) अंतिम शेष	4,356.53	4,372.57
(vi) क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन		
(क) प्रारम्भिक शेष	10,519.51	11,565.73
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(448.16)	(370.93)
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट-बैक	(117.53)	(124.21)
(घ) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों पर रिटन ऑफ प्रावधान	(500.02)	(551.08)
(ङ) अंतिम शेष	9,453.80	10,519.51

(ण) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड-एस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, ऋण को क्या अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था जैसे आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार माना जाता है, 31 मार्च 2024 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 3% (पिछले वर्ष 4.77%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.16 % (पिछले वर्ष 2.41 %) रहा था।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(त) राइट ऑफ नीति

कंपनी न्यायिक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार या जब उसने सभी व्यावहारिक पुनर्प्राप्ति प्रयासों को समाप्त कर लिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से राइट ऑफ में डाल देती है। जिन संकेतकों में वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है, उनमें प्रवर्तन गतिविधि को रोकना शामिल है या जहां कंपनी की वसूली विधि संपाश्विक पर फौजदारी कर रही है और संपाश्विक का मूल्य ऐसा है कि पूरी तरह से वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है।

(थ) कारोबार मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने कारोबार को उस चरण पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के कारोबार मॉडल का मूल्यांकन इंस्ट्रूमेंट-बाई-इंस्ट्रूमेंट आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च चरण पर किया जाता है।

कंपनी विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का कारोबार मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "होल्ड टू कलेक्ट" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(द) परिशोधित लागत कारोबार से बाहर बिक्री के लिए नीति

कंपनी अपने सामान्य कारोबार में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं करती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार ऋण-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप, ऋण अशोध्य ऋण को या तो आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में पुनर्गठित/फिर से बातचीत की जा सकती है या अन्यथा निपटारा जा सकता है और इंड एस 109-वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मान्यता के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(ध) ऐसा कोई खाता नहीं है जिसमें 90 दिनों से अधिक की अतिदेयता हो, लेकिन उसे क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं माना जाएगा (पिछले वर्ष शून्य)

(न) मास्टर दिशानिर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का स्थानांतरण) दिशानिर्देश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के तहत वित्त वर्ष 2023-24 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋण का कोई रिपोर्ट करने योग्य मामला नहीं है।

(प) आरबीआई आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और इंड-एस के अनुसार इम्पेयरमेंट भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआर एसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआर एसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8) = (5) - (7)
प्रदर्शन करने वाली परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	4,75,471.73	4,77,502.34	2,712.85	4,74,789.49	2,470.03	242.82
	चरण 2	18,606.69	18,777.30	149.69	18,627.61	74.43	75.26
उप जोड़ (1)		4,94,078.42	4,96,279.64	2,862.54	4,93,417.10	2,544.46	318.08
प्रदर्शन न करने वाली परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 1	1,029.43	1,029.73	20.94	1,008.79	102.94	(82.00)
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 1	59.81	59.81	1.23	58.58	11.96	(10.73)
1 से 3 वर्ष	चरण 3	1,545.70	1,545.70	757.81	787.88	510.56	247.25
	चरण 2	392.16	392.27	41.21	351.06	172.93	(131.72)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,262.67	12,262.66	8,694.03	3,568.63	9,039.67	(345.64)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआर एसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआर एसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए उप जोड़		14,260.34	14,260.44	9,494.28	4,766.15	9,735.12	(240.84)
हानि परिसंपत्तियां	चरण 2	0.80	0.80	0.80	-	0.80	
	चरण 3	1.96	1.96	1.96	-	1.96	-
		2.76	2.76	2.76	-	2.76	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		15,292.53	15,292.93	9,517.98	5,774.94	9,840.82	(322.84)
कुल ऋण परिसंपत्तियां		5,09,370.95	5,11,572.57	12,380.52	4,99,192.04	12,385.28	(4.76)
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं							
- सुविधा पत्र*	चरण 1	5,993.15	5,993.15	32.02	5,961.13	-	32.02
उप-जोड़ (3)		5,993.15	5,993.15	32.02	5,961.13	-	32.02
कुल	चरण 1	4,82,554.12	4,84,585.03	2,767.04	4,81,817.99	2,584.93	182.11
	चरण 2	18,999.65	19,170.37	191.70	18,978.67	248.16	(56.46)
	चरण 3	13,810.33	13,810.32	9,453.80	4,356.51	9,552.19	(98.39)
	कुल	5,15,364.10	5,17,565.72	12,412.54	5,05,153.17	12,385.28	27.26

* इंडएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती हैं।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआर एसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआर एसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शन करने वाली परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	4,03,366.73	4,04,567.80	3,423.13	4,01,144.67	2,089.93	1,333.20
	चरण 2	10,908.08	11,016.14	232.80	10,783.34	43.63	189.17
उप जोड़ (1)		4,14,274.81	4,15,583.94	3,655.93	4,11,928.01	2,133.56	1,522.37
प्रदर्शन न करने वाली परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 1	5,839.39	5,866.14	82.81	5,783.33	583.94	(501.13)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआर एसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एस 109 प्रावधान एवं आईआर एसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
संदिग्ध परिसंपत्तियों							
1 वर्ष तक	चरण 3	1,512.48	1,512.48	754.15	758.33	350.72	403.43
1 से 3 वर्ष	चरण 3	594.27	594.27	452.12	142.14	344.21	107.91
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	12,780.46	12,780.46	9,308.37	3,472.09	9,488.51	(180.14)
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए उप जोड़		14,887.21	14,887.21	10,514.64	4,372.56	10,183.44	331.20
हानि परिसंपत्तियां	चरण 2	5.50	5.50	5.50	-	5.50	-
	चरण 3	4.87	4.87	4.87	-	4.87	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		20,736.97	20,763.72	10,607.82	10,155.89	10,777.75	(169.93)
कुल ऋण परिसंपत्तियां		4,35,011.78	4,36,347.66	14,263.75	4,22,083.90	12,911.31	1,352.44
अन्य मदें जो इंड-एस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं							
- सुविधा पत्र*	चरण 1	3,098.35	3,098.35	15.87	3,082.48	-	15.87
उप-जोड़ (3)		3,098.35	3,098.35	15.87	3,082.48	-	15.87
कुल	चरण 1	4,12,304.47	4,13,532.29	3,521.81	4,10,010.48	2,673.87	847.94
	चरण 2	10,913.58	11,021.64	238.30	10,783.34	49.13	189.17
	चरण 3	14,892.08	14,892.08	10,519.51	4,372.56	10,188.31	331.20
	कुल	4,38,110.13	4,39,446.01	14,279.62	4,25,166.38	12,911.31	1,368.31

* इंडएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर-निधि आधारित एक्सपोजर को दर्शाती हैं।

- (V) जैसा कि कंपनी द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई द्वारा किए गए पिछले वार्षिक निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में कोई भिन्नता नहीं है (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शून्य)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.1.4 ट्रेड प्राप्त के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आरईसी की अनुषंगी कंपनियों में से एक, आरईसीपीडीसीएल के ट्रेड प्राप्तियों के संबंध में इकाई जीवनपर्यंत क्रेडिट हानि प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष - 2 वर्ष	2 वर्ष - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 तक					
सकल धारित मूल्य	115.13	50.10	8.80	39.46	213.49
प्रत्याशित हानि दर	7.67%	24.84%	46.97%	86.82%	27.95%
प्रत्याशित क्रेडिट हानि (प्रावधान)	8.83	12.45	4.13	34.26	59.67
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	106.30	37.65	4.67	5.20	153.82
31 मार्च 2023 तक					
सकल धारित मूल्य	128.73	21.32	16.30	56.35	222.70
प्रत्याशित हानि दर	19.94%	62.85%	90.00%	99.31%	49.26%
प्रत्याशित क्रेडिट हानि (प्रावधान)	25.67	13.40	14.67	55.96	109.70
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	103.06	7.92	1.63	0.39	113.00

51.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की निगरानी करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

51.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

वित्तीय देयताओं की मदों के लिए नकदी प्रवाह (भविष्य में अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	- 391.12	459.10	5,431.49	4,646.73	19,487.39	60,215.33	52,414.46	82,498.11	2,25,543.73
- ब्याज	-	0.24	201.16	1,182.57	4,371.36	2,362.72	7,915.89	26,486.87	18,680.23	25,792.46	86,993.50
अन्य उधारियां											
- मूलधन	567.41	-	1,000.00	1,524.94	8,051.00	1,505.69	914.29	13,638.99	34,712.06	17,891.28	79,805.66
- ब्याज	309.37	-	183.90	479.74	482.01	1,397.56	2,706.54	10,007.92	6,407.24	1,766.55	23,740.83
अधीनस्थ देयताएं											
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	-	2,151.20	5,089.50	7,240.70
- ब्याज	-	-	160.91	-	186.03	88.49	283.53	1,432.10	1,434.06	1,696.36	5,281.48
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	-	-	-	5,419.30	4,168.69	7,503.65	14,213.88	1,658.23	32,963.75
- ब्याज	-	176.35	-	-	73.15	269.76	427.14	1,368.56	753.32	16.34	3,084.62
अन्य उधारियां											
- मूलधन	1,250.61	-	2,501.22	6,561.53	1,039.64	3,960.26	13,436.01	22,894.62	37,367.25	3,333.17	92,344.31
- ब्याज	11.75	9.81	115.87	170.38	351.10	907.69	1,383.53	4,286.13	1,734.24	284.06	9,254.56
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	31.56	-	100.53	72.96	104.70	309.75
मुद्रा व्युत्पन्न	8.03	-	38.56	36.65	8.44	153.45	61.40	12.08	93.21	38.13	449.95

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं :											
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	4,300.00	2,985.00	-	1,600.00	2,774.00	11,679.49	55,952.14	39,125.88	79,653.70	1,98,070.21
- ब्याज	-	379.26	361.56	1,110.62	2,715.12	2,347.00	7,051.00	23,022.00	16,309.00	24,176.16	77,471.72
अन्य उधारियां											
- मूलधन	4,386.43	-	-	-	3,500.14	666.56	9,451.45	11,820.15	16,672.28	29,488.81	75,985.81
- ब्याज	395.00	-	150.00	392.00	685.00	1,150.00	2,437.00	8,310.00	5,703.00	3,103.00	22,325.00
अधीनस्थ देयताएं											
- मूलधन	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	4,150.70	6,650.70
- ब्याज	-	-	-	202.00	164.00	-	188.00	705.00	705.00	2,646.00	4,610.00
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	-	4,110.85	-	-	5,755.18	9,454.94	13,565.81	-	32,886.78
- ब्याज	-	-	-	252.00	72.00	310.00	536.00	1,116.00	580.00	-	2,866.00
अन्य उधारियां											
- मूलधन	-	-	-	3,074.91	3,588.54	2,693.64	12,341.08	7,473.44	27,958.11	3,847.77	60,977.48
- ब्याज	17.00	21.00	61.00	106.00	503.00	571.00	1,138.00	3,441.00	2,072.00	658.00	8,588.00
व्युत्पन्न देयताएं :											
ब्याज दर स्वेप्स	-	-	-	-	-	-	0.60	50.07	71.98	178.16	300.81
मुद्रा स्वेप्स	-	-	-	-	-	60.38	-	-	83.52	-	143.90
रिवर्स क्रॉस मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	-	104.61	-	427.63	532.24

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न संविदा के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न संविदा के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से अनडिस्काउंटेड नकद प्रवाहों (मूलधन तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 तक											
मूलधन	3,582.21	214.74	2,023.71	4,928.26	7,024.12	22,172.19	42,402.16	1,03,565.04	93,801.98	2,17,276.02	4,96,990.43
ब्याज	1,900.52	54.05	932.74	2,820.67	6,586.41	11,918.26	21,848.61	73,716.25	53,333.52	92,143.18	2,65,254.20
31 मार्च 2023 तक											
मूलधन	822.91	-	1,707.32	3,878.16	5,350.60	22,097.85	30,180.20	81,757.04	85,313.12	1,89,640.84	4,20,748.04
ब्याज	1,137.01	-	926.30	2,106.65	6,071.24	10,044.89	18,662.94	63,776.14	47,148.86	76,238.57	2,26,112.62

चरण III: परिसंपत्तियों से संबंधित मुख्य नकदी प्रवाह, अपेक्षित क्रेडिट हानि के निवल को घटाकर, परिपक्वता तिथि की परवाह किए बिना 5 वर्षों से अधिक की अवधि में विचारा गया है।

51.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	5,409.37	222.11	2,363.18	4,928.26	7,352.45	22,172.19	42,401.51	1,03,557.69	93,798.08	2,16,987.21	4,99,192.05
निवेश			-	-	4.52	4.52	106.24	241.48	1,773.07	3,222.49	5,352.32
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	884.86	1,667.72	7,831.36	6,140.16	21,814.25	60,134.86	52,354.62	82,387.95	2,33,215.78
अन्य उधारियां	793.01	-	1,015.31	1,524.94	8,172.84	1,505.61	916.07	13,717.14	34,862.06	17,661.40	80,168.38
अधीनस्थ देयताएं	-	-	147.83	-	126.55	44.72	2.11	-	2,089.83	5,001.17	7,412.21
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	166.10	-	-	44.18	5,526.47	4,166.17	7,491.45	13,823.91	1,629.18	32,847.46
अन्य उधारियां	1,330.43	3.34	2,508.38	6,595.15	1,042.01	4,130.55	13,533.74	22,672.34	36,779.75	3,327.98	91,923.67

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	822.91	-	1,707.32	3,878.16	6,686.47	22,097.85	30,180.20	81,757.04	85,313.12	1,89,640.84	4,22,083.91
निवेश		-	-	-	4.73	4.73	41.86	157.38	259.03	2,702.28	3,170.00
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	261.99	4,667.81	3,315.50	831.94	3,488.89	4,136.02	12,997.04	55,891.49	39,037.42	79,583.68	2,04,211.79
अन्य उधारियां	4,620.32	-	-	-	3,703.42	666.56	9,451.45	11,820.15	16,672.28	29,488.81	76,422.98
अधीनस्थ देयताएं	2.11	-	-	2,668.34	126.46	-	-	-	-	3,976.40	6,773.30
विदेशी मुद्रा उधारियां	-										
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	4,297.43	43.56	96.67	5,742.53	9,438.34	13,072.00	-	32,690.54
अन्य उधारियां	129.70	-	2.53	3,106.25	3,658.67	2,688.69	12,311.25	7,409.95	27,542.82	3,841.28	60,691.15

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनआहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही		
- स्थाई दर		
- अस्थायी दर	11,813.99	13,364.88
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही		
- स्थाई दर		
- अस्थायी दर	386.44	1,393.58

51.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण (उधारियां)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या	14	14
राशि (₹ करोड़ में)	2,12,903.39	1,78,043.46
कुल देयताओं का %	44.46%	43.70%

(ii) शीर्ष 10 उधारियां

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
31-03-2024 तक		
1 एचडीएफसी बैंक से सावधिक ऋण	17,850.00	4.08%
2 54ईसी-शृंखला XVI (2022-23)	12,152.39	2.78%
3 54ईसी- शृंखला XVII (2023-24)	10,175.72	2.32%
4 भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.28%
5 विदेशी मुद्रा उधार-यूएस \$ 1175 मिलियन	9,796.43	2.24%
6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सावधिक ऋण	7,750.94	1.77%
7 पंजाब नेशनल बैंक से सावधिक ऋण	7,529.29	1.72%
8 54 ईसी -शृंखला XV (2021-22)	7,312.80	1.67%
9 विदेशी मुद्रा बॉण्ड- यूएस \$ 750 मिलियन	6,253.04	1.43%
10 54 ईसी - शृंखला XIII (2019-20)	6,157.82	1.41%
कुल	94,978.43	21.69%
31-03-2023 तक		
1 एचडीएफसी बैंक से सावधिक ऋण	16,350.00	4.36%
2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सावधिक ऋण	10,900.26	2.91%
3 54ईसी-शृंखला XVI (2022-23)	10,432.55	2.79%
4 भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.67%
5 विदेशी मुद्रा उधार-यूएस \$ 1175 मिलियन	9,660.49	2.58%
6 54 ईसी -शृंखला XV (2021-22)	7,312.80	1.95%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
7 54 ईसी - शृंखला XII (2018-19)	6,651.31	1.78%
8 54 ईसी - शृंखला XIII (2019-20)	6,157.82	1.64%
9 टैक्स फ्री बॉण्ड (2013-14 शृंखला)	5,968.00	1.59%
10 विदेशी मुद्रा बॉण्ड- यूएस \$ 700 मिलियन	5,755.18	1.54%
कुल	89,188.41	23.81%

(iii) महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पाद के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पाद का नाम*	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1 ऋण प्रतिभूतियां				
संस्थागत बॉण्ड	1,74,230.29	36.39%	1,50,217.70	36.87%
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	32,963.75	6.88%	32,886.78	8.07%
54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	42,356.21	8.85%	37,586.91	9.23%
टैक्स फ्री बॉण्ड	8,953.27	1.87%	10,261.64	2.52%
उप-जोड़ (1)	2,58,503.52	53.99%	2,30,953.03	56.69%
2 उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)				
बैंकों से सावधिक ऋण	50,612.28	10.57%	56,298.20	13.82%
विदेशी मुद्रा उधारियां	67,205.64	14.04%	45,553.26	11.18%
एफसीएनआर (बी) ऋण	25,138.67	5.25%	15,424.22	3.79%
भारत सरकार से सावधिक ऋण (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.09%	10,000.00	2.45%
वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण	8,050.00	1.68%	6,000.00	1.47%
उप-जोड़ (2)	1,61,006.59	33.62%	1,33,275.68	32.72%
3 अधीनस्थ देयताएं	7,240.70	1.51%	6,650.70	1.63%
कुल (1+2+3)	4,26,750.81	89.12%	3,70,879.41	91.04%

*महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट / उत्पाद को कंपनी के कुल देयताओं के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल इन्स्ट्रुमेंट / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(iv) स्टॉक अनुपात :

विवरण	31-03-2024 तक				31-03-2023 तक			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल रिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	44,534.98	10.17%	9.30%	8.12%	20,517.95	5.48%	5.04%	4.41%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(v) परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिसमापन ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर परिसमापन दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के होरिज़न के लिए अपनी परिसमापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है:

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का स्टॉक
अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह

जहां,

- (i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।
- (ii) उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) का अर्थ है ऐसी तरल परिसंपत्ति जिसे आसानी से बेचा जा सकता है या बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या विभिन्न दबाव परिदृश्यों में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक चरण तक पहुंच जाना चाहिए।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और मुख्य रूप से एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड के रूप में भारतीय रुपये में रखा जाता है। प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के पास भविष्य की संभावित अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियां एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड और ऑटो स्वेप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2024 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित है:

एचक्यूएलए मदे	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
	समग्र का %	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	57.23%	72.81%
- जी-सेक एवं (एसडीएल)	57.23%	72.81%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तिया	42.40%	27.19%
- कारपोरेट बॉण्ड	42.40%	27.19%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तिया	0.37%	-
- कारपोरेट बॉण्ड	0.37%	-
	100.00%	100.00%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
परिसमापन कवरेज अनुपात प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त तिमाही				31-12-2023 को समाप्त तिमाही				30-09-2023 को समाप्त तिमाही				30-06-2023 को समाप्त तिमाही				31-03-2023 को समाप्त तिमाही			
	01-10-2023 से 30-11-2023 तक		01-12-2023 से 31-12-2023 तक		01-10-2023 से 30-11-2023 तक		01-12-2023 से 31-12-2023 तक		कुल अभारित मूल्य (औसत)*		कुल भारित मूल्य (औसत)*		कुल अभारित मूल्य (औसत)*		कुल भारित मूल्य (औसत)*		कुल अभारित मूल्य (औसत)*		कुल भारित मूल्य (औसत)*	
उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तिया	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	2,907.45	2,762.42	2,373.56	2,262.52	2,542.95	2,416.23	2,330.25	2,229.11	2,236.00	2,142.10	2,110.21	2,016.54								
- एए/एएए कारपोरेट बॉण्ड	918.21	773.18	692.33	581.29	796.86	670.14	626.36	525.22	626.00	532.10	624.47	530.80								
- जी-सेक बॉण्ड /राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	1,618.28	1,618.28	1,458.59	1,458.59	1,619.94	1,619.94	1,430.66	1,430.66	1,428.00	1,428.00	1,429.73	1,429.73								
- नकदी एवं नकदी के समतुल्य	370.96	370.96	222.64	222.64	126.15	126.15	273.23	273.23	182.00	182.00	56.01	56.01								
नकदी बहिर्प्रवाह																				
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	10,559.67	12,144.00	10,314.44	11,862.00	7,297.52	8,392.00	9,601.00	11,041.00	9,449.00	10,866.00	6,369.18	7,324.56								
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	335.00	385.00	188.33	217.00	358.51	412.00	190.00	219.00	46.00	53.00	295.35	339.65								
कुल नकदी बहिर्प्रवाह	10,894.67	12,529.00	10,502.77	12,079.00	7,656.03	8,804.00	9,791.00	11,260.00	9,495.00	10,919.00	6,664.53	7,664.21								
नकदी अंतर्प्रवाह																				
पूर्ण रूप से निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह	11,800.70	8,851.00	10,108.41	7,581.00	12,486.21	9,365.00	10,559.00	7,919.00	8,212.00	6,159.00	7,305.09	5,478.82								
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	10,652.37	7,989.00	10,563.45	7,923.00	10,418.68	7,814.00	11,125.00	8,344.00	11,373.00	8,530.00	9,892.26	7,419.19								
कुल नकद अंतर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्प्रवाह के 75% तक सीमित)	22,453.07	9,396.75	20,671.86	9,059.25	22,904.89	6,603.00	21,684.00	8,445.00	19,585.00	8,189.25	17,197.34	5,748.16								
कुल समायोजित मूल																				
कुल एचक्यूएलए (ए)		2,762.42		2,262.52		2,416.23		2,229.11		2,142.10		2,016.54								
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (बी)		3,132.25		3,019.75		2,201.00		2,815.00		2,729.75		1,916.05								
तरलता कवरेज अनुपात (ए/ बी)		88.19%		74.92%		109.78%		79.19%		78.47%		105.24%								
% विभिन्नता (पिछली अवधि से)		1.91%		9.29%		9.29%		0.92%		-25.44% **		-								

*31.03.2023 को समाप्त तिमाही के लिए एचक्यूएलए ओएस होल्टिम 105.24% थी जो उस तारीख तक 70% की निगमक आवश्यकता से ऊपर थी। 30.06.2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, निवल नकदी में वृद्धि के कारण अनुपात 78.47% रहा है, हालांकि बहिर्प्रवाह 70% की निगमक आवश्यकता के भीतर है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

51.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी को मुख्य रूप से यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में मूल्यवर्गित विभिन्न विदेशी मुद्रा उधारों से विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में उधार लिए गए विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा अनुबंधों और क्रॉस करेंसी स्वेप के संयोजन का उपयोग करती है।

एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) वर्तमान में सीएमडी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जिसमें वित्त और परिचालन प्रभागों के कार्यात्मक निदेशक, कार्यपालक निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं। एएलसीओ विभिन्न डेरिवेटिव उपकरणों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी करता है। 'कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, मुद्रा विकल्प, मूलधन केवल स्वेप और वायदा दर समझौतों जैसे विभिन्न इन्स्ट्रुमेंट्स के माध्यम से विनिमय दर को कवर करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करती है। ये व्युत्पन्न लेनदेन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या काल्पनिक उद्देश्य के लिए।

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के संबंध में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए क्रॉस करेंसी स्वेप (मूलधन और/या ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च 2024 तक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, आईएनआर (भारतीय रुपये) समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोजर
यूएसडी \$	11,950.15	11,827.00	123.15	10,012.00	9,012.00	1,000.00
आईएनआर के समतुल्य	99,633.09	98,606.31	1,026.78	82,315.60	74,093.87	8,221.73
जेपीवाई ¥	3,34,306.77	3,34,306.77	-	58,352.75	58,352.75	-
आईएनआर के समतुल्य	18,416.96	18,416.96	-	3,606.20	3,606.20	-
यूरो €	609.29	604.02	5.26	689.58	673.79	15.79
आईएनआर के समतुल्य	5,496.88	5,449.37	47.51	6,179.19	6,037.68	141.51
एसजीडी \$	285.29	285.29	-	285.28	285.28	-
आईएनआर के समतुल्य	1,761.13	1,761.13	-	1,763.27	1,763.27	-
कुल	1,25,308.06	1,24,233.77	1,074.29	93,864.26	85,501.02	8,363.24

संवेदनशील विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका हेज न किए गए एक्सपोजर पर आईएनआर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
यूएसडी/आईएनआर	38.02	(38.42)	307.62	(307.62)
जेपीवाई/आईएनआर	-	-	-	-
यूरो/आईएनआर	1.78	(1.78)	5.29	(5.29)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

51.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी-सेक यील्ड/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी के कुछ उधार ब्याज दर जोखिम के संपर्क में हैं, जिसमें फ्लोटिंग ब्याज दरें एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), मीयादी एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), टी-बिल, रेपो रेट आदि से जुड़ी हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वेप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस-करेंसी ब्याज दर स्वेप का भी उपयोग करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2024 को अस्थिर ब्याज दरों से जुड़ी देयताओं के लिए कंपनी के समग्र एक्सपोजर को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, आईएनआर (भारतीय रुपये) समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31-03-2024 तक			31-03-2023 तक		
	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोजर	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोजर
आईएनआर उधारियां	61,162.28	-	61,162.28	62,798.20	-	62,798.20
यूएसडी \$	5,611.15	5,218.00	393.15	5,062.00	1,892.00	3,170.00
आईएनआर के समतुल्य	46,782.38	43,504.51	3,277.87	41,618.19	15,555.43	26,062.76
जेपीवाई ¥	2,73,206.75	-	2,73,206.75	58,352.75	10,327.17	48,025.58
आईएनआर के समतुल्य	15,050.96	-	15,050.96	3,606.20	638.22	2,967.98
यूरो €	604.02	-	604.02	604.02	-	604.02
आईएनआर के समतुल्य	5,449.37	-	5,449.37	5,412.51	-	5,412.51
एसजीडी \$	285.29	72.08	213.21	285.28	72.07	213.21
आईएनआर के समतुल्य	1,761.13	444.93	1,316.20	1,763.27	445.47	1,317.80
कुल आईएनआर के समतुल्य	1,30,206.12	43,949.44	86,256.68	1,15,198.37	16,639.12	98,559.25

ब्याज दर संवेदनशील बेमेल को कम करने के लिए कंपनी ब्याज दर उधार पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वेप का भी उपयोग करती है। इस तरह के स्वेप के माध्यम से, 31 मार्च 2024 (पिछले वर्ष ₹15,950.70 करोड़) की स्थिति के अनुसार ₹15,950.70 करोड़ की निश्चित दर उधार को एमआईबीओआर से जुड़े ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वेप के उपयोग के माध्यम से अस्थिर दर उधार में परिवर्तित कर दिया गया है।

कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो में अर्ध-निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है यानी उधारकर्ता के साथ 1/3/6/12/36/30/120 महीने के रीसेट विकल्प के साथ निश्चित ब्याज दर। कंपनी मौजूदा बाजार स्थितियों, उधार लेने की लागत, यील्ड, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरी और संवितरण आदि के आधार पर समय-समय पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है। पूर्व-भुगतान जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी उधारकर्ताओं से पूर्व-भुगतान प्रीमियम लेती है। ऋण का पूर्व भुगतान, ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशील अंतर विवरण के विश्लेषण और निश्चित और अस्थिर ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देयताओं के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध-निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
रूपये ऋण	4,96,192.74	4,31,992.47

संवेदनशील विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा हेज न किए गए एक्सपोजर की स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि लाभ/ (हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(322.74)	322.74	(368.77)	368.77
ब्याज दर स्वेप्स	(59.68)	59.68	(59.68)	59.68
अस्थिर/अर्ध-निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,856.55	(1856.55)	1,616.34	(1616.34)

* अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

उपर्युक्त 'संवेदनशील विश्लेषण' यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

51.5 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास विभिन्न बेंचमार्क से संबद्ध ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए ऐसे ब्याज दर बेंचमार्क में 3/6 माह का अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), 3/6 माह का ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), 3/6 माह का आवधिक एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), 3/6 माह का सावधिक एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एवरेज रेट), टीओएनएआर (टोकियो ओवरनाइट एवरेज रेट), एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) आदि शामिल हैं। अनुबंधित ब्याज दर बेंचमार्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को ऐसी उधारियों का सारांश निम्नानुसार है:

बेंचमार्क	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (यूएसडी मिलियन के समतुल्य)	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (यूएसडी मिलियन के समतुल्य)
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर*	-	-	1,233.26	150.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर*	-	-	29,080.13	3,537.00
3 मिलियन सावधिक एसओएफआर	3,084.83	370.00	6,988.44	850.00
6 मिलियन सावधिक एसओएफआर	2,427.46	291.15	822.17	100.00
ओवरनाइट एसओएफआर	41,270.08	4,950.00	3,494.22	425.00
3 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	2,293.28	275.06	3,595.53	437.32
6 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	3,156.10	378.55	3,134.74	381.28
ओवरनाइट टीओएनए	15,050.96	1,805.24	3,606.20	438.62
ओवरनाइट एसओआरए	1,761.12	211.23	445.48	54.18
कुल	69,043.83	8,281.23	52,400.17	6,373.40

* यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च को घोषित की गई 30 जून 2023 के बाद 3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर और 6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर का प्रकाशन बंद हो गया है।

(i) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्षतः प्रभावित एक्सपोज़र

हालांकि कंपनी की कुछ अस्थायी दर उधारियां पहले से ही नए बेंचमार्क के तहत हैं, कुछ उधारियां एलआईबीओआर बेंचमार्क दरों यानी 3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर और 6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर से जुड़ी हुई थीं, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशित होना बंद हो गई हैं। 31 मार्च, 2023 को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोज़र की कुल राशि ₹ 28,159.29 करोड़ (यूएसडी 3.425 बिलियन) थी और व्युत्पन्न एक्सपोज़र की नाममात्र राशि ऐसी देयताओं से जुड़ी हुई थी और हेज लेखांकन के तहत ₹ 4,110.85 करोड़ (यूएसडी 0.500 बिलियन) थी। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, एलआईबीओआर बेंचमार्क दरों से जुड़ी कोई उधारी नहीं है जिसका प्रकाशन बंद हो गया है।

(ii) वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के अनुसरण में, एलआईबीओआर को वैकल्पिक जोखिम-मुक्त दरों (आरएफआर) से बदल दिया गया है। एसओएफआर (सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) यूएसडी एलआईबीओआर का प्रतिस्थापन है, जबकि टीओएनए (टोकियो ओवरनाइट एवरेज रेट) ने जेपीवाई एलआईबीओआर का स्थान ले लिया है। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वेप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), वैश्विक व्युत्पन्न व्यापारों को नियंत्रित करने वाली विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वैधानिक संस्था, सभी पुराने अनुबंधों को नए बेंचमार्क में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (आमतौर पर फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है) के साथ आई थी। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया था जिसके तहत विभिन्न एलआईबीओआर बेंचमार्क के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से सभी समकक्षों के साथ मौजूदा व्युत्पन्न व्यापारों पर लागू हो गए।

सावधिक ऋणों के संबंध में, आरईसी पहले ही संबंधित उधारदाताओं के साथ चर्चा में नई बेंचमार्क दरों पर बदलाव कर चुका है और रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, एलआईबीओआर बेंचमार्क दरों के साथ कोई स्थाई दर उधार नहीं जुड़ा है, जो प्रकाशित होना बंद हो गया है।

(iii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से प्रभावित एक्सपोज़र के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान

इंड एस 109 ब्याज दर बेंचमार्क सुधार से सीधे प्रभावित होने वाले सभी हेजिंग संबंधों को अस्थायी अपवाद प्रदान करता है। तदनुसार, अंतर्निहित ऋणों और हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स के लिए बेंचमार्क दरों में बदलाव से ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप हेज प्रभावशीलता में कोई बदलाव नहीं आया है।

51.6 हेज लेखांकन

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज मद के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरक्षित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग आरक्षित निधि की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए मद और हेजिंग इंस्ट्रुमेंट्स के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

(i) क्रॉस करेंसी स्वेप और ब्याज दर स्वेप के लिए, जो कि हेज की गई मदों की शर्तों से पूरी तरह मेल खाता है, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण टर्म मिलान विधि का उपयोग करते हुए गुणात्मक कारकों पर आधारित है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (ii) अन्य ब्याज दर स्वेप के लिए (देर से नामित के मामलों में), कंपनी काल्पनिक व्युत्पन्न का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है, डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की तुलना हेज जोखिम के कारण हेज की गई मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन से की जाती है।
- (iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट और हेज की गई मदों के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स का अंतर्निहित जोखिम और अनुमानित राशि हेजिंग मदों के समान है।

हेज लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक	कल्पित राशि (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि	परिपक्वता की तिथि	हेज अनुपात	भारत औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
हेज एवं जोखिम के प्रकार		परिसंपत्तियां	देयताएं				
नकदी प्रवाह हेज							
विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम							
(i) विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं							
- सिंगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 11,452.00	7,137.02	269.59	अप्रैल 2024 - नवंबर 2030	1:1	79.66	111.47 (111.47)
	यूएसडी 604.02	679.46	-	अक्टूबर 2027 - मार्च 2028	1:1	85.93	16.20 (16.20)
	यूएसडी 285.29	311.62	93.21	मार्च 2025- अक्टूबर- 2027	1:1	60.28	(3.51) 3.51
	यूएसडी 3,34,306.79	2,942.85	49.01	दिसंबर 2024 - जनवरी 2034	1:1	0.58	(872.94) 872.94
- कॉल स्प्रेड	यूएसडी -	-	-	वर्ष के दौरान परिपक्व हुआ	1:1	0.00	3.68 (3.68)
(ii) केवल मूल स्वेप्स	यूएसडी 375.00	43.34	38.13	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(155.79) 155.79
(iii) ब्याज दर स्वेप्स	यूएसडी 5,218.00	834.11	12.02	मई 2023 - मार्च 2025	1:1	3.12%	1,237.36 (1,237.36)
	यूएसडी	-	-	वर्ष के दौरान परिपक्व हुआ	-	0.00%	(0.05) 0.05
	यूएसडी 72.08	18.08	-	अगस्त 2023	1:1	1.18%	(4.44) 4.44
	आईएनआर 55,280.00	53.11	-	मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	8.44%	53.11 (53.11)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 तक	कल्पित राशि (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि	परिपक्वता की तिथि	हेज अनुपात	भारत औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
हेज एवं जोखिम के प्रकार		परिसंपत्तियां	देयताएं				

नकदी प्रवाह हेज

विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम

(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं							
	- सिंगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 8,387	6,970.98	2.25	मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	76.34	1,594.19 (1,594.19)
		यूरो 673.79	403.91	-	दिसंबर 2023-मार्च 2028	1:1	86.12	210.89 (210.89)
		एसजीडी 285.29	32.00	83.52	मार्च 2025-अक्टूबर- 2027	1:1	60.28	(65.66) 65.66
		जेपीवाई 58,352.74	572.12	-	अगस्त 2023 - मार्च 2027	1:1	0.61	(52.15) 52.15
	- कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	208.14	-	मार्च 2024	1:1	57.52	58.14 (58.14)
(ii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 800	85.92	-	मई 2023 - मार्च 2025	1:1	3.52% और 72.79	98.24 (98.24)
(iii)	ब्याज दर स्वैप्स	जेपीवाई 10,327.12	-	0.60	अगस्त 2023	1:1	4.31% और 0.62	(0.33) 0.33
		यूएसडी 375	38.85	-	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(35.15) 35.15
		यूएसडी 1992	251.77	10.87	मई 2023 - नवंबर 2030	1:1	0.98%	189.27 (189.27)

(ख) लाभ और हानि के विवरण पर नकदी प्रवाह हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन
31-03-2024 को समाप्त वर्ष				
- मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	385.09	-	(479.51)	विदेशी मुद्रा अंतरण पर लाभ/हानि
			(1,166.31)	वित्तीय लागत
31-03-2023 को समाप्त वर्ष				
- मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	1,997.43	-	(4,995.73)	विदेशी मुद्रा अंतरण पर लाभ/हानि
			(158.91)	वित्तीय लागत

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग आरक्षित निधि और हेजिंग आरक्षित निधि की लागत में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजेज़ के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	600.05	194.21
मुद्रा व्युत्पन्न के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन	(2,899.59)	5,507.71
ब्याज दर स्वेप्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	1,275.44	189.27
लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत राशियां	(1,645.82)	(5,154.64)
उपरोक्त से संबंधित आस्थगित कर (निवल)	822.99	(136.49)
अंतिम शेष	(1,846.93)	600.05
हेजिंग आरक्षित निधि की लागत		
प्रारम्भिक शेष	(1,709.87)	(395.95)
विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	2,009.23	(3,699.55)
समय मूल्य का परिशोधन	2,534.96	1,943.73
उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(1,143.68)	441.90
अंतिम शेष	1,690.64	(1,709.87)

(घ) उचित मूल्य हेजेज़

31 मार्च 2024 को, कंपनी के पास ₹ 15,950.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 15,950.70 करोड़) के बकाया ब्याज दर स्वेप करार हैं, जिसमें कंपनी ब्याज की एक नियत दर प्राप्त करती है और कल्पित राशि पर एक परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान करती है। ऐसे करारों का उपयोग नियत दर वाली उधारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए किया जा रहा है।

हेज की गई मद और हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि ब्याज दर स्वेप की शर्तें, नियत दर ऋण (अर्थात, कल्पित राशि, परिपक्वता, भुगतान और रीसेट तिथियां) की शर्तों से मेल खाती हैं। इस प्रकार, हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया गया है क्योंकि ब्याज दर स्वेप का अंतर्निहित जोखिम, हेज जोखिम घटक के समान है।

तुलन पत्र पर हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि	धारित राशि*	तुलन पत्र में लाइन मद जहां हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स का प्रकटन किया	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए प्रयुक्त मूल्य में परिवर्तन
31-03-2024 तक	- ब्याज दर स्वेप	15,950.70	(221.33)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	57.69
31-03-2023 तक	- ब्याज दर स्वेप	15,950.70	(279.02)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	(167.10)

* यहां धारित राशि रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऐसे व्युत्पन्न संविदा के तहत प्राप्य ब्याज को छोड़कर है।

तुलन पत्र पर हेजिंग मद का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	धारित राशि	संचयी उचित मूल्य समायोजन	तुलन पत्र में लाइन मद जिसमें हेज की गई मद शामिल है	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए प्रयुक्त मूल्य में परिवर्तन
31-03-2024 तक	- अधीनस्थ देयताएं	2,091.95	(143.77)	अधीनस्थ देयताएं	34.39
	- संस्थागत बॉण्ड	11,960.91	(77.56)	ऋण प्रतिभूतियां - संस्थागत बॉण्ड	23.30
31-03-2023 तक	- अधीनस्थ देयताएं	4,748.24	(178.16)	अधीनस्थ देयताएं	(49.83)
	- संस्थागत बॉण्ड	11,950.08	(100.86)	ऋण प्रतिभूतियां - संस्थागत बॉण्ड	(117.27)

'ब्याज दर स्वेप के उचित मूल्य में ₹ 57.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (167.10 करोड़) की वृद्धि की भरपाई संबंधित अधीनस्थ देयताओं और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ के साथ की गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

51.7 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

‘कंपनी उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी का निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय रणनीतिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है।

‘संवेदनशील विश्लेषण

‘नीचे दी गई तालिका सकल घरेलू उत्पाद के बाहर, कंपनी के इक्विटी निवेश पर संबंधित कीमतों में 5% की वृद्धि या कमी के लिए ओसीआई लाभ/ (हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) पर प्रभाव	4.70	(4.70)	3.36	(3.36)
लाभ एवं हानि लेखा (पीएल) पर प्रभाव	3.82	(3.82)	1.37	(1.37)

52 युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

52.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप्स

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	72,128.13	46,278.27
(ii) हानियाँ, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	1,367.71	718.55
(iii) स्वैप्स में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
(iv) स्वैप्स के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृपया निम्न टिप्पणी का संदर्भ लें	कृपया निम्न टिप्पणी का संदर्भ लें
(v) स्वैप बही का उचित मूल	1,057.96	417.73

आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार

52.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में हिस्सा नहीं लिया है।

52.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न *		ब्याज दर व्युत्पन्न **		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
हेजिंग के लिए	1,24,233.76	85,501.02	72,128.13	46,278.27	-	4,947.00
(ii) मार्केट टू मार्केट स्थितियाँ						
क) परिसंपत्ति (+)	11,114.31	8,263.06	1,367.71	718.55	-	-
ख) देयता (-)	449.95	146.02	309.75	300.82	-	530.11
(iii) क्रेडिट एक्सपोज़र	9,156.47	6,250.55	973.15	608.40	-	662.05
(iv) अनहेज्ड एक्सपोज़र	1,074.29	8,363.24	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रेड एवं सिंगल ऑप्शन शामिल हैं।

**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।

***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।

53. एनबीएफसी के लिए आरबीआई स्केल आधारित फ्रेमवर्क (एसबीआर)

आरबीआई ने 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित फ्रेमवर्क (एसबीआर) पेश किया है, जिसमें एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार लेयर में वर्गीकृत किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आरबीआई ने 19 अक्टूबर, 2023 को “मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023 जारी किया है। कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसे एनबीएफसी - मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के लिए मास्टर निर्देश में उल्लिखित दिशानिर्देशों/विनियमों के अधीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

54. एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 17 सितंबर, 2010 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सी. सी. नं. 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरबीसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। एक आईएफसी के रूप में, किसी एक उधारकर्ता के मामले में उधार देने और निवेश करने के लिए कुल अनुमत एक्सपोजर टियर-1 पूंजी का क्रमशः 30% और उधारकर्ताओं के एक समूह के मामले में 50% है।

आरबीआई ने आरबीसी को केंद्र/राज्य सरकार संस्थानों के संबंध में 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई के क्रेडिट/निवेश मानदंडों की प्रयोज्यता से छूट दी थी। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान आरबीआई ने आगे छूट की अनुमति नहीं देते हुए कंपनी को मानदंडों का पालन करने की सलाह दी थी। कंपनी ने बाद में आवश्यक कदम उठाए हैं, जैसे कि कुछ उधारकर्ताओं के एक्सपोजर को फिर से व्यवस्थित करना, स्थायी बॉण्ड जारी करना आदि और इसके परिणामस्वरूप, आज की तारीख में अपने उधारकर्ताओं को बकाया ऋण के संबंध में एक्सपोजर निर्धारित मानदंडों के भीतर है।

54.1 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर

31 मार्च, 2024 को कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च, 2023 को शून्य)।

54.2 पूंजीगत बाजार के लिए एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) इकिटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इकिटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही निवेश नहीं किया जाता है (इसमें वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश शामिल है)	604.10	534.10
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इकिटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए शेयरों/बॉण्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ या व्यक्तियों को पारदर्शिता के आधार पर अग्रिम	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचर या इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपादित सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, यानी जहां शेयर / परिवर्तनीय बॉण्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा होती है अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया	-	-
(v) स्टॉकब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी	-	-
(vi) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इकिटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉण्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या पारदर्शिता के आधार पर कॉर्पोरेट्स को ऋण स्वीकृत किया गया	-	-
(vii) अपेक्षित इकिटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को ऋण प्रदान करना	-	-
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए सभी एक्सपोजर	-	-
पूंजीगत बाजार के लिए कुल एक्सपोजर	604.10	534.10

54.3 क्षेत्रीय एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	31-03-2024 तक					31-03-2023 तक				
	बकाया मूल (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोजर (ईएडी)	सकल एनपीए	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत	मूल बकाया (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफॉल्ट पर कुल एक्सपोजर (ईएडी)	सकल एनपीए	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत
उद्योग										
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को उधार										
- विद्युत	5,05,636.77	2,449.98	5,08,086.75	13,810.33	2.72%	4,38,110.13	1,497.05	4,39,607.18	14,892.08	3.39%
- इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स	9,727.33	52.36	9,779.69	-	-	-	-	-	-	-
कुल एक्सपोजर	5,15,364.10	2,502.34	5,17,866.44	13,810.33	2.67%	4,38,110.13	1,497.05	4,39,607.18	14,892.08	3.39%

उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से किया गया एक्सपोजर बकाया मूल, उपचित ब्याज और बकाया आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

54.4 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

54.5 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
(i) अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	3,08,299.02	2,67,729.20
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	60.53%	61.55%
(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण*		
बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	3,10,056.72	2,68,700.56
कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	59.87%	61.12%
(iii) क्रेडिट-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण		
शीर्ष चार क्रेडिट – इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	8,645.97	8,645.97

* उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से एक्सपोजर बकाया मूल, उपचित ब्याज और बकाया आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।

55. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधन लागत और श्रेणी के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स की धारित राशि इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	9	12,019.60	8,574.02
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	9	462.42	407.59
पर मापित निवेश*			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	11	410.64	381.71
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	11	1,141.40	589.65
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	262.75	48.70
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	7	2,699.75	2,346.91
व्यापार प्राप्तियां	8	153.82	113.00
ऋण परिसंपत्तियां	10	4,99,192.05	4,22,083.91
निवेश	11	3,800.28	2,198.64
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,445.41	24,422.54
कुल		5,44,588.12	4,61,166.67
वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य पर मापन			
पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स			
(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	9	759.70	386.58
(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	9	-	590.37
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
ट्रेड प्राप्य	18	90.51	41.68
ऋण प्रतिभूतियां	19	2,66,063.24	2,36,902.33
उधारियां (ऋण प्रतिभूति के अलावा)	20	1,72,092.05	1,37,114.13
अधीनस्थ देयताएं	21	7,412.21	6,773.30
अन्य वित्तीय देयताएं	22	31,959.49	25,345.11
कुल		4,78,377.20	4,07,153.50

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.1 उचित मूल्य पदानुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह पदानुक्रम समान परिसंपत्तियां अथवा देयताओं [चरण-1 मापने] के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट [चरण-3 मापने] को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान इन्स्ट्रुमेंट्स के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण-1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट; और

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति, घटना की तारीख या स्थानांतरण का कारण बनने वाली परिस्थितियों में बदलाव के समय उचित मूल्य पदानुक्रम में अंतरण को मान्यता देना और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक				31-03-2023 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश*	93.91	-	316.73	410.64	67.23	-	314.48	381.71
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	76.37	-	-	76.37	27.31	-	-	27.31
स्टाई बॉण्ड	-	-	947.94	947.94	-	-	437.26	437.26
डिबेंचर	-	-	117.09	117.09	-	-	125.08	125.08
अधिमानित शेयर**								
एफवीओसीआई पर परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स		12,019.60	-	12,019.60	-	8,574.02	-	8,574.02
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां	-							
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	-	462.42	-	462.42	-	407.59	-	407.59
एफवीओसीआई पर देयता								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	-	759.70	-	759.70	-	386.58	-	386.58
एफवीटीपीएल पर देयता								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	-	-	-	-	-	590.37	-	590.37

* इसमें यूनियर्सल क्रेडिट लिमिटेड में ₹ 16.00 करोड़ के निवेश, उचित मूल्य शून्य पर किए गए निवेश शामिल हैं।

** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संवर्धी विमोचनीय अधिमानित शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में ₹ 43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

- (क) **उद्धृत इक्विटी निवेश में निवेश - चरण 1** - एनएचपीसी लिमिटेड, हुडको लिमिटेड और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के सूचीबद्ध इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स में निवेश को बाजार में उनके आसानी से उपलब्ध उद्धृत मूल्य पर मापा जाता है।
- (ख) **व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स - चरण 2** - उचित मूल्य उन बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है जिन्होंने अंतर्निहित जोखिम से बचाव के लिए अनुबंध किया है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना आगे की विनिमय दरों, अनुबंध की परिपक्वता के अनुरूप ब्याज दरों और निहित अस्थिरता सहित बाजार अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके की जाती है।
- (ग) **स्टाई बॉण्ड में निवेश - चरण 3** - कंपनी ने केनरा बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के स्ट्राई बॉण्ड में निवेश किया था जो एनएसई/बीएसई पर उद्धृत हैं। कंपनी ने इन बॉण्ड के लिए सक्रिय बाजार लेन-देन की जांच की थी। हालाँकि, कंपनी द्वारा रखे गए इन बॉण्ड में किसी भी बाजार गतिविधि का कोई इतिहास नहीं था, और इसलिए, ऐसे बॉण्ड के लिए उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं था। कंपनी ने निवेशित बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की जांच की थी, और यदि कोई बदलाव नहीं देखा गया है, तो रियायती नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना के लिए कूपन दर पर विचार किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (घ) **यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - यूसीएक्स के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर रखा गया है। यूसीएक्स को 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे एक चालू संस्था के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।
- (ङ) **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - ईईएसएल के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईईएसएल 01 सितंबर, 2021 से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नहीं रहेगा। उचित मूल्य निवेशित कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण में बताए गए निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर गणना की गई है।
- (च) **झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) और इंड भारत एनर्जी उत्कल लिमिटेड (आईबीईयूएल) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - जेपीएल और आईबीईयूएल के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनकी संबंधित समाधान योजनाओं के अनुसार कंपनी को उधारकर्ता कंपनियों के इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। उनके संबंधित उचित मूल्य की गणना निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर की गई है, जैसा कि इन निवेशित कंपनियों के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण में बताया गया है।
- (छ) **गैर उद्धृत अधिमानित शेयरों में निवेश - चरण 3** - रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर उद्धृत ओसीसीआरपीएस में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुसार उधारकर्ता कंपनी का ओसीसीआरपीएस आवंटित किया गया है। उचित मूल्य शून्य माना गया है क्योंकि ऐसे इन्स्ट्रुमेंट्स में भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।
- (ज) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3** - एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा प्राप्त किया गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।
- (झ) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - चरण 3** - आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर-उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य माना गया है क्योंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

55.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स का मिलान

निम्न तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की शुरुआती और समापन मात्रा के मिलान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)	कुल
	स्थाई बॉण्ड में निवेश	अधिमानित शेयर में निवेश*	ओसीडी में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	437.26	-	125.08	314.48	876.82
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	-
निवेश / समायोजन	500.00	-	(18.92)	-	481.08
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	-
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय (i)	10.68	2.73	10.93	-	24.34
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(2.73)	-	2.25	(0.48)
अंतिम शेष	947.94	-	117.09	316.73	1381.76
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ(हानि)	19.94	0.00	10.94	(13.75)	17.13

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)		कुल
	स्थाई बॉण्ड में निवेश	अधिमानित शेयर में निवेश*	ओसीडी में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	-	-	132.55	-	214.74	347.29
ऋण समायोजन में प्राप्य (टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	182.36	182.36
निवेश / समायोजन	428.00	-	(26.66)	-	-	401.34
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	-	0.00
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय (i)	9.26	3.24	19.19	-	-	31.69
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(3.24)	0.00	-	(82.62)	(85.86)
अंतिम शेष	437.26	-	125.08	-	314.48	876.82
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ(हानि)	9.26	0.00	11.46	-	(98.62)	(77.90)

वर्ष के दौरान गैर-मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 11.4 देखें

* रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'विमोचनीय अधिमानित शेयर' में ₹ 43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है

- (i) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'ब्याज आय' का हिस्सा है।
- (ii) एफवीटीपीएल में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)' का हिस्सा है।
- (iii) एफवीओसीआई में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) (i) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स' के उचित मूल्य में परिवर्तन का हिस्सा है।

55.3 वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ

55.4 परिशोधित लागत पर मापे गए इन्स्ट्रुमेंट्स का उचित मूल्य

परिशोधन लागत पर मापे गए इन्स्ट्रुमेंट्स का उचित मूल्य, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है, इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	262.75	262.75	48.70	48.70
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	2,699.75	2,699.75	2,346.91	2,346.91
ट्रेड प्राप्य	153.82	153.82	113.00	113.00
ऋण	4,99,192.05	4,99,309.15	4,22,083.91	4,21,931.84
निवेश	3,800.28	3,773.77	2,198.64	2,209.90
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,445.41	24,445.11	24,422.54	24,420.13
कुल	5,30,554.06	5,30,644.36	4,51,213.70	4,51,070.48
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	90.51	90.51	41.68	41.68
ऋण प्रतिभूतियां	2,66,063.24	2,62,160.93	2,36,902.33	2,30,559.20
उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	1,72,092.05	1,72,017.85	1,37,114.13	1,37,862.23
अधीनस्थ देयताएं	7,412.21	7,475.35	6,773.30	6,963.79
अन्य वित्तीय देयताएं	31,959.49	31,959.49	25,345.11	25,345.11
कुल	4,77,617.50	4,73,704.14	4,06,176.55	4,00,772.02

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स की मूल्यांकन पद्धतियों को उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है

उपरोक्त वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां और धारणाएं नीचे दी गई हैं, जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर दर्ज और मापा नहीं जाता है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए की गई थी। नीचे दी गई पद्धतियां और धारणाएं केवल उपरोक्त तालिकाओं के इन्स्ट्रुमेंट्स से संबंधित हैं:

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए जिनकी अल्पकालिक परिपक्वता (बारह माह से कम) है, वहन राशि, जो इंपेयरमेंट के निवल हैं, उनके उचित मूल्य का एक उचित अनुमान है। ऐसे इन्स्ट्रुमेंट्स में शामिल हैं: नकदी एवं नकदी के समतुल्य, नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा बैंक शेष, विशिष्ट परिपक्वता के बिना अनुबंध परिसंपत्ति और अनुबंध देयता।

ग्राहकों को ऋण और अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों की गणना पोर्टफोलियो-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके की जाती है, जहाँ तक संभव हो ऋणों को समान विशेषताओं के आधार पर समरूप समूहों में समूहित किया जाता है। इसके बाद कंपनी रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करके पूरे पोर्टफोलियो के लिए उचित मूल्य की गणना और एक्सट्रापोलेट्स करती है, जिसमें ऋण की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करते हुए ब्याज दर अनुमान शामिल होते हैं। जहाँ ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी अपने सामूहिक इंपेयरमेंट मॉडल में उपयोग किए गए ऐतिहासिक अनुभव और अन्य जानकारी का उपयोग करती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधन लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्यों का अनुमान वास्तविक या अनुमानित यील्ड का उपयोग करके संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करके किया जाता है और समतुल्य के क्रेडिट जोखिम को शामिल करते हुए यील्ड में छूट दी जाती है।

जारी ऋण

कंपनी की निश्चित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और अधीनस्थ देयताओं का उचित मूल्य डिस्काउंटेड कैश फ्लो ('डीसीएफ') पद्धति को लागू करके, छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर को दर्शाता है। 31 मार्च 2024 को स्वयं का गैर-निष्पादन जोखिम नगण्य आंका गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी-सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से रिपोर्टिंग तिथि तक अर्जित ब्याज को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

पीएसयू बॉण्ड्स में निवेश

कंपनी ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति बनाए रखने के लिए पीएसयू बॉण्ड्स में निवेश किया है। कंपनी ने बाजार इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना की है अर्थात् औद्योगिक प्रणाली के अनुसार शेष परिपक्वता के लिए पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता के लिए जी-सेक की यील्ड या शेष परिपक्वता के लिए क्रेडिट रेटिंग के अनुसार प्रसार।

ऋण समायोजन/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

उचित मूल्य उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा प्राप्त किया गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्तनीय दर सुविधाएं हैं जो अंतर्निहित ब्याज दर सूचकांकों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, इन सुविधाओं पर क्रेडिट का प्रसार कंपनी की साख में बदलाव के साथ परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का मानना है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों के करीब है। इसलिए, प्रबंधन का अनुमान है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित मूल्यों के करीब है।

56. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष के अंत में शेष अप्रदत्त मूल राशि	-	-
वर्ष के अंत में शेष अप्रदत्त पर देय ब्याज	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज परंतु एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	-	-
अवधि के अंत में लगाया गया ब्याज तथा शेष अप्रदत्त	-	-
जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्यमों को दिया गया हो, उस तारीख तक परवर्ती वर्षों में भी शेष देय तथा भुगतान योग्य अन्य ब्याज	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

57. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

57.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री विवेक कुमार देवांगन
श्री अजय चौधरी
श्री वी.के. सिंह
श्री पीयूष सिंह
श्री शशांक मिश्रा
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा
श्री मनोज शर्मा
डॉ.गंभीर सिंह
डॉ. मनोज एम.पांडे
डॉ दुर्गेश नंदिनी
श्री नारायणन तिरुपति
श्री जे.एस.अमिताभ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
निदेशक (वित्त) (1 फरवरी, 2024 से सेवा समाप्त)
निदेशक (परियोजना)
सरकार द्वारा नामित निदेशक (21 अगस्त, 2023 से सेवा समाप्त)
सरकार द्वारा नामित निदेशक (21 अगस्त, 2023 से नियुक्त)
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (11 जुलाई, 2023 से सेवा समाप्त)
पीएफसी द्वारा नामित निदेशक (11 जुलाई 2023 से नियुक्त)
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य धारक कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की अनुषंगी कंपनियां

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	कल्लम ट्रांसको लिमिटेड
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान भाग I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	खावड़ा आईवीए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	खावड़ा वी-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनईआरजीएस-आई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
करेशा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	ईआरईएस-XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

(4) नियोजन हितलाभ न्यास / निधि

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास
 आरईसी उपदान निधि
 आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी कर्मचारी हितैषी निधि
 आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(5) सीएसआर पहल करने के लिए पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

(6) वे कंपनियाँ जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक है

समर्पण अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड

(7) प्रमुख धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते हैं:

(क) प्रमुख धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री रविंदर सिंह ढिल्लों	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 जून, 2023 से सेवा समाप्त)
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (14 अगस्त, 2023 से) और डी(एफ) (13 अगस्त, 2023 तक)
श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजना)
श्री मनोज शर्मा	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री अजय तिवारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सलाह. भास्कर भट्टाचार्य	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती उषा संजीव नायर	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री प्रसन्न तंत्री	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनीष कुमार अग्रवाल	कंपनी सचिव (1 मई, 2023 से नियुक्त)

(ख) प्रमुख धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)
 पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड)

(ग) प्रमुख धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी

बिहार मेगा पावर लिमिटेड	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
ओड़िशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	फ़तेहगढ़ III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
घोसरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
ओड़िशा इंफ्रापावर लिमिटेड	फ़तेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	रामकनाली बी-पानागढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
फ़तेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड	सोलापुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
तिर्वा ट्रांसमिशन लिमिटेड	कतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड
बीकानेर III नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड	अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
नीमराना II कोटपूतली ट्रांसमिशन लिमिटेड	बाड़मेर I ट्रांसमिशन लिमिटेड
बीकानेर III नीमराणा II ट्रांसमिशन लिमिटेड	ब्यावर-मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड
नीमराना II बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	भादला-III और बीकानेर-III ट्रांसमिशन लिमिटेड
जोडा बार्बिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भुज II ट्रांसमिशन लिमिटेड
जेवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	जामनगर ट्रांसमिशन लिमिटेड
कोप्पल II गडग II ट्रांसमिशन लिमिटेड	केपीएस III एचवीडीसी ट्रांसमिशन लिमिटेड
गोला बी-रामगढ़ बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	पुणे- III ट्रांसमिशन लिमिटेड
हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड	सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड
खावड़ा पीएस1 और 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	साउथ ओलपैड ट्रांसमिशन लिमिटेड
पारादीप ट्रांसमिशन लिमिटेड	

57.2 संबंधित पक्षकारों से / को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.51	3.54
अन्य वित्तीय देयताएं- अप्रदत्त लाभांश	623.70	-
सहयोगी/अनुषंगी		
ऋण	19.25	13.39
देय	-	0.02
नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियां	5.70	3.70
अन्य वित्तीय देयताएं- भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
प्रावधान	0.13	2.68
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	23.55	15.11
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.05	0.05
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.30	0.22
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी - पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.15	0.17
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	1.25	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ
57.3 वर्ष के दौरान बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
नियोजन हितलाभ न्यास / निधि		
ऋण प्रतिभूतियाँ	8.70	8.70
सहयोगी/अनुषंगी		
ऋण	19.25	13.39
देय	0.02	0.02
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	0.16	0.16
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.55	0.39
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी - पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	0.17	0.17

57.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
प्रदत्त लाभांश	1,503.80	1,642.40
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.05	-
अन्य व्यय का बंटवारा	0.29	3.54
पीएफसी की मांग पर चुकौती योग्य ऋण पर वित्तीय लागत	-	-
सहयोगी/अनुषंगी कंपनियाँ		
परामर्श शुल्क	104.42	148.60
ब्याज आय	0.71	0.58
प्रतिपूर्ति/व्यय प्रतिपूर्ति	11.39	12.12
निवेश किया गया	0.90	0.90
निवेश की बिक्री	0.45	0.65
रोजगार लाभ न्यास/निधि		
कंपनी द्वारा किया गया योगदान	21.29	31.25
कंपनी के बॉण्ड्स का विमोचन	-	5.00
वित्तीय लागत - भुगतान किया गया ब्याज	2.87	3.28
कंपनी के बॉण्ड्स की सदस्यता	2.00	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.23	0.12
ऋण प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान/वसूली	-	0.10
कर्मचारी ऋण पर ब्याज आय	0.03	0.03
वित्त लागत - भुगतान किया गया ब्याज	-	0.06
कर्मचारी लाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.51	2.84
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.40	0.38
मुख्य धारक (केएमपी-पीएफसी) के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए भुगतान	243.00	151.95

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

57.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन और शर्त

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म की लंबाई के आधार पर किए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। बंधित पक्षों को भुगतान की गई वित्त लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में अनुषंगी कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई इंपेयरमेंट दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

57.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) अल्पावधि कार्मिक लाभ	3.24	2.65
(ii) रोजगार पश्चात लाभ	0.27	0.19
कुल	3.51	2.84

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग-अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है।

57.7 उसी सरकार (सरकार से संबंधित संस्थान) के नियंत्रणाधीन संस्थानों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित संस्थानों की सूची

समूह के संस्थान/कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) हैं। समूह ने जिन सरकारी संबंधित संस्थानों के साथ संव्यवहार किया है, उनकी सूची में निम्नलिखित को शामिल किया गया है परंतु उन तक सीमित नहीं है:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
दामोदर घाटी निगम	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	टस्को लिमिटेड
नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड
नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

सरकार से संबंधित संस्थानों से सकल लेन-देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	5,443.35	3,857.30
ब्याज आय को मान्यता	2,039.94	1,709.48
अन्य व्यय-पावर फाउंडेशन में आरईसी का योगदान	5.00	8.00

सरकार से संबंधित ऐसे संस्थानों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
ऋण परिसंपत्तियां	25,554.99	20,902.65
उपचित ब्याज	48.72	12.99

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 12, 20, 22, 34 और 48 देखें।

सरकार से संबंधित संस्थानों के साथ उपरोक्त लेन-देन में वे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। समूह ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेन-देन जैसे प्रशासनिक व्यय, सरकारी कार्यक्रमों पर खर्च आदि भी किए हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाज़ार की शर्तों पर किए जाते हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

58. भारतीय लेखांकन मानक इंड एस 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पकालिक पट्टों से संबंधित खर्च ₹ 8.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.96 करोड़) है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों सहित सभी पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्प्रवाह ₹ 8.25 करोड़ है। (पिछले वर्ष ₹ 6.96 करोड़)।

पट्टे की देयताओं की अग्रणीत राशि (उधार के अंतर्गत शामिल) और वर्ष के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
प्रारम्भिक शेष	0.02	0.03
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	-	-
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.02)	(0.01)
अंतिम शेष	-	0.02

नीचे दी गई तालिका बिना छूट वाली पट्टे की देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
1 वर्ष तक	-	0.02
1-5 वर्ष	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	-

59. भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन:

59.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना

कंपनी एनपीएस ट्रस्ट को पूर्व-निर्धारित दरों पर सेवानिवृत्ति योजना के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। एनपीएस ट्रस्ट/अलग ट्रस्ट के पास शेष राशि में संचित रिटर्न के साथ सदस्यों के खाते में मासिक योगदान शामिल है। जब सदस्य को पेंशन देय हो जाती है, तो सदस्य के खाते में जमा राशि को सदस्य के संचय और वार्षिकी के लिए विनियोजित किया जाता है, जैसा कि सदस्य द्वारा चुना गया है, आवंटित किया जाता है।

समूह ने परिभाषित योगदान योजना के लिए ₹ 19.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13.77 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है।

59.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. भविष्य निधि

कंपनी एक अलग पंजीकृत ट्रस्ट को पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के निश्चित योगदान का भुगतान करती है जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। ट्रस्ट वर्ष के दौरान अपने निवेश पर अर्जित रिटर्न के आधार पर सदस्यों के योगदान पर ब्याज दर की घोषणा करता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के अधीन है। सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए निर्दिष्ट ब्याज दर और ट्रस्ट के निवेश पर अर्जित रिटर्न में किसी भी कमी की भरपाई कंपनी द्वारा की जाएगी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से अपने कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान को अब तक अपनाई जाने वाली परिभाषित अंशदान योजना के बजाय एक परिभाषित लाभ योजना के रूप में मानना शुरू किया। ऐसे में कंपनी के मुनाफे पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। भविष्य निधि के प्रति कंपनी का दायित्व कर्मचारी लाभ पर आईएनडी एस 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित और प्रदान किया जाता है। योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कोई अलग ट्रस्ट नहीं है और कंपनियां परिभाषित योगदान योजनाओं में भविष्य निधि योगदान करती हैं।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	297.79	276.16
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	298.03	280.99
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	(0.24)	(4.83)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ख. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित उपदान योजना है जिसे एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर ग्रेच्युटी का हकदार है, जो कि प्रावधानों पर विचार करते हुए सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर उपदान भुगतान अधिनियम, 1972, यथासंशोधित अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये है। ग्रेच्युटी की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	27.31	29.23
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	27.18	26.55
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	0.13	2.68

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	29.23	30.43	26.55	30.09	2.68	0.34
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.08	1.42	-	-	1.08	1.42
पूर्व सेवा लागत	-	2.16	-	-	-	2.16
ब्याज लागत/आय	1.99	2.07	1.94	2.22	0.05	(0.15)
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	3.07	5.65	1.94	2.22	1.13	3.43
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.40	0.10	-	-	0.40	0.10
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.89)	(1.09)	-	-	(0.89)	(1.09)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	0.51	(0.29)	(0.51)	0.29
ओसीआई में मान्य कुल राशि	(0.49)	(0.99)	0.51	(0.29)	(1.00)	(0.70)
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	2.68	0.39	(2.68)	(0.39)
प्रदत्त हितलाभ	(4.50)	(5.86)	(4.50)	(5.86)	-	-
अंतिम शेष	27.31	29.23	27.18	26.55	0.13	2.68

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
ग. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	171.28	164.67
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	194.83	179.78
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	(23.55)	(15.11)

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	164.67	165.51	179.78	164.80	(15.11)	0.71
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	5.10	3.64	-	-	5.10	3.64
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/आय	11.73	11.83	13.14	12.15	(1.41)	(0.32)
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	16.83	15.47	13.14	12.15	3.69	3.32
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(5.30)	1.45	-	-	(5.30)	1.45
- जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-	-	-	-	-
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	8.28	(5.71)	-	-	8.28	(5.70)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर रिटर्न	-	-	1.85	2.04	(1.85)	(2.04)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	2.98	(4.26)	1.85	2.04	1.13	(6.29)
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	0.06	0.11	0.06	0.10	-	0.01
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	-	0.69	-	(0.70)
प्रदत्त हितलाभ	(13.26)	(12.16)	-	-	(13.26)	(12.16)
अंतिम शेष	171.28	164.67	194.83	179.78	(23.55)	(15.11)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

घ. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
- ईआरएस	4.92	4.17

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति) / देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	4.17	4.15
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.30	0.25
ब्याज लागत/आय	0.28	0.28
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल राशि	0.58	0.53
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (लाभ)		
- वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.12	0.07
- अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.74	0.33
ओसीआई में मान्य कुल राशि	0.86	0.40
प्रदत्त हितलाभ	(0.69)	(0.91)
अंतिम शेष	4.92	4.17

59.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को लेती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार यील्ड के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान और बाद में मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(v) कर्मचारी का टर्नओवर/आहरण जोखिम

परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में अपेक्षित आहरण दर के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, यदि भविष्य में वास्तविक आहरण दर अपेक्षा से अधिक या कम हो जाती है तो इससे योजना की देयता बढ़ सकती है।

59.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	0.07	0.06	3.94	0.20
उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	0.99	0.99	-	-
राज्य सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	10.22	10.28	41.63	40.80
कारपोरेट बॉण्ड/ डिबेंचर	9.35	9.35	149.25	138.78
उप-जोड़ - उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	20.56	20.62	190.88	179.58
गैर उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
अन्य - बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड और टी-बिल्स	6.55	5.87	-	-
उप जोड़ - गैर उद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	6.55	5.87	-	-
कुल	27.18	26.55	194.82	179.78

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹ 17.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.12 करोड़) है।

59.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2024 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति (पीयूसीएम) का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
उपयोग की गई पद्धति	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
योजनागत परिसंपत्तियों पर छूट की दर और प्रत्याशित रिटर्न, यदि वित्तीय पोषित है	7.09%	7.31%	7.09%	7.31%	7.09%	7.31%
भविष्य की वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	5.50%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	20.07	17.72	20.07	17.72	20.07	17.72

मुख्य अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बॉण्ड पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

59.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

आवश्यक बीमांकिक मान्यताओं में से एक में रिपोर्टिंग तिथि पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन, अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व को प्रभावित करेंगे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
- उपदान	(0.89)	0.97	(0.84)	0.91
- पीआरएमएस	(9.23)	9.86	(12.10)	12.60
- ईआरएस	(0.20)	0.22	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
- उपदान	0.17	(0.17)	0.21	(0.18)
- पीआरएमएस	-	-	-	-
- ईआरएस	0.18	(0.16)	0.15	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
- पीआरएमएस	9.92	(9.06)	11.62	(10.52)
चिकित्सा लागत (10% संचलन)				
- पीआरएमएस	17.24	(17.08)	16.89	(16.19)

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिरूप नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से निगरानी करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित यील्ड कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र चरण पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

59.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओंका प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
एक वर्ष से कम	5.15	6.43	15.20	13.98	0.95	1.12
1 से 5 वर्ष तक	12.52	16.12	84.88	78.64	2.61	2.33
5 वर्ष से अधिक	37.67	35.29	329.93	306.56	5.21	3.11
कुल	55.34	57.84	430.01	399.18	8.77	6.56

59.2.6 वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक	31-03-2024 तक	31-03-2023 तक
प्रत्याशित अंशदान	1.48	3.77	-	-	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 11.78 वर्ष है (31.03.2023 को 11.18 वर्ष)।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

59.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

59.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवितन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवितन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवितन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी के वल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹ 8.96 करोड़ की व्यय राशि (पिछली अवधि ₹ 5.04 करोड़) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में जमा की गई है।

59.3.2 अन्य कर्मचारी हितलाभ

दीर्घ सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹ 2.15 करोड़ (पिछले वर्ष 0.47 करोड़) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में जमा किया गया है।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारियों को लॉयल्टी प्रोत्साहन मृत्यु के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर के वल निरंतर सेवा के तीन वर्ष पूरा करने के बाद देय होता है। कंपनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को भुगतान उनके अलग होने के समय जारी किया जाता है। व्यय की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में जमा किया गया है।

59.4 कंपनी के पूर्णस्वामित्व वाली अनुषंगी में प्रतिनियुक्ति/द्वितीयक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी, पीआरएमएफ, टर्मिनल लाभ, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों सहित कर्मचारी लाभों को प्रतिनियुक्ति/द्वितीयक आधार पर कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जाता है।

60 राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पूर्व में नए एंटीटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नए संस्थानों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत संस्थानों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटीयों के नाम से पुनः स्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।
- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्णकर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित संस्थानों से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित संस्थानों के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित संस्थानों को सवितरण कर दिया गया है।
- जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, इसके अलावा इन योजनाओं के लिए प्रलेखीकरण राजपत्र अधिसूचना में किया जाएगा।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- (iv) एक बार सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना अधिसूचित हो जाने के बाद, बिजली संस्थानों के बीच परिसंपत्तियों और देयताओं के अंतरण का विधिवत संकेत देते हुए, परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित संस्थानों के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं के निष्पादन के लिए कार्रवाई की जाएगी। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान की मांग को संस्थानों द्वारा अलग किया जा रहा है और संबंधित हिस्से का भुगतान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

61. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में संशोधन

इंड-एएस संशोधनों के साथ संरेखित करने और कंपनी की प्रणालियों के अनुरूप अधिक स्पष्टता लाने के लिए कुछ लेखांकन नीतियों को फिर से तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे पुनर्लेखन/संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

62. प्रावधान, आकस्मिकताएं और इंपेयरमेंट हानि भत्ते को लाभ और हानि के समेकित विवरण में जमा किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2023 को समाप्त वर्ष
(i) ऋण के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता*	(1,367.07)	105.14
(ii) निवेश के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	-
(iii) अन्य प्राप्य के लिए इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(12.51)	37.03
(iv) आयकर के लिए किए गए प्रावधान	3,814.48	2,730.69

* सुविधा पत्र पर इंपेयरमेंट भत्ते के लिए ₹16.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹-5.03 करोड़) शामिल हैं।

- 63 कंपनी के संचालन में केवल एक बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत, लॉजिस्टिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण देना। इसलिए, भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संदर्भ में कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट नहीं है। इंड-एएस 108 में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता एक बिजनेस सेगमेंट के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

63.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष	31-03-2024 को समाप्त वर्ष
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	45,954.08	38,701.63
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	114.49	122.21
(ग) ट्रेजरी प्रचालनों से आय	593.56	306.57
(घ) सेवाओं की बिक्री से राजस्व	360.52	287.55
कुल	47,022.65	39,417.96

- 63.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के मुख्य प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

- 63.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के दौरान समूह के राजस्व में 10% अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

64. समेकन के लिए अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कंपनियों हेतु विचारार्थ :

क. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां:

संस्थान की नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनों का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-2024 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	भारत	100%	100%

ख. संयुक्त उद्यम - शून्य

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
 ग. संबद्ध/अनुषंगी कंपनियां

संस्थान की नाम	कारोबार का स्थल/ निगमनों का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-2024 के अनुसार	31-03-2023 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड**	भारत	100.00%	100.00%
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड**	भारत	100.00%	100.00%
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड**	भारत	100.00%	100.00%
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड**	भारत	100.00%	100.00%
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	भारत	-	100.00%
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड*	भारत	-	100.00%
केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड*	भारत	-	100.00%
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड*	भारत	-	100.00%
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	भारत	-	100.00%
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
एनईआरएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	भारत	-	-
ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	भारत	-	-
करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	भारत	-	-
पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	भारत	-	-
जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
कल्लम ट्रांसको लिमिटेड	भारत	100.00%	-
राजस्थान भाग I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
खावड़ा IV-ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
खावड़ा आईवीए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
खावड़ा V-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
एनईआरजीएस-आई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
ईआरईएस -XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-

* उपरोक्त एसपीवी वर्ष के दौरान बेची गई है

** उपरोक्त एसपीवी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

#उपरोक्त एसपीवी को वर्ष के दौरान शामिल और बेचा गया है

टिप्पणी: उपर्युक्त निवेश भारत सरकार (जीओआई) के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और कंपनी के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, कंपनी संबंधित कंपनियों में अपने निवेश पर विचार करती है क्योंकि कंपनी उनकी प्रदत्त इकिटी शेयर पूंजी का 100% भाग अपने पास रखने के बावजूद भी सहयोगी कंपनियां महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

65 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक समेकित संस्थानों के संबंध में प्रकटीकरण

65.1 निवल परिसंपत्ति में हिस्सा यानी कुल परिसंपत्ति घटाकर कुल देयताएं

(₹ करोड़ में)

संस्थान का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	समेकित निवल परिसंपत्ति के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्ति के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	99.18%	68,783.15	99.24%	57,679.67
अनुषंगी कंपनी- भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.82%	567.18	0.76%	440.93
सहयोगी कंपनी- भारतीय				
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड**	-	-	-	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड**	-	-	-	0.05
मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड**	-	-	-	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड**	-	-	-	0.05
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.05
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.05
केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.05
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.05
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.05
खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	-	0.05
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
एनईआरएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		0.05		
राजस्थान भाग 1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		0.05		
शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		0.05		
कल्लम ट्रांसको लिमिटेड		0.05		
खावड़ा IV सी पावर लिमिटेड		0.05		
खावड़ा आईवीए पावर लिमिटेड		0.05		
खावड़ा IV-ई2 पावर लिमिटेड		0.05		
खावड़ा V ए पावर लिमिटेड		0.05		
राजस्थान IV ए पावर लिमिटेड		0.05		
राजस्थान IV सी पावर लिमिटेड		0.05		
राजस्थान IV ई पावर लिमिटेड		0.05		
राजस्थान IV एच पावर लिमिटेड		0.05		
कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		0.05		
एनईआरजीएस-आई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		0.05		
तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		0.05		
समायोजन या निष्कासन का प्रभाव	0.00%	(0.98)	0.00%	(0.73)
कुल	100.00%	69,350.25	100.00%	58,120.51

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां
लाभ-हानि में हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

संस्थान का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	समेकित निवल परिसंपत्ति के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्ति के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	99.11%	14,019.21	98.99%	11,054.64
अनुषंगी कंपनी- भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	1.06%	149.65	1.25%	139.79
समायोजन या निष्कासन का प्रभाव	(0.17%)	(23.40)	(0.25%)	(27.45)
कुल	100.00%	14,145.46	100.00%	11,166.98

अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

संस्थान का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	100.00%	1,044.27	100.00%	(971.04)
अनुषंगी कंपनी- भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	-	-	-	-
समायोजन या निष्कासन का प्रभाव	-	-	-	-
कुल	100.00%	1,044.27	100.00%	(971.04)

कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

संस्थान का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	समेकित व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
आरईसी लिमिटेड	99.17%	15,063.48	98.90%	10,083.60
अनुषंगी कंपनी- भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.99%	149.65	1.37%	139.79
समायोजन या निष्कासन का प्रभाव	(0.15%)	(23.40)	(0.27%)	(27.45)
कुल	100.00%	15,189.73	100.00%	10,195.94

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

66. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक शृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 तक		31-03-2023 तक	
	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
परिसंपत्तियां				
(1) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	262.75	-	48.70	-
(ख) उपरोक्त (ए) के अलावा बैंक शेष	2,676.74	23.01	2,276.05	70.86
(ग) ट्रेड प्राप्त	153.82	-	113.00	-
(घ) व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	1,995.61	10,486.41	2,331.97	6,649.64
(ङ) ऋण	84,849.07	4,14,342.98	65,372.90	3,56,711.01
(च) निवेश	115.28	5,237.04	53.28	3,116.72
(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	291.10	24,154.32	279.26	24,143.28
कुल - वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	90,344.37	4,54,243.76	70,475.16	3,90,691.51
(2) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां				
(क) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8.72	300.96	0.06	305.89
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2,500.96	-	3,307.56
(ग) निवेश संपत्ति	-	-	-	-
(घ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	0.00	630.98	0.00	639.17
(ङ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	-	23.59	-	2.72
(च) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.52	-	1.63
(छ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	117.03	-	67.11	7.29
कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	125.75	3,457.01	67.17	4,264.27
(3) बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियां	20.20	-	4.65	-
कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	90,490.32	4,57,700.78	70,546.98	3,94,955.77
देयताएं				
(1) वित्तीय देयताएं				
(क) व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स	338.08	421.62	63.11	913.84
(ख) ट्रेड देय				
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	-	-	-	-
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	90.51	-	41.68	-
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	48,240.03	2,17,823.21	39,878.18	1,97,024.15
(घ) उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	43,071.37	1,29,020.68	40,338.84	96,775.29
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	321.21	7,091.00	2,796.90	3,976.40
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	7,850.19	24,109.30	1,235.81	24,109.30
कुल - वित्तीय देयताएं (1)	99,911.39	3,78,465.81	84,354.52	3,22,798.98
(2) गैर-वित्तीय देयताएं				
(क) चालू कर देयताएं (निवल)	66.51	-	10.65	-
(ख) प्रावधान	80.00	57.35	60.91	50.71
(ग) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	165.72	94.07	57.09	49.36
कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)	312.23	151.42	128.65	100.07
(3) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे तौर पर जुड़ी देयताएं	-	-	0.02	-
कुल देयताएं (1+2+3)	1,00,223.62	3,78,617.22	84,483.19	3,22,899.05

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृत/ पुनः समूहित किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

67. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।
68. कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/अनुषंगी कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
69. मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 3, 9, 10, 11, 21.1, 28.1, 47, 50, 51.1.3 (एन), 51.1.3 (ओ), 51.1.3 (पी), 51.1.3 (आर), 51.1.3 (एस), 51.1.3 (टी), 51.1.3 (यू), 51.1.3 (वी), 51.2.2, 51.2.4, 51.3, 52, 54, 57, 61, 62, 67, 68, 70, 72 में किए गए हैं।
70. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान किसी भी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। हालाँकि, वर्ष के दौरान, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम आवश्यकताओं के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन न होने के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से कुल ₹ 0.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.43 करोड़) (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाने का नोटिस मिला है।
- कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और निदेशक मंडल या कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी को उम्मीद है कि बीएसई द्वारा इसी तरह के कारणों से पहले जुर्माने में छूट के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंजों से किए गए उसके अनुरोध और आवश्यकता के अनुपालन के बाद छूट पर विचार करने के लिए एनएसई से प्राप्त संचार के अनुकूल परिणाम होंगे।
71. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31-03-2024 (31-03-2023- पांच नंबरों तक) को बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है, जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए रिपोर्ट नहीं किया गया है।
72. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी को ग्राहकों या लोकपाल के कार्यालयों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
73. जब तक स्पष्ट रूप से न कहा गया हो, रुपये में आंकड़ों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।
- लेखा संबंधी टिप्पणियां 1 से 73 तुलन-पत्र और लाभ-हानि के विवरण का एक अभिन्न भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W
सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089
अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं.: 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल 2024

आरईसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुलग्नक (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(आरबीआई (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) दिशा-निर्देश दिनांक 19.10.2023 के अनुलग्नक-VIII में दिए गए विवरण, समय-समय पर अद्यतन किए गए हैं, जहां तक वे कंपनी पर लागू होते हैं)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम				
जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क) डिबेंचर/बॉण्ड:				
- प्रतिभूत	55,197.53	-	51,599.51	-
- अप्रतिभूत	2,19,135.12	-	1,93,034.32	-
(ख) सावधिक ऋण				
- एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12	-	10,325.12	-
- बैंको से अप्रतिभूत ऋण	50,620.49	-	56,402.09	-
- वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	8,072.29	-	6,000.64	-
- विदेशी मुद्रा उधारियां	67,597.00	-	45,783.55	-
- एफसीएनआर (बी) ऋण	25,151.29	-	15,427.63	-
- बैंक से ओवरड्राफ्ट्स	267.44	-	87.59	-
- अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	10,883.04	-	3,607.52	-
- पट्टा दायित्व	-	-	0.02	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
परिसंपत्ति पक्ष:		
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग ब्योरा		
(क) प्रतिभूत	2,47,650.53	2,42,310.94
(ख) अप्रतिभूत	2,61,720.42	1,92,700.85
(ग) घटाएं: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता	(12,380.52)	(14,263.75)
ऋण और अग्रिम (प्रावधान का निवल)	4,96,990.43	4,20,748.04
(3) निवेश :		
लागत/परिशोधित लागत पर किया गया निवेश:		
उद्धृत:		
(i) शेयर: इक्विटी	-	-
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड्स	1,962.14	661.16
(iii) सरकारी प्रतिभूतियां	1,624.08	1,431.74
गैर-उद्धृत ::		
(i) शेयर:इक्विटी		
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	214.06	105.74
(iii) अधिमानित शेयर	28.72	28.72

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
घटाएं: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता	(28.72)	(28.72)
गैर-उद्धृत अधिमानित शेयर (प्रावधान का निवल)	-	-
उचित मूल्य पर मापित निवेश		
उद्धृत :		
(i) शेयर: इक्विटी	170.28	94.54
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	947.94	437.26
गैर-उद्धृत:		
(i) शेयर:इक्विटी	316.73	314.48
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	117.09	125.08

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि			
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	प्रावधान	कुल
31.03.2024 तक				
1. संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,47,650.53	2,61,720.42	(12,380.52)	4,96,990.43
कुल	2,47,650.53	2,61,720.42	(12,380.52)	4,96,990.43
31.03.2023 तक				
1. संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,42,310.94	1,92,700.85	(14,263.75)	4,20,748.04
कुल	2,42,310.94	1,92,700.85	(14,263.75)	4,20,748.04

(5) शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं गैर-उद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	5,325.91	5,352.32	3,181.35	3,170.00
कुल	5,325.91	5,352.32	3,181.35	3,170.00

(6) अन्य जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(i) सकल क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां				
(क) संबंधित पक्षकार			-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार			13,810.33	14,892.08
(ii) निवल क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां				
(क) संबंधित पक्षकार			-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार			4,356.53	4,372.57
(iii) ऋण की संतुष्टि हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां			394.18	233.85

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं.: 167453

स्थान : मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल 2024

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं.: 087010

प्रपत्र एओसी - 1

वर्ष 2023-24 के लिए अनुषंगी कंपनियों /संबद्ध कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण
 भाग क: अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	(I)
1 अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
2 संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं
3 विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
4 शेयर पूंजी	0.09
5 आरक्षित निधि एवं अधिशेष	567.09
6 कुल परिसंपत्तियां	805.59
7 कुल देयताएं	238.41
8 निवेश	78.79
9 टर्नओवर	390.64
10 कराधान से पूर्व लाभ/(हानि)	202.70
11 कराधान हेतु प्रावधान	53.05
12 कराधान पश्चात लाभ/(हानि)	149.65
13 प्रस्तावित लाभांश	44.90
14 शेयरधारिता का %	100.00%

(1) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं- शून्य

(2) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है- शून्य

भाग ख: संबद्ध कंपनी एवं संयुक्त उद्यम
संबद्ध कंपनियों का विवरण -I

(₹ करोड़ में)

संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों का नाम	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड*	चदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड*	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड*	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	जलपुरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	राजस्थान भाग I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	कल्लम ट्रांसको लिमिटेड#	खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निगमन की तिथि	19.03.2018	14.03.2018	25.03.2018	26.03.2018	28.10.2022	14.12.2022	10.01.2023	28.04.2023	30.04.2023	14.06.2023	15.09.2023	27.09.2023
1 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31-मार्च-23	31-मार्च-23	31-मार्च-23	31-मार्च-23	31-मार्च-23	31-मार्च-23						
2 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के शेयरों की संख्या												
i. संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ii. संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
iii. धारण की परिसीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3 महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	टिप्पणी 1 का संदर्भ लें											
4 संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को समेकित नहीं किए जाने का कारण**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	(0.59)	(0.59)	(0.59)	(0.59)	(104.99)	(95.10)	(86.88)	(81.10)	(62.24)	(52.00)	(46.63)	(36.80)
6 वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	228.00	254.00	248.00	222.00	(59.36)	(56.31)	(91.88)	(86.10)	(67.24)	(57.00)	(51.63)	(41.80)
i. समेकन में विचार गया**	-	-	-	-								
ii. समेकन में नहीं विचार गया	228.00	254.00	248.00	222.00	(59.36)	(56.31)	(91.88)	(86.10)	(67.24)	(57.00)	(51.63)	(41.80)

संबद्ध कंपनियों का विवरण -II

(₹ करोड़ में)

संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों का नाम		खावड़ा IV-ई 2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	एनईआरजीएस-1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	तुमुकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	खावड़ा वी-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	ईआरईएस XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड##
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
निगमन की तिथि		05.10.2023	09.10.2023	10.10.2023	11.10.2023	13.10.2023	14.10.2023	18.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	10.10.2023	27.03.2024
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि											
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध कंपनियों/ अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के शेयरों की संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
i.	संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
ii.	धारण की परिसीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3	महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	टिप्पणी 1 का संदर्भ लें										
4	संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को समेकित नहीं किए जाने का कारण**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोग्य निवल मूल्य	(28.84)	(49.69)	(36.39)	(29.08)	(46.84)	(33.53)	(4.55)	(30.66)	(15.28)	(37.96)	
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(33.84)	(54.69)	(41.39)	(34.08)	(51.84)	(38.53)	(0.44)	(35.66)	(20.25)	(42.96)	
i.	समेकन में विचारा गया**											
ii.	समेकन में नहीं विचारा गया	(33.84)	(54.69)	(41.39)	(34.08)	(51.84)	(38.53)	(0.44)	(35.66)	(20.25)	(42.96)	

* संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों के लिए उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र ईड-एस के आधार पर तैयार की गई है।

संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रबंधन प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन-पत्र ईड-एस के आधार पर तैयार की गई है।

** संबद्ध कंपनियों/अनुषंगी कंपनियों को बिक्री के लिए धारित के तहत वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य (बिक्री की तुलना में कम लागत) पर मूल्यांकित किया गया है, जो भी कम हो, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।

##चूंकि कंपनी 27.03.2024 को गठित हुई, इसलिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति अगले वित्त वर्ष में की जाएगी

टिप्पणी: 1. कंपनी के पास 100% शेयर पूंजी है लेकिन इन निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और कंपनी के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिकता नहीं है, अतः इन कंपनियों को सहयोगी कंपनियों के रूप में माना गया है।

संयुक्त उद्यम का विवरण: लागू नहीं

- (1) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं - शून्य
 - (2) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है।
- वर्ष के दौरान कारोबार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित सहयोगियों को बेचा गया है:

एसपीवी का नाम	निगमन की तिथि	बिक्री की तिथि
केपीएस 1 ट्रांसमिशन लिमिटेड	06.05.2022	20.04.2023
ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.04.2022	20.09.2023
रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	20.04.2022	26.10.2023
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	06.05.2022	09.02.2024
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	08.06.2020	09.02.2024
धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	08.06.2023	09.02.2024
ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	09.06.2023	09.02.2024
करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.06.2023	09.02.2024
पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20.07.2023	14.02.2024

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

विजय कुमार सिंह
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन-02772733

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-01377212

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं.: 087010

स्थान : मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

सेवा में,

आरईसी लिमिटेड के सदस्य

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

आरईसी लिमिटेड के समेकित इंड एस वित्तीय विवरण पर यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमारे पहले स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 30 अप्रैल 2024 के अधिक्रमण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की दिनांक 06 जुलाई 2024 की टिप्पणी "कुंजी" के अनुपालन में जारी की गई है। व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा मामला, जो किसी भी तरीके से पहले व्यक्त किए गए समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण और हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है। संशोधित रिपोर्ट उपरोक्त प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को जोड़ते हुए जारी की गई है, जैसा कि भारत के सीएंडएजी द्वारा हमारी पिछली स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में बताया गया था। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2024 तक कंपनी के समेकित इंड एस वित्तीय विवरण में किसी भी आंकड़े में कोई बदलाव नहीं आया है।

राय

हमने आरईसी लिमिटेड (इसके पश्चात "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित) (धारक कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों को मिलाकर "समूह" के रूप में संदर्भित) कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को संलग्न किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरणों (अन्य व्यापक आय सहित), इकिटी में परिवर्तन की समेकित विवरणों और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणों और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार (इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देती है और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इकिटी में समेकित परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके समेकित नकद प्रवाह तथा इसके सार की समेकित स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले ("केएएम") वे मामले हैं जो हमारे कारोबारिक निर्णय में, वर्तमान वर्ष की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऋण परिसंपत्तियों का हानि भत्ता – (लेखांकन नीति सं. 3.13 के साथ पठित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 51.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, हानि के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित हानि के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। हानि भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा हानि भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। हानि भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा हानि प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है: क). ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा। ख). हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और हानि भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/ढाँचे का सत्यापन कर लिया है। ग). वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन। घ). वसूली के स्तर का पता लगाने के लिए मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए वसूली सत्यापित की जाती है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। ङ). ऋण परिसंपत्तियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर हानि का आकलन हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेख पर संबंधित साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। च). हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है।

2.	व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्यांकन (टिप्पणी संख्या 9 को लेखांकन नीति संख्या 3.12 के साथ पठित स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण देखें) कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव अनुबंध में प्रवेश करती है। व्युत्पन्न अनुबंधों को या तो पीएंडएल (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर या नकदी प्रवाह बचाव (हेज अकाउंटिंग) के तहत वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल में वर्गीकृत व्युत्पन्न पर मार्क टू मार्केट लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है और नकदी प्रवाह हेज को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। वित्तीय विवरणों के महत्व और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमने व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्यांकन को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है।	हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया लागू की है: क) प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना और जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना। ख) इंडस्ट्रीज़ एस 109 की अवधि में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन। ग) व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। घ) कंपनी प्रतिपक्ष बैंकों से व्युत्पन्न का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में 31 मार्च, 2024 तक बकाया विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के विवरण और उस पर उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। ङ) इसके अतिरिक्त, हमने नकदी प्रवाह हेज के तहत व्युत्पन्न अनुबंधों के मामले में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में व्युत्पन्न अनुबंधों के मार्क टू मार्केट आधार पर लाभ या हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। च) इंडस्ट्रीज़ एस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की गई।

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड), जो एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, के वित्तीय विवरण पर संघटक लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2024 की उनकी रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा की राय के संबंध में निम्नलिखित मुख्य लेखापरीक्षा मामले संसूचित किए गए और हमारे द्वारा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	क्रेडिट हानि के जोखिम को देखते हुए प्राप्य लेखा का मूल्यांकन (टिप्पणी संख्या 43 "वित्तीय इंस्ट्रूमेंट" और टिप्पणी संख्या 11 "व्यापार प्राप्य" देखें) लेखा प्राप्य, 31 मार्च, 2024 तक के कंपनी के वित्तीय विवरणों में एक महत्वपूर्ण मद है और प्राप्य पर क्रेडिट हानि का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पूर्वानुमान एक ऐसा क्षेत्र है, जो प्रबंधन के निर्णय से प्रभावित होता है। कंपनी क्रेडिट जोखिम, परियोजना की स्थिति, विगत वृत्तांत, ग्राहक के साथ नवीनतम चर्चा/पत्राचार के आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि का आकलन करती है। वित्तीय विवरणों के लिए इन प्राप्य के सापेक्षिक महत्व को देखते हुए और प्राप्य राशियों की वसूली का आकलन करने में शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति और सीमा को देखते हुए, हमने इसे एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया।	हमारी लेखापरीक्षा में प्राप्य राशियों के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया को शामिल किया गया: - कंपनी की लेखांकन नीति को समझा और उसका मूल्यांकन किया। - हमने अनुमानित क्रेडिट हानि के निर्धारण के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों के डिज़ाइन का मूल्यांकन किया और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। - प्राप्य राशियों की संग्रहणीयता की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन से पूछताछ की। - महत्वपूर्ण शेष राशियों के लिए, प्रबंधन के साथ प्रावधान के आधार के बारे में चर्चा की गई थी। - ग्राहक के क्रेडिट जोखिम, नकदी संग्रह, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के सापेक्ष प्रदर्शन और समय-समय पर क्रेडिट हानि शुल्क के स्तर पर विचार करके अपेक्षित क्रेडिट हानियों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई जानकारी का आकलन किया और चुनौती दी गई।
2.	भारतीय लेखांकन मानक 115 "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" को अपनाने के मद्देनजर राजस्व और अन्य संबंधित शेष की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की सटीकता नए राजस्व लेखा मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों का अभिचिह्नन, अभिचिह्नित प्रदर्शन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में स्वीकृत राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 3.2 और 38 देखें।	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमने नए राजस्व लेखा मानक को अपनाने के प्रभाव के अभिनिर्धारण के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं: - नए राजस्व लेखा मानक के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन को समझना। - चालू और नई संविदाओं का एक नमूना चुना, और विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के अभिचिह्न और लेन-देन मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने इन नियंत्रणों के प्रचालन के संबंध में साक्ष्य की जांच और प्रेक्षण, पुनः प्रदर्शन और निरीक्षण से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन किया। - चल रही परियोजनाओं के संबंध में निष्पत्ति चरण और राजस्व के संबंध में, हमने कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है क्योंकि हमारे पास वह तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी। - चालू और नई संविदाओं का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया। - इन संविदाओं में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़ना, विश्लेषण करना और अभिचिह्नित करना। - कंपनी द्वारा अभिचिह्नित और लेखबद्ध किए गए इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना की गई।

	- राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए गए लेन-देन मूल्य को सत्यापित करने और परिवर्तनीय विचार के अनुमान के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचारण सहित लेन-देन मूल्य निर्धारित करने के लिए संविदाओं की शर्तों पर विचार किया। - पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संबंध में परियोजना विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों का उपयोग करके अनर्जित राजस्व के संबंध में परिकलन की नमूना-जांच की गई। - नियत मूल्य संविदाओं से संबंधित नमूनों के संबंध में, लेखबद्ध किए गए राजस्व के परिकलन के लिए प्रयुक्त प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को संविदा की शर्तों और कंपनी के परियोजना विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई कार्य की स्थिति के साथ सत्यापित किया गया था। - प्रकार और सेवा पेशकशों के आधार पर अलग किए गए राजस्व नमूनों का मूल संविदाओं में निर्दिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के साथ परीक्षण किया गया। - प्रकार और सेवा पेशकशों के आधार पर प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर सूचना

कंपनी के निदेशक मण्डल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल हैं, किंतु इसमें समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के उपरान्त प्राप्त होना प्रत्याशित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

यदि, हमने जो कार्य किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस तथ्य को रिपोर्ट करें।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

धारक कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मण्डल अधिनियम की अपेक्षाओं के संबंध में, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इकिटी में समेकित परिवर्तन और यथासंशोधित ("भारतीय लेखांकन मानक") कंपनी नियमावली (भारतीय लेखांकन मानक), 2015 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इस समूह के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो। कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, जो इस समूह और जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने तथा इस समूह की परिसंपत्तियों की रक्षा करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हो, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो और जिसका उपयोग ऊपर में उल्लेख किए गए अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो, को प्रस्तुत करने तथा तैयार करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड्स की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड्स का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, इस समूह में शामिल किए गए कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड, वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका प्रकटीकरण करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

इस समूह और इसकी कंपनी के अलग-अलग निदेशक बोर्ड इस समूह और इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में अन्य समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त है, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, आशा है कि उसके कारण उचित रूप से उन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम कारोबारिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान कारोबारिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।

- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिज़ाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में किया गया प्रकटीकरण तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का प्रकटीकरण हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए इस समूह में इन कंपनी की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई इस प्रकार की कंपनी की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो स्वतंत्र लेखापरीक्षक हों, की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य कंपनी जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, के लिए इस प्रकार के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम मुख्य रूप से अपनी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए जिम्मेदार होते हैं।

वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का वह परिमाण, जिससे एकल या सामूहिक रूप से, यह संभावना उत्पन्न होती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण होता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी अभिविहित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल की गई धारक कंपनी और इस प्रकार की अन्य कंपनियों का शासन का उत्तरदायित्व दिए गए व्यक्तियों को सूचित करते हैं जिसके अन्य मामलों के साथ-साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों जिसमें आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण खामियां जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, शामिल हैं, के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान वर्ष की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक झुकाव होने की आशा होगी।

अन्य मामले

1. इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **तुलनात्मक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों** को एस.के.मि.तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार और ओ.पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार द्वारा संयुक्त रूप से लेखापरीक्षा की है। जिनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 17 मई 2023 ने तुलनात्मक समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

2. हमने अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 को ₹ 805.59 करोड़ (31 मार्च, 2023 को ₹ 680.50 करोड़) की कुल परिसंपत्तियां, उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए ₹ 357.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 284.84 करोड़) का कुल राजस्व और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 206.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.89 करोड़) का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में कर पश्चात निवल लाभ में अनुषंगी का भाग ₹ 139.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.03 करोड़) और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ₹ 149.64 करोड़ की कुल व्यापक आय (पिछले वर्ष ₹ 139.79 करोड़) शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह अनुषंगी कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11), जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी से संबंधित है, के अनुसार हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रेमाणित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गई है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों/प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:
 - (क) हमने उन समस्त जानकारीयों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।
 - (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि का विवरण, और समेकित इकटि में परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का विवरण,

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

- (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
- (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2), कंपनी पर लागू नहीं है, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
- (च) धारक कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-क" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
- (छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान धारक/अनुषंगी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
- (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य लेखापरीक्षक की पृथक वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार पर:
- (i) समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 46 के संदर्भ में।
- (ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि हो।
- (iii) धारक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।
- iv) (क) कंपनी के संबंधित प्रबंधन और उसकी अनुषंगी कंपनी ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 10.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, समूह (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिविहित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है;
- (ख) कंपनी के संबंधित प्रबंधन और उसकी अनुषंगी कंपनी ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 10.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्तपोषक पक्षकार") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि समूह, वित्तपोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिविहित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है;
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार संगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 (ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत और उपरोक्त (क) और (ख) के तहत उपबंधित अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- (v) वर्ष के दौरान समूह द्वारा इस रिपोर्ट की तिथि तक घोषित और प्रदत्त लाभंश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।
- (vi) कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है जो अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग से संबंधित है।
- (vi) हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला है। हालाँकि अनुषंगी कंपनी के मामले में, ऑडिट ट्रेल सुविधा 30 अक्टूबर 2023 से चालू कर दी गई है।
- जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 (छ) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रतिधारण लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के अनुच्छेद 3 के खंड (xxi) में निर्दिष्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले, मामलों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित इसकी अनुषंगी कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर, ऐसी रिपोर्टों में कोई शर्त या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 112318W

सौरभ चौहान
 भागीदार
 सदस्यता सं.: 167453
 यूडीआईएन : 24167453BKBFYR9922

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई 2024

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
 भागीदार
 सदस्यता सं.: 087010
 यूडीआईएन : 24087010BKBOFB7029

आरईसी लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक- क कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर की गई हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, आरईसी लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों जो कि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गई कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों जो कि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मण्डल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है और लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य जिसे भारत में निगमित अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षक द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किया गया था, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

- (क) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
- (ख) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्ति और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और
- (ग) समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटीटी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे विचार से, धारक कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियां जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी वास्तविक पहलुओं से एक समुचित आंतरिक वित्तीय प्रणाली है तथा अत्यधिक वित्तीय संसूचना पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करना जो 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार

संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय संसूचना के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए इस समूह द्वारा तय किए गए वित्तीय संसूचना मानदंडों के बारे में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी अनुषंगी कंपनी से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षक की तदनुसूची रिपोर्ट के आधार पर है।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 112318W

सौरभ चौहान

भागीदार

सदस्यता सं.: 167453

यूडीआईएन : 24167453BKBFYR9922

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी.

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला

भागीदार

सदस्यता सं.: 087010

यूडीआईएन : 24087010BKBOFB7029

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 16 जुलाई 2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2024 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने आरईसी लिमिटेड और आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है, लेकिन उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुलग्नक में सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछ-ताछ तथा कुछ लेखाकरण दस्तावेजों की चयनित जांच तक सीमित है। लेखापरीक्षा के बाद, सीएंडएजी की टिप्पणी 06 जुलाई 2024 को जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 30 अप्रैल 2024 की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में "व्युत्पन्न लेखांकन के उचित मूल्यांकन" पर प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को शामिल नहीं किया गया है। टिप्पणी के अनुपालन में, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 30 अप्रैल 2024 की अपनी पिछली स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अधिक्रमण करते हुए 16 जुलाई 2024 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है और अपनी संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट दिनांक 16 जुलाई 2024 में व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स के उचित मूल्यांकन पर अपनी टिप्पणियों को शामिल किया है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत संशोधित सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(एस. अह्लादिनी पांडा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (एनर्जी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.07.2024

अनुलग्नक

आरईसी लिमिटेड की संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी
सहयोगी और संयुक्त उद्यम:

1. चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	13. खावड़ा IV ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	14. खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
3. कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	15. राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16. राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
5. लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17. राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
6. मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18. राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
7. एनएआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19. कोंकणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
8. जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20. एनईआरजीएस-आई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
9. राजस्थान भाग-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21. तुमुकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
10. शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	22. खावड़ा वी ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
11. कल्लम ट्रांसको लिमिटेड	23. ईआरईएस XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
12. खावड़ा IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	

हमारे कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय	कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ☎ +91-11-4309 1500 / 1501 ✉ contactus@recindia.com		
कारपोरेट कार्यालय	प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001 ☎ +91-124-444 1300 ✉ contactus@recindia.com		
प्रशिक्षण केंद्र	आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉवर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग आरईसीआईपीएमटी कैपस, एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली, अरामघर क्रॉसरोड के पास, हैदराबाद – 500052 ☎ +91-40-2988 5851 / 5852; +91-40-2955 5901 ✉ recipmt@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय मेघालय, मणिपुर और नागालैंड	सेरेनिटी होम सी/ओ फ्रेडरिक एस. मारबानियांग पोलो हिल्स, शिलांग, मेघालय – 793001 ☎ +0364-3542674 ✉ poshillong@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	बे नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकूला - 134112 ☎ +91-172-2563 863 / 864 ☎ +91-172-2580 476 ✉ popanchkula@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश	हाल नं. 3, पश्चिमी ब्लॉक, द्वितीय तल, मेट्रो वॉक, बिट्टन मार्केट, भीमपाल - 462016 ☎ +91-755-2460 006 ✉ recbhopal@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	आईबी-186, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106 ☎ +91-33-2335 6989 / 6994 / 6998 ✉ zmkolkata@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड, मेघालय, मणिपुर,	श्रद्धा, एम. जी. पथ, जी. एस. रोड, क्रॉसिंग सोहम/एसबीआई प्वाइंट, क्रिश्चियन बस्ती गुवाहटी - 781005 ☎ +91-361-2343 713 ✉ poguwahati@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	51-बी, मित्तल टॉवर, 5 th तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021 ☎ +91-22-2283 0985 / 3068 / 3055 ✉ zmmumbai@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़	एफ-6 एवं एफ-7, ब्लॉक बी-1, प्रथम तल पुजारी चैंबर्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंचपेडीनाका, रायपुर - 492001 ☎ +91-771-2241 055 ✉ recraipur@recindia.com
राज्य कार्यालय हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फेज-II, प्रथम तल, दरिज, शिमला - 171001 ☎ +91-177-2653 411 ✉ poshimla@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड	101 एवं 102, ओम श्री इंकलेव, लोयला स्कूल के बगल में, एयरपोर्ट रोड हिन्, रांची - 834002 ☎ +91-651-4667 947 ✉ poranchi@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू और कश्मीर, लद्दाख	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू - 180004 ☎ +91-191-2450 800 ✉ pojammu@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय ओडिशा	दीनदयाल भवन, पंचम तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर - 751009 ☎ +91-674-2393 206 ☎ +91-674-2536 649 ✉ pobhubaneswar@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश	19/8 इंदिरा नगर एक्सटेंशन रिंग रोड, लखनऊ - 226016 ☎ +91-522-271 6324 / 7376 ☎ +91-522-407 4944 ✉ zmlucknow@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक	1/5, हलासूरु रोड, बेंगलुरु- 560042 ☎ +91-80-2559 8244 ☎ +91-80-2555 0240 ✉ pobangalore@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून - 248001 ☎ +91-135-2650 799 ✉ sodehradun@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय तेलंगाना	आरईसीआईपीएमटी कैपस एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली अरामघर क्रॉसरोड के पास हैदराबाद – 500052 ☎ +91-40-2980 4520 / 6745 ☎ +91-40-2988 6745 ✉ zmhyderabad@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय बिहार	मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक- सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना – 800001 ☎ +91-612-222 4596 / 1131 ✉ popatna@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय आंध्र प्रदेश	54-15-13, बीएसआर हिल व्यू, द्वितीय तल श्रीनिवास नगर बैंक कालोनी, विजयवाड़ा - 520008 ☎ +91-866-2973 405 ✉ recro-vijay@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान	जे-4-ए झालाना, इंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर - 302004 ☎ +91-141-270 7840 / 0161 ✉ pojaipur@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय केरल, लक्षद्वीप	ओ-5, चतुर्थ तल, सफालयम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टीआरआईडीए भवन, पलायम तिरुवनंतपुरम - 695034 ☎ +91-471-2328 662 ✉ potrivandrum@recindia.com
राज्य कार्यालय गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	प्लॉट नंबर 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुष्टि कॉम्प्लेक्स के पीछे, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा - 390023 ☎ +91-265-2397 487 ✉ povadodara@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु, पुडुचेरी	12 एवं 13, टी.एन.एच.बी. कॉम्प्लेक्स, 180 लूज़ चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई - 600004 ☎ +91-44-2467 2376 ☎ +91-44-2498 7960 ✉ pochennai@recindia.com

[illegible]

नोट

[illegible]

नोट

[illegible]



महारत्न कंपनी

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष: +91-11-43091500
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 दूरभाष: + 91-124-4441300
ई-मेल: contactus@recindia.com वेबसाइट: www.recindia.nic.in सीआईएन: L40101DL1969GO005095

हमें फॉलो करें:     @recindia



contactus@recindia.com



www.recindia.nic.in

